उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११९

सोमवार, २३ फरवरी, १९५३ से बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९५३ तक

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५३

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

खण्ड ११९

सोमवार, २३ फरवरी, १९५३

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५३

बुधवार, २५ फरवरी, १९५३

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९५३

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्दसिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), एम० एल० ए०, स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, एम० एल० ए०, परिवहन मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य, बी० ए०, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (वित्त), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री ... बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री ... गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अज़ीज़ इमाम, श्री ... मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री ... रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज़ खां, श्री ... खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ़ खां, श्री ... फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री ... मिर्ज़ापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री ... उतरौला (दक्षिण)
१०—अली ज़हीर, श्री सैयद ... लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री ... फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री ... बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ़ अली खां, श्री ... सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री ... झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री ... नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती ... फूलपुर (दक्षिण)
१८—इतिज़ा हुसैन, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराहुल हक़, श्री ... फीरोज़ाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री ... गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री ... सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री ... चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री ... उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फ़त सिंह चौहान 'निर्भय', श्री ... ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२६—एजाज रसूल, श्री ... शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री ... दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२८—कन्हयालाल वाल्मीकि, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री ... चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री ... सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री ... मोहम्मदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री ... गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री ... निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री ... हज़ूर मिलक (उत्तर)
३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ... चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री ... लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री ... कन्नौज (उत्तर)
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री ... कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री ... हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री ... खुर्जा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री ... सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री ... हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री ... सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री ... ललितपुर (दक्षिण)

४५—कृष्णशरण आर्य, श्री ... मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री ... मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवल सिंह, श्री ... सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री ... बांसगांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री ... कैराना (उत्तर)
५०—केशव पाण्डेय, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—केशवराम, श्री ... सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाशप्रकाश, श्री ... मेरठ नगरपालिका
५३—खयालीराम, श्री ... अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशीराम, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
५५—खूबसिंह, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५६—गंगाधर, श्री ... चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५७—गंगाधर जाटव, श्री ... फीरोज़ाबाद—फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री ... मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री ... रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री ... बिधूना (पूर्व)
६२—गज्जूराम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री ... मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री ... इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री ... पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारीलाल, श्री ... धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री ... डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री ... खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री ... मुसाफ़िरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलज़ार, श्री ... मुसाफ़िरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री ... पडरौना (पूर्व)
७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री ... इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री ... अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री ... बरेली नगरपालिका
७६—गौरीराम, श्री ... फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़-रामसनेही-घाट
७८—घासीराम जाटव, श्री ... बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री ... उरई—जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री ... डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री ... लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री ... तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
८३—चन्द्रवती, श्रीमती ... बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री ... हरदोई (पूर्व)
८६—चरण सिंह, श्री ... बाग़पत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री ... कोंच।

८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री .. छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सागर, श्री ... बिलौली—गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीशप्रसाद, श्री .. हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरागढ़
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री ... निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री .. पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री ... खेत-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहर लाल, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री .. महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री .. घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री ... संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री ... मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री .. लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजा सिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री .. घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री .. मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री .. सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री .. मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री .. नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री .. अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री .. जौनपुर (पश्चिम)

१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री ... आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा श्री, ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री .. सलेमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्तिराम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री .. सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री .. गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री ... मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री ... खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्मसिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थूसिंह, श्री ... आम्रों (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून—दक्षिण-पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री ... नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोरांव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरीराम, श्री ... केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६६—पातीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री .. एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७६—फतेह सिंह, श्री ... जलेसर—एटा (उत्तर)

१७७—फ़तेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७८—फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलेमपुर (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री ... बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८३—बलबीर सिंह, श्री ... गाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह, श्री ... मुज़फ़्फ़रनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री ... कालपी—जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९२—बाबूलाल मीतल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनी सिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०६—भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री ... खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर—पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बांसगांव (दक्षिण—पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री ... गाज़ीपुर (दक्षिण—पश्चिम)
२१२—मक़सूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा—करछना (दक्षिण)
२१४—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुख़ाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१५—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फ़ैज़ाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा—कुलपहाड़—चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री ... कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री ... सुमर—टांडा—बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर—पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)

२२२—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेवप्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलालगंज
२२७—महीलाल, श्री ... बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री ... करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री ... बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
२३१—मुजफ़्फ़र हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां—सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर—अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़ अली खां, श्री ... सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री ... बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री ... बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४३—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मन्ज़ूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा .. नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री ... सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहनसिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री ... मेजा—करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री ... बाग़पत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६४—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)

२६५—राजकिशोर राव, श्री	...	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	...	चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री	...	हाटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	...	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	...	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	...	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७१—राजाराम, श्री	...	अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	...	प्रतापगढ़ (पश्चिम) —कुण्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री	...	फैज़ाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री	...	खलीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री	...	मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	...	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	...	बलिया (पूर्व)
२७८—रामअधार तिवारी, श्री	...	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	...	पुरवा (मध्य)
२८०—रामअनन्त पाण्डेय, श्री	...	बलिया (मध्य)
२८१—रामअवध सिंह, श्री	...	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	...	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	...	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	...	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	...	जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र 'विकल', श्री	...	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री	...	बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजीलाल सहायक, श्री	...	मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	...	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	...	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—रामदुलारे मिश्र, श्री	...	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	...	कुण्डा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	...	अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	...	रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	...	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	...	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	...	महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	...	सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	...	मोहम्मदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	...	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतनप्रसाद, श्री	...	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	...	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	...	चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	...	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)

३०६—रामलाल, श्री	...	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	...	फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	...	रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	...	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	...	बबेरी (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	...	गरोठा मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	...	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	...	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	...	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	...	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी—राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	...	भोगनीपुर (पश्चिम)—डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	...	कुण्डा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	...	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	...	छता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	...	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	...	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	...	संडीला—बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व)
३२६—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	...	माट—सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	...	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफ़त हुसैन, श्री	...	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	...	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	...	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली खां, श्री	...	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	...	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	...	ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	...	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	...	गाजीपुर (दक्षिण—पूर्व)
३३८—वसी नक़वी, श्री	...	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३९—वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री	...	कानपुर नगर (मध्य—पश्चिम)
३४०—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर—पूर्व)
३४१—विजयशंकर प्रसाद, श्री	...	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	...	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	...	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	...	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	...	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	...	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	...	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	...	मैनपुरी (दक्षिण)

३४९—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	...	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	...	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेन्द्रशाह, राजा	...	कालपी—जालौन (उत्तर)
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री	...	दूधी राबर्ट्सगंज
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	...	बिल्हौर—अकबरपुर
३५४—व्रजवासीलाल, श्री	...	बीकापुर (मध्य)
३५५—व्रजविहारी मिश्र, श्री	...	फूलपुर (उत्तर)
३५६—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	...	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	...	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	...	बाह
३५९—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	...	चकराता—पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार पाण्डेय, श्री	...	सिराथू—मंझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	...	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	...	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	...	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	...	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री	...	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	...	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	...	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री	...	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	...	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—शिवराजबली सिंह, श्री	...	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	...	बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पाण्डेय, श्री	...	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	...	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४—शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री	...	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री	...	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	...	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	...	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेवप्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगनचन्द, श्री	...	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	...	मलीहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	...	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	...	नरैनी
३८३—श्रीचन्द, श्री	...	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	...	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथराम, श्री	...	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	...	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	...	रांठ
३८८—सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह, श्री	...	सोराम (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	...	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	...	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायणदत्त, श्री	...	औरय्या—भरथना (दक्षिण)

३६३——सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३६४——सत्यानन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)
३६५——सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
३६६——सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
३६७——सावित्रीदेवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
३६८——सियाराम गंगवार, श्री ... फ़र्रुखाबाद (मध्य)——क़ायमगंज (पूर्व)
३६९——सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४००——सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)——हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१——सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२——सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू——मंझनपुर
४०३——सुन्दरलाल, श्री ... आंवला (पूर्व)——फरीदपुर
४०४——सुरजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५——सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर——मौदहा (उत्तर)
४०६——सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां——सिधौली (पूर्व)
४०७——सुल्तान आलम खां, श्री ... क़ायमगंज (पश्चिम)
४०८——सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४०९——सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री ... हाटा (मध्य)
४१०——सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)——हसनगंज
४११——हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफ़ीपुर——उन्नाव (उत्तर)
४१२——हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)——घोसी (दक्षिण)
४१३——हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१४——हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१५——हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४१६——हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४१७——हरगोविन्द सिंह, श्री .. जौनपुर (पूर्व)
४१८——हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४१९——हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२०——हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२१——हरिप्रसाद, श्री .. बिसलपुर (मध्य)
४२२——हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री .. सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२३——हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री .. लखनऊ (मध्य)
४२४——हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२५——हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)——चायल (दक्षिण)
४२६——होतीलालदास, श्री ... एटा (दक्षिण)
४२७——[रिक्त] .. बदायूं (उत्तर)
४२८——[रिक्त] .. कैसरगंज (उत्तर)
४२९——[रिक्त] ... देवरिया (दक्षिण)
४३०——[रिक्त] .. इलाहाबाद नगर (मध्य)
४३१——[रिक्त] .. कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल० एल० बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।
श्री भोलादत्त उपाध्याय।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ फरवरी, १६५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टन्डन, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दरशनराम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीम सेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगू नाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफिज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामवचन यादव,[1] श्री
रमाशंकर द्विवेदी, श्री
रमाशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज बिहारी मिश्र, श्री
व्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगावर, श्री
सिया राम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पान्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन के सामने अध्यापकों का असन्तोष प्रदर्शन तथा अनशान

*१--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल के अध्यापकगण विधान भवन के सामने ता० २३-२-५३ को अपना एक सामूहिक प्रदर्शन एवं अनशन करने जा रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां।

*२--श्री गंगाधर शर्मा--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल द्वारा स्वीकृत मांगों के सम्बन्ध में गत ता० ३-६-५२ को उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतला सकते हैं कि यदि पिछले दिनों आश्वासन नहीं दिया गया था तो भी उनकी जो मांगें हैं जिनका कि माननीय मन्त्री जी को स्मृतिपत्र दिया गया है उस पर उन्होंने कुछ विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--उनकी मांगों का सम्बन्ध जिला बोर्डों से है।

श्री गंगाधर शर्मा--जिला बोर्डों का सम्बन्ध वास्तव में है उनसे, फिर भी यदि जिला बोर्डों ने उनको तकलीफें दीं और उनके फलस्वरूप वे आपके पास स्मृतिपत्र भेजें तो क्या आप अपना कर्तव्य नहीं समझते कि उसके ऊपर विचार करें ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, यह तो अपने विचारों का सम्बन्ध है लेकिन जैसा मैंने पहिले कहा कि उनका सम्बन्ध जिला बोर्डों से है और उस ओर सरकार जरूर विचार कर रही थी कि जिला बोर्डों से कुछ ऐसी बातचीत की जाय और उनकी तकलीफें देखी जायं लेकिन उसका इस ऐक्शन से या हड़ताल से कुछ सम्बन्ध नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि अध्यापकों के बढ़ते हुए असन्तोष को रोकने के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, गलत बातों का प्रोत्साहन न देना एक, दूसरे यह कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की समस्यायें हैं उन पर सरकार विचार कर रही थी, यही उसका सामाधान हो सकता था।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि सन् ४७ की पे-कमेटी की रिपोर्ट इन अध्यापकों के लिये लागू नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, यह गलत है। सब जिलों में वह लागू है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो मांगें माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं वह किस सिलसिले में हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नवम्बर में जब यू०पी० अध्यापक मंडल ने हड़ताल वापस ली थी तो माननीय मन्त्री ने उस समय उनको क्या आश्वासन दिया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—मैंने उत्तर दे दिया यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ लें तो उनको मालूम हो जायगा। मैंने उसमें यह कहा था कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के जिलों में महंगाई का भत्ता केवल ८ रुपया दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेन्दा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त पिछले नवम्बर में अध्यापकों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया था उस समय या उसके पहिले माननीय शिक्षा मन्त्री जी से उनकी कोई बातचीत हुई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, दो अध्यापकों की बात हुई थी। ये दो अध्यापक अध्यापक प्रतिनिधि थे या नहीं मैं यह नहीं कह सकता।

श्री गेन्दा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जो बातचीत हुई थी उसकी सदन को जानकारी कराकर लाभ उठाने का अवसर देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह बातचीत व्यक्तिगत थी। जब तक मुझे यह मालूम न हो जाय कि जिन लोगों ने बातचीत की थी वह किसी संस्था के प्रतिनिधि थे तब तक सदन को कोई बात बतलाना उचित नहीं होगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि भिन्न भिन्न जिला बोर्ड स्वतन्त्र हैं कि वह अध्यापकों से समझौता कर लें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा खयाल है कि अगर वह पे-कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हैं तो उसके लिये वह स्वतन्त्र हैं।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अनशन क्यों किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो अनशन करने वाले बता सकते हैं ?

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और जो यह प्रदर्शन चल रहा है सरकार उसका कोई हल सोच रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जिला बोर्डों से सरकार का जो सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य उसको जानते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल का डाइ-रेक्टर महोदय, और शिक्षा मन्त्री महोदय से कोई पत्र व्यवहार अभी हाल में हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, अध्यापक मंडल का एक पत्र डाइरेक्टर के पास आया था उसका उत्तर देने के पहिले वह उत्तर मुझे दिखलाया गया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उत्तर क्या था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—वह उत्तर गोपनीय था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में अध्यापकों की उचित मांगों पर सरकार कोई विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—उनकी उचित मांगें हैं या नहीं इस पर तो दो विचार हो सकते हैं लेकिन जहां तक पे कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने उसको कार्यान्वित किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उनको पे-कमेटी के अनुकूल तनख्वाह दे रहे हैं केवल गढ़वाल को छोड़कर।

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४—५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहानपुर)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बन्दीपुर क्षेत्र का आजमगढ़ जिले में मिलाने पर विचार

*६—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले में स्थित बन्दीपुर क्षेत्र, जो फैजाबाद और आजमगढ़ की सरहद पर बसा है, तथा जो तीन ओर से टोंस नदी से घिरा है, प्रायः ३० वर्गमील का क्षेत्र है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी हां, बन्दीपुर गांव के आस पास लगभग २५ वर्गमील का क्षेत्र है जिसमें ८-१० गांव हैं इन गांवों के दक्षिण पूर्वी ओर से होकर टोन्स नदी बहती है।

*७—श्री झारखण्डे राय—क्या सरकार को मालूम है कि वह क्षेत्र फैजाबाद से ७५ मील दूर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बन्दीपुर गांव तो ७५ मील दूर है लेकिन इस क्षेत्र के कुल गांव ६४ मील की दूरी पर हैं।

*८—श्री झारखण्डे राय—क्या सरकार सुविधा की निगाह से उस क्षेत्र को आजमगढ़ जिले में मिलाने पर विचार करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री झारखण्डे राय—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रश्न पर कब तक विचार हो जाने की आशा है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जैसे ही पूरे फैक्टस गवर्नमेंट के सामने आ जायेंगे और विचार के लिये समय मिल जायगा उतनी ही जल्दी उस पर विचार हो सकेगा ।

कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा गाय भैंसों से बच्चे पैदा करना

*९—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गाय-भैंसों से बनावटी ढंग से बच्चे पैदा करना अत्यन्त हानिकारक सिद्ध रहा है ?

कृषि उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—ऐसा अभी तक अनुभव नहीं हुआ है।

*१०—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस प्रकार से बच्चे पैदा करने से दूध क्यों कम हो जाता है, और क्या abortion की संख्या बढ़ रही है ।

श्री जगन प्रसाद रावत—अभी तक कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा दुग्ध उत्पादन में हानिकारक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ है । जहां तक ज्ञात हुआ है कि गर्भपात की संख्या बजाय बढ़ने के कम हो जाती है।

श्री श्रीचन्द--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रणाली कब आरम्भ की गई थी ?

श्री चरण सिंह--संसार से वास्ता है तो मालूम नहीं और अगर उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है तो दो तीन वर्ष हुए।

श्री श्रीचन्द--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रणाली का अनुभव कब तक हो जायगा ?

श्री चरण सिंह--अब तक जो दूसरी जगह अनुभव हुआ है इससे साबित हुआ है कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनके दूध में कोई कमी नहीं होती और न खराब बच्चे होते हैं।

*११--श्री श्रीचन्द--उपर्युक्त बनावटी ढंग उत्तर प्रदेश में कहां कहां प्रचलित है और यह क्यों आरम्भ किया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६ पर)

ओला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में हानि

*१२--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि जनवरी मास में ओला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर के किन भागों को नुकसान पहुंचा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला गोरखपुर में बस्ती-गोरखपुर रोड तथा गोरखपुर-कसिया रोड के समानान्तर क्षेत्र में तथा देवरिया में १५ से १६ मील चौड़ी पट्टी में जो गोरखपुर कसिया रोड का अधिकतर अनुगमन करती हुई जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई है, ओलों से हानि पहुंची है।

*१३--श्री रामनरेश शुक्ल--सरकार ओला से पीड़ित क्षेत्र को किस प्रकार की सहायता देने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ओला से पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ शासन ने जो कार्यवाही की है उसका विवरण इस प्रकार है--

(१) जिन किसानों का गन्ने का मूल्य चीनी मिलों में बाकी पड़ा है उनकी मालगुजारी किसानों के मिल के पावने से काट ली जायेगी, किसानों को गन्ने का मूल्य मिलने में जो कठिनाई है वह इससे दूर हो जायेगी। इस वर्ष जिन किसानों को गन्ना देना शेष है उनको भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(२) तकावी का पिछला बकाया उन किसानों से इस समय वसूल नहीं किया जायगा जिनकी हानि रुपये में आठ आना या उससे अधिक है।

(३) कुछ शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को उगाने के लिये किसानों को बीज के रूप में तकावी मिल सकेगी। इस हेतु जिलाधीश, देवरिया को २ लाख तथा जिलाधीश, गोरखपुर को १ लाख रुपया दिया गया है।

(४) ओले से क्षत-विक्षत गन्नों को व्यर्थ होने से बचाने के लिये, चीनी मिलों में ओला पीड़ित क्षेत्रों से ही पहले गन्ना लेने का प्रबन्ध किया गया है, और प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसा गन्ना मिलों में खप जाय।

(५) जो किसान नई फसलें उगाना चाहेंगे, उनकी सिंचाई की सुविधा के लिये दोनों जिलों में, ३-३ पंपिंग सेट्स भेजे गये हैं, आवश्यकता पड़ने पर और सेट्स भी उपलब्ध किये जा सकेंगे।

(६) गन्ने के बीज के लिये सरकार की ओर से अच्छा बीज मूल्य पर देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(७) ए० पी० स्कीम के अन्तर्गत सस्ते गल्ले का प्रबन्ध इन जिलों में पहले ही से है, जिलाधीश आवश्यकतानुसार और दूकानें बढ़ा सकते हैं।

(८) टेस्ट वर्क्स तथा अहेतुक सहायता की सुविधा जिलाधीश यदि आवश्यक समझें तो प्रदान कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इस पीड़ित क्षेत्र में मालगुजारी में छूट देने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--हां, जहां अधिक नुकसान हुआ है वहां छूट देने की व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बस्ती जिले के किसानों को भी रुपया देगी जैसा कि देवरिया और गोरखपुर को दिया गया है, जहां कि फस्ल को नुकसान हुआ है ?

श्री चरण सिंह--अभी बस्ती में इतना ओला नहीं गिरा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस ओले से जो कुछ नुकसान हुआ है, यह रुपया या अनाज के हिसाब से कितना औसतन हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार कितने गांव में, किस कदर नुकसान हुआ है यह तो बतला सकती है, लेकिन कुल ब्योरा कि कितने गांव में कितने रुपये से नुकसान हुआ है, यह सरकार के पास नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि बस्ती जिले में क्या कहीं पर ओला नहीं पड़ा है, जहां कि सहायता करने की जरूरत हो ?

श्री चरण सिंह--बस्ती जिले के जिलाधीश से दो बार फोन पर बातचीत हुई। उनका ख्याल यह है कि ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसमें कोई विशेष सहायता की जरूरत हो। उन से यह कहा गया है कि तफसीलवार रिपोर्ट जल्दी भेज देंवे। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि जहां आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां वह तकावी वसूल न करें इस तरह का भी आदेश दे दिया गया है।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बस्ती जिले के अन्तर्गत, जहां ओला गिरा है, जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बस्ती जिले में भी जांच हो रही है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--माल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन जिलों में ओले पड़े हैं ?

श्री चरण सिंह--मथुरा में पड़े, इलाहाबाद में पड़े, आजमगढ़ में और बस्ती से लेकर देवरिया में पड़े। मुमकिन है और जिलों में पड़े हों, जहां से रिपोर्ट नहीं आई हो। हर साल ओला गिरता है, लेकिन एक-दो साल से उसकी बाबत शोर मचाने की परिपाटी ज्यादा हो गयी है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि आजमगढ़ के किन हिस्सों में ओला पड़ा है ?

श्री चरण सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बुनियाद पर देवरिया और आजमगढ़ को सरकार ओला गिरने की वजह से किसानों को सहायता करना चाहती है उसी प्रकार दूसरे जिलों में जहां ओले गिरे हैं, उनमें भी क्या सरकार किसानों की सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--ओला या और कोई और प्राकृतिक आपत्ति जब आ जाय तो उस समय अधिकारियों को क्या तहकीकात करनी चाहिए, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए और कितन

नुकसान में कितनी रियायत मालगुजारी आदि में करनी चाहिए यह सब लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल में दिया हुआ है और उसके अनुसार ही अफसरान बिना गवर्नमेंट को रिफर किये हुए तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट देते हैं ?

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय माल मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ओलों से क्षति की जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्षति की जांच तो जिलाधीश, वहां के एस० डी० ओ० और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा करायी जाती है, लेकिन जो इस प्रकार ओले पड़े हैं उसमें तो फैजाबाद और गोरखपुर के कमिश्नर ने भी जांच की है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार को यह पता है कि जिन क्षेत्रों में ओले गिरे हैं उन क्षेत्रों के किसानों के लाखों रुपयें चीनी मिल मालिकों के पास गन्ने के दाम के रूप में बाकी हैं ?

श्री चरण सिंह—कितने रुपये बाकी मिलों के पास हैं, उनके लिये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुनकिन है कि कुछ रुपये रुके हों।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर या बस्ती कितने जिलों के गांवों में ओले पड़े और कितना नुकसान हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गोरखपुर जिले में तो सदर तहसील में १०४१ गांव में ओलों से नुकसान हुआ है, बांस गांव के तहसील में ४३ गांव में और महाराज गंज तहसील में २५४ गांवों में तथा इसी प्रकार देवरिया की तहसील पडरौना में ५०१ गांवों में, हाटा में २७२ गांवों में और देवरिया तहसील के २४७ गांव में ओले गिरे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है वह भिन्न-भिन्न रूप में है।

श्री गेंदा सिंह—जो सहायता की फेहरिस्त माननीय माल मन्त्री जी ने बतायी है, अब तक क्या सहायता उसमें से क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को हो पायी है, इसकी खबर माननीय माल मन्त्री जी को है ?

श्री चरण सिंह—जो सहायता करने का आदेश दिया गया है वह बतला दिया गया है। आठ प्रकार की सहायता दी गई है, लेकिन इसके बाद कितनी सहायता दीगई है इसकी रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है और न मंगाने की आवश्यकता समझी गई है।

*१४—१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—१७—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—[९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित गिये गये।]

*१८—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[१६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकार को तराई भावर खाम स्टेट से आमदनी

*१९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को तराई भावर खाम स्टेट से कुल कितनी आमदनी होती है और उस आमदनी का कितना हिस्सा खाम स्टेट के विकास में खर्च किया जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१—भिन्न-भिन्न वर्षों में आमदनी और खर्च भिन्न होता है। वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में अनुमानित आमदनी २५,८४,५४० रु० है। इसमें से अनुमानित खर्च १७,१७,५०० रु० है। यह सब धनराशि तराई और भावर स्टेट के विकास पर ही खर्च की जाती है।

२--विशेष विकास योजनाओं में सन् १९५२-५३ के बजट में निम्नलिखित धनराशि रक्खी गयी है :--

		लाख
वन विकास योजना ...	..	१.३९
चिकित्सा और स्वच्छता ...	...	१.७०
शिक्षा ...	...	.४९
विकास विक्रय कृषि तथा बीज गोदाम	...	२.१५
पशु चिकित्सा तथा पशुपालन ...	...	०.३६
सिंचाई ...	...	३.१९
सार्वजनिक निर्माण सड़कें तथा कुंएं	...	.९९
कुल योग	...	१०.२७

इस खर्च में पंच वर्षीय योजना का खर्च जो कुल १,१८,००० रु० है, शामिल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो आमदनी तराई भावर स्टेट की है; वह किन मदों से होती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कुछ तो जमीन से होती है, कुछ वन विभाग से होती है, इसी प्रकार से होती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, जबकि माननीय मन्त्री जी ने दावा किया है कि सारा खर्चा १७,१७,५०० रु० तराई और भावर के विकास में ही खर्च किया जाता है तो फिर १०,२९,००० रु० क्यों दिखाया गया है ?

श्री चरण सिंह--इसमें १,६७,००० रु० इंजीनियरिंग पर और ३,१६,००० रु० फारेस्ट पर है। यह मदें अभी शामिल नहीं की गयी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई के लिये रक्खा गया ३,१९,००० रु० किस प्रकार खर्च किया जायगा ?

श्री चरण सिंह--सिंचाई के कार्यों पर खर्च किया जायगा।

*२०--श्री नारायण दत्त तिवारी--[१६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री इस्तफा हुसैन--[९ मार्च, १९५३ के लिय स्थगित किया गया।]

अध्यापकों के अनशन से सम्बद्ध दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं और वह भी अध्यापकों के अनशन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये हैं। इसके सम्बन्ध में अभी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो चुके हैं और बजट पर साधारण वाद-विवाद भी होने वाला है, उसमें जो कुछ कमी रह गयी हो किसी के दिल में, उसकी सफाई हो सकती है। इस लिये मैं इजाजत नहीं देता हूं कि काम रोको प्रस्ताव पेश हों।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री श्री हाफिज मुहम्मद साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसे सीधे तरीके पर हम देखते हैं कि किसानों के हक पर सीधा-सीधा हमला है। पहले बजट में जिस प्रकार पूंजीपतियों के स्वार्थों को सुरक्षित कर गरीबों की लूट करने का दरवाजा खुला रखा गया था उसी प्रकार इस बजट में भी है। कहने के लिये तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने कल्याणकारी राज्य का बजट बतलाया है, मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बजट कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं है, बल्कि यह नौकरशाही के खूनी पंजे को मजबूत करने वाला बजट है। अगर एक तरीके से देखा जाय तो इसमें गरीबों की कमर टूटती है। जब मैं यह कहता हूं कि यह किसानों के हक पर सीधा सीधा हमला है तो इसके माने सीधे से तरीके से सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं कि बजट में जिस प्रकार सिंचाई का रुपया डेढ़ गुना करने की तजवीज है और जिस प्रकार विक्रय कर बढ़ाने की ओर संकेत किया गया हैं उससे किसानों का भला नहीं होता है। उल्टे किसानों को गाढ़ी कमाई की लूट होती है।

श्रीमन्, जब हम बजट के आंकड़ों को देखते हैं और बजट के लिये आमदनी कहां से प्राप्त की जा रही है इसे देखते हैं तो हम इसे साफ कह देना चाहते हैं कि आज इस सरकार के पास कोई भी सुनियोचित योजना नहीं है कि कहां से रकम लाई जाय। प्रगतिशील अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि कैपेसिटी टू पे को देखकर ही टैक्स लगाना चाहिए। इसके बारे में डाल्टन की पुस्तक है "प्रिंसिपल आफ पब्लिक फाइनेन्स"। मैं उसके अन्दर से कुछ आपकी आज्ञा से पढ़कर सम्मानित सदस्यों को सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा है स्पष्ट तरीके से कि---

"Assuming that the relationship between income and economic welfare state is the same for all taxpayers and that the original utility of income deminishes fairly rapidly as income increases, the principle of equal sacrifice leads to progressive taxation and the principle of proportionate sacrifice to still steeper progressive taxation and the principle of minimum sacrifice, as already said, to a relatively high level of exemption and very steeply progressive taxation of those not exempt."

अगर इसको सही तरीके से देखा जाय तो यहां आथर ने इस बात को साफ कहा है कि यह देखना चाहिए कि जिनसे लिया जा रहा है उनके पास देने की क्षमता भी है या नहीं। कितनों को छूट होनी चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि बजट को कल्याणकारी राज्य का बजट कहकर क्या इस शब्द के साथ खेल करना नहीं है। अगर इस तरीके से बजट को हम कल्याणकारी बजट कहने लगेंगे तब तो हमें कहना यह पड़ेगा कि जिस तरीक से नाप तोल कर वजन के साथ इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जब मैं बजट के आंकड़ों को देखता हूं जो वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में दिये हैं और उनका हिसाब लगाता हूं तो एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने प्रस्तुत हो जाता है जैसे मानो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कल्याणकारी काम होगया है। मुझे तो यह एक दूकानदारी का सा बहीखाता मालूम होता है और मैं तफसील के साथ एक एक बात पर आना चाहता हूं। अगर सम्मानित सदस्य पिछले सालों के बजट देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि सन् १९३६ में १२ करोड़ रुपये का, १९३७-३८ में भी १२ करोड़ रु० का, ४०-४१ में १४ करोड़ का, ४५-४६ में ३० करोड़ का, ४६-४७ में ३४ करोड़ का, ४७-४८ में ३८ करोड़ का, ४८-४९ में ४९ करोड़ का, ४९-५० में ५६ करोड़ का, १९५०-५१ में और ५२-५३ में ६५ करोड़ का था। और आज ७९ करोड़ का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। इस हिसाब से १२ करोड़ से लगभग ७ गुनी आमदनी हो गई है। उसके अनुपात से यदि हम सुरक्षा सामाजिक सेवाओं में देखें कि किस हिसाब से खर्चा किया गया है तो मालूम होगा कि कल्याणकारी राज्य है या नहीं।

श्रीमन् अगर पिछले साल का अनुपात देखा जाय और इस साल का देखा जाय कि इन मदों पर कितना खर्च होता है तो हर जगह यह दिखलाई पड़ता है कि घाटा ही घाटा है। अनुपात कम होता जा रहा है। हम चिकित्सा को ही पहिले लें, जिसको हम सामाजिक सेवा के अन्दर लेते हैं तो जब हमारे यहां अंग्रेजी हुकूमत कायम थी और जबकि १२ और १४ करोड़ के अन्दर ही बजट बनाना पड़ता था उस समय .७६ चिकित्सा पर खर्च होता था और आज इसमें आंकड़ों का अनुपात दशमलव अंशों से भी कम है। अगर हम शिक्षा को लें तो गत वर्ष के मुकाबिले में भी बहुत कमी है। गत वर्ष जहां १२.४ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था वहां इस वर्ष शिक्षा पर १०.८ ही हुआ है। इसी तरीके से अगर हम जनस्वास्थ्य को लें तो जनस्वास्थ्य पर जहां ३.२ पिछले साल के बजट में रखा गया था इस साल वहां इसमें १.८ है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--एमाउन्ट्स भी कहते जाइए।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, माननीय मन्त्री, स्वायत्त विभाग चाहते हैं कि रकम को भी एनाउन्स कर दिया जाय तो वह रकमें तो देखेंगे कि इतने ही से अन्दाजा लग जाता है सन् ३६ से इस समय आमदनी का अनुपात ७ गुना है जैसा अभी मैंने बताया था उसमें उसके अनुपात से ये आंकड़े क्या बैठते हैं। अगर वे अपने चक्षुओं को इस्तेमाल करें तो उनको मालूम हो जायगा कि ७ गुना रकम आमदनी की बढ़ी है क्या उसकी अनुपात में सब जगह रकम बढ़ी है इस बात को देखकर ज्ञान चक्षु खुल जायेंगे और उनका बुद्धि विभ्रम दूर हो जायेगा।

श्रीमन्, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा माननीय वित्त मन्त्री जी ने नयी जमीनों को तोड़ने के बारे में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि करीब २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई। श्रीमन्, मैं इसी के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर वह जमीन तोड़े जाने का जो सुनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वह कहां चला जाता है। श्रीमन्, मैं आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं जो सन् १९४०-४१ में जितने क्षेत्र में गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल बोया गया था। यह सन् १९४०-४१ में कुल ३०,५१३ हजार एकड़ था और १९५०-५१ में यह ३५,३७६ हजार एकड़ था और सन् ५१-५२ में ३५,७०० हजार एकड़ हुआ। तो श्रीमन्, यह जो २२ लाख एकड़ जमीन जो तोड़ी गई यह कहां गई।

श्री अध्यक्ष--यह आंकड़े आप लाख में दे रहे हैं या हजार में ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह इतने हजार एकड़ हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं।

अन्न मन्त्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--क्या इतने एकड़ में सिर्फ राइस बोई गई।

श्री राज नारायण--श्रीमन, यह टोटल एकरेज है जैसा मैंने उनको पहले ही बता दिया था, लेकिन श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी शायद सुनते नहीं हैं और बाद में उनकी उत्कंठा जागती है, कौतूहल प्रज्वलित होता है और उसको शांत करने के लिये बीच में उनके लिये टोंकना जरूरी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप न हों तो अच्छा है।

श्री राजनारायण--इसी तरह से अगर नेट एरिया क्राप को सामने रख लीजिए तो

वर्ष			हजार एकड़
१९४०-४१	..	..	३५,९८३
१९४१-४२	..	..	३५,५४५
१९४२-४३	...	...	३६,३६५
१९४३-४४	...	...	३६,५४१
१९४४-४५	...	...	३६,६२९

[श्री राजनारायण]

वर्ष			हजार एकड़
१९४५–४६	...	...	३६,७४१
१९४६–४७	...	...	३६,५३९
१९४७–४८	...	...	३६,६९५
१९४८–४९	...	...	३६,९१७
१९४९–५०	...	...	३८,२४३

श्रीमन्, जहां तक आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं उनको मैं पेश करना चाहता हूं और आंकड़ों को देखकर यह मालूम होगा कि यह नेट एरिया क्राप है, जिसमें जितनी फसल बोयी जाती है उसका लुब्बे लबाब रखा हुआ है। जो जमीन तोड़ी गयी है वह कहां चली गई है। मुझे अफसोस है कि माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम इस समय सदन में नहीं हैं इसका समुचित उत्तर आना चाहिए क्योंकि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और देखते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है और जो नक्शा हमारे सामने रखा जा रहा है वह क्या है। दोनों में भ्रम होता है। सरकारी आंकड़ों को देखने और लगाने में सदन के समय का नुकसान होता है और बाहर भी हमारे समय का नुकसान होता है।

इसी तरह से श्रीमन्, अगर सिंचाई के बारे में देखा जाय तो कितने ही लाख एकड़ जमीन माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाई है। सिंचाई के लिये तो १९४६ से देखा जाय और पिछले साल की तमाम बातें देखी जायं तो उसमें यह बात साफ हो जाती है कि सिंचाई कहां चली गयी। इर्रीगेशन रिपोर्ट में यह है कि सन् १९४६–४७ में २५,६४२ मील लम्बी नहरें खुदीं। इसी रिपोर्ट के अन्दर २० हजार मील लम्बी नहरें सन् १९३० में ही बन चुकी थीं अब सन् १९५२ में सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि १७,८२४ मील लम्बी नहरें बनीं। अब श्रीमन्, जरा इन आंकड़ों की जादूगरी को देखा जाय कि सन् १९४६–४७ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि २५,६४२ मील लम्बी नहरें खुदीं और अब जो यह डायरी हमको बांटी गई है उसमें काफी रुपया भी खर्च हुआ होगा उसमें यह है कि १७,८२४ मील लम्बी नहरें खुदीं। इन आंकड़ों की जादूगरी को माननीय सदस्यों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर यह बात क्यों हो रही है।

इसके बाद अगर बजट के भाषण को आगे देखा जायगा तो जो भूमि में खाद के गड्ढों आदि का सुन्दर चित्र रखा गया है अगर उसको साल साल वार जोड़कर रख दिया जाय तो शायद खाद के लिये जितनी जमीन आज है उसकी चौथाई भी न रह जाय क्यों कि सारी जमीन गड्ढे गड्ढे ही बन गई है और श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो श्रमदान सप्ताह मनाया गया उसके सम्बन्ध में मैंने पहिले ही कह दिया था कि किसानो ने काफी उत्साह के साथ काम किया है लेकिन सरकार जो आंकड़े पेश करती है, सरकारी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वह गलत है। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय मन्त्री हमारे साथ चलें और जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसको लें लें। दो एक जिलों की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बनारस के बारे में जो २६ तारीख से काम होने की रिपोर्ट आई उसमें केवल एक-एक क्षेत्र में ही दो पक्की सड़कों की चर्चा हुई है। कि फलानो जगह पक्की सड़कें बनाई गई जबकि वहां कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। जब मैंने इसकी ओर जिलाधीश का ध्यान आकर्षित किया तो मुझसे कहा गया कि शायद सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में गलत भर दिया। इस प्रकार से जो रिपोर्ट जिले से तैयार होकर आती हैं उन्हीं का समुच्चय बनाकर माननीय मन्त्री जी यहां सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिये अपनी रिपोर्ट जब माननीय मन्त्रीगण बनाया करें तो वह देख लिया करें कि प्रस्तुत अंश किस प्रकार के हैं वरना हमारा यहां वाद विवाद करना सब व्यर्थ हो जायगा और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे इस बात की कोशिश करेंगे कि जो भी आंकड़े हमारे सामने रखे जायं वे सही तरीके से रखे जायं।

श्रीमन्, जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को भी मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं क्योंकि वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि कई लाख टन गल्ले की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि नौतोड़ जमीन के कारण हुई है। इसके बारे में भी एक जानकारी मैं सदन को दे देना चाहता हूं वह यह कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वे सरकारी विभागों से ही आते हैं, यह आंकड़े हम स्वयं गढ़े नहीं हैं। हम विभिन्न विभागों को जो पत्र लिखते हैं उनके जवाब में जो आंकड़े वहां से आते रहते हैं उन्हीं को हम यहां पेश करते हैं। श्रीमन् १९४०-४१ में कुल व्हीट, ग्राम, बारलें, मेज और राइस सबको मिलाकर ९,९,६७६ हजार टन की पैदावार हुई है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य शायद करोड़ और लाख का हिसाब नहीं रख पा रहे हैं।

श्री राजनारायण—जी हां, क्योंकि मैंने इसी तरह से हिसाब लगाया है और विभागों से हजारों नहीं भी आंकड़े आते हैं इसलिये मुझको हजारों में कहने में ही सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप उत्पादन को हजारों में ही कहिए, कभी कभी आप बाद में हजारों कहना भूल जाते हैं।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा, श्रीमन्, जो उत्पादन के आंकड़े हैं, वह इस प्रकार हैं—

वर्ष			पैदावार (टन हजारों में)
१९४०-४१	...	...	९६,६७६
१९४१-४२	...	...	८२,०००
१९४२-४३	...	...	१०,१८०
१९४३-४४	...	...	९,२१३
१९४४-४५	...	...	९,४१३
१९४५-४६	...	...	९,१९८
१९४६-४७	...	...	८,९२०
१९४७-४८	...	...	९,७७६
१९४८-४९	...	...	९,०९७
१९४९-५०	...	...	९,५६०
१९५०-५१	...	...	९,५२८

इन आंकड़ों से श्रीमन्, अगर देखें तो सन् ४२-४३ में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है और वह १०,१८० हजार टन है और तब से १० वर्ष का जमाना बीत गया, २२ हजार एकड़ नई जमीन तोड़ डाली गई, कई हजार मील नई नहरें बन गयीं और अंग्रेजी राज्य में जो पुलिस का राज्य कहलाता था, तानाशाही और विदेशीय राज्य कहलाता था, उस राज्य से आज इस राज्य में इसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, कोई उत्पादन कहीं बढ़ा हुआ नहीं दिखायी पड़ता। हमें पता नहीं या हम लोगों को सरकारी विभाग भूल भुलैया में रखने के लिये गलत आंकड़े देते हैं नहीं तो, जो वित्त मन्त्री या अन्य मन्त्रियों के भाषण होते हैं, जिनमें हमें स्वर्ग दिखाया जाता है, उनमें और इन आंकड़ों में विभेद कैसे होगा। इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

[श्री राज नारायण]

इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मन्त्री जी ने इसको कल्याणकारी राज्य का बजट कहा, तो हम भी आपके द्वारा सम्मानित सदन के सामने रखें कि कल्याण-कारी राज्य का बजट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? वेलफेयर स्टेट के क्या माने हैं ? अगर इसको कल्याणकारी राज्य समझते हैं तो इस तरह के राज्य में जनता को अरुचि न होने लगे और कल्याणकारी शब्द से भी अरुचि न होने लगे ? इसलिये श्रीमन्. मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण और तमाम सम्मानित सदस्यगण उसके सच्चे अर्थ को ग्रहण करें और जब तक यह बात नहीं होगी तब तक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता है। कल्याणकारी राज्य में फुल इम्पलायमेंट (सबकी जीविका) होना चाहिये। कल्याणकारी राज्य में कम से कम सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिये, जिसमें सामाजिक सुरक्षा हो, बेकारी का बीमा, बुढापे का पेंशन, अपंगुओं को सहायता, स्वास्थ्य का प्रबन्ध और मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। संक्षेप में हम यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक और मानसिक आरोग्य कायम रखने के लिये सारी व्यवस्था और सारा इन्तजाम होना चाहिये और इसके साथ साथ श्रीमन् यह तो बुर्जआ स्टेट्स जो पूंजीवादी ढांचे को कायम रखते हैं वे भी वेलफेयर स्टेट की इतनी बातें कहते हैं मगर जब हम समाजवादी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो सारे मंत्रीगण यह कहते नहीं थकते कि हमारे और इनके उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है। तो मैं श्रीमन् के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि जहां हम वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं वहां तो आर्थिक और सामाजिक समानता होगी। इकनामिक इक्वेलिटी और सोशल इक्वेलिटी होगी। मगर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है, जो परिभाषा की है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि यही वेलफेयर स्टेट है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं मैं चाहता हूं कि वे भी इस बात को ग्रहण करें और जो छोटी अक्ल वाले लोग हैं उनको भी समझावें, बतलावें कि आखिर वेलफेयर स्टेट का क्या माने होता है। श्रीमन्, मैं पुनःआपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को नाप तौल कर जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बजट को प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकारी पक्ष के सदस्यगण को इस बात को समझाया कि यह कैसे वेलफेयर स्टेट है। मैं कहता हूं कि वेलफेयर स्टेट का माने यह हरगिज नहीं हो सकता है। जिस राज्य में अभाव हो, जिस राज्य में शान्ति की कमी हो, जिस राज्य में व्यवस्था की कमी हो, जिस राज्य में शोषण हो वह राज्य किसी तरह से भी कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है। और मुझे फिर इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अभाव, शोषण और बेकारी में अपार वृद्धि हुई है। श्रीमन् आपके द्वारा मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि "अपार वृद्धि" शब्द का प्रयोग मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां यह कहा है कि "डेमोक्रेसी या जनतंत्र में एक का वेलफेयर राज्य होना जरूरी है" वह वाक्य यहां जिस तरीके से रखा गया है उस वाक्य में भी बहुत कुछ दोष है। मगर आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र में एक राज्य को वेलफेयर स्टेट होना चाहिये। जनतंत्र या डेमोक्रेसी के क्या माने है इसको भी समझना जरूरी है श्रीमन्, सही माने में अगर डेमोक्रेसी और जनतंत्र को समझना है जिसका मतलब स्वराज्य से है तो आपके द्वारा एक वाक्य में वहां पर विद्वत् मंडली और इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं। "विदरिंगअवे आफ दि वेलफेयर स्टेट मीन्स विदरिंग अवे आफ डेमोक्रेसी"। डेमोकसी का क्या माने होता है? इसका माने होता है सत्ता का केन्द्रीयकरण करना? क्या डेमोक्रेसी साध्य है या साधन है? श्रीमन्. डेमोक्रेसी में उस व्यवस्था के द्वारा हम समाज की रचना करना चाहते हैं जिससे प्रत्येक मनुष्य "फ्रास दि रेल्म आफ नेसेसिटी टु रेल्म आफ फ्रीडम" उस व्यवस्था से अच्छी तरह निकल कर स्वच्छन्द वातावरण में विचरण कर सके। और तब राजनैतिक विश्मता दूर होगी और आर्थिक विषमता दूर होगी और मनुष्य समाज में जितनी प्रकार की विषमतायें हैं उन सब का विनाश हो जायगा किन्तु मुझे बहुत

खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में उस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं एक बात को फिर कहना चाहता हूं कि काशी जैसी पवित्र नगरी में जहां पर ब्राह्मणों का चरणामृत लिया जाता है यह किस प्रकार से उपयुक्त है। ऐसा कहा गया है कि जो विद्वान हों जो प्रतिभाशाली हों उनका चरणामृत लेने में कहां का दोष है ? मगर मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि आज किसी एक जाति में ही विद्वान नहीं हैं। आज हर एक समाज में विद्वान हैं चाहे वह किसी भी जाति का समाज हो। चाहे वह ब्राह्मणों का समाज हो, चाहे वह कूर्मियों का समाज हो चाहें चमारों का समाज हो और चाहे भंगियों का समाज हो। सब के अन्दर विद्वान भरे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--यह राष्ट्रपति के कार्य पर आक्षेप है इस पर आप विस्तार से न कहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि काशी में जो घटना हुई है वहां पर श्री राज्यपाल और हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित थे। अखबारों में उनके बयान भी निकल चुके हैं। इसलिये यहां पर उनका चर्चा करना आवश्यक हो गया था। श्रीमन्, मैंने यहां पर केवल संकेत के लिये उदाहरण उपस्थित किया कि जहां पर किसी एक श्रेणी को या किसी एक क्षेत्र को किसी सीमा के लिये किसी विशेष जाति को विद्वता की कसौटी के लिये माना जायगा तो वह समाज में विषमता को कायम रखने के लिये होगा और उससे समाज की विषमता नहीं मिट सकती है। समाज की विषमता तो इसी से मिट सकती है कि किसी जाति विशेष को विद्वत्ता के लिये सीमित न किया जाय।

मैं जनतन्त्र की बात कह रहा था। जनतन्त्र में सेन्ट्रलाइजेशन होगा या डिसेन्ट्रलाइजेशन होगा। अगर जनतन्त्र का जीता जागता और चमकता हुआ उदाहरण देखना हो और हमारे इस सदन के माननीय सदस्य इसको वे देखना चाहें तो माननीय श्री हुकुमसिंह के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर देखें कि वहां पर जनतन्त्र है या किस प्रकार का जनतन्त्र है। वहां पर आज जनतन्त्र की तानाशाही का निरंकुश टैरर छाया हुआ है। माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र कैसरगंज में जमे हुये हैं और वहां अपना आतंक जमाये हुये हैं। श्रीमन्, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और आपके जरिये से माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातन्त्र के साथ मखौल नहीं है या एक खेल करना नहीं है, श्रीमन् इसी सदन के अन्दर बैठे हुये सम्मानित मंत्री समय समय पर कुछ वाक्य निकाला करते हैं। उन वाक्यों को ही मैं यहां पर दोहरा रहा हूं कि "a Minister is always a Minister" एक सम्मानित मिनिस्टर ने बुलन्दशहर में जाकर यह कहा था कि "a Minister is a Minister" एक मंत्री के जाने पर जब हुकूमत से लोग इतने थर्राने लगते हैं तो क्या वह जनता निष्पक्षरूप से, निडर होकर वोट देने के लिये प्रेरित हो सकती है हरगिज नहीं हो सकती है। इसलिये एक जानकारी के लिये आपके द्वारा इस सदन में अपने विचारों को रख रहा हूं। आज जब इस माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें कि वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेसी का चर्चा हुआ तो मैं ईमान्दारी के साथ यह चाहता हूं कि कुछ व्याख्या करूं। मैं ऐसा देखता हूं कि डेमोक्रेसी के जो माने लगाये जाते हैं वह आज यह लगाये जाते हैं कि जब एक बार बालिग मताधिकार पर चुनाव हो जाता है तो चुनाव हो जाने के बाद जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वह जो सरकार बनाये वह सरकार इसके बाद जितने कायदे और कानून बनाये वह सभी केन्द्रित करने वाले बनाये। जनतन्त्र के माने जब श्रीमन्, यह लगाये जाते हैं तब अभाव शोषण और भय की अपार वृद्धि होती है। मैं इस बात को सम्मानित सदस्यों की खिदमत में हर समय कहने के लिये तैयार हूं कि जहां पर डेमोक्रेसी के यह माने लगाये गये कि एक बार चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हो गये और जो सत्ता में आये वह अब सेन्ट्रालाइज करें, सारी शक्ति को, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हो या म्युनिसिपल बोर्ड की हो, शिक्षा की हो या एग्रीकल्चर की

[श्री राजनारायण]

हो या चाहे चाहे और किसी की भी ताकत हो तो ऐसा करने से तो नौकरशाही की वृद्धि ही होगी और इस तरह के जाल को बिछाकर तो एक मन्त्री ही सेन्टर में बैठकर शतसाम उत्पात कर सकता है अगर उसका माथा फिर जाय। हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह से शक्ति को केन्द्रित करने से जो भय पैदा हुआ है क्या उसके यहां के सदस्य परिचित नहीं हैं? मैं समझता हूं कि अवश्य परिचित हैं। किसी कारणवश अगर वह उन भयों की चर्चा नहीं कर सकते हैं तो मैं उनका मुख बन्द करके आपकी इजाजत से उनको यहां रखना चाहता हूं। श्रीमन, बनारस म्युनिसिपैलिटी में हड़ताल शुरू हुई, सूबे के और जिलों में भी भंगियों और अध्यापकों की हड़तालें शुरू हुयीं। जिलाधीश बार बार इस विषय में कहते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि बिना प्रान्तीय सरकार की नीति को जाने हुए इस विषय में कोई बात नहीं की जा सकती है। इससे अधिक और क्या मिसाल हो सकती है। इसके मानी साफ यह हुए कि जहां पर पहले न्याय प्राप्त करने की जो लोगों को आसानी थी वह भी आज दूर होती जा रही है क्योंकि एक मन्त्री महोदय की कृपा दृष्टि पर ही सब कुछ निर्भर करेगा और अगर उनकी दृष्टि कुटिल होगी या भृकुटी टेढ़ी होगी तो उसे तमाम स्थानीय कर्मचारी त्रस्त हो जायेंगे और न्याय नहीं मिल सकेगा। मैं बहुत लम्बा विवाद नहीं करना चाहता, आपकी सेवा में उतना ही कहना चाहता हूं कि जहां न्याय की बात कही जाती है और जहां कहा जाता है कि इस समय भय नहीं बढ़ा है; उस सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख यह रखना चाहता हूं कि इस सदन में एक बड़ा किस्सा ओम प्रकाश गुप्त का पढ़ा गया। मैं चाहता हूं कि उसके बारे में एडवोकेट जनरल की क्या सम्मति है उसको मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखूं। यह पत्र श्री कन्हैया लाल मिश्र ने श्री मंगला प्रसाद को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि--

"You probably know Shri Om Prakash Gupta, as I have spoken to you about him before. You know that I am interested in him. You will kindly give him a little time to listen him and do what you can for him in the circumstances. I personally do not like this continued conflict between the Judiciary and the Government. I may be at Lucknow on the 3rd and will then see you there.

Sincerely Yours,
(Sd) K. L. Misra.

श्रीमन् कन्हैया लाल मिश्र को भी जो सर्टीफिकेट दिया है और इस सदन में

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय राज नारायण जी, कन्हैया लाल मिश्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वह सम्भवतः न तो इस सदन में उपस्थित हैं और यह तजकरा न वह किसी सदस्य के बारे में ही कर रहे हैं और न वह कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति हैं कि इस तरह से जिनके बारे में सदन में कहा जा सकता है ... .

श्री अध्यक्ष--नाम लेना तो कोई आपत्ति की बात नहीं लेकिन उनकी शान के खिलाफ कोई बात कहें तो आक्षेप हो सकता है लेकिन यह तो आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ ही नहीं।

माननीय राज नारायण जी, आप भाषण जारी रखें, लेकिन यह बात जरूर है कि जो लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं उनके सम्बन्ध में कोई आपत्तिजनक आक्षेप आगे नहीं होना चाहिए, इसका खयाल रखें,।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जैसा कि आपने कहा उसी बात को ध्यान में रखते हुए निवेदन करूंगा --

"I have an opportunity of knowing Sri Om Prakash Gupta from close quarters now for 3 years, during which time he has been here in connection with his Civil Suit. I have examined his case thoroughly in all its minutest details and am fully convinced that Sri Gupta is an innocent victim of British Government's anti-Congress policy."

श्री अध्यक्ष--आप यह क्या चीज पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कन्हैया लाल मिश्र जी का ही सिफारिशी पत्र है।

श्री अध्यक्ष--क्या यह कांफिडेन्शियल है ?

श्री राजनारायण--जी नहीं, सब पढ़ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--क्या आप इसे मेरे पास भिजवा देंगे ? आप इसे सबमिट करना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--जी हां, मैं तो चाहता हूं कि यह बातें जनता भी जान जाय। यह कहा जाता है कि न्याय मिलता है, तो मैं कहता हूं कि कहां न्याय मिलता है ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लेटर उनके पास ओरिजनल है ?

श्री राजनारायण--जी हां, यह ओरिजनल है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं समझता हूं कि सदन को यह बात जानने में बड़ी आसानी होगी यदि माननीय विरोधी पक्ष के नेता यह बतला दें कि इस पत्र के फलस्वरूप ओम प्रकाश जी के साथ कोई खास रियाअत गवर्नमेंट ने की हो और ऐसा साबित हो जाय, तब तो ठीक है।

श्री राजनारायण--आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ओम प्रकाश जी गुप्त की सिफारिश कन्हैया लाल जी ने की। जो कोई भी कसूर गवर्नमेंट की तरफ उनका रहा हो, अगर गवर्नमेंट ने उसे माफ कर दिया तब तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि न्याय होता है या नहीं।

श्री राजनारायण--जी नहीं, उसके विरुद्ध किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तो फिर न्याय होता है।

श्री राजनारायण--कन्हैया लाल जी ने जो बातें कहीं हैं उसके विपरीत गवर्नमेंट ने कार्य किया है। एडवोकेट जनरल की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना यदि सरकार न्याय मानती है, तो ठीक है।

तो यह तो कन्हैया लाल जी की बात हुई। इसी सम्मानित सदन में हमारे माननीय सदस्य बनारसी दास जी बैठे हुए हैं ......

श्री अध्यक्ष--आपने एडवोकेट जनरल का नाम लिया, तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि ऐडवोकेट जनरल की हैसियत से कोई गुप्त राय उनकी ओर से लिखी हो, इस प्रकार सदन में पढ़ा जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्या यह बात सही है कि जिन सज्जन का जिक्र है, श्री कन्हैया लाल, वह ओम प्रकाश साहब के वकील थे और उन्होंने जो राय लिखी है वह एडवोकेट जनरल की हैसियत से नहीं लिखी है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने निहायत अदब से अर्ज कर दिया कि उस समय वह वकील थे और उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि चूंकि गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है, इसलिये मैं उनकी पैवरी करूंगा। अब मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, कौतूहल शान्त हो।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये यह उचित होगा कि उनकी कारेस्पांडेन्स यहां पर न पढ़ी जाय, बल्कि माननीय सदस्य स्वयं जो पढ़ चुके हैं उसका भाषण में जिक्र कर दें। क्योंकि यह उचित नहीं है कि किसी की प्राईवेट कारस्पांडेन्स यहां पर कहीं से लाकर पढ़ी जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमारे पास एक लेख है जिस पर दस्तखत श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर के हैं जो इस समय यहां उपमन्त्री की हैसियत से विद्यमान हैं वह कह सकते हैं कि उन्होंने इसको लिखा है या रिकमेंड किया है या नहीं और उसमें पुराने एम० एल० ए० सिद्धेश्वर प्रसाद, अचल सिंह और बी० सिंह इन सब के दस्तखत हैं और उन्होंने यह पत्र आनरेबिल प्रीमियर आफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखा है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि--

"With reference to the above we have to say the followoing :

1. That we believe that Mr. Gupta was dismissed by the Hallett Regime mainly because of his political and procongress leanings, particularly his highly courageous and pariseworthy action at Ballia in getting out about 500 patriots of Aug. 42.

2. That we believe that Mr. Gupta's case is political and the incidents mentioned in the charges framed openly against him have merely served as an excuse.

3. That we believe that none of the charges preferred against Mr. Gupta have been proved.

4. That therefore we wish that a youngman of his talents and patriotic leanings ought to be reinstated to his post and the order o dismissal set aside.

5. That if any other view of his case is taken his whole file may please be referred to an independent judicial officer before whome Mr. Gupta should be allowed to present his case, and his considered opinion obtained on the following points."

श्रीमन् अब इसके आगे उन्होंने प्वाइन्ट्स दिये हैं। तो श्रीमन् अब तो यहां पर बैठे हुए हैं माननीय हमारे मित्र बनारसी दास जी और वह सरकार के निकट अंग हैं। उनको बताना चाहिए कि यह उन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है।

श्रीमन्, जहां पर मैंने भय और अन्याय की अपार वृद्धि की बात कही वहां पर यह एक केस जो मैंने दिया है यह तो अपार सागर में एक मामूली सा बुलबुला है। मैं चाहता हूं कि राज किशोर सिंह जी के साथ इस गवर्नमेंट ने जो अन्याय किया उसको भी आपकी खिदमत में पेश करूं। राज किशोर सिंह जी का फैसला तो श्रीमन्, हमारे पास प्रस्तुत नहीं है मगर जो अखबारों में खबर पढ़ी है उससे यह मालूम पड़ता है कि सिविल जज ने जो अपने फैसले में लिखा है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार पोलिटिकल आब्जेक्टिव्स को अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिये अपने काम किया करती है। तो श्रीमन्, जब ऐसे कार्य होंगे तो मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भय की अपार वृद्धि होगी या नहीं। अंग्रेजी राज्य की और श्रीमन् डेमोक्रेसी और जनतन्त्र की बात कही जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है? मुझे मालूम नहीं हमारे वह माननीय सदस्य बैठे हुए हैं या नहीं, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं चाहता कि इस सदन में दूसरी बात कहूं और इसके बाहर निकल कर कुछ दूसरी बात कहूं। मैं चाहता हूं कि यह सदन पाक है, पवित्र है, इसकी मर्यादा, इसके सम्मान की सुरक्षा हो। तो जब हम कहते हैं कि यह सदन पाक है, पवित्र है, तो सम्मानित सदस्य और हमारे मन्त्रिगण बार बार इस तरह की बातें कहें कि इस सदन में तो हम इसका उत्तर यहीं देंगे मगर बाहर और कोई पूछेगा कि तो उसको डीटेल में और ब्योरेवार बतायेंगे तो यह क्या है, इसके क्या माने हैं। इसके माने हैं कि इस सदन का दूसरे रूप में अपमान करते हैं। क्या इस तरह भूल-भुलैया बना रहेगा, हरगिज नहीं रहेगा। जब हम चाहेंगे और सरकारी दल चाहेगा तभी इसकी मर्यादा सुरक्षित रह

सकेगी। वरना तो हम जो भी बात चाहें गलत से गलत काम सिद्ध काम करने के लिये कहेंगे।

श्रीमन् बजट के आंकड़ों पर आते हुए मैं यह देखता हूं कि बराबर धन की कमी की बात कही जाती है।

माननीय मन्त्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आबकारी विभाग की आमदनी क्यों कम हो रही है, आबकारी विभाग से तो और आमदनी होनी चाहिए। अगर श्रीमन् पिछले तीन महीने के बनारस से निकलने वाले अखबारों की प्रतियां लाकर यहां देखी जायं कि कितने मन गांजा पकड़ा गया और उसका क्या हुआ? सरकारी गांजा २०० रु० सेर है और जो नैपाल के बार्डर से गांजा आता है वह ३०, ४० रु० सेर। उस गांजे को लेकर के ८० रु० के भाव में सारा गांजा सरकारी दूकानों पर बेचते हैं। आखिर जो दूकानदार सरकारी तौर से गांजा खरीदते हैं उनकी कितनी बिक्री होती है। इस सम्बन्ध में नैपाल के मन्त्रियों से भी बातें हुयी हैं वह तो सारा दोष इस मुल्की सरकार के ऊपर थोपते हैं। मैं इस सदन में उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मगर उनका कहना है कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार सही माने में कदम उठावे तो एक छटांक गांजा भी नैपाल का नहीं आ सकता, छै पन्सेरी रोज पकड़े जाने की बात कौन कहे। क्या यह आबकारी विभाग इस जिम्मेदारी को पूरा करता है। अगर आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा करता है तो उससे क्या खुराफात होंगे उससे इस सदन के सम्मानित सदस्य परिचित नहीं हैं। श्रीमान् जी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इससे परिचय प्राप्त करें। इसमें होता यह है और मेरे पास प्रमाण हैं कि इन्स्पेक्टर जो होते हैं उनकी सांठ-गांठ होती है और उनको पूरा-पूरा मुनाफा मिलता है, इसकी पूरी पूरी जांच हो। यह जो रोज दो दो, तीन तीन और छै छ पंसेरी गांजा पकड़ा जाता है, इसकी जानकारी आबकारी विभाग के कर्मचारियों को नहीं है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बातें कही गई हैं और वह आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों के दिमाग में और उनकी नजर तक पहुंची हैं उसी के साथ-साथ श्रीमन् जब मैं यह देखता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो हमारे सामने एक सुन्दर बजट रखा है उसमें उन्होंने श्रम की तथा वेलफेयर स्टेट की चर्चा कर दी है, उन्होंने मजदूरों के बारे में भी कुछ चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने सम्मानित सदस्य हैं वह सारे श्रम विभाग में मजदूरों के साथ जितने अन्याय हुए हैं उनकी ओर भी जरा अपना ध्यान आकर्षित करें और देखें कि पिछले पांच साल से जो उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानून बनाये गये हैं उन कानूनों के जरिये सत्ता केन्द्रित हुई है या सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। क्या यह जनतन्त्र है या यह जनतन्त्र के नाम पर कोई एक तन्त्र है। अकसर इस सदन में इस बात की चर्चा कर दी जाती है कि फलां व्यक्ति मजदूरों के बारे में कम जानता होगा क्योंकि वह काम नहीं करता और किसी व्यक्ति को बढ़ावा दे दिया जाता है कि वह दिन रात अपना समय मजदूरों के काम में ही बिताता है इसलिये वह जानता है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को समझ लें कि कोई कानून मजदूरों से सम्बन्धित ऐसे नहीं है कि उनको हर एक पढ़ा-लिखा आदमी समझ करके अन्दाज न ले सके।

१९४७ में प्रान्तीय सरकार ने इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट पास किया इसके मुताबिक मजदूर व्यक्तिगत ढंग पर चाहे या मजदूरों की यूनियन चाहे दोनों तरीकों पर अपना 'विवाद' कन्सीलियेशन आफिसर के यहां भेज सकता था। मगर १० मार्च सन् १९४८ को प्रोसी-ड्योर में एक अमेंडमेंट हुआ और गवर्नमेंट I. N. T. U. C. को रिकगनाइज कर लेती है। एकमात्र प्रतिनिधि संस्था साक्षात भगवान स्वरूप मजदूरों के उद्धार के लिये I. N. T U. C. मान ली जाती है। जब इस संस्था और दूसरी मजदूरों की संस्था में चुनौती हुई और सेन्सस हुआ शुगर इन्डस्ट्रीज में। इसके पहले मैं अपने मन्त्री महोदयों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने विभाग के द्वारा जो उनके पास खबरें आती हैं उन्हीं को सही न मानें, हम लोग भी जो घूमते हैं और जनता की विपत्तियों को परखते हैं वह कोई सही अन्दाजा लगा सकते

[श्री राजनारायण]

हैं। जब तक वह सेन्सस नहीं हुआ था तब तक हमारे श्रम मन्त्री जी के पास बराबर समाचार आते रहे कि I. N. T. U. C. से एफीलियेटेड जो संस्था है उसकी विजय होगी और सारी ताकत सरकार की लगा दी गई। मगर वोटिंग का रेशियो क्या पड़ा कि I. N. T. U. C. से एफीलियेटेड फेडरेशन गोल हो गया। ६०, ७० हजार के दूसरे को और I. N. T. U. C. करीब २० हजार वोट मिले। क्या यह एक चेतावनी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की श्रम नीति खोखली है, उसने मजदूरों का शोषण किया है, उनके भय और असन्तोष में अपार वृद्धि की है और उनमें बेकारी बढ़ी है? अगर ऐसा नहीं होता तो I. N. T. U. C. को जो रिकगनाइज्ड बाडी है, बहुमत प्राप्त होता। फिर १५ मार्च सन् १९५१ को श्रम कानून में जो परिवर्तन हुआ उसमें एक नया सिस्टम आगया और उसमें कन्सीलियेशन आफिसर के पास केसेज जाते हैं। अगर वह आफिसर समझौता नहीं करा पाता तो उसे भेज देता है लेबर कमिश्नर द्वारा सरकार के पास और जब सरकार नहीं चाहती तो उस मामले को एडजुडिकेशन में नहीं भेजा जाता। सरकार की कृपादृष्टि होगी तभी वह मामला भेजा जायगा। क्या यह न्याय है? क्या यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है? क्या यह यूनियन के अधिकारों का छीना जाना नहीं है? श्रीमन्, मैंने रेशनलाइजेशन की परिभाषा दी थी माननीय राज्यपाल के सम्भाषण के अवसर पर। लेकिन सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि अगर गांधी जी होते तो राज नारायण जी के की परिभाषा को राम राज्य की जगह अख्तयार कर लेते। श्री मान्, पहले तो श्रमिकों और मिल मालिकों में सरकार की ओर से अपार प्रेम सम्बन्ध दिखलाया गया है उसकी ओर मैं आना चाहता हूं। रेशनेलाइजेशन की हमने परिभाषा की कि मजदूर को काम मिलना चाहिए, उनके काम के बोझ को कम करना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, जो सरपल्स वेल्यू क्रियेट होती है उसका समान वितरण होना चाहिए। इसमें कौन सी कमी है, यह हमें सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जब तक इन बातों का समावेश नहीं कराया जायगा तब तक अगर मजदूर की विद्रोह की भावना दब सकती है तो तलवार के बल पर दब सकती है, जनतन्त्र के बल पर नहीं दब सकती। अगर जनतन्त्र होगा, डेमोक्रसी होगी तो मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो मूल्य अतिरिक्त पदा होता है मिलों में उसको वह क्यों न अपने हाथ में लेकर रहेगा वह क्यों किसी दूसरे के लिये छोड़े। श्रीमन्, जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने रेशनेलाइजेशन पर एक संकेत किया तो हमें उत्सुकता हुई और हमने उनके भाषण को भी मंगाकर पढ़ा मगर उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उससे मुझे खुशी है उन्होंने दबी जबान से हमारी परिभाषा को स्वीकार किया था। मैंने पुनः आगे चलकर बहुत सी पुस्तकों के पन्नों को पढ़ा कि रेशनेलाइजेशन के क्या माने होते हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने ४ एम्स क्रियेट किये हैं:— मैटीरियल, मनी मेन और मैनेजमेंट। इनके लिये कहा है कि इनका रेशनेलाइजेशन होना चाहिए। अगर उसके ही रेशनेलाइजेशन को मानें तो उस समय की उत्पादन प्रक्रिया में जो जो दोष हो गये हों वह नहीं आ सकते। मेरे द्वारा उसमें आज डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ा जा रहा है। ठीक रेशनेलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन को भी उसमें नहीं माना जायगा। अब तक अर्थशास्त्रीगण केवल उत्पादन की प्रक्रिया को रेशनेलाइज करने की बात सोचते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि प्रगतिशील मस्तिष्क के जो लोग हैं जो समाज की विषमता को मिटाने वाले हैं जिनका मस्तिष्क और हृदय आज एक ज्वाला से भड़क रहा है आज की वर्तमान विषमता को देखकर वे डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जायं। जब तक वेल्थ का सम्पत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होगा तब तक जन-कल्याण नहीं होगा कल्याणकारी राज्य की रचना नहीं हो सकती और यह कल्याणकारी राज्य का स्वप्न एक शाब्दिक जाल रह जायगा जिसमें चाहे भुलाकर किसी को पटक दें।

श्रीमन्, सदन के सम्मानित सदस्यों के दिमागों में एक भ्रम पैदा है कि जो ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स बैठी थी उसके अनुसार आगे काम होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस के फैसलों को ही सरकार कार्यान्वित नहीं कर रही है। मैं बिना किसी हिचक के कहना चाहता हूं कि सरकार उस फैसले को कार्यान्वित नहीं कर रही है। सरकार की ओर से यह हुआ कि

जिन व्यक्ति विशेष को वह चाहेगी वही कमेटी में आयेंगे और फेडरेशन या यूनियन जिस प्रतिनिधि को भेजेगा उसको नहीं लेंगे। मैं पूछता हूं कि यह क्या है। क्या यह डेमोक्रेसी है या आटोक्रेसी है, एक तन्त्र ह। सरकार नहीं चाहती कि फेडरेशन जिस किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनावे और यह समझे कि वही व्यक्ति उनका काम अच्छी तरह से कर सकता है उसी को लिया जाय, बल्कि सरकार के चाहे हुए व्यक्तियों को भेजा जाय, तभी काम चले, तो वह क्यों भेजें? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि भाषा मूक है जो व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का उससे प्रयोग कर ले। चाहे माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम कल्याणकारी बजट कह दें मगर हम समझते हैं कि हम अपने विचारों के अनुसार सही कहते हैं कि आज भय में, अभाव में, शोषण में और अत्याचार में अपार वृद्धि है। माननीय वित्त मन्त्री जी के मस्तिष्क में जो ढांचा है उसके अनुसार इसको वह कल्याणकारी राज्य कहते हैं तो यह तो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इस मूक भाषा का जो चाहे जैसा प्रयोग करें, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपने स्थान की जिम्मेदारी को निभाना है। इससे इस बजट को कल्यालणकारी नहीं कहा जायगा।

अब थोड़ा समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी लेना चाहता हूं। मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस क्षेत्र में देखें कि इस प्रान्त ने क्या प्रगति की है जोकि अपने को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ मानता है। ट्रावनकोर कोचीन क्या इन्तजाम कर रहा है।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--आपने अकाल और पटवारियों का क्षेत्र नहीं लिया।

श्री राजनारायण--आप घबड़ाइए नहीं। अध्यापकों की पहले ले लीजिए। श्रीमन्, ट्रावनकोर कोचीन में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के जो बाल माने जाते हैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ने के लिये उनका क्या प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में क्या है। ९८.८ प्रतिशत ट्रावनकोर कोचीन में ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के बालक-बालिकायें पढ़ते हैं। बम्बई में ६४ प्रतिशत . . ...

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--पांच साल पहले वाली बात बतला दीजिए।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी और डिटेल चाहते हैं। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं बोलता रहूं माननीय मन्त्री जी भी अपनी सारी उत्कण्ठा पूरी कर लें तो बम्बई में ६४ प्रतिशत मैसूर में ६७, मद्रास में ५२.७, आसाम में ४९.७, सौराष्ट्र में ५२.४, पश्चिमी बंगाल में ४०.५ और उत्तर प्रदेश में ३४ प्रतिशत है। यह तो १९५०-५१ का प्रतिशत है। अब शिक्षा पर किस सूबे में कितना खर्चा होता है उसको भी सम्मानित सदस्यों को हमसे जानने का हक ह। ट्रावनकोर कोचीन में प्रति व्यक्ति पीछे २.८, बम्बई में ३.८, मैसूर में ३, मद्रास में १.८, आसाम में १.७, सौराष्ट्र में २.५, पश्चिमी बंगाल में १.२ और उत्तर प्रदेश में १.१रु० प्रतिशत खर्च हो रहा है। विद्यार्थियों पर जिसको बुनियादी तालीम कहा जाता है जिसकी बार-बार कल्पना करते थे चाहे वह गांधी जी की रही हो और चाहे किसी वैज्ञानिक की तालीम रही हो।

अब कांग्रेस के प्रस्तावों को भी देखिये। श्रीमन्, जब मैं कांग्रेस के प्रस्तावों की बात करता हूं, तो आपके द्वारा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं. पुरानी कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूं। आज की जो कांग्रेस है उसके सम्बन्ध में जब मैं कुछ कहता हूं तो बराबर कांग्रेस पार्टी कहा करता हूं। इन शब्दों में जो डिफरेन्स है उसको माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ लें। श्रीमन्, यह जो मैंने अभी बतलाया यह १९५०-५१ के आंकड़े हैं। जहां पर ट्रावनकोर कोचीन जो एक बहुत ही छोटा सा सूबा है और जहां के वित्त मन्त्री जी यह गर्व करने में हिचकते हैं वह यह नहीं कह सकते कि यह सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा बजट है यह बात नहीं है जो सबसे छोटा सूबा है वहां पर ३.६ रु० प्रति व्यक्ति ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं पर खर्च होता है। बम्बई में भी ३.६ रु० होता है,

[श्री राजनारायण]

मैसूर में ३.७, मदरास में २.१, आसाम में २.१, सौराष्ट्र में ३, पश्चिमी बंगाल में २.६ और उत्तर प्रदेश में १.३ रु० प्रतिव्यक्ति है। यह क्या स्कीम है या तो यह माना जाय जैसा कि कभी-कभी सरकार की इच्छा प्रकट होती है कि ललित कलाओं पर और ऊंचे दरजे के क्लासिकल आर्ट्स पर खर्चा होता है। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि लार्ज स्केल पर १० वर्ष के अन्दर सरकार सबको शिक्षित कर देगी और २,२०० स्कूलों के बजाय अब केवल २५० स्कूल ही प्रति वर्ष खुलते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इससे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि यह तो उन्हीं का दावा है कि अब २५० से अधिक नहीं खुल पायेंगे। २,२०० से २५० पर आ गये, आसमान से जमीन पर चले आये। मैं पूछता हूं कि क्या शिक्षा की नीति में सरकार तमाम सूत्रों को अपने हाथ में करना नहीं चाहती? जो दो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, उस समय मैं इन बातों को कह चुका हूं इसलिये इस समय केवल संकेत के लिये कह रहा हूं कि बनारस के उदय प्रताप कालेज और आगरा यूनिवर्सिटी का बहाना लेकर क्या सत्ता को केन्द्रित नहीं किया गया?

अध्यापक इस सूबे में बहुत अधिक हैं। उनके बारे में इस सरकार की क्या नीति है उसको भी देखें। क्या उससे अध्यापकों के हृदय में भय की वृद्धि नहीं हुई है क्या उससे आशंका की वृद्धि नहीं होगी? श्रीमन्, यहां आपकी ही की अनुकम्पा से मुझे जो विशेष अवसर प्राप्त हुआ है उसी में माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है कि अध्यापकों में इससे भय की वृद्धि होगी या नहीं? अभी हमने, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अध्यापकों के बारे में जो कुछ कहा है उसको पढ़ा और उसको पढ़कर अत्यन्त अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अध्यापक या गुरुजन अपनी तनख्वाह के बढ़ाने की बात कैसे कहते हैं। इसके मानी क्या हैं? क्या गुरुजन भूखों मर कर पढ़ाये या पेट काटकर पढ़ायें? जब उनका शरीर स्वस्थ्य होगा तभी उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ्य हो सकता है। श्रीमन्, मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के मस्तिष्क में यह बात कैसे आ गयी कि बिना स्वस्थ्य शरीर के हमेशा भूख की ज्वाला में तड़पते हुए अध्यापक पढ़ाने का कार्य सम्पादन कर सकते हैं? अगर दूसरे माननीय मन्त्रियों ने ऐसा कहा होता तो हमें इतना ताज्जुब न होता, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी के मुखारविंद से ऐसी बातें सुनकर बहुत कष्ट होता है। यों तो बहुत से ऐसे सम्मानित मन्त्रिगण हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कह दिया करते हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी इतने कुशल और पटु हैं और समय पाकर उन्होंने इतना अनुभव प्राप्त किया है तथा ज्ञान का समुच्चय किया है, लेकिन वे कहते हैं कि क्या प्राचीन काल के गुरुजन इस प्रकार हड़ताल करते थे? लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उनके लिये इस प्रकार तनख्वाह देने की व्यवस्था थी?

श्रीमन्, एक पत्र मैंने माननीय तत्सम्बन्धी मन्त्री महोदय के पास मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के बारे में भेजा था, जिनको पिछले सात महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। इसका जवाब मुझे परसों मिला। उसमें लिखा था "अब आप शांत रहें, सरकार से उनको ग्रांट दे दी गयी है और अब अध्यापकों को तनख्वाह दे दी गयी होगी" लेकिन यहां जो लोग मिर्जापुर से आये उनका कहना है कि अभी तक वही परिस्थिति है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अध्यापकगण आज ऐसी दयनीय परिस्थिति में जीवन व्यतीत करेंगे, वह प्रदेश कभी उन्नति नहीं कर सकता, वहां के विद्यार्थियों का मस्तिष्क कभी स्वस्थ्य नहीं हो सकता और वे कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रदेश के विद्यार्थी अधकचरा और गलत ज्ञान अर्जित करके समाज के साथ कुठाराघात करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी जरा इन बातों पर ध्यान दें और जवाब दें कि वह इन बातों के बारे में क्या समझते हैं तथा दूसरे सूबे के बारे में भी सोचें कि वहां पर अध्यापकों

की क्या हालत हैं। दूसरे सूबे में अध्यापकों को क्या मिलता है, यह मैं उनकी सेवा में रखने की कोशिश करूंगा। वह इस प्रकार ह --

			रुपया
पैप्सू	..	..	५० से
कुर्ग	...	...	३५ से
हैदराबाद	...	...	५० से
पूर्वी पन्जाब	...	...	४० से
हिमांचल प्रदेश	...	...	३० से
काश्मीर ...	...	...	५० से
मसूर ...	...	...	२५ से
उड़ीसा ...	...	...	२४ से
उत्तरप्रदेश	...	...	२० से

और मंहगाई इस प्रकार है कि पैप्सू ३५, कुर्ग ३५, हैदराबाद १८, पूर्वी पंजाब २५, हिमांचल प्रदेश २०, काश्मीर १६, मैसूर १५, उड़ीसा १४ और उत्तर प्रदेश १२ रु०। माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसका कुछ उत्तर होना चाहिए। हम रकमों को भी पढ़ दें तो उनको पढ़कर आपको क्या मिलेगा जब कि १२ करोड़ की आय थी तब उनकी तनख्वाह २० रुपया थी और जबकि हमारा बजट ७९ करोड़ का हो गया यानी ८० होने में एक करोड़ बाकी है तो अध्यापकों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। एक करोड़ रुपये का मामला आता है, एक करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। अध्यापकों की हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। वह बहुत कम तनख्वाह पा रहे हैं। इसलिये जो भी रुपया खर्च हो, अगर इससे ज्यादा भी हो तो उसको भी लगाकर और दूसरी मदों से रकम लेकर हमें उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। जब हमारे मन्त्रिमंडल की ओर से अध्यापकों की मांग पर कोई विचार नहीं होता। उनके हृदय में शर्म नहीं आती तो मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, श्रीमन, आपके जरिये से, क्योंकि मैं पिछले पांच साल से अध्यापकों की हालत की पूरी जानकारी रखता हूं, कि आज से तीन साल पहिले जब अध्यापकों ने हड़ताल की थी और जब टन्डन जी की मध्यस्थता से वह टूटी थी तो वह हड़ताल कितनी शांत थी। कोई दूसरी हड़ताल वैसी नहीं रही थी, उसमें टन्डन जी ने कुछ आश्वासन दिये थे। यह दूसरी बात है कि सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने टन्डन जी को आरबीट्रेट करने के लिये कोई अधिकार नहीं दिया था। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जो उचित समझें वह कह सकते हैं। इस तरह की बातें उन्हे शोभा दे सकती हैं। जो कुछ वे कहते हैं उनकी तमाम दलीलों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी दूसरी मद से आमदनी निकाली जाय और अध्यापकों की मांगें पूरी की जायं। और अगर सरकार की राय से इसी तरीके से ३० रुपया और १२ रुपया लेकर के अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसके लिये श्रीमन् मैं क्या कह सकता हूं। उसका दोष तो अध्यापकों को भी है। मैं तो बराबर अध्यापकों से कहा करता हूं कि अगर फ्रान्स के राजनीतिक इतिहास को देखा जाय तो कई साल तक फ्रान्स की नीति अध्यापकों के हाथ में रही है।

कुछ सदस्य--इसीलिये वहां खराबी है।

श्री राज नारायण--जी हां, मगर आज सरकार प्रेरित कर रही है कि अध्यापक अपने उस काम को छोड़ करके फिर मैदान में आयें और मोरचा लें। मैं मानता हूं कि इसमें तथ्य है कि अध्यापकों का काम हड़ताल करना नहीं है, शिक्षा देना है। मगर उनसे हड़ताल करवाता कौन है ?

कुछ सदस्य--आप।

श्री राजनारायण--उनसे हड़ताल करवाना भी सरकार का फर्ज नहीं है। सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और महंगाई का भत्ता बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर उनको जर्जर अवस्था में छोड़कर ३० और १२ रुपया दे करके शिक्षा का काम सरकार लेना चाहेगी तो वह अधूरा होगा। इसमें समाज के प्रति शत्रुता है। क्या मैं श्रीमन्, यह बात नहीं कह सकता कि यह सरकार समाज के साथ शत्रुता कर रही है। यह सरकार चाहती है कि तानाशाही और डिक्टेटरशिप के रूप में अपने को परिणत कर दे और इसलिये वह अध्यापकों को तनख्वाह इतनी कम देकर उनसे हड़ताल करवाती है। उसका फल यह होता है कि शिक्षा स्कूलों में न हो सके और लोग अशिक्षित रहें ताकि सरकार को डिक्टेटरशिप करने का अधिक मौका मिल सके। क्योंकि जहां अशिक्षा का राज्य होता है तो वहां लोग डेमोक्रेसी के जीवन के मूल तत्वों को नहीं समझेंगे और मौलिक तथ्यों को नहीं समझेंगे और वहीं पर डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही वहीं पर चलती है जहां अज्ञान रहता है, जहां ज्ञान परिष्कृत रूप में सामने आ जाता है वहां वह कदापि नहीं चल सकती। सरकार ने जहां शिक्षा संस्थाओं में ताले बन्द करने की परिस्थिति पैदा कर दी है तो क्या यह नहीं कहा जाता कि सरकार विद्यार्थियों के साथ, शिक्षा के साथ खेल कर रही है और भावी पीढ़ियों को गर्त में ले जाना चाहती है।

यह कहा जायगा श्रीमन्, तो फिर उधर से यह होगा कि लीडर आफ अपोजीशन को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। श्रीमन्, मैं तो बड़ी परेशानी में हूं जिम्मेदारी--जिम्मेदारी सुनते--सुनते। आखिर यह जिम्मेदारी कहां तक जायगी। मैं बहुत जोर के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर किसी को यह कन्सेप्शन हो कि एक सोशलिस्ट लीडर आफ अपोजीशन की वही जिम्मेदारी होगी जो एक बोरजुआ लीडर आफ अपोजीशन की होगी तो उस कन्सेप्शन को छोड़ दें। बोरजुआ लीडर आफ अपोजीशन के अन्दर थोड़ा सा नजाकत-पन हो सकता है, साफ, सुनहले, सुडौल, शब्द हो सकते हैं, मगर जिनका हृदय दुखित है, जिनका हृदय विदीर्ण है, जो रात--दिन अभाव, भय और शोषण से परेशान हैं, उनसे क्या आशा हो सकती है कि वह बोरजुआ लीडर की तरह कार्य करेगा। वह तो वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से अनैलाइज करके ही रखेगा और अगर नहीं रखता तो अपने फर्ज को पूरा नहीं करता।

श्रीमन्, घबराते होंगे हमारे माननीय राजस्व मन्त्री महोदय। उनके दिल में परेशानी होती होगी कि आखिर उन्होंने जो जुल्म समाज और समुदाय के साथ इतना कर रखा है उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। तो मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय सम्पूर्णानन्द जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि उन्होंने ने भी कहा कि सोशलिस्टों ने गलत साथ पकड़ लिया, साथी तो अच्छा पकड़ना चाहिए था। और यह भी कहा कि पटवारियों के साथ आज जनमत नहीं है। श्रीमन्, अगर इस बात को सफाई के साथ देखा जाय कि उत्तर प्रदेश के पटवारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के पटवारियों की मांगें सही हैं या नहीं? तो इसके दो विभाग हो जाने चाहिए। पहले तो उत्तर प्रदेश के पटवारी आज जो मांग कर रहे हैं वह मांग जायज है या नाजायज है, मैं इस पर आना चाहता हूं और अगर सरकार श्रेय लेना चाहती है और समझती है कि पटवारियों को मार कर खा जाने से स्वर्ग होता है तो गवर्नमेंट इतने पटवारियों को मार कर खा गयी तो इस पर कोई और बड़ा स्वर्ग हो जायगा, तो वह दूसरी बात है। मगर सीधी--सादी बात है कि यह क्यों नहीं समझाते हमारे कृपालु श्रद्धालु मन्त्री महोदय कि क्या उन्होंने पटवारियों को निकाला है कि . . . . . .

श्री चरण सिंह--वे निकाले नहीं गये हैं। खुद निकले हैं।

श्री राज नारायण--यह एक बड़ी ईमानदारी की बात है माननीय मन्त्री जी ने कही कि वे निकाले नहीं गये हैं। उन्होंने खुद इस काम को ठोकर मार दिया है। मैं सरकार से पूछ ना चाहता हूं कि ये पटवारी जिस तरीके से अंग्रेजी राज्य में नारकीय जीवन व्यतीत करते

थे, जिस तरह से गरीबों का खून चूसते थे, जिस तरह से रिश्वत पर पलते थे और कम तनख्वाह लेकर अपनी आय दूसरे साधनों से बढ़ाते थे और अपने परिवार की गुजर-बसर करते थे वही तरीका पटवारी आज भी अख्तियार करें। और २५ रुपया तनख्वाह में ही अपने परिवार तथा अपने जीवन का निर्वाह उसी तरीके पर चलावें और अपने परिवार के निर्वाह के लिये रिश्वतें लें। श्रीमन्, हमें जो श्रद्धा हुई पटवारियों के बारे में वह इसलिये हुई कि सरकार की गलत नीति, इस सरकार की दकियानूसी नीति और इस सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की। पटवारियों ने सफाई के साथ कहा कि हमने अंग्रेजी राज्य में नारकीय जीवन व्यतीत किया, हमने अंग्रेजी राज्य में गरीबों का शोषण किया, जमीन्दारों के खूंटे में बंध करके। और अब कांग्रेसी सरकार के खूंटे में बंधकर हम वही जीवन नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि इस तरह की हिम्मत से काम करने वाले पटवारियों के प्रति किसी न्याय प्रिय मानव की श्रद्धा क्यों नहीं होगी? जरूर होगी? इसलिये मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहें आप जितना भी कैपिटल बनावें, यश लूटें लेकिन जनता भी इसको समझ रही है और अच्छी तरह समझ रही है कि मन्त्रियों में, सरकार ने पटवारियों को निकाला नहीं है। बराबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मांग की गयी कि सरकार गांव पन्चायतों के अधिकार में लगान वसूली दे दे, मगर सरकार ने इसको नहीं माना। आप सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में देख सकते हैं, इस सदन में समय-समय पर जो भाषण हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर सरकार को इन पटवारियों को मार कर स्वर्ग में जाने की उत्कंठा थी तो उस समय हमारे सुझावों को क्यों नहीं माना? तथा क्यों पटवारियों से कहते हैं कि तुम २५ रुपया महीना लेकर काम करो। आज के जमाने में २५ रुपया लेकर कोई अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है! मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर पटवारियों ने अपनी मांग की कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाय और हमें कुछ भत्ता और दिया जाये और हमें गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किया जाय तो इसमें पटवारियों ने क्या बेजा कर दिया! हां, यह सरकार अगर यह कदम उठावे और कहे कि हम पटवारियों को नहीं रखना चाहते हैं और किसी दूसरे तरीके का इन्तजाम करना चाहते हैं तब हम उसको दूसरा सुझाव देते और दूसरा तरीका बतलाते कि वह दूसरा तरीका कौन हो सकता है। वह दूसरा तरीका चौखम्भा राज्य "फोर पिलर्स स्टेट" है। श्रीमन्, इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है कि बराबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस बात की मांग करती आयी है कि सारी आर्थिक सत्ता प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में न रखे बल्कि इसको विकेन्द्रित करे और वह प्रान्त जिला तथा गांव पन्चायतों तक जाय। राज्य के चार पाये बनाकर गांव पन्चायत के क्षेत्र में जितनी आमदनी वसूल हो गांव पन्चायत के जरिये, उसका चौथाई गांव पन्चायत ले, चौथाई जिला ले, चौथाई सूबा ले और चौथाई केन्द्र ले। अगर बजट के तमाम पुराने तरीकों को देखा जाय जब प्राचीन काल में मनुष्यों का एक समूल रहता था तो उस समय कौन सी व्यवस्था थी। माननीय मन्त्री जी को उस व्यवस्था से कुछ मोह सा है। उस व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई कर नहीं लिया जाता था। समाज के दूसरे तबके समझते थे कि यह एक दान दे रहे हैं, विद्या के रूप में समाज की सेवा करते हैं इसलिये उनके जीवन के साधन जुटाना हमारा कर्तव्य है क्षत्रिय बाहरी और भीतरी आक्रमण से समाज की रक्षा करते हैं इसलिए उनसे कर नहीं लिया जाता था। मगर जब आज राज्य का रूप बदल गया और सारी दुनिया बदल गयी। तब उसमें जो लोग आज निम्नस्तर पर रह कर जीवन निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी कर लगाया जाता है और धन पैदा कर समाज की रक्षा करते हैं अपने आप भूखों मरते हैं, जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो छोटी नौकरी करने वाले हैं उनको २५ रुपये से लेकर ५ रुपया तक मिलता है उन पर भ कर लगाया जाता है। तो क्या यह प्रजातन्त्र का रूप है। मैं आपके जरिये से निहायत अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश राज्य था उनके जमाने में जो चौकीदार था जिसको २ रुपये १४ आने मिलते थे यानी उसको ३ रुपया मिलता था तो क्या अब उसकी तनख्वाह उससे आगे बढ़ी है? और क्या यह सही नहीं है कि एक

[श्री राजनारायण]

मन्त्री पर ६ हजार रुपया महीना खर्च हो रहा है जब यहां पर एडवाइजर्स थे वह ३,७०० रुपया अपनी तन्ख्वाह के लिये लेते थे और अपना सारा काम करते थे। अब इस सरकार ने पहले तो १,५०० रुपया किया था, परन्तु अब जनता को लुभाने के लिये और उनको बहकाने के लिये १,२०० रुपया कर दिया है जिस पर इन्कमटैक्स लिया नहीं जायगा। तो यह तनख्वाहों में कौन सा अनुपात है। क्या क्रांतिकारी राज्य जिन मुल्कों में कायम किया गया है वहां पर सरकारी नौकरों में कोई अनुपात रखा गया है या नहीं! श्रीमन्, अभी स्वीडेन के एक सम्मानित सदस्य यहां पर आये हुए थे। यहां पर उनकी तमाम लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ स्वीडेन का नक्शा बताया। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि वहां पर फुल इम्पलायमेंट ही नहीं है बल्कि ओवर फुल इम्पलायमेंट है और एक प्रीमियर को छोड़कर किसी मन्त्री के पास निजी कार नहीं है। और सब मन्त्री बसेज में चलते हैं। इसमें एक सिद्धांत की बात है। जब तमाम मन्त्री बसेज पर चलते हैं तो बसेज की भी उन्नति होगी।

श्री मोहनलाल गौतम--वहाँ पर कोई मंत्री बसेज पर नहीं चलता है।

श्री राजनारायण--मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्वीडेन की सरकारी नौकरियों में क्या अनुपात है ? क्या वहां पर सरकारी नौकरियों में १, ४ का अन्तर है। क्या स्वीडेन को देखने और उसके अनुभव को प्राप्त कर मंत्री महोदय उस तरह की सुविधा इस सूबे में नहीं कर सकते हैं ? क्या मंत्री महोदय अपनी तनख्वाहों को और नीचे नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पर अध्यापक हैं, प-वारी हैं या जितने छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी तनख्वाह क्या ऊपर नहीं कर सकते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं माननीय नेता विरोधी दल की सूचना के लिये यह कहना चाहता हूं कि स्वीडेन के मन्त्री को ज्यादा सुविधा है और यहां से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी जिस तरह से कि वह आदी हैं बराबर इस तरह से हम लोगों को ज्ञान अर्जन कराया करते हैं और हमारे ज्ञान की वृद्धि किया करते हैं। इसलिये मैं उनका आपके जरिये से शुक्रगुजार हूं। मैं तो यह पूछना चाहता था कि वहां के तनख्वाहों में क्या अनुपात है, लेकिन सवाल दीगरे और जवाब दीगरे वाली बात है और वहां का मन्त्री अगर ज्यादा तनख्वाह पाता है और उसको ज्यादा सुविधा प्राप्त है तो क्या जो वहां छोटी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी है उसको भी बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है ? क्या वहां पर भी १:४ का अनुपात है। हमारे यहां अगर इस चीज को देखा जाय तो कितना अनुपात है। क्या वहां पर भी यही अनुपात है कि यहां पर जो छोटा सरकारी कर्मचारी है उसको तो ५ रुपया मिलता है और ऊपर का जो सरकारी नौकर है उसको ५,५०० रुपया मिलता है। उसका क्या कारण है....?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--अगर आप एक बात का उत्तर देंगे तो वह दूसरी आर्गूमेंट शुरू कर देंगे जिससे समय भी नष्ट होगा।

श्री राज नारायण--श्रीमान्, शायद अब तो सरकार की भी पालिसी है और अगर सरकार की ऐसी पालिसी नहीं है तो जो प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी अपने प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजती हैं, अगर वह जाकर देखें और समझें तो मन्त्री जी को यह सुनहरा मौका मिल सकता है। मैं उनसे कहूंगा कि वह यूगोस्लाविया में जायं और वहां जाकर देखें कि वह देश जो अभी सन् ४५ में फासिस्ट पंजे से मुक्त हुआ है, वहां क्या-क्या हुआ है। वहां पर श्रीमन्, ३२ हजार दीनार एक मन्त्री पाता है और ७ हजार दीनार एक मजदूर पाता है और साढ़े ५ हजार दीनार एक क्लर्क को मिलते हैं। ६५ दीनार का एक रुपया होता है जैसे यहां ६४ पैसे का रुपया होता है वैसे ही आप दीनार को समझ लें, रुपये से बहुत ही कम फर्क होता है। तो वहां का मजदूर भी साधारण कलर्क से तो वहां का मजदूर भी ज्यादा तनख्वाह पाता है। तो इस तरह से वहां का अनुपात भी १:६ का है। वह कल्याणकारी राज्य माना जायगा या

माननीय हाफिज मोहम्मद साहब ने जो बजट पेश किया वह कल्याणकारी राज्य माना जायगा। यह जानकर कल्याणकारी राज्य का अर्थ समझने में मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों को अधिक आसानी होगी ।

मेहतरों की हड़तालें हुयी । सारे सूबे में हड़ताल हुई, मुख्य-मुख्य जिलों में हड़ताल हुई और उसके बारे में सरकार की क्या नीति रही और सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को क्या आदेश दिये और वह हड़ताल क्यों हुई, वह आप जानते हैं। श्रीमन्, मैं अदब के साथ अपील करना चाहता हूं कि जब यह मेहतर हड़ताल करते हैं तो वह किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में पड़कर हड़ताल नहीं करते वरन् जब उनकी दिन-प्रतिदिन की समस्यायें नहीं सुलझतीं, जब वह अपनी भूख की ज्वाला नहीं बरदाश्त करते और परेशान हो जाते हैं और तमाम दूसरे साधन समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर वह मजबूरन हड़ताल करते हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं, और आपके सम्मुख भी बार-बार निवेदन किया होगा सरकारी पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी का जाल बिछा हुआ है और जब ऐसा है तो दूसरी पार्टियां उनके कथनानुसार नगण्य हैं तो वह रोज आन्दोलन क्यों उठाती हैं। क्यों आज कांग्रेस पार्टी को कई तरह की सुविधायें प्राप्त हैं, उसकी हुकूमत है, वह मेहतरों की मांगें मन्जूर करा सकती हैं और दूसरी पार्टियों के बारे में वह उन से कह सकती है कि अगर तुम उनके साथ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ आओ मागें पूरी हो जायेंगी । २ रुपये की जगह डेढ़ रुपया मन्जूर करा के सारा मामला ठीक करा लिया जायगा, तो उस पार्टी के लिये सब कुछ सुलभ है, उसके पास अपार साधन है वह हर एक का श्रेय ले सकती है और सबकी मांगों को पूरा करा सकती हैं। फिर कांग्रेस पार्टी मजदूरों को दूसरी पार्टियों के चक्कर में क्यों आने देती है।

मैं आज आपके सामने एक निवेदन इन्डस्ट्री के बारे में करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने उद्योग इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा की और घरेलू उद्योगों की काफी तरक्की बतलाई गई है बजट भाषण में। जरा उसका भी थोड़ा सा दिग्दर्शन आपकी आज्ञा से कराना चाहता हूं। यों तो अगर इसको बारीकी के साथ केवल ऊपर से न पढ़ें तो माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि मिर्जापुर की सीमेंट फैक्ट्री अभी बनने की अवस्था में है, पता नहीं कब बने, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस सरकार की इंडस्ट्रीयल पालिसी उद्योग की नीति जन-कल्याण में है? या सत्ताधारी बड़े बड़े सरमायादार पूंजीपतियों के कल्याण में है। श्रीमन्, मैं दूर नहीं जाना चाहता । मैं तो चाहता हूं और हमारी इच्छा थी कि उद्योगमन्त्री जी यहां पर विद्यमान रहते और इन बातों को सुनकर के कोई सही और जल्दी का क़दम उठाते । हमारे माननीय सदस्य हमारी पार्टी के प्रधान सचिव श्री जगन्नाथ मल्ल की गिरफ्तारी होती है, इसलिए कि पडरौना मिल में २० लाख के क़रीब रुपया किसानों का बकाया पड़ गया । गन्ने का मूल्य चुकता नहीं किया गया मिल मालिकों के जरिये । अगर जगन्नाथ मल्ल जी कहते हैं कि किसानों का रुपया मिलना चाहिए जब कि नियमानुसार २४ घंटे के बाद गन्ने की क़ीमत चुकता होनी चाहिए तो इतने महीने हो गये, पिछले बकाये के ....

श्री अध्यक्ष--क्या यह केस अदालत में पेंडिंग भी है ?

श्री राजनारायण--जी नहीं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इतना निवेदन कर दूं कि यह कहना ठीक नहीं है। किसी २४९ या ऐसे ही किसी सेक्शन के अन्दर प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी गई है ।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं और आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से सादर साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की यह मांग जायज है या नाजायज है । किसान क़ानून की मांग करते हैं या गैर क़ानून की मांग करते हैं और अगर किसान को गन्ने का दाम नहीं मिलता तो किसान जब कहता है कि हम अपना गन्ना नहीं देंगे तो सरकारी कर्मचारी क्यों जबर्दस्ती उनकी गन्ने की गाड़ियों को मिलों में ले जाने के लिए मजबूर और बाध्य

[श्री राजनारायण]

करते हैं। सरकार की ऐसी नीति है। और दूसरी बात श्रीमन्, जब पडरौना मिल के मालिक लाल साहब पडरौना मिल के प्रबन्ध को ठीक से नहीं कर सकते और पडरौना मिल के क्षेत्र के किसानों के गन्ने की क़ीमत नहीं चुकता कर सकते तो उन्हीं लाल साहब के हाथ में कठकुइयां की मिल क्यों दी गई। यह सवाल है। क्या कठकुइयां की मिल का जो लाल साहब के हाथ में सारा मैनेजमेंट सिपुर्द कर दिया गया बावजूद हम लोगों की आरजू और मिन्नत करने के तो क्या यह सरकार की नीति किसान और मजदूर हित विरोधी नहीं है ? सरकार किस तरह से अपने को मजदूरों का हितू कहती है यह मैं समझ सकने में असमर्थ हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं जितनी-जितनी बार ऐसी चीज आती है, उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती और अगर मजदूर कुछ कहता है, अपने वेतन की मांग करता है, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की मांग करता है, तो उसके साथ जबर्दस्ती होती है। जब-जब ऐसी चीज़ों के विरोध में वह अपनी आवाज बुलन्द करता है तब-तब सरकार के सारे साधन किसानों और मजदूरों पर दमनचक्र चलाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यह इस सरकार की नीति है, यह कल्याणकारी नीति है और निर्माण करने वाली सरकार की नीति है। श्रीमन्, मैं स्वयं पडरौना गया हुआ था जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा था उसी सिलसिले में। १२-१५ हजार किसानों की गैदरिंग वहां पर थी। ज़िलाधीश ने कहा था कि वह आयेंगे १२ बजे। जिलाधीश की इन्तजारी करते-करते ४ बज गये। किसान बैठे थे कि आज फैसला होगा। परन्तु ज़िलाधीश महोदय की ख़बर आई कि जगन्नाथ मल्ल जी को वहीं पहुंचा दिया जाय। क्योंकि रास्ता सुगम नहीं है वहां पहुंच पाने का। बड़ी परेशानी बढ़ गई, मगर फिर भी हम लोगों ने जगन्नाथ मल्ल जी से निवेदन किया कि वह जाकर के वहां की समस्या देखें। मगर जिस कार के जरिये जगन्नाथ मल को वहां ले जाना था वह कार इतनी टुटही थी कि एक मील भी नहीं गयी और जगन्नाथ मल फिर वापिस आये। फिर आठ बजे रात को मैंने फोन किया कि 'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आपका इन्तजार है, आप ने क्या व्यवस्था की है, सारे किसान बैठे हुये हैं और वह कहते हैं कि हम एक छटांक भी गन्ना नहीं देंगे, हमारा बकाया मिलना चाहिये।' डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि लाल साहब सामने बैठे हुये हैं। हमने कहा कि गिरफ्तार करलो, क़ानून का उल्लंघन किया है। लाल साहब ने किसी दूसरे से नहीं किया है। किसानों को गन्ने के दाम नहीं दिये हैं तो लाल साहब ने नहीं दिये हैं, किसानों का इसमें क्या दोष, मगर उसके लिये सरकार का क़ानून मौन है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि जहां इस तरह के कार्य होंगे वहां भय की अपार वृद्धि होगी और वहां शोषण की अपार वृद्धि होगी या नहीं। पिछले तीन सालों की टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट मंगाकर देख ली जाय, हमारी मांग थी कि दो रुपये मन गन्ना हो और २५ रु० मन चीनी हो। श्रीमन्, अगर २ रुपये मन गन्ना होता है तो किसानों के साथ भी न्याय होता है जो कि गन्ने का उत्पादन करेंगे और उसमें जो खर्चा करेंगे उसका समुचित मूल्य उनको मिल जायगा। और जब २५ रुपये मन चीनी होगी तो मिल मालिकों के साथ भी न्याय होगा और उनको भी उचित मुनाफा मिल जायगा। मगर सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है क्योंकि जहां दो रुपये मन गन्ने का दाम होना चाहिये था वहां गतवर्ष पौने दो रुपये हो गया था और चीनी के दाम २५ रु० न हो करके ३० से ३३ रु० तक हो गये थे। क्या कम से कम ५ रु० फी मन अनुचित और नाजायज़ फायदा नहीं कराया गया। इस तरह से मुनाफाखोरी कल्याणकारी राज्य की नीति है। सारा हिसाब श्रीमन्, जोड़ करके कई बार खिदमत में पेश किया गया है। पिछले पांच साल के अनुचित मुनाफ़े को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश के कुल चीनी की मिलों की कुल पूंजी से ज्यादा मुनाफ़ा उत्पादकों के हित को मारकर कराया गया है और इसका भार उपभोक्ताओं की कमाई पर भी पड़ा है इसलिए कल्याणकारी राज्य में इन्डिवीजुवल हैन्ड्स में इस शुगर इन्डस्ट्री को न होना चाहिये बल्कि गन्ने के उत्पादन के हित में और उपभोक्ताओं के हित में एक कमेटी बनाकर सारा उत्पादन और वितरण का मैनेजमेंट कराना चाहिए। जब यह सुझाव रखता हूं तब सरकार की ओर से एक न एक तो इस बात का जवाब होता ही है और उससे परेशानी बढ़ जाती है।

इसलिये श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछता हूं कि उद्योग विकसित करने के लिये क्या योजना है सरकार के पास। क्या गन्ने का उद्योग चौपट नहीं हो गया और क्या गन्ने के उत्पादकों की गन्ने की क़ीमत को चुकता न करके जो रुपया मिल मालिकों ने अपने पास रखा उसको ब्लैक कैपिटल में नहीं लगाया। क्या उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव के जरिए १५ फीसदी तक सूद नहीं लिया जाता है जब कि दूसरे सूबों में इससे बहुत कम कोआपरेटिव के रेट होते हैं। जब १५ फीसदी के रेट से सरकारी कोआपरेटिव संस्थाएं हैं जो रुपया देकर सूद लेती है तो जब गन्ने के उत्पादकों का रुपया इतने दिनों तक बकाया था, उसका सूद उन्हें नहीं मिलना चाहिये। सीधी सादी बात है। इसे समझने के लिये प्रकांड अर्थ शास्त्र के विद्वानों को नहीं खोजना है। एक साधारण देहात का रहने वाला जो अपने घर का १० या २० रुपय का बजट बनाता ह वह भी समझ सकता है कि मिल मालिकों के पास लाखों की तादाद में, १०,२० या ४० लाख रुपया, गन्ना उत्पादकों का पड़ा हुआ है उससे यदि वह किसानों को मिल जाता तो कुछ तो उनको राहत होती। वह उसे किसी दूसरे रोजगार में लगाकर कुछ तो प्राप्त करता। उस रुपये से मिल मालिकों ने जो मुनाफा कमाया है आज क्यों वह उनके पास छोड़ा जा रहा है और किसानों और मजदूरों को नहीं दिलवाया जाता? मिल मालिकों की ओर से जो बैलेन्स शीट बनते हैं उसमें ढोल में बड़ी-बड़ी पोल है। जरा गहरा हाथ मारा तो दोनों तरफ परदा साफ। जरा उसे थोड़ी सी ही मेहनत करके समझा जाय जो कि भुक्त भोगी हैं उनके नजर से देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने बैलेन्स शीट मिल मालिकों की ओर से बनाये जाते हैं उनमें सबमें धोका होता है। सबमें मुनाफा कम करके दिखाया जाता है ताकि मजदूरों को बोनस न देना पड़े। ऐसी ही तमाम बातें की जाती हैं जिन्हें हमारे गेंदा सिंह जी कुकर्म कहते हैं, तो क्या वह कल्याणकारी राज्य होगा! हम समझते हैं कि इस सदन में कोई ऐसा सम्मानित सदस्य नहीं होगा जो इस बजट को कल्याणकारी बजट कहे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लंच के पहले मैं अर्ज कर रहा था कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से औद्योगिक नीति में अराजकता बरती जा रही है और मैंने निवेदन किया था कि किस प्रकार से मिल मालिकों के द्वारा बार-बार कानून के तोड़े जाने के बावजूद भी मिल मालिकों के ऊपर कोई उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती और यदि किसान और मजदूर अपनी मांग को, जायज मांग को और कानूनी मांग को उठाता है तो उसके ऊपर रिप्रेशन की पालिसी कांग्रेस सरकार की ओर से अख्तियार की जाती है। उदाहरण स्वरूप अभी जो पिछले चन्द दिनों पडरौना मिल के मालिक लाल साहब के जरिये २० लाख रुपये वहां के किसानों को गन्ने की कीमत न देने से जो हालत पैदा हुयी थी उसको हमने निवेदन किया था। उसी के साथ साथ मैं कठकुइंया मिल के बारे में भी थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं। कठकुइंया मिल का मामला बड़ा पुराना है और उसका मैनेजमेंट सरकार ने अपनी ओर से लाल साहब के सुपुर्द कर दिया है। यह सरकार के संरक्षण में आ गया है और उसी के हाथ में यह उद्योग चल रहा है। परन्तु यदि सरकार की नीति मिल मालिकों के अनुचित तरीके से लाभ कराने की न होती तो जिस मिल पर सरकार ने कब्जा किया और जिस मिल पर इंतजाम करने के लिये वहां के गन्ना उत्पादकों ने, वहां के मजदूरों, वहां की कोआपरेटिव यूनियन्स ने सरकार से बराबर निवेदन किया था उस मांग को क्यों न स्वीकार किया गया होता। इसलिये हमारे दिमाग में किसी भी तरह से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार की नीति से किसानों और मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। इस सरकार की नीति से जो कुछ भी भला होगा वह मिल मालिकों का होगा, पूंजीपतियों का होगा। आज वह अपनी नीति को चला रही है जो अराजकता की नीति को, जो औद्योगिक डिमोक्रेसी को छोड़कर अपना रही है, उससे जितना भी फायदा हो सकता है वह मिल मालिकों का ही है। जब मैं औद्योगिक डिमोक्रेसी के बारे में मैं निवेदन करता हूं तो मैं बनारस

[श्री राजनारायण]

के गवर्नमेंट वीविंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की जो एक महीने तक हड़ताल चली थी उसको भूल नहीं सकता। एक जनवरी से लेकर ३० जनवरी तक गवर्नमेंट वीविंग इन्स्टीट्यूट बनारस में विद्यार्थियों की हड़ताल चली। मुझे अफसोस होता है कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन नगर और आज भी वहां अच्छा खासा वैभव है और दो-दो मन्त्री इस राज्य सरकार में जहां के विराजमान हैं वहां के विद्यार्थियों की हड़ताल एक महीना तक चले और सरकार के कान में जूं तक न रेंगे और वह आंख और कान मूंद कर बैठी रहे। जब इस तरह से इस राज्य में विद्यार्थियों की मांगों की उपेक्षा की जाती है क्या यह किसी जन-कल्याणकारी राज्य की पालिसी हो सकती है? श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीस जनवरी को जबकि मैंने वहां से सेक्रेटरी औद्योगिक विभाग को फोन किया कि बनारस के वीविंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की हड़ताल एक महीने से चल रही है और जांच-पड़ताल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें पड़िये और हड़ताल को समाप्त कराइये। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वहां के अधिकारियों के आश्वासन पर हमने विद्यार्थियों को हर तरीक़े से समझा बुझाकर बिना किसी शर्त के हड़ताल को वापिस ले लेने की सलाह दी और विद्यार्थियों ने ३१ जनवरी से अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी। दो दिन, तीन दिन की बात कौन कहे, हफ्ता बीत गया, लेकिन सारी जांच को समाप्त करके समुचित कार्यवाही करने का जो आश्वासन दिया गया था आज तक वह खटाई में पड़ा हुआ है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मन्त्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह चाहती क्या है? यह चाहते हैं कि जो समुचित तरीक़े से न्यायपूर्ण मांगों को लेकर विद्यार्थी कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसको दमनचक्र चलाकर परास्त करें या उनकी मांगों को सहानुभूति के साथ सुन कर, उदारता के साथ विचार करके जो कमी हैं या खामी हैं या इंतजाम में दोष हैं उनको दूर किया जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और बनारस टैक्निकल ऐंड वीविंग इंस्टीटयूट की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाये।

श्रीमन्, मैं उस समय चर्चा कर रहा था कैनाल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बारे में, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय सूचना मंत्री जी उपस्थित नहीं थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब खेती का सवाल उठाया जाय तो खेती के सवाल के संबंध में रिपोर्टस प्रकाशित हुई हैं और जो इस डायरी में जो इस सूचना विभाग से वितरित हुई हैं, उस पर ध्यान दिया जाय। सन् १९४७ की इर्रीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाय तो उसके मुताबिक यह मालूम होता है कि सन् १९४६-४७ ई० में कुल २६,०८२ मील लम्बी नहरें बनीं। जब १९४६-४७ ई० में २६,०८२ मील लम्बी नहरों की खुदाई हुई तो जो इस डायरी में आंकड़े दिये हैं कि जब पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायगी तो सन् १९५६ ई० में २२,८०० मील लम्बी नहरों की खुदाई होगी तो इसके क्या माने हैं? क्या यह आंकड़ों की भूल-भुलैया है या कोई जादू है, इसको और आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

श्रीमन्, जो यह डायरी सन् १९५३ की सब सम्मानित सदस्यों को प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी के बाहर सदस्यों को भी सुलभ है उसकी रिपोर्ट अगर पढ़ी जाय तो इसमें १९४६, १९५२ और १९५६ तीन टर्निंग प्वाइंटस लिये गये हैं। १९४६ में नहरों की लम्बाई १७,८२४ मील लम्बी, १९५२ में १९,५२५ और १९५६ में २२,८०० मील लम्बी नहरों की खुदाई होने की बात है। यह जो रिपोर्ट से प्रगति मालूम होती है तो इसमें तो एक क्रम मालूम होता है कि १७ हजार से लेकर २२ हजार लम्बी मील लम्बी नहर सन् १९५६ ई० में बन जायगी यानी पांच वर्षों में पांच हजार लम्बी नहरें हो जायंगी। मगर जब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की एड-मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखते हैं तब फिर हमको आश्चर्य में पड़ना पड़ता है। सन् १९४६-४७ में २६,०८२ मील लम्बी नहर खुदी, यह कैसे मानी गई है। क्या इसके माने यह हैं कि १९४६-४७ में नहरों की लम्बान इतनी थी और इसको पाटा गया है, इससे तो यही मालूम होता है। हमारी विकास की योजनाओं में जो धन खर्च हो रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई खर्च हो रही

है, वह नहरों के पाटने में खर्च हो रही है और हमें भ्रम में रखा जा रहा है कि नहरों की लम्बाई बढ़ाई जा रही है।

श्रीमन्, जब मैं खेती के और पहलुओं पर आता हूं जो हमारे यहां सब से बड़ा धंधा है, जिसके आसरे हमारे उत्तर प्रदेश के क़रीब ५ करोड़ ग़रीब जनता का जीवन मुन्हसिर करता है तो जो आंकड़ों की भूल-भुलैया है उसको भी हमें सम्मानित सदस्यों के सामने रख देना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कुछ खास बातें इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को नोट कर लें कि यह जो रिपोर्ट मैं पेश कर रहा हूं, यह ज़मींदारी अबालीशन रिपोर्ट १९४८-४९ के तमाम आंकड़ों को लेकर तैयार की गई है। अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ३,९३,६१,०३५ जन-संख्या होती है और हमारा अन्दाज़ा है कि उस जनसंख्या को जिसको सब लोग मानते हैं, ५ आदमी फी परिवार पीछे बांटा जाय तो ७,८२,००७ परिवारों की संख्या होगी। इसी तरह से पराई ज़मीन पर खेती करने वाले कितने हैं अगर इसको देखा जाय तो वह ३१,९५,८२५ की जनसंख्या में है यानी ६,३१,१६५ परिवार। मैं इस रिपोर्ट को आपके पास भेज दूंगा।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)--मैं सिर्फ यह दरियाफ्त कर रहा था कि यह रिपोर्ट कौन सी है, जिसमें से आप यह आंकड़े पढ़ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--यह मैंने पहिले ही अर्ज़ कर दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में जितने आंकड़े आये हैं तथा उसके बाद जो भिन्न-भिन्न रिपोर्ट सरकार की ओरसे प्रकाशित हुई हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स से छांट कर ये आंकड़े निकाले गये हैं।

इस तरीक़े से अगर आप उन परिवारों की संख्या देखें जो खेतिहर मज़दूरों की है तो आपको मालूम होगा कि उनकी संख्या ३६,१२,२०६ है और उनके परिवारों की संख्या ७,२२,४४५ है। इसके अलावा जो अन्य सेवा करने वाले नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार आदि हैं उनकी जनसंख्या २९,८३,८०६ होती है। इसी प्रकार श्रीमन्, अगर हम ज़मीन के बटवारे की बात करें और जिनके पास धन पैदा करने का ज़रिया नहीं रह गया है, उनको ज़रिया करायें, उनको साधन संपन्न करें तो १,०७,६३,४६० की जनसंख्या ऐसी है जिसको हमें ज़मीन देनी होगी और अगर इसको परिवार के रूप में हम देखें तो २१,५२,६९६ परिवार ५ आदमियों के हिसाब से होते हैं। लेटेस्ट सेन्सस के हिसाब से जो देहाती आबादी है वह ५४,५६,०४३ है, उसके बाद खेती न करने वाले भूस्वामी जो शहरी और देहाती हैं वे ६,६७,६१२ हैं। अगर हम ज़मीन का इंतज़ाम करना चाहें और उत्तर प्रदेश की गरीबी को मिटाना चाहें, अगर लोगों को दौलत पैदा करने के जराये से संपन्न करना चाहें तो हमारे लिये यह लाज़मी हो जाता है कि हमारे सामने जो भी पूरे-पूरे दौलत पैदा करने के जराये हैं यानी खेती, उद्योग-धंधे आदि उन सबको इस तरीक़े से बांटें कि हर एक इंसान को अपने जीवन के निर्वाह के लिये समुचित धन इन साधनों से प्राप्त हो सके। जहां तक मेक्सीमम होल्डिंग का सवाल है वह इस सदन में ३० एकड़ मानी गयी है। इस तीस एकड़ मेक्सीमम होल्डिंग के बाद भी जितनी ज़मीन बचती है वह क़रीब ३० लाख एकड़ के होती है।

श्री चरण सिंह--यह रिपोर्ट कब पब्लिश हुई है, अगर आप बतला दें तो उसकी एक कापी मैं भी मंगवा लूं।

श्री राजनारायण--मैं आपकी खिदमत में भेज देता हूं।

श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये निहायत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरीक़े से अगर तमाम ज़मीन का इन्तज़ाम देखा जाय और उसको समुचित रूप से उन तमाम ग़रीबों को जो कि भूमि रहित हैं, जो पिछड़ी जाति वाले हैं और जिनके जीवन-निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं है, अगर सही माने में यह सरकार उनकी ग़रीबी हटा कर एक अच्छे वातावरण में रखना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं हो सकता है कि हमारी सरकार को इस संशोधन

[श्री राजनारायण]

के जानने में कोई दिक्कत हो। हमने यह पूरी तरह से निवेदन कर दिया है कि अगर ३० एकड़ मैक्सिमम होल्डिंग मानते हैं तो उसके बाद जो जमीन बचती है वह क़रीब ३० लाख एकड़ के होती है और अगर २० एकड़ मैक्सिमम होल्डिंग मानते हैं तो क़रीब ४४,१३,४८५ एकड़ जमीन बचती है जिसको लैंडलेस लोगों में बांट सकते हैं। अगर सही माने में आर्थिक विषमता के ज़रिये दौलत पैदा करने की विषमता को मिटाना चाहते हैं और मैक्सिमम होल्डिंग १६ एकड़ ही मानते हैं तो १६ एकड़ के हिसाब से ५७,५६,८६५ एकड़ जमीन मिलती है जिसको हम बांट सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं आपके जरिये यह अपनी इत्तिला के लिये जानना चाहता हूं कि ये आंकड़े कहां से लिये गये हैं, क्योंकि कहीं इसका जिक्र नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इन आंकड़ों को सही माने में समझने के लिये स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, क्योंकि वही इसको समझ सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर माननीय मन्त्री जी अपने कर्मचारियों के साथ महीनों तक लगे रहें तब ये आंकड़े मिल सकते हैं। इसमें जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सेन्सस रिपोर्ट है, फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और दो महीने की मेहनत के बाद यह तैयार किया गया है। और अगर इन तमाम रिपोर्टों को लेकर सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठे तब वह समझ पायेगा कि कितनी जमीन बचती है। श्रीमन्, मैं आपको बतला सकता हूं कि जो आंकड़े हमने सरकार को दिये और इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं, इससे और ज्यादा जमीनें, अगर सन् ५२ के आंकड़े प्रस्तुत होते, जिसको कि सरकार ने नहीं रखा तो निकल सकती हैं। क्योंकि इसमें श्रीमन् सन् ५० तक के जितने आंकड़े उपलब्ध थे उन्हीं के आधार पर यह बतलाया गया है। अगर उन आंकड़ों को हम देखें तो जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वह यह है कि अगर कुल क्षेत्रफल को देखा जाय तो माननीय मन्त्री जी सहर्ष कबूल कर लेंगे कि कुल क्षेत्रफल ७,२२,७०,६०७ एकड़ है

श्री चरण सिंह—७ करोड़ २५ लाख एकड़ है।

श्री राजनारायण—ठीक है, इसके बाद और ज्यादा जमीन मिल सकती है। यह तो श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की आसानी के लिये बतला रहा हूं, ताकि माननीय राजस्व मन्त्री जी को ५० तक के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हों जायेंगे। सन् ५२ तक की तमाम रिपोर्ट न तो गवर्नमेंट ने अभी तक तैयार कराया है और न उसे तैयार कराने की आवश्यकता ही समझती है, क्योंकि सरकार के खाद्य विभाग से बार बार यह बात पूछने पर भी कि उत्तर प्रदेश में कितने गल्ले की कमी है, कितने गल्ले की आवश्यकता होती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं बतला सकता हूं कि कितना जंगल है। ३१,३४,६०१ एकड़ जंगल है, और पानी से भरा हुआ रकबा २६,२३,०७३ एकड़ है। कितनी बस्ती, सड़क और आबादी है वह १८,५४,४२४ एकड़ है। बंजर ३८,११,१९२ एकड़ है। यह कुल मिलाकर ८२,८८,६८९ एकड़ होता है, जिसमें जंगल, पानी से भरा हुआ हिस्सा, सड़कें, बस्ती, आबादी और बंजर यह तमाम शामिल हैं। हमारे सूबे में परती जमीन कितनी है, वह परती १,२२,६१,४९४ एकड़ है। जितनी भूमि परती और बंजर है वह सब मैक्सिमम तय करने के बाद जो ऊपर से हमको मिलती है वह सब जमीन हम भूमिहीन लोगों को देकर क्या अपने देश से गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं। अगर सरकार की पालिसी यह होती कि विषमता दूर की जाय तो क्या सरकार के सामने हम अपनी बात पांच साल से जो कहते चले आये हैं, उसको न मानती। इसलिये श्रीमन्, जो यह कल्याणकारी बजट कहा गया है इसको मैं किसी तरह से कल्याणकारी बजट नहीं मानता हूं। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह कल्याणकारी बजट नहीं है। अगर सरकार इसी बजट को कल्याणकारी बजट कहती है और जनता के सामने इसी तरह का बजट प्रस्तुत करेगी तो जनता निहायत परेशान होगी और जनता कल्याणकारी शब्द से भी घृणा करने लगेगी। श्रीमन् जब मैं खेती के और मसलों को देखता हूं तो जो इधर अकालग्रस्त

झेल रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी इस सेशन में सरकार की तरफ से इस सदन में जवाब दिया गया है कि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्रों में उपलवृष्टि हुई है। मैं पिछले महीने में ४ दिन तक बस्ती देवरिया और गोरखपुर जिलों का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार के पास जो रिपोर्ट आयी है वह रिपोर्ट अधूरी है और वह रिपोर्ट गलत है। उन लोगों की जो हानि हुई है वह इससे ज्यादा है और ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान यहां तक हुआ है कि उन लोगों की गाथा अकथनीय है। जो कुछ किसानों के पास था और जिस पर अपना जीवन निर्भर करने के लिये सोचते थे वह उनका सब कुछ स्वाहा हो गया है। जो सड़क फैजाबाद से गोरखपुर देवरिया को जाती है, अगर उस सड़क पर चलकर देखा जाय तो ४ मील इधर और ४ मील उधर तक उनकी सारी फसल बरबाद हो गयी है और उपल वृष्टि से इतनी हानि हुई है कि एक पत्ती भी खेतों में दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा मालूम होता था कि सारी की सारी जमीन में कभी कुछ पैदा भी ही नहीं हुआ। जो अरहर की फसल थी वह सब खेतों में गिर गयी थी तो फिर वह कैसे उत्पादन कर सकती है। गन्ने के बारे में माननीय राजस्व मन्त्री के पास क्या रिपोर्ट आयी है मालूम नहीं, मगर बहुत से खेतों में इतना गहरा नुकसान हुआ है कि ईख का पूरा का पूरा पौधा उखड़कर खेतों में गिर गया है। इस तरह से जो बरबादी हुई है वह बहुत अधिक है। माननीय राजस्व मन्त्री ने अखबारों में बयान दिया था कि गोरखपुर, देवरिया में जो थोड़ी हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति दूसरे स्थान पर जो वर्षा हुई है उस से हो जाएगी, कोई घबड़ाहट की बात नहीं है।

श्री चरण सिंह——मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, राजस्व मन्त्री ने अभी कुछ सूचना दी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था और समाचार पत्रों म यह बात निकली थी। इस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षत्रों में भी हानि हुई है तो क्या वहां हानि की पूर्ति होगी। अगर यह बात गलत है तो मुझ खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने ऐसा बयान भी नहीं दिया था। मगर अब जो वहां की हालत है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय चाह वह खुद या उनके निकट रहन वाले किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को या माननीय सदस्य को वह हमार साथ भेजें। और जाकर उन गांवों में देखें कि जो लोग दयनीय हालत में हैं। मैंने उसके विषय में भी एक ११ प्वाइन्ट का सलूशन सरकार की खिदमत में दिया था और अखबारों में भी दिया था कि इस ओर ध्यान दिया जाय, उसमें कच्चे कुएं खुदवाने की भी सिफारिश की थी क्योंकि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो थोड़े समय में ही हो जाती हैं जैसे चीना है मूंग है और इसी तरह की और भी हैं, जो सरकार का वैज्ञानिक विभाग बतला सकता है और चीना आदि की फसलों में काफी एक्सपर्ट किसान हैं और वह जानते हैं कि उसमें दस बारह पानी लगते हैं और कुंए की खुदाई १५-२० रुपये में हो जाती है और आठ दस हाथ पर ही पानी मिल जाता है। ऐसे उपायों को लेकर यदि समुचित कदम उठाया जाता और उनकी हालत ठीक की जाती, तो उनको राहत मिल सकती थी और वहां के किसान थोड़ी आराम की सांस ले सकते थे, लेकिन यहां तो सारा नक्शा ही उल्टा हुआ है और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह से यह सारा बजट एक कल्याणकारी राज्य का बजट है, उनका कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है। कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने चर्चा की और बतलाया कि उसका बजट ऐसा नहीं होता। अगर माननीय मन्त्री जी इस बात को देखेंगे तो जहां पर उन्होंने ५० फी सदी सिंचाई की दर बढ़ाने की बात की है तो यह ५० फीसदी जो दर बढ़ेगी यह किसके ऊपर जाकर इसका बोझ बढ़ेगा ? इसका बोझ किसानों पर पड़ेगा, मजदूरों पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, व्रवित हैं, उन पर पड़ेगा, या उन प्रतिभा सम्पन्न लोगों पर पड़ेगा, जिनकी सारी जिन्दगी ऐश में बीतती है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी या इस समय के वैज्ञानिक अर्थ विधान के दृष्टिकोण को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि sal s tax itself is a regressive tax वह इसके बढ़ाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि उसके रेट को भी बढ़ाया जायगा, तो आखिर इसका बोझ किस पर पड़ेगा ?

[श्री राजनारायण]

जिनके परिवार बड़े हैं जो अधिक सामान खरीदते हैं जो गरीब हैं। इसका बोझ सत्ताधारी समाज के तबके पर नहीं पड़ता। इसलिये अगर सेल्स टैक्स को बढ़ाना भी अगर कल्याणकारी राज्य के बजट को शोभा देता है तो प्रश्न होता है कि उनके दिमाग में 'कल्याणकारी' शब्द के माने क्या हैं?

मैं आपके द्वारा कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन आंकड़ों को और देखें और उनको जरा समझने की भी कृपा करें। उत्तर प्रदेश में जहां पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने खर्च को घटाने की बात कही है तो मैं निवेदन करूंगा कि देश के अन्य सूबों का नकशा देखा जाय तो टैक्स के कलेक्शन में जो खर्च यहां होता है वह दूसरे सूबों में देखा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सरकार किस तरीके से बिना किसी हिचक के सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। अगर कास्ट आफ टैक्स कलेक्शन को देखा जाय कि उस पर टोटल रेवेन्यू का कितना परसेन्टेज खर्च होता है तो वेस्ट बंगाल में वह ५ परसेन्ट आता है। बिहार में ५.४ परसेंट पड़ता है और सौराष्ट्र में ६.४ परसेंट पड़ता है। उड़ीसा में ७.८ परसेंट और बम्बई में ८.७ परसेंट पड़ता है और पन्जाब में ८.६ परसेंट पड़ता है। मध्यभारत में ८.६, आसाम में ६ परसेंट, ट्रावनकोर कोचीन में ६ परसेंट और उत्तर प्रदेश में १० परसेंट पड़ता है। श्रीमन्, जब माननीय वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में यह बताते हैं कि सेल्स टैक्स दूसरे सूबों के मुकाबिले में अपने सूबे में कम है, इसलिये इस सूबे पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की जरूरत है तब मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब कम टैक्स है, तब तो १० परसेंट रेवेन्यू का खर्च होता है इस तमाम टैक्स के कलेक्शन में, जो कि दूसरे सूबों की बनिस्बत ज्यादा है और जब और तमाम टैक्स बढ़ते चले जायेंगे और जालसाजी का जाल तमाम दूकानों पर बढ़ता चला जायगा तो सर्विस में कितना खर्च होगा, क्या इसको समझने की ओर भी ध्यान दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने समझने की ओर ध्यान नहीं दिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह आंकड़े आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री राज नारायण—यह रिजर्व बैन्क आफ इंडिया बुलेटिंग, १९५२ और फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में से है। आप उन्हें पढ़िए। अभी मैंने फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, अब रिजर्व बैन्क आफ इंडिया के बुलेटिन, १९५२ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वह ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि दूसरे सूबों में जो रेवेन्यू होता है वह कैसे और कितने परसेंट टैक्स से आता है। उसमें टैक्स रेवन्यू कितना होता है, एक्सपैन्डीचर कितना होता है, और उसका अनुपात सिक्योरिटी पर और सोशल सर्विस पर कैसे-कैसे पड़ता है, इसके लिये मैं अपील करूंगा और निहायत अदब के साथ अपील करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे।

आसाम में १९५०-५१ के ऐक्चुअल और इधर के एस्टीमेंट से माननीय मन्त्री जी देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि कुल १०.५६ परसेन्ट रेवेन्यू है जिसमें टैक्स आता है और एक्स-पेन्डीचर ७.५६। ५१-५२ में कुल ११.२ और एक्सपैन्डीचर आता है कुल ११.७०। ५२-५३ में १०.८१ और सब एक्सपैन्डीचर होता है १३.५५ पर कैपिटा। यह आसाम छोटा सा सूबा है, जिसके यह फिगर हैं।

अगर मद्रास को वित्त मन्त्री जी देखें तो पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर का जो एक्स-पैन्डीचर और परसेंटेज होता है वह ५०-५१ में १०.०६ और एक्सपैन्डीचर १०.२६। ५१-५२ में १०.२४ और एक्सपैन्डीचर १०.८१। ५२-५३ में रवेन्यू १०.६८ और एक्सपैन्डीचर ११.३०।

अगर बाम्बे को देखें तो ५०-५१ में १०.५२ रेवेन्यू और खर्चा १७.५४। सन् ५१-५२ में १६.६४ और खर्चा १६.६६। ५२-५३ में १७.१७ और खर्चा १५.७।

अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाय तब यहां की गरीबी और यहां को जो दयनीय हालत है, वह माननीय मन्त्री जी को मालूम होगी। उत्तर प्रदेश में ८.११ सन् १९५०-५१ में है। और ८.१० खर्च। ५१-५२ में ८.९२ रेवेन्यू और ८.९२ खर्च। ५२-५३ में ९.५३ रेवेन्यू और १०.१९ खर्च। श्रीमन् अगर इस आंकड़े को देखें तो इससे क्या नतीजा मिलता है। इससे नतीजा यह मिलता है कि उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के ऊपर जो सरकार खर्च का रेशियो लगाती है वह खर्च का रेशियो भी उतना नहीं पड़ता जितना कि उनसे वसूल किया जाता है और दूसरे सूबों से अगर उसका अनुपात लगाकर के देखें तो उसमें जनता से जो वसूल किया जाता है उसका रेशियो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वह खर्च का ज्यादा हो जाता है, मगर उत्तर प्रदेश में कम रहता है। इसके क्या माने हैं। इसके माने हैं कि सरकार की नीति जिस तरीके से चल रही है, वह ज्यादा खर्च नौकरशाही का जाल बिछाने में करती है। नौकर शाही का जाल बराबर बिछता चला जा रहा है। इसलिये अगर हम सिक्योरिटी सर्विस और सोशल सर्विस के अनुपात को देखें तो जहां पर ५०-५१ में आसाम में २.०० सिक्योरिटी सर्विस पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विस पर ३.०५ होता है और जहां पर ५२-५३ में आसाम में २.३१ सिक्योरिटी पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विस पर ३.९१ खर्च होता है। अगर हम मद्रास की फिगर को देखें तो मद्रास में जहां पर ५२-५३ में ३.१९ सिक्योरिटी सर्विसेज पर खर्च होता है वहां सोशल सर्विसेज पर ४.३१। इस तरह से हर जगह बराबर बढ़ा है। अगर हम बम्बई को देखें तो सिक्योरिटी सर्विसेज पर जहां ५.७७ खर्च है वहां सोशल सर्विसेज पर ५.९० है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जहां पर २.८२ सिक्योरिटी सर्विस पर खर्च होता है वहां पर २.१४ सोशल सर्विसेज पर, इसके क्या माने। और यह ५०-५१ का रेशियो दिया। अगर उत्तर प्रदेश के ५२-५३ के रेशियो को देखा जाय तो जहां सिक्योरिटी सर्विसेज पर ३.०७ खर्च है, वहां सोशल सर्विसेज पर २.८२ है। क्या इसका सीधा सादा मतलब यह नहीं है कि अपने मुल्क के दूसरे सूबों में जो रकम सिक्योरिटी पर खर्च होती है वह कम है। तो जब और जगह यहां से सिक्योरिटी पर कम खर्च है तो इस राज्य को कल्याणकारी राज्य कैसे वित्त मन्त्री जी सम्बोधित करते हैं। माननीय मन्त्री जी को कुछ भी हिचक नहीं हुई इसको कल्याणकारी राज्य कहने में और इस बजट को कल्याणकारी राज्य का बजट कहते हैं। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमारे सामने बजट प्रस्तुत करते हैं और उस बजट की धनराशि किन-किन मदों में कितनी कितनी है, जब इसका सिंहावलोकन करते हैं तो उनको इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है धन में और सबसे बड़ा खर्च में माननीय वित्त मन्त्री जी के कथनानुसार है, उसमें व्यवस्था क्या है, उसमें न्याय, इंसाफ और शांति की क्या हालत है। मुझे अफसोस है कि इस समय हमारे माननीय गृह मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं वरना मैं उनकी खिदमत में इन बातों को पेश करता कि क्या आज सरकारी विभागों में जो कन्सीलमेंट आफ फैक्ट्स की पालिसी चल रही है, जो रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही हैं और जो हत्यायें होती हैं, जो कत्ल होते हैं एक तरफ तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और एक तरफ रिपोर्ट्स के आंकड़े कम होते जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकारी विभाग के जरिये से गृह और पुलिस की रिपोर्ट हमें मिलती है उसमें आंकड़ों में कुछ कमी हुई है, हत्यायों में कमी हुई है, मगर श्रीमन्, मैं एक मिनट के लिये भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह रिपोर्ट्स, सही है, क्योंकि मैं बराबर देखता हूं और गांवों में जाता हूं आज तो दिन बदिन कत्ल और मार-पीट की मात्रा बढ़ती जा रही है और भुक्त भोगी भी हूं। भुक्त भोगी इस माने में हूं यानी जिस रिपोर्ट को खुद लिखने जाता हूं वह रिपोर्ट तो लिखी जाती है मगर जो रिपोर्ट किसी गरीब किसान के हाथ में लिखाकर भेज दी जाती है, उसको समझा करके भेजते हैं तो फिर वह दो तीन घंटे में लौट करके आता है और कहता है कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। श्रीमन्, अभी-अभी एक घटना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि बहराइच में जो कैसरगंज की कान्स्टीट्यूएंसी में श्री हुकुम सिंह जी का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर एक मीटिंग हो रही थी। उनकी ओर से उस मीटिंग को भंग करने की कोशिश हुई। जब हमारे

[श्री राजनारायण]

उम्मीदवार रिपोर्ट लिखाने थाने गये तो वहां जो बड़े मुंशी साहब थे उन्होंने कहा कि जब तक दरोगा साहब नहीं आयेंगे रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी। मैं भी उसी जीप में बैठा हुआ था। मैंने उनको बुलाया और कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं हैं वापिस चलो। इसके बाद उन्होंने कहा कि दरोगा साहब अस्पताल गये हुए हैं अभी-अभी आते हैं। मैं डायरी में लिखे लेता हूं मगर रसीद नहीं दूंगा। यह सब क्या बात है। इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि हमारे राज्य में अराजकता की वृद्धि हो रही है, इस प्रदेश में न्याय का मिलना मुश्किल हो रहा है। मगर इस प्रदेश में जिस रीति से वस्तु स्थिति को छिपाया जा रहा है, उससे जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है। श्रीमन्, अगर पिछले छै महीने की बनारस जिले की रिपोर्ट ले ली जाय तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बनारस जिले में पिछले छै महीने में जितनी मार-काट हुई, जितनी हत्यायें हुयीं और जितने दंगे हुए और जितने झगड़े हुए उसका सही विवरण नहीं मिल सकता। अगर सही मानों में इन आंकड़ों को देखा जाय, बारबार ऐसा कौन सा हफ्ता है जो नहीं बताता है कि एक जिले से दस पांच रिपोर्टें नहीं आतीं हैं। सरकार जब इसकी रिपोर्ट तैयार करना चाहती है तो हर जिले से पूछती है कि कितने मुकदमें १४५ में चल रहे हैं और कितने मुकदमें बेदखली के चल रहे हैं। इस तरह से बेदखली के मुकदमें देखने से काम नहीं चलेगा। आजकल बेदखली के मुकदमें हमारे उत्तर प्रदश में खास करके जो पूर्वी इलाके हैं उन जिलों में ज्यादा हैं और इतनी सीमा को पार कर गये हैं कि जहां पहले नहीं थे वहां ज्यादा हैं क्या उनकी कोई रिपोर्ट है, क्या वह घटनाएं बिल्कुल उड़ा दी जायेंगी। मैं चाहता हूं श्रीमन्, कि इन बातों के बारे में एक इन्डीपेन्डेन्ट इन्क्वायरी बैठाई जाय और इल्लीगल तरीके से जो एजेक्ट्समेंट्स हुए हैं, जबरदस्ती तरीके से एजेक्ट्समेन्ट्स हुए हैं उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय, इस सदन के सामने तब सदन को मालूम होगा कि इल्लीगल ढंग से जो एजेक्ट्समेंट्स हो रहे हैं उनकी संख्या अपार है या पार है। तब जा करके इस सदन के सम्मानित सदस्य इस राज्य में जो अमन चैन कायम है उसका सच्चा नक्शा उन्हें मालूम होगा वरना सच्चा नक्शा इस तरह से नहीं मालूम हो सकता। इस तरह से जो रिपोर्ट निकली है, अगर कोई विदेश का रहने वाला या कोई दूसरे सूबे का रहने वाला इसको पढ़े तो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग ही समझे। इसलिये श्रीमन् मैं चाहता हूं कि इस सदन के सामने वस्तुस्थिति रखी जाय और सदन के सामने उन तमाम घटनाओं को प्रस्तुत किया जाय जो सही मानों में आज जनता भोग रही है। सही मानों में जनता पर जो आज कुठाराघात किया जा रहा है और जो दमन चक्र चल रहा है और जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है वह सब सदन के सामने रखा जाय।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना के बारे में माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपील की है और माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह भी आग्रह किया है कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में पार्टी पालिटिक्स नहीं आनी चाहिये। वित्त मन्त्री जी के इस विचार की मैं कदर करता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बात कही उसको मैं तस्लीम करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि जब खाने का सवाल हो, विकास का सवाल हो, उसमें राज-नीति का प्रचार नहीं आना चाहिए। मगर मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पंचवर्षीय योजना एक देश की योजना है या पार्टी की योजना है। सारी योजना को एक पार्टी ने बनाया और उस पर बहस की और उसके बाद कुछ पार्टियों के लोगों को बुलाकर सारी पकी पकाई चीज उनके सामने रखी गई। क्या ऐसी योजना को राष्ट्रीय योजना कहा जा सकता है? इसमें कोई हर्ज नहीं है यदि इसे कांग्रेस पार्टी की योजना कहा जाय। मगर मैं तो आगे जाने के लिये तैयार हूं कि यदि ऐसा भी होता तो भी कहीं तक ठीक होता बशर्ते कि इसमें जनता को आगे ले जाने की शक्ति होती। जो गलती हमारे वित्त मन्त्री जी कर रहे हैं मैं उनको उससे आगाह करना चाहता हूं। उन्होंने २६ जनवरी से श्रमदान वाले सप्ताह की चर्चा की है। जनता ने जिस उत्साह से उसमें भाग लिया उससे उन्होंने अन्दाजा लगाया कि उनकी तमाम योजनाओं में जनता का यह अपार सहयोग शामिल रहेगा। मैं उनको

यह बताना चाहता हूं कि जो योजना आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर चल रही है और जिसमें पिछले २ सालों से ढाई अरब रुपया फूंका जा चुका है, जैसा इसी सम्भाषण के आंकड़े से विदित है, उसमें जनता का सहयोग नहीं मिल सकता। इसलिये कि न इसका कहीं सिर है और न पैर है। यह प्लानलेस योजना है। इसके अन्दर यह नहीं बताया गया है कि कितने धन की वृद्धि होगी और वह जनता के किस अंग पर विशेषकर शोषित लोगों पर, कितना कितना खर्च किया जायगा। यह सारा लेखा जोखा और दुकानदारी का हिसाब पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आया कि हमारे प्रदेश में धन की वृद्धि कितनी होगी और वह कहां जायगी। उसका कौनसा हिस्सा उस हिस्से पर जायगा जिसका राजनैतिक और सामाजिक शोषण हो रहा है और जो उत्पादकवर्ग में शामिल है।

श्री चरण सिंह--राजनैतिक शोषण में क्या क्या शामिल है?

श्री राजनारायण--मुझे निहायत खुशी है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी समय समय पर कुछ ऐसी बातें भी पूछ लिया करते हैं और मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है मैं उनसे उनको अवगत कराऊं। राजनैतिक और आर्थिक शोषण दोनों का अविछिन्न सम्बन्ध है। जिस मुल्क की जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी उसी तरह की राजनैतिक व्यवस्था भी होगी। हमारे देश में आर्थिक विषमता है और उससे जन्य जो परिस्थिति है उससे राजनैतिक शोषण हो रहा है। जैसा कि इस बजट के भाषण में अभी २ या ४ बार मैंने बताया, बहराइच में उपनिर्वाचन हो रहा है। आज बहराइच में जो सत्ताधारी वर्ग है, जिनके पास साधन हैं और दूसरों का जो शोषण करते हैं जैसा कि जरवल मिल को ले लीजिए आज उसके मालिक के तमाम प्रतिनिधि, तमाम उनके गुर्गे, उसके तमाम एजेन्ट इलाकों में घूम-घूम कर माननीय मन्त्री हुकुम सिंह जी की पैरवी कर रहे हैं और उनको परेशान करते हैं, दबा रहे हैं कि तुम को अपने राज्यकाज को चलाने के लिये जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है अगर तुम उसको हुकुम सिंह जी को नहीं दोगे तो हम तुम्हारा गन्ना नहीं लेंगे। इसी को राजनीतिक शोषण कहते हैं। माननीय मन्त्री जी शायद इस भ्रम में हों कि जब मुल्क में डिमोक्रेसी होती है या बालिग़ मताधिकार होता है तो राजनैतिक शोषण नहीं होता। वे कृपया इस बुद्धिविभ्रमजन्य भ्रांति में न विचरण करें। जब तक समाज में से आर्थिक विषमता नहीं मिटाई जायगी, सामाजिक विषमता नहीं मिटाई जायगी तब तक मुल्क में राजनैतिक शोषण विद्यमान रहेगा। उदाहरण के लिये मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि जरवल मिल में जो पिछले साल का पैसा बाकी है जाकर माननीय राजस्व मन्त्री जी खुद देखें कि जो दो, तीन, चार, पांच सौ एकड़ वाले बड़े बड़े किसान हैं और जो माननीय मन्त्री महोदय के दो चार रिश्तेदार हैं क्या उनका भी कोई पैसा बाकी रह गया है। नहीं बाकी है। केवल एक मिसाल आपके जरिये से माननीय वित्त और माननीय राजस्व मन्त्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूं क्योंकि जो बड़े-बड़े किसान हैं और जो उनके उस गुट में शरीक हैं वे पहल परची पाते हैं और उनका गन्ना पहले लिया जाता है और उनके गन्ने की कीमत सबसे पहले चुकता कराई जाती है। क्या कारण है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनका पैसा अभी तक बाकी है और जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं जो सत्ताधारी हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत के रूप में इस सूबे में है उनके जो लगे हुए अंग हैं उनका रुपया बाकी नहीं रहगा। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी थोड़ी भी तकलीफ उठावें और कल ही चलें तो सारे आंकड़े पेश कर दिये जायेंगे कि किस किसान का कितना गन्ना आया और किसको कितना रुपया नहीं मिला। अब मिल मालिक की ओर से खुले आम कोशिश की जाती है कि पहले गन्ना उन इलाकों का लिया जायगा जिस इलाके के लोग हुकुमसिंह को वोट करेंगे। यह राजनैतिक शोषण है, यह राजनीतिक उत्पीड़न है और यही राजनैतिक दबाव है और इसी को जनतन्त्र की हत्या कहते हैं और जो आज दिन दहाड़े इस सूबे में हो रही है और इससे ज्यादा राजनैतिक शोषण मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की खिदमत में क्या पेश करूं।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं पंचवर्षीय योजना पर आ रहा था। इस योजना का ढोल है वह कितना पोला है उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसके लिये सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। क्या वह सरकार नहीं है। क्या इसे जनता से पूछना नहीं चाहिए। मैं एक बात और साफ-साफ बता दूं कि खेती से सम्बन्धित जो भी बनी है जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने सम्भाषण में कहा था कि उन्होंने एक कमेटी स्थापित की थी और कमेटी में १/१० खेत की पैदावार का कर के रूप में लेने की सिफारिश की थी। तो उस कमेटी में किसानों के भी कोई प्रतिनिधि थे? (एक आवाज--वे किसानों के प्रतिनिधि नहीं थे तो किसके थे?) क्या बतावें किसके थे। अगर सही मानों में किसानों के बारे में जानते होते, सही मानी में किसान जानते और सही माने में किसानों के हित को कहते तो यह रिपोर्ट देने की उनकी हिम्मत न होती कि किसानों से उसके उत्पादन का एक बटा दस ले लिया जाय और उस रिपोर्ट का सहारा लेकर माननीय वित्त मन्त्री जी इस अकाल पीड़ित किसान से ५० प्रतिशत नहर के रेट को भी न बढ़ाते। इसलिये मैं आगे के लिये माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जब कोई कमेटी बनाया करें तो किसानों के प्रतिनिधि को भी ले लिया करें। किसानों में काम करने वाली जो संस्था है, जो वर्ग संगठन सूबे में है, जैसे हिन्द किसान पन्चायत है और दूसरी संस्थायें हैं उनके भी प्रतिनिधि लिया करें और श्रीमन् जिस तरीके से श्रमिक या मजदूर ट्रिब्यूनल के जरिये या कांसीलियेशन आफिसर के जरिये एडजुडीकेशन में अपने मामले को भेज कर इतना संतोष करता है कि जो जुल्म होगा कि उसे कमेटी में रखकर अपनी आवाज बुलन्द करेगा, कम से कम उनको इतना मौका है, यही मौका किसानों को भी दिया जाय। हम चाहते हैं कि इस तरह की बेन्चेज यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिए जो छः महीने में बेदखली के मामले और दीगर किसानों के झगड़े का फैसला करें। जब तक उनके झगड़ों का फैसला नहीं होगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है। इसलिये सरकार से हमारी मांग है कि हर जिले में तहसील वाईज या डिसेंट्रेलाइज करके ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना करें जो किसानों के तमाम सवालों को लेकर फैसला करे और जल्दी से जल्दी करे, दो तीन महीने उनके मामले के फैसले करने में न लिये जायं। जब तक किसानों की हालत दुरुस्त नहीं की जायगी तब तक यह कैसे कल्याणकारी राज्य होगा।

मैं अब ज्यादा समय न लेकर आपके जरिये अन्त में माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं और सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार हमारे सामने एक सुनियोजित व्यवस्था रखे जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जिनके पास धन नहीं है वह भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकें और उनके ऊपर कर का बोझा न लादा जाय। श्रीमन्, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस समय जमीन्दारी उन्मूलन हुआ और अपने राजस्व में ११ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी दिखाई गयी है। जहां पहिले ७ करोड़ रुपया किसानों से लगान वसूल होता था वह जमीन्दार को प्रतिनिधि के रूप में सरकारी खजाने में आता था, आज वह कमाई १८ करोड़ से ऊपर है। यहां पर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि किसान के ऊपर चाहे कोई संस्था जमीन्दार का रूप लेकर आये या कोई व्यक्ति उसके ऊपर आये, अगर उसके लगान की रकम कम नहीं होती है तो उसके कुछ माने नहीं हैं।

आज हमारे सूबे में जो चारों तरफ चर्चा मचाई जाती है कि जमीन्दारी उन्मूलन कर दी यह इतना बड़ा काम है कि इस राज्य की तमाम जनता उत्साहित होकर अपनी आवाज का प्रदर्शन न कर सके सरकार की इस तरह की नीति के साथ तो इसके जरूर कुछ माने होते हैं और उसके यह माने होते हैं कि जिस तरीके से जमीन्दारी खत्म हुई, जिस तरीके से सरकार ने सारे साधनों को अपने हाथ में करके राजस्व को बढ़ाकर किसानों के कर के बोझ को कम नहीं किया यही जनता के असन्तोष का सब से बड़ा कारण बना हुआ है।

श्रीमन्, मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी घोषणा हो और लगान आधा कर दिया जाय या जितना पहिले मालगुजारी लेते थे उतना ही लिया जाय,।

सरकारी खजाने में जितना आता था उतना ही किसानों से सीधे सीधे लिया जाये तो किसान ठंडी सांस लेगा और किसान यह कहता हैं कि जमीन्दारी टूटी है वरना आज किसान परेशान हैं। आज वह कहता है कि अंग्रेजी राज्य में जो कर का बोझा था उसमें आजादी हासिल होने के बाद भी कोई कमी नहीं हुई है बल्कि वह बोझा बढ़ता जा रहा है, दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे हमारे वित्त मन्त्री जी उसको करके नाम से कहें या किसी और नाम से पुकारें लेकिन गरीबों के लिये उसका कोई अर्थ नहीं होता। जो रुपया दिया गया है चाहे वह विकास के लिये हो, चाहे किसी और काम के लिये हो मगर सही माने में वह करके नाम में आता है। उसको चाहें सिंचाई का दान कहें, चाहे धन का दान कहें, चाहे सम्पत्ति का दान कहें, जो शब्द माननीय वित्त मन्त्री जी को रुचिकर हो उसका प्रयोग करके वे शांति हो लें मगर आम जनता शांत नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें उस रिपोर्ट में क्या आपकी रिकमेंडेशन यह नहीं थी कि वह किसान जिसके पास एक एकड़ तक जमीन है उसका लगान ६ आना रुपया तक कम कर दिया जाय। जिन किसानों के पास चार एकड़ तक जमीन थी क्या उनके लिये जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह सुझाव नहीं था कि उनका लगान ४ आना फी रुपया कम कर दिया जाय ? जिनके पास ६ एकड़ तक जमीन थी क्या उनका लगान दो आना फी रुपया कम करने के लिये जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ नहीं है ? जिनके पास १० एकड़ जमीन थी उनके लिये क्या उस रिपोर्ट में एक आना फी रुपया कम करन का सुझाव नहीं था ? जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें विद्यमान हैं। जो इतने दिनों तक जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के तैयार करने में समय खर्च हुआ, उन सुझावों से माननीय मन्त्री जी आंख क्यों मूंदते हैं और क्या उन सुझावों से किसानों को कोई राहत मिली ? आज सरकार किस मुंह से कहती है कि किसानों के लिये उसने बहुत लाभकारी कार्य किया है ?

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहरी जनता को जबकि चुनाव के दिन थे, चुनाव नजदीक आ रहा था, लुभावे में रखने के लिये सारी कोशिशें की गयीं, मगर आज जो सरकार ने गेंहूं का भाव बढ़ा दिया है क्या उसका बोझा सीधे सीधे खरीददार पर नहीं पड़ता है ? और कैसे सरकार कह रही है कि यह "कर" नहीं है और इसका बोझा गरीबों पर नहीं पड़ता, सीधे-सीधे उसका बोझा शहरी जनता पर पड़ता है, जो उन दूकानों से गल्ला खरीदते हैं उन पर उसका बोझा पड़ता है। श्रीमन्, आज माननीय अन्न मन्त्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं वरना जो अन्न विभाग के आंकड़ों का कोढ़ है उनको आपके जरिये अन्न मन्त्री जी की खिदमत में रखता। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्रान्तीय मन्त्रियों के बयानों में इतनी बड़ी विषमता है कि यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है। श्रीमन्, माननीय श्री रफी अहमद किदवई जो कि केन्द्र के मन्त्री हैं, और इसी प्रान्त के रहने वाले हैं, उन्होंने एक बयान १७ जून को दिया था जो हिन्दोस्तान टाइम्स में १७ जून सन् १९५२ को निकला है। सन् १९५० की जो फीगर्स उन्होंने बताई है वह १९ हजार टन है और ५१ की फिगर ६० हजार टन दी है तथा ५२ की फिगर ६१ हजार टन की दी है। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इस प्रकार की फीगर्स और इस तरह के आंकड़े जो केन्द्रीय मन्त्री अन्न और कृषि मन्त्री के बयानों में मिलते हैं उसकी सफाई प्रान्तीय सरकार की ओर से होनी चाहिए। क्या प्रान्तीय सरकार इन आंकड़ों को सही मानती है ? या प्रान्तीय सरकार इसको गलत मानती है ? और अगर गलत मानती है तो जो इस तरह से बहुत ज्यादा, हजारों टन ज्यादा गल्ला प्रोक्योरमेंट की रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गयी है उसके क्या माने होते हैं ? ये सारी की सारी बातें, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य इस बात को देखें कि सरकार की ओर से जितना यह आवरण, जाल बट्टा फैलाया जा रहा है वह केवल हम लोगों को गुमराह करने के लिये है ताकि हम गुमराह होकर जनता को भी गुमराह करें और बतलावें जैसे कि पुराने अंग्रेजी राज्य में अमन सभा थी। अमन सभा का केवल यह काम था कि अंग्रेजी राज्य ने बहुत सुन्दर का किया, पतार दिया, डाक दिया, रेल दिया,

[श्री राजनारायण]

इस तरह की तमाम बातें कहे, वैसे ही अमन सभा कायम की जाय और सत्ताधारी पार्टी के सदस्य जो गरीबों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर, मजदूरों के बीच में जाकर कहते रहें और बतलाते रहें कि घबड़ाओ नहीं, आने वाला जमाना अच्छा होगा। आगे आने वाले जमाने की अच्छाई को लेकर जो गरीब किसान कि आज भुखारिन की ज्वाला में मर रहे हैं वे क्या करें ? उसी के साथ साथ श्रीमन्, मैंने आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री और तमाम मन्त्रियों की खिदमत में सरकार की कृषि नीति, सरकार की औद्योगिक नीति, सरकार की शिक्षा नीति, और सरकार की श्रम नीति के सम्बन्ध में जो थोड़ा सा बयान दिया, यह एक पूरी घटना का थोड़ा सा चित्र है। इस थोड़े से चित्र और बहुत थोड़े से चित्र को सामने रखकर अगर माननीय वित्त मन्त्री जी ख्याल करें तो उनको अपना भाषण वापस लेना चाहिए और फिर उनको कोई दूसरा भाषण प्रस्तुत करना चाहिए और उनको सही माने में जो सच्चा नक्शा सच्चा चित्र सूबे का है, उसको रखना चाहिए।

बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने तो मुल्क में अमन चैन कायम किया है, अब विरोधी पार्टी की ओर से इस सदन में उन जज्बात को नहीं पैदा करना चाहिए जिससे जनता यह समझने लग जाय कि आज कोई बड़ा भारी तूफान है और जनता के दिल में शान्ति की भावना की कमी है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये जो 'रूल्स आफ कन्डक्ट' बनाये हैं वैसा तो अंग्रेजी हुकूमत में नहीं था उसके क्या माने हैं ? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी सरकार को विश्वास नहीं है। सरकारी कर्मचारियों से जितने संलग्न हैं, डिपेन्डेन्टस हैं वे सरकार की नीति का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, ऐसा सरकार समझती है। वरना जनता में इस तरह का रूल नहीं बनाया जाता। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, मामूली सवाल नहीं है। केवल एक इसी सवाल को लेकर इस हुकूमत को आसानी से कहा जा सकता है कि यह जनतान्त्रिक हुकूमत नहीं है। अविश्वास की भावना बढ़ती चली जा रही है, असन्तोष का भाव बढ़ता चला जा रहा है, न्याय मिलने में कमी होती जाती है और सरकार की ओर से देश का सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब ने ग्राम पन्चायतों का भी चर्चा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ग्राम पन्चायतें इस तरीके से काम कर रही हैं जिस पर तमाम लोगों की श्रद्धा है, इन लोगों का एक नकशा हमने दिया। मैं आपके जरिये उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार की ओर से सूबे के हर जिले में पन्चायतें टैक्स की वसूली में ज्यादती कर रही हैं या नहीं ? पन्चायत टैक्स क्यों वसूल कराया जाता है जबकि जनता प्रान्तीय सरकार द्वारा लगाये हुए करों से ऊबी हुई है और उन करों से ही परेशान है ? पन्चायतों के जरिये जो गलत तरीके से कर लगाय जाता है वह इससे साफ मालूम हो जाता है कि एक एक ऊंट पर बीस बीस और तीस तीस रुपये तक कर लगाया जाता है। यह कहां का न्याय है, यह कहां का इन्साफ है। श्रीमन्, मैं थोड़े में यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कि उन्होंने जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है, भगवान करे कि इस तरह का बजट वे हमारे सामने आगे न पेश करें। इस तरह से अगर वह बजट को पेश करेंगे तो पता नहीं कि आगे के सालों में जो जमाना आने वाला है उसमें हमारी जनता कहां से कहां चली जायगी। शिक्षा विभाग के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, विद्यार्थियों की फीस के वृद्धि के बारे में माननीय गृह मन्त्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं वरना मैं उनको याद दिलाता कि उनके ही निवास स्थान पर इस सेवक को भी मौका मिला था हड़ताल करने का। जब विद्यार्थियों की फीस में वृद्धि हुई थी और जब माननीय शिक्षा मन्त्री का दमन चक्र चल रहा था तो मैंने भी भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजी जमाने में अगर कोई आदमी भूख हड़ताल करता था तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था लेकिन इस कांग्रेसी राज्य में तो कोई सीमा ही नहीं है। जो भी काम किया जाता है वह मोरेलिटी में

शामिल किया जाता है। यह सरकार भूख हड़ताल करने वालों को भी जेल भेजती है और वहां पर मुझको लखनऊ जेल में रखा गया था और वहां से अनशन पर रहते हुए भी जौनपुर जेल को ट्रांस्फर किया गया था। जो यह फीस वृद्धि हुई थी विद्यार्थियों के ऊपर तो क्या वह इन्डायरेक्ट टैक्स नहीं है? जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाने के लिये तरसते हैं क्या उनके लिये कोई सुविधा में वृद्धि की गयी है? कुछ भी उनके लिये नहीं किया गया है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस बजट को वापस लें और ऐसा समुचित बजट लायें जिससे यह मालूम हो कि यह इस सूबे की जनता का बजट है और जो नंगी भूखी जनता है और जिसके पास कपड़ा नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती है, जो गरीब अपने रोग के लिये दवाई भी नहीं कर सकते हैं उन सब को इससे लाभ और सुविधा पहुंचे। इतने गरीब लोगों की दशा को देखकर इस बात का पता लगाया जाय कि कितने ऊपर के लोग ऐसे बचते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। गरीबों की आवश्यकता अगर पूरी हो जाय, उनकी विवशता दूर हो जाये तभी यह कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत सोचने की आदत हमारे मन्त्रियों की पड़ी हुई है। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि आगे के लिये भविष्य में इस सदन के सामने इस प्रकार के विकृत बजट को पेश करके इस सदन का अमूल्य समय नष्ट करने की कृपा न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ....

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। और वह यह है कि इस बजट पर बोलने के लिये कम से कम समय निश्चित कर दिया जाय। प्रत्येक सदस्य इस सुनहरे अवसर पर बोलना चाहता है तो मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य को अपनी राय यहां पर प्रस्तुत करने के लिये समय का विभाजन कर दिया जाय। केवल इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--यदि सदन ऐसा चाहेगा तो इस पर विचार कर लिया जायगा। अब तो मैं बालेन्दु शाह जी को बोलने के लिये बुला चुका हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट वह आईना होता है जिसमें उसके बनाने वाली सरकार का पूरा पूरा रूप दिखाई देता है। माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि आया उनका मतलब गतवर्ष के रूप से था या आगामी वर्ष के रूप से। जिस प्रकार से माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले वर्ष की घटनाओं और करतूतों को विस्तारपूर्वक बताने का प्रयत्न किया है उससे उस जमाने की याद आती है जबकि प्रदेश भर के कोने कोने में हमारे मन्त्रिगण अपनी अपनी संस्था और अपनी सरकार की तारीफ करते थे, इस उम्मीद में कि उससे एलेक्टोरेट प्रभावित हो जाय। इस समय इस सदन के सदस्यों के सामने जिस विस्तार रूप में माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले साल की घटनाओं का वर्णन किया है न आवश्यक था और न किसी रूप से उचित। माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमको बतलाया कि यदि इस बजट का और उनके भाषण का अध्ययन किया जाय तो जिस सरकार का यह बजट आईना है और जिसमें मौजूदा सरकार का पूरा रूप देखा जा सकता है, जो चित्र इस बजट में हमारे सामने पेश किया गया है, जो स्पष्ट प्रतिबिम्ब इस बजट रूपी दर्पण में दिखलाने की कोशिश की गयी है, आया यह प्रतिबिम्ब और यह लक्ष्य देश के हित के लिये है? यह प्रश्न ऐसा है जिसका निश्चय भविष्य में आने वाली संतान करेंगी और हमारे लिये काफी समय तक यह एक काल्पनिक विषय बना रहेगा। मैं आपकी आज्ञा से और वित्त मन्त्री जी की आज्ञा से बजट भाषण के कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं। वह कहते हैं कि डिमोक्रेसी या जनतन्त्र में एक राज्य का वेलफेयर राज्य होना जरूरी है। जो राज्य अपना कर्तव्य सिर्फ जान माल की हिफाजत या चौकसी तथा अमन व शान्ति की बरकरारी तक महदूद रखता है वह वेल फेयर राज्य नहीं है। वेल फेयर राज्य का कर्तव्य

[महाराजकुमार बालेंदु शाह]

यह है कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उन्नति और तरक्की के मौके पैदा कर दे और इसका जिम्मेदार बने कि उसके हर फर्द या व्यक्ति को इससे फायदा उठाने में कोई चीज रोकने वाली न हो। जिस प्रकार एक समय यह फैशन सा बन गया था कि हम हर एक पुरुष के मुंह से वन नेशन थ्योरी का प्रचार सुनते थे इसी प्रकार रिवाज सा बन गया है कि हर एक मन्त्री, उपमन्त्री ही क्यों न हों, अपने भाषण में इस सदन के अन्दर या बाहर किसी न किसी रूप से इस 'वेल फेयर स्टेट' शब्द का प्रयोग करें। भाग्यवश माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस शब्द का प्रयोग एग्र कैच वर्ड की तरह नहीं किया, किन्तु उन्होंने इस शब्द का मतलब बताने की भी कोशिश की। माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमको यह बतलाया है कि एक जनतन्त्र राज्य क्रमशः और स्वतः एक वेल फेयर स्टेट अपने आप बन जाता है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि वेल फेयर स्टेट का क्या कर्तव्य है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वेल फेयर स्टेट का कर्तव्य यह है कि वह जनता के लिये उन्नति के साधन पैदा करे। उन्होंने यह भी स्पष्टकर दिया है कि एक वेलफेयर स्टेट की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को जो मौके उसके सामने पेश किये जाते हैं और उसके लाभ के लिये उत्पन्न किये जाते हैं उनसे लाभ उठाने के योग्य बनाये। वित्त मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कर्तव्य सरकार का है। यह कहना गलत न होगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी के पूर भाषण का सारांश इन्हीं दो वाक्यों में है। एक वेल फेयर स्टेट का कर्तव्य अपनी जनता के लिये उन्नति का मौका पैदा करना है और उसकी जिम्मेदारी है, यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को हर एक सूरत से मौजूदा परिस्थिति पर निगाह रख कर लाभ उठाने के योग्य बनायें। मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में "डिमोक्रेसी" शब्द का सही अर्थ लगाया है। क्योंकि, हालांकि यह एक बराबरी का जमाना है, फिर भी यह सबको मानना पड़ेगा कि हालांकि हम एक समय जबरदस्ती संसरा में बराबरी ले आये, किन्तु इस प्रकार की बराबरी हमेशा के लिये स्वतः स्थापित और स्थिर नहीं रह सकती। मन्त्री महोदय ने जो जोर योग्यता पर रखा है वह उचित है, केवल उचित नहीं, किन्तु मैं इतना कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री का अपने भाषण में कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि यह कि बराबरी का जमाना है और हालांकि इस सेकुलर स्टेट में कास्टिज्म और पक्षपात को हमेशा के लिये निकाल दिया गया है या निकाल देने की चेष्टा की गयी है और हालांकि कम से कम कागज में अब जनता और सरकार के परस्पर भेद नहीं है, फिर भी इन सब के होने के बावजूद वह प्राचीन युद्ध अब भी जारी है जोकि सर "वाईवल आफ दि फिटेस्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता के लिये उन्नति के लिये मार्ग प्रसारित करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को लाभ उठाने के योग्य बनावे, किन्तु फिर भी यह ऐसा समय है कि आराम, संतोष और कम्प्लेसेंसी के लिये इस दुनियां म स्थान नहीं, कम्प्लेसेंसी न जनता की ओर से, न सरकार की ओर से। पिछली घटनाओं का वर्णन करके यदि यह आशा की जा रही है कि यदि जनता और इस सदन के सदस्य आगे न देखें, किन्तु अपनी पिछली बातों पर ही ध्यान देते रहें तो यह गलत विचार होगा। यदि एक वेल फेयर स्टेट में आराम, संतोष और कम्प्लेसेंसी के लिये जगह नहीं है तो एक ऐसी वेल फेयर स्टेट जो कि पायस रेजोल्यूशंस में अमीर हैं, वैसी स्टेट में कम्प्लेसेंसी के लिये तो और भी कम जगह होगी।

हमारे सामने सरकार की नई प्रतिज्ञायें हैं। सरकार ने वित्त मन्त्री जी के भाषण के द्वारा यह ऐलान कर दिया है कि उनका यह कर्तव्य होगा कि वह जनता के सुख के लिये, उनकी उन्नति के लिये मौका उत्पन्न करेंगे। सरकार ने यह एलान कर दिया है कि वह जानते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि उनकी यह एक जिम्मेदारी है कि वह अपनी जनता को योग्य बनायें। अब हमको यह देखना है कि सरकार इन दो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का किस प्रकार विचार रखती है। इन दोनों प्रतिज्ञाओं का परस्पर घनिष्ट और अटूट सम्बन्ध है। यह हमको सदैव याद रखना है कि एक अयोग्य जनता के लिये उन्नति का पथ खोलना व्यर्थ होगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में जनता के सामने उन्नति का पथ खोलने के तरीके बताये हैं उनमें बहुत प्रकार के खोट निकाले जा सकते

हैं। यह कहना असत्य न होगा कि जो विभिन्न योजनायें सरकार ने खोलने का विचार कर रखा है उनका महत्व और उनका मूल्य सही प्रकार से स्थिर नहीं किया गया। यह कहना असत्य न होगा कि उन्नति के मौकों की तलाश में सरकार ने उस उच्च सिद्धांत का "Cut your coat accordingto the cloth" इस उच्च सिद्धांत का त्याग खतरे की सीमा तक कर दिया है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैं यह कहूंगा कि उन्नति के मार्ग जनता और जिलों के बीच में बांटते समय न्याय का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी इस समय इस सम्बन्ध में अधिक न कहकर और उदारता के साथ यह मानने के लिये मैं तैयार हूं कि इस बजट द्वारा किसी न किसी रूप में यदि सबके लिये नहीं तो कम से कम कुछ के लिये यदि न्याय के साथ नहीं तो पक्षपात सहित फिर भी कुछ न कुछ उन्नति के पथ और उन्नति के रास्ते खोजने और खोलने की चेष्टा की गई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब कि यह मान लिया जाता है कि उन्नति के लिये सरकार ने कम से कम कुछ हद तक कदम उठाया है तो साथ ही साथ जो सरकार की दूसरी प्रतिज्ञा है कि वह जनता को योग्य बनायेगी. इस दिशा में सरकार ने क्या किया है? इस विषय के सम्बन्ध में सबसे पहले यह आवश्यक है, केवल आवश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवार्य भी है कि हम शिक्षा सम्बन्धी विभाग की जांच करें। आखिर यदि मनुष्य को और जनता को योग्य बनाना है तो स्वाभाविक यही होगा कि उसको और उसकी शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखा गया होगा। इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि खर्चे में सबसे ज्यादा इजाफा शिक्षा पर हुआ है। १६,००० से ज्यादा नये प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं। ८६ म्यूनिसिपैलिटियों में लड़कों के लिये अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा चालू कर दी गई है। ३१ नये कालेज खोले जा चुके हैं। इसी तरह जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों और टेकनिकल स्कूलों की तादाद भी बढ़ गई है, रुड़की यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा कर दिया गया है। इत्यादि इत्यादि। मैं जानना चाहूंगा मैं वित्त मन्त्री जी से पूछता हूं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछता हूं जो इस समय गैर हाजिर हैं कि क्या जो मौजूदा शिक्षा सम्बन्धी नीति सरकार की है क्या वह नीति सन्तोषजनक पायी गयी है। मैं पूछता हूं सरकार से, क्या यह सत्य नहीं है कि जो विशेष समस्या इस समय भारतवर्ष के सामने केवल उत्तर प्रदेश के ही सामने नहीं, किन्तु सारे भारत वर्ष के सामने जो विशेष समस्या इस समय है क्या वह अनइम्पलायमेंट की समस्या नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कि क्या यह सत्य नहीं है कि जहां पहिले अशिक्षित लोग अनइम्प्लायड थे, आज वर्तमान शिक्षा द्वारा शिक्षित हुए जो पुरुष हैं वह भी अनइम्प्लायड हो रहे हैं और अनइम्पलायड की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं पूछता हूं कि क्या यह आवयश्क नहीं है कि सरकार अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करे? क्या यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आज की शिक्षा द्वारा और हमारी सरकार की शिक्षा द्वारा केवल मैट्रिक और बी० ए० और जो ऐसी डिग्रियां हासिल की जा रही हैं, किन्तु जो पुरुष इन डिग्रियों को प्राप्त करते हैं वे इस दुनियां की लड़ाई में लड़ने के योग्य साबित नहीं होते। इस सम्बन्ध में यह असंगत नहीं होगा यदि मैं इस सदन के सामने और भी कुछ शब्द कहूं। इस साल की २८ फरवरी को फूल सिंह जी हमारे यहां आये उन्होंने वहां एक भाषण में कहा कि उनका विचार यह है कि किसी न किसी प्रकार भारतवासी को वर्सेटाइल बनाना है। इसका मतलब कुछ नहीं किन्तु यह कि देश में हर एक सूरत से वोकेशनल एजूकेशन की उन्नति की जाय। अनइम्लायमेंट उसी पुराने सिद्धांत का एक रूप है। उसी पुराने सिद्धांत का जो कि सप्लाई और डिमान्ड के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय बी० ए० और एम० ए० डिग्रियों के पुरुषों की आवश्यकता थी उस समय सरकार का जनता के लिये बी० ए० और एम० ए० की डिग्री हासिल करने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी। फिर आज भी बी० ए० और एम० ए० और ऐसी जो आर्ट की डिग्रियां हैं, उनके प्राप्त किये हुए पुरुषों की आवश्यकता हो तो ठीक है। फिर हमारी सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति ऐसी है किन्तु जब कि सरकार यह मानती है और कम से कम सरकार को यह मानना चाहिए कि केवल बी० ए० की डिग्री या मैट्रिक की डिग्री

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

हासिल करने के बाद जनता किसी भी काबिल नहीं रहती। फिर मेरा विचार यह है कि सरकार को हिम्मत रखनी चाहिए कि वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति बदले। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वोकेशनल एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ पढ़ना चाहता हूं। इस किताब के लेखक हैं श्री आर्थर बी० मेज। वह कहते हैं —

"The concept of vocational education is a necessary feature of public education which claims as one of its purposes the insuring to all its citizens, equality and opportunity to grow and achieve and to enjoy the right of liberty and the pursuit of happiness as developed in an astonishing slowness. One would expect to find the right experience of vocational education as an essential problem of democratic education. Educational thinking, however, has not always followed logical line and educational practice has seldom exhibited a logical progression."

ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखा गया है। बाद में वह बतलाते हैं:--

"There was a constant conflict between the rapidly changing environment and an un-changing theory of the function of the school."

जैसा मैंने कहा, यह किताब मिस्टर आर्थर बी० मेज ने लिखी है और वह यूनिवर्सिटी आफ इलियोनो में प्रोफेसर आफ इंडस्ट्रियल एजूकेशन हैं। मेरा विचार है कि डिग्री के लिहाज से उन्हें काफी डिग्री है और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से कुछ पढ़ता हूं। आगे वह बोलते हैं "The forces producing the modern world have also created a train of problems." यह हिन्दोस्तान में भी सही हो सकता है। "These problems arise chiefly from the extreme complexity of economic and social constitution of the society since the effect of the industrial revolution began to exert their full force. They have added यानी train of problem, to the burden of schools the obligation to guarantee to every youth vocational education as well as general education." यहां जो "vocational education and general education" में अन्तर पाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

"The traditional haphazard pick-up method," जोकि हिन्दोस्तान में प्रबल है, "of acquiring vocational preparation is not adequate in the modern world" यदि हम अपने आपको माडर्न वर्ल्ड में शामिल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस ट्रैडिशनल और हैप हैजर्ड मेथड को छोड़ दें जोकि माडन वर्ल्ड में नहीं रह सकता।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को एक सुझाव देना चाहता हूं कि पुस्तक का परिचय आपने करा दिया है और माननीय सदस्य इसे अच्छी तरह देख लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा और पढ़ना चाहता हूं। अन्त में वह कहते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है, "among the modern problems demanding solution is that of supplying vocational education for those working at every level of the occupational world" यहां विशेष कर मैं एवरी लैविल शब्द के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कई जगह, जैसा माननीय वित्त मन्त्री ने कहा, सरकार ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर, देहरादून इत्यादि और टेहरी में भी हैं। इस विषय में मेरा कहना यह है कि हालांकि सरकार ने वोकेशनल एजूकशन देने की कोशिश की है और उसके लिये विभिन्न स्थानों में संस्थायें भी खोली हैं और उनमें से एक पोलीटेक्निक स्कूल हमारे यहां भी, जैसा मैंने कहा, खुला है। किन्तु इस शब्द के ऊपर में जोर देना आवश्यक समझता हूं "वोकेशनल एजूकेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऐट एवरी लेबिल आफ दि आक्यूपेशनल वर्ल्ड"। इसका मतलब यह हुआ कि डाक्टर और वकील यह भी एक प्रकार से वोकेशन कहे जा सकते हैं किन्तु यह हायर लैविल के हैं। यदि सरकार अपनी उस प्रतिज्ञा

को पूरा करना चाहती है कि वह अपनी जनता को योग्य बनाने की चेष्टा कर रही है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि स्कूल स्टेज में ही वोकेशनल एजूकेशन के लिये सुविधायें दें। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल एक मात्र स्कूल स्टेज में वोकेशनल फैसिलिटीज आप्शनल रूप में देने से ही जनता को योग्य बनाना न माना जायगा। यह दुख की बात है कि आज कल हालांकि यह बराबरी का जमाना है और उस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है फिर भी यदि किसी एक स्कूल में वोकेशनल एजूकेशन फर्ज कीजिए कारपेन्ट्री आपशनल रूप में खोल दी जाय तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस विषय को बहुत कम विद्यार्थी लेने के लिये तैयार होंगे। जनता की अभी भी यही धारणा है कि जब तक जनता का हरएक सदस्य मैट्रिक या बी० ए० नहीं हो जाता तब तक वह शिक्षित नहीं है। हालांकि बी० ए० और एम० ए० तक डिग्री पाने के बाद भी वह भविष्य में अपनी रोजगारी का कोई साधन नहीं प्राप्त कर सकता लेकिन चूंकि माननीय वित्त मन्त्री स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह जनता को योग्य बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक इस सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति बदली नहीं जाती तब तक जनता को योग्य बनाना और बनना संभव नहीं है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के सामने अनएम्पलायमेंट की बहुत बड़ी समस्या है और इस सम्बन्ध में उन्होंने उदारता के साथ सरकार के आगामी साल में १० लाख रुपये इस बजट में इसलिये भी रखा है कि जहां तक हो सके लोगों को बेरोजगारी से दूर करने के लिये लगाया जाय। यह बड़ी उदारता है परन्तु यदि इसको जितने लोग बेरोजगार हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाय तो ताज्जुब होगा कि हर एक पुरुष के हाथ एक आना भी न पड़ेगा। फिर भी जैसा अंग्रेजी में कहा है "never look a gift house in the mouth" जनता को इस दान के लिये वित्त मन्त्री को धन्यवाद देना होगा। मगर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सही दिशा में कदम नहीं उठा रही है। यदि यह १ लाख की ग्रान्ट शिक्षा विभाग के मातहत होती तो मैं समझता कि सरकार वोकेशनल एजूकेशन के ऊपर जोर देने के लिये इसको वहां रख रही है। इस इतनी बड़ी रकम रखने का अर्थ यह ही केवल है कि यह तो यह किसी क्वालीफिकेशन के मुताबिक लोगों में बांटा जायगा या कर्ज के रूप में या फिर ऐसे पैसे से कोई नये प्रोजेक्ट्स खोले जायेंगे। मगर मेरे विचार में यह समस्या का ठीक प्रकार से सामना करना न होगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया है कि सरकार जनता के लिये मौके उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। मैं पूछता हूं कि क्या आज योग्य पुरुष के लिये मौके की कोई कमी है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में जरूर कमी है। यह दुख की बात है कि आज एक योग्य पुरुष गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिये उतना उत्सुक नहीं है जितना पहिले था।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसका कारण जो भी हो इस समय उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मगर उसके जिक्र करने का मेरा मतलब यह था कि योग्यता में अधिक जोर डालना आवश्यक है बनिस्बत उसके कि जबरन या जबर्दस्ती लोगों के लिये मौका पैदा किया जाय। यदि इस सरकार की शिक्षा विभाग की नीति सफल होती है, यदि यह सरकार अपनी जनता को वोकेशनल में ट्रेन्ड करती है, दबरदस्ती नहीं बल्कि कम उम्र से स्कूल स्टेज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, तो मुझे विश्वास है कि जनता को काम की कमी न रहेगी और इस प्रकार अनइम्पलायमेंट की जो भयंकर समस्या हमारे सामने है, जो दिन प्रतिदिन भयंकर रूप से बढ़ रही है, वह दूर नहीं तो कम से कम हल्की की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के सम्बन्ध में, जो कुछ मैंने कहा, उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी के पास और मन्त्रीगण उनके पास पहुंचा देंगे, यह दुःख की बात है कि वह इस समय उपस्थित न हो सके। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में श्रमदान का भी जिक्र किया है। श्रमदान में मेरा पूर्णरूप से विश्वास है, केवल विश्वास ही नहीं, अध्यक्ष महोदय,

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

में तो यह साबित कर सकता हूं कि श्रमदान एक ऐसी प्रथा है, जो प्राचीन समय से आई है हां, इतना में अवश्य मानूंगा कि किसी काल में मैं इसको प्रभू सेवा कहा करता था। आज यह श्रमदान के नाम से प्रख्यात है। जो कुछ भी हो श्रमदान या प्रभू-सेवा में मेरा विश्वास है और जनता यह जानती है कि कि अपनी उन्नति के लिये उसको कोशिश और चेष्टा करनी पड़ेगी मगर मुझे यह कहने की जरूरत होगी कि मुझे तो दुःख है कि हमारी सरकार इस पर मेरा विचार, है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा रख रही है। अपने भाषण में माननीय वित्त मन्त्री जी ने स्पष्ट कह दिया है और न भी कहते लेकिन सबको ज्ञात है कि भारत वर्ष मुख्यतः एक खेतिहर देश है। यह भी सबको मालूम है कि किसान को १२ महीने में बहुत कम समय मिलता है, जिस समय उसे छुट्टी मिल सके, जिस समय वह अपने खेती बारी के काम को छोड़ सके।

मैं और जिलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता किन्तु इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले के बारे में, वहां की जनता के बारे में यह कह सकता हूं कि जब पिछले दिन हमारे उपमन्त्री श्री फूल सिंह वहां आये थे तो उन्होंने एक फ्लाइंग विजिट सा किया। सड़कों-सड़कों में जहां वह जा सकते थे गये और जो योजनायें वहां चल रही थीं उनका उन्होंने मुआयना किया। बहुत सी जगहों में काफी लोग एकत्रित हो गये थे मगर मुझे दुःख इस बात का है कि माननीय ठाकुर साहब जब वहां से लौटे तो वह अपने साथ यह विचार ले कर लौटे कि अब सरकार को अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में बस केवल इतना ही घोषित करना है कि फलां जगह में लोग एकत्रित हो जायं और वहां श्रमदान द्वारा फलां काम करें। इस सम्बन्ध में यह कहना भी असंगत न होगा कि मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि वहां दुर्भाग्यवश कभी कोई मन्त्री नहीं जाता था परन्तु अब टेहरी-गढ़वाल का भाग्य खुल गया है कि पिछले वर्ष में ३-३ उपमन्त्रियों ने वहां का दौरा किया। अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, श्री बलदेव सिंह आर्य वहां आये उनके पश्चात् उपमन्त्री नेगी साहब और सबसे पीछे ठाकुर फूल सिंह जी वहां पधारे। मुझे इस बात का दुःख होता है कि पहले तो वहां उप मन्त्रीगण जाने का कष्ट करते हैं क्योंकि उन जिलों में जाना सरल नहीं है, क्योंकि वहां जीप और रेल गाड़ियां तो जाती नही हैं। वहां कोई सड़क भी नहीं है बावजूद बराबर सरकार से प्रार्थना करने पर भी वहां कोई सड़क नहीं बनी। इसलिये इतना तो मैं मानता हूं कि वहां जाना, विशेषकर उन लोगों का जोकि पहाड़ के रहने वाले नहीं हैं, और देश भर में भ्रमण करना एक असंभव सी बात है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वहां के बारे में उनकी क्या राय है क्योंकि वहां से लौटने के बाद उन तीन मन्त्रियों में से किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है, कि वह माननीय मन्त्री महोदय जो वहां गये थे वे यहां आने के बाद यह कहेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के लोगों की ओर से कोई मांग नहीं है या यह कहेंगे कि यह जो बतलाते हैं, वह गलत है, असत्य है क्योंकि मैं वहां स्वयं होकर आया हूं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के बारे में क्या राय है। माननीय ठाकुर फूल सिंह जी ने जब मैंने जिक्र किया था तो उन्होंने कहा कि इस समय, समय की कमी के कारण वे एक लम्बा दौरा नहीं कर पाये तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में जब कभी उन्हें समय मिलेगा वह एक लम्बा दौरा उस जिले का करेंगे।

जैसा कि मैंने श्रमधन के सम्बन्ध में कहा हालांकि मैं इस दान के पक्ष में हूं फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर अधिक भरोसा रखना उचित न होगा। जनता अपनी ओर से सहायता देने के लिये हमेशा तैयार है लेकिन जनता यथा शक्ति ही सहायता दे सकती है विशेषकर जबकि जनता को अपनी खेती-बारी से समय न मिले या जबकि श्रमधन द्वारा उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है हालांकि वह श्रम टेक्नीकली अपने ही लिये वे कर रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से यह प्रार्थना होगी कि वह बुरा न माने यदि जनता किसी प्रकार से श्रमधन देने में असमर्थ हों। मैं अपनी ओर से, हालांकि मैं सदन के इस ओर से भाषण दे रहा हूं, सरकार को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम श्रमदान में सरकार की सहायता करने के लिये हमेशा तैयार हैं। जैसा मैंने बतलाया यह तो हमारे यहां

पहले से ही आ रहा था। हां, पहले यही प्रभू-सेवा के नाम से कहते थे और आज यह श्रमदान बन गया है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——प्रभू-सेवा क्या चीज है?

महाराज कुमार बालेन्दु शाह——अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर इस प्रश्न का उत्तर देना असंगत न होगा। कुछ अरसा पहले जबकि भारतवर्ष में जगह-जगह रियासतें होती थीं उस समय जनता और सरकार का सम्बन्ध न था किन्तु सरकार और प्रजा का भी सम्बन्ध माना जाता था। उस समय जिस प्रकार की आज की सरकार अपने आपको जनता की सरकार कहती है उसी प्रकार उस समय, जो देश के राजा होते थे उनको प्रजा अपना प्रभू मानती थी। तो यदि सरकार प्रभू-सेवा के नाम कुछ काम कराती तो उस समय की प्रजा उसको अपने प्रभू के लिये सेवा समझती थी।

एक सदस्य——वह बेगार होता था।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह——बेगार और इसमें अन्तर है। बेगार जो उस समय होता था वह आज भी पाया जाता है। बेगार प्रजा और राजा के बीच में नहीं, किन्तु सरकार या राजा और उसके अफसरों और जनता के बीच में होता था। जबकि सरकार का कोई कर्मचारी अपने लिये कुछ काम करावे, जिसके लिये उसको कोई अधिकार नहीं है, तो वह बेगार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी आगे बढ़कर पैसे की कमी की चर्चा करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया कि गवर्नमेंट खर्चा चलाने के लिये आम तौर पर तीन तरीके से रुपया हासिल कर सकती है। एक टैक्स की शकल में, दूसरे पब्लिक से कर्ज लेकर और तीसरे केन्द्रीय सरकार से कर्ज की शकल में इमदाद। आगे बढ़कर वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि खर्चे को घटाकर बचाने का भी तरीका है, जिससे कि आमदनी बढ़ायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार खर्चे को बचाकर आमदनी के नये जरिये निकाले जा सकते हैं उसी प्रकार सरकार को सरकार चलाने में बिजनेस के तौर पर कुछ हद तक चलना आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक हो सके सरकार को खर्चा प्रोडक्टिव परपज के लिये करना चाहिए। यहां पर मैं अपने विचार साफ तौर पर प्रकट करना चाहता हूं कि यह कहना गलत होगा कि क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्टिव परपज नहीं है, तो हमारे अपने कहने के अनुसार खर्च न किया जाय। एजूकेशन भी एक प्रोडक्टिव परपज है क्योंकि एजूकेशन भी एक रिच डिविडेन्स दे सकता है। देश में अगर अशान्ति फैलती है तो वह लैक आफ एजुकेशन के कारण ही फैलती है या उन्हें एजूकेशन् की दिशा में नहीं लगाया गया। उसके कारण अशान्ति फैलती है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि हालांकि उत्तर प्रदेश की आमदनी प्रति वर्ष बढ़ रही है फिर भी चन्द वर्षों से हमारे वित्त मन्त्री जी हमारे सामने डेफिसिट बजट ही पेश कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या है। खर्चा बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ी है मगर प्रश्न यह है कि कि खर्चा आमदनी से अधिक क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा। इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी का बैठाना आवश्यक है, किन्तु off hand में मैं यह कह सकता हूं कि एक कारण इस खर्चे को बढ़ाने में यह है कि हमारी सरकार बहुत सी स्कीम निकालती है और हमारी सरकार टैम्पोरेरी पोस्ट बहुत क्रियेट करती है। हालांकि यह टेम्पोरेरी पोस्ट कही जाती है किन्तु कुछ दिन बाद सरकार को इन टेम्पोरेरी पोस्टों पर भरोसा रखने की आदत पड़ जाती है तो फिर कुछ समय बाद वह परमानेंट बना दी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत ओवर हेड हो गया है। जो स्टाफ है चाहे जिलों में हो, चाहे लखनऊ में फिर भी इस सम्बन्ध में ओवर हेड बहुत है। इसमें कमी करने की गुंजाइश है और उस कमी को करने का केवल एक तरीका है और वह यह है जैसा कि राज नारायण जी ने कहा कि अब डिसेन्ट्रालाइजेशन लाया जाय। जब तक जिलों में जिम्मेदारी को न बांटा जायगा और जब तक यह कोशिश की जाती है कि लखनऊ में बैठकर टेहरी-गढ़वाल और दूसरे दूर दूर स्थानों का रिमोट कन्ट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शासन किया जाय तब तक न तो इस सम्बन्ध में खर्चा कम हो सकता है और न जिलों के अन्दर शान्ति

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

फैल सकती है। जैसा मैंने पिछली बार कहा और हर एक अवसर पर कहता आया हूं कि ज तक डिसेन्ट्रालाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर नहीं लाया जाता है तब तक जिलों में रहने वाली जनता कभी भी यह अनुभव नहीं कर सकती कि वह अपनी सरकार स्वयं है। जैसा कि ठाकुर फूल सिंह जी ने जब वह हमारे जिले में आये, कहा था और उनके यह शब्द हमेशा के लिय टेहरी-गढ़वाल के रहने वाले याद रखेंगे, उन्होंने कहा था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है किन्तु यह जो आजादी महात्मा गांधी जी की तपस्या से और दूसरे लोगों की तपस्या से देश ने प्राप्त की है और यह जो आजादी जनता के लिये प्राप्त की गई है वह एक प्रकार से ऊपर किसी दरख्त पर अटक गई है। अभी तक यह आजादी और स्वतन्त्रता जनता के पास नहीं पहुंच पाई है। इस स्वतन्त्रता की भावना को जनता के पास पहुंचना आवश्यक है। जब तक जनता यह नहीं जानेगी कि दरअसल यह सरकार उनकी है और वास्तव में जो भी वह नुकसान किसी चीज का करती है वह अपना नुकसान करती है तब तक जनता सचेत नहीं होगी। हमारा जिला जंगल के लिये प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में अब तो मैं अधिक न कहकर केवल इतना कहूंगा कि क्योंकि जनता यह नहीं जानती है बावजूद इसके की नेगी जी कहते हैं कि यह जंगल तुम्हारे हैं, क्योंकि जनता यह नहीं समझती कि वास्तव में जंगल उनके हैं इसका कारण जगह जगह और बार बार जनता जंगलों का नुकसान करती है। मैं मानता हूं कि एकाएक जिलों में डिसेंट्रलाईज करने से जिलों को अधिक अधिकार देने से, मैं समझता हूं कि उनमें अशान्ति बढ़ जायगी किन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह जानता हूं कि शायद हमारा मन्त्रिगण यह समझता है कि जनता अभी अपनी देखभाल करने के योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल मैं यही कहूंगा कि जो मैंने पहिले भी एक बार कहा था कि अंग्रेजी सलतनत अन्त समय तक हमको स्वतन्त्रता प्राप्त करने के काबिल नहीं समझती रही किन्तु आज जबकि स्वतन्त्रता कई साल से हमारे हाथों में आ चुकी है बावजूद माननीय राजनारायण जी के बिचार के फिर भी किसी न किसी प्रकार राज्य शासन चल ही रहा है। यह मैं फिर कहता हूं कि डिसेंन्ट्रालाइजेशन करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, अब अधिक न कह कर अन्त में मैं यही कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने, जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें अलग अलग दृष्टि से अगर देखें तो अवश्य गलतियां दिखलाई जा सकती हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इस बजट को एक आइडियल बजट समझता हूं। आइडियल बजट कहलाने के लिये सब से पहले क्वालिफेकशन यह होना चाहिए कि वह डिफिसिट बजट न हो। इसलिये मैं एतराज करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी यह तो न कहते कि उन्होंने हमारे सामने यह एक आइडियल बजट रखा है। इतना जरूर कहूंगा कि जो मैंने कुछ समय पहले कहा था कि बजट बनाते समय सरकार इस बात पर काफी ध्यान नहीं देती कि आमदनी कहां से कितनी आती है और वहां कितना पैसा खर्च किया जाता है। यहां पर इस समय खासकर हर एक सदस्य अपना यह कर्त्तव्य समझता है कि वह अपने जिले के लिये खींचातानी करे, हालांकि इस समय उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मैं भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि पहाड़ी जिलों के लिये और विशेषकर गढ़वाल के लिये इसमें मैं दोनों गढ़वालों को शामिल करता हूं कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। इसका एक कारण शायद यह हो सकता है कि चूंकि पहाड़ों से आमदनी का जरिया विशेषकर जंगलात है और क्योंकि इस साल जंगलात की आमदनी कम हुई इसलिये शायद सरकार ने सजा के रूप में पहाड़ी जिलों की ओर घृणा की दृष्टि दिखलाई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बात को कभी याद में नहीं रखा जाता है कि जिलों को केन्द्र से कम्युनिकेशन और ट्रान्स्पोर्ट के लिये रेल मिलती है और पहाड़ के जिलों में इस रूप में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती है। मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था और उस समय भी मैंने प्रार्थना की थी कि जब अगले वर्ष का बजट बनाया जाय सरकार इस बात पर ध्यान दे और पहाड़ी जिलों को जो कि पिछड़े हैं, जहां यातायात के साधन पिछड़े हैं वहां पर क्योंकि रेलों का प्रबन्ध नहीं हो सकता इसलिये वहां की सड़कों के लिये अधिक पैसा

हैं। मैं दुःख के साथ कहता हूं कि इस बजट में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो जो योजनायें जनता के सामने रखी हैं, उनको सफल करना हर एक का कर्त्तव्य है। सरकार का यह उम्मीद करना कि यदि एक किनारे के जिले को किसी कर्त्तव्य या योजना से लाभ पहुंच रहा हो तो उस लाभ का फल कितना ही इन्डायरेक्ट क्यों न हो, एक दूसरे कोने के जिले को भी पहुंचेगा। यह एक बहुत उच्च सिद्धांत है और इस सिद्धांत का पालन अभी की अशिक्षित जनता नहीं कर पायेगी। यह आवश्यक है कि सरकार हर एक जिले और प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करे। यह आवश्यक है कि सरकार देश को प्रोडक्टिव बनाये। यह मैं मानता हूं, किन्तु प्रोडक्टिव बनाने के दो तरीके हैं। एक बड़े बड़े कारोबार खोलना, दूसरे यह कि इन्डिविजुवल को प्रोडक्टिव बनाया जाय। इंडिविजुवल को प्रोडक्टिव अगर बनाया जाता है तो . . .

श्री रामनरेश शुक्ल--आबादी बढ़ेगी।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--इस सम्बध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ अर्से पहले भी यह कहा था। हालांकि मुझे खद्दर पहिनने का अवसर अभी तक नहीं मिला, फिर भी मैं यह कहूंगा . . .

कुछ सदस्य--दाम घट गया, अवश्य पहिनिये।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--दाम घटा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हालांकि मेरा इस विषय पर बोलना एक प्रकार की गुस्ताखी होगी, फिर भी जहां तक मैं समझ पाया चरखे के आन्दोलन का महत्व यह था कि हर एक पुरुष अपनी जरूरत की पूर्ति स्वयं करे। यदि हर एक पुरुष अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करता है, तो फलस्वरूप देश अपनी पूर्ति कर सकता है, इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार जनता को मौका दे कि वह अपनी पूर्ति करने के लिये प्रयास करे। इसलिये मेरा चरखे का जिक्र करने का तात्पर्य यह था कि सरकार को नीचे जनता में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना आवश्यक है।

सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि वह इस भ्रम में न रहें कि वह, क्योंकि उनको यहां जनता ने सरकार बनाकर भेजा सो वे अब भी सरकार के उतने ही सम्पर्क में हैं और जनता का सम्पर्क सरकार से वैसा ही बना हुआ है। मैं अपने जिले के बारे में कह रहा हूं और जगह भले ही दूसरी परिस्थिति हो। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि मनुष्य एक मकड़े के समान है। पहले उसकी दो टांग, फिर कुछ उन्नति प्राप्त करने के बाद कुर्सी मिलती है तो ४ टांग हो जाती हैं। फिर कुछ उन्नति करने के पश्चात् मेज सामने आ जाती है, आठ टांगें हो जाती हैं। फिर उसी मकड़े के समान वह अपने चारों ओर जाल फेर कर उसी केन्द्र में बैठा रहता है। यह आवश्यक है कि सरकार जनता की मांग हमेशा और सही चैनेल्स से अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करे। यह मेरा अनुभव है अध्यक्ष महोदय, यदि हम सरकार के पास जनता की कोई मांग पहुंचाते हैं तो उस मांग पर ध्यान दिया नहीं जाता, किन्तु जिस मांग को हम सरकार के पास पहुंचाते हैं उस मांग की जांच सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा कराती है, उसी कर्मचारी के द्वारा जिसके खिलाफ की हमने आवाज जनता की ओर से उठाई। जनता सरकार की है। सरकार का फर्ज है कि वह जनता की आवाज सुने, जनता की आवाज सीधे सुने यह नहीं कि वह अपने किसी कर्मचारी के द्वारा कर्मचारी के नोटिंग द्वारा उस पर विचार करे।

श्री शिव नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष--आप समय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वह कल निश्चित किया जायगा। आज समय समाप्त हो रहा है। मैं कल तय कर दूंगा।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट इस समय सदन के सामने पेश किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं पिछले कई सालों में कई तरह के बजट देख चुका हूं। मुझे यह

[श्री राधामोहन सिंह]

कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह एक वास्तव में कल्याणकारी राज्य का बजट है और हमारे राज्य को बहुत आगे ले जाने वाला है। मैंने विरोधी पक्ष के नेता माननीय राज नारायण जी के लम्बे चौड़े, तीन घंटे के भाषण को बड़े गौर से सुना। मैं सोच रहा था कि वैसे जो वे अपनी बातों को दोहराया करते हैं उससे कुछ भिन्न बातें आज सदन में रखेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई कि वही कहानी जो रोज सुना करते थे, इस तीन घंटे के लम्बे भाषण में वही बातें सुनने को मिलीं? मैं तो समझ रहा था कि आज इस बजट के भाषण के सम्बन्ध में कई नयी नयी बातें वित्त मन्त्री महोदय ने कही हैं, कई आंकड़े पेश किये गये हैं, जिनके ऊपर मैं इस समय नहीं जाना चाहता, मैं आपसे यह प्रगट करना चाहता हूं कि यह बजट वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का बजट है और वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के जरिये से बहुत विस्तारपूर्वक इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इस राज्य की गत कई सालों में कई बड़ी बड़ी रकमें जनता की भलाई के लिये खर्च की गई है और यह कल्याणकारी राज्य के अलावा और क्या हो सकता है। बजट के आंकड़ों के देखने से हमें पता चलता है कि गत वर्ष में वहां ६३ करोड़ रुपये का खर्चा था वह इस साल में ७८ करोड़ हो गया है। एक वर्ष के अन्दर में इतना बड़ा कदम शायद ही कहीं देखने को मिले और सबसे बड़ा भाग ७८ करोड़ रुपये के अन्दर २६ करोड़ रुपया विकास की मदों में खर्च किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी रकम है और कम से कम एक तिहाई हिस्सा ऐसा है जो विकास के लिये हम खर्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मित्र विरोधी पक्ष के नेता ने बतलाया कि वे आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने आंकड़ों को गलत बताया। आंकड़े गलत हो सकते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि उन्हीं गलत आंकड़ों को हमारी सरकार का विरोध करने के लिये उन्होंने स्वयं पेश किया। तो यह तो उसी तरह है जिस तरह कि कोई वकील न्याय लेने जाय और इस बात को कहे कि हमारे गवाह तो झूठे हैं लेकिन उन्हीं गवाहों के आधार पर मुकदमे को जीतने की कोशिश करे। इसी तरह उनके भाषण में मैंने देखा कि जिन आंकड़ों को वह नहीं मानते हैं उन्हीं आंकड़ों को हमारे विरोध में पेश करना चाहते हैं। यह तो ऐसे ही है जैसे कि एक साहब को नाला पार करना था उन्होंने झट नाले की गहराई अपना पैमाना माना और उसका औसत निकाल दिया और मालूम हुआ कि उसकी गहराई केवल चार फुट होती है। उन्होंने उसको पार करने का प्रयत्न किया और वही हाल हुआ, जो ऐसे व्यक्तियों का हुआ करता है। आंकड़े सही हों या गलत हों लेकिन आंकड़ों के प्रयोग करने का एक तरीका होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि जब १२ करोड़ का हमारा बजट था तब १.८ खर्च होता था और आज जब ७८ करोड़ का बजट है तो हमारा वह अनुपात नहीं आता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन आंकड़ों की गैंदरिंग का चार्ज हमारे ऊपर लादा है। अगर यह मान लिया जाय कि जो ७२ करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, वह जो इन मदों में हम खर्च करते थे वही आज भी की गयी है तो हमको नयी नयी मदों के लिये और नये नये कामों के लिये कहां से रुपया आयेगा, वह असम्भव सी बात है और जब हम एक प्रगतिशील राज्य कायम करना चाहते हैं तो हमें अपने यहां के खाने की समस्या को हल करना है। इसलिये हम पहले के ६ वर्ष के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। यह सही है कि जितने आंकड़े हमारे पास हैं वह गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि जब हमारे माननीय मित्र ने पूछा कि वास्तविक आंकड़े क्या थे जबकि सन् १९४६ में हम इस मद में दो करोड़ रुपया खर्च करते थे आज उसी पर हम ११ करोड़ खर्च कर रहे हैं तो हमने आंकड़े जरूर बढ़ाये लेकिन अनुपात कम करना मुश्किल था क्योंकि मैंने देखा कि कई वर्षों से हमारे यहां खाने की परेशानी है इसलिये हमें उसके लिये रुपया दे देना पड़ा और हमने इस बात को निश्चित किया कि अन्य योजनाओं के अतिरिक्त हम इस पर रुपया खर्च करेंगे और अपने खाने के लिये हमें स्वावलम्बी होना है। उन लोगों के लिये जो कि अभावग्रस्त हैं उनके लिये ऐसी शक्ल पैदा करें कि उनका अभाव दूर हो। तब तो हमारे लिये उन मदों में खर्चा न करके इस मद में बढ़ाना पड़ा लेकिन हमारे विरोधी नेता दल ने ऐसे तरीके से और ऐसे ढंग से प्रयोग किया है लेकिन मैं आपको बतलाता हूं

कि अगर कोई अन्य आंकड़ों को देखे तो उसे पता चलेगा कि कि सन् ४६ और ५२ के आंकड़ों में कितना फर्क है।

सन् १९४३ में हम खाने के मोहताज थे, कपड़े के मोहताज थे मगर आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गये हैं कि कन्ट्रोल को हम तोड़ने जा रहे हैं। क्या आज जनता में संतोष नहीं है। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य कायम किया है। मैं विनम्र यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने इस लम्बे भाषण में कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कल्याणकारी राज्य बनाया है, उन्होंने कहा कि हम रास्ते पर हैं और वह समय आयेगा जल्द से जल्द कि हम कल्याण कारी राज्य का रूप धारण कर लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने के बाद अगर मैं यह दावा करूं कि हम कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर आ गाये हैं तो क्या यह ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बजट के अन्दर हम २६ करोड़ खर्च कर रहे ह विकास के कामों के लिये और एक तिहाई हम दूसरे डेवेलपमेंट के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं और जो हमारे खर्चे पहिले के हैं वह हैं ही मैं समझता हूं कि यह फीगर ऐसी नहीं है, जिसको हम आसानी से टाल सकते हैं बल्कि यह फीगर ऐसी है, जो इस बात की स्पष्ट सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरफ से चल रही है और क्या करना चाहती है। इसके अलावा १४ करोड ३७ लाख कि वह रकम भी है, जो हम खर्च करने जा रहे हैं। श्री बालेन्दु शाह जी ने कहा है कि हमें ऐसी मदों पर खर्च करना चाहिए, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। अगर यह बजट देखने की कोशिश करे तो उन्हें मालूम होगा कि हमने एक बहुत बड़ी रकम इस तरह से खर्च की है। इसी तरह से मुझे आश्चर्य है कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने यह बतलाया कि यह बजह ऐसा है जो कि गरीब जनता की कमर तोड़ने वाला है।

अगर सन् १९५२-५३ के बजट से जनता की कमर नहीं टूटी तो इस बजट से कैसे टूट सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो हम इतना बड़ा खर्चा करते जा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा गरीबों के लिये खर्च होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें दिखाई पड़ी वह माननीय वित्त मन्त्री जी का वह स्लोगन है, जिसमें उन्होंने कहा है इस बजट में कि नाऊ आर नेवर। उन्होंने रखा है कि हमको आज और अभी करना है वरना कभी नहीं होगा। आज हम अपने राज्य के विकास के मामले में एक नाजुक जगह पर पहुंचे हुए हैं। हमारी राज्य सरकार के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें आईं और सबको मालूम है कि हमारी सरकार ने उन्हें किस खूबी के साथ हल किया। ला ऐन्ड आर्डर की समस्या को सब जानते हैं कि उसने हमारी सरकार का कितना समय लिया। लेकिन फिर भी उसने उसको अच्छी तरह से हल किया। जो वादे हमने पहिले किये थे उन्हें पूरा करना है। मेरी समझ में तो यही बात आई कि सरकार की पालिसी यही है कि अगर हमको करना है तो निश्चयता के साथ करना है वरना हट जाना है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कदम देश के निर्माण के लिये उठाये गये हैं उनका सदन को स्वागत करना चाहिए और पूरा पूरा सहयोग देना चाहिऐं। इसी से देश की उन्नति होगी अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर हमने देखा कि जो तरीका हम अपना रहे हैं जनता की सेवा केलिये और जिनके जरिये से हम आगे बढ़ना चाहते हैं उनका जनताने स्वागत किया है और वह जनता को स्वीकार है। मैं आपसे स्पष्ट कबूल करना चाहता हूं कि हम लोगों के मन में भी बहुत दुविधा थी कि आया यह रिपब्लिक डे का काम कामयाब होगा या नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि आशातीत लक्षण हमें उसमें दिखाई पड़े। जहां हम आशा करते थे कि शायद सौ या २ सौ भी लोग नहीं आवेंगे वहां आपने भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग वहां आये और काम किया। उसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग आये और फड़ुवा उठाया और मिट्टी खोदी और डाली। यही नहीं हुआ कि लोग दिखावट के लिये आये हों। मैंने अपने जिले में दौरा किया और देखा कि हर गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है। यह सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि जनता का सहयोग हमको अवश्य प्राप्त होगा। हमारे भाई नारे लगाते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब नारों का समय बीत चुका है। अब काम करने का समय है। हमारी सरकार ने बन्दियों से काम लिया। यह नहीं है कि जेल में रहना

[श्री राधामोहन सिंह]

अभिशाप है। इस सुझाई के लिये और उनके सहयोग के लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और राष्ट्र की सेवा करने के लिये लग सकता है एक बहुत बड़ी बात देखने में आयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कर इस बजट में बढ़ाया नहीं गया है। इसके लिये माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने बताया कि जो सैल्स टैक्स बढ़ रहा है या जो नहरों का रेट बढ़ रहा है यह जनता को खलेगा। यह मैं जानने को उत्सुक हूंगा कि कौन सा तरीका होगा कि जनता के लाभ के लिये कार्य किया जाय और जनता पर उसका भार न पड़े। अगर आपको कोई नुस्खा मालूम हो तो हो लेकिन आपने उसका कोई जिक्र अपने लम्बे भाषण में नहीं किया, अपने मन में रखे हों तो बात दूसरी है। लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया में जिन सरकारों ने जनता के लाभ के लिये कार्य किया है उनके लिये जनता पर भार डालना स्वाभाविक हो हुआ है और जनता पर निर्भर रहना ही पड़ता है। कितना भार जनता पर पड़े और किस तरह से पड़े यह तो भिन्न बात है लेकिन अगर कोई कदम उठाया जायगा तो उसका भार जनता पर पड़ेगा, इसको एवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि जनता पर अधिक कर का बोझ नहीं लदना चाहिए। जो नहरों के पानी के रेट को बढ़ाया गया है उसमें कोई बेजा बात नहीं की गई है क्योंकि जो जमीन आबपाशी के अन्दर है और जो नहीं है उसमें काफी अन्तर देख पड़ता है। तो जो उससे लाभ उठाते हैं उन्हीं को उसको देना होगा। इसके अतिरिक्त जब वह पहले पहल लगाया गया था उस समय गल्ले का भाव कम था और अब गल्ले का रेट बढ़ा है और उसके कारण उन्होंने अब धन भी ज्यादा पैदा किया है इसलिये अगर कुछ बोझ उनपर बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात नहीं है।

जहां हमने इतनी खूबियां बताई हैं वहां हम दो एक बातें ऐसी निवेदन करना चाहते हैं और सरकार से चाहते हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे ताकि गलती न होने पावे। इस बजट में एक रकम १० लाख की बेकारी को खत्म करने के लिये है और दूसरी एक लाख रुपये की रकम महिलाओं के लिये रखी गयी है। लेकिन हमको सरकार को चेतावनी देनी है कि पहले भी कई बार रकमें रखी गयी हैं। लेकिन भाषण में या बजट में यह नहीं बताया गया था कि यह रुपया किस प्रकार खर्च किया जायगा और वह रुपया बाद को लैप्स हो गया, खर्च नहीं हुआ। मुझे याद है कि १ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने हाउसिंग के लिये रखा था, ५० लाख रुपया अरबन हाउसिंग के लिये और ५० लाख रुपया रूरल हाउसिंग के लिये लेकिन बजट में तो रुपया रख दिया गया। कोई स्कीम नहीं बताई गई कि किस प्रकार कहां पर खर्च होगा और उसका नतीजा यह हुआ कि वह रुपया खर्च में नहीं आया और लैप्स हो गया। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब कोई अर्थ की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिये कोई न कोई योजना भी रखनी चाहिए और अगर कोई योजना रखी गयी होती तो हमको इस बात के लिये अवसर मिलता कि हम उस योजना पर अपनी राय दें। खाने का समस्या के बाद अगर कोई दूसरी समस्या जो नवयुवकों को परेशान किये हुए है तो वह बेकारी की समस्या है और जैसा कि माननीय बालेन्दु शाह जी ने कहा कि शिक्षित लोगों के अन्दर यह समस्या बहुत बढ़ गयी है। अगर सरकार कोई योजना इस ओर लावे और इस तरफ कदम उठावे तो राज्य भर में उसका स्वागत किया जायेगा। अगर योजना न बनी हो तो जल्दी से जल्दी बनाई जाये और इस रकम का सदुपयोग हो सके।

एक लाख जो गिरी हुई औरतों के लिये रखा गया है वह भी सामयिक चीज है। औरतों की उन्नति के लिये कुछ भी ख्याल नहीं किया गया था। अब सरकार का ध्यान उस ओर गया है। इसके लिये वह अवश्य बधाई की पात्र है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता के लम्बे भाषण का मैंने जिक्र किया। मैं उनकी किसी बात से सहमत न होता हुआ भी एक बात से सहमत हूं और वह है ऊंची तनख्वाहों को कम करने की। माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल सही है कि ऊंची तनख्वाह को कम करके कोई बड़ी रकम नहीं मिल सकती लेकिन ऊंची तनख्वाहों को कम करने के पक्ष में हम इसलिये नहीं हैं कि कोई

बहुत बड़ी रकम मिल जायगी बल्कि हम तो यह समझते हैं कि इसका एक साइकालोजिकल एफेक्ट होगा। जब हम पटवारियों से कहते हैं कि तुम उसी तनख्वाह में काम करो और हमारी मजबूरियां हैं और हम तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है लेकिन हमारी मजबूरियां हैं और तुम्हारी तनख्वाहों को हम बढ़ा नहीं सकते। ऐसी मदें खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां हम यह कहते हैं और देखते हैं कि हमारे बहुत से कर्मचारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और ऐश आराम से रहते हैं तो वह गरीब छोटी छोटी तनख्वाह वाले यह कहते हैं कि क्या हम अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से नहीं बिता सकते हैं, क्या हमें इसका हक नहीं है। ऐसी हालत में हमें क्या हक है कि हम उनसे कहें कि तुम राष्ट्र के लिये कुरबानी करो। हम यह जब ही कह सकते हैं जब कि बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह को कम करें और उनसे कहें कि हम राष्ट्र के लिये आप लोगों की कुरबानी चाहते हैं। कुरबानी तो सब से लेनी चाहिये। यह नहीं कि केवल गरीबों से ही कुरबानी लें बल्कि बड़े बड़े आदमियों से भी कुरबानी लेनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ सोचे कि ऊंची तनख्वाहें इसलिये कम न की जायं कि उनसे बड़ी रकम मिलेगी बल्कि इसलिये की जायं कि जनता पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। आजकल जो लोग यह सोचते हैं कि बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले लोग आराम से रहते हैं और गरीब लोग परेशानी में रहते हैं यह चीज लोगों के दिमाग से निकल जाय इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस पर गौर करे और अगर मुमकिन हो तो अगले साल जरूर तनख्वाहें कम करे।

एक दूसरी बात जो मुझे बहुत खटकी वह आबकारी के संबंध में है। हमारी सरकार इस बात के लिये मजबूर है कि वह मद्यनिषेध करे और उसे करना भी चाहिये और कुछ वर्षों में उसने काफी उन्नति की है, लेकिन इधर दो साल से इसकी उन्नति रुक गयी है। जिस तरीके से और कामों को पूरा कर रहे हैं वैसे ही दृढ़ता के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार तय करे कि इस मद्य निषेध की आय को छोड़ कर हमें आगे बढ़ना है। महात्मा जी के उद्देश्य को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं क्यों कि कांग्रेस में हर एक व्यक्ति समझता है कि जो आय आबकारी से होती है उसके जरिये से हम आगे नहीं बढ़ जायेंगे। हमें अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से आगे बढ़ना है। हमें गरीबों की कमाई से अपने देश की तरक्की करना है। उन लोगों की आय से नहीं जो गुमराह हो गये हैं; उनके पैसे से हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसलिये हमें आज निश्चय करना चाहिये कि अपने राष्ट्र के निर्माण कार्य को इस आबकारी की आय को खत्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के संबंध में सरकार का जो ध्यान गया है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। पूर्वी जिलों की सच्ची उन्नति रिहन्द डैम से ही होगी। पार साल इसके लिये १० लाख रुपया रखा गया था। लेकिन हमारी आशंका के अनुसार वह रकम खत्म कर दी गयी। लेकिन इस बजट में यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने पंच वर्षीय योजना में इसे ले लिया है। मैं इस नीति की भर्त्सना तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह पूर्वी जिलों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी पूर्वी जिलों की उन्नति इसी रिहन्द डैम पर निर्भर है। आज ७-८ वर्ष से हम लोग रिहन्दडैम का नाम लेते आये हैं और हम देहात जहां जहां भी गये वहां हमने जनता से कहा कि अगर यह हमारी रिहन्द डैम की योजना पूरी हो जायगी तो काया पलट हो जायगी। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस स्कीम में कोई उन्नति नहीं की है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय और इसकी तरफ दृढ़ता के साथ कदम उठाया जाय।

इसके बाद मैं दो शब्द माननीय नेता विरोधी पक्ष के भाषण के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। आपने अपने भाषण में सरकार से न्याय की मांग की है। आपने यह बतलाया कि न्याय नहीं हो रहा है और . . .

श्री अध्यक्ष--अब तो समय करीब करीब खत्म हो रहा है। अब आप कल अपना भाषण जारी रखिए।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२३ फरवरी, १९५३।

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

KEY VILLAGE CENTRES IN UTTAR PRADESH 1952-53

75 : 25 basis

1. Allahabad Agricultural Institute, Naini, Allahabad.
2. Balwant Rajput College, Agra.
3. Banaras University Dairy, Banaras.
4. Shri Kanpur Gaushala Society, Bhaunti, District Kanpur.
5. Shri Gaushala, Ferozabad, District Agra.
6. Shri Gaushala, Jaunpur.
7. Bakshi-Ka-Talab, District Lucknow.

50 : 50 basis

8. Colonisation Dairy Farm, Hastinapur, District Meerut.
9. (a) Central Dairy Farm, Aligarh.
   (b) Civil Veterinary Hospital, Aligarh.
10. Civil Veterinary Hospital, Kanpur.
11. Civil Veterinary Hospital, Rae Bareli.
12. (a) Mechanised State Farm, Saidpur, District Jhansi.
    (b) Civil Veterinary Hospital, Orai, District Jalaun.
13. Mechanised State Farm, Niblet, District Bara Banki.
14. Mechanised State Farm, Nilgaon, District Sitapur.
15. (a) Mechanised State Farm Manjhra, District Lakhimpur-Kheri.
    (b) Civil Veterinary Hospital, Sitapur.
16. (a) Mechanised State Farm, Hempur, District Naini Tal.
    (b) Civil Veterinary Hospital, Haldwani, District Naini Tal.
17. Colonisation Dairy Farm, Nagla, District Naini Tal.
18. Mechanised State Farm, Arazi Lines, District Banaras.
19. Bhadri Estate Farm, Bainti, District Pratapgarh.
20. Civil Veterinary Hospital, Basti.
21. Civil Veterinary Hospital, Sultanpur.
22. (a) Civil Veterinary Hospital, Meerut.
    (b) Civil Veterinary Hospital, Ghaziabad, district Meerut.
23. (a) Civil Veterinary Hospital, Deoria.
    (b) Sub-centre at Barhaj, District Deoria.
24. Civil Veterinary Hospital, Ghazipur.
25. (a) Civil Veterinary Hospital, Mahewa, District Etawah.
    (b) Development Block, Auraiya, District Etawah.
26. Mechanised State Farm, Madhurikund, District Mathura.
27. (a) Mechanised State Farm, Bharari, District Jhansi.
    (b) Civil Veterinary Hospital, Jhansi.
28. Mechanised State Farm, Babugarh, District Meerut.
29. Government Dairy Farm, Bhadruk, Lucknow.
30. Key Village Scheme, Chatta, District Mathura.

इस प्रणाली के आरम्भ करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--

(अ) उत्तर प्रदेश में दुधारू जानवरों की संख्या १०,०२२.६६३ हैं जिनके लिये प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराने के लिये प्रति १०० जानवरों पर एक सांड़ के हिसाब से १,०२,२२७ सांड़ों की आवश्यकता है परन्तु विभाग द्वारा वितरण किये हुए केवल ५,६२० ही उत्तम नस्ल के सांड हैं।

उपर्युक्त संख्या में अच्छी नस्ल के सांड मिल नहीं सकते। कृत्रिम गर्भाधान से उपलब्ध सांडों से प्राकृतिक ढंग के बनिस्बत ४ से १० गुना गायें गर्भित की जा सकती हैं। इस प्रकार यदि कृत्रिम ढंग का पूरा उपयोग किया जाय तो एक सांड कम से कम ४ सांडों का काम कर सकता है।

(ब) प्राकृतिक गर्भाधान में सांडों द्वारा जो जननेन्द्रिय के रोग गायों में हो जाते थे वह नहीं हो सकते हैं।

(स) गायों के समय समय पर निरीक्षण करने से उनके जननेन्द्रिय के रोगों की शीघ्र ही पहिचान तथा उपचार हो जाता है।

(द) गर्म (heated) गायों को सांडों तक ले जाने में या सांडों को गर्म गायों तक ले जाने में प्रायः बहुत समय लग जाता है और कठिनाई भी होती है परन्तु इस प्रणाली से कार्य करने के लिये उत्तम उत्तम सांडों का वीर्य एक स्थान से दूसरे स्थान को हवाई जहाज या मोटर द्वारा सुगमता से तथा अति शीघ्र ले जाया जा सकता है।

(य) वीर्य का सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा नित्य निरीक्षण करते रहने के कारण सांड की उपयोगिता तथा गर्भित करने की शक्ति का अनुभव हुआ करता है।

पी० एस० यू० पी०--९९ एल० ए०--१९५३--८३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डे, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्र हास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
लल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डे, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ व चम्पावत (जिला अल्मोड़ा) में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

*१--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिठौरागढ़ व चम्पावत निर्वाचन क्षेत्रों (जिला अल्मोड़ा) में भी कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है ?

निर्माण उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां।

*२--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वे निर्माण कार्य क्या क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--टनकपुर-पिठौरागढ़ सड़क के जो हिस्से इन क्षेत्रों से जाते हैं उनको जिन मीलों में मिट्टी मुलायम थी पक्का करना और पुलों तथा पुलियों का निर्माण कार्य किया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के अतिरिक्त उद्योग-धंधे, उद्यान बनाने तथा कृषि की अन्य विकास की कौन-कौन योजनायें इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस इलाके के लिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जितना उसका सम्बन्ध उस विभाग से था वह मैंने बता दिया और दूसरे विभागों की जानकारी दूसरे विभागों के पास होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--इस सड़क के पक्की किये जाने के विषय में कौन कौन से पुल हैं जो बनाये जायेंगे ? तथा हर साल कितनी सड़क पक्की बनाई जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें चल्थी के पास पुल का निर्माण होगा जो चम्पावत सड़क में पड़ता है। सूर्ज नदी के घाट के पास भी निर्माण होगा और छोटी छोटी पुलियां बनायी जायेंगी। टनकपुर के मील ४३ से लेकर उसको पक्की करने का प्रोग्राम है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या यह सही है कि इन पुलों के लिये पिछले साल के बजट में रुपया मन्जूर हो चुका था ? लेकिन वह बजट लैप्स हो गया और पुल नहीं बनाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, यह सही है।

*३--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--[१९ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग द्वारा बनाये गये चलचित्र

*४--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग में मार्च, सन् १९५१ से लेकर अब तक कितनी फिल्म बनी हैं और उन पर क्या लागत आई ?

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--सूचना विभाग में मार्च, १९५१ से लेकर अब तक केवल 'प्रगतिशील उत्तर प्रदेश' नामक एक चल चित्र बनाया गया है जिसकी लागत २१, १६७ रुपये है।

*५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह फिल्म्स सूचना विभाग के स्टूडियो में तैयार की गयी थी ? यदि नहीं, तो किस स्थान पर और किस किस के द्वारा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। सूचना विभाग में कोई चलचित्र निर्माण हेतु स्टूडियो नहीं है। फिल्म की शूटिंग इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में विभागीय अधिकारियों के निर्देश में हुई थी और उसके निर्माता श्री आर० एल० शोरे, शोरे कम्पनी, नेशनल हाउस, ६, टूलाच रोड, अपोलो बन्दर, बम्बई थे।

श्री भगवान सहाय--क्या मैं जान सकता हूं कि शोरे ब्रादर्स को जब २१,००० रुपये में ठेका दिया गया था तो क्या उसके टेन्डर्स काल किये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, उस समय टेन्डर काल नहीं हुए थे, क्योंकि समय बहुत कम था और फिल्म का काम शुरू कर दिया गया था और यही शोरे ब्रादर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया और पन्जाब गवर्नमेंट के फिल्म भी बनाते हैं। इस मामले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से राय ली गई थी। उन्होंने कहा कि उनको आप दे दें, उन्होंने इसको मन्जूर किया था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितनी लागत के चलचित्र खरीदे गये और कितने खरीदे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बनने में तो २१,१६७ रुपया दिया गया और उनसे जो ली गई वह इस प्रकार ली गई कि ५ प्रतियां ३५० की दर से ३५ एम० एम० की और १६ एम० एम० की २५ कापियां उसी दर से ली गयीं और कुल १०,५०० रुपये का भुगतान किया गया।

श्री नेकराम शर्मा--क्या इसके अलावा और भी चलचित्र खरीदे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या शोरे ब्रादर्स को इसका आर्डर देने से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो डाक्यूमेंट्री फिल्म का स्टूडियो है उससे जांच कर ली गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई स्टूडियो लखनऊ में है ऐसी कोई सूचना नहीं है, हां, उनसे कहा गया जो दिल्ली से बनाते हैं लेकिन उनके पास काम बहुत ज्यादा था।

*६-७--श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ ६७-६८ पर]

बुढ़ाना-कैराना तथा कांधला-ईसापुर सड़कों का निर्माण

*८--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बुढ़ाना से कांधला होकर कैराना तक और कांधला से गंगेरू होकर ईसापुर तक इस वर्ष पक्की सड़कें बनवाने का प्रबन्ध करेगी ?

--श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। यह सड़कें पंचवर्षीय योजना में नहीं हैं और जब तक उस योजना के अन्तर्गत कार्य पूरे न हो जायं, कोई नया काम लेना संभव न होगा।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कोई प्रबन्ध कर सकती है कि जिससे बुढ़ाना-कांधला पक्की सड़क बन जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पर विचार किया जायगा जब दूसरा प्रोग्राम बनेगा।

*९—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर-बागपत सड़क कब तक पक्की बना दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निर्माण कार्यों का पूरा होना आगामी वर्षों में उपलब्ध होने वाली निधि पर निर्भर है।

जिला मुजफ्फरनगर में नल-कूपों की संख्या

*१०—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में १९५०-५१ ई० में कितने ट्यूबवेल बनवाये गये ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)—जिला मुजफ्फरनगर में सन् १९५०-५१ में ४ नलकूप बनवाये गये।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चार नलकूप मुजफ्फरनगर में कहां कहां बनाये गये ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। स्थान का नाम यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको पीछे बता दूंगा।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय सूचना मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४ नलकूपों में कितना व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कितना व्यय हुआ है यह ठीक-ठीक रकम तो इस वक्त नहीं बतलायी जा सकती है। अन्दाजन जो व्यय होता है उसकी जानकारी तो माननीय सदस्य को भी होगी। यहां ट्रांसमिशन लाइन को छोड़कर एक नलकूप पर ४० हजार रुपया बैठता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी कोई नलकूप बनाने का विचार है ?

श्री राम मूर्ति—६ नलकूप बनने वाले थे जिनमें ४ बन गये हैं और २ इस साल कम्पलीट हो जायेंगे।

नहर जमुना के मुजफ्फरनगर डिवीजन में अतिरिक्त अमला

*११—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करगी कि नहर जमुना के मुजफ्फरनगर डिवीजन में बार बंदियों के लिये कुछ काल से अतिरिक्त अमला (Extra staff) रखा गया है ? यदि हां, तो इस Extra staff की वजह से कितना खर्चा और बढ़ गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस Extra staff की वजह से करीब २७,००० रुपया सालाना खर्चा और बढ़ गया है।

*१२—श्री बलवन्त सिंह—क्या बारबंदी करने के लिये इस नहर के किसी और डिवीजन पर भी (Extra staff) रखा गया है ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो पहले का स्टाफ बारबन्दी के लिये रखा गया है उस पर क्या सालाना खर्चा आता था ?

श्री राममूर्ति--जो पहले बारबन्दी का काम हुआ करता था वह पूरे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे उन्हीं के जरिये हुआ करता था। इस बार यमुना-कैनाल के एक डिवीजन जिसका इसमें जिक्र किया गया है, वहां पर और ज्यादा काम हो गया था जिसकी वजह से वहां पर यह एक्स्ट्रा स्टाफ रखा गया है। उसकी वजह से हमारे यहां यह खर्च बढ़ गया है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना काम और अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह नया स्टाफ रखा गया है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं। जो आपको जवाब दिया गया है वह काफी है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब इतना नजदीक साल के अन्दर चकबन्दी होने वाली है तो फिर यह ओसरेबन्दी इस वक्त क्यों की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उस क्षेत्र से ओसरेबन्दी की बहुत गहरी मांग है। वहां करीब ३,३०० के ऊपर कुलावे हैं। कुछ बार बन्दियां ऐसी हैं जिनमें बीस-बीस वर्ष से कोई विचार नहीं हुआ है और १,१०० से ऊपर और ऐसी दरख्वास्तें हैं कि बारबन्दी की जाय। ऐसी हालत में पानी के लिये बारबन्दियां की जा रही हैं। चकबन्दी से उसका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक होता नहीं है।

*१३--श्री बलवन्त सिंह--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी तहसील में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई का प्रबन्ध

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी तहसील के काश्तकारों को सिंचाई व पीने के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता है? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस कमी को दूर करने के लिये वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र की भूमि के स्तर में बड़ी गहराई तक पत्थर हैं और पानी भी बहुत गहराई पर मिलता है। अतः इस तहसील में सिंचाई की कोई योजना नहीं है, किन्तु पीने के पानी की कमी को दूर करन के लिये पांच नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है। एक नलकूप भी बन चुका है जिसकी खुदाई में एक वर्ष से ऊपर समय लगा और लागत भी अधिक लगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी तहसील में काश्तकारों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, भाबर में पानी की कमी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस कमी को दूर करने के लिये गोला नहर में एक बांध की सर्वे करवाने की कृपा करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य यदि अपना सुझाव भेज दें तो सरकार उस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ५ नलकूप किस किस स्थान पर बन रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी तो जैसा कि उत्तर में कहा गया है, एक कुवां बन गया है और उसमें बड़ा समय भी लगा। इसको म खुद देख भी आया हूं। वह बहुत गहराई तक गया है। उसमें पैसा भी बहुत लगा और समय भी लगा। एक का बोरिंग शुरू हो गया है, स्थान आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी ३ की साईटिंग कर दी जायगी।

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

किच्छा-सितारगंज-खटीमा रोड का प्रबन्ध

*१८--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार किछा-सितारगंज-खटीमा रोड का इन्तजाम अपने हाथ में लेने और पक्की करने का कोई इरादा रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--किच्छा-सितारगंज सड़क इस निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। बाकी सड़क को लेने का और पक्का करने का प्रस्ताव युद्धोत्तरकालीन निर्माण योजना के द्वितीय चरण में विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि किच्छा-सितारगंज सड़क बहुत खराब हालत में है और वह पक्की नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कुछ पक्की है, और कुछ कच्ची है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि किच्छा-सितारगंज की सड़क पर सालाना कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

*१९--२०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[१७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

घाघरा नदी से नहर निकालने का विचार

*६--श्री मार्कंडे राय (अनुपस्थित)--क्या आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के चिउंटीडांड़ स्थान से घाघरा नदी से एक नहर निकाल कर पकड़ीताल होती हुई मऊ के पास टोंस नदी में मिलाने और इस प्रकार सिंचाई सुलभ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री राममूर्ति--इस संबंध में प्रारंभिक अन्वेषण कार्य (investigation) प्रारंभ कर दिया गया है। इस अन्वेषण कार्य से जब यह ठीक-ठीक पता चल जायगा कि प्रस्तावित योजना साध्य (feasible) हो सकती है, तब इस योजना का विस्तृत निरीक्षण आरम्भ किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलायेंगे कि यह पैमायश कब तक खत्म होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, उसका प्रीलिमिनरी इंवेस्टीगेशन शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि उसमें ३-४ महीने लगेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हाहा नदी जो घाघरा से निकलती है उसको बन्द करके नहर का काम कराया जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का सुझाव था लेकिन सरकार ने सर्वे का भी प्रस्ताव किया है।

नोट--तारांकित प्रश्न ६ व ७ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री राममुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाहा नदी का सर्वे प्रारम्भ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री राममुन्दर पांडेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह सर्वे कब तक समाप्त होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है । सर्वे तब तक होगा जब तक उसकी जरूरत होगी। सर्वे हो जायगा तो फिर उसकी रिपोर्ट आयेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय सिंचाई मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इसीलिये वहां पर टयूबवेल्स की योजना लागू की गयी है और अब वहां पर टयूबवेल्स बनेंगे ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि घाघरा नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फसलों की हानि हुआ करती है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*७--श्री मारखन्डे राय (अनुपस्थित)--क्या घाघरा नदी से कोई नहर निकालने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। घाघरा नदी से कोई नहर निकालने का प्रश्न तो विचाराधीन नहीं है अपितु घाघरा नहर को १०० मील बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन अवश्य है।

इटावा के मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में सर्वश्री गजेन्द्र सिंह व रामसुभग वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज भी इटावा के मेहतरों की हड़ताल से संबंधित श्री गजेन्द्र सिंह और श्री राम सुभग वर्मा ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। इस समय क्योंकि बजट पर आम बहस चल रही है। मैं उनसे कहूंगा कि उनको मौका है और वह इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उस पर बहस हो सकती है। इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं समझता हूं कि इसकी इजाजत दूं और अब यहां पर अनुमति के लिये पेश किया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--यह श्री अर्जुन सिंह के अनशन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष--जनरल बहस में यह सब आ सकता है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब १९५३-५४ के आय-व्ययक पर विचार जारी रहेगा। श्री राधा मोहन सिंह के भाषण के बाद मैं समय नियुक्त करूंगा।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी पक्ष की ओर से न्याय की मांग की गयी है। न्याय कई प्रकार का होता है। यह नहीं बतलाया गया कि वह किस न्याय की मांग करते हैं। एक न्याय वह है जो अदालतों में मिलता है। एक वह है जो प्रशासकीय होता है और शासन की ओर से मिलता है। एक न्याय और भी है जो मनमाना होता है। जो हम चाहते हैं और जिसे हम ठीक समझते हैं वही न्याय है यह बात ही और है। जिस केस के संबंध में इतनी बातें कही गयीं वह उच्च न्यायालय में दो बार पहुंच चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

प्रजातंत्र तीन सिद्धांतों पर आधारित है, एक लेजिस्लेशन, एक्जेक्यूटिव और स्वतंत्र जूडिशियरी। अगर स्वतंत्र जूडिशियरी के न्याय में हमें विश्वास नहीं है, संदेह है तो कभी भी कोई शासन चल नहीं सकता।

मैं यहां दावा करने को तैयार हूं कि जितनी बातें यहां कही गयीं उनमें एक शब्द भी इस संबंध में नहीं कहा गया है कि हमारी जुडीशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है। गुप्ता का केस जहां तक मुझे मालूम है हाईकोर्ट में गया और दो बार पहुंचा और वहां से उनका दावा खारिज हुआ। उसके बाद मैं नहीं समझता कि वह मुकद्दमा, वह चीज जिसका फैसला हाईकोर्ट से हो चुका है वह हमारे शासकों के सामने ले जाया जा सकता और कैसे इस सदन में उस पर हम बहस कर सकते हैं। किसी भी नागरिक को अधिकार है कि उसके दावे और मांग बेरोकटोक उच्च न्यायालय में जा सकें और बिला बाधा के गुप्ता का केस वहां गया और फैसल हुआ और उस फैसले में अगर आपकी कामयाबी नहीं हुई तो इसमें दोष किसका? उसके लिये शासन कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर आप इसके विरुद्ध यह चाहते हैं कि शासकीय न्याय में आप विश्वास करते हैं तो आपको हाईकोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिविल सूट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और हाईकोर्ट में गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस ढंग से विचार करें तो मैं और वाकयात भी इस संबंध में आपके सामने रख दूंगा। एक वक्त वह था जब मैं गुप्ता के केस में बहुत ही उलझा हुआ था। मैंने इस केस को समझने की कोशिश की और मेरा दावा है कि जिस तरह से मेरी आंखें खुल गयीं, जिस तरह से मुझे वाकयात मालूम हुए, अगर मेरे मित्र राजनारायण जी को मालूम हो, वह भी खोज करते तो उनकी भी आंखें खुल गयी होतीं और कभी भी इस केस को आगे नहीं रखते। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष की जिम्मेदारियां शासन की जिम्मेदारियों से किसी तरह से कम नहीं हैं। उनके ऊपर भी यह प्रतिबन्ध है। वह जो चाहें यहां बहस कर सकते हैं लेकिन ऐसे एतराज और ऐसी नीति का समर्थन विरोधी पक्ष भी कभी नहीं कर सकता है। यदि शासन का सूत्र उसके हाथ में आये तो उस समय वह उसको पूरा न कर सके। तो जहां विरोधी पक्ष को और सब बातें कहने का अधिकार है वहां ऐसा प्रतिबन्ध भी है। आज यह केस उनके सामने रखा गया है, मैं उसके संबंध में कुछ वाकयात की ओर आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुप्ता बलिया में मैजिस्ट्रेट थे। इसमें संदेह नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली नवयुवक हैं, निर्भीक हैं। सन् १९४२ में उन्होंने न्याय करने की चेष्टा की। सन् ४२ में बलिया में जब कि किसी भी अधिकारी के लिये, चाहे वह शासकीय हो या जुडीशियरी में हो, यह असंभव था कि वह कांग्रेस के साथ न्याय करे उसने कांग्रेस वालों के साथ न्याय करने की चेष्टा की और यह प्रशंसा का कार्य किया। इसके बाद उनका तबादला हो गया और उनका ट्रांसफर लखीमपुर खीरी में हो गया। वहाँ जाने के बाद उन पर तीन आरोप लगाये गये। यह सब बातें हमारी गवर्नमेंट के आने के पहिले की हैं और सन् ४४ में सस्पेन्ड और बरखास्त कर दिये गये। उसकी अपील उन्होंने गवर्नमेंट में की।

जब हम लोग जेल से छूट कर आये तो वह हम से मिले और अपनी बातें कहीं। मुझे उस आरोप के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं था और मेरा दावा है कि मेरे मित्रों को भी मालूम नहीं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप किसी केस के डिटेल्स में विशेष न जायं।

श्री राधामोहन सिंह--श्रीमान् जी, मैं और वाकयात को नहीं दोहराऊंगा, केवल उतना ही कहूंगा जितना कि आवश्यक है।

उस वक्त हम लोगों को जितनी जानकारी थी, मैंने समझा कि जिस तरह से सन् ४२ में ज्यादतियां हुयीं और उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस वालों से जरा भी हमदर्दी जाहिर की,

[श्री राधा मोहन सिंह]
उनको कुचलने का प्रयत्न किया गया, इसी तरह से गुप्ता जी को भी दबाने का प्रयत्न किया गया है और अन्याय हुआ है। इसलिये हमने इन प्रश्नों को उठाया। हमने उसे मुख्य मन्त्री तक पहुंचाया। मैंने जब ये बातें उनके सम्मुख रखीं तो उन्होंने यह शब्द कहे, जो मुझे अभी तक याद हैं, "राधा मोहन यू डू नाट नो, आई नो"। अर्थात तुम नहीं जानते मुझे मालूम है कि वाक्या क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जांच करने की कोशिश की और मुझे मालूम है और स्वयं आपको उस फाइल से मालूम होगा, अगर आप उस फाइल को पढ़ने का कष्ट करें कि जब गुप्ता वहां मैजिस्ट्रेट थे, उनके इजलास में तीन मुकदमे लाये गये जिसमें इत्तिफाक से तीनों में तीन कुमारियां मुल्जिम की हैसियत से थीं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस वादविवाद को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता जिसमें कि कुछ व्यक्तिगत बातें हों।

श्री राधा मोहन सिंह--मैं अधिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो शासकीय बातें हैं और शासन को ऐसा रहना पड़ता है कि जनता को उसमें विश्वास हो। गम्भीर आरोप लगाये गये और फिर उसकी जांच की गई और जांच से यह साबित हुआ कि खीरी के लोगों की बात सही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी शासन, किसी भी व्यक्ति, जिसके ऊपर शासन की जिम्मेदारी हो उसके लिये क्या यह उचित है कि ऐसे आरोपों को नजर अन्दाज कर सके? जांच करने के बाद जब सब बातें मालूम हुयीं तो उस पर निर्णय किया गया। हमारे सामने यह नहीं था कि कोई व्यक्ति जिसने हमारे साथ में अच्छा बर्ताव किया हो, कांग्रेस वालों के साथ में हमदर्दी की हो, उसके लिये हम न्याय न करें। उसके ऊपर भी हमें न्याय करना है और न्याय बड़ी कठिन और निष्ठुर चीज है। न्याय हमें करना ही पड़ता है और मैंने बतलाया, अध्यक्ष महोदय, कि शासन में एक अधिकारी के लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि उसका चरित्र और उसके काम करने का ढंग अच्छा हो बल्कि यह भी आवश्यक है, जरूरी है कि वह ऐसा हो कि जिसमें जनता को विश्वास हो और जनता को जिसमें सन्देह न हो। हमारे यहां सदन में बड़े जोरों से विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ पत्रों को पढ़कर सुनाया। मैं कहना चाहता हूं कि एक शासक, एक मिनिस्टर क्या किसी मसले पर, किसी मामले पर इन पत्रों के आधार पर फैसले दिया करें। मैं ऐसा कभी नहीं समझता हूं और मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन बातों के होते हुए भी सही और ठीक रास्ता उसने अख्तियार किया।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अगर किसी भी माननीय सदस्य को चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, अगर इन बातों के ऊपर जरा भी सन्देह हो, तो वह जाकर इन बातों की जांच करे कि खीरी में क्या हुआ। कोई भी माननीय एम० एल० ए० जिनकी बातें कही जाती हैं उन लोगों को पहले इन बातों की जानकारी नहीं थी लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को जानने का प्रयत्न किया उनका सन्देह मिट चुका है। हमारे प्रधान मन्त्री की यह राय कितनी ठीक थी कि ऐसे मामलों में हमको न्याय करना ही चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। विरोधी पक्ष का तो यह फर्ज होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह शासन की मलामत करे, उसकी गलतियों को बतलाये, और सही रास्ता दिखलाये ताकि वह गलतियों से बच सके, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि सही काम करने के लिये भी शासन की मलामत की जाती है, उसको गलत कहा जाता है, जब हम देखते हैं कि विरोधी पक्ष एक गलत आदर्श लेकर आता है और ऐसे ऐसे पत्रों की बातें पेश करता है जिनकी हम अवहेलना करते हैं तो मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष अपने कर्तव्य से विचलित होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मुझे निवेदन करनी है और वह अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। मैं यह जरूर समझता हूं कि अध्यापकों की तनख्वाहें कम हैं। मैं यह भी मानता हूं कि उनके ग्रीवांसेज बहुत कुछ सही हैं लेकिन मैं यह नहीं मानता कि सरकार इसमें कुछ कर रही है। अध्यापकों का सीधा सम्पर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से है और अगर हम सच्चे जनतांत्रिक राज्य का शासनसूत्र अपने हाथ में लिये हुए हैं तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हमको बार बार लोकल बाडीज के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो ऐसी बात है और दूसरी

तरफ लोकल बाडीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के काम में दखल देने की बात कही जाती है। अगर केवल राय देने की बात होती तो यह मैं समझता हूं कि इसमें किसी को जरा भी सन्देह नहीं है और हर एक व्यक्ति की यह राय है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायं। मैं यह कहने को तैयार हूं और विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोगों में कोई भी इस बात से सहमत नहीं है और हम भी सहमत नहीं हैं कि उनकी तनख्वाहें न बढ़ायी जायं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन तनख्वाह बढ़ाने के लिये धन की आवश्यकता है, और यदि हम उनसे कह दें तो हमें आज ही तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। एक तरफ हमने राष्ट्र की उन्नति करने और उसको ऊंचा उठाने का काम अपने हाथ में लिया है। एक तरफ यह कहा जाता है कि कर्मचारियों को उनकी लिविंग वेजेज नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जब टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं कि यह बजट जनता की कमर तोड़ने वाला है। मैंने पहले भी निवेदन किया है और करता हूं कि नेता विरोधी दल के पास ऐसा कोई नुस्खा है जिससे बिला कर बढ़ाये हुए अपनी बातों को पूरा कर सकें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य की नींव डाली और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा समय आयेगा जब कि हम जनता के स्तर को ऊंचा करेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ती होगी और हम इस काबिल होंगे कि हम जनता से और कुरबानियां करने के लिये आग्रह करें और जनता को ऊपर बढ़ायेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मेरा विश्वास है कि सौ रुपये से कम में कोई गुजर नहीं कर सकता।

जब मजदूरों के बारे में कहा जाता है तो मुझे दुःख होता है कि उसमें ट्रेड यूनियन स्प्रिट से काम लिया जाता है। यहां पर जो मजदूरों की बातें कही जाती हैं वह बिल्कुल ठीक हैं और उनमें एक सिद्धांत लागू होता है कि जो कुछ सम्पत्ति मिलों में पैदा होती है उसमें मजदूरों का अंश होता है वहां जो कुल आमदनी होती है उसपर सिर्फ पूंजीपतियों का ही अधिकार नहीं है बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा अंश मजदूर भी कल्टीवेट करते हैं और अगर मजदूर उसमें का एक अंश मांगते हैं तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। उसका यह हक है और उसे यह मिलना चाहिए। मगर वही बात सरकारी कर्मचारियों में लागू नहीं होती। सरकारी कर्मचारियों का जो केस है वह भिन्न है। फिर भी सरकारी कर्मचारियों को हमें आगे बढ़ाना है मगर आज हमारे पास रुपया नहीं है। जो कोई भी सरकारी काम करते हैं उनको यह जानना चाहिए कि सरकार के जरिये से जो अमनोआमान कायम होता है और जो व्यवस्था कायम होती है और जो सैकड़ों समाज को ऊंचा उठाने के लिये काम करते हैं उन सब से वह लाभान्वित होते हैं। केवल यह नहीं है कि वे जो तनख्वाहें पाते हैं उनमें उनकी मजदूरी खत्म हो जाती है बल्कि वह समाज के जरिये से, शासन के जरिये से और और तरीकों से लाभान्वित होते हैं, यह भी उनको नहीं भूलना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी समाज में गवर्नमेंट न भी हो तब भी लोग वालन्ट्री तरीके से काम करते हैं, यही मूल सिद्धांत है और शासन की यही नीति है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि शासकीय कर्मचारियों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। विरोधी पक्ष की भी इसमें जिम्मेदारियां हैं और उनको समझना चाहिए कि कल अगर शासन सूत्र हमारे हाथ में आयेगा तो हम क्या करेंगे। अगर अनुशासनहीनता कर्मचारियों में बढ़ जाय तो इसके क्या माने हैं? इसके माने यह हैं कि कभी एक स्टैबिल सरकार कायम नहीं हो सकती, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे वह शोसलिस्ट सरकार हो और चाहे वह कम्यूनिस्ट सरकार हो, उसके लिये शासन का काम चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव सा हो जायगा। इसलिये हर समाज में हर वक्त ऐसी बातें हुआ करती हैं और हम सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक भिन्न स्तर ही है और एक भिन्न ही उन पर सिद्धांत लागू होता है और उनका हमें ख्याल रखना चाहिए।

चाहे अध्यापक गण हों, चाहे पटवारी हों, उन सबके प्रति कांग्रेस को ख्याल है और हम यह भावना रखते हैं कि आज वे जरूर तकलीफों से गुजर रहे हैं। लेकिन हर राष्ट्र के लोग जब वह अपने को बनाने में लगा होता है तो तकलीफों से गुजरते हैं। अगर आप रूस में जावें, मैं वहां गया तो नहीं हूं

[श्री राधामोहन सिंह]

लेकिन जो लोग वहां हो कर आये हैं उनके बयान मैंने पढ़े हैं। वहां यह होता है कि दो तरह की दूकानें वहां थीं जबकि वहां पंचवर्षीय योजना चल रही थी। एक तो मोटे कपड़े और खाने की थी जिनसे रूस वाले चीज लेते थे और दूसरी विदेशियों के लिये बढ़िया चीजों के लिये दूकानें थीं। हर मुल्क जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिये लाजिमी है कि इन सिद्धांतों पर चले। उसके बाद वह दिन आयेगा जबकि हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा और हम अपनी तनख्वाहों को बढ़ावेंगे और उसका फल हमें मिलेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे लोग राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देंगे।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हैं। उन्होंने हमारे यहां के संघ के और राज्यों से तुलना भी की और यह दिखाने की चेष्टा भी की कि यहां प्राइमरी शिक्षा पर बहुत कम खर्चा किया जाता है। उन्होंने बतलाया कि हमारे कुल खर्चे का केवल १.१ प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर खर्च किया जाता है। हमनें चालू वर्ष के बजट में ही देखा कि सरकार की ओर से २० लाख ६७ हजार रुपया इस खर्च में दिया गया। ३६७ लाख रुपया केवल प्राइमरी शिक्षा के लिये लोकल बोर्डों को दिया गया। इन दोनों को जोड़ कर ३८७ लाख ६८ हजार रुपया होता है जबकि गत साल में हमारा खर्चा केवल ६६ करोड़ के करीब था। यह लगभग ५.७५ प्रतिशत होता है। इतना तो हम अपनी आमदनी से खर्च करते हैं इसके अलावा लोकल बोर्ड की आमदनी से भी खर्च होता है। उसको हम न भी गिनें तो करीब ४ करोड़ रुपया हम केवल प्राइमरी शिक्षा पर खर्च करते हैं। अगर आने वाले साल के बजट को हम देखें तो ३७५ लाख रुपया हमने इस मद में रखा है लोकल बोर्डों के लिये और १४ लाख रुपये की वह रकम है जो सरकार की ओर से प्राइमरी शिक्षा के लिये थी और अब वह लोकल बोर्डों के अधीन चली गयी है। इस तरह से ३९० लाख रुपया इस समय हम प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमारा खर्चा ५.५ प्रतिशत आता है। इसलिये विरोधी दल के नेता का यह कहना ठीक नहीं है। हमारा खर्चा १.१ प्रतिशत ही है। मुझे विश्वास है कि अगर इन आंकड़ों की और जांच की जाय तो ऐसी गलतियां और मिलेंगी। मैं यह आशा करता हूं कि कोई भी सदस्य जब आंकड़े पेश करते हैं तो कम से कम वह यह जरूर बतावें कि वे आंकड़े उन्होंने कहां से लिये हैं। तब सही और गलती की जांच कर सकते हैं और उससे सही इम्प्रेशन फार्म कर सकते हैं। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह जब आंकड़ों को कोट करें तो गलत इम्प्रेशन उनसे पैदा करें। मैं आशा करूंगा कि आइन्दा इसका ख्याल किया जायगा।

इसके अतिरिक्त हमारे मित्र माननीय बालेन्दु शाह जी ने श्रमदान के सम्बन्ध में कहा था। आपने उसके सिद्धांत को मानते हुए कहा कि उनको डर है कि हम इससे बहुत कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका यह भय बिल्कुल निर्मूल है। उन्होंने कहा कि गांव में बसने वालों को बहुत सा समय खेती और दूसरे कामों में लग जाता है और उनके पास समय की कमी है इसलिये वे श्रमदान में समय नहीं लगा पायेंगे। मुझे पहाड़ों की उतनी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं मैदानी इलाकों की बात कहता हूं और इसी को महात्मा जी भी और जो रूरल इकानामी की जानकारी रखने वाले लोग हैं कहते हैं कि गांवों में जो बसते हैं उनके पास अपने कामों के अलावा बहुत सा समय फालतू रहता है और उसको वह बैठकर बेकार काटते हैं। इसी वजह से महात्मा जी ने चरखे के लिये कहा था कि उस फालतू समय में चरखे में अपना श्रम लगाकर थोड़ा धन पैदा कर सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसान के पास समय की कमी नहीं है। उनके पास बहुत समय है और इसके अलावा किसान इस बात का आदी भी है कि वह फुरसत के समय अपने सहयोगियों के कामों में भी सहयोग करता है। इसलिये भी वह श्रमदान के काम में दूसरे के लिये नहीं अपने राष्ट्र के लिये समय दे सकता है और अपनी जानकारी की बिना पर मैं निस्संकोच निवेदन कर सकता हूं कि गांव के लोग खुशी के साथ श्रमदान करने के लिये तैयार हैं। उनको महसूस हो गया है कि केवल सरकार पर निर्भर रह कर उनका सारा लाभ नहीं हो सकता है और

उनको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और उनकी इस भावना से हम लाभ उठाना चाहते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इसी भावना के बल पर हमें कामयाबी होगी क्योंकि यह बहुत ही सामयिक है। सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के काम में उनका हाथ हो और अब किसान को खुशी होगी कि राष्ट्र-निर्माण के काम में उनका भी हाथ है और इसलिये मैं कहता हूं कि श्रमदान के सम्बन्ध में कोई भय और आशंका की बात नहीं है। उसके जरिये से हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। यह मैं नहीं कहता कि श्रमदान के ऊपर ही सरकार की सारी नीति और सारा कार्य निर्भर रहे लेकिन मैं कहता हूं कि श्रमदान के जरिये से बहुत सा काम जिसके लिये रुपया हमारे पास नहीं है पूरा हो सकता है। अभी हमने अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से बात की। उनका कहना था कि २ करोड़ स्क्वायर फीट मिट्टी केवल एक सप्ताह में वालन्टरी लेबर के जरिये से फेंकी गयी। गांव के अन्दर और कितना ही काम हुआ। लेकिन इतना ही काम एक हफ्ते के अन्दर बहुत हुआ। तो अगर हमने गांवों के अन्दर काम को चालू किया तो इसमें सन्देह नहीं है कि साल भर में करोड़ों रुपये का काम हम श्रमदान के जरिये से कर सकते हैं और हमें इस पासिबिलिटी को ओझल नहीं करना चाहिए।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में है। कल मैंने जब पूर्वी जिलों में रिहन्द बान्ध का जिक्र किया था तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पूर्वी जिलों का नाम न लिया करो। मैं कहता हूं कि पूर्वी जिलों का नाम जब मैं लेता हूं तो मेरे दिमाग में पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कम्पिटीशन की कोई बात नहीं रहती। लेकिन यह बात सही है कि पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं। लेकिन उसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले सब बातों में पिछड़े हुए नहीं हैं। पूर्वी जिले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनको अपनी मिसालें हैं। मुझ बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इन मसलों को अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने सही अध्ययन किया है। हमारे मसले सरकार के और विभागों से भिन्न हैं। हमारे यहां बाढ़ आती हैं। यही वजह थी कि हमारे यहां पिछले वर्षों में कोई उन्नति का काम नहीं हुआ है। आज हमारा ख्याल है कि हमारे मसलों को ठीक तरह से समझा जायेगा और उन पर ध्यान दिया जायगा। मैं आशा करता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां का जिक्र मैं कर रहा हूं वहां विशेषकर बाढ़ की समस्या है। जब तक हम इसका हल करने का प्रयत्न नहीं करेंगे और वाटर लागिंग को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे तब तक हम इन क्षेत्रों की उन्नति का कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन काम ऐसे हैं जिनको हम बाढ़ वगैरह की समस्या को हल किये बिना भी कर सकते हैं। सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं।

पहली बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की सड़कों की उन्नति के बिना नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब बाढ़ आ जाती है तब बहुत से मजदूर जो अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं वह बेकार बैठ जाते हैं। ऐसी सूरत में काटेज इन्डस्ट्रीज को इन क्षेत्रों में कायम किया जाय जिससे वह अपने समय का उपयोग करके अपनी आमदनी का जरिया पा सकें। मैं यह चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में इस बात का प्रयास किया जाय कि काटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया जाय और साथ ही वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया जाय तो जो माल वहां बनेगा वह उनके जरिये बिकने के लिये बाजार में आ सकेगा। यह इन क्षेत्रों की उन्नति के जरिये हो जायगे। मैं चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे बाढ़ रुक सके तो यह दोनों काम हो जाने चाहिए जिनका कि मैंने जिक्र किया है।

इसके अलावा कुछ बन्धियां बनाई जायं। हमारे प्रान्त में और बहुत से काम हो रहे हैं, सिंचाई के लियें ट्यूब वेल और बन्धियों को बनवाने, काटेज इन्डस्ट्रीज की स्थापना और सड़कों का विकास, यह मामूली कार्यक्रम मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। यह बहुत मामूली सी बातें हैं और इनमें बहुत रुपयों की भी जरूरत नहीं होगी और बिना बाढ़ को रोके हुए भी हम इन क्षेत्रों की उन्नति कर सकते हैं और तमाम बातें जो कही जाती हैं उनको दूर कर सकते हैं।

[श्री राधामोहन सिंह]

अब मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि चाहे बजट सुन्दर से सुन्दर हो, हमारे आदर्श ऊंचे से ऊंचे हों और हमारी इच्छायें कितनी ही बड़ी हों लेकिन कामयाबी कभी नहीं हो सकती है जब तक हमारे काम में जनता का सहयोग न हो। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वादविवाद हो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें चाहिए कि वह सरकार को मौका दें, और इस अग्रगामी बजट में जो बातें कही गई हैं उनको सुनने और समझने के बाद सदस्यों का कर्तब्य होगा कि वह हाथ बटाएं। अगर हम जनता को उठा सकें, जनता का ध्यान आकर्षित कर सकें, और जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें तो आप देखेंगे कि मार्च, १९५३ में जो आज देश की हालत होगी वह सन् १९५४ के मार्च में नहीं रह जायगी। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जायगा और हम इस काबिल होंगे कि जो आज कमियां हैं, जैसा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया है कि आज बहुत सी कमियाँ हैं, उनको हम पूरा करनेमें सफल होंगे। हमें अपने साधनों के अन्दर ही काम करना है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो आज कमियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अन्त में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जब हम अपने क्षेत्रों में जायं तो हम जनता में इस बजट का प्रचार करें। हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि यह प्यूपिल्स बजट तभी होगी जबकि आम जनता समझे कि इसमें हमारा भी कुछ है और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी का दावा सही है, १६ आने सच है कि हमारे राष्ट्र के बसने वाले नागरिकों में सबका कुछ न कुछ अंश है। इसलिये यह बजट वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करने वाला है, इसलिये इसको जनता में पहुंचाने का हमारा कर्तव्य होता है। आखिर में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बजट सेशन के बाद जब हम अपनी कान्स्टींट्यूएंसी में जायं तो जनता में बजट का प्रचार करें और हमारे यहां जो काम हो रहे हैं उन कामों की कामयाबी और सफलता यही होगी कि हम सबके सब सहयोग करें और प्रान्त की उन्नति में अपना हाथ बटाएं।

श्री अध्यक्ष--क्योंकि बहुत से सदन के माननीय सदस्य बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं इसलिये भाषणों का समय निश्चित होना आवश्यक है तो साधारण रूप से मैं आज के लिये यह निश्चित करता हूं कि हर एक सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जायगा लेकिन माननीय नेता सदन अपने सरकारी पक्ष के किसी एक सदस्य के लिये समय अधिक लेना चाहें तो वे मुझे पहिले से सूचना दे दें, तो उन्हें १० मिनट का समय और दे दूंगा यानी उनको २५ मिनट का समय दे दिया जायगा। इसी प्रकार से विरोधी दल के नेता भी यदि मुझे पहिले से बता दें तो उनके पक्ष के एक सदस्य को भी मैं १० मिनट का अधिक समय दे दूंगा, लेकिन इसकी सूचना मुझे पहिले से दी जानी चाहिए। जितने मन्त्रिगण हैं, वे तो आज बोलेंगे नहीं, कल बोलेंगे, उनके लिये मैं कोई समय का बन्धन नहीं रखना चाहता क्योंकि उनको बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अतः मुझे वे सूचना दे दें कि वे कितना समय लेना चाहेंगे ताकि मैं कल के लिये कुछ निर्णय कर सकूं। आज के लिये तो यही निर्णय रहा कि साधारणतया सदस्यों को १५-१५ मिनट तथा दो सदस्यों को २५--२५ मिनट दिये जायेंगे। यदि सूचना समय पर मिल गयी तो ठीक वरना मैं निश्चय करके समय दे दूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, मैं समय के विषय में पूछना चाहता था कि क्या मुझे ज्यादा समय दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--अगर वे नहीं देंगे तो आपके भाषण के बीच में मैं इसके बारे में सोच लूंगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जो वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में कुछ नहीं, वह तो निश्चय हो चुका कल के बारे में भाषणों को देखकर और हिसाब लगाकर ही समय तय किया गया है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, बजट के विषय में कल से जो वादविवाद चल रहा है, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वादविवाद कुछ उसी सिलसिले में प्रतीत होता है जो महामान्य राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ हुआ था। हमने यह भी देखा कि बजट के आर्थिक पहलुओं की ऊहा पोह करते करते हमारे कुछ माननीय सदस्यों को आंकड़ों से कुछ प्रेम अनायास ही उत्पन्न हो गया और उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि बहुत से आंकड़ों को सभा-भवन के सामने उपस्थित करके यह साबित करें कि सरकार ने जो हिसाब या बजट प्रस्तुत किया है उसमें भूलें हैं। उसमें बहुत सी चीजें या तो छिपाई गयी हैं या गलत बतायी गयी हैं और यह कि वास्तव में सूबे की जो माली हालत है वह पहले से ज्यादा गिर गयी है। एक वर्ष या एक वर्ष से कुछ कम हुआ जब मैंने इस बजट के विषय में कुछ निवेदन किया था और मुझे इस बात का संतोष और हर्ष है कि उस समय सभा के सम्मुख जो दो तीन बातें मैंने रक्खीं थीं वे स्वीकार कर ली गयीं।

पहले तो मैंने इन्कम टैक्स के विषय में डिवीजिबिल पूल के बारे में कहा था। मैंने आज जब इस बजट को उठाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस सूबे की हालत केवल सुधरी ही नहीं है बल्कि अधिक जोर और दृढ़ता के साथ माली हालत में सुधार हुआ है और जब मैं यह निवेदन करता हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां विरोधी पक्ष के नेता से लेकर जो सभी लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे चाहता हूं कि वे और सूबों के बजट को उठा कर देख लें। भारतवर्ष का यह सब से बड़ा प्रदेश है और यह प्रदेश सबसे अधिक आमदनी वाला और खर्च करने वाला भी है। तो ऐसे प्रदेश का बजट जब हमारे सामने आता है तो और सूबों के बजट से इसका मुकाबला करना जरूरी होता है और जब यह चीज जरूरी होती है तो श्रीमन् उसके साथ में उन्हें यह भी बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पर सारे मुल्क की जो कुछ आम हालत होगी, उस पर बहुत कुछ असर पड़ेगा। १२ महीने के भीतर भारतवर्ष की दुनिया बहुत कुछ बदल गयी है। हमने एक वर्ष के भीतर अपना काम बहुत आगे बढ़ा लिया है। कल माननीय राज नारायण जी ने स्थूल शरीर और तीव्र बुद्धि की बात कही थी। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शरीर के भारी भरकम होने और दिमाग के कमजोर होने का सम्बन्ध है, दोनों प्रकार के शरीर वालों की विचार धारा में अन्तर होता है। माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी का भाषण मैंने पढ़ा था जो उन्होंने प्रेसीडेंट के भाषण पर दिया था और मुझे बड़ा सन्तोष और हर्ष हुआ इस बात को देखकर कि उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी कि साल भर के अन्दर बहुत कुछ काम हुआ है। उन्होंने कहा था "आई एम हैपी" (मुझे प्रसन्नता है)। लेकिन मुझे दुख है यह देखकर कि यहां प्रशंसा का एक शब्द भी हमारे सामने नहीं आया। मुझे यह भी देखकर दुख हुआ जब श्री राज नारायण जी ने यह कहा कि पंचवर्षीय योजना तो एक पार्टी की योजना है। पंचवर्षीय योजना केवल दो ही रूप में बन सकती है। या तो डिक्टेटरशिप के जरिये जबरदस्ती काम करा कर योजना सफल करायी जाती है या सबके सहयोग से योजना सफल करायी जाती है। मैंने श्री अशोक मेहता के प्रवचन को भी पढ़ा है जबकि उन्हें दिल्ली बुलाया गया था; इस वास्ते कि सब लोग बैठ कर पंचवर्षीय योजना के लिये अपनी सलाह दे सकें। उस समय उन्होंने कहा था कि पंचवर्षीय योजना अच्छी चीज है, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय राज नारायण जी ने उसे एक पक्षीय सरकारी योजना बतला कर अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा कही हुई बातों को ही झूठा साबित कर दिया।

श्रीमन्, हम इस बात को भूल नहीं सकते कि साल भर के अन्दर हमारे यहां बहुत कुछ चीजें बढ़ गयीं। भारतवर्ष में जो कुछ उन्नति हुई है उसका असर हमारे प्रदेश पर भी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बहुत कुछ पड़ा है। सूती व्यवसाय हमारे यहां का बहुत बड़ा व्यवसाय है। हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इस वर्ष ६ लाख हजार गज कपड़ा ज्यादा बना, हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में १ लाख हजार गज सूत अधिक तैयार हुआ, हम देखते हैं कि समूचे भारतवर्ष में १०० लाख टन कोयला निकाला गया, इस तरह से उत्पादन के हर मामले में हम बहुत कुछ आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या मुद्रा विस्तार की थी। हम देखते थे कि रुपये की ताक़त बहुत गिर गयी थी लेकिन आज हम देखते हैं और यह देखकर हमें सन्तोष है कि जहां सन् ५१ दिसम्बर में १,२०० करोड़ से ऊपर मुद्रा प्रचलित थी वह अब २०० करोड़ घट कर १,००० करोड़ रह गयी है। इसका भी समाज पर बहुत कुछ असर पड़ेगा। श्रीमन्, पिछले साल के आंकड़ों को बिना समझे हुए उठाकर रख देने से काम नहीं चल सकता है। श्रीमन् यह बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि देश में किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। पर परिस्थिति क्या है। आज जो उद्योग और व्यवसाय में लगे हुए हैं उनसे जितना भी चाहें वसूल कर लें, नौकरी पेशा के लोगों से जितना भी चाहें वसूल कर लें लेकिन ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी उत्तर प्रदेश की है जिसमें केवल ३१ लाख आदमी ऐसे हैं जोकि कामर्स या व्यापार में लगे हुए हैं और ६९ लाख ७८ हजार आदमी ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं। इसके अलावा ४ करोड़ ७६ लाख आदमी देहात के अन्दर हैं। इसी तरह से श्रीमन् मद्रास को देख लीजिये और मद्रास से भी तुलना कर लीजिये। ५ करोड़ ७० लाख की आबादी वाले मद्रास में मेरा ऐसा अनुमान है कि क़रीब क़रीब ३ करोड़ ६० लाख देहाती भाई हैं और ३८ लाख आदमी ऐसे हैं जो व्यवसाय में लगे हुए हैं और ८१ लाख ८१ हजार आदमी नौकरी पेशा हैं। बम्बई की आबादी ३ करोड़ ५९ लाख है जिसमें नौकरी पेशा वाले २७ लाख हैं और ५३ लाख आदमी व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो इस अनुपात को देखते हुए हमारे प्रदेश की आबादी इतनी अधिक होते हुए भी नौकरी पेशा में लगे हुए तथा उद्योग व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या इतनी अधिक कम है तो आखिर कोई भी सरकार कोई भी काम करना चाहे तो कर भार जिसके ऊपर पड़ेगा? ३१ लाख आदमियों को पीस डाला जाय और ६९ लाख आदमी जो नौकरी में लगे हुये हैं उनको भी निचोड़ डाला जाय तो उससे कितना रुपया प्राप्त होगा। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यहां पर बड़ी तनख्वाह पाने वालों की तादाद ज्यादा है और उनकी तनख्वाह में कमी की जा सकती है। मैं माननीय राजनारायण जी को और इधर बैठने वाले मित्रों को जिनके दिमाग में कुछ खुरपेंच इसके बारे में हो, यह बता देना चाहता हूं कि २० जून सन् १९५२ ई० के "नेशनल हैरल्ड" में कुछ आंकड़े छपे थे कि २ लाख ४८ हजार आदमी सरकारी नौकरियों में लगे हैं जिनके ऊपर २१ करोड़ और कुछ लाख रुपया खर्च होता है साल भर में। इनमें से एक हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वाले ३३७ हैं और उनकी तनख्वाह पर ५०,५५,००० रुपया सालाना खर्च होता है। तो इन १ हजार से ज्यादा पाने वाले लोगों की तनख्वाहों में आप कितना भी कट कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा आप २५ परसेन्ट करेंगे तो इतने रुपये से कितना कल्याण होने वाला है ? आखिर आमदनी और खर्च के भी तो आंकड़े होते हैं, इधर २, ३ वर्ष पहले का हिसाब लगाया गया है तो समूचे देश के संगठित उद्योग-धंधे से जो आय हुई है वह ५ अरब ४० करोड़ है। कृषि से आमदनी क़रीब १८ अरब ५३ करोड़ रुपये थी। कोई भी देश जहां पर किसी भी प्रकार का शासन हो वहां पर निस्संदेह कुछ ऐसा नहीं होगा कि किसानों के ऊपर, देहात के ऊपर बोझा अधिक न पड़े। ५ अरब और १८ अरब में बहुत बड़ा अन्तर है। फिर बहुत कुछ दूसरे देशों की बात कही जाती है। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं, जब इसका कुछ यहां पर तजकिरा किया गया था। जेकोस्लेवकिया को वेलफेयर स्टेट कहा गया जहां पर केवल पार्टीबन्दी के कारण अभी वहां के लीडर को एक्जिक्यूट कर दिया गया था। बलगेरिया को वेलफेयर स्टेट कहा गया जहां पर डिफेन्स मिनिस्टर को अपने उनके दफ्तर में काम करते हुये गिरफ्तार किया गया।

एक सदस्य—उनके खिलाफ चार्जेज क्या थे ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—यह तो आपको ही मालूम होगा । आंकड़ों को ग़लत प्रकार से पेश करना चाहें, वह किसी भी स्टेट के हों, बहुत ग़लत चीज़ है । रूस की बात को ले लीजिये कि वहां पर सरकार की आमदनी क्या है, ६० परसेन्ट सेल्स टैक्स देते हैं और उसको भी वैल फेयर स्टेट कहा जाता है । मैं इसके लिये दावत देता हूं कि आंकड़े पेश किये जायं कि क्या किसी देश में ६० परसेन्ट की आमदनी सेल्स टैक्स से होने पर उसको वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है ? मैं यह समझता हूं कि यह एक सिद्धान्त की बात है, आखिर जो भी प्रजातंत्र राज्य होता है वह सब का राज्य होता है और सब की विचारधारा का उसमें हिस्सा होता है । मैंने वे आंकड़े देखे हैं, जो आंकड़े हमारे सम्मुख पेश किये गये हैं । उनको देखने वालों को कुछ दूसरे पिछले आंकड़ों को भी पढ़ लेना चाहिये । यह आंकड़े जो श्रीमन्, यहां पर पेश किये गये हैं बहुत ही स्पष्ट हैं । जो वार्षिक बजट यहां पर पेश किया गया है उसके अन्दर ७८ करोड़ रुपये राज्य की आमदनी और ख़र्च बतलाया गया है । १२ करोड़ की आमदनी वाले राज्य से यहां का मिलान करने से काम नहीं चल सकता है । इन्टर नेशनल कोड आफ स्टैटिस्टिक्स ने बतलाया है कि आम परसेंटेज ठीक नहीं होता । ७२ कन्ट्रीज़ की मिसाल लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कम्प्यूटेशन बहुत मुश्किल है । इसमें ग़लती हो सकती है । इसलिये ठोस चीज़ को लेना चाहिये और वास्तविकता को ले लेना चाहिये और परसेन्टेज पर नहीं जाना चाहिये । अगर परसेन्टेज पर हम जाते हैं तो हमको ऐसी चीज़ मालूम होती है कि जिनमें कठिनाई होती है ।

मैं अपने विरोधी दल के नेता को यह बतलाना चाहता हूं कि एक इन्डेक्स आफ पर्सनल कंज़म्पशन एण्ड एक्सपेंडीचर एन्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर निकाला गया । भारतवर्ष में इसका इन्डेक्स सन् १९३८ ई० को १०० रुपये के बराबर मानकर सन् १९५१ ई० में भारतवर्ष में इन्डेक्स निकाला गया वह सन् १९३८ ई० के मुक़ाबले में सन् ५१ में २९४ रुपये आता है । जिन देशों की विरोधी दल द्वारा तारीफ की गई है, जो देश कि हमारे २, ४ जिलों से ही बन सकते हैं उनमें स्वेडन की तारीफ की गई । वहां का इन्डेक्स केवल २४७ है और श्रीमन्, फ्रान्स का भी कल ज़िक्र किया गया । मुझे आश्चर्य है एक इस महायुद्ध के बाद फ्रान्स में कम्युनिस्टों का वर्गवाद चला और उसके बाद सोशलिस्ट शासन हुआ । इटली में भी यही हुआ और इन दोनों देशों का आज आर्थिक संतुलन बेहद बिगड़ गया है । अगर आप फ्रान्स के इनडेक्स को देखें तो वह २९० तक पहुंच गया है और इटली का ५०२० तक चला गया है । आप यक़ीन मानें कि वहां दोनों जगह आज त्राहि-त्राहि मची हुई है । अगर आप गुलाम जापान की तरफ देखें तो वहां इंडेक्स १५,५२० तक पहुंच गया है । इसलिये इस कम्युटेशन से कोई फायदा नहीं हो सकता । मुझे याद है, शायद २ मार्च सन् १९५१ को माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने, जो हमारे मुख्य मंत्री हैं एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने इस राज्य की जनता की आमदनी बतलायी थी और उस आमदनी को बतलाने के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि सन् ४६–४७ के मुक़ाबले में सन् ४८–४९ में २०० करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ गई है और आज भी वह क़रीब १,६०० करोड़ रुपये के जाकर पड़ेगी । यानी फ़ी व्यक्ति पीछे २५५ रुपया होगा । इस आमदनी में से अगर सर्विसेज़ का औसत निकाल दिया जाय तो एक आदमी ३ रुपया देता है और अपने देश की सेना पर ५ रु० देता है । रूस भी एक बहुत बड़ा देश है और वहां २ खरब रुपये की नेशनल इनकम है तो वहां पर १,१११ रुपये फ़ी व्यक्ति की आमदनी है जिसमें से ६५० रुपया सेना पर चला जाता है और ६० प्रतिशत सेल्स टैक्स पड़ता है । तो इस प्रकार की तुलना में हमें न पड़ना चाहिये । यह एक बहुत ही विशाल समस्या है और मैं चाहता हूं कि हमें इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये । बजट बनाने से और आंकड़े सजाने से ही काम नहीं चलता । पिछले साल की ४ जून की बात है कि श्री देशमुख केन्द्रीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि लेबोरेटरी एक्सपेक्टेशन ग़लत होता है । उन्होंने यह बात खेती के विषय में कही थी

श्री अध्यक्ष—आप के १५ मिनट हो चुके हैं और अब आप को और दस मिनट में ही खत्म करना है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—हमने १२१ करोड़ की पंचवर्षीय योजना बनाई है और उसमें से ४२ करोड़ रुपया हम इस साल खर्च करना चाहते हैं और ८० करोड़ रुपया बाद में खर्च करना चाहते हैं। मैं निहायत अदब के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस रुपये की सब से बड़ी गुंजायश जो उनके दिमाग में या गवर्नमेंट के दिमाग में और केन्द्रीय सरकार के दिमाग में है जो ६५५ करोड़ रुपये के डेफीसिट फाइनेंस की उम्मीद रख कर चलती है वह प्राइवेट सेविंग्स से है। आखिर वह कितनी होगी बूम के जमाने में, जब कि लड़ाई का जमाना था और काफ़ी आमदनी थी तब औसतन २५० रुपये साल की प्राइवेट सेविंग्स होती थी। लेकिन आज वह सेविंग कैसे हो सकती है ? अब उत्तर प्रदेश में सेविंग्स की क्या गुंजायश है ? कोई ऐसे चेनेल्स पैदा नहीं किये गये कि जिससे यहां का रुपया बाहर जाने से रुका रहे। क़रीब २०० करोड़ रुपये का सामान उत्तर प्रदेश बाहर से खरीदता है, इससे प्रदेश ग़रीब ही होता जाता है। इसकी रोकथाम होना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष के इन्श्योरेन्स प्रीमियम से २१६ करोड़ की आमदनी होती है और उसमें से लगभग ३० करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश से बीमा की क़िस्तों के रूप में बाहर चला जाता है। इसमें से एक पैसा भी हम ऋण के रूप में प्राप्त नहीं होता न हमने उसको प्राप्त करने की चेष्टा की। इन्कम टैक्स से ज्यादा उम्मेद न करना चाहिये क्योंकि उससे भारत सरकार की आमदनी केवल १८० करोड़ रुपया है और उसमें से आधा यानी क़रीब ७०-८० करोड़ के रुपया बम्बई तथा बंगाल की तरफ प्राप्त होता है। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बचता है उसमें हमारा कान्ट्रीब्यूशन करीब ७ या ८ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश का है। जब ७-८ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूट करता है उससे क्या अधिक मिल सकेगा ? उसके बाद जो हम और आशा करते हैं उसके लिये हमारे पास कौन सी पोटेंशियलिटी है, जिस पोटेंशियलिटी से वास्तव में हम सेविंग कर सकें। उसकी गुन्जाइश भी तो कुछ होनी चाहिए और उस गुन्जाइश के बारे में यदि मनी मार्केट के बारे में हम चौकन्ने नहीं होंगे तो यह होते हुए भी कि उत्तर प्रदेश का बजट भारतवर्ष के सभी प्रदेशों के बजटों से ठोस और दृढ़ है और स्ट्रांग है हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकें। इसी वास्ते सोशल सर्विसेज तथा सिक्योरिटी सर्विसेज की बात जो राजनारायण जी ने कही थी, मेरे पास अवकाश नहीं है वरना मैं उसी रिपोर्ट से जो उन्होंने पढ़ी थी, यह साबित कर देता कि उसके समझने में उनसे भूल हो गयी।

समय नहीं है, इसलिये मैं अब पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस ८० करोड़ रुपये की गुन्जाइश कहां से होगी। सेल्स टैक्स की आमदनी थोड़ी सी बढ़ने से तो विशेष कल्याण नहीं हो सकता। रुपये की कोई गुन्जाइश नहीं हो सकती। एक तो हमारे सेल्स टैक्स विभाग का सेल्स टैक्स वसूल करने का तरीका अनसाइन्टिफिक है। हमने इस बात की तशरीह ही नहीं की कि किन-किन साधनों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है और न हमने यही सोचा है कि किन-किन साधनों को बढ़ाने से आमदनी नष्ट भी हो सकती है। हींग और धनिये का रोजगार भी इसी अदूरदर्शिता के कारण बनारस या कानपुर से उठकर देहली चला गया, सेल्स टैक्स के कारण। हमको यह भी न करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में आने वाली कम्पनियां कलकत्ते और बम्बई में बैठी हैं क्योंकि यहां वह अपना हेड क्वार्टर नहीं ला सकतीं और इस प्रकार करोड़ों की आमदनी खत्म हो रही है। कोआपरेटिव इन्श्योरेन्श नाम की कोई चीज हमारे यहां नहीं है। इन बातों में हमको सुविधायें देने की आवश्यकता है। हमारे यहां का मनी मार्केट इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम प्राईवेट सेन्टर और प्राईवेट सेविंग को बढ़ा सकें। आज कितनी करेंसी है उसकी ४० प्रतिशत सेविंग्स हुआ करती है। सन् ५०-५१ में १२ अरब की करेंसी में ६ अरब का डिपाजिट था। आज हमारी १० अरब की करेंसी में साढ़े तीन अरब की सेविंग्स और वह भी हर प्रकार की होगी और उसमें उत्तर प्रदेश की सेविंग तो बहुत कम है। तो मैं पूछता हूं कि कौन सा साधन है जिससे हमारे वित्त मन्त्री यह समझते हैं कि अगले ३ वर्ष में ८० करोड़ रुपया पैदा कर देंगे ?

मैं आपके समय पर विशेष आघात नहीं करना चाहता। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सम्भवतः मैं इस सदन के सामने रखता, उनकी रुचि और जानकारी होती और मुझे भी ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलता। अब मैं केवल इतना ही कहूंगा कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना हम सब का कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता कि श्री राज नारायण जी हमारे इस स्वाधीनता के सुप्रभात में पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही ऐसा प्रयत्न करें जो बालक की आत्मा पर नर्क के दुःस्वप्न के समान हो या चिन्गारी को बुझाने के लिये समुद्र का प्रवाह हो। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के नर-नारी इस योजना को सफल बनाने के लिये गवर्नमेंट को सहयोग प्रदान करें।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह लोक प्रिय सरकार बनी है तब से हमारे मुख्य मन्त्री और मंत्रियों ने जिस परिश्रम से और जिस कार्य कुशलता से कार्य किया है, मैं उसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैसे तो कोई भी लोक प्रिय सरकार हो, उसके अन्दर कुछ न कुछ खामियां, कमियां तो अवश्य ही होती हैं, लेकिन हमारे विरोधी बेन्च पर बैठे हुए मित्र जिस तरह का प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं और यह कहते हैं कि इस बजट से जनता की कमर तोड़ दी गयी, जनता बहुत परेशान है, किसानों पर सीधा हमला होता है। इस तरह की जो बातें करते हैं उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से जनप्रिय सरकार बनी है तब से हमारे उन बैन्चों पर बैठने वाले माननीय मित्र हमेशा इसी तरह का प्रचार करते आये हैं। बात यह है कि मैं अपने उन मित्रों को दोस्त समझता हूं और यह समझता हूं कि किसी भी सरकार के चलाने के लिये विरोध का होना आवश्यकीय है लेकिन अगर मैं उनकी जबान से कोई ऐसा शब्द सुनता हूं कि जिस में यह चीज होती है कि सरकार ने यह काम तो अच्छा किया है, लेकिन मैं देखता हूं और अपने मित्र की बात सुनता हूं तो उससे यह साबित होता है कि जो एक दो परसेंट कहीं विरोध की बात होती है उसे तो बढ़ाकर ९९ परसेंट तक वह बतलाते हैं लेकिन अगर ९९ परसेंट भी जनता के हित की कोई बात होती है तो कभी एक परसेंट भी बतलाने की वह इच्छा जाहिर नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने उन मित्रों की यह दशा समझता हूं जैसे कि एक थका हुआ पथिक दिशा भूल के भ्रम में हो जाता है और उसे हर चीज उल्टी ही दिखाई पड़ती है। यही हमारे मित्रों की दशा है। उन्होंने अब तक यह नहीं सोचा है कि जनप्रिय सरकार ने कुछ कार्य किये या नहीं किये, आज हमारे देश की शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई या नहीं हुई, जनता के रहन-सहन का स्टैंन्डर्ड बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसको देखने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। मैं अपने मित्रों से यह कहूंगा कि जो आज से १५ वर्ष पहले का देहात था उसको और आज के देहात को जाकर वह देखें और देखते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तो यह दावे से कह सकता हूं कि जनता के रहन-सहन का स्टैन्डर्ड और जिनके बढ़ने की आवश्यकता थी वह बढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं और हमारे मित्र अगर साफ हृदय से देखें तो देहात के अन्दर यह सीमेंट और ईंट की इतनी ज्यादा जो मांग हो रही है वह कहां जा रहे हैं। आज से १५ वर्ष पहले हम देहातों में देखते थे शायद एक फीसदी भी मकान कोई पक्का बना हुआ दिखलाई नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर हम सच्ची आत्मा से कोई बात कहें और देखें तो मालूम होगा कि जनता का स्टैन्डर्ड कितना बढ़ रहा है। जिन गांवों में हम देखते थे कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह गांवों के अन्दर एक सायकिल भी नहीं दिखलाई पड़ती थी वहां अब प्रत्येक गांव के अन्दर कितनी ही सायकिलें खरीदी जा रही हैं। दूसरी और चीज इस तरह की फैन्सी कपड़े की मांग देहात के अन्दर आज कितनी हो रही है और भी ऐसी ही चीजें हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे देहात के अन्दर सब सुखी हैं और कोई और आवश्यकता अब उन्हें नहीं है। आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी। जनतन्त्र देश के लिये जितनी सम्पन्नता की आवश्यकता होती है उतनी अभी नहीं है, लेकिन पहिले से स्टैन्डर्ड बढ़ रहा है यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। बात यह है कि जहां तक जनता की भावना की बात है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने मित्रों से बतलाऊं कि किस तरह का

[श्री मिहरबान सिंह]

प्रचार हमारे मित्र करते हैं, अगर वह मित्र उस प्रचार को करते हुए जनता के हित को भी ख्याल में रखें तो हम समझते हैं कि हमारे देश का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। मुझे एक शक था कि जनता बहकावे में आ सकती है, वह हृदय से कुछ डरी हुई है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि जनता समझदार है, वह समझती है, हर चीज समझती है। अभी जनरल एलेक्शन के बारे में जनता की भावना का मुझे पता लगा। मैं अपने जिले के अन्दर अपने क्षेत्र के अन्दर एक देहात में एक ऐसी जगह पर गया, जहां कि मैं पहिले कभी नहीं पहुंच सका था और हर एक आदमी का पहुंचना वहां असम्भव भी है, न कोई रास्ता है और न कोई सवारी का प्रबन्ध। कोसों तक रेह और ऊसर के बीच में एक छोटा सा ग्राम था जिसमें कुछ हरिजन भाई रहते थे। वहां मुझे देखकर उन्होंने मुझे समझ तो लिया कि यह कोई कांग्रेसी है, लेकिन मैंने उनसे बतलाया कि भाई एलेक्शन हो रहा है और मैं वोट के लिये यहां आया हूं। पहले तो उन्होंने हमसे नाम पूछा और नाम पूछने के बाद एक भाई ने कहा कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं। आपके पास तो कांग्रेस का टिकट है, जिससे आप बड़ी अच्छी तरह से कामयाब होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं और न समझता हूं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से मुझे श्रद्धा है और हम लोग कल ही जा करके और कोशिश करके आपके वोट डलवायेंगे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई हम तो देखते हैं कि कांग्रेस को लोग गालियां देते हैं और आप यह कह रहे हैं कि हमारे अन्दर कांग्रेस की श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि यह तो कोई नई बात नहीं है, कभी कभी गालियां तो हम भी देते हैं जिस वक्त कि हम परेशान होते हैं, सरकारी कर्मचारियों से या किसी तरह से। अध्यक्ष महोदय, तो यह भावना जनता की है। इसके साथ ही साथ में अपने मित्रों से एक प्रार्थना अवश्य करूंगा और वह यह है कि आज जनता को जो कष्ट हैं वह राज्य कर्मचारियों की वजह से हैं, यह बिलकुल स्पष्ट है। हम देखते हैं कि उनकी भावना के अन्दर अभी बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जिनके अन्दर देश प्रेम है और उनके अन्दर यह भावना जागृत हुई है कि देश का निर्माण हो। परन्तु ज्यादातर ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जिनके अन्दर अभी यह भावना नहीं जाग्रत हुई है। मैंने एक डिपार्टमेंट को देखा जहां अभी ऐसे अफसर मौजूद हैं जो दो बजे के बाद दफ्तर पहुंचते हैं और केवल सिगरेट या सिगार सुलगा कर, तारीखें बढ़ा कर समय बिता देते हैं और सरकारी काम की परवाह नहीं करते। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर सरकार उनको सिर्फ बैठे रहने के लिये ही पैसा देना चाहती है यानी पेन्शन देती है तो उनको अलग रख कर ही सरकार पेन्शन दे ताकि सरकारी काम न बिगड़े। अध्यक्ष महोदय, हरएक डिपार्टमेंट में यही चीज है और सरकारी छोटे-छोटे कर्मचारी जो हैं वह जनता को इतना परेशान करते हैं कि बेचारे जरा जरा सी बात के लिये बीस बीस और तीस तीस मर्तबा दौड़ दौड़ कर आते हैं, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के दिलों में यह भावना नहीं पैदा होती कि उनको कितनी तकलीफ होती है। मैं अपने मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह राज्यकर्मचारियों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे जनता के कष्ट दूर हो सकें जो जनता को इस वक्त हो रहे हैं।

इसके अलावा मैं यातायात के साधनों के सम्बन्ध में भी कहूंगा कि सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कि होनी चाहिए। आज बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं हैं और वहां जनता को बहुत परेशानी होती है। मिसाल के लिये मैं आपको बतलाऊं कि हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट में भरथना के अन्दर कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां लोग होकर जा सकें। बरसात में रास्ता बिलकुल बन्द हो जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जो सड़कें कुछ बनी हैं उनकी हालत इतनी खराब है जो कही नहीं जा सकती। उन सड़कों के लिये हमने कई बार प्रश्न किया, माननीय मन्त्री जी से कहा कि ऐसी सड़कों की, जिनकी ४-५ साल से कोई मरम्मत नहीं हुई है, उनकी हालत इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आदमी उस पर से होकर के निकले तो निकलना मुश्किल है, गाड़ी और मोटर की बात तो जाने दीजिए। इन सड़कों स जनता को बहुत कठिनाई होती है और अगर उनके लिये डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से

कहा जाता है तो वह इसकी परवाह नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन कर्मचारियों को वह सचेत करें।

मैंने अभी आपके सामने पहली दिक्कत राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखी और दूसरी दिक्कत रास्ते और सड़कों की आपके सामने रखी। इसके अतिरिक्त तीसरी दिक्कत इस वक्त खास तौर से जो है वह किसानों को बीज की समस्या है। इस समय जो विशेष अन्न उपजाओ योजना चल रही है उसके लिये अच्छे बीजों की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अच्छे बीज मंगावें और वह पहिले टैस्ट कर लिये जावें। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा कि इटावा जिले के अन्दर महेवा विकास योजना के अन्दर ईख का बीज मंगाकर किसानों को दिया गया। जहां पहले २०-२५ मन गन्ना फी एकड़ उगता था वह १०-१२ मन भी नहीं हुआ। किसानों ने हमें बताया कि अबकी दफा सरकारी बीज इतना खराब था कि पहिले तो वह जमा ही नहीं और फिर मेहनत के बाद बहुत कम औसत पैदावार का आया है। इसी तरह कुछ सब्जियों के बीज आये और वह भी वहां के बीजों से काफी अधिक खराब निकले। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हम समझते हैं कि इससे देश का बहुत कुछ उद्धार हो सकता है और देश का निर्माण हो सकता है।

श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया गया इसके लिये मैं सर्व प्रथम आपका आभारी हूं।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सन् १९५३-५४ का जो वित्तीय वर्षीय बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह एक ठोस, प्रगतिशील और सुन्दर बजट है। इसे देखने से प्रगट होता है कि वित्त मन्त्री जी ने यह जो कहा है कि यह बजट हर वर्ग का बजट है यह अक्षरशः सही है। इसमें सर्व प्रथम हमारे वित्त मन्त्री जी ने यह बताया है कि यह कल्याणकारी राज्य का बजट है। महामान्य राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में भी और कल भी यह प्रश्न उठा था कि यह कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया है, सबकी सुख शान्ति और उन्नति का है। कल्याणकारी राज्य के विषय में हमारे यहां एक उक्ति है "सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे च भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात॥" जिसमें सब सुखी हों, कोई रोगी न हो, जिसमें लोग सबका कल्याण चाहें और जिसमें कोई दीनावस्था में न हो। ऐसे राज्य के बजट का उद्देश्य हमारी सरकार का है।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और इसमें सब से अधिक किसान रहते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मन्त्री ने सबसे पहले हमारे यहां के किसानों की उन्नति के लिये ध्यान रखा है। इसमें २६ करोड़ रुपया किसानों को बीज और दूसरी चीजों के लिये रखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह कहा गया कि यह बजट किसानों और गरीबों का न होकर धनियों का है। ७२ करोड़ के बजट में २६ करोड़ किसानों के लिये खर्च किया जाता है तो फिर यह नहीं तो कौन सा बजट किसानों का होगा? अगर ऐसा कोई कहता है तो उसके लिये यही कहा जा सकता है कि उसकी बुद्धि विपर्यास हो गया है और वह ठीक बात को भी ठीक नहीं समझ रहा है। हमारे यहां किसानों की दशा जो पहिले थी उसको और अब को देखते हुए और हम सब लोग महसूस करते हैं कि उनकी दशा में क्रमशः उन्नति होती जाती है और जैसा हमारा ध्येय है जब हमारी पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायगी, हमारे किसान बहुत खुशहाल हो जायेंगे और उस समय हम अपने ध्येय पर पहुंच जायेंगे।

इसके बाद दूसरा स्थान बजट का शिक्षा में रखा गया है। शिक्षा सबसे आवश्यक वस्तु है। शिक्षा न हो तो हम किसी कार्य के न रह जायेंगे। इस साल भी हमारे बजट में ४७ लाख रुपये और अधिक व्यय शिक्षा पर किये जा रहे हैं। कल विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा बहुत कम है और बहुत से आंकड़े भी दिये थे ट्रावनकोर, कोचीन आदि के। लेकिन वहां ४७ के पहिले भी प्राथमिक शिक्षा का बहुत प्रचार था। हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा तो, कांग्रेस सरकार जब से आई है सन् १९४६ के बाद तब से उस पर अधिक

[श्री रामअनन्त पांडेय]
ध्यान दिया जा रहा है। अगर इस समय के आंकड़े लिये जायं तो इस में स्पष्ट मालूम होगा कि यह प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में किसी भी प्रदेश से नीचे नहीं है।

श्रीमान्, अभी एक सज्जन ने अखबार में निकाला था कि हमारा यह बजट केवल कच्चा माल पैदा करने के लिये बनाया गया है। लेकिन अगर देखा जाय तो इस में औद्योगिक उन्नति के लिये बहुत प्रबन्ध किया गया है और जैसा माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है, कृषि की उन्नति के साथ-साथ औद्योगिक उन्नति की ओर भी इनका ध्यान है। इस बात की हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का ध्यान इस बजट में रखा गया है और उनके लाभ के लिये इसमें धन निर्धारित किया है।

एक खास मद की ओर जिसका कभी कोई जिक्र नहीं था उसके लिये भी एक लाख रुपया रखा गया है। यानी पतितावस्था में जो स्त्रियां हैं उनकी उन्नति के लिये रखा गया है। माना यह बहुत कम है। लेकिन कदम बहुत सुन्दर है। इसमें उदार दानियों की सहायता की आवश्यकता है। अगर इसमें उदार दानी लोग सहायता करें तो निस्सन्देह अगले वर्ष से सरकार इसमें अधिकाधिक रुपया देगी और इससे ऐसी पतित स्त्रियों की उन्नति होगी और समाज का एक कलंक अतिशीघ्र दूर होगा। श्रीमन्, इस प्रकार से यह बजट बहुत सुन्दर है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु एक बात आवश्यक है कि "शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि"। इसलिये मैं ऐसी ऐसी एक दो बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं जिनपर मैं समझता हूं कि सरकार ध्यान देगी। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कुछ आंकड़े रख कर यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे यहां कर्मचारियों के वेतनों में जो वैषम्य है वह बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की भूल भुलैया में पड़ने से बुद्धि का काम नहीं हुआ करता है। हमारे यहां एक कथा मशहूर है कि एक मुंशी जी आंकड़े की भूल-भुलैया में पड़ गये तो उनके लड़के वगैरह सब डूब गये, उन्होंने कहा कि "लेखा-जोखा सम्मुलय हो लड़के डूबे काहे होय।" इसलिये इन आंकड़ों की भूल भुलैया में पड़ने से तो अच्छा है कि हम व्यावहारिक चीज को देखें।

हम मानते हैं कि जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बतलाया कि हमारे प्रान्त में एक हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति केवल ३०० हैं। लेकिन इधर आप देखें कि यह ३०० व्यक्ति हैं तो तीन लाख के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम वेतन पाते हैं। लेकिन जो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनसे हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, हम एक बात कल्याणकारी राज्य की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्मचारियों को इतना रुपया देते हैं जिससे कि वह अपने बच्चों को सोने के कटोरे में दूध-भात खिला सकें तो कम से कम ऐसे कर्मचारियों के लिये इतना ध्यान तो रखना होगा कि उनके लिये इतना सामान तो मुहैया करना होगा कि सोने के कटोरे में न सही तो कम से कम मिट्टी के कटोरे में वह अपने बच्चों को दूध पिला सकें। हम इस तरह की बात सरकार से चाहते हैं। अगर यह बात नहीं है तो हमारा राष्ट्र कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है।

कर्मचारियों के वेतन में जो इतनी बड़ी विषमता है वह बहुत खटकने वाली बात है और चाहे आपको भले ही इन वेतनों की विषमता को कम करने से आर्थिक लाभ ज्यादा न हो, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ एक भावात्मक लाभ यह होगा कि सब समझने लगेंगे कि हमारी सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में विषमता नहीं है। अभी हमारे मित्र श्री राज नारायण जी ने बतलाया कि यूगोस्लाविया में १ और ४ का नहीं १ और ६ का, वेतनों में तारतम्य है। मैं यह कहता हूं कि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम १ और ८ का रहना तो आवश्यक है। इससे अधिक यदि आप रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिये बड़ी लज्जा की बात होगी और बड़ी बुरी बात होगी।

श्रीमान्, एक बात और अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं जैसा कि हमारी सरकार ने अच्छा किया है उसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। पटवारियों की हड़ताल की सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की है और एक दम से जवाब दे दिया है। यह एक ऐसी संस्था थी

जो हमारे सामाजिक जीवन में एक कलंक थी। मैं समझता हूं कि हमारे देहात में जितनी खून खराबी फिसाद, और मुकदमेबाजी होती है वह केवल पटवारियों की वजह से ही होती है। मैं तो अपनी सरकार को और भी अधिक बधाई दूंगा जिस समय वह ऐलान करेगी कि इस संस्था को हम खत्म कर रहे हैं। मैं बिहार के पास का रहने वाला हूं मैं जानता हूं कि बिहार में पटवारियों की कोई संस्था नहीं है और उनके न रहने से रिकार्ड वगैरह के रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होती है प्रत्युत पटवारियों के रहने से जितने झगड़े हमारे यहां हैं उतने बिहार में नहीं हैं।

श्रीमन्, इसके पश्चात् मैं अपने जिले के विषय में एक-आध शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि छः वर्षों में २१५० मील सड़कों का पुनरुद्धार किया गया है और २२०० मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन मैं बलिया में रहता हूं और कहता हूं कि समुद्र में पानी बरसता रहा यानी २,२०० मील लम्बी नई सड़कें बनीं और २,१५० मील लम्बी सड़कों का उद्धार हुआ, लेकिन बलिया में एक मील लम्बी पक्की सड़क नहीं बनाई गई। जो आजादी के सम्बन्ध में १९४२ में हम लोगों ने किया था उसके फलस्वरूप हमें दबाने के लिये अंग्रेजी सामन्तशाही ने कुछ पक्की सड़कें बनवाई थीं १९४६ के बाद हमने बराबर प्रार्थना की लेकिन एक भी पक्की सड़क बनाई नहीं गयी। वहां की एक सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी बलिया से रौविलगंज घाट को जाने वाली सड़क, जो माननीय मन्त्रीगण अथवा उपमन्त्रीगण जो उधर गये होंगे उन्होंने देखा होगा पूर्वी भागों में जाने के लिये एक बड़ी समस्या हो जाती है, कोई आसानी से जा नहीं सकता। इससे बलिया के पूर्वी हिस्से को यातायात की सुविधा देने के लिये मैं चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि एक सड़क बलिया रौविल गंज घाट को रोड़ पक्की बनवा दिया जाय।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसकी तरफ की मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे इस प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां बिजली न लगी हो। बलिया ही उन छोटे और बड़े शहरों में एक ऐसा अभागा शहर है जिसमें बिजली नहीं लगी है। बाहर से जब लोग वहां जाते हैं और बलिया को देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तक बलिया में बिजली क्यों नहीं लगी। हमारा जिला गरीब है, हमारा शहर गरीब है लेकिन हमारी सरकार को कम से कम उस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस शहर और जिले के रहने वालों के लिये, जिसके रहने वालों ने अपना एक स्थान बनाया था, कुछ सुविधायें दें। बराबर इस बात के कहे जाने पर भी उसकी अभी तक उपेक्षा की गयी है इसलिये मैं मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बिजली लगाने का प्रबन्ध जरूर कर दिया जाय। इतना कह कर मैं फिर से सरकार को सुन्दर बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो आय व्ययक का लेखा इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिये और उन उसूलों के लिये जिन पर कि उसकी बुनियाद है, मैं इस सरकार को मुबारक बाद देता हूं। श्रीमन् अभी राज नारायण जी ने काफी रिकार्डेड टाइम की लम्बी स्पीच के दौरान में एक बड़े तर्क और वेग के साथ वेल फेयर स्टेट के किन्हीं मानी की चर्चा की। मुझे बैठे-बैठे ऐसा मालूम हो रहा था कि जिस सरकार ने पिछले ६ वर्षों के अन्दर बड़ा भारी भूमिव्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन, जमीन्दारों और जमीन्दारी को खत्म करके, कर दिया जिस सरकार ने गरीबी दूर करने की समस्याओं के साथ उलझने का निश्चय अपनी पंचवर्षीय योजना को प्रेषित करके, कर लिया है, जिस सरकार ने इन पिछले ६ वर्षों की अवधि में प्रदेश के अन्दर बीमारी, भुखमरी की समस्या को दूर करने का और सभी सामाजिक जीवन के अंगों को सुखी बनाने का पूरा-पूरा उपाय कर लिया तो अगर उस सरकार के कार्यों को कहें या वेल फेयर स्टेट के कार्य न कहें तो हमें उस "वेलफेयर स्टेट" शब्द के अर्थ को ही बदल देना होगा। अगर कोई डिक्शनरी इसके अतिरिक्त दूसरे मानी को रखने वाली है तो उसका प्रयोग हमारे साथ, इस दुनिया के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

साथ और इस समाज के साथ नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश के अन्दर पिछले ६ वर्षों में जब से कांग्रेस सरकार ने हिन्दोस्तान की आजादी की उस जंग के बाद जो सन् ४२ में आखिरी बार लड़ी गयी विशेष प्रकार से जिस प्रतिष्ठा के साथ राज्य शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया उसका विश्लेषण छोटी-छोटी पुस्तकों में हुआ है जो सारे सदन को उपलब्ध हैं। मैं उन आंकड़ों में ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। केवल इतना कहूंगा कि यदि आप इस बजट के जो सन् ५३-५४ का बजट है उसके भिन्न भिन्न आंकड़ों के देखें तो हमें यह दिखाई पड़ेगा कि इस बजट में जिसके लिये इस सदन की अनुमति मांगी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा खर्च सड़कों, शिक्षा, और गृह उद्योग की योजनाओं पर किया गया है जिनके बिना हमारे प्रदेश में न तो एकोनोमिक आजादी ही मिल सकती है और न ऐसी एकोनोमी ही स्थापित की जा सकती है। जिससे गरीबी को दूर करने का इन्तजाम ही हो सकता है और न गृह-उद्योगों को चलाने, टेहरी स्टेट में ऊन का कारोबार खोलने, रेशमी कीड़ों को पालने, तथा दूसरे पूर्वी और पश्चिमी जिलों में होने वाली उन्नति के काम यानी लकड़ी के खिलौने, चीनी और धातु के बरतनों के कारबार ही हमारे प्रदेश में संभव हो सकते हैं। इस तरह से हमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि पिछले जमाने में पिछले बजट के वक्त जब माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा कि एक बुरे जमाने से गुजर कर हम नये जमाने की ओर जायेंगे तो उसी के साथ-साथ इस बजट के अन्तर्गत इन सभी बातों को पायेंगे जिनका मैंने तजकिरा किया। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने कोशिश की एक मजबूत कदम के द्वारा आगे बढ़ने की। यह नहीं कि उस दिशा की ओर पहला कदम हो जिस दिशा में जाने के लिये हमने एलेक्टोरेट से वादे किये हैं जिसने कि हमें चुनकर यहां भेजा है बल्कि एक कदम और आगे हम उस दिशा को ओर इस बजट के द्वारा पहुंचे जहां से हमारी गरीबी की शृंखला टूट कर स्वयं गिर जायेगी और जब मैं इन शब्दों को कहता हूं तो मेरे सामने समस्त प्रान्त की वे सारी समस्यायें हैं जिनकी अच्छाई और बुराई को जनता अच्छी तरह से जानती है। जब इस प्रदेश में इंसानी कुव्वत के अन्दर जहां तक मुमकिन हो स्वर्ग लाने की बात की जाती है तो हमारे समाजवादी भाई कहते हैं कि यहां पहिले से भूखे ज्यादा हैं, और जब यहां भूख इतनी ज्यादा है, आज जब प्रदेश के अन्दर अशिक्षा इतनी फैली हुई है तो फिर आप इसको वेल फेयर स्टेट कैसे कह सकते हैं। घुटनों के बल चलते हुए आजादी का यह बच्चा आज जब पहला चरण उस दिशा की ओर ले जाना चाहता है जिस दिशा की ओर जाने का सौभाग्य हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ है और जिससे कि यहां की भूख मिट जायेगी तब हमसे कहा जाता है कि भूख मिटाने की कोशिश करने वालों. भूख तो मौजूद है। इसका हमारा उत्तर है कि मिटाने की कोशिश इसीलिये की जा रही है क्योंकि भूख मौजूद है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यह हजारों वर्ष की गुलामी और उस परम्परा का दोष है जिसके बन्धन से मुक्त हुए मुश्किल से ६ साल ही हुए हैं। माननीय राजनारायण जी तथा विरोधी पार्टी ने जो आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों को समक्ष रखते हुए प्रदेश की आबजेक्टिव कन्डीशन को समक्ष रखते हुए हम एक कदम आगे बढ़ेंगे यही कहा जा सकता है। हमारा जो लक्ष्य है वह तो इस बजट के ही अन्तर्गत है कि आगे हमारा क्या स्वरूप हो। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा यह दावा नहीं हो सकता कि यह आखिरी कदम है। अगर माननीय वित्त मन्त्री का भाषण विरोधी दल के नेता ने पढ़ा होता तो उन्हें स्पष्ट सूचित हो जाता कि उन्होंने क्या कहा है। यह कोई आखिरी कदम नहीं है कि आधी मंजिल तय हो गयी और आधी बाकी है। अगर एक कदम भी जाना है तो जाहिर है कि उसमें भी पांच साल तक लग सकते हैं। और भूख मिटाने की बात, अशिक्षा मिटाने का नया रास्ता इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर मौजूद है। अगर वेलफेयर स्टेट शुरू के दिन ही भूख न मिटा सके तो उस पर हंसना तो ऐसे ही हुआ जैसे कि बालक गामा जबकि वह ६ महीने का ही था कोई यह चैलेन्ज करता कि अगर तुम फलां पहलवान को पछाड़ दो तो मैं जानू, तो यह एक हंसी और बिडम्बना की बात होगी। हमारे मुल्क के अन्दर जो भूख है उसका उत्तर है यह पंच वर्षीय योजना, हमारे यहां जो अशिक्षा है उसका उत्तर है यह पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना को मद्देनजर रखते हुए इस बजट के आंकड़ों का विश्लेषण कीजिये

और इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश की हालत क्या है। पिछले जमाने के बजट को लेकर आने वाले जमाने में जो कुछ हमें मिलेगा उसके नाना प्रकार के रूपों में हम सामन्जस्य पैदा कर सकते हैं। माननीय राज नारायण जी को इस प्रकार के कोई आंकड़े उपस्थित करने चाहिए जिनसे वे बतला सकें कि हमारे यहां जो संचित निधि का धन था उसके रूप में क्या परिवर्तन किया जाय, क्या तरमीम की जाय जिसको कि यह सरकार कर सकती है। अगर उस भावना को वे लाना चाहते हैं जिस भावना से वे ओतप्रोत हैं और दूसरे विरोधी दल के लोग जिस भावना को लेकर सरकार की निन्दा करते हैं। तो उन्हें बजट को उसकी मूलभूत धारणा तथा अर्थशास्त्र की कसौटी पर कसकर ही देखना होगा। बजट के सिलसिले में आम बातों का चर्चा हुआ और आम बातों का चर्चा करने में दो खास बातों का जिकर किया गया। मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जिन दो बातों का बजट के सम्बन्ध में जिकर किया गया वह हैं पटवारियों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल या पटवारियों के ऊपर अन्याय का सवाल और दूसरा प्रश्न हमारे प्रदेश के अध्यापकों, हमारे राष्ट्र निर्माताओं का था। जो अन्याय इस सरकार की ओर से हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहा गया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक दल पटवारियों का चर्चा करते-करते, साथ ही अध्यापकों का चर्चा करने लगा। मेरी निगाह में दोनों के चर्चा करने में मौलिक अन्तर है। मैं श्रीमान्, आपके द्वारा इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमदर्दी का सवाल या रहम का सवाल पटवारियों के साथ इसलिये नहीं आता कि पटवारियों की मांग की बुनियाद में, पटवारियों के उपद्रव की बुनियाद में न्याय या अन्याय की पुकार नहीं है। वह तो सिर्फ घबरा गये हैं। सरकार जो लैन्ड रिकार्ड मैन्युअल तब्दील किया है और उनकी रिश्वतखोरी का जो बाजार आप बन्द करने वाले हैं उसकी वजह से उन्होंने उपद्रव किया है और आज विद्रोह की आवाज लगाई है। मैं पूरे प्रान्त का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन जो कुछ समझ पाया हूं उससे यह कह सकता हूं कि कोई भी दल इस बात को लेकर एलेक्टोरेट से पूछे तो एलेक्टोरेट का जवाब १०० में ९९ का हमारे निश्चय के पक्ष में ही होगा। जहां तक पटवारियों की मांग का सम्बन्ध है उनके प्रति घृणा का दृष्टिकोण पैदा करने वाली बात न कह कर केवल यही निवेदन है कि विरोधी दल को ऐसे लोगों का पक्ष न लेना चाहिये।

हां, अध्यापकों का प्रश्न ऐसा है कि जिसके बारे में हमारे वित्त मन्त्री जी के सामने कठिनाई है। लेकिन अगर वित्त मन्त्री जी के सामने कठिनाई है तो वित्त मन्त्री जी या हमारे शिक्षा मन्त्री जी उनको सीधे-सीधे कह सकते थे कि यह कठिनाई है। मैं बड़े अदब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मुझे यह देखकर बेहद दुख हुआ कि दोनों फाटकों पर पुलिस बैठी हुई है। मुझे यह देखकर बेहद परेशानी हुई और वह इस बात से हुई कि हमारे वे अध्यापक जिन्होंने आज हमको, वित्त मन्त्री को, शिक्षा मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को इस काबिल बनाया कि आज इस समाज के अन्दर अपना एक स्थान रखते हैं जहां पर हम कुछ कर सकते हैं और आज उनके ही साथ मनुष्यों का सा बरताव भी नहीं होता है। यद्यपि वह अपने हाथ में झंडा लिये थे और हमारे विधान भवन के अन्दर वह घुसनवाले नहीं थ। इस प्रकार से उनको डराकर दरवाजा बन्द करके पुलिस का भय दिखाना मैं समझता हूं कि हमारी इस सरकार के नाम पर एक बुरी बात है।

मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह से पुलिस को खड़ा करने की बात भविष्य में न मानने की कृपा करेगी। शायद किसी अफसर ने ऐसा कहा होगा कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो गजब हो जायगा। बस इतनी सी हमारी सरकार की कमजोरी है कि वह कभी कभी अफसरों की बात कच्चे कानों सुन लेती है। मैं समझता हूं नौकरशाही की इस तरह की बात मानकर सरकार भविष्य में बदनामी का टीका अपने ऊपर नहीं लगायेगी। बुनियादी बात जो अध्यापकों के सम्बन्ध में है उसके सम्बन्ध में विरोधी दल वालों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। जब उन्हें लिविंग वेज देने को कहा हमारे अध्यापकों को आनरेबिल वेज मिलना चाहिये। हमारे समाज के अन्दर जो समाज के भिन्न-भिन्न अंग हैं उनको

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

ऐसा वेतन मिलना चाहिये जिससे समाज के अन्दर उनकी इज्जत और उनका उचित स्थान बना रहे क्योंकि समाज के अन्दर अध्यापक एक आवश्यक कार्य करता है। यहां पर सरकार से जब प्रश्न किये जाते हैं उनका तो जवाब दिया जाता ही है कि 'जी नहीं' मगर यह अच्छा नहीं मालूम होता है। सरकार को समझना चाहिये कि बुनियादी तौर पर इस सवाल का उत्तर कहीं न कहीं हमको देना है। अगर बोर्ड इन्तजाम नहीं कर सकते हैं तो बोर्ड से शिक्षा का काम आप लेलें या जो मदद कुछ करोड़ रुपये की आप उनको देने वाले हैं वह न दें लेकिन एजुकेशन का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्रश्न का उपयुक्त फैसला कर लेना चाहिये। अध्यापकों की बात की अवहेलना करने से प्रदेश में असन्तोष बढ़ेगा। उस असन्तोष का उत्तर हमको देना पड़ेगा क्योंकि जनता के सामने हमारा उत्तरदायित्व अवश्य रहता है।

मैं अन्त में सिर्फ इतनी बात और कहना चाहता हूं कि मजदूर संगठनों के सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के नेता ने दो चार बातें कहीं और बड़े दावे के साथ कहा कि मजदूर अब सब कारणों को समझ गये हैं और इसलिये कह सकते हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० सरकारी बाडी है। वाक्या यह है कि यह हमारे देश की सब से बड़ी मजदूर यूनियनों का संगठन है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यह आई० एन० टी० यू० सी० की मान्यता का प्रश्न उठा था तो सरकार ने हम पर कोई रहम कर के काम नहीं किया था बल्कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में भारतवर्ष की सरकार द्वारा जो इन्क्वायरी हुई थी और जो यहां भी हुई थी, उस की ही रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो आप को मालूम होगा कि उसीका यह नतीजा था कि आई० एन० टी० यू० सी० को देश भर में सब से अधिक बहुमत प्राप्त होने के कारण मान्यता मिली थी। उसके बाद प्रश्न शुगर सैन्सेस का आया और उस पर भी आपस में ही हिन्द मजदूर सभा और शिब्वन लाल जी शुभा करने लगे। इस पर भी वह न माने तो दूसरी बात है। आखिर मैंने यह भी देखा कि विरोधी दल के समाजवादी पार्टी के लोग खुद चक्कर खाकर शिब्बन लाल सक्सेना के साथ भी न रह सके। इसमें हमारा क्या दोष है यह तो स्वयं हमारे उस तरफ के भाई ही जान सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित १०१ यूनियनें हैं। जिन में १,९६,९६३ मेम्बर हैं। मैं दावत देता हूं कि विरोधी पार्टी के लोग रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर पता करें कि कितनी यूनियनें उन के साथ हैं और कितने मेम्बर उनके हैं। एक तरफ तो यह कह कह कर कि शिब्बन लाल मर रहे हैं, हमारे इन भाईयों ने दहाड़-दहाड़ कर वोट लिये। फिर समाजवादी मित्र कैसे गर्व कर सकते हैं, अगर शिब्बन लाल करें तो बात दूसरी है और उत्तर भी दूसरा।

अन्त में मैं एक बार फिर कहूंगा कि अध्यापकों के साथ न्याय किया जाय और उनकी मांगों को पूरा किया जाय।

श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिये आया हूं जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश का वह बजट उपस्थित किया है जिसमें ज्यादातर रुपया किसानों की भलाई के लिये रखा गया है। कल हमारे सोशलिस्ट भाईयों ने ३ घंटे का समय लेकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह बजट किसानों की छाती तोड़ने और उनको बरबाद करने के लिये है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जितनी आबादी है उसमें से ८५ फीसदी आबादी किसानों की है। हम लोग अगर इस बात को देखें कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये इस बजट में कितना रुपया रखा गया है तो हमें वास्तव में मालूम होगा कि इसमें किसानों का काफी ध्यान रखा गया है। किसानों की वास्तविक समस्यायें ५ हैं। भूमि, जल, पूंजी, खाद और बीज। इसके बाद श्रम का नम्बर आता है। पहली

चीज जो भूमि है, क्या इस बजट में किसानों की भूमि को दुरुस्त करने के लिये रुपया रखा गया है या नहीं ......

श्री अध्यक्ष—सदन में शोर हो रहा है, मैं शान्ति चाहता हूं।

श्री रामसहाय शर्मा—तो यह किसानों का बजट है या पूंजीपतियों का यह सवाल तो एक ही बात में हल हो जाता है कि अगर इसमें किसानों के हित के लिये रुपया रखा गया है तो यह किसानों का बजट है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहांतक भूमि का प्रश्न है, जिस प्रान्त की भूमि सैकड़ों सालों से इस हालत में पड़ी हुई थी कि जिन स्थानों पर खेती नहीं हो सकती थी आज उन इलाकों के अन्दर ट्रैक्टर भेज कर वहां की भूमि को ठीक किया जा रहा है। जहां पर कांस फैला हुआ था वहां पर कांस उखाड़ने के लिये ट्रैक्टर्स चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास तौर से बुन्देलखंड में और वहां के जिले झांसी में जहां से मैं आ रहा हूं, वहां उन क्षेत्रों में जहां मुद्दतों से खेती नहीं हो सकी थी आज जब से वहां ट्रैक्टर चले हैं तो वहां ५ मन की जगह १० और १५ मन अनाज तक पैदा हुआ है। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां खेती कभी नहीं हुई थी लेकिन आज वहां के किसान इस बात की दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हमारे इलाकों में भी ट्रैक्टर दिये जायं और वह दिये भी जा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर नहरों का जाल बिछ रहा है, बांध बंध रहे हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, सिचाई के लिये कुएं खोदे जा रहे हैं, रहट की व्यवस्था की जा रही हैं। एक तरफ तो किसानों के लिये भूमि व्यवस्था करने के लिये ट्रैक्टरों की योजना चलाई जा रही है, सिचाई का प्रबन्ध हो रहा है, नहरों और ट्यूबवेलों की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन किसानों का जो धन बढ़ा है उसे छीनने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। गत २० वर्ष पहले अगर किसान को लगान चुकाने के लिये फसल का काफी बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान सिर्फ दो बोरे अनाज बेच करके लगान चुकता कर देता है। इस नीति द्वारा सरकार ने किसान के अनाज की रक्षा की है। तो जब इस तरह का सवाल सोशलिस्ट भाईयों के सामने आता है तो वे इस बात को भूल जाते हैं।

आप देखेंगे कि स्थान-स्थान पर कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज वितरण की व्यवस्था की जा रही है। हर क्षेत्र के अन्दर किसानों की कठिनाइयों का निवारण जितना किया जा सकता था उतना किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रान्त के अन्दर सैकड़ों मील लम्बी पक्की सड़कें सरकार बना चुकी है। हर एक जिले के अन्दर सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों का खुल जाना और हाई स्कूलों का बढ़ना हर क्षेत्र में अस्पतालों का खुलना और उनकी संख्या में इतनी वृद्धि हो जाना, क्या यह सब बातें किसानों के लिये नहीं हैं? अगर नहीं है तो भला किसके लिये हैं?

आप हर क्षेत्र के अन्दर देखेंगे कि प्रत्येक जिले के अन्दर किसानों से सम्बन्धित कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे सोशलिस्ट भाई इस बात की ओर नहीं देखना चाहते तो मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश है जहां से केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं बल्कि इस संसार भर के लोगों को सदा से रोशनी मिलती आई है। यह वह प्रदेश है जहां महाराजा रामचन्द्र जी ने जन्म लिया था, भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने जन्म लिया था। जिस प्रान्त के अन्दर पं० जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त सरीखे विद्वान पैदा हुए। आप देखेंगे कि इस प्रदेश द्वारा जो कार्य किया जायगा उससे संसार को रोशनी मिलती रहेगी।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने भव्य परम्पराएं कायम कीं। हमारे सामने परम्पराओं के दो पहलू हैं। एक तो वह परम्परा ह जिसमें प्रेम, अहिंसा

[श्री रामसहाय शर्मा]

और शान्ति के द्वारा सारे मुल्क के लिये व्यवस्था की जाती है और दूसरा पहलू वह है जहां खून-खच्चर, लाठी-तोप, तलवार का सहारा लिया जाता है। अगर आप चीन और रूस की बात करते हैं तो जब वहां के लोगों ने उस देश को मरघट बनवा दिया, लाखों इमारते बरबाद कर दी गयीं और सरकारी इमारतों को खंडहर कर दिया गया तभी वहां तरक्की हो सकी है। लेकिन इस देश के अन्दर एक नयी परम्परा है। यहां से एक नयी रोशनी दुनिया को भेजी जा रही है। यहां से प्रेम, शान्ति और अहिंसा के द्वारा लोगों को समझा करके लोगों का हृदय परिवर्तन करके काम कराने की परम्परा फैल रही है। इस देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता अहिंसा के द्वारा प्राप्त की, जो किसी और देश ने कहीं की। लेकिन हमारे भाई तो कुछ और ही बातें कहते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क का पिछले हजारों और लाखों साल का इतिहास पढ़ें और अपने देश का भी इतिहास पढ़ें लेकिन आपको कहीं भी इस तरह का आदर्श नहीं मिलेगा।

आर्थिक दृष्टि से भी अगर किसी ने अपना नेता पैदा किया है तो वह कांग्रेस संस्था ही है जिसने आचार्य बिनोवा भावे को तैयार किया है जो हिमालय पहाड़ से लेकर कन्या कुमारी तक घूमकर लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। ४ बजे रात से उठकर १५-१५ मील पैदल चलकर इस ७० वर्ष की अवस्था में एक नया आदर्श रख रहे हैं लेकिन आपके पास तो कोई नेता ही नहीं है, आपके पास कोई आदमी नहीं है। हमारे देश के लोग अभी चाहे उनकी कीमत न समझ सकें हों, लेकिन हमारे पास आखिर एक ऐसा महान नेता तो हैं जिनसे सारी दुनियां आज सबक ले रही है। इसके अलावा २६ जनवरी को एक नया सबक जो हमारी कांग्रेस संस्था के द्वारा रखा गया है वह है विकास योजना का काम। यह काम जहां और देशों में हुआ वहां बाई फोर्स कराया गया। उनसे यह कहा गया कि ऐसा करो नहीं तो गोली से उड़ा दिये जाओगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक नयी योजना एक नया कार्यक्रम २६ जनवरी को आया जिसमें यहां की सरकार ने बड़े-बड़े सरकारी अफसरों, सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि अगर इस विकास योजना को सफल बनाना है तो हमारी कांग्रेस सरकार के जो पदाधिकारी ह, कलेक्टर हैं, एस० डी० ओ० हैं, बड़े-बड़े सरकारी अफसर हैं, एम० एल० ए० हैं, मंत्री है, प्रधान मंत्री इत्यादी सभी २०० घन फुट मिट्टी अपने हाथ से खोदेंगें। हर एक आदमी इस प्रेम भावना के द्वारा उत्साहित होता है और काम करने के लिए उद्यत भी हुआ है। आपने देखा कि हमारे प्रान्त के अन्दर जगह-जगह पर ईटें बनाई गई, कहीं तालाब खोदे गये, कहीं सड़क बनाने का काम हुआ और इसी तरह के और भी काम किये गये और खुशी के साथ किये गये। तो प्रेम के द्वारा काम करने की जो यह पद्धति है जिसके जरिये एक हफ्ते के अन्दर कई लाख रुपये का काम हमारे प्रदेश के अन्दर हुआ जोकि कभी भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। तो आप इस बात को देखें कि आज भी इस हालत में इस प्रान्त ने देश के सामने एक नया सबक रखा है। असली चीज तो दूसरी ही है आपके दिल में तो यह चीज है कि कांग्रेस का काम बड़ा सफल हो रहा है, कांग्रेस की सफलता को देखकर आपकी आंखों में मिर्चें सी लग रही हैं। आपके पास तो कोई कार्यक्रम है नहीं। अगर है तो बतलाइये कि आपने क्या किया है? अगर आज पटवारियों का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगें कैसे? छू मन्तर से जहां आपने छू मन्तर फूंका और उनकी मांग हल हो गई? हमारी सरकार तो स्पष्ट कहती है कि पटवारियों की मांगों का जहां तक सवाल है उनकी मांगें नैतिक नहीं है। उनके कार्य में तरमीम होने की आवश्यकता है। जहां तक उनकी नौकरी का प्रश्न है, उनके पेट का सवाल है, उनकी मांगों की तरफ कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विचार करने को तैयार है, लेकिन जिस दृष्टि से इसे सामूहिक रूप में लाकर के सरकार को परेशान करने के इरादे से यह बात रखी जा रही है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके सिलसिले में जब अध्यापकों की मांगों का प्रश्न हमारे सामने आता है तो मैं

इसके लिये कहना चाहता हूं कि पटवारियों और अध्यापकों की मांगों में बड़ा फर्क है। अध्यापकों ने राष्ट्र की सेवा की है, देश के निर्माण में अपना समय लगाया है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से और वित्त मन्त्री जी से भी अपील करूंगा कि अगर हमारे कौंसिल हाउस के सामने अध्यापक अनशन करते हैं तो यह ठीक नहीं है, उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये। यह बात गलत है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा सकतीं। अगर ७८ करोड़ का बजट बनता है और तिस पर भी अध्यापक भूखों मरें यह बात नहीं हो सकती है। अध्यापकों की मांगें बहुत ही उचित हैं। वह इतनी कम तनख्वाह पाते हैं जोकि हमारे यहां के चपरासी से भी कम होती है। वह भूखों मरते हैं उनकी मांगों के ऊपर कार्यवाही करने की जरूरत है। कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चार-चार, छः-छः महीनों से उनकी तनख्वाहें रोके हुये हैं। यह बात गलत है कि आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। आप हैं किसलिए ? अगर आप इस बात के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर सख्ती नहीं कर सकते कि वह अपने अध्यापकों की तनख्वाह ठीक समय से दे, यह जवाब आपका गलत है कि वह स्वतंत्र हैं हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अगर हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग ठीक से काम नहीं करता है तो उसकी तरफ से आप आंख नहीं मूंद सकते। मैं अध्यापकों की मांगों का जोरदार समर्थन करता हूं और इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उनकी मांगें नैतिक हैं, उचित हैं और उनका पूरा होना अत्यन्त आवश्यक है। यह हमारे प्रान्त के लिए बड़े दुख और लज्जा की बात होगी अगर उनकी मांगों को हम स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान जी की आज्ञा से अपने विचार भी इस नवीन बजट के ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। मैं श्रीमान जी के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार बजट बनाया है और बहुत सी ऐसी बातों का प्रबन्ध किया है जो मेरी समझ में देश के लिए हितकर होंगी। जैसाकि इस बार बजट में सिंचाई के सम्बन्ध में जो प्रबन्ध किया गया है, कम से कम मेरे क्षेत्र में जहां बहुत दिनों से अंग्रेजी शासन काल में और वर्तमान शासन काल में भी वहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है, जहां धान की उपज बहुत होती है और वहां वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसका प्रबन्ध किया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और यदि चावल और दूसरे अन्न दूसरे देशों से मंगाये जायं तो यह इस देश के लिए बड़ी लज्जा की बात है। इसलिये इस काम के लिये हमारे सिंचाई के मंत्री और हमारी समस्त सरकार धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त मैंने बजट में देखा कि हर विभाग में हिन्दी टाइपराइटरों पर बहुत सा रुपया लगाया जा रहा है। इस तरह से इसमें कोई सन्देह नहीं की अब हिन्दी में काम होगा और हमारे किसी सरकारी कर्मचारी को कोई संकोच अथवा कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनके पास साधन नहीं हैं। इस प्रकार से मैं बहुत सी बातें देखता हूं, सुधार संबंधी जो हो रही हैं। इसमें शक नहीं कि हमारी सरकार ने जो बजट बनाया है वह गत वर्ष के बजट से बहुत अच्छा है। जैसा मैंने गतवर्ष कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट बनाना कोई सरल काम नहीं होता। इसके बनाने में बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हुये हैं जिनके लिए सरकार की प्रशंसा की जा सकती है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रणंजय सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भाषण में सरकार को उन बातों के लिये जो उसने पूर्वापेक्षा अच्छी इस बजट में रखी हैं धन्यावाद दिया था। सरकार ने सिंचाई का हिन्दी के टाइपराइटरों का प्रबन्ध करके और गोरक्षा समिति स्थापित करके बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिये उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। लेकिन

[श्री रणंजय सिंह]

जहां सरकार ने ये ऐसे बहुत से अच्छे कार्य किये वहां मुझे यह भी निवेदन करना है कि प्रबन्ध के सम्बन्ध में यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी अफसर ठीक से कार्य नहीं करते और उनकी मनोवृत्ति अभी तक शुद्ध नहीं है और वे ऐसी बातें करते हैं जिनसे योजनाओं में सफलता नहीं मिलती। यह एक ऐसी बात है कि किसी पर लांछन लगाना तो सहल है, परन्तु उसके साथ यह भी तो देखना चाहिये कि क्यों विशेषरूप से सफलता नहीं मिलती। इसके भी कोई कारण हैं। जहां सरकार ने अपनी नीति धर्मनिरपेक्षता की बनाई है क्योंकि यहां नाना प्रकार के धर्मों के मानने वाले रहते हैं तो उसके लिये कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वहां मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार को दल निरपेक्ष रहना चाहिये अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी प्रबन्ध ठीक नहीं हो सकता। यदि प्रबन्ध की कोई कमी है तो उसका कारण यह है कि अफसरों के पास ऐसे लोग हस्तक्षेप करने वाले पहुंच जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत कुछ दबना पड़ता है और संकोच करना पड़ता है और जो शासक की अपेक्षा योग्यता में बहुत कम आते हैं। फिर भी केवल दलबन्दी के कारण वे वहां पहुंच जाते हैं और बहुत से शासक उनसे दब कर काम करते हैं। इसलिये अफसर लोग अपनी इच्छा से ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। इसलिये इस सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिये कि किसी भी दलविशेष को लेकर जनता का कार्य न हो। सरकार सभी से लगान लेती है, टैक्स लेती है और सभी का सहयोग चाहती है तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। इस प्रकार से शासन अधिक सुचारु रूप से हो सकता है और उससे देश का लाभ होगा।

हमारे बजट में शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर बातें हैं। हमारी सरकार ने यह प्रबन्ध किया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जो शिक्षा संस्थाओं को हानि पहुंची है उसकी पूर्ति की जाय और उन संस्थाओं को किसी प्रकार से धक्का न पहुंचने पावे मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार हो और इससे देश का सीधा सम्बन्ध है। शिक्षा के लिये भिक्षा मांगनी पड़े तो ठीक है परन्तु शिक्षा भिक्षा के लिये न हो। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो ट्रस्ट बन गये हैं उनके सम्बन्ध में हमें विचार कर लेना चाहिए। उनके सम्बन्ध में जिनका शिक्षा से सम्बन्ध है चाहे वह ट्रस्ट धार्मिक भी हों उतना भाग उनका मान लिया जाय नहीं तो और कहीं उनको न्यायालय जाना पड़े तो मैं तो यह धमकी नहीं दे रहा हूं लेकिन उनको काफी क्षति पहुंचेगी और शिक्षण संस्थाओं को हानि होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो शिक्षण संस्थायें हैं वे सुचारु-रूप से चलती रहें।

मुझे चिकित्सा के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना है। उसके लिये यहां पर बहुत कुछ प्रबन्ध किया गया है, यह बड़े हर्ष की बात है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसके लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है किन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि उसके लिये जहां तक हो सके अधिक से अधिक प्रबन्ध होना चाहिए। अगर विचार किया जाय तो जितनी औषधियां आयुर्वेद में हैं किसी दूसरी चिकित्सा प्रणाली में नहीं मिल सकती हैं। बहुत से लोग आयुर्वेद का अध्ययन किये बिना कह देते हैं कि आयुर्वेद में दवायें पर्याप्त नहीं हैं और लोगों को मलेरिया और विभिन्न रोगों के लिये डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। मैं डाक्टरों का विरोधी नहीं हूं लेकिन आयुर्वेद में जो विशेषतायें हैं उन पर अगर विचार किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां अधिकाधिक बहुमूल्य औषधियां हैं और बहुत सस्ती से सस्ती औषधियां हैं। जहां हमारे यहां सोने चांदी और हीरे की भस्में दी जाती हैं वहां जड़ी बूटियों से भी बड़े-बड़े रोग अच्छे किये जा सकते हैं। आयुर्वेद की दवायें और उनके द्वारा चिकित्सा हमारे लिये बड़ी लाभकारी होंगी और इसलिये उनका जितना प्रसार होगा और जितना अच्छा प्रबन्ध होगा उतना ही सरकार उसके लिये धन्यवाद की पात्र होगी। उसी के साथ जन-स्वास्थ्य का एक और भी उत्तम साधन है। हमारे यहां यह भी उपाय होना

चाहिए कि चिकित्सा की आवश्यकता ही न पड़े। लोगों का स्वास्थ्य अपने आप सुधरे। शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध, और शुद्ध घी के लिये मैं बारंबार निवेदन कर चुका हूं। लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो इसके लिये मैंने गत वर्ष भी कहा था कि हमारे यहां एक अच्छी व्यायामशाला बननी चाहिए। हमारे प्रदेश में कोई ऐसी व्यायामशाला नहीं है, जैसी अमरावती और बड़ौदा में है; उसका प्रबन्ध किया जाय तो जनता का उससे कल्याण होगा। मुझे गौरक्षा के सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं है। सरकार एक कमेटी बना चुकी है और आशा है उसके जरिये से पूरा प्रबन्ध होगा। लेकिन कहीं-कहीं अभी भी मुझे दुख होता है और मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि कहीं-कहीं अभी तक गोवध हो जाता है। रामपुर में म्युनिसिपैलिटी के बाईलाज भी बना दिये गये हैं, लेकिन फिर भी उन नियमों का पालन न करके गोवध कर दिया जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि शासन तभी चल सकता है जबकि दृढ़ता के साथ उसका प्रबन्ध किया जाय। यदि शासन में ढिलाई आई तो शासन बिगड़ जाता है और हुकूमत नहीं हो सकती है। कहीं-कहीं जब नियम जो बनते हैं उनमें शिथिलता ला दी जाती है तभी उन नियमों का पालन नहीं होता है। मैं यह कहता हूं कि वहां शासन दृढ़ता के साथ होना चाहिए।

मादक द्रव्यों के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि उनके लिये एक मद बजट में है। वे दूषित पदार्थ माने जाते हैं। उनके निषेध के लिये सरकार की ओर से यह घोषणा की गई, कुछ समय भी उसके लिये रखा गया था कि उतने में समस्त प्रदेश में नशा बन्दी कर दी जायगी। और हमारे पूज्य बापू जी, जिनका अनुकरण करना सरकार अपना ध्येय मानती है उनके उपदेशों को मानने के बाद भी आज नशाबन्दी कई जिलों में नहीं है बल्कि प्रदेश के अधिकतर भागों में नहीं है। यह बड़े दुख की बात है। नशाबन्दी होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। इसके लिये यदि कहा जाय कि आय में कमी हो जाती है तो इसके लिये कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। यदि कोई कुत्सिक कार्य इस दृष्टि से किया जाय कि उससे रुपया ज्यादा पैदा होगा तो क्या वह भ्रष्टाचार का सूत्रपात नहीं होगा? इस प्रकार से अगर हम ऐसी बातों में नशाबन्दी न करें और नशा को न रोकें तो हमें दुःख होता है और यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से हमारा ध्येय और हमारे पूज्य बापू जी का ध्येय पूरा नहीं होता है। इस प्रकार से इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा आजकल जो समस्या उत्पन्न हो गयी है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। बात यह है कि आजकल मैं दो दिन से देख रहा हूं कि जो हलचल मची हुई है उसके सम्बन्ध में जो अध्यापकगण अनशन कर रहे हैं और उनके साथी बहुत से अध्यापक बाहर से अपना कष्ट लेकर यहां उपस्थित हुए हैं। उनकी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र से शीघ्र विचार होना चाहिए और जैसा कि हमारे मित्रों ने और कांग्रेस दल के बहुत से सदस्यों ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है उनकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र हल निकालना चाहिए। यह राष्ट्र के निर्माता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माताओं के भी निर्माता हैं। इस प्रकार से उनके प्रश्न पर जितनी शीघ्रता से विचार कर लिया जायगा उतना ही देश को लाभ होगा। ये अध्यापक भूखे रह कर ठीक तरह से शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, इससे देश को हानि पहुंच सकती है।

बहुत सी बातें कहीं गईं। उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना मैं उचित समझता हूं लेकिन समयाभाव के कारण आज कुछ नहीं कह सकता। जब कभी समय मिलेगा तो उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। अभी जो बातें कहीं गईं उनमें एक कर के सम्बंध में है। उसके संबंध में मैंने पहले भी निवेदन किया है। कहा जाता है कि विदेशों में कर बहुत लगते हैं तो यह हमारे देश के लिये भयंकर बात है। आज यह कहा जाता है कि किसान के पास मंहगा अन्न है, इसलिये वह अपना लगान आसानी से बेबाक कर सकता है, इसका मतलब यह कभी नहीं है कि किसान अगर अपना लगान अदा कर देता है तो वह सुखी है, सम्पन्न है। अन्य वस्तुयें भी तो बहुत ही महंगी हैं और उनको खरीदने में किसान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसान आज सुखी नहीं है। उसका अन्न महंगा है

[श्री रणंजय सिंह]
इसलिये अपना लगान दे सकता है। इसलिये हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि किसान सुखी है, सम्पन्न है और उसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है ।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस समुचित और सुन्दर आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये, जो उन्होंने इस सदन में प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं। जहां तक इस आय-व्ययक का विरोध किया गया या इसकी टिप्पणी की गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष न तो बजट को ही देखा है और न वित्त मन्त्री जी के व्याख्यान पर ही कुछ विचार किया है । हां, इतना अवश्य किया गया है कि कुछ इधर उधर के उद्धरण देकर अपने व्याख्यान को ऐसा आवरण देने की कोशिश की गई कि जैसे उसके पीछे बहुत बड़ा सार है ।

कल विरोधी दल के नेता, श्री राज नारायण जी ने श्री डाल्टन की पुस्तक से उद्धरण पढ़ा और यह कहा कि टैक्स के नियम ऐसे होने चाहिए कि टैक्स उन्हीं लोगों पर लगना चाहिए जिनकी देने की क्षमता हो। लेकिन वह अपनी इस दलील को पूरा नहीं कर सके । उन्होंने यह नहीं बतलाया कि आखिर उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर टैक्स लगना चाहिए और अगर टैक्स न लगाया जाय जैसा कि एक साहब कहते हैं तब उनको यह भी मान लेना चाहिए कि सरकार उतने ही कार्य कर सकती है जितनी की उसकी आमदनी हो और बड़े कार्य तभी हो सकते हैं जबकि सरकार की आमदनी बढ़े। केवल दलील के लिये एक बात कहना और अधूरी बात कहना, मेरी समझ में नहीं आता है कि उससे जो वित्त मन्त्री जी पर आक्षेप किये गये हैं, कहां तक सही है । मैं तो यह समझता हूं कि श्री राज नारायण जी ने उन कार्यों को देखने की कोशिश नहीं की जो वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि १९४६ ई० से लेकर सन् १९५२ ई० तक, कार्य किये गये हैं। क्या उनको शक है कि वह कार्य नहीं हुए हैं, क्या यह बात गलत है । क्या राज नारायण जी इस बात को कह सकते हैं? क्या १९ हजार प्राइमरी पाठशालायें नहीं खोली गई ? यह मैं मानता हूं कि अगर कोई साहब यह दलील दें कि रफ्तार तेज होनी चाहिए, उसको और तेज किया जाय । इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि अभी कमी है और उनको और तेज किया जाय और उनको करना चाहिए, लेकिन साथ साथ रफ्तार को तेज करने के पीछे हमको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे पास साधनों की कमी है । जब तक हम साधन नहीं बतला सकते हैं कि यह रुपया कहां से लाया जाय और कहां से लाकर रुपया ज्यादा खर्च किया जाय तब तक यह केवल कह देने से कि रफ्तार धीमी है यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई भी समझदार आदमी कोई महत्व दे सके । मैं तो यह समझता हूं कि हमारा देश दुर्भाग्य से पिछले १५० साल से परतन्त्र रहा है जिसकी वजह से हमारे देश में साधनों की कमी है । साधनों की कमी होने के कारण हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं हो सकती है कि जितनी हमारे भाई चाहते हैं । तो फिर किसी पर लांछन लगाना या दोष देना किसी प्रकार से उचित नहीं है और न इससे कोई लाभ हो सकता है । जो वास्तविक स्थिति है उसको हमको देखना चाहिए और उसके अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए । कुछ ऐसी बातों को विरोधी दल के नेता ने इस सदन के सामने रखा कि जिनका कि सम्बन्ध किसी निजी घटनाओं से था और मैं समझता हूं कि मेरे काबिल दोस्त का निजी घटनाओं को यहां पर रखने का तरीका अख्तियार करना अच्छा नहीं होगा। मुझे खास तौर पर बड़ा दुख हुआ और उस वक्त गृह मन्त्री ने बड़े सुन्दर शब्दों में जवाब उनसे पूछा कि साहब उस पत्र के लिखने वाले का नाम बताइए तो कहा कि वह तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की। इस तरह की बातें किसी निजी पत्र की बातें यहां पर पढ़ कर और उन बातों का हवाला देकर, जिनको यहां पर साफ नहीं कर सकते हैं किसी विरोधी दल के नेता को शोभा नहीं देता है । मैं तो यह कहूंगा कि कि इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ घटनाये गोरखपुर के सिलसिले में रखीं और दूसरे तरीके पर दूसरी घटनाओं का जिक्र किया । मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार का मानव समाज है, उसमें आप किसी को भी देख लीजिए यह शिकायत

रोजमर्रा रहती है। हमारी सरकार कभी भी यह नहीं कहती रही है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां पर मनुष्य की कमजोरियां समाप्त हो गयी हैं और कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जिस पर किसी को शिकायत नहीं हो सकती है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है मैं तो यह कहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ प्रतिशत ऐसा बताये कि सूबे में बहुत कम इस पर खर्च किया जाता है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कभी इस बात को देखा कि दूसरे राज्यों में कितना प्रतिशत विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है। कोई भी अनुपात उन्होंने सामने नहीं रखा कि अगर शिक्षा पर इतने प्रतिशत खर्च किया जाता है तो विकास पर कितना खर्च किया जाता है। अगर वह इस बात को देखते और जनता तथा सदन के सामने रखते तो उनको मालूम होता कि इस ७८ करोड़ के बजट में से २६ करोड़ रुपया हमारे यहां विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने किसी दूसरे राज्य के बजट को नहीं देखा। वह इतनी बड़ी रकम विकास कार्यों के लिये कहीं अन्य नहीं पायेंगे। इसलिये हमको यह मानना चाहिए कि जब हम आज गल्ले की कमी, कपड़े की कमी और दूसरी कमियों के दायरे से गुजर रहे हैं तब अगर इस बात की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खर्च हम ऐसे साधनों के बढ़ाने में करें, जिनसे रोटी का प्रश्न हल हो सके, कपड़े का प्रश्न हल हो सके तो उतना खर्च हम दूसरी बातों पर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आर्थिक नियम का उल्लंघन होता है जिससे उनको आपत्ति होती है? मैं तो यह समझता हूं कि उनको गम्भीरता पूर्वक अपने भाषण को तैयार करके बजट पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए और ऐसी बातों का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई सान्त्वना न मिले। इसके साथ-साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस माननीय सदन के सम्मुख मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में तो यह पाता हूं कि यह मैदानी बजट है। इसमें अगर किसी को शिकायत हो सकती है तो वह थोड़ी बहुत पहाड़ी जिलों को हो सकती है। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की पहाड़ी जिलों पर बड़ी अनुकम्पा रही है, लेकिन उस अनुकम्पा का रूप थोड़ा बदलना चाहिए। आज तक हमारे ऊपर जो अनुकम्पा रही है वह इस प्रकार की रही है कि जब कभी वहां अकाल पड़ा, जब कभी भुखमरी हुई तो हमको सरकार द्वारा मुफ्त गल्ला दिया गया और दूसरे तरीकों से भी सहायता की गयी, लेकिन कोई भी समाज केवल दान पर जिन्दा नहीं रह सकता है। कुछ ऐसा साधन उस समाज के लिये पैदा होना चाहिए जिससे दान मांगने की नौबत न आवे। मैं आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी जिलों की आबादी लगभग २५ लाख की है और वहां पर खेती के लिये जो भूमि प्राप्त है वह केवल सवा ४ लाख एकड़ है। इस प्रकार वहां भूमि की इतनी कमी है कि जिससे एक तो पहाड़ी भूमि और उसमें भी २५ लाख की आबादी के लिए केवल सवा ४ लाख एकड़ भूमि प्राप्त होना एक ऐसी चीज है जिससे आज वहां पर भूमि-हीनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने समय-समय पर अखबारों और लेखों के द्वारा और दूसरे तरीकों से सरकार से इस सम्बन्ध में विनम्र प्रार्थना की थी कि जो लाखों आदमी आज पहाड़ों पर भूमिहीन हैं उनके लिये वह कोई साधन निकाले, लेकिन मुझे दुख है कि इस वर्ष के बजट में कोई भी रकम मैं नहीं देखता, कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे पहाड़ी भूमिहीनों की समस्या हल हो पाती।

साथ ही मैं एक बात के लिये सरकार को बधाई देता हूं। वह वहां पर भेड़-पालने की एक योजना सरकार ने स्वीकार की है, जिसमें अगले ५ वर्ष में ३० लाख रुपया खर्च किया जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बाअदब सरकार से यह भी कहूंगा कि यहां के लिये बहुत सी योजनायें बनीं, लेकिन किसी को भी मैंने सफलता में परिवर्तित होते नहीं देखा। उसका कारण यह है कि जो योजना बनती है उसका सम्बन्ध पहाड़ी इलाकों से रहता है, जहां सरकारी अफसर जाना कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज से ५ वर्ष पूर्व अल्मोड़ा जिले में ६ अस्पताल बनाना सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से केवल ३ अस्पताल ही बन सके और ३ अस्पताल इसलिये नहीं बन पाये कि जन-निर्माण विभाग के

[श्री भूपाल सिंह खाती]

कार्यकर्त्ताओं ने वहां जाने से इन्कार कर दिया, जिससे वहां पर इमारतें नहीं बन सकीं। आज भी भेड़ पालन योजना की स्थापना सरकार जिन क्षेत्रों में शुरू करने जा रही है उनका सम्बन्ध तिब्बत के सीमावर्ती प्रदेश से है और मुझे विश्वास है कि वहां पर सड़कों की सुविधायें, यातायात के साधन न होने की वजह से अगले वर्ष मुझे इस सदन के सम्मुख विनम्र यह प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वहां कोई कार्य नहीं हो सका। क्योंकि जो रवैया सरकारी अधिकारियों का रहता है उस रवैया के अनुसार वे कभी भी वहां जाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो एक बात मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जब तक पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन की सुविधायें नहीं दी जाती हैं तब तक किसी भी तरीके से इसकी उन्नति होना असम्भव है और कोई भी योजना जो सरकार द्वारा बनेगी वह कभी भी सफलता पूर्वक वहां पर चल नहीं सकेगी। इस बात की कई वर्षों से चर्चा चल रही है कि तिब्बत में कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया है इसलिये तिब्बत के सीमावर्ती प्रदेशों से अब ज्यादा सम्पर्क बढ़ाया जाय और उसके साथ-साथ उनको ज्यादा सुविधायें दी जायं। गगांई, मुनस्यारी और धारचुला में अस्पताल और औषधालय बनाने की बात भी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष भी, बजट के समय इसके लिये सरकार से प्रार्थना की थी और आज भी प्रार्थना करता हूं कि पहाड़ी जिलों में सौ-सौ मील पर भी कोई अस्पताल नहीं है। आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की क्या अवस्था होगी। अगर आप आबादी देखें तो बेनीनाग से मनुस्यारी की आबादी ६० हजार ज्यादा होगी लेकिन उनके लिये भी वहां कोई अस्पताल नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वहां अस्पताल का होना कितना जरूरी है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार यातायात के लिये कोशिश करे क्योंकि धारचुला तथा मुनस्यारी में औषधालय व अस्पताल का प्रबन्ध हो जाने पर भी यातायात की कठिनाई के कारण कोई अधिकारी वहां जाना पसन्द नहीं करेंगे, वहां पर कोई डाक्टर नहीं मिलता, कोई वैद्य नहीं मिलता। इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पहाड़ की समस्या को हल करने के लिये वहां पर यातायात को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, वहां पर जब तक सड़कें नहीं बनतीं, तब तक कोई विकास कार्य वहां सफल नहीं हो सकता। कृषि की उन्नति वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहां कृषि के साधन बहुत कम हैं। हम वहां फलों और शाक-सब्जियों में तरक्की कर सकते हैं और उनको मैदानी जिलों में लाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिये भी यातायात बहुत ही जरूरी है। वहां पर लाखों मन सेब और शहद पैदा हो सकता है और वहां लाखों मन आलू पैदा होता है, लेकिन यातायात के साधन न होने के कारण वह बड़े-बड़े बाजारों का मुंह तक नहीं देखने पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में पहाड़ी इलाकों के लिये कोई ऐसा संकेत नहीं है कि जिससे इस दिशा में हम अगले साल के लिये कुछ आशा कर सकें। यदि इस वर्ष हमारा नम्बर छूट गया है, हमारा नम्बर नहीं आया है तो कम से कम अगले साल ही इस विषय में ध्यान दिया जाय। प्रदेश में जमीन्दारी उन्मूलन भी हो चुका है। लेकिन पहाड़ की जमीन्दारी और हिस्सदारी का उन्मूलन करने की बात का भी इस बजट में कोई संकेत नहीं मिलता है। यहां जमीन्दारी उन्मूलन के बाद वहां जो हिस्सेदारी वगैरह में परिस्थिति पैदा हुई है उसको देखते हुए वहां भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जितनी जल्दी हो, वहां भी इसका खात्मा किया जाय उतना ही अच्छा है और उतना ही वहां की जनता का लाभ होगा।

अध्यापकों के सम्बन्ध में यहां काफी चर्चा हुई। मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा और यह वाकया है, चाहे आप उसको मानें या न मानें, कि हम ग्रामीण शिक्षा को केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर ही नहीं छोड़ सकते और सरकार ने ३ अगस्त, १९४९ का जी० ओ० निकाल कर मान लिया है कि वह ग्रामीण शिक्षा में दिलचस्पी रखती है। सरकार ने बिना डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के साधनों को देखे हुए ही ३ अगस्त, १९४९ के वेतन-क्रम को निश्चित किया और कहा था कि इस वेतन-क्रम के अनुसार ही अध्यापकों को वेतन दिया जाय और उसके कारण उस समाज का सारा

मनोविज्ञान ही बदला है। अगर इस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका निकल सके तो मैं सरकार को बधाई दूंगा, लेकिन जब तक उनको वे वेतन नहीं दिये जाते हैं तब तक अध्यापकों में कोई सन्तोष नहीं हो सकता है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें सन्देह था कि जिसने बजट की स्पीच को सुना उसको इस बात में भी शंका रही होगी कि हमारी सरकार इस प्रदेश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है, किन्तु हमारे माननीय विरोधी दल के नेता को तो उसमें कहीं भी कोई ब्राइट स्पाट नहीं दिखलाई पड़ा, उनको केवल एक ही रंग दिखलाई पड़ा। मैं नहीं जानता इसका क्या कारण है। लैन्ड रिफार्म की योजना, इर्रीगेशन और एजूकेशन आदि में जो जो प्रगति हुई है और जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में यहां पर कानून पास हुए हैं उनसे वह स्वयं अवगत हैं और उन्होंने उस पर टीका टिप्पणी भी की, कहीं कहीं पर उन्होंने कुछ बातों का स्वागत भी किया, लेकिन कल उन्होंने सिवाय कन्डेमनेशन के और कुछ नहीं कहा। यह बात सही है कि हमने एक वेल फेयर स्टेट की तरफ तरक्की की है। लेकिन हम उन सीमाओं को नहीं भुला सकते, जिनके बीच में हमने यह प्रगति कर पायी है। उन सीमाओं और साधनों के होते हुए हम यह आशा करते थे कि उधर से कोई ऐसा सुझाव आयेगा जिसको कार्यान्वित करके इस प्रांत का ज्यादा कल्याण हो सकेगा। जहां मैं यह कहता हूं कि हमारी सरकार ने वेल फेयर स्टेट के लिये प्रयास किया है, वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह प्रयास जितना होना चाहिए था उतना होते हुए भी बहुत ही अपर्याप्त रहा है। जो कुछ करना था उसको देखते हुए जो कुछ हुआ है, वह बहुत अपर्याप्त है।

इसके साथ ही साथ यह भी बात है कि जिस सद्भावना से और जिस उद्देश्य से ये योजनायें चालू की गयीं, नीचे पहुंचते पहुंचते वह सद्भावना बहुत कुछ लुप्त सी हो गयी। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि हमारी बहुत सी चीजें जो वरदान के रूप में होनी चाहिए थीं नीचे पहुंचते पहुंचते भार रूप बन गयीं। दो-एक बातों से इसको मैं दिखाना चाहता हूं। जमीन्दारी अबालिशन फन्ड के सिलसिले में हमारे निम्न कर्मचारिवर्ग ने जो कारगुजारी दिखायी उस पर लोगों में काफी असन्तोष रहा है। इसी प्रकार अगर आप पन्चायत राज को देखें तो आपको मालूम होगा कि पन्चायत राज ऐक्ट इस लिये बनाया गया था कि जनता के पास शक्ति जाय, लेकिन एक ओपिन सिस्टम आफ वोटिंग ने उसका भी खातमा कर दिया।

शिक्षा तथा दूसरे विकास के कार्यों में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। यह बात क्यों हो रही है? हमारे पास सीमित साधन हैं, हम उनका प्रयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पाते जैसा कि हम करना चाहते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस-लिये आज हमें इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में बात यह है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके उपयुक्त नहीं है। जैसे मिसाल के लिये एक मोटर कार है जो कि समान लेबिल वाली सड़क पर चलने वाली है और उसको एक खेत में जोतने के काम में लगा दिया जाय। वेल-फेयर स्टेट और पुलिस स्टेट के काम में बड़ा अन्तर है और यह एडजस्टमेंट आज तक नहीं हो पाया है। इस कार के इंजिन के पिस्टन ढीले हो गये हैं, वह पेट्रोल और मोबिल आयल भी ज्यादा खाती है, शोर ज्यादा मचाती है, धुंआ बहुत देती है, लेकिन खींचती कम है। यह हाल हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का है।

मैं किसी तरह से भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारी सर्विसेज में जो लोग हैं उनमें देश प्रेम कम है। मैं यह बात भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनकी योग्यता कम है या उनमें ईमानदारी की कमी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो ढांचा बना हुआ है वह अलग-अलग पुर्जों के ठीक होते हुए भी इल ऐडजेस्टेड, इल ऐडैप्टेड और इनएफीशियेन्ट है। आज हमारे सामने यह एक समस्या है कि हमारी स्कीम्स उसी तरह से नीचे तक पहुंच जानी चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। अगर वे उस तरह से नहीं पहुंचतीं तो

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जनता में उत्साह और उमंग नहीं हो सकती, जिसके बल पर हमें काम करना है । हमारे यहां पंचवर्षीय योजना चल रही है । हमारे सामने जो समस्या है जिसका थोड़ा सा जिक्र माननीय परिपूर्णानन्द जी ने किया उसमें से जो कुछ बाकी रहा है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। ८० करोड़ रुपया हमें अगले तीन वर्षों में खर्च करना है, लेकिन अगर रिहन्ड डैम भी उसमें शामिल हो जाता है तो वह रुपया १०० करोड़ के करीब हो जायगा । यह तो तब, जब कि अभी ६५५ करोड़ की जो कमी है उसमें क्या हिस्सा प्राविंसेज के ऊपर आवेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता । सौ करोड़ रुपया तो हमको लाना है और हालत यह है कि आज हमारी परचेजिंग पावर, जैसा कि बजट में भी कहा गया है, कम हो गयी है । जितना टैक्स लग चुका है उससे ही हमारी परचेजिंग पावर गिरने लगी है । दूसरी बात यह भी हमने बजट स्पीच में सुन ली कि हम लोन्स उगाहने में भी असमर्थ हैं । इसके मानी यह है कि जो कुछ भी हमारा सिस्टम है उससे हम ज्यादा रुपया टैक्सेशन से ही ले सकते हैं, लेकिन यदि टैक्सेशन से लेते हैं तो उसकी भी लिमिट होती है, इस वजह से नहीं कि परसेंटेजेज के चक्कर में पड़ते हैं, बल्कि इसलिये कि जब परचेजिंग पावर कम होने लगी तो इससे यह मालूम होता है कि टैक्सेशन काफी सीमा तक पहुंच गया है । इसलिये यह रुपया कहां से आवेगा ?

सेविंग्स की बात कही गयी है । सेविंग्स के लिये दो-तीन बातों की जरूरत है। एक तो यह कि २५५ की ऐवरेज इनकम में से कितनी सैविंग कर सकते हैं और कितनी पूर्ति कर सकते हैं । यह एक समस्या है । दूसरी समस्या यह है कि जनता में इतना उत्साह और उमंग हो कि वह उसके लिये तत्पर हो कि अपने प्रेजेन्ट सैटिस्फैक्शन, अपनी मौजूदा जो जरूरतें हैं उनको कम करें और आगे के लिये जमा करें । इसके लिये दो-तीन बातों की आवश्यकता है। जहां पर यह बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं, वहां पर जो मौलिक चीजें हैं उनकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि जो भी वेल फैयर स्टेट होने का दावा करे उसको एफीशियन्ट पुलिस स्टेट होना भी पहली आवश्यकता है ।. जब तक हमारे यहां ला ऐन्ड आर्डर और जस्टिस की स्थिति ठीक नहीं, तब तक जनता में यह भावना नहीं होती कि जो हम कमाते हैं उसको सुरिक्षत रख सकते हैं, जब तक हम यह नहीं सोचते कि हमको जो न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय तो बहुत की चीज है---लेकिन साधारण न्याय भी मिलेगा, तब तक हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि जनता में यह भावना पैदा होगी ।

आज पुलिस की रिपोर्ट से हमें चाहे ऐसी सूचना मिलती हो कि क्राइम कम हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो भी इस माननीय सदन के सदस्य हैं, सब जानते हैं कि आज जो हालत है, वह दिन ब दिन ला ऐन्ड आर्डर की खराब होती जा रही है । क्राइम दबाया जा रहा है । इस वजह से सरकार को इसके बार में अन्धेरे में रखा जा रहा है । मैंने स्वतः इसके प्रमाण भी गृह मन्त्री जी को दिये हैं । यह आज ला ऐन्ड आर्डर की हालत है । फर्जी कार्यवाही बहुत कुछ होन लगी है । रेलीज, डिमांस्ट्रेशन्स, प्राइज गिविंग्ज, इनागरेशन्स में बहुत वक्त जाया हो रहा है और वास्तविक काम बहुत थोड़ा हो रहा है ।

दूसरी न्याय की बात है । वह आज साधारण आदमी की पहुंच के और उसके साधनों के उतना ही बाहर है जितना कि पहले था । पहले मैं उम्मीद करता था कि हमारे जमाने में कम से कम सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स तहसीलों तक पहुंच जायंगी, ताकि एक साधारण देहाती को बार-बार शहरों की हवा न खानी पड़े । वह वहां इतनी दूर से पहुंचता है । एक नहीं, दो नहीं, दस-दस पेशियां पड़ती हैं । सालों मुक़द्दमे चलते हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि जो ग़रीब आदमी है वह अन्याय सह कर खामोश बैठना ज्यादा पसन्द करता है, बनिस्बत इसके कि वह न्याय की तलाश में जाय । जब तक । अध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीजें ठीक नहीं होतीं, तब तक जनता में वह उमंग और वह उत्साह नहीं हो सकता जोकि हमारी इस योजना को सफल करने में हमें मदद दे सके ।

सर्विसेज के बारे में, मैं मेटाफ़र्स को छोड़ करके सीधी बात कहता हूं कि जितनी राशनलाइजेशन की जरूरत सर्विसेज में है उतनी कहीं नहीं है। सब से पहले राशनलाइजेशन यहां होना चाहिये और उसके साथ-साथ हमें वेजेज का क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। वेजेज में असमानता तो है ही, विषमता तो है ही, लेकिन यह भी विषमता है कि एक ही तरह का काम जहां दो आदमी कर रहे हैं वहां एक को दूसरे से दुगनी तनख्वाह मिलती है। आज हमारा चपरासी वर्ग है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी हैं उनको जो मिलता है वह क़रीब क़रीब यहां के चपरासियों से दूना है। तो फिर कैसे असन्तोष न हो? यह वेजेज का क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती और सारे भारत के लिए लेती तो अच्छा होता लेकिन अगर उसने नहीं लिया तो यह आज हमारी प्रान्तीय सरकार को लेना आवश्यक है। हम एक दो तीन चार पांच कैटेगरीज तक रखें। इन में अनुपात शायद १० गुने तक का हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निम्न वर्ग के कर्मचारियों को अगर पेट भर खाना आज नहीं मिलता है तो दो ही बातें होंगी। या तो उनमें असन्तोष रहेगा और वह स्ट्राइक करेंगे या बेईमानी करेंगे। इस तरह से जब तक हम इस बात का कोई समाधान नहीं पेश करते, तब तक ऐसी ही अवस्था रहेगी। आज चारों तरफ हड़ताल की धूम है, पटवारियों की हड़ताल है, अध्यापकों की हड़ताल है। बहुत से माननीय सदस्य और बहुत से लोग खुश हैं कि पटवारियों को निकाल दिया गया, अच्छा है। मैं कहता हूं कि पटवारी अच्छे थे या बुरे थे, वह एक सिस्टम के प्रोडक्ट थे। हमारे ही भाई थे। हमारे और आपके लोगों में से ही पटवारी भी बनते हैं। अगर वह बुरे थे तो हमको उनको वैसे ही क़ानून से सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए था लेकिन आज जो हो रहा है वह कुछ और ही है। अध्यापकों की जो समस्या है उसके लिए भी मैं कहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ५ कैटेगरीज करे और उसके अनुसार चले तो यह भी हल हो सकती है। समय समाप्त हो रहा है। अब मैं यह कहूंगा कि पंच वर्षीय योजना जो चालू है उसमें जब तक कास्ट आफ लिविंग को ध्यान में रखकर वेजेज इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तब तक कोई भी इंडिसिप्लिनरी ऐक्शन या स्ट्राइक बन्द नहीं होगी। यह जितनी सर्विसेज हैं वह सभी एसेंशियल सर्विसेज हैं और फाइव इयर प्लान तभी चल सकता है जब कि इस तरह की स्ट्राइक बन्द हों। इसके साथ साथ हमें यह सुविधा तो देनी ही पड़ेगी। जहां तक मैंने सर्विसेज की बात कही और गवर्नमेंट की बात कही उसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमें एकोनामी बहुत बर्तनी है। इस एकोनामी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले यहां की एकोनामी हम देखें कि दो दिन राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर वाद-विवाद हुआ, एक दिन सप्लीमेंटरी बजट पर और तीन दिन बजट पर। तो इन ६ दिनों में यहां बैठकर हमने इस स्टेट का और इस देश का कितना कल्याण किया है? यही एक बहुत बड़ी एकोनामी का सवाल है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि जो उन्होंने बहुत ही महनत के साथ और बहुत लम्बा एक अपना भाषण तैयार किया जिससे हम लोगों को बहुत सी बातों को समझने का मौका मिला। दूसरी तरफ मैं 'कल्याणकारी' शब्द से हमदर्दी जाहिर करना चाहता हूं जिसके साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेरहमी के साथ बर्त्ताव कर रही है। कल्याणकारी शब्द विचारा वह मूक है। वह बोल नहीं सकता लेकिन जिस प्रकार उसके साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है वह वाक़ई हमदर्दी का पात्र है। मैं एक ही बात माननीय वित्त मन्त्री जी से अथवा सरकारी बेंचों से यह जानना चाहता हूं कि जिनकी वरासत में आपको यह हुकूमत मिली है उनको आप क्या कहते थे? यदि उन्हें भी कल्याणकारी राज्य को चलाने वाला कहा जाय तो मैं समझता हूं कि शिकायत होगी प्रान्तीय सरकार को भी और कम से कम हमको तो जरूर शिकायत होगी। फिर किस बुनियाद पर यह हुकूमत कहती है कि यह राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य है और अंग्रेजी राज्य से कुछ भिन्न है? भिन्न मैं तो समझता हूं, लेकिन जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की परिभाषा गवर्नमेंट करती है उससे जब मैं मिलान करता हूं और अंग्रजी सरकार के कामों से तो मुझे ऐसा

[श्री गेंदा सिंह]

लगता है कि उस शब्द के साथ अनाचार हो रहा है। मैं अभी कुछ गौर से देखता रहा कि सन् १९३१ से लेकर १९३७ तक जब कांग्रेस की हुकूमत पावर में आयी थी उस बीच में अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार जनोपयोगी कार्य्यों पर अपने बजट में खर्च दिखलाती थी उस बुनियाद पर वह सरकार भी कल्याणकारी होने का दावा कर सकती थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो-तीन मदों में खर्चा जो सन् १९२१ से लेकर के सन् १९३७ ई० तक हुआ है, जनपयोगी मदों में, उसको मैं आप के सामने रखना चाहूंगा। जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सन् १९२१-२२ में १,३७,७०,००० खर्चा होता रहा। सन् १९३६-३७ में १,४५,९१,००० खर्चा होने लगा। १,८१,८०,००० खर्चा होता रहा सन् १९२१-२२ में और १,६६,२१,००० खर्चा होने लगा सन् १९३६-३७ में। एजूकेशन में १९२१-२२ में १,५२,०००० खर्चा होता था और सन् १९३६-३७ में २,६,९९,००० खर्चा होने लगा और फिर दूसरी तरफ अगर हम यह देखें कि वह पैसा कहां से आता था तो वह भी आज से भिन्न होगा। हम टैक्स लगाते हैं ग़रीबों पर उस टैक्स का नाम हम सिंचाई कर के रूप में रखें या सिंचाई की सेवा के बदले में मेहनत का दाम मांगें, मतलब यही है कि किसानों से लेना है। हम देखते हैं कि उस जमाने की सब से बड़ी आमदनी जमीन की मालगुजारी से थी। उस जमाने के मालगुजारी के आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि सन् १९२१-२२ में ६,८०,९१,००० की वसूली थी और सन् १९३६-३७ में ५,८९,७२,००० की हो गयी। अलबत्ता एक्साइज से १,४८,९२,००० की आमदनी सन् १९२१-२२ में थी, इसमें जरूर वृद्धि हुई और सन् १९३६-३७ में १,४४,००० की आमदनी हुई। तो फिर ऐसी हालत में जो बजट हमारे सामने इस समय मौजूद है अगर सन् १९४६-४७ से हम इस वक्त की तुलना करें, सन् १९५२-५३ या १९५३-५४ से तो क्या इस हिसाब से वह हमारी तुलना कुछ हो पाती है जो हमने जनोपयोगी खर्चा किया? उसी के साथ-साथ पुलिस पर या दूसरे कामों पर हमने जो खर्चा किया वह अनुपात ठीक बैठता है अंग्रेजी हुकूमत से। हमें कुछ ज्यादा हिसाब-किताब तो आता नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है कि हिसाब-किताब जाना जाय। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी की खिदमत में यह पेश करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि किस आधार पर वेल-फेयर स्टेट अपनी हुकूमत का नाम रखते हैं, अपनी हुकूमत का वह क्या अर्थ रखते हैं, इस बात को वह बताएं। मैं चाहता था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इस सदन में मौजूद होते और उनकी ही बात मैंने बहुत गौर से सुनी थी। मैं उनकी तरह से आंकड़े तो नहीं पेश कर सकता, लेकिन कम से कम जो वाक़यात हैं उनको तो उनके सामने पेश करना चाहता हूं। इस बात का उत्तर मैं जरूर चाहूंगा माननीय वित्त मन्त्री जी से कि किस बुनियाद पर वह वेलफेयर स्टेट नाम रखते हैं। जैसा कि अभी माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने कहा मैं भी उनकी बात से सहमत हूं और मैं भी यह कहता हूं कि यदि कुछ प्लानिंग करना है तो पहले तो प्लानिंग का ठीक अर्थ होना चाहियें। प्लानिंग के मानी, जहां तक मैंने मोटे-मोटे समझा है, यह है कि देश में उत्पादन और वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। यह जो पंचवर्षीय योजना है क्या वितरण की व्यवस्था इसमें है? नहीं है। उत्पादन के लिये उसमें जरूर कुछ सोचा गया है कि हम इतना उत्पादन बढ़ा ले जावेंगे मगर यह इसमें नहीं रखा गया कि उसका वितरण होगा कैसे। आखिर सरकार सरकार ही है और वह उसे नियंत्रित करके उसका बटवारा कर सकती है। फिर सरकार कहती है कि भाई, यह कुअरशन या ज्यादती हो गई। तो यह अराजकता है। क्या पूंजीवाद में उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता? उसमें उत्पादन बढ़ता है और उस हद तक कि आर्थिक संकट सारे संसार पर आजाता है और वह सारे देशों को आपस में लड़ाकर तबाह कर लेता है। केवल उत्पादन की ही बात कह देने से काम नहीं चल सकता। वितरण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी तरफ हम यह भी कहना चाहते हैं कि उत्पादन की ही कौन सी व्यवस्था इसमें है। यह वेलफेयर स्टेट कम से कम सन् ४७ से वजूद में है। उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया धरती है। उससे जो पैदावार हुई उसके आंकड़े माननीय राजानारायण जी ने सदन के सामने रख दिय हैं। क्या सरकार

यह बताने को तैयार हैं कि उसने कितनी पैदावार अन्न की बढ़ाई ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस 'कल्याणकारी राज्य' में अन्न की पैदावार नहीं बढ़ाई गई, बावजूद इसके वहां कुछ करोड़ रुपया ख़र्च किया गया जमीन के तोड़ने पर और ४०० ट्रैक्टरों की फौज तैयार की गई और १२ या १३ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई और रामपुर और नैनीताल जिला में बड़े-बड़े फार्म खोले गये लेकिन मैं यह कहता हूं कि अनाज की पैदावार नहीं बढ़ी।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--बजट में लिखा है कि इतनी पैदावार बढ़ी है।

श्री नरेन्द्र सिंह--मैं उनकी खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि उससे पैदावार नहीं बढ़ी है। बल्कि आपके आंकड़े बताते हैं कि पैदावार बढ़ी है। सबसे अधिक पैदावार सन् १९४२-४३ में हुई और उसके बाद अभी तक उतनी पैदावार नहीं हुई। यदि केवल पैदावार की बात सोचनी है तो अंग्रेजी राज्य कल्याणकारी राज्य हो गया। हमसे कहा जाता है कि आंकड़ों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो मगर यह जो ७८ करोड़ रुपया ख़र्च होने जा रहा है यह भी तो आंकड़ों में ही लिखा हुआ है। मैं ज्यादा न कहकर केवल दो-एक बातें ही माननीय वित्त मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा इन पर भी गौर करने की कृपा करें और उनको शुद्ध कराने का कुछ उपाय करना चाहिये। सिर्फ यह कह देने से ही काम नहीं चलेगा कि आंकड़े दुरुस्त नहीं हो सकते और इसकी तरफ हम ध्यान न दें। लेकिन हम अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान न दें तो प्लानिंग की तरफ भी ध्यान न दें। फिर इससे तो हमारा और वितरण का मामला भी ग़लत हो जाता है। सारे देश की जनता की भूख का सवाल, कपड़े का सवाल, उत्पादन का सवाल और वितरण का, सब गड़बड़ी में पड़ जाता है। फिर सारा बजट गड़बड़ी में पड़ जाता है। इसलिए सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलता है कि उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता और उस तरफ ध्यान मत दो। मैं तो यह कहता हूं कि जब तक आंकड़े दुरुस्त नहीं होंगे तब तक प्लानिंग दुरुस्त नहीं होगी। मैंने माना कि प्लानिंग और आंकड़ों को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा और उसमें परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से तो काम नहीं चल सकता एक सबसे प्रमुख आंकड़ा जो मेरी दृष्टि में आया मैं आपके सामने रखता हूं। एक पुस्तक है "उत्तर प्रदेश आँकड़ों द्वारा सिंहावलोकन, १९४५-५२"। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त आय प्रति व्यक्ति १७६.८ रुपये रही और ५०-५१ में २५५.७ हो गई। उसमें गाँव को अलग किया गया है और बताया गया है कि सन् १९४६-४७ में प्रति व्यक्ति आय १५०.७ रुपये हैं और ५०-५१ में २१०.६ रुपये हो गयी है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आया यह आमदनी किस बुनियाद पर मानी जाती है कि बढ़ गई है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "आय के समस्त आंकड़े द्रव्य मूल्य के सूचक हैं और इनमें प्रति वर्ष भावों में होने वाली न्यूनाधिकताओं का प्रभाव सन्निहित है।" यदि केवल बाजारों के भाव को देखकर ही हमारी आमदनी को निकाल लिया जाता है तो यह उचित बात नहीं है और गलतियों से भरा हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूं कि अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है गन्ने की कैश क्राप जो है वह बढ़ी नहीं है, नौकरियां बढ़ी नहीं हैं बल्कि घटी हैं तो जितने भी आमदनी के जरिये हैं वह जरिये भी सब घटे हैं फिर यह आमदनी बढ़ी कैसे ? सन् १९४६-४७ में थी १७६ और ५०-५१ में हो गई २५५ तो यह ८० रुपये की आमदनी बढ़ने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। कोई रास्ता नहीं है। तो यह आंकड़े प्रायः गलत हमको दिये जाते हैं और इसी तरह से एक आंकड़ा मुझे और भी दिखलाई पड़ता है। वह मैं आपकी खिदमत में जरूर रखना चाहता हूं। सरकार यह कहती है कि सन् १९५६ तक २२ हजार ८०० मील नहरें तैयार हो जावेंगी। यह पंचायत राज्य ने जो पत्रिका निकाली है उसमें लिखा हुआ है। सिंचाई विभाग की जो ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है सन् १९४७ की उसमें यह बताया गया है कि ३५-३६ में २२ हजार १४८ मील पक्की नहरें बन गई थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय अब किन आँकड़ों पर विश्वास किया जाय और किन पर विश्वास करके काम चलाया जाय ? आप कहते हैं कि सन् ५६ में २२ हजार मील नहरें बनायेंगे और उससे इतनी जमीन सींचेंगे और वह

[श्री गेंदा सिंह]

भी आपका ही बनाया हुआ सन् ४७ का है। सन् ४६ का होता तो यह भी कहते कि यह वेलफेयर स्टेट का नहीं है लेकिन वह आंकड़े भी तो वेलफेयर स्टेट के हैं कि २६ हजार मील नहरें बन चुकीं और अब आप कहते हैं कि २२ हजार मील नहरें बनाई जायेंगी अगले चार वर्षों बाद, यह क्या बात है इस पर आप गौर करें।

इसके अतिरिक्त माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा कि ऐसी वेलफेयर सरकार नहीं चल सकती है, अगर उसकी सर्विसेज बहुत ही एफीशियेंट बहुत ही कार्यक्षम न हों। तो सरकार मान ले इस बात को कि वह बहुत कार्यक्षम है। लेकिन मेरा तो यह कहना है कि यह सरकार ही ऐसी है जो अपनी सर्विसेज को अपने पीछे काम करने वालों को अधिकाधिक डिमारलाइज़ कर रही है। सरकार अगर इस तरह का काम न करती तो देश का भविष्य बनता और माननीय वित्त मन्त्री जी क्षमा करें, लेकिन उनको अपने सामने एक नमूना रखना चाहिये क्या उनको मालूम नहीं है कि डाक्टर मोसद्दिक किस तरह से रहा करते हैं ? डाक्टर मोसद्दिक, ईरान का प्रधानमन्त्री। क्या उनका नमूना उनके सामने नहीं है ? क्या महात्मा गांधी का नमूना उनके सामने नहीं है ? मैं कहता हूं कि कोई नमूना ले लीजिये चाहे वह जेनरल नजीब का हो चाहे स्टालिन का हो, चाहे माओ का ले लीजिये, चाहे किसी का ले लीजिये और औरों को छोड़ दीजिये अपने देश का नमूना, महात्मा गांधी का लीजिये। परन्तु जब तक आप किसी आदर्श को नहीं लेंगे तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि कोई प्लानिंग और कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। आप अपने लिये, हमारे लिए, या जो कोई भी सफेदपोश है उसके लिये तो सारे बंदोबस्त करने के लिये तैयार हैं लेकिन जो गांवों में बसने वाले हैं, जो गांवों में बसने वाली करोड़ों जनता है उसको क्या लाभ होगा ? इसके लिए क्या कोई बंदोबस्त सरकार द्वारा किया गया है ? क्या उसके लिए सड़कें खोलकर रोजी दिलायेंगे ? और अगर नहीं तो उसके रोजी दिलाने का क्या बंदोबस्त है ? जिसके पास पैसा और सिंचाई के लिये जमीन है उसके लिये तो नहरें खोलने में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है और न सींचने के लिए जमीन है उसकी दिलचस्पी कैसे उसमें हो सकती है। इसलिये जब तक आप जो पीड़ित हैं उनके जीवन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक कोई योजना नहीं चल सकती।

आज अध्यापक भूख हड़ताल कर रहे हैं। ६ वर्ष से उनकी मांगें आपके सामने हैं लेकिन आज तक आपने क्या किया ? हम कहते हैं कि आज मिनिस्टर साहबान या गवर्नर साहब अगर थोड़ा भी अपनी तनख्वाहों को कम करके इन छोटों को देते और उनको थोड़ी-थोड़ी रक़म की पूर्ति करने की कोशिश करते तो वह भी मिनिस्टर साहबान के कहने को मानते। लेकिन हमारी सरकार इस बात को सोचने को तैयार नहीं है। ऊपर के कर्मचारियों की जितनी तनख्वाहें हैं उनको वह वैसे ही क़ायम रखेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस दृष्टि से सोचें और विचार करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई लिस्ट है, जिसके अनुसार नाम लिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष——मेरे पास बहुत से नाम आये हैं, जिसको मैं मुनासिब समझता हूं समय दे रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तब तो यह मुनासिब बात नहीं होगी।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जब कि यह बजट इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किया तो एक बहुत ही विस्तृत विवेचन के साथ इस बजट को माननीय सदस्यों को तथा प्रदेश की जनता को समझाने का भी यत्न किया। अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने भी मुझसे पहले इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हमारा उत्तर प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अग्रसर हो रहा है। मैं भी समझता हूं कि इस बात में बहुत हद तक वास्तविकता है। निस्संदेह लोग आज जितनी

आशा करते थे उतना सुधार और उतनी उन्नति तो देश की और जनता की नहीं हो सकी है। लेकिन यह कहना कि उन्नति नहीं हुई या कल्याणकारी मार्ग पर हमारा प्रदेश नहीं चल रहा है, मैं समझता हूं कि यह तो प्रकाश से चौंधिया कर आंख मीचने के बराबर होगा। लोग उम्मीद बहुत ज्यादा करते थे उतना नहीं हुआ और एहसास करने का माद्दा बढ़ गया है इसलिये जो कुछ हुआ है उसे नगण्य के बराबर भी बताया जाता है।

कल विरोधी दल के माननीय नेता श्री राज नारायण जी ने तथा आज भी कुछ सदस्यों ने कहा कि यह कल्याणकारी राज्य नहीं है। बहुत सी बातें बतलाईं कि जो काम होने चाहिये थे, वे नहीं हुये लेकिन यह नहीं बतलाया कि जो बातें हुई वे अकल्याणकारी हैं। ऐसी एक आध मिसाल अपने तरीके के इंटरप्रेटेशन से दे भी दी हो लेकिन अधिकांश जो मत प्रगट हुये हैं वह ऐसे नहीं हैं जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि राज्य अकल्याणकारी पथ पर चल रहा है। यह कह सकते हैं कि जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है, यह ठीक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार ने तो स्वयं भी अक्सर मौकों पर इसको स्वीकार किया है कि जितनी उन्नति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। लेकिन जो वस्तुस्थिति थी, जिस समय स्वराज्य प्राप्त हुआ और जिन हाथों में शासन की बागडोर आई, राज्य के मामलों में उनको अनुभव नहीं था। आज वह जो उधर बैठे हैं सब हमारे साथी थे और सब ही राज्य के मामले में अनुभवहीन कहे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के होते हुये और बाधाएं जो समय समय पर आईं उनको झेलते हुये जो कार्य भी किया गया उससे अधिक कोई भी सरकार कर नहीं सकती थी कल्याणकारी न कहना अनुचित ही नहीं अन्याय होगा।

आंकड़ों की बात अभी गेंदा सिंह जी ने कही तथा और माननीय सदस्यों ने भी कही। ठीक है, आंकड़ों के द्वारा ही हम लोग यहां आते हैं और आंकड़ों की बात पर ही बहस करने के लिये सदन के समय का उपयोग होता है लेकिन आंकड़ों के अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि प्रदेश का साधारण व्यक्ति क्या अच्छाई या बुराई महसूस करता है। इसमें तो दो रायें हो ही नहीं सकतीं कि आज देश का साधारण व्यक्ति पहले से कहीं आगे पहुंच गया है, कहीं ज्यादा उन्नति कर गया है। यह भी ठीक है कि उन्नति होते हुए वह अपनी तकलीफों को पहिले से ज्यादा बयान करता है क्योंकि पहिले उसे बयान करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब पूरी पूरी स्वतंत्रता प्रत्येक को अपनी बात कहने की है। कल्याणकारी पथ पर चलने और अग्रसर होने की पुष्टि में कई बातें हैं जिनको माननीय सदस्यों ने मुझसे पूर्व कहा है मैं भी कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं। बेकारी को दूर करने के लिये १० लाख रुपया इस बजट में रखा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि सारी पंचवर्षीय योजना का परिणाम प्रदेश से बेकारी का दूर होना होते हुये भी सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर है। इसी तरह से १ लाख रुपया स्त्री जाति के सुधार के लिये रक्खा गया है यह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के किसी भी अंग को पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहती। इसी प्रकार सरकार ने खेती की उन्नति को अपना सबसे पहला लक्ष्य बनाया है।

कल किन्हीं माननीय सदस्य ने संभवतः श्री राजनारायण सिंह जी ने ही यह भी कहा कि यह जो जनतंत्र का राज्य कहा जाता है वह केवल इसलिये कि एक मर्तबा वयस्क मताधिकार द्वारा जो दल चुनकर आ गया और वह दल जो भी करे वह डैमोक्रेटिक कहा जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इसके अलावा और कौनसा उपाय हो सकता है जिसके अनुसार कार्य किया जाना जनतांत्रिक कहा जायगा। वर्तमान सरकार के और भी अधिक क्रियात्मक, जनतांत्रिक उपाय किया है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण का और वह पंचायत राज की स्थापना है। मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का और अधिक जनतांत्रिक उपाय इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता था। जनता की बात को हमेशा ध्यान में रखना सरकार के सामने रहता है जैसा कि वर्तमान बजट वर्ष से भी ज्ञात होता है। बजट भाषण में डेवलपमेंट लेवी का संकेत किया गया था लेकिन प्रदेश की जनता को इसमें उत्साह नहीं था इसके अलावा जो पंचवर्षीय इसलिये सरकार ने उसको नहीं लगाया। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना है वह स्पष्ट रूपसे एक ऐसा कदम है जिसके बारेमें मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव

[श्री कृष्णशरण आर्य]

यह है कि २६ जनवरी से प्रारम्भ सप्ताह में सारे प्रदेश और देश में जो कुछ किया गया उसको जनता ने पूरी तौर से अपनाया। मैंने और मेरे स्थानीय साथियों ने, मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के सदस्यों ने इसे अपनाया या नहीं, क्योंकि रामपुर में तो उन लोगों ने कम हिस्सा लिया, उसके सिलसिले में गांव गांव घूम कर जो कुछ देखा उससे यही नतीजा निकलता है कि जनता ने इसको खूब अपनाया और अपने हृदय से इसको अपने लाभ की बात समझा। उसमें पूरा पूरा सहयोग दिया और पूरा पूरा कार्य किया। और इसलिये आशा की जा सकती है कि देश की जनता चाहती है इस पंच-वर्षीय योजना के अनुसार अपना कल्याण इस वर्त्तमान सरकार के द्वारा करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कोई भी सरकार तब तक पूर्णतया सफलीभूत नहीं हो सकती जब तक कि उसके अन्दर भ्रष्टाचार की मात्रा न्यून से न्यून न रह जाय और उनके लोगों में अनुशासन का पूरी तरह से पालन न होने लगे। आज अनुशासन पालन में बहुत कमी है और उसके कारण जहां और अनेक हो सकते हैं वहां यह भी है कि राजनीतिक पार्टियां सरकारी अधिकारियों को इस्तेमाल करके उनसे सरकारी अनुशासन भंग कराने का प्रयत्न करती हैं अपने राजनीतिक लालच के लिये। विरोधी दल चाहे कितना भी विरोधी प्रचार करें और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करें लेकिन जो भी कार्य सरकार की ओर से होगा उसका श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। फिर क्यों अनुशासन भंग की ओर साहस किया जाता है ? मान लीजिये कि कांग्रेस की सरकार नहीं होती और उधर के बैठने वालों की ही सरकार होती तो क्या आप यह पसन्द करते और स्वयं अपनी सरकार के अनुशासन को तोड़वाने का कार्य करते? आज सरकारी अधिकारियों में अनुशसान की तरफ कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा उपेक्षा पायी जाती है। इसकी तीन मिसालें तो इसी समय मेरे अपने ही ज़िले की हैं। मैं कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन जानकारी सरकार को हो सके, इसलिये बतलाता हूं कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब रामपुर में हैं, जिनका कार्य केवल यह है कि वे अपना अधिकांश समय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या पुलिस विभाग के खिलाफ या कुछ राजनीतिक कार्य-कर्त्ताओं के खिलाफ साजिश करने तक जैसी बातों में ही सर्फ करते हैं। इसी तरह से सदर अस्पताल में एक डाक्टर साहब हैं। उनका कार्य केवल यह है कि अपने विभागीय अन्य अधि-कारियों के खिलाफ झूठा प्रचार करें। ऐसी ही पुलिस की भी मिसाल है। अभी ९ तारीख की बात है सिविल लाइन थाने में एक दावत हुई, जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी के एक सज्जन भी बुलाये गये और वहां पर दो-ढ़ाई घंटे का समय इसलिये खर्च हुआ कि पुलिस के ऊंचे अधिकारियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया गया। मुझे पता है कि जिले के सुपरिटेंडेंट पुलिस को यह मालूम है और जाँच के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे ही लेकिन ऐसी बात होती ही क्यों है कि सरकारी अधिकारी अपने ही मुहकमे की पीठ में छुरा भोंकने की बात सोचते हैं। राजनीतिक दलबन्दी के द्वारा इस तरह से अनुशासन की बात और भी खराब होती है। मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ विशेषतौर से इसलिये दिलाया कि इसमें सुधार हो सके। इसी सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय गृह मंत्री जी की सेवा में १३ अक्तूबर को प्रस्तुत किया था। आशा है कि अवश्य ही उनपर विचार किया जायेगा।

इसके अलावा इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाने की बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बतलायी है, निःसंदेह आज जैसी स्थिति है उसमें यह कोई असह्य बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन एक बात मैं रामपुर के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस वक्त विलीनीकरण हुआ था उस वक्त वहां के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो सुविधायें उनको पहले से प्राप्त थीं वे तो अवश्य रहेंगी ही और उससे अधिक भी प्राप्त होंगी। जैसा कि अनेक बार इस आदरणीय सदन के सामने आ चुका है, वहां लगाव पड़ौसी जिले से अधिक है। अतः अगर वहां भी आबपाशी का रेट बढ़ाया जायगा

तो इससे वहां के कृषकों को काफी शिकायत का मौका मिलेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

अन्त में जुडीशियल रिफार्म कमेटी की सरकारी रिपोर्ट में जो बातें हैं अगर सरकार उनको स्वीकार करके अमली क़दम उठाने की कोशिश करे तो जो बहुत सी शिकायतें होती हैं अफसरों को समय न मिलने की वजह से, उनमें काफी कमी हो सकती है इसी तरह से पंचायत राज ऐक्ट में जो संशोधन होने वाला है उसमें अगर यह हो सके कि गांव सभा और पंचायती अदालत के जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव भागों के कार्य को अलग करने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय तो इससे वहां का कार्य बहुत सुगमतापूर्वक चल सकेगा। इतना कहकर मैं इस प्रगतिशील बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं।

श्री रामदास आर्य (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को तथा अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े परिश्रम से इस बजट को तैयार किया है। मैं साथ ही परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूं कि इसको अमली रूप देने के लिये वह अपने कार्य में सफल हो, तभी इस सफलता का श्रेय उनको प्राप्त होगा। मैं इसके सम्बन्ध में इतना कहता हूं कि हमारे सामने जो पंचवर्षीय योजना है जब वह सफल होगी तभी हमारे देश में सुख और शान्ति स्थापित होगी। आज स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के बाद दूसरा कार्य स्वतन्त्रता को मुस्तकिल (स्थायी) करना है और साथ ही अपने प्रदेश को सुखी और शान्तिवान बनाना है। यह श्रेय तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हम अपना कार्य जितना कहते हैं उसको हमारी सरकार अमली रूप देगी अन्यथा नहीं। मैं इसमें सबसे पहला स्थान शिक्षा को देता हूं। जब तक हमारे प्रदेश में शिक्षा का ढांचा ठीक प्रकार से नहीं बनेगा तब तक ठीक प्रकार से उत्थान नहीं हो सकता है। जब तक इस तरह की शिक्षा चलती रहेगी, जैसी कि आजकल है, तब तक हम तरक़्क़ी नहीं कर सकते हैं। आज शिक्षा पाकर कालेजों से हमारे जो विद्यार्थी निकलते हैं तो वह क्लर्क की क़िस्म के ही लोग हमारी वर्तमान शिक्षा से पैदा होते हैं। हम शिक्षा को उस वक्त सफल समझेंगे जब शिक्षा से स्वावलम्बी, सदाचारी लोग उत्पन्न होंगे तभी हमारे देश का उत्थान होगा। मैं प्राइमरी एजूकेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का उसका रूप आज है उससे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये प्राइमरी शिक्षा की ओर आपकी तवज्जह होना सबसे पहले जरूरी है। आज प्राइमरी शिक्षा में जो कमी है वह सब के सामने जाहिर है। जो बेसिक तरीक़ा तालीम चलाया जा रहा है उसके लिये ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी है, जिसके कारण ठीक प्रकार से शिक्षा का कार्य कामयाब नहीं हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि हमारे यहां बेसिक शिक्षा के लिये जितनी शिक्षा सामग्री की आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं की जा रही है। इसलिये यह शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है। आज यदि आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरा पार्ट यह शिक्षकों का है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और जिनके हाथ में देश को बनाना और उन्नत करना है, उनकी समस्या भी आज हमारे इस भवन के सामने है उनको इस समय जो वेतन मिलता है उस वेतन से वह अपना कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनका वेतन चपरासी से भी कम है। हमारे देश में गुरुजनों का जो आदर होता था, जो पेड़ों के नीचे शिक्षा देते थे आज उनका उतना सम्मान नहीं है। हमारे यहां गुरुजनों ने राम, कृष्ण, गांधी जी, ईसा, मुहम्मद, जवाहर वाल्मीक, रैदास, दयानन्द, नानक, क़बीर आदि महान् आत्मा पैदा किये हैं। यह सब हमारे गुरुजनों ने ही पैदा किये हैं जिनका नाम आज भी हम बड़े गौरव के साथ लेते हैं और इस कारण हमारे सदन में बैठे हुये सभी मंत्रिगण और सदस्य-गण यहां इस योग्य बने हैं कि वह आज इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका श्रेय तो उन गुरुजनों को ही है। लेकिन उनकी जो समस्या है उसका हल निकालना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है, उनके वर्त्तमान वेतन में वृद्धि करें और उनको ठीक समय पर प्रतिमास वेतन दिलाया जाय।

[श्री रामदास आर्य]

दूसरी चीज़ जो हमारे सामने इसी प्रकार की है वह मेहतरों की समस्या है। जो लोग इस समस्या को देख लेते हैं जिन पर गुजर जाती है वही इसके कष्ट को समझते हैं, जैसे कि एक कहावत है कि 'जिस के पैर फटी न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' ऐसी जो मेहतरों की समस्या है उसको सुलझाना भी हमारा कर्त्तव्य है। वह लोग थोड़े से वेतन में गुजर करते हैं और रात-दिन उनके सामने खाने और पहनने की समस्या रहती है उनकी शिक्षा की समस्या की तो कौन कहे, वह इस वेतन में किसी तरह से अपनी गुजर नहीं कर पाते हैं। उनकी जो मंहगाई इत्यादि की जायज़ मांगें हैं उन पर हमें सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिये और हल करना चाहिये। इससे उनको शान्ति मिलेगी और उनका जीवन निर्वाह ठीक तरह से हो सकेगा। आज अध्यापकवर्ग जो चपरासियों से भी कम वेतन पाता है वह भी ठीक समय पर नहीं, उनकी हालत भी बहुत ही शोचनीय मालूम होती है। उनकी ओर भी हमें शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं आप का ध्यान उद्योग-धन्धों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश में उद्योग-धन्धों में कमी होने के कारण बेरोज़गारी की समस्या नाना प्रकार के रूप धारण किये हुये है। हमारे प्रदेश में क़रीब सवा चार करोड़ के हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनको उद्योग-धन्धों की और दूसरे रोज़गारों की आवश्यकता है। आज बहुत से लोगों के सामने अपने लिये रोटी की, कपड़े की, शिक्षा की और मकानों की समस्या है। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करते हैं। आज आर्थिक समस्या की बिना पर उनकी शिक्षा आदि की समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। मैं इस सरकार को बधाई दूंगा कि उसने हरिजनों व पिछड़ी जाति की समस्या को हल करने के लिये सन् १६५३ व ५४ के बजट में ४,६२,५०० रुपये की वृद्धि की है, लेकिन शिक्षा में २,८०० रुपये की कमी हो गई है। मैं समझता हूं कि जहां इस पिछड़े वर्ग की शिक्षा की अति आवश्यकता है और उन की शिक्षा को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है वहां इसमें और रुपया देना चाहिये था, ताकि समाज का यह अंग भी शिक्षित हो जाय। इससे खेती पर काम करने वाले भी रोज़गार पावेंगे और वह भी उद्योग में लगेंगे। इस तरह से यह समस्या हल हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इतना बतलाना चाहता हूं कि यह आज हरिजनों की ही समस्या नहीं है बल्कि यह तो सारे मज़दूर वर्ग की समस्या है। हरिजनों के घरों के वास्ते भी रक़म में इज़ाफ़ा किया गया है। वह उनकी छतों की मरम्मत और पानी वगैरा के निकास की बहुत ही अधिक ज़रूरत के लिए है। साथ ही खेतिहर मज़दूर जो देहात में रहते हैं उनके घरों की हालत भी बहुत ही खराब है, उनके छोटे-छोटे मकान हैं और एक एक में दस दस बारह बारह आदमी मवेशियों की तरह रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और उनका रहने सहने का तरीक़ा बहुत ही शोचनीय है, जहां मवेशियों के पेशाब और बू से आदमी का खड़ा होना मुश्किल है वहां उनको रहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि उनकी ओर भी सरकार उचित ध्यान दे। मैं यह महसूस करता हूं कि उनके लिये काफी किया जा रहा है लेकिन हरिजनों के उत्थान कार्य में अभी बढोत्तरी की आवश्यकता है और भिन्न भिन्न विभागों में जितनी उनकी तादाद होनी चाहिये वह १० प्रतिशत नहीं रखी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि तमाम विभागों अर्थात् पुलिस विभाग में, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विभाग में, डेवलपमेंट, कोआपरेटिव, हरिजन सहायक, प्लानिंग, सामान्य प्रशासन, जंगलात, शिक्षा, कोर्ट, कृषि, पंचायत राज्य, आबकारी, स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन आदि सभी विभागों में हरिजनों का रिज़र्वेशन ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो बताइये वह पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ यह तो नहीं लगता कि वह नौकरी के लिये पढ़ें लेकिन जो रिज़र्वेशन दिया है उसको पूरा करना भी हमारी सरकार का एक परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे हम पूरा करें।

मैं पुलिस की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। पुलिस विभाग का कार्य जिस तरह से चल रहा है उसमें ग़रीब हरिजन मज़दूरों के लिये हमदर्दी का और इंसाफाना तरीक़ा नहीं हो रहा है। उनको पुलिस से शिकायतें हैं और बहुत वाजबी शिकायतें हैं। मैं बहुत

सहानुभूति पूर्वक इतना बताना चाहता हूं कि उस तरफ भी पुलिस को इंसाफ के तरीक़े से उनकी समस्याओं को हल करने में उनका हाथ होना आवश्यक है।

मैं प्लानिंग की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बड़ी महान योजना हमारे प्रदेश के और भारतवर्ष के सामने है। इसमें यदि कामयाबी होती है तो हमारा कार्य सफल होता है। हम इस काम में मज़दूर, किसान और सभी तथा अन्य भाइयों से जो देहात या शहर में रहते हैं उनसे सहानुभूति से काम लेना चाहिये, कोई जबरन तरीक़े से इस स्कीम के अनुसार कार्य नहीं लिया जा सकता है।

आज एक समस्या मज़दूरों की इस सम्बन्ध में हमारे सामने है। हमें उनसे इस काम में प्रेम से सहयोग लेना है। हम चाहते यह हैं कि कुछ न कहें, बल्कि चुपके चुपके हम सरकारी योजना में हमदर्दी के साथ हाथ बटाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहना भी आवश्यक होती हैं। तो इसलिये मैं आप से बताता हूं कि प्लानिंग स्कीम में हमारे सदस्यगण और मंत्रिगण हमारे सरकारी अफसर, अहलकारान जितना भी सहयोग देंगे उतसे हमारा प्लानिंग कार्य अधिक उन्नत होगा और मैं यह आशा करता हूं कि यह स्कीम हमारी अवश्य कामयाब होगी।

हमारे ज़िले मुज़फ़्फ़रनगर में इस प्लानिंग स्कीम के मुताबिक बहुत कुछ कार्य हो रहा है। मैं अपने गांव दतियाने की मिसाल रखता हूं, जहां से ज़िले के अधिकारी भी घबरा गये थे कि वहां प्लानिंग कार्य होना कठिन है। वहां २० जनवरी सन् १९५२ को कार्य शुरू किया गया और ११ फरवरी तक रहा। इसके परिणामस्वरूप हमने १० मील लम्बे और २१ फिट चौड़े रास्ते अपने गांव से दूसरे गांव को जाने वाले बनाये। एक मील लम्बा नाला भी खोदा गया जिसके लिये कई वर्षों से सरकार से प्रार्थना की जाती रही कि उसे नहर की स्कीम में ले लिया जाय। हमने उसे गांव के किसान हरिजन तथा अन्य मज़दूरों के श्रमदान से खोदा है। कुछ फसल के कारण बाकी है। उसे भी सहयोग से गांव वाले खोदेंगे। यह महान कार्य जिसमें सरकार का काफ़ी रुपया खर्च होता उस को गांव वालों ने श्रमदान से समाप्त करके महान संगठन का परिचय दिया है। इस महान कार्य में सब किसान, मज़दूरों, हरिजनों ने हमारा साथ दिया और कई लाख रुपया हमारा बचा है। इसमें जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वे सब धन्यवाद के पात्र हैं।

इस मौक़े पर दूसरी बात आप के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, यह लाना चाहता हूं कि आज हम कोई क़ानून बनाते हैं, जब तक वह सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता है तो इससे हमारे प्रदेश की कामयाबी कुछ ठीक नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने अस्पृश्यता निवारण जो ऐक्ट आपने पास किया उसको रखना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि उस ऐक्ट को कामयाब बनाने के लिये गांव गांव में प्रचारार्थ हम जायं। आज हरिजन भाई कुओं पर नहीं चढ़ने पाते हैं इससे छुआछूत बढ़ती जाती है। हम सरकारी अहलकारों की भी तवज्जह दिलाते हैं कि उनमें अभी तक वह भावनाएं नहीं आईं और उनमें उन लोगों के प्रति जो हरिजन भाई हैं जो उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहते हैं, उनके प्रति उनमें छुआछूत का माद्दा है। उसको दूर करने की ज़रूरत है। मैं यह निवेदन करता हूं कि हमें यह मौका फिर इस प्रकार के कार्य के कहने के लिये नहीं मिलेगा। इसलिये इस समस्या की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।

मैं दूसरी बात आपके सामने यह रखता हूं कि जहां तक रोजगार की समस्या है वह २२ हज़ार एकड़ ज़मीन जो सरकार ने खेती के लायक़ बनाई उसमें से जिन लोगों को दी गयी वह तो मैं समझता हूं यदि वह उन लोगों को दी जाती जो खेती करने के योग्य हैं और खेती का तजुर्बा जिनको है, खेतिहर मज़दूर और हरिजन भाई को उसमें से हिस्सा दिया जाता तो मैं समझता कि उनकी रोजगार की कुछ समस्या हल की जा रही है। यह जो आपके सामने पंचवर्षीय प्लान है वह सबके मेलजोल से और सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। हम इसमें सबकी मदद से ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी पार्टी के कौन से टैक्सेज की जनता के ऊपर भरमार हैं। इसके साथ साथ कितने और तरह के टैक्सेज भी हैं, जिनको कानूनन टैक्स तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं तो टैक्स ही कहूंगा कि जो

[श्री रामदास आर्य]
सज्जन हों, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे वह कम्यूनिस्ट पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वह किसी भी दल के हों, हमें सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और मैं आशा करूंगा कि कोई भी इन्कार नहीं करेगा और सब इसमें कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल की तरह इस साल भी हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने बजट को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। इस साल उन्होंने बजट पर जो भाषण दिया उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर, बच बचाव का ख्याल रखते हुए बजट को सुन्दर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया। यह इस बजट की विशेषता है। किन्तु मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि बजट शब्दों के हेर फेर का सवाल नहीं होता, कल्पना के जगत की उड़ान नहीं होती। वह तो आंकड़ों का प्रश्न होता है कि सरकार की कितनी आमदनी है, सरकार का कितना खर्चा है। बजट से यह भी पता लगता है कि सरकार ने अपने भूत काल में किन कार्यों को किया, उसकी उसमें झांकी होती है और वित्तीय वर्ष में सरकार कौन से कार्य करना चाहती है इसका पूरा विवरण और चित्रण होता है और इसके साथ ही भविष्य में होने वाले कार्यों की भी झलक होती है।

अगर बजट को देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारा बजट सर्वतोमुखी एक घाटे का बजट है। पार साल ४२४ लाख रुपये का घाटा था। इस साल ४४२ लाख रुपये का घाटा है और यह घाटा और भी बढ़ता अगर हमारा पुराना घाटा एक्साइज से मिली हुई आमदनी से और रेवेन्यू रिजर्व फंड से पूरा न किया जाता और इस बजट का क्या हाल होता उस वक्त अगर हमारी कैबिनेट, हमारी यह सरकार विभिन्न ज़िलों की प्रगति के लिए किये जाने वाले कार्यों को स्थगित करके ६६४ लाख के बजट की मांग को कम करके २९४ लाख न करती। इसके साथ साथ बजट भाषण का प्रमुख अंग पंचवर्षीय योजना है,। इस पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे वित्त मन्त्री ने बतलाया कि सन् ५२-५३ के बाद ८० करोड़ रुपये का प्रश्न फिर हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय। वह हमारे वित्त मंत्री साहब बताने में सफल न हुए। इस ८० करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिये और इस घाटे की पूर्ति करने के लिये कौन से उपाय हैं। एक तरफ तो वह आमदनी का जरिया बताते हुए मायूसी महसूस करते हैं तो दूसरी तरफ इस बात को भी दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि हम अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि आमदनी के जो जरिये हैं उनमें कमी की संभावना है, उन्होंने कबूल किया इस बात को कि पब्लिक से कर्जा मिलना असम्भव है, उन्होंने कबूल किया कि इस बात को भी कि केन्द्रीय सरकार से भी कर्जा या मदद मिलने का भरोसा नहीं है और टैक्स के बारे में भी उन्होंने घुमाव फिराव के साथ यह बताने की कोशिश की कि शायद ज्यादा टैक्स लगने की सम्भावना भी नहीं है। तब मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा जादू का डन्डा उनके पास है कि वह इस घाटे को पूरा कर सकेंगे। इस सरकार के पास कौनसा वह कदम है जिसको उठाकर सरकार ने अपने फरायज अन्जाम देना चाहती है। अब इस सम्बन्ध में सारा लुब्बोलबाब जो बजट भाषण का है मैं उसको देखता हूं तो हमारे माननीय वित्त मन्त्री किसी न किसी सूरत में टैक्स पर आलम्बित दिखायी देते हैं। लेकिन फर्क इतना कि इस कल्याणकारी राज्य के नाम पर उन्नति और विकास के नाम पर वह जो टैक्स वसूल करना चाहते हैं उसको प्रास्पेरिटी टैक्स कहते हैं। मैं सबसे पहिले यह पूछना चाहूंगा कि जहां जनता की प्रास्पेरिटी का यह हाल हो कि इस राज्य में उन्हें खाने को अन्न न मिले, पहिनने को कपड़ा न मिले और रहने को मकान न मिले और कहीं कहीं तो पीने को पानी तक न मिले तो प्रास्पेरिटी टैक्स वसूल करने की कौन सी सूरत होगी। वह बताएं इस बात को कि पुरानी शराब को नयी बोतलों में भरने से क्या नशे में फर्क पड़ जाता है। टैक्सेज के बारे में केन्द्रीय सरकार के टैक्स अलाहदा हैं, राज्य सरकार के टैक्स अलाहदा हैं, स्थानीय संस्थाओं के टैक्स अलाहदा हैं, ग्राम सभाओं के टैक्स अलाहदा हैं और न जाने कौन

मजबूर होकर देने पड़ते हैं। राजनैतिक पार्टियों की सदस्यता के लिये चन्दे का प्रश्न है, चुनाव के लिये चन्दा चाहिए, जीने के लिये चन्दा चाहिए, मरने के लिये चन्दा चाहिए, स्कूलों की इमारतों के लिये चन्दा चाहिए, अस्पतालों के लिये भवन बनाने के लिये चन्दा चाहिए और न जाने कितनी ऐसी दूसरी बातें हैं। उसके पश्चात् मैं आपके सामने उनकी एक मजबूरी और भी बताना चाहता हूं। इस कल्याणकारी राज्य की जनता की एक मजबूरी यह भी है कि उनका कोई काम बगैर रिश्वत दिये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक मिसाल दूं कि एक आदमी हमारे टेहरी-गढ़वाल का पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, थानेदार उससे २५ रुपया मांगते हैं और अगर वह देने से इन्कार करता है, तो थानेदार का जवाब होता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। अगर सब इंसपेक्टर के शिकायत की जाती है रिश्वतखोरी की तो सर्किल इन्सपेक्टर इन्क्वायरी के लिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सब-इन्सपेक्टरों के खिलाफ इस प्रकार की जांच से चार्जशीट लगाई गई। जब से ऐसे कोई साधन आपके वेलफेयर स्टेट की जनता के पास मौजूद नहीं है तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी और माननीय सरकारी पक्ष के सदस्यों से बार बार पूछना चाहता हूं कि आपने कौनसे ऐसे साधन के जरिये बसर के लिये पैदा किये हैं कि जिनको देकर वह माननीय वित्त मन्त्री को इस आवेदन का आदर करें। इन बातों को देखते हुए मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि जिस राज्य को आज कल्याणकारी राज्य कहा जाता है उसका और उसकी जनता का यह हाल है। इसके पश्चात् मैं एक दो बातें और भी कहना चाहता हूं। यह तो मैंने आम हालत बयान की। सरकारी पक्ष के सदस्यों की तरफ से जो टेहरी-गढ़वाल का जिक्र किया गया है तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार टेहरी-गढ़वाल के लिये अवहेलनात्मक दृष्टि रखती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एक भी नयी सड़क वहां बनायी है? हमारे यहां एक टिहरा छोटी सड़क है और जब वहां ठाकुर फूल सिंह जी पहुंचे तो उनकी गाड़ी पास होने के लिये लकड़ी लगाकर सड़क तैयार की गई। तो क्या यह सड़कों में तरक्की और वृद्धि करने का नमूना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि रियासत मर्ज होने के बाद कौन से स्कूल खोले गये? मैं औषधालयों के बारे में पूछता हूं हमारे यहां अब ४२ ही औषधालय रह गये हैं और इसी रफ्तार से सरकार की पंचवर्षीय योजना में पता नहीं इनकी तादाद घटकर कितनी हो जायगी। हां, सिर्फ मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सिविल सर्जन का हेडक्वार्टर खोलने का आश्वासन दिया था और वह खुल गया। परन्तु मुझे क्षोभ भी है कि जहां जहां हमारे यहां डिस्पेन्सरीज हैं वह नाम की हैं और वहां अभी तक मकानात तक नहीं बने हैं यद्यपि मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इस ओर भी पूरा ध्यान देंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के देखने से मालूम होता है कि टेहरी के प्रति अवहेलना की गई है। फिर किस बात पर सरकार गर्व करती है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल हो! सरकार चाहती है कि जनता चार आने का स्टाम्प खरीद कर उसकी योजना को सफल बनावे। लेकिन उससे इतना बड़ा धन नहीं प्राप्त हो सकता कि ४ या ५ करोड़ की धनराशि की पूर्ति हो जाय।

इसके पश्चात् मैं श्रमदान-सप्ताह के बारे में यह कहना चाहता हूं जिस पर पंचवर्षीय योजना की सफलता रखी गयी है। श्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि उनके जिले में बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में कहता हूं कि वहां से जो रिपोर्टें आई हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। उस समय मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा था और मुझे भी कुछ कार्य करने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि वहां केवल विद्यार्थियों और अध्यापकों ने या पटवारियों ने, जिनकी बात आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, कुछ काम किया। श्रमदान में जनता में उत्साह होना चाहिए और सरकार की ओर से प्रोत्साहन होना चाहिए। प्रोत्साहन की तो यह हालत है कि श्रमदान से हमारे यहां टेहरी में एक मोटर सड़क बनने का निश्चय हुआ था उस समय हमारे माननीय उपमन्त्री जंगलात श्री जगमोहन सिंह नेगी ने आश्वासन दिया

[श्री सत्य सिंह राणा]

था और उसके अनुसार कंजरवेटर महोदय या जिलाधीश ने एलान किया था कि जो जगह चट्टानी है और जहां पुल बनने है उन जगहों पर रास्ता जंगलात महकमा बनावेगा परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां आज तक उसका एलाइनमेंट भी ठीक से नहीं हुआ है और लोगों ने जगह जगह पर चट्टानी हिस्सों को छोड़ते हुये स्कैचिंग किया है। वह भी कोई टेक्निकल सुपरवीजन से नहीं हुआ है। महकमा जंगलात ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। हमने ५२-५३ के सप्लीमेंट्री को और इस साल के बजट को देखा तो उनमें उसके लिये भी कोई गुन्जाइश नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि जो भविष्य में श्रमदान की सरकार को आशा है वह नहीं मिल पायेगा।

जब टेहरी रियासत विलीन हुई तो माननीय मुख्य मन्त्री हमारे नरेन्द्र नगर पहुंचे और इसका उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो स्कूल जनता अपने श्रमदान से बना रही है उनमें ८,००० रुपया सरकार जूनियर हाई स्कूल के लिये और १ हजार रुपया हर बेसिक स्कूल के लिये देगी और यहां भी हमें विश्वास दिलाया था। लेकिन आज कोई गुन्जाइश उसके लिये भी इस बजट में नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए हमें बहुत नाखुशी होती है और जैसा हमने पारसाल कहा था। हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि चूंकि वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये इसलिये वहां यह सरकार कुछ नहीं करने जा रही है और हमें अपना दुखड़ा रोते ही रहना पड़ेगा। अखबार में यह समाचार निकला भी था कि जब एक माननीय उपमन्त्री जी टिहरी गये तो उन्होंने जनता में यह कहा भी था और उसका कोई खंडन नहीं किया गया। इससे मालूम होता है कि यह बात सही थी। यदि वह गलत होती तो उसका सरकार की ओर से अवश्य खंडन होना चाहिए था।

अन्त में मैं फिर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उस पिछड़े हुए इलाके की ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों का यह हाल है कि वह आज विधान भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। मजदूर और मेहतर हड़ताल कर रहे हैं और सरकार का रुख उनके प्रति ऐसा है। उस तरफ के बैठने वाले सज्जनों से मेरा यह निवेदन है कि ५ साल पहले आपने अंग्रेजी सल्तनत के सामने उसी तरह के प्रदर्शन किये होंगे। और आज यह नज्जारा इतनी जल्दी आपके सामने आ रहा है जो अच्छाई का द्योतक मालूम नहीं पड़ता। जरा उनका ख्याल कीजिए। समय समाप्त हो गया है। बाकी समय मिलने पर अर्ज करूंगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इसीलिये ७८ करोड़ का बजट हमारा सबसे बड़ा बजट होना एक माने में सही भी है। हम जब बजट को देखते है और उस जमाने से देखते हैं जब अंग्रेज हमारे देश से जाने लगे, उस वक्त से अब हमारा बजट खर्चे में करीब-करीब ३० करोड़ रुपये से बढ़ गया है और इससे मैं यह समझता हूं कि हमारी ताकत आज ४४ करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय ७८ करोड़ रुपया खर्च करने की हो गयी है। इसको मैं खुशहाली की निशानी मानता हूं।

हमारे डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद हम समझते हैं कि हमारी आमदनी सवा सौ करोड़ के करीब हो जायगी और हम समझते हैं कि जो आज मुसीबत है वह आगे चलकर खत्म हो जायेगी। श्रीमान्, जब हम बजट को खर्चे के हिसाब से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे बजट में या किसी भी बजट में खर्चे तो दो तरह के हुआ करते हैं। एक खर्चे तो वह हुआ करते हैं कि जिनमें खर्च करते हैं लेकिन उनसे कोई आमदनी नहीं मिला करती और दूसरे खर्च वह होते हैं जिनमें खर्च करने के बाद आमदनी भी होती है। अब इन खर्चों को हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि वह खर्चे जिनमें केवल खर्चा ही करना है, उनमें हम कम से कम खर्चा करें, और ज्यादा से ज्यादा एफीशिएन्सी हासिल कर सकें, तो हमारा वह खर्चा सही है और जिन खर्चों में खर्च करने के बाद आमदनी होती है तो उन खर्चों में कम से कम पूंजी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें, तब हमारा खर्चा सही है।

बजट को देखने से हम इस नतीजे पर आते हैं कि हमारे बजट में एक बड़ा खर्चा करीब करीब २५ करोड़ रुपये का नौकरों की तनख्वाहों का है। श्रीमान्, जब हम इस खर्चे को देखते हैं और इस तरह से देखते हैं कि इस २५ करोड़ के खर्चे में ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी मिल सके। लेकिन मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं पाता हूं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में एक हजार रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कुल ३०० आदमी हैं। यह सही है और मैं इस बात को भी मानता हूं कि उनकी तनख्वाहों को कम करने में हमें कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक फायदा यह होगा कि आज कम तनख्वाह पाने वाले आदमियों को जो भूखे पेट रह कर सरकारी नौकरी करते हैं, अगर दूसरे आदमियों की तनख्वाहें कम की जाती हैं तो उनको थोड़ा सा सन्तोष होता है। श्रीमान्, हम इस बात के हामी नहीं हैं और इस बात को नहीं मानते हैं कि हम दूसरों की तनख्वाह इसलिये कम कर दें कि हमारा फायदा न भी हो तो भी कम कर दें, हम इस बात के पक्षपाती नहीं हैं। हम अमीर को कम अमीर इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि इससे गरीबों को निस्बतन फायदा भी हो। अब नौकरों से ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी लेने के लिये हमें इस बात की तलाश करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसको देखने के लिये कि अंग्रेजों के जमाने में नौकरी का जो उसूल था उसे भी देखना है। वह यह था कि वे इस बात को मानते थे कि बहुतसी नौकरियों में ऊपर की आमदनी हो जाती है। इसी बात को दृष्टिकोण में लेकर उन्होंने नौकरों की तनख्वाहें और कन्डीशन आफ सर्विस वगैरह तय की थी। मिसाल के तौर पर कह दूं कि पुलिस की नौकरी में सब-इन्स्पेक्टर, पटवारी आदि नौकरियां ऐसी थीं, जो यह मान कर रखी गयी थीं कि उनको ऊपर की आमदनी हो जायगी। लेकिन आज स्वाधीन होने के बाद कल्याणकारी राज्य में हम इस प्रकार की नौकरियों की बुनियाद नहीं रख सकते। हमें नौकरियों की एफीशियन्सी को बढ़ाने के लिये उनमें संतोष रखना होगा और ऐसी सूरत पैदा करनी होगी जिससे उनमें संतोष कायम रहे। श्रीमान्, हम हड़ताल के विरोधी हैं और खास कर आजकल जब कि हमारी सरकार है, लेकिन हम इस बात के भी हामी नहीं हैं कि हम ऐसी कन्डीशन क्रियेट करें कि सर्विसेज को हड़ताल करना लाजिमी हो जाय। यह प्रश्न बहुत अहम है और हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी हालत न होने पाये हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जह इस बात पर देनी चाहिए कि हम किस तरह से इस जरूरी और अहम मसले को तय कर सकते हैं। हम कम से कम अपनी नौकरियों को ऐसी बनायें, उनकी ऐसी तनख्वाहें कायम करें जिसमें वे जीवित रह सकें। इसके अलावा ऐसी भी चीजें हैं जिनमें तनख्वाहों के न बढ़ाने से भी हम उनको संतुष्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तबादले का सवाल है। तबादला किस जमाने में, किस मौसम में, और किस महीने में होना चाहिए, इसका कोई ख्याल आज नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि एक जगह का रहने वाला सरकारी कर्मचारी जब दूसरी जगह जाता है अपने बच्चों का ऐडमीशन स्कूलों में नहीं कर पाता, न उसको मकान मिल पाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देने से उनकी हालत को बिना पैसा बढ़ाये ही सुधारा जा सकता है। उनको मकान देने के लिये भी सरकार की विशेष तवज्जह होनी चाहिए।

एक बात इस सिलसिले में मैं और अर्ज कर दूं कि जो एक्सटेन्शन बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि इससे नीचे के छोटे-छोटे कर्मचारियों का, छोटे-छोटे अफसरों का उत्साह भंग होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मन्त्रिमंडल से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मामले पर गौर करें और अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ५५ साल की उम्र खत्म करने पर काम करने की इनर्जी बाकी रहती है तो ईमान्दारी के साथ ५५ साल की उम्र को बढ़ाकर ६० या ६५ साल कर दिया जाय और उसके पश्चात् भी यह होना चाहिए कि अगर किसी को एक्सटेन्शन देना हो

[श्री भगवान सहाय]

तो उसका देना पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में रक्खा जाय। वही इस बात को देखें कि कोई शख्स एक्सटेन्शन के योग्य है या नहीं और एक्सटेन्शन की जरूरत है या नहीं।

श्रीमान्, इसके अलावा मुझे एक बात और भी बहुत ही खटकी और वह यह है कि सरकार ने एफीशियन्सी बढ़ाने का जो नया कानून बनाया है जिस पर कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रकाश डाला भी है उसमें से एक यह है कि सरकार जिन कर्मचारियों को थोड़ा सा भी इन-एफीशियन्ट समझती है, उनका प्रमोशन स्टाप कर देगी और यह प्रमोशन स्टाप करना पनिशमेंट नहीं समझा जायगा। मेरे ख्याल से यह बहुत ही खतरनाक चीज होगी क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि उसका राइट आफ अपील मारा जायगा क्योंकि वह पनिश्मेंट नहीं है। इस तरह से इसके एसोशियेट आफीसरान उसको पैनेलाइज कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसका बहुत बड़ा बुरा असर हो सकता है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से इस पर बहुत बड़ी तवज्जह देने को कहूंगा और आशा करता हूं कि वे इस पर फिर से विचार करेंगे।

अब मैं कुछ ऐसे मसलों पर आता हूं जो कि एक जमाने से मुसीबत की बातें रही हैं और हमारी सभ्यता के ऊपर एक कलंक सा रहा है और यह श्रीमान् है दफा १०९ और ११०। आज दुनिया के पेनेलकोड को उठा कर देखें। तो दफा १०९ और ११० जैसी चीजें किसी भी सभ्य देश में नहीं मिल सकती है। मैं समझता हूं कि इसका हमारे यहां होना एक बहुत ही गलत चीज है। मैं मानता हूं कि बाज वक्त ऐसा होता है कि हम मुजरिम को सही सजा नहीं दे पाते और उसके लिये हम दूसरे जराये इस्तेमाल करते है, लेकिन जनता के फन्डामेंटल हुकूक पर यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसा भी देखने में आया है, खास कर अपने जिले में श्रीमान् मने देखा है कि आदमी डकैती में पकड़े जाते हैं और जब वे अदालत से निर्दोष छूट कर आते ह तो उनकी हिस्ट्रीशीट यानी निगरानी खुल जाती है। यह एक बहुत बड़े गैर इन्साफ की चीज है। मैं समझता हूं कि श्रीमान्, मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

इसके बाद म अपने उत्तर प्रदेश पर हुए एक बहुत बड़ी गैर इन्साफी का जिक्र श्रीमान्, आपके द्वारा इस सदन के सामने करना चाहता हूं। यद्यपि वह हमसे बिलकुल सीधा सम्बन्ध रखने वाला नहीं है बल्कि केन्द्र से है। लेकिन फिर भी हमारे यहां उसका बुरा असर हो रहा है, इसलिये मै उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं और वह मसला है, रेलवे ट्रांस्पोर्ट का। आज उत्तर प्रदेश में आलू, गुड़, शक्कर वगैरह वैगन न मिलने की वजह से जगह जगह पड़े हुए है और हमारे प्रान्त के अन्दर जो इन चीजों को पैदा करने वाले हैं, किसान जनता हैं, उन लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नार्दर्न रेलवे की हमारे यहां ५ हजार मील रेलवे लाइन के होते हुए भी उसका हेडक्वार्टर नहीं है और उसका नतीजा यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों की मांग के लिये भी दूर जाना पड़ता है और ऐसे आदमियों के पास जाना पड़ता है जो हमारी मांग को हमदर्दी में सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं मिसाल के तौर पर श्रीमान्, इस सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। केवल लखनऊ क्षेत्र के ही अन्दर १९९ वैगन आलू पड़ा हुआ है और १९६ वैगन रुदौली, बाराबंकी और फैजाबाद जैसे स्टेशनों पर पड़ा हुआ है। और उसके लिये वैगन नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में श्रीमान, आप यह भी देखेंगे कि नार्दर्न रेलवे की जहां कुल माइलेज ६ हजार है उसमें ५ हजार माइलेज हमारे ही प्रान्त के अन्दर है। इसलिये मैं समझता हूं कि सही बात यह होती कि हमारे राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार से राज्य के लेबिल पर इस बात की मांग करती कि हमें ये सुविधायें दी जानी चाहिए। एक बात मैं और भी देखता हूं कि केन्द्रीय सरकार के बजट में उत्तर प्रदेश के अन्दर नयी रेलवे लाइन के कान्स्ट्रक्शन को कोई भी बात नहीं है। यह सब इसलिये है कि नार्दर्न रेलवे का हेड क्वार्टर हमारे यहां नहीं है।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--इसके लिये तो सेन्टर वाले कहेंगे

श्री भगवान सहाय--सेन्टर वाले जो कहेंगे वह तो सही कहेंगे ही। मैं अपने पार्लिया-मेन्ट्री सेक्रेटरी साहब से इसलिये कहता हूं कि स्टेट लेविल से इसके लिये मांग करें ताकि वहां वाले भी कह सकें कि हमने अपने फर्ज की अदायगी की।

अब जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है वह बढ़ती हुई जनसंख्या का सवाल है। एक सवाल जिसका जिक्र बार बार सदन के सामने होता रहा है और वह सवाल है खाने का, लेकिन खाने के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाना पकाने का साधन हमारे पास बहुत थोड़ा है। वह साधन ईंधन का और उसकी समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है जिसके लिये हम इस समस्या को हल करने के लिये अपने बजट में कुछ भी नहीं देखते हैं। यह ऐसी समस्या है कि जिसका एग्रीकल्चरल प्लानिंग से सीधा सम्बन्ध है। इस समस्या को सरकार किस प्रकार से हल करेगी यह मालूम नहीं हो सका। अगर अपने देश के अन्दर गोबर को बचा सकें तो हम करोड़ों रुपये की सम्पति इससे पैदा कर सकते हैं और यह नहीं हो सकता जब तक हम दूसरा हिस्सा ईंधन का नहीं देते हैं।

सेपरेशन आफ जुडिशियरी का मसला भी बहुत अहम है और इसके लिये जो कदम उठाया गया है वह अभी अधूरा है। हम यह चाहते हैं कि जहां पर अभी जूडिशियरी अलग नहीं हुई है वहां उसको जल्द अलग किया जाय और जिले के अन्दर कलेक्टर के हाथ से इसको हटाकर जूडिशियरी के साथ कर दिया जाय तो यह चीज़ पूरी हो जायगी।

एक बात और है और वह यह है कि अक्सर हम यह देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी में जो चाय पानी का आयोजन हुआ करता है उसका जिकर कहीं बजट में देखने को नहीं मिलता। बहुत गौर करने के बाद हमारी यह समझ में आया कि शायद कंटिन्जेंसी फंड से इसको पूरा किया जाता हो, हमारे बजट में ऐसा होना नहीं चाहिये। कोई भी साधारण आदमी इसको देखकर समझ लें कि हमारा रुपया किस तरह से कहां कहां खर्च हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इसको सही तरीके से बजट में प्रोवाइड करने की कृपा करें अगर जरूरत हो तो फिर सम्चुएरी एलाउंस की मद में इस रूपये को ले लें।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मैं पहले इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को धन्यावाद देता हूं। हमारा यह बजट पंच-वर्षीय योजना के साथ नत्थी है। इस वास्ते हम अपने बजट को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना में उसकी मान्यता दी गई है। पहले हमको यह देखना है कि पंचवर्षीय योजना म हमारे प्रदेश के लिये कितना रुपया रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिये ९७ करोड़ ८२ लाख रुपया पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे प्रदेश के लिये दिया हुआ है जबकि मद्रास के लिये १४० करोड़ रुपया और बम्बई के लिये १४६ करोड़ है। बजट के भाषण में यह बताया गया है कि १२१ करोड़ होना चाहिये, लेकिन यहां पर ९७·८२ लाख लिखा हुआ है। मालूम हुआ कि उसके लिये बातचीत हो रही है। फिर बाद में उसमें उसको जोड़ दिया जायगा। इससे यह पता नहीं चलता है कि ९७ करोड़ और १२१ करोड़ रुपये का जो अन्तर है कैसे और किस मद में पूरा किया जायगा।

जहां तक प्लेन का सवाल है २,०६९ करोड़ रुपया कुल खर्च होना है जिसमें से १,२४१ करोड़ रुपया तो केन्द्र का व्यय है और ए बी सी. स्टेट के लिये शेष ८२८ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस ८२८ करोड़ रुपये में अगर हिसाब लगाया जाय तो परकैपिटा खर्च हिन्दुस्तान में जो हर प्रदेश पर होना चाहिये वह २३ रुपये होना चाहिये। उस २३ रुपये का हिसाब अगर इस प्रदेश के ऊपर ऐलाट किया जाय तो उसके हिसाब से १४५ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के ऊपर एलाट होना चाहिये था। मैं यह नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हम १४५ करोड़

[श्री कालिका सिंह]

रुपया पंचवर्षीय योजना के बजट में न रख सकें क्योंकि जो हिसाब निकाला गया है उस में ६० अरब रुपया नेशनल इन्कम भारत की है और हमारे प्रदेश की नेशनल इन्कम १६ अरब १५ करोड़ रुपया है। इस के मानी यह हुये कि कुल देश की आय का छठवां हिस्सा हमारी आमदनी है जो कि जनसंख्या के आधार पर भी छठवां ही हिस्सा आवेगा। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि भारत की जनसंख्या के आधार पर हमारी जो नेशनल आय निकलती है वह इतनी आती है कि हम उस पर इतना बोझ बरदाश्त कर सकते हैं। इसलिये १४५ करोड़ से घटाकर ९७ करोड़ या १२१ करोड़ हम नहीं रख सकते। जो रकम हम ने पहले रखी थी या जो १२१ करोड़ की बातचीत चल रही है उसमें जो रकम इर्रीगेशन और दूसरी प्रोजेक्ट्स के लिये रखी गई है उस के लिये हमारे यहां बहुत कम रुपया पड़ता है। इस बजट का मैं सम्पूर्णतः समर्थन करता हूं लेकिन कुछ रचनात्मक सुझाव मैं रखना चाहता हूं कि केन्द्र के पास या नेशनल प्लानिंग कमीशन के पास यह चीज़ रखी जाय कि उत्तर प्रदेश में समुचित विकास के लिये अधिक रुपया दिया जाय। इर्रीगेशन और पावर के लिये २६५ करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट ने केन्द्र में अपनी मलटीपरपज़ेज प्रोजेक्टस के लिये रखा है। अगर इस स्टेट का हिसाब प्रदेशों पर सिंचाई और बिजली पर दिये व्यय पर निकाला जाय तो ९ रुपया पर केपिटा मिलना चाहिये इर्रिगेशन और पावर के लिये। इस हिसाब से ५६ करोड़ ८८ लाख रुपया इर्रीगेशन और पावर के लिये उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये लेकिन इस के बजाय यहां पर कुल ३३ करोड़ २३ लाख रुपया ही रखा गया है और यह इन दोनों जरूरी मदों के लिये बहुत ही कम है। जब हम देखते हैं कि उसी मद पर हमारे प्रदेश का कुल विकास निर्भर है तो ऐसी हालत में हम केन्द्र से इस बात का प्रयत्न कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेन्ट कह सकती है कि हम ३३ करोड़ के बजाय ५६ करोड़ खर्च करने के लिये तैयार हैं, हमें उसका एलोकेशन होना चाहिये।

रेहन्ड डैम अभी इसमें शामिल नहीं है और वह हमारे खर्च में शामिल नहीं भी होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर लेने जा रही है। उस में ३५ करोड़ रुपया खर्च होगा। रेहन्ड डैम, जो पंचवर्षीय योजना में लिया गया है उस में ४० करोड़ रुपया नया जोड़ दिया गया है और उस में कोसी कोयना, कृष्णा, चम्बल और रेहन्ड हैं। यह ५ डैम सम्पूर्ण देश के हैं। ४० करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह नया बढ़ाया गया है उसमें से हमें इस हिसाब से ५ या ६ करोड़ रुपया दिया जा रहा है जो कि बहुत कम है जबकि ३५ करोड़ रुपया इस पर व्यय होने वाला है जितना कि आंका गया था। पार साल भी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि रेहन्ड डैम तो हम को पूरा करना ही है। अगर केन्द्र न भी मदद देगा तो हम इस प्रदेश ही से अवश्य कुछ विचार करेंगे कि जल्द से जल्द डैम पूरा हो जाय। पारसाल के बजट में भी हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक की मद में रिहंड डैम में कुछ नहीं रखा गया। लेकिन इर्रीगेशन की मद में १० लाख रुपया जरूर रखा गया था और इस साल के बजट में भी हम देखते हैं कि रिहन्ड डैम का नाम आया है और इर्रिगेशन की मद में वही १० लाख रुपया रखा गया है। अगर इस तरह का हमारा प्रयत्न है कि पारसाल भी १० लाख रुपया रख दिया और इस साल भी वही रख दिया तो हम यह समझते हैं कि जहां तक इस प्रदेश का प्रयत्न है रिहैंड डैम को बनाने के लिये वह अपर्याप्त है ३५ करोड़ रुपया तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसी हालत में तो इस सम्बन्ध में भी केन्द्र पर ही हम को भरोसा करना है। यह रिहंड डैम एक प्रदेश का नहीं है। यह अन्तर प्रदेशीय है। इसमें हमारे १५-१६ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। विन्ध्य प्रदेश के भी आ जाते हैं और बिहार के भी कुछ आ जाते हैं। अवश्य ही यह अन्तर प्रदेशीय है। केन्द्र ने जिस आधार पर दामोदर वैली, भाखरा, हीराकुंडा और दामोदर के ४ बांध लिये हैं और २६५ करोड़ रुपया उन पर केन्द्रीय सरकार खर्च कर

रही है तो कोई कारण नहीं है कि अगर प्रदेशीय सरकार बहुत जोर लगाये तो यह रिहंड डैम भी क्यों न सम्भवतः केन्द्रीय व्यय शामिल हो जाय। रिहंड डैम से जो जिले पिछड़े हुए हैं, जिनकी बहुत हीन अवस्था है जैसे पूर्वी जिले, उनका अपलिफ्ट होने वाला है। हमको खेद है कि रिहंड डैम को शुरू करने के बाद ५० लाख रुपया व्यय भी करके छोड़ दिया गया। इस वास्ते मैं यह चाहता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे और ३५ करोड़ रुपया उसके जिम्मे रखवा दे वह केन्द्रीय योजनाओं में शामिल हो जाय।

अब जहां तक टैक्स का ताल्लुक है हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो नीति अपनायी है वह नीति बहुत ठीक है। हमारी कोशिश यह अवश्य होनी चाहिये कि जहां तक सम्भव हो टैक्स न लगाया जाय, किन्तु जहां तक विकास का प्रश्न है हम को विकास करना ही है। हमारी एक बोल्ड पालिसी होनी चाहिये। हमारे अन्दर नरवसनेस नहीं आनी चाहिये। अगर हम कोई टैक्स नहीं लगाते, कोई डेवलपमेंट लेवी, कोई बेटरमेंट लेवी या पंचवर्षीय योजना में जिन टैक्सों के लिये सलाह दी गयी है वह नहीं लगाते हैं तो इस हालत में हम अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। इस साल के बजट में जो बढ़ी हुई आपकी रकम है वह ऐसा है जो अपने से बढ़ गयी है यानी प्रदेश की तरफ से कोई प्रयत्न उसके लिये नहीं किया गया है जैसा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में हिदायत की गई है जो ११ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। एक स्पेशल डेवेलपमेंट फन्ड कायम हुआ है, ३३० लाख रुपये का। जिसमें ५० परसेंट इर्रीगेशन रेट से प्राप्त हुई आय रखी जायगी। इसे मिला कर १४ करोड़ रुपये के करीब होता है। ११ करोड़ रुपया जो आया है उसके लिये कोई स्पेशल टैक्स नहीं लगाया गया। यानी पंचवर्षीय योजना में जो सलाह दी गयी है टैक्स लगाने की और टैक्स लगा करके विकास करने की, उसके अनुसार आयवृद्धि नहीं की गयी।

अगर कोई समाजवादी भाई इसका विरोध करते हैं कि टैक्स न लगाया जाय और विकास न हो तो यह सिद्धांत के विरुद्ध होगा। टैक्स भी लगाना है और विकास भी करना है। किन्तु यह आवश्यक है कि जो टैक्स लगाया जाय वह इक्वेटीबिल होना चाहिए जो परकैपिटा इनकम है, अरबन और रूरल एरिया की उसमें समानीकरण करने के लिये वह टैक्स होना चाहिए। इसका एक आधार यह होना चाहिए कि अरबन एरिया में ५४१ रुपया परकैपिटा इनकम है और रुरल एरिया की २१० रुपया परकैपिटा इनकम है। एक तो इसमें समानता लाना है। यह समानता लाने के लिये हमको सैल्स टैक्स के ऊपर दृष्टि डालनी पड़ेगी। सैल्स टैक्स के लिये बजट भाषण में लिखा हुआ है कि हमारे यहां सिर्फ ५ करोड़ रुपया प्राप्त होता है जबकि बाम्बे में और मद्रास में १५ करोड़ रुपया और १७ करोड़ रुपया है। सैल्स टैक्स का भार अरबन पापुलेशन के ऊपर जरूर पड़ता है, और मध्यम वर्ग पर भी लेकिन अगर हमको विकास करना है तो सैल्स टैक्स में चाहे मल्टिपुल प्वाइन्ट टैक्स लगा करके हो या जैसे भी हो वह हमको करना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि एक समस्या आजकल पटवारियों की, पन्चायती मंत्रियों की और अमीनों की हमारे सामने पेश है। हम देखते हैं कि पटवारियों की तन्ख्वाह १,१२,७६,१०० रु० है, पन्चायत के सेक्रेटरियों की ५९ लाख रुपया है और अमीनों की तन्ख्वाह पर ६४ लाख रुपया की। कुल मिलाकर २३५ लाख रुपये होते हैं। हमारा यूनिट जो है उसको पटवारी सर्किल का एक यूनिट मान लें और पन्चायत सेक्रेटरी भी उसमें मर्ज कर दिए जायं और पटवारी जो पोस्ट मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही अबालिश कर देनी चाहिए। लेकिन पटवारियों की जगह हमको एक पटवारी सर्किल पर एक मंत्री रख देना चाहिए इस तरह से पटवारी के सर्किल में एक पन्चायत का सेक्रेटरी हो जायगा। अमीन का भी काम वही करेगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दूर करके एक यूनिट बना लें।

एक चीज और हमको करनी है कि जो लैन्ड रेवेन्यू में ७४६ लाख मिलता था वहां अब१८५२ लाख रुपया मिलने लगा है काश्तकार जो जमीन्दारों को देते थे वह अब सीध

[श्री कालिका सिंह]

गवर्नमेंट को देने लगे हैं और इस तरह से जो ज्यादा रुपया मिल रहा है वह हर गांव से उतना ही अधिक निकल जाता है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो प्लानिंग बजट बन रहा है गांव सभाओं के बारे म यह बढ़ी हुई आय उस विलेज यूनिट में ही खर्च करें क्योंकि यह रुपया वहीं से निकाला जा रहा है। उतना रुपया हर गांव सभा के विकास के ऊपर पहुंचना आवश्यक है। वह नहीं पहुंचगा तो वह गांव सभा गरीब होती जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगातार दो दिनों से जो वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर वाद विवाद चल रहा है और माननीय सदस्यों की ओर से धन्यवाद के जिस तरह के भाषण हो रह हैं उनक सुनन के बाद और लगातार दो दिन तक, बड़ी सी पोथी जो तैयार की गई है, सरकार की ओर से बजट की, उसको पढ़ने के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बजट में गांवों और शहरों में रहने वाली जो छोटे तबके की जनता है, जो भूखी और नंगी है, सदियों से भूखी और नंगी है, छोटे छोटे जो क्लर्क हैं, कांस्टेबिल हैं, पटवारी हैं, मास्टर हैं, चपरासी हैं, उन पर कर का बोझ बढ़ाने वाला बजट है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट में माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम कर का भार कम करेंगे इस भाषण में वित्त मन्त्री जी यह कहते हैं कि जनता को खुशी से बचत करके, टैक्स देकरके सरकार की मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अपील बहुत अच्छी है कि देश बनाने के लिये, देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि इस अपील के पीछे कुछ मदद करे। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ अपील होती हैं मदद करने की, वहां यह नहीं देखा जाता कि इस किस्म की अपील सही माने में अवाम पर असर करती हैं कि नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि टैक्स सिंचाई कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि इसी सदन में इसी सरकार ने पिछले साल और अब तक शहरों के लिये जो गल्ले (राशन) की स्कीम चलाई थी उसमें चार करोड़ का घाटा हर साल सरकार को उठाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ शहर में रहने वाली जनता को चार करोड़ रुपये का घाटा उठा करके सरकार राशन देती थी और फिर कहती है कि वह जनता जो इस प्रकार राशन पाती थी, बचत करके सरकार को दें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं और हिसाब लगाता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि चार करोड़ सालाना सरकार जो घाटा उठाया करती थी वह और कम से कम चार करोड़ से ज्यादा रुपया जो टैक्स में बढ़ाया जा रहा है वह इस तरह से दस करोड़ रुपये का मुनाफा उस जनता पर जो सिंचाई का टैक्स कम देती थी उसके ऊपर बढ़ने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इससे मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप अपील पंचवर्षीय योजना के लिये सार्थक प्रतीत होती है लेकिन अपील के साथ साथ आप हिसाब नहीं लगाते हैं कि वह जनता कैसे इन टैक्सों को दे सकेगी, जनता कैसे रुपया बचाकर आपके खजाने में जमा कर सकेगी, यह ना-मुमकिन है। अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना की बड़ी डींग हांकी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, कौन इस देश का ऐसा आदमी होगा जो यह नहीं चाहता है कि देश का उत्थान हो? कौन नहीं चाहता होगा कि देश के रहने वाले आदमी अच्छी तरह से जिन्दगी बिता सकें? लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अपील की जाती है और पंचवर्षीय योजना की बात कही जाती है। अगर पंचवर्षीय योजना की बातें सार्थक होतीं तो अपील भी सार्थक होती देश की जनता के लिये। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो भूमिहीन किसान बसते हैं और दूसरे मजदूर बसते हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर इस पंचवर्षीय योजना में उनको जमीन मिलती, जो लोग बिना जमीन के हैं और उनकी गाढ़ी कमाई से नहरें बनती, मैं समझता हूं कि इन मजदूरों के पास जो गांव में लाखों की तादाद में हैं, ताकत आती। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पंचवर्षीय योजना को केवल आदर्श कहता हूं। यह सफल होने वाली नहीं है। पूज्य बापू की तस्वीर सदन में विराजमान है। बापू जी कहा करते थे उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए, देश में मजदूरी देन के लिये, बेरोजगारी मिटाने के लिये। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि छोटे छोटे उद्योग धन्धे

देश में फैलाये जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में छोटे छोटे उद्योग धन्धे बनाने के लिये और पनपाने के लिये कितनी रकम रक्खी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सोलह आने में एक आना छोटे छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिये रक्खा गया है। माननीय वित्त मन्त्री जी दो लाख दस लाख रुपया बेरोजगारी खत्म करने के लिये भले ही बजट में रख दें मगर मैं समझता हूं कि वह स्कीम भी फेल होगी जैसे कि आज स्कीमें फेल हो रही हैं, मुर्गी पालने की स्कीम, ग्राम सुधार की स्कीम इत्यादि। एक तरफ हमारे प्रदेश में पूर्वी जिलों में सिंचाई की समस्या खड़ी हुई है, एक तरफ हमारे प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल, अध्यापकों की हड़ताल, मेहतरों की हड़ताल व चपरासियों की हड़तालें हो रही हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे मन्त्री गण और जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, जो सत्ता के चलाने वाले हैं, वे इस गरीब जनता को जो करोड़ों की तादाद में हैं, उसको लम्बी तनख्वाहें दें और सत्ता का अधिकारी बन करके मैं नहीं समझता कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली है और इन करोड़ों जनता को जो आज फटे हाल हैं, जो प्रदर्शन करती है, हड़ताल करती है और उपवास करती है उनको सरकार खुश कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आपके द्वारा बड़े अदब से माननीय मन्त्रियों से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी तो हमारे देश का राष्ट्रपति झोपड़ी में रहेगा और ५०० सौ रु० से अधिक कोई वेतन नहीं लेगा। पर आज बापू के आदेश की अवहेलना की जा रही है। मैं भूल नहीं सकता और दावे के साथ कहता हूं कि इसका असर हमारे देश की जनता पर पड़ेगा कि आज छोटी तनख्वाह वाले हड़ताल कर रहे हैं। दूसरों को उपदेश देने के लिये यह कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, त्याग करो। हमारे देश के महात्मा गांधी मसीहा थे और उनके नेतृत्व के कारण हमें आजादी मिली। यदि आज भी माननीय वित्त मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी उनके कहने का पालन करें तो सरकार को इन लोगों की हड़ताल तुड़वाने की जरूरत न पड़े। लोगों को जेल भेजने की या सचिवालय के चारों ओर पुलिस खड़ा करने की आवश्यकता न पड़े। इसकी एक ही दवाई है कि खुद कम पैसा ले करके जनता की सेवा करनी चाहिए। यदि यह किया जाय तो मेरा दावा है कि बन्दूक के जरिये से हड़ताल तुड़वाने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस का उसूल और दावा है कि वह वर्णहीन और वर्गहीन समाज चाहती है। लेकिन आज क्या है! जिस जन कल्याणी राज्य की कल्पना हमारे वित्त मन्त्री जी करते हैं उसका नक्शा जब हम जमीन पर, कागज पर नहीं, देखते हैं तो ठीक उसके विपरीत नजर आता है। ऐसे जन-कल्याणी राज्य हिटलर और मुसोलिनी के भी थे जिसका नमूना आज वित्त मन्त्री जी पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रह देश में होता है, घर में होता है और दुनिया में हुआ करता है। लेकिन आज यह सरकार जो अपने को महात्मा जी के उसूलों पर चलने वाली कहती है जब हड़ताल होती है तो जेलखाने में भेजना, लोगों पर बन्दूक और लाठी से हमला करना सबसे अच्छा समझती है। "जबरा मारे रोवै न देय" की कहानी चरितार्थ होती है।

कल जब माननीय शिक्षा मन्त्री ने यह कहा कि उन्हे मालूम नहीं है कि गोरखपुर, गढ़वाल, बस्ती, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ जिलों में अध्यापकों को कम मंहगाई भत्ता-मिलता है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि शिक्षा मन्त्री महोदय अध्यापकों को जहां सन्तोष दिलाने की बातें कहते हैं उन्हे यह भी नहीं मालूम कि इन जिलों में महंगाई भत्ता पूरा नहीं दिया जाता है और तरह-तरह की नीतियां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जरिये से चलाई जाती हैं। मेरा दावा है कि इन जगहों के अध्यापकों को उतनी महंगाई नहीं दी जाती जितनी कि और जगह दी जाती है यह सरकार की बनाई वेतन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था। सरकार की ओर से प्रशासन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। कहा जाता है कि पैसा बचाओ। २६ करोड़ के हिसाब में मैं यह मानता हूं कि बड़ों की तनख्वाह कम करके भी छोटों को कोई खास लाभ नहीं होगा।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लेकिन साथ ही साथ इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत पड़ेगा। कानून विभाग और प्रशासन विभाग के खर्चे को देखने के बाद मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आज अदालतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिस्टर मारले ने सन् १९३८ में कहा था कि भारत मन्त्री जिस तरह लन्दन में बैठकर भारत का सारा काम किया करता है वैसे ही जिला मैजिस्ट्रेट जिले पर बैठकर सारा काम किया करते हैं। मेरा ख्याल हैं कि कलेक्टर लोगों के जिम्मे इतना काम है कि वह हुकूमत के काम को देख ही नहीं पाते। बीसों कमेटियों के वे चेयरमैन हैं कहीं प्लानिंग कमेटी है, कहीं कोई कमेटी है, कहीं कोई है। वह अदालतों में नहीं बैठते हैं, वे दौरे और कमेटियों में रहते हैं। मैं रोजाना देखता हूं कि बिना रुपया लिये अदालतों में तारीखें नहीं दी जाती हैं, बिना दो रुपया लिये हुए थाने में गरीबों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। एक तरफ सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है और दूसरी तरफ वहीं दिन दहाड़े मैजिस्ट्रेटों के सामने बाकायदा रिश्वतें ली जाती हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कलेक्टरी में जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में अन्तर है। बांदा, बहराइच, झांसी और प्रतापगढ़ इन चार जिलों की कलेक्टरियों में कर्मचारियों की तनख्वाहें ज्यादा हैं और शेष ४७ जिलों में बहुत कम हैं। अभी वेतन कमेटी की रिपोर्ट वहां पर लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और बहुत सी बातें इस सरकार की बतलाता। इस प्रकार की नीति पर आधारित सरकार अपने को "जन कल्याण राज्य" बनाने वाली सरकार कहती है, जो सरासर गलत है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मुहतरम स्पीकर साहब, मैं जबकि ५ बजने में ९ मिनट बाकी हैं थोड़ा सा अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मुझे यह अर्ज करना है कि जिस दिन यह बजट पेश हो रहा था और बजट की तकरीर पढ़ी जा रही थी उसको मैंने गौर से सुना और उसको पढ़ा भी है। मैं पूरे वसूक के साथ कह सकता हूं कि जहां तक वजीर खजाना के जजबे का ताल्लुक है उन्होंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामले को लेकर सुधारने और बाकायदा और सही तरीके पर करने की कोशिश की है और उसमें इस जजबे का काफी इजहार होता है, इसके लिये मैं अपने आनरेबिल मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक बजट का ताल्लुक है एक तरफ तो वह पूरे मुल्क का आइनेदार होता है और दूसरी तरफ बजट से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता की जाती हैं और वाबिस्ता की जानी चाहिए। अन्दाजा करना पड़ता है कि हमने एक साल पहले क्या किया और इस साल जबकि हम यह बजट पेश कर रहे हैं, हमारे क्या इरादे हैं और जो वायदे आइन्दा के लिये किये जा रहे हैं उन पर कहां तक हम अमल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से मुख्तलिफ शोबों में कोशिश की है और जो कुछ भी उसने कहा है उस पर अमल किया है। इससे उम्मीद होती है और यकीन होता है कि आइन्दा भी इन पर अमल करने की पूरी कोशिश की जायगी।

जब हम जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च को देखते हैं और आज की हालत को देखते हैं तब हमें अपने सूबे की हालत और गवर्नमेंट की हालत को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है, बजट को देखकर हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमारी माली हालत कुछ अच्छी है और दूसरे कहते हैं कि मुल्क की हालत खराब है। माली हालत का ताल्लुक अवाम से भी है और गवर्नमेंट से भी है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है जिनसे रुपया लेकर खर्च चलाया जाता है, मैं अर्ज करूंगा कि उसकी माली हालत बिलकुल अच्छी नहीं है। वह किसी मजीद टैक्सेशन को बरदाश्त करने की अहलियत नहीं रखती। अगर इस बजट को पास करने के बाद कोई ऐसी चीज की गई चाहे वह सेल्स टैक्स हो, चाहे और कोई टैक्स हो जिससे कोई बार हमारे अवाम पर पड़े तो यकीन कीजिए कि अवाम की हालत बिलकुल उस भीगे हुए कपड़े के मानिन्द है जो भीगा हुआ था और उसको काफी निचोड़ा जा चुका है और अब उसमें एक कतरा पानी का बाकी नहीं है और अब आगे इस कपड़े को निचोड़ा गया तो यह कपड़ा फट जायगा और एक कतरा पानी का नहीं निकलेगा।

बहुत से खर्च ऐसे हैं जिनके अन्दर कुछ न कुछ हर साल इजाफा हुआ है। जहां तक महकमे नज्म व नस्क का ताल्लुक है, उसमें ५१-५२ के अन्दर १,८०,२१,८५५ रु० था। दूसरे साल २,३८,४६,६०० रुपये हुए, उसके बाद २,६४,००,००० रुपये हुए और आज ३,१०,२२ हजार ८ सौ रुपये की मद इसमें रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह हालत हमारी गुरबत को देखते हुए, सूबे की गरीबी को देखते हुए जाहिर है कि आमदनी में इजाफा नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना इस खर्च में या और दूसरे खर्चों में हम कमी कर सकेंगे उतना ही हम सूबे पर अहसान करेंगे।

हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में हाउस में बहुत उम्मीद और उसूल की बात कही है। आप फरमाते हैं कि--

"a state which . . . . . ."

श्री अध्यक्ष--आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह बात उन्होंने नहीं कही। वह अंग्रेजी में नहीं बोले।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--यह उनकी अंग्रेजी तकरीर में था। जहां तक मैं समझता हूं वह अपनी तकरीर में दावा कर रहे हैं कि यह वेलफेयर स्टेट है और उसकी वह तारीफ कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिसके अन्दर लोगों के जानो माल व आबरू और इज्जत महफूज न हो, वह अकसरियत में हो या अकलियत में हों, पोलिटिकल अकलियत हो, या मजहबी अकलियत हो, दोनों तबकों की जान व माल और आबरू की हिफाजत जहां नहीं की जा सकती है, और जहां ला एन्ड आर्डर का सही इस्तेमाल न होता हो उसको वेलफेयर स्टेट कहने के लिये न तो हम हक बजानिब हैं और न वजीर साहब जनाब को ही यह हक पहुंचता है और न किसी इन्सान को यह कहने का हक पहुंचता है। मैं नहीं समझता कि यह तारीफ बिलकुल सही है।

इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस तबके के बारे में जिसके हाथ में हमारी इज्जत व आबरू और जानो माल है जो पुलिस का तबका है। उसकी हालत को अगर आप देखा जाय तो सही अन्दाजा लगा सकेंगे कि अब भी इसमें काफी इस्लाह की जरूरत है! इसके कहने में हक बजानिब हूं। आज जो तर्जे अमल इस तबके ने अख्तियार कर रखा है उसमें बहुत कुछ सुधार होने की जरूरत है। आज हम कह सकते हैं कि कम से कम हमारी इज्जत-आबरू और इस सूबे में रहने वालों की इज्जत व आबरू बिला तफरीक खतरे में है। चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों उनकी इज्जत व आबरू की यह तबका सही तौर पर हिफाजत नहीं करता है।

दूसरी चीज यह जरूरी है कि बाज बाज जगहों पर आपने काफी उत्साह पैदा किया है और लोगों में जज्बा पैदा किया है और बहुत से थानों पर लिखा भी है कि यह माडल थाने हैं और अवाम की खिदमत करना चाहिए। इस तरह की बातें दीवारों पर लिखी हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि दीवारों पर इस तरह से लिखने के बजाय आपके हुक्म में सख्ती की जरूरत है। आपने जो कुछ दीवारों पर लिखा है उसके बारे में यह देखने की जरूरत है कि उस पर यह तबका अमल कर रहा है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपकी मर्जी के खिलाफ यह तबका अपनी ड्यूटी सही तौर पर अन्जाम नहीं दे रहा है। आज उनकी हालत बहुत ही खराब है।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि इस पर गुरबत के वक्त में बहुत बोझा लादा नहीं गया है। कोशिश यह की गई है अगरचे दिक्कत है। अभी हमारे दोस्तों ने मांग की है, मतालबा किया है और मुख्तलिफ तरीके पर तन्कीद की है। बाहर टीचर्स खड़े हैं जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मतालबा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ख्वाहिश सही है और जितनी उनकी मांगें हैं और जितने हमारे चादर के अन्दर पैर फैल सकें उतनी ज्यादा तनख्वाह हमको इन टीचरों को देनी चाहिए। मगर यह भी है कि एक तरफ तो यह कहते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तन्कीद भी करते हैं कि बजट का ज्यादा फैलाव न हो। जाहिर है कि ऐसी हालत में रुपया कहां से आयगा। इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसी और

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

मदें हो सकती हैं जिन पर कमी की जाय और उनमें कमी की जाने के बाद इन टीचर्स और ऐसे छोटे लोगों पर जिन पर तालीम की जिम्मेदारी है उन पर वह रुपया खर्च किया जाय। मगर टैक्स लगाकर तनख्वाह बढ़ाना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं होगा।

मैं वजीरे तालीम से अर्ज करूंगा कि हम लोग मुद्दत से सुन रहे हैं और हमें इंतिहा खुशी होती है कि बड़ी तादाद में स्कूल खुलेंगे और खोले जायेंगे। मेरे ख्याल में यह काफी नहीं है। और इससे उनको मुतमईन नहीं होना चाहिए। अभी बहुत से स्कूल आपको खोलना है। देहात में जाकर अगर आप देखें तो जो स्कूल वहां खोले गये हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां टीचर्स साहब तशरीफ रखते हैं और लड़के नदारद हैं और कहीं दो चार लड़के ही बैठे हुए हैं, लेकिन टीचर साहब मौजूद नहीं हैं, वे देहातों में और चीजों में अपना वक्त जाया करते हैं। इसलिये तालीम का इन्तजाम सही नहीं है।

जहां तक इन्साफ यानी अदालतों का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करूंगा कि अभी इस्लाह की बहुत कुछ मुहताज वह हैं। मैं जनाब वाला के जरिये से अपने मोहतरिम वजीर साहब से यह अर्ज करूंगा कि वे खास तवज्जह फौजदारी अदालतों की तरफ दें। मामूली मामूली जरायम के मुकद्दमे एक-एक दो-दो साल तक पड़े रहते हैं और फैसल नहीं हो पाते। लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं और जब कभी उनकी गैर हाजिरी हो गयी तो उनको सजा हो जाती है।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२४ फरवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

बी० एस० यू० पी० १०० एल० ए०--१९५३--८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ फ़रवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद ,श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह, श्री

फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल सौंखल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम हाफ़िज़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्श सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़-चम्पावत (जिला अल्मोड़ा) में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*१—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि पिथौरागढ़-चम्पावत निर्वाचन क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में जिसकी आबादी साढ़े तीन लाख है स्त्रियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—उक्त क्षेत्र के पिथौरागढ़ स्थान में एक राजकीय महिला चिकित्सालय (womens wing) कार्य कर रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार के पास सिविल सर्जन, अल्मोड़ा का कोई सूचना-पत्र आया है कि वर्त्तमान व्यवस्था अस्पताल की सुचारु रूप से नहीं चल रही है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार के पास इस विषय पर जनता की ओर से कोई रेप्रेजेंटेशन आया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, अभी वहां तीन शैया हैं। यदि इस प्रकार का कोई सुझाव संचालक के पास आयेगा तो उनकी सुविधा व शैया बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि मौजूदा महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मर्दाना अस्पताल के एक साधारण कमरे में खोला गया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि कब तक इस चिकित्सालय के लिये अलग भवन बन जायगा ?

श्री बनारसी दास—अभी तक इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में एक जनाना अस्पताल खोलने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—वर्तमान समय में सरकार के सम्मुख कोई सुझाव एक दूसरा महिला चिकित्सालय उक्त क्षेत्र में खोलने के लिए नहीं है।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—यदि हां, तो उक्त विचार कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगा?

श्री बनारसी दास—प्रश्न ही नहीं उठता।

*४-५—श्री इस्तफा हुसैन (ज़िला गोरखपुर)—[२६ फरवरी, १९५३ के लिये संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सितारगंज जिला नैनीताल के चिकित्सालय का निर्माण

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि सितारगंज, जिला नैनीताल का अस्पताल बिलकुल टूटी-फूटी हालत में है? अगर हां, तो सरकार उसके निर्माण या मरम्मत के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां, सितारगंज चिकित्सालय की इमारत बहुत जीर्ण अवस्था में है। यह चिकित्सालय जिला बोर्ड के नियन्त्रण में है। यदि बोर्ड का इस विषय पर कोई अनुरोध आवेगा तो उस पर विचार किया जावेगा। साधारणतः जिला बोर्ड अपने चिकित्सालयों की मरम्मत वगैरह स्वयं ही करवाते हैं?

हलद्वानी म्युनिसिपल क्षेत्र में पानी की कमी

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर रहने वाले नागरिकों को पीने के पानी की अत्यन्त कमी के कारण भारी कष्ट है? अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, चीफ इंजीनियर, स्वशासन इन्जीनियरिंग विभाग, यू० पी० ने इस सम्बन्ध में एक योजना बना कर भेजी है, जिसकी लागत लगभग १,७८,००० रुपये है।

इस कार्य के लिये नगरपालिका ने सरकार से ऋण मांगा है। उसके प्रार्थना-पत्र पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उपर्युक्त योजना के अनुसार कितना पीने का पानी हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी के नागरिकों को उपलब्ध हो सकेगा?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी पूरी रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विचार करने में कितना समय लगेगा?

श्री मोहनलाल गौतम—आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में ५० हजार रुपया उस म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जायगा।

दुद्धी तहसील, ज़िला मिर्जापुर के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*८—श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन गत अक्तूबर महीने से नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—नहीं। दूधी तथा रावर्ट्सगंज के कुल स्टाफ को, अलावा १ सीनियर इन्सपेक्टर, ३ फूडग्रेन्स इन्सपेक्टर और २ कामदार के, वेतन दिसम्बर सन् १९५२ तक मिल चुका है। सीनियर इन्सपेक्टर का वेतन सरकारी मंजूरी न होने की वजह से रुका था वह मंजूरी अब भेजी जा रही है। फूडग्रेन इन्सपेक्टर का वेतन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वेतन से संबंधित जमानत जो दी हुई थी उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनमें से एक इन्सपेक्टर त्याग-पत्र दे कर चला गया है और उसका पता नहीं चल सका है। कामदारों का वेतन इसलिए नहीं मिल सका है कि उनके विषय में यह सार्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो सका है कि उनके ज़िम्मे कुछ बाकी नहीं है। दिसम्बर के आगे का वेतन देने के सम्बन्ध में मंजूरी दी जा रही है। इस मंजूरी के देने में इसलिये विलम्ब हुआ कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अब मिर्जापुर में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रावर्ट्सगंज और दूधी तहसील में कुल स्टाफ में कितने कर्मचारी किस किस पद पर हैं ?

श्री बनारसी दास—इसका नोटिस मिलने पर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् ५२ तक जो वेतन दिया गया वह कब दिया गया ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो जैसा मैंने बताया कि उसका आदेश दिया जा चुका है कि दिसम्बर, सन् ५२ तक का वेतन दे दिया जाय। जिलों से अभी तक इस बात की रिपोर्ट नहीं आई है कि उनका वेतन कब दिया गया।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—उत्तर में यह कहा गया है कि एक सीनियर इन्सपेक्टर, दो फूड इन्सपेक्टर और दो कामदार का वेतन दिसम्बर, सन् ५२ तक मिल चुका है मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बनारसी दास—उसकी यहां पर कार्यालय में कोई रिपोर्ट नहीं है। ज़िलों से वेतन दिया जाता है और वह दे दिया गया होगा।

जौनपुर राशनिंग विभाग के कर्मचारियों की छटनी

*९—**श्री बाबू नन्दन** (ज़िला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर राशनिंग विभाग से कितने कर्मचारियों की छटनी हुई है ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर राशनिंग विभाग में दो कपड़े के इन्सपेक्टर, दो कपड़े के क्लर्क, एक सप्लाई आफिस के हेडक्लर्क और एक क्लर्क की छटनी की गई है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्यों राशनिंग तथा सप्लाई विभाग से कर्मचारी निकाले गये ?

श्री बनारसी दास—क्योंकि राशनिंग विभाग का कार्य क्रमशः कम हो गया है और कपड़े के ऊपर से नियन्त्रण काफी ढीला कर दिया गया है। इसलिये कपड़े के नियन्त्रण को चलाने के लिये जितने कर्मचारी थे उनके स्थान को कम करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब कुल कितने कर्मचारी राशनिंग विभाग तथा सप्लाई विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी जिन्होंने सप्लाई विभाग में काम किया है उनको अन्य स्थानों में एकामोडेट करने के लिये सरकार विचार कर रही ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर १० में दिया जा चुका है कि 'जी हां'। इस सम्बन्ध में सप्लाई विभाग की तरफ से और मुख्य सचिव की ओर से आदेश दिया जा चुका है जिस जिले

में अन्य विभागों में ऐसे स्थान खाली हों तो वहां पर इस विभाग के कर्मचारियों को जो ईमानदार हों और जिनका कार्य सन्तोषजनक रहा हो उनको उन स्थानों पर सबसे पहिले रखा जाय इस सम्बन्ध में इम्प्लायमेंट इक्सचेन्ज को भी लिखा जा चुका है कि इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सप्लाई अफसरों के भी हटाने की कोई सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास--इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं है और न अभी तक इसके बारे में कोई निश्चय ही किया है कि सप्लाई अफसरों को हटाना है या नहीं हटाना है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तमाम जिलों में छटनी हुई है या केवल जौनपुर ही में ?

श्री बनारसी दास--प्रदेश के सभी जिलों में हुई है।

श्री रमेश चन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह छटनी किन किन नियमों के आधार पर हो रही है ?

श्री बनारसी दास--समस्त प्रदेश के जिलों में जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं और आर० एफ० सीज० को भी लिखा गया है कि उस विभाग के उनके यहां जितने भी कर्मचारी काम करते हों उनकी ३ ए बी सी श्रेणी बनाई जायं और सी श्रेणी में केवल वह कर्मचारी रखे जायं जिनका काम संतोषजनक नहीं है या उनकी इन्टैग्रिटी के बारे में कुछ शक है, तथा दूसरे कर्मचारी जिनकी शिकायत नहीं है और जो सीनियर हैं उनकी योग्यता आदि के लिहाज से ए बी श्रेणी में बांट दिया जाय। ए श्रेणी वालों को सब से पहले स्थान दिया जायगा और उसके बाद बी श्रेणी वालों को।

श्री श्रीचन्द्र--क्या मन्त्री जी कृपया बतावेंगे कि इन श्रेणियों के बताने वक्त कैरेक्टर रोल्स पर भी ध्यान दिया जाता है या नहीं ?

श्री बनारसी दास--यह तो अभी बतलाया गया है कि इन्टेग्रिटी देखी जायगी और उसका सम्बन्ध कैरेक्टर रोल्स से ही है और उसी आधार पर यह वर्गीकरण किया जायगा और किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि सरकार इन छटनी हुई कर्मचारीगण से पटवारियों का काम लेने जा रही है ?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--जिनकी ईमानदारी में शक है उनको सी श्रेणी में रखा जायगा, तो क्या इस विभाग में अब तक ऐसे आदमी हैं जिनकी ईमानदारी में शक है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, सी लिस्ट में ऐसे लोग आयेंगे जिनका काम सन्तोषजनक नहीं था या जिनकी इन्टेग्रिटी के बारे में शक था, पूरे प्रान्त में ऐसी सूची बनेगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या ऐसे मुलाजिमों को जिनकी सर्विस बहुत पुरानी है ए बी लिस्ट बनाते समय खास सहूलियत दी जायगी ?

श्री बनारसी दास--यदि किसी की पुरानी मुलाजिमत है और उनका कार्य भी सन्तोषजनक रहा है तो उनको अवश्य ए और बी लिस्ट में रखा जायगा ?

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार राशनिंग विभाग को १ जुलाई से तोड़ने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--जी पूर्णतः नहीं।

*१०--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों की छटनी हुई है उनके लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

१९५३-५४ के लिए विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—मैं इत्तिला देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों का कार्य-काल ३१ मार्च को समाप्त हो जायगा क्योंकि वह वित्तीय वर्ष ५२-५३ के लिये ही बनाई गयी थीं। उनका फिर से चुनाव होना है। इसके लिये यह कार्यक्रम रखा जाता है।

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय—१३ मार्च को ३ बजे तक। नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १४ मार्च को २ बजे तक और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय २० मार्च को ३ बजे तक। यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तिथि तथा समय २४ मार्च, १९५३ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ३ बजे तक।

हज कमेटी के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरी सूचना हज कमेटी के सम्बन्ध में है। उसमें एक सदस्य चुना जाने वाला है। उसमें तीन नाम आये हैं। हकीम हबीबुर्रहमान खां (शाहजहांपुर), श्री वजीर अहमद (सीतापुर) और श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी (सीतापुर)। इनकी नामजदगी हो चुकी और सही पायी गयी।

२६ फरवरी, यानी कल, एक बजे तक नाम वापसी हो सकती है। अगर कोई वापस न ले तो एक आदमी का चुनाव होगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष पर १९५३-५४ के आय-व्ययक साधारण वाद-विवाद जारी रहेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मोहतरिम स्पीकर साहब, मैंने कल तालीम के मुताल्लिक कुछ जिक्र किया था। क्योंकि वक्त कम है, मैं एक-एक, दो-दो लफ्ज में जो चीजें कहना चाहता हूं वह अर्ज कर दूंगा।

जहां तक तालीम के सिलसिले में वजीफे देने का ताल्लुक है उसका इन्तजाम कुछ मुनासिब नहीं है। जिन लोगों की पहुंच हो जाती है और वह अप्रोच कर लेते हैं उनको वजीफे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जितने हकदार हैं, काबिल हैं लेकिन गरीब हैं, उनकी पहुंच नहीं है, उनको वजीफे कभी नहीं मिलते। मैं यह उम्मीद करता हूं कि वजीर तालीम इसके मुताल्लिक खास तवज्जह फरमायेंगे।

जहां तक ग्रांट इन एड की तकसीम का ताल्लुक है, उसके सिलसिले में दो-तीन वर्ष से खराबी हो रही है। जिन स्कूलों में लड़के काफी हैं वहां कम दी जाती है और जहां कम हैं वहां बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसा तनासुब मुकर्रर करना चाहिए कि जो स्कूल हकदार हैं उनको मुनासिब तरीके से इमदाद मिल सके।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि रूल में मौजूद है, हमारे बहुत से स्कूलों के अन्दर उर्दू और फारसी टीचर कम किये जा रहे हैं और यह कह करके कि लड़कों की तादाद कम है उन टीचरों को अलग कर दिया जाता है। उसका नतीजा यह है कि उर्दू और फारसी की तालीम जिसकी हमें बहुत जरूरत है उनमें काफी कमी होती चली जाती है।

तालीम के सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि हिन्दोस्तान के अन्दर एक बात तय हो चुकी है कि हिन्दोस्तान की कौमी जबान हिन्दी है, मेरा मतलब आसान हिन्दी से है। उस हिन्दी से नहीं जो सवालात के जवाबात में यहां सुनने को मिलती है और जो मुश्किल से समझ में आती है। वह ऐसी जबान न होनी चाहिए जिसके मुताल्लिक अध्यक्ष महोदय और चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद बता चुके हैं, बल्कि ऐसी आसान हो जिसके पढ़ने का शौक बढ़े। यकीनन हिन्दी की तरफ ध्यान करनी चाहिए जो देवनागरी रस्मुलखत में हो, लेकिन

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

इसके साथ-साथ जब हम हिन्द की तरक्की की कोशिश करें तो कभी भी हमें यह तरीका न अख्तियार करना चाहिए कि हम हिन्दी को उर्दू की जगह पर ला रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हिन्दी को अंग्रेजी की जगह पर ला रहे हैं। हमारे मद्दे मुकाबिल अंग्रेजी है न कि उर्दू और हिन्दी का रिवाज हमारे उसूल के अन्दर दाखिल है। जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है वह इस मुल्क की जबान है, और खास कर इस सूबे की जबान है, इसको खुसूसियत के साथ आपको तवज्जह करनी चाहिए और इमदाद देकर इसके इल्म को बहाल रखना चाहिए जिस में यहां के बाशिन्दे तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में मुतफिक हैं।

सवाल यह होता है कि तालीम के लिये जब रुपय की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो कहां स आये। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक खर्चा है उसम हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गये हैं। पहिले साल एक करोड़, फिर दो करोड़ अब ३ करोड़ तक नौबत पहुंच चुकी है। तीन करोड़ सात लाख तक पहुंच चुकी है। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिएस कि उसमें पैसा हमारा फिजूल खर्च न हो।

जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का ताल्लुक है यह एक भार है हमारे ऊपर और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। मेरी तो यह राय है—और मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से कोई फायदा नहीं दिखलाई देता, इसको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और इससे जो रुपया बचे वह तालीम की मद में खर्च करना चाहिए। उससे हो सकता है कि मास्टरों की तनख्वाह में भी हम इजाफा कर सकें।

मैंने कल अर्ज किया था कि अदालतों के मुताल्लिक, यहां की जो अदालतें हैं वह गवर्नमेंट के मातहत हैं और कस्टोडियन की जो अदालत है अदालती हैसियत से वह भी इस सूबे से ताल्लुक रखती है। अगर वह बाजाब्ता वाकई अदालत है तो आप कोई जांच कराएं, कोई कमेटी बैठाएं। उनकी अब यह हालत हो गयी है कि जिसका भी जी चाहा उन्होंने नोटिस भेज दिया।

नोटिस भेजने के बाद लोगों को तीन-तीन वर्ष लोगों को दौड़ते हो गये हैं। एक भी तारीख ऐसी नहीं है जिस पर जिनके नाम नोटिस भेजा गया है, जब वह आये तो उनके मुकदमें सुने जायं। नतीजा यह होता है कि परेशान होकर हमारे सूबे के जो बाशिन्दे हैं, जो यहां मौजूद हैं उनको सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है और आखिर में पैरवी न कर सकने की वजह से उनका हक जायल हो जाता है। इस तरह से कस्टोडियन का मुहकमा और अदालत हमारे सूबे के अन्दर एक वबाल, एक बीमारी, एक मुसीबत बनी हुई है। इस तरफ हमको खासी तवज्जह देनी चाहिए।

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर इस भवन में दो दिन से जनरल बहस चलती रही है और समाजवादी सिद्धांतों से लेकर किसी वकील का अपने मुवक्किल के सम्बन्ध में लिखे हुए पत्र तक, सभी विषयों की चर्चा हो चुकी है।

मेरा कोई इरादा उस सम्बन्ध में जिक्र करने का नहीं है। केवल दो-एक मोटी-मोटी बातों की तरफ म आदरणीय भवन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट पर विचार करते समय मुख्य बात तो यह देखने योग्य है कि बजट के जो एस्टीमेट्स हैं साल के आखिर तक उनका खच की वास्तविकता से क्या सम्बन्ध रहता है। मनगढ़ंत आंकड़े तो नहीं इकट्ठे कर दिये जाते। ऐसा तो नहीं जब बजट बनाया जाय तो अच्छी-अच्छी मदों में रुपया रख दिया जाय और जब साल खत्म हो तो उन मदों का रुपया खर्च ही न हो और दूसरे कामों में रुपया खर्च हो जाय।

अगर इस प्रान्त के बजट पर निगाह जाय तो यह मालूम होगा कि पिछले चार-पांच सालों में केवल ४८-४९ ही एक ऐसा साल हुआ जब डेफिसिट बजट हुआ। उसके बाद पारसाल का बजट और डेफिसिट बजट रहा और इस साल का बजट भी डेफिसिट बजट है।

श्रीमान्, जी मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं यहां वह सब चर्चा करूं जो एक समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने डेफिसिट बजट के सम्बन्ध में इस भवन में की थी। म केवल इतना कह देना चाहता हूं कि अगर इस साल के और प्रान्तों के बजट देखे जायं तो यह अन्दाज होगा कि प्रायः सभी बजट डेफिसिट हैं। मद्रास के बजट में तो दो बातें खास तौर से हैं--एक तरफ तो उन्होंने तीन हजार सरकारी कर्मचारियों को अलग कर दिया है। दूसरे तरफ तीन सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में दस फी सदी कटौती की है। बजट के सम्बन्ध में दूसरी बात जिसका मैं चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि पिछले दिन विरोधी दल के नेता जी ने यह चर्चा की थी कि हमारे प्रान्त का बजट किसी समय १२ करोड़ था। अब बढ़कर के करीब ७८ करोड़ पहुंच गया है। इतना समय तो नहीं है कि सब चीजों की चर्चा की जाय। मगर मैं भी एक-दो साल के बजट के आंकड़ों की तरफ हवाला देकर यह बतलाना चाहता हूं कि देखना यह चाहिए कि यह बजट डेफिसिट हो जाते हैं वह इस कारण से तो नहीं होते कि आमदनी घटती चली जाती हो या इस कारण से होता है कि खर्चा बढ़ता चला जाय और यह भी तो खर्चे में जो बढ़ोत्री होती है। वह किन कामों पर खर्च होती है। क्या खर्चे की बढ़ोत्री ऐसे कामों के लिये है जिससे जनता को कुछ लाभ हो या केवल सिक्योरिटी सर्विसेज पर और ऐसे ही अन्य कामों पर वह रुपया खर्च होता है। पिछले साल का जो बजट है उसको अगर आप देखेंगे तो यह मालूम होगा कि अगर इस सरकार ने विकास लेवी को लगा दिया होता तो शायद बजट डेफिसिट न होता, बैस बजट हो जाता। तो इस तरह से डेफिसिट बजट सरकार के इस इरादे से हुआ कि अधिक टैक्स जनता पर न लगाये जायं। इस साल के डेफिसिट बजट में जो खर्चे का इजाफा है वह करीब-करीब १३ करोड़ रुपये का है। इन १३ करोड़ रुपयों में से ५ करोड़ रुपया तो जड० ए० एफ० कम्पेनसेशन और बान्ड्स के ब्याज पर जो खर्च होता है, उसके लिये रखा गया है। ४ करोड़ रुपया जो मिसलेनियस हेड के अन्दर है वह सब डेवेलपमेंट स्कीम के लिये रखा गया है। ९१ लाख के करीब रुपया कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के लिये रखा गया है और ४३ लाख रुपया शिक्षा के लिये रखा गया है। ३४ लाख रुपया सार्वजनिक स्वास्थ्य पर और खर्च होगा और ६६ लाख रुपया प्लानिंग पर और ज्यादा खर्च होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो खर्च में बढ़ोत्री हुई है वह ऐसे कामों के लिये हुई है जो जनता के लिए लाभदायक है। फिर दूसरा प्रश्न यह रहता है कि इस खर्चे की बढ़ोत्री को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। आमदनी का इजाफा किन-किन मदों में हुआ है। आप अगर गौर फरमायेंगे तो यह मालूम होगा कि आमदनी में ४ करोड़ ७८ लाख रुपये की बढ़ती तो लैन्ड रेवेन्यू में है। पिछले साल, जो जमीन्दारी उन्मूलन कानून जुलाई से लागू हुआ था, पर इस साल तो वह कुल साल लागू रहेगा इसलिये लैन्ड रेवेन्यू में इतना इजाफा होगा। ३ करोड़ १८ लाख रुपया आबपाशी में बढ़ाया गया है। १ करोड़ ५० लाख रुपया सैल्स टैक्स में बढ़ाया गया है और ५५ लाख रुपया गवर्नमेंट बस सर्विस आदि से बढ़ेगा।

इसके अलावा इस बजट में लोन्स का मद है उसको भी देखने से अन्दाजा लगेगा ३१ मार्च, सन् ५२ तक हमारे प्रान्त का लोन्स ६७ करोड़ था। ३१ मार्च, सन् ५३ तक वह ८९ करोड़ हुआ और ३१ मार्च, सन् ५४ तक १६७ करोड़ का उनका एस्टीमेट है। १६७ करोड़ में ८० करोड़ के करीब कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट्स के लोंस हैं। तो इससे आप यह देखेंगे कि कर्जे में भी पारसाल की निस्बत कोई विशेष इजाफा नहीं है। कैपिटल आउटलेज पर जो खर्चा हमारे प्रान्त में हुआ है वह भी देखने योग्य है। इसमें से ट्यूब वेल्स पर ९ करोड़ ६८ लाख रुपया खर्च होगा। ट्यूब वेल्स के सम्बन्ध में मैं इतना और अर्ज कर देना चाहता हूं कि ट्यूब वेल्स से जो आबपाशी की दर है वह उससे ट्यूबवेलों का खर्च पूरा नहीं होता है। आबपाशी बढ़ाने पर भी जो ट्यूब वेल्स का खर्चा है वह पूरा नहीं होता है। इसीलिये सन् १९५१-५२ में ट्यूब वेल्स पर २·७१ प्रतिशत घाटा था। सन् १९५२-५३ में ३·९८ प्रतिशत

[श्री फूल सिंह]

घाटा था, और सन् १९५३-५४ में ५.२ प्रतिशत घटा रहेगा। इसके बरअक्स नहरों पर जिनमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव नहरें सभी शामिल हैं, ४१ करोड़ १५ लाख रुपया खर्च होगा। इसकी आमदनी अगर आप देखें गे तो कुल मिलाकर इस साल में ११.५७ प्रतिशत मुनाफा होगा। तो आप देखेंगे कि नहरों पर से खर्चा भी काफी है और नहरों से आमदनी भी बहुत काफी है। हाइडल स्कीम पर १६.३३ करोड़ रुपया का खर्च है जिसमें इस साल में .२७ प्रतिशत गेन है। कानपुर में एलेक्ट्रिक सिटी पर जितना खर्च होगा उस पर ३.० परसेंट गेन होगा। बस सर्विस पर ३.९७ करोड़ का खर्च है और ३.८७ प्रतिशत मुनाफा है। इसके साथ-साथ लोंस और एडवान्सेज हैं। उनको मिला करके हमारा कैपिटल एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ के करीब है। जिस स्टेट का कैपिटल एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ है उसपर ८० या ८५ करोड़ का कर्जा होना कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन असल बात जो विचार करने के काबिल है वह यह है कि इन सब खर्चों में इजाफा करने से जनता को क्या लाभ होता है। आया बजट पर इतना रुपया बढ़ाने से जनता की हालत में कोई बेहतरी हुई है या नहीं हुई। मेरे ख्याल में यह मुख्य प्रश्न है जिस पर इस भवन को विचार करना चाहिए और जिससे एक मुफीद नतीजा निकल सकता है।

मैं थोड़ी सी चीजों को तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खेती में एक्सपेरीमेंट्स पहले भी होते थे, लेकिन उन सब एक्सपेरीमेंटस को फील्ड तक पहुंचाने में काफी कठिनाई थी। अब हमने उन एक्सपैरीमेंट्स को फील्ड तक पहुंचा करके किसानों को मुतमईन कर दिया है कि यह एक्स-पेरीमेंट्स काफी लाभदायक है। मिसाल के तौर पर गेहूं के अच्छे बीज देकर इटावा जिले में, हां, जो पाइलेट प्रोजेक्ट एरिया था, उस तमाम एरिया को बढ़िया गेहूं से सेचुरेट करके वहां की गेहूं की पैदावार २५ परसेंट से ५० परसेंट तक बढ़ा दी गई है। इस तरीके से खेती के सुधार के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह थी कि अच्छा बीज आसानी से मुहैया नहीं होता था, और जो बीज अच्छा मुहैया होता था बावजूद मशविरा के किसान उनको पुराने तरीके से इस्तेमाल करता था। अब नया तरीका जो निकला है उस तरीके से जिस खेत में ७० या ६० सेर गेंहूं पड़ता था, अब उसमें केवल सात सेर गेंहूं काफी होता है, यानी जितना बीज पहले डालते थे उसका दसवां हिस्सा अब खर्च होता है। सीडड्रिल के तरीके से कम से कम ५० प्रतिशत बीज कम पड़ता है, यानी जितना बीज आमतौर से हम एक एकड़ में डालते थे, उतना बीज अब दो एकड में पड़ जाता है इन तरीकों को हमने खेतों पर डिमान्स्ट्रेट किया है, किसानों ने इन तरीकों को पसन्द किया है और वे अब इन तरीकों से काफो इलाकों में खेती करने लगे हैं। जिससे उस बीज से जितना बीज हमारे पास पहिले था कम से कम दो चन्द रकबे में अच्छे बीज डाले जा सकेंगे। सीड सेचुरेशन स्कीम चलाकर हम तीन साल के अन्दर तमाम प्रान्त में बढ़िया बीज पूरे तौर से देने का इरादा रखते है, यह भी इस सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा इधर भी मुखातिब हो जाया करें, बीच-बीच में।

श्री फूल सिंह—मैं अभी खत्म ही किया चाहता हूं।

तो सहकारी समितियों में जो सबसे बड़ा काम किया गया है वह दो सौ कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन का निर्माण हैं। कम से कम १२, १३, १४ हजार रुपया हर कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन को मुनाफा होने लगा है। उस आमदनी से उन कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन् ने अपनी सीड्स स्टोर्स पुख्ता करली है। इसी तरीके से हमने कई सौ कोआपरेटिव ट्यूब वल्स तमाम प्रान्त में लगा दिये हैं और हर कोआपरेटिव सीड स्टोर पर सीड नरसरी लगाने का इरादा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष—शायद आप दो-तीन मिनट और ज्यादा चाहेंगे ?

श्री फूल सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको ५ मिनट तक दे सकता हूं।

श्री फूल सिंह--एनिमल हस्बैन्ड्री में हमने टीके लगाकर मवेशियों के बीमारियों को ५० परसेंट से दो परसेंट ले आये हैं। जिन इलाकों में मवेशियों को टीके लगाकर सेचुरेट कर दिया है वहां मवेशियों की बीमारी एक तरह से खत्म हो गयी है। इस तरीके से जो पैडगिरी बुल्स थे और वह हमारे पास इतनी तादाद में नहीं थे कि हम तमाम प्रान्त को दे सकें, उनके लिये हमने आर्टीफिशियल इनसैमिनेशन का तरीका निकाला है और किसानों ने इसे पसन्द किया है। इससे हमें गहरी कामयाबी होने लगी है। इन सब कामों को करने के लिये और किसानों की इन बातों से परिचित कराने के लिये तीन तरीके हमने इस्तेमाल किये हैं। नम्बर एक किसान मेले हमने शुरू किये हैं। किसान मेले करके उस इलाके के इम्प्रूवमेंट्स को हम और इलाकों को किसानों को भी बतलाते हैं ताकि सभी किसान उसको एडाप्ट करने लगे। इसी तरीके से गांवों के भजनिक लोगों ने ऐसे भजन बना लिए हैं ताकि वह भजनों के ज़रिए और गीतों के ज़रिए हमारी तमाम डेवलपमेन्ट स्कीमों को सब किसानों तक पहुंचा दें। उनसे हमें काफ़ी कामयाबी होने लगी है। इसी के साथ साथ हमने अडल्ट लिट्रेसी के स्कूल खोले हैं। अभी तक अडल्ट लिट्रेसी में काफी कठिनाई थी, मगर आप अब यह जानकर संतुष्ट होंगे, हमारे लिए सब से बड़ी समस्या यह हो गयी है कि प्रौढ़ शिक्षा के स्कूलों के लिए इमारतें नहीं हैं। जहां लोगों में अडल्ट लिट्रेसी आने लगी है और जहां हम उनको सिखाते हैं वहां यह सुधारे हुए तरीके भी सब के सब उनको बतला दिये जाते हैं। पब्लिक हेल्थ के संबंध में भी हमने काफी तरक्की की है। ऐन्टी मलेरिया स्कीम में जिन-जिन इलाकों में हमने सेचुरेट किया है वहां मलेरिया बहुत कम हो गया है। अब पांच-पांच सौ गांव के ब्लाक बनाकर उसको सेचुरेट कर रहे हैं। एन्टी मलेरिया स्कीम के ज़रिये से और डी० डी० टी० के ज़रिये से इस सब कामों को करने के लिये बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता थी। हमने उस काम को यहां तक पूरा किया और सभी स्टाफ को जो निचले दर्जे का स्टाफ है, जिस को विलेज लेविल वर्कर कहने लगे हैं, उसको सब काम सिखाते हैं और वह सब काम सीखने लगे हैं। टीके लगाने, मवेशियों का इलाज करने और बीज बाटने के काम में हमें काफ़ी कामयाबी हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो काम हमने शुरू किया उसका वह अच्छा परिणाम पैदा हो रहा है। उसके फलस्वरूप हमारे देहात के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो मैंने यह चन्द बातें बजट के सिलसिले में आपके सामने पेश की हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि कल की तरह आज भी मैंने यह निर्णय किया है कि १५ ही मिनट साधारण रीति से मिलेंगे। कल मैंने दो सज्जन से ऐसा कहा था कि ज्यादा समय दे दूंगा पांच-दस मिनट और आज भी दे दूंगा, पांच मिनट, लेकिन आज दस मिनट नहीं दे सकता क्योंकि आज माननीय मन्त्रीगण भी बोलेंगे। चूंकि पांच मिनट माननीय फूल सिंह जी को दे दिया है, अब इस तरफ किसी को अधिक समय नहीं मिलेगा। लेकिन उस तरफ ५ मिनट किसी को मिल जायंगे।

माननीय मन्त्रीगण सवा दो बजे के बाद जब बोलेंगे तो पहले तो उस वक्त किसी को उनके बाद समय नहीं दिया जा सकेगा और उनके समय में भी १५ मिनट की मियाद नहीं होगी। मंत्री-गणों द्वारा मेरे पास सूचना समय के बटवारे की आ जायगी और उसके अनुसार समय दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पूर्व जब मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को सुनने के लिये प्रयास कर रहा था तो मुझे उस समय अपने विद्यार्थीकाल के उस नेक पादरी की कविता याद आ रही थी, जिसका शीर्षक है 'लिट काइन्डली लाइट''। जो साहित्य में मशहूर है और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे वित्त मन्त्री जी उसी नेक और काबिल पादरी की भांति एक तरह अंधकार में, आर्थिक अंधकार में, आर्थिक अराजकता में अपना रास्ता टटोल रहे हैं। उनको यह नहीं मालूम, हमारी गवर्नमेंट को यह नहीं मालूम कि किस तरह से हमें अपनी वेलफेयर स्टेट को बनाना है और इसीलिये उनके बजट में हमें कोई भी नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन होते हुये नहीं दिखा। जिस बजट को माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमारे सामने रखा है और जिसको

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह कल्याणकारी राज्य का बजट बताते हैं और सब राज्यों में सबसे बड़ा बजट बताते हैं उसमें उन्होंने यह नहीं बताया कि जहां यह बजट सब से बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट है वहां यह सबसे बड़ा घाटे का बजट है माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि और उन्होंने इस सदन को बतलाया है कि अब भारत और हमारा प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जबकि उन्हें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी ही चाहिये। हमारी राज्य की स्थिति को देखते हुये डेफिसिट फायनेंसिंग होनी चाहिये, लेकिन श्रीमन्, अगर डेफिसिट फायनेंसिंग उसी तरह का होता रहा जिस तरह कि हमारे इस बजट में दिखलाया गया है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में मुद्रास्फीति बड़े जोरों के साथ बढ़ेगी। मैं माननीय फूलसिंह जी से और अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब वे डेफिसिट फायनेंसिंग की बात कहते हैं तो आंकड़ों के आधार पर ऐसी बात कहते हैं। हमारा आदमियों का इंडेक्स मार्च, सन् १९५२ से जनवरी, सन् १९५३ के बीच ३७७.५ से ३८०.३ हो गया है। जब कि हमारे प्रदेश में कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स मार्च, सन् ५२ से अब तक ३१३ से ३४६ हो गया है, जब कि हमारे प्रदेश में होल सेल प्राइस इंडेक्स फूड आर्टिकिल्स का मार्च, सन् ५२ में ३४२.७ था और आज ३१ जनवरी, सन् १९५३ को ३६४.२ हो गया है। तो किस प्रकार हम मान सकते हैं कि ऐसे इंडेक्स के होते हुये हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को बरदाश्त कर सकते हैं। जहां तक हमारी लिविंग इंडेक्स में फूड सबसीडी का सवाल है उसका इंडेक्स मार्च, सन् ५२ के ३३८ से बढ़कर दिसम्बर सन् ५२ में ४३१ हो गया है। तो जिस प्रकार से इंडेक्स बढ़ रहे हैं उस स्थिति में डेफिसिट फायनेंसिंग की तरफ ध्यान देना मैं समझता हूं बड़ा हानिकारक होगा। आज हमारी सरकार फाइव ईयर प्लान को पूरा करने के लिये तो फूड सबसीडी को, जो रुपया देने के लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा है, उसकी ओर भी वह ध्यान नहीं देती और फूड सबसीडी को रोक देती है। फूड सबसीडी देना हमारी सरकार ने बन्द कर दिया है। प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं—

"In the larger interest of economy we consider that while the system of subsidy......... under the food policy."

तो फूड सबसीडी को बन्द करना इस बजट का सबसे प्रतिक्रियावादी चरण रहा है। श्रीमन्, यह एक बहुत ही हतोत्साहपूर्ण बात है कि हमारे प्रान्त का बजट भारतीय बजट के पहले ही आ जाता था। इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि म्युनिसिपैलिटी और लोकल बाडीज़ का बजट और प्रान्तीय बजट और केन्द्रीय बजट, इनमें कोई सम्बन्ध नहीं होता। और हमें यह नहीं मालूम पड़ता है कि केन्द्र के बजट का क्या असर होगा और किस प्रकार अगर एजीज कंडीशन्स होंगी तो हमें और कुछ मिल पायेगा या नहीं। इसका अंदाजा नहीं हो सकता है कि हमें सेन्टर से क्या मदद मिल सकती है। यह चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को इस ओर अपना क़दम उठाना चाहिये कि केन्द्र के बजट और लोकल बाडीज के बजट में एक तारतम्य होना चाहिये।

पिछले वर्ष मैंने निवेदन किया था कि बजट के साल का महीना बदल दिया जाय और बजाय पहली अप्रैल यानी एप्रिल फूल डे के जो भारतीय परम्परा दीपावली या दशहरे के दिन से बजट का साल शुरू होना चाहिये। बजट को गैम्बिल इन रेन्स माना गया है। अगर बजट बरसात के बाद पेश किया जाय तो हमें मालूम हो सकता है कि हमारी कितनी हानि हुई है और हमें इसका अंदाजा भी लग सकता है कि हमारे बजट में कितना नुक़सान और फायदा है और मौसम के अनुसार हमें क्या क्या प्रबंध करना पड़ेगा।

श्रीमन्, इसके बाद में बजट के डेफ़ीसिट के ऊपर आता हूं। इसमें दावा किया गया है कि ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का डेफीशिट होगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डेफीसिट नकली है। इसकी ज़िम्मेदारी एक बड़ी मद्द को इधर से उधर कर देने में है। सिंचाई का रेट बढ़ा कर जो आमदनी होने जा रही है वह ३ करोड़ २१ लाख की रकम रेवेन्यू एकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता आगई थी कि रेवेन्यू एकाउंट में से उसको कैपिटल एकाउंट में तब्दील कर दिया गया। अगर यह

रकम इस तरह से छांटकर न हुई होती तो ३ करोड़ ३० लाख रुपये का डेफीसिट नहीं होता और इसके बजाय केवल एक करोड़ ११ लाख रुपये का डेफीसिट होता, लेकिन इस गलती की वजह से आज यह डेफीसिट हमारे सामने हो रहा है। श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके बजट भाषण में यह कितनी बड़ी गलती है।

मैं उनके बजट भाषण के अंतिम पृष्ठ २० के पैरा ४८ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि सिंचाई के रेट बढ़ाने से और सेल्स टैक्स से ६ करोड़ ६४ लाख रुपये की आमदनी बढ़ोत्तरी हुई। श्रीमन्, यह आंकड़े बिलकुल गलत हैं क्योंकि ऊपर बजट भाषण में कहा गया है कि २ करोड़ ३० लाख रुपये की आमदनी सिंचाई के रेट बढ़ाने से ३४ लाख रुपये की आमदनी सेल्स टैक्स से और ३ करोड़ २१ लाख रुपया इसको सेंट्रल एक्साइज से होगी। इस तरह से यह कुल आमदनी ६ करोड़ ८५ लाख रुपये होती है न कि ६ करोड़ ६४ लाख रुपये। इस तरह से २१ लाख रुपये की जोड़ने में गलती है। यह गलती आपके बजट डिपार्टमेंट के लोगों की गलती है जो कि इस काम में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन एक्सपर्ट्स ने ही २१ लाख रुपये की जोड़ने में गलती की है। इस तरह से डेफीसिट गलत बना दिया गया है। अंत में पैरा ४८ में यह दावा किया गया है कि ३ करोड़ ३० लाख का घाटा है। अगर यह बात न हुई होती तो एक करोड़ ११ लाख रुपये का घाटा होता। यह आज बजट डिपार्टमेंट के लोगों की हालत है जो बजट बनाने में इस तरह की गलती करते हैं तो श्रीमन्, जनरल लोगों की क्या हालत होगी, इसका इसी से अंदाजा लग सकता है।

पिछले वर्ष रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने चेतावनी दी थी कि रेवेन्यू रिजर्व फंड से कोई विदड्राल्स नहीं होने चाहिये। ऐसी हालत में रेवेन्यू रिजर्व फंड से ४ करोड़ का विदड्राल महत्वपूर्ण है। सन् १९५२-५३ में सवा तीन करोड़ का विदड्राल किया जा रहा है। इस प्रकार कब तक रेवेन्यू रिजर्व फंड पर आक्रमण होता रहेगा। कब तक हम इस तरह से इस फंड से रुपया लेते रहेंगे। मैं पृष्ठ ७९ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का घाटा बतलाया गया है इसको काटकर केवल ५ करोड़ रुपया हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में बाकी रह जायगा तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एक साल का और डेफीसिट बरदाश्त कर सकेंगे। इसके बाद यह फंड नदारद हो जायगा। श्रीमन्, आंकड़ों की हालत जरा देखिये, श्री फूल सिंह ने बड़ा सुन्दर चित्र हमारे सामने खींचा है। इस मेमोरेंडम में हम देखते हैं कि हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में अब केवल ९ करोड़ ७३ लाख रुपया है। यह है डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड की हालत। पिछले साल ३१ मार्च, १९५२ के एक्चुअल्स में १ करोड़ १२ लाख रुपये थे और अब घट कर ६३ लाख ७५ हजार रुपये रह गये हैं। यू० पी० रोड रिजर्व फंड जो सन् ५२ में १ करोड़ ४० लाख रुपया था वह घट कर १ लाख ५८ हजार रह जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह नहीं बतलाया कि यू० पी० रोड फंड समाप्त हो गया। इसके बाद आगे चल कर मंत्री जी फरमाते हैं कि हमारी एनडेटेडनेस घट गई है, लेकिन मेमोरेंडम में आप देखेंगे कि सन् ५२ में हम ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये के क़र्ज़दार थे, लेकिन अब हम १ अरब ६७ करोड़ के कर्जदार हो गये हैं। यह कर्जदारी कम्पेनसेशन की वजह से बढ़ गई है। अब हमारी सरकार को मालूम हो रहा होगा कि हमारी पार्टी की बात मानी जाती तो मुआविजे का भार आपके ऊपर न होता और जो ६ करोड़ रुपया आमदनी में बढ़ाया गया है वह सदुपयोग में लाया जाता, लेकिन यह ६ करोड़ रुपये अब इस ६० करोड़ रुपये को जो कि मुआविज़े की वजह से क़र्ज़े में बढोत्तरी हुई है उसको उतारने में खर्च होगा और इस तरह से १० साल तक क़र्ज़े का भार बढ़ा दिया गया है। इस तरह से हमारी क़र्ज़दारी १ अरब रुपये बढ़ गई।

आगे चल कर टयूबवेल्स पर आप खर्च देखेंगे। फूलसिंह जी ने बतलाया कि स्टेट टयूबवेल्स की हालत अच्छी है। जहां एक ओर कैपिटल आउटले ४ करोड़ ६३ लाख थी वह अब बढ़ कर ९ करोड़ ६८ लाख हो गई है, लेकिन आमदनी घटी है। ५१-५२ में टयूबवेल्स से १ करोड़ १६ लाख की रिसीट हुई और इस साल ९५ लाख की होगी। पिछले साल १५ लाख १७

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हज़ार का घाटा टच्यूबवेल्स में हुआ और इस साल ३३ लाख ४५ हज़ार का घाटा हुआ। एक ओर तो टच्यूबवेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी घट रही है।

इसके बाद केनाल्स को देखिये। केनाल्स रेट्स बढ़ाये जा रहे हैं। अगर न बढ़ाये जाते तो उसकी तस्वीर क्या होती। वह भी भवन के सामने है। सन् ५१-५२ में ५ करोड़ ३८ लाख की आमदनी थी अब ५२-५३ में वह ४ करोड़ ८६ लाख रह गई और यह तब हुआ जब कि ४८-४९ में ५० परसेंटेज सरचार्ज इर्रीगेशन रेट्स में बढ़ाया। अब फिर इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है। कहा गया कि सदन की ही यह सिफारिश है। कब इस चुने हुए सदन की कमेटी ने कहा कि इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये जायं। वह कमेटी तो ४९ की बनी हुई है। उस कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसने इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन उसकी रिपोर्ट न सदन के सामने आई। जब मैंने वह रिपोर्ट मांगी तो यह मालूम हुआ कि केवल रेट्स के बारे में सिफारिश आई है। इस सदन के द्वारा वह कमेटी नियुक्त होनी चाहिये थी तब हम उस पर विचार कर सकते थे।

इर्रीगेशन रेट्स के बाद मैं आगे हाइडल स्कीम्स पर आता हूं, जिसके बारे में फूलसिंह जी ने कहा कि ·२७ परसेंट आमदनी होगी, लेकिन ५१-५२ में कितनी आमदनी थी। ५१-५२ में १·५३ परसेंट थी जो घट कर ·२७ परसेंट रह गई। ५१-५२ में हमारी आमदनी हाइडल में २७ करोड़ ९१ हज़ार थी, लेकिन इस साल बढ़ कर ५६ लाख ६९ हज़ार होने जा रही है।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की आमदनी भी घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है। जहां आमदनी सन् ५१-५२ में २१ लाख ७८ हज़ार थी अब घट कर १६ लाख ६३ हज़ार रह गई है। यह हालत है।

अब पेज ८४ में चलिये, जो गवर्नमेंट बस सर्विसेज के बारे में है। इसमें भी बस सर्विसेज के वर्किंग एक्सपेंसेज २,९५,७९,००० रुपये से बढ़ कर ३,५५,००,००० रुपये हो गये। नतीजा यह हुआ कि आमदनी भी घट कर ४·९२ से ३·८४ हो गयी। इसके अलावा अलीगढ़ सेंट्रल डेरी फार्म, तराई स्टेट फार्म ये जितनी चीजें हैं इनकी बाबत सदन के सामने सवाल आ चुके हैं और उनके जवाब में यह बताया गया है कि कितना खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो खर्च पर कोई कंट्रोल नहीं है यह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में साफ हो चुका है। जब इस प्रकार की हालत है तो फिर किस प्रकार से संतुलित बजट सरकार पेश कर सकती है।

अब न्यू आइटेम्स को लीजिये श्रीमन्, यह एक और आश्चर्य होता है। न्यू आइटेम्स में पिछले साल के मुक़ाबिले में बहुत ही ज्यादा कमी हो गयी है। अगर पिछले साल का बजट माननीय सदस्य देखें तो उसमें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १,५०,२४,५०० के न्यू आइटेम्स थे। इस साल केवल ३३ लाख ४० हज़ार रुपया ही खर्च किया जा रहा है। पिछले साल आर्डिनरी एक्सपेंडीचर ३,०३,८०,२०० रुपये था। इस साल १,९५,०३,३०० रु० हो गया। इस प्रकार न्यू आइटेम्स घटाये गये हैं। जो न्यू आइटेटम्स इस साल बढ़े हैं वे टाइपराइटर्स और टेलीफोन के कनेक्शन्स हैं। मैंने हिसाब लगाया तो देखा कि इनका हिसाब काफ़ी लम्बा-चौड़ा है। इसमें ३२४ टाइपराइटर्स और ८ बड़े टाइपराइटर्स हैं और १३९ टेलीफोन कनेक्शन्स हैं। सबसे बड़ा न्यू आइटम इन्हीं का है। तो जहां तक न्यू आइटेम्स का सम्बन्ध है इससे यह मालूम होता है कि पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने की कहां तक प्रयत्न किया जा रहा है।

जब हम और आगे चल कर देखते हैं डेप्रीशियेशन एकाउंट्स की तरफ तो हमें यह मालूम पड़ता है कि इस बजट के बनाने में कितनी ग़लती होती है। सन् १९४९-५० की ऐप्रोप्रियेशन रिपोर्ट बतलाती है कि ४९ वोटेड ग्रांट्स में से ३६ में बचत हुई। हालत यह है कि डिपार्टमेंट्स जरूरत से ज्यादा मांगते हैं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है कि जिस योजना की कोई स्कीम भी नहीं बनायी गयी थी उसके लिये रुपया मांग लिया गया था। नतीजा यह हुआ कि वह योजना भी कामयाब नहीं हो पायी,

मशीनरी भी नहीं खरीदी जा सकी, रुपया भी लैप्स हो गया और जो रुपया खर्च हुआ उससे कोई खास लाभ नहीं हुआ। जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो बड़ा आश्चर्य है कि किस प्रकार हमारी बजट की व्यवस्था सफल होगी।

अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के बजट के भाषण में परस्पर विरोधी बातें हैं। इसमें जहां वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया गया है वहां यह कहा गया है कि २२,६१,००० एकड़ नयी ज़मीन जोती गयी, मगर उसी जगह फिर यह कहा गया कि १४ लाख एकड़ नयी ज़मीन जोती गयी। एक जगह लिखा है कि १४,२६५ स्कूल्स और कालेजेज बने और एक जगह कहा गया कि २६ हज़ार से ज्यादा स्कूल खोले गये। तो यह परस्पर विरोधी बातें कब तक चलेंगी कुछ समझ में नहीं आता। एक बात ज़रूर हुई है कि माननीय मंत्री जी ने वेलफेयर स्टेट की जो भाषा है उसको ज़रूर स्पष्ट कर दिया। उसमें उन्होंने बड़े ही रोचक शब्द इस्तेमाल किये हैं। उनके नाम ये हैं:--

"जराअत व फ़ने बाग़बानी, परिन्द, लगान गिरानी, बसनुई तरीक़े, मरकज़, इब्तदाई तालीमों, चुनांचे टेक्निकल नुक़्ते नज़र, फसलों की तौलीद, ज़खीरए अदायगी, इसलिये कि हुकूमतों के खर्चों का इनहिसार उस आबादी के तनासुब पर होता है कि जिसकी वह खिदमत करती है।"

इस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट की राष्ट्र भाषा का परिचय दिया गया है और अंततः मैं आपसे यह कहूं तो अनुपयुक्त न होगा कि इसको किसी भी प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं कहा जा सकता। केवल पंचवर्षीय योजना का मुलम्मा चढ़ा कर उसको वेलफेयर स्टेट का बजट दिखाने की कोशिश की गयी है। जहां तक अनएम्प्लायमेंट का सवाल है उसके लिये तो यह फेअरवेल का बजट है।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिये जनता की दो मौलिक भावनायें होती हैं, एक तो डर, दूसरे जनता के सदस्यों की ज़िम्मेदारी की भावना। और मैं यह कहूंगा कि जितनी कमी एक की होती है उतनी ही बढ़ोत्तरी दूसरी में होती है। जिस जन-समाज में ज़िम्मेदारी कम होगी तो गवर्नमेंट की ओर से भय का इस्तेमाल ज्यादा होगा, चाहे फिर कोई भी गवर्नमेंट क्यों न हो। लेकिन जिस जन-समाज में ज़िम्मेदारी अधिक होगी उसमें भय का माद्दा कम होगा, गवर्नमेंट उसको कम इस्तेमाल करेगी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये यह अत्यन्त जरूरी है कि वह आम जनता की ज़िम्मेदारी बढ़ाये, आम जनता को ज्यादा अधिकार दे। तो उस पैमाने से अगर हम अपनी गवर्नमेंट को देखें तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि जो पंचायतराज ऐक्ट आदि के क़ानून हमने बनाये हैं, जो बालिक मताधिकार हमने जनता को दिया है वह यह साबित करता है कि इस गवर्नमेंट की नीति हमेशा जनता के अधिकारों को बढ़ाने की रही है। इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि जनता की ज़िम्मेदारी बढ़ाने का काम केवल गवर्नमेंट पार्टी का ही नहीं है बल्कि हर पोलीटिकल पार्टी का यह काम है। जो पोलीटिकल पार्टी जनतंत्र में विश्वास करती है उसका यह फर्ज़ है कि जनता में रेस्पांसिबिलटी की स्प्रिट यानी ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ाये। मैं यह फख्र से कह सकता हूं कि जहां तक विरोधी दल, समाजवादी दल और संयुक्त दल हैं, तथा स्वतंत्र दल के नेताओं का ताल्लुक़ है, उनमें से कुछ ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया है, लेकिन ऐसी ही चीज और सब माननीय सदस्यों के बारे में मैं नहीं कह सकता। एक पोलीटिकल पार्टी का काम, एक पालीटिक्स राजनीति का काम करने वाली पार्टी का काम ऐसा काम नहीं है जो आम वाक़यात से अलग चीज हो, जो देश और प्रदेश की हालत से अलग चीज हो। एक राजनीतिक भावना वाला पुरुष आर्टिस्ट और फिलासफर साथ ही साथ होता है जिसके लिये हरएक मौजूं नहीं हो सकता। मैं बाअदब यह कहूंगा कि केवल अवसरवादिता से बातें करने से जनता का हित नहीं हो सकता है। उससे हमें यह भी देखना होगा कि खुद हमारा सिद्धान्त भी ठीक बैठता है या नहीं और अगर हम केवल अवसर देख कर काम करते हैं तो हम ज़िम्मेदारी का काम नहीं करते।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

हमें देखना है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया जिसमें पूरे पूरे आंकड़े दिये गये हैं वह क्या बात है? उन्होंने यह भी कहा कि हम कल्याणकारी राज्य बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा भी दे दी कि कल्याणकारी राज्य वह होगा जो ऐसे काम करे जिनसे जनता के लिये तरक्क़ी के दरवाज़े खुल जायं और आम जनता के रास्ते में जो रुकावटें हैं वह दूर कर दी जायं। यदि हम पिछले सालों के कामों को देखें तो क्या आप यह कह सकते हैं कि इस सरकार ने ऐसे काम नहीं किये, लेकिन माननीय विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो तक़रीरें कीं अगर उनको इकट्ठा रख दिया जाय तो मालूम होगा कि इससे ज्यादा बुरी गवर्नमेंट और इस तरीक़े का बुरा शासन प्रबन्ध और कहीं नहीं हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि यह कोई ज्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं हैं। यह बात मानी हुई है कि किसी गलत चीज़ को बार बार कहने से वह सही नहीं हो सकती है। अगर किसी मात्रा में भय होता है तो वह भी अच्छे काम के लिये लाज़िमी है। एक दफ़ा मिल्टन ने कहा था "How aweful is goodness" तो उस लिहाज़ से भी अगर कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसा आदमी जो भलाई के काम में लगता है और वह इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर काम करता है कि हम सच्चाई के लिये काम कर रहे हैं, और वह बुराई और झूठ से डरता है तो वहां पर डर भी एक अच्छी चीज़ है। और ऐसी जगह पर उस डर का भी स्वागत होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह कहूंगा कि यहां इस तरह के डर की कमी है। फियर फार गुडनेस होना चाहिये। मैं ज्यादा न कह कर श्रीमान् जी, यह अर्ज़ करूंगा कि ज़मींदारी एबालिशन क़ानून, जिसके ज़रिये से ज्यादा से ज्यादा लोगों के रास्ते की अड़चनें हट गयीं, क्या वह क़ानून ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हम यह कह सकें कि यह तरक्क़ी के रास्ते में एक रोड़ा हटाने वाला क़ानून था? चीन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहां बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो वहां अच्छी हों, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमारे यहां के क़ानून में चीन से ज्यादा प्रोग्रेसिव हों और वहां से ज्यादा अच्छी हैं। उसकी बाबत मैं अर्ज़ करूंगा कि आप चीन को कृषि क़ानून की धारा ४ और ५ को देखें तो उनमें वहां वालों को ज़मीन रेंट (लगान) पर उठाने का हक़ दिया गया है और वहां पर प्रीविलेज क्लासेज़ ज्यादा क़ायम हैं। जबकि हमारे यहां के ऐक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहां पर लैंड लार्डिज्म (ज़मीन कोटी) प्रिविलेजेज़ को कहीं न कहीं क़ायम रखा गया है। और बातों को न कह कर असली बात में यह कहना चाहता हूं कि ज़मींदारी क़ानून को पास करके हमने एक बड़ा क़दम उठाया है और किसानों के रास्ते में जो अड़चनें थीं उनको हमने हटा दिया है। इसी तरह से कंसालिडेशन आफ होल्डिंग की बात की जाती है जिसका ज़िक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, क्या कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि यह क़दम ऐसा है जिस पर जाने से किसान आगे तरक्क़ी न कर सके? इसी तरह से श्रीमन्, मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारे माननीय उप मंत्री श्री फूलसिंह जी ने आंकड़े देकर बतलाया कि हमने कितना काम किया है और कितना काम करने जा रहे हैं? मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया है और आगे भी बतलाया जायगा कि भूमि व्यवस्था में और पानी की नहर पहुंचाने के लिये क्या क्या चीज़ें की गई हैं और कितना रुपया दिया गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वह सड़कों से है उनका भी ज़िक्र थोड़ा सा मैं कर देना चाहता हूं। क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है, जिसकी महत्ता को कम से कम गांव वाले नहीं भूल सकते हैं जिसके जरिये से देहात वालों की तरक्की हर तरह से होगी। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ में ४,९०१ मील पक्की सड़क बनी थी और मार्च, १९५३ में ८,६३४ मील पक्की सड़क कर दी गयी। इसका माने यह है कि ३,७३३ मील पक्की नयी सड़कें इस पीरियड में बन सकीं। सन् १९४६ में केवल ९०८ मील कच्ची सड़क थी पी० डब्लू० डी० की। वह बढ़कर ७,४३७ मील हो गयी। इस तरह से ६,५२९ मील का इजाफा हो गया। इस पर १४, ८३ लाख खर्चा हुआ। इसी तरह से हमने इस एक साल के अरसे में यानी सन्

५२ में २०६ मील पक्की सड़कें बनाई। ३४१ मील कच्ची सडकें बनाई और इनके ऊपर १,३३ लाख का खर्चा हुआ। इस समय में १९४७ से लेकर ५२ तक में लगभग हमने ७०० मील सड़क को आधुनिक ढंग से बनाया और इस साल करीब १००, १२५ मील और हो गयी होगी। इस तरह से ८०० मील सडकें आधुनिक ढंग पर यानी कोलतार और सीमेन्ट की बनी। इस मौजूदा बजट में १०० मील सड़क रिकंस्ट्रक्ट करने के लिये रखा गया है ३०० मील नई सड़कें बनाने के लिये रखा गया है और १२० मील सीमेंट की सड़क बनाने के लिये रखा गया है। जो ब्रिज सन् १९५१–५२ में बने उनका नम्बर ११ है और उनके ऊपर ३५,२७ हजार रुपया व्यय हुआ। जो ब्रिज अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर ६,४८० हजार खर्च होगा। इन सब चीजों को बतलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि यातायात की व्यवस्था को बढ़ाकर हमने धीरे धीरे कुछ उन्नति की है और भी उन्नति करना है।

मैं यह समझता हूं कि जितनी कमी है और जितनी हमने सड़कें बनाई हैं उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हम अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने में आगे बढे हैं और इसको वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। देहातों के अन्दर जो सड़कें बनाई गई हैं वह भी उत्साहवर्धक हैं और इसी तरह से हर विभाग में काम हुआ है। क्या यह काम जो किया गया है वह काफी नहीं कहा जा सकता। हमारे विरोधी भाई तो यही कहते रहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है और नये टैक्स लगाये गये। यह कैसे हो सकता है कि पैसा भी खर्च न हो और सब काम आगे बढता रहे। सड़कें दुगुनी–चौगुनी हो जायें, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ जाय और सब काम तरक्की का हो जाय, लेकिन खर्च न हो यह दोनों बात साथ साथ नहीं चल सकती है।

यह भी कहा जाता है कि मास्टरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, पटवारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है और यह नहीं किया है और वह नहीं किया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बातें इस तरह की हैं कि इनसे काम नहीं चल सकता है आखिर कोई सजेशन सुझाव तो होना ही चाहिये कि फलां जगह टैक्स लगाया जाय और आखिर में यह भी सोचना होगा कि जहां भी आप टैक्स लगाइये, लेकिन उसका असर जाकर पड़ेगा गरीबों के ऊपर। मैं ज्यादा समय न लेकर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी की बात हो उसको कहना चाहिये। चीन के लिये कहा गया मगर क्या आप जानते हैं कि वहां पर पूरा कांस्टीट्यूशन दो दिन के अन्दर ही पास हो गया वह २९ सितम्बर सन् १९४९ ई० को बैठे और १ अक्तूबर को उन्होंने खत्म कर दिया और तब भी वहां किसी विरोधी दल ने वाकआउट नहीं किया। हमारे यहां बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन काम करने के लिये उतना उत्साह नहीं है जितना कि होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको काम करना है तो जिम्मेदारी के साथ जो कुछ भी कहना हो कहें। अगर अभाव को अपने देश से मिटाना है तो हमको चाहिये कि हम सब मिलकर देश के लिये काम करें और सचाई के साथ परिश्रम करें तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हमारे देश में जनतान्त्रिक राज्य फल–फूल सकता है और जनता की भलाई हो सकती है और उस का तरीका यह है कि वह पहले अपने में जिम्मेदारी बढ़ावे और वह काम करे जो जनहित में हो। यही कह कर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्रीमती सईद जहां मख्फी शेरवानी (जिला एटा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस वक्त अपने जम्हूरी मुल्क की एक खुशहाल रियासत के बजट पर कुछ कहने जा रही हूं। मैंने इस बजट को स्टडी किया और सदन के अपोजीशन के सदस्यों और कांग्रेस वालों से बहुत कुछ सुना। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि हमारे देश में क्या होता है दुनिया में, ईरान में, तूरान में, चीन में, जापान में क्या होता है इससे हमें वास्ता नहीं। हमें यह देखना है कि हमारे मुल्क की आमदनी क्या है, खर्च क्या है और हमारी जो आमदनी है उसका असर हमारी जिन्दगी पर क्या पड़ता है। इन सब को देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंची और जो अन्दाजा मैंने लगाया वह यह है कि हमारी

[श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी]

जितनी आबादी है और चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों न हों चींटों की बराबरी भी न कर सकें। लेकिन अगर हम चाहें तो इस बेरोजगारी और तकालीफ की हाथी जैसी लाश को एक जगह होकर बड़ी आसानी से खींच कर भगा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम मुख्तलिफ दलों में बंट गये हैं और इसलिये हमारे लिये किसी भी बड़ी मुहिम को सर करना नामुमकिन सा हो गया है। मुझे इस बजट को बहुत ही गौर के साथ पढ़ने के बाद अपनी गवर्नमेंट के सामने बहुत ही अफसोस के साथ एक दरख्वास्त करनी पड़ रही है और वह यह है कि यह बजट प्रदेश के हर बालिग पर लागू होता है और उसको यह हक हासिल है कि वह इसको पढ़े और अपनी और इस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी को देखकर मुतालबा करे। इसमें मैं देखती हूं कि सूबे की ५० फीसदी आबादी को नेगलेक्ट किया गया है और हद यह है कि यह आबादी आदादोशुमार में ही नहीं आती बल्कि वह दिमागों से भी बाहर है। जब उस ५० फीसदी आबादी का बोझ और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो फिर हमारी निगाह बजट बनाते समय सिर्फ मर्दों पर ही क्यों जाती है और औरतों पर क्यों नहीं जाती। इसमें सिर्फ एक लाख रुपये की रकम औरतों पर रखी गई है और वह भी फालेनवुमेन के लिये। क्या दूसरी औरतों की आबादी यहां नहीं है? अगर इस आबादी की जिम्मेदारी घर के भाइयों पर, शौहर पर है तो आप इस पर न जायं लेकिन मैं अपने जिले में देखती हूं और अपनी कांस्टीटुएन्सी में जिस वक्त मैंने दौरा किया तो वहां देखा कि २५ फीसदी औरतें ऐसी हैं जिनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है और जहां ५-५ आदमियों की रोजी एक औरत पूरा करती है जगह जगह फिरती हैं और तरह तरह के जरियेमआश वह लोग अख्तियार करती हैं। मैं चाहती हूं कि औरतों के लिये भी आप को हर तरह के दरवाजे खोलना चाहिये और उनके लिये दूसरे सेक्शन जिससे वह अपनी हालत दुरुस्त कर सकें हमें खोलना चाहिये। जैसे काटेज इंडस्ट्री वगैरह हैं। काटेज इंडस्ट्री के लिये सिर्फ दस लाख की रकम रखी गई है। यह ऐसी चीज है कि जिसमें औरतें और मर्द बराबर हिस्सा ले सकते हैं। हमारे बजट में करीब सवा ४ करोड़ का खसारा है और अगर हम काटेज इंडस्ट्री की तरफ तवज्जह देते तो इस सूबे के मर्द और औरतें सब सनअतोहिरफत में तरक्की करके इस सूबे की माली हालत बेहतर बना सकते थे। यहां की औरतें जो सनअत जानती हैं उसके लिये उनका आर्ट्स और क्रैफ्ट्स में दूसरे मुल्क में बड़ा नाम है और जिसके लिये बाहर के मुल्कों में एक तरह की मेडनेस है। हमें लाजिम है कि हम अपने यहां काटेज इंडस्ट्रीज को तरक्की देकर अपने यहां हर तरह की चीजें तैयार करा के बाहर एक्सपोर्ट करावें।

यह जो खसारा है, अगर हम अपनी ५ साला स्कीम पर अमल करें तो मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि साल दो साल में हम उसे पूरा कर सकते हैं। हम अपनी अहलियतों पर नहीं जाते, हम अपनी ताकत को ढूंढ़ते हैं। पहले हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए। तब ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सही तौर पर इनर्जी को काम में लगाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने मुल्क की फलाह और बहबूदी में हिस्सा लेकर उसको खुशहाल न बना सकें।

अगर अपोजीशन का एतराज यह है कि यह खुशहाल रियासत नहीं है तो बहुत जल्दी यह खुशहाल रियासत हो सकती है। यह भी मैंने लोगों को कहते सुना, "वह कौन सा जादू है जिसके जरिये गवर्नमेंट इस सवा चार करोड़ के खसारे को पूरा कर देगी?" वह जादू है, मगर "जादूगर" नहीं है। वह यही जादू है। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ५० परसेंट आबादी जो बेकार पड़ी हुई है वह बहुत कारआमद साबित हो सकती है। हमारे यहां खाने वाले बहुत हैं। एक एक घर में १०-१० हैं। कमाने वाला एक मुश्किल से मिलता है। न हम उस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, न इस नजीर का कोई जवाब दे सकते हैं, न कोई ताकत ही फराहम कर सकते हैं। जिस वक्त हमारा पेट भरा होता है तभी हम बैरूनी चीजों की तरफ ख्याल करते हैं और उसकी जरूरत पेश आती है। अगर कोई हमला बाहर

से होता है, कोई ऐसी चीज आती है तो आज सबसे पहले जो शख्स जिस तलाश में निकलेगा वह अपने मुल्क को बचाने के लिये नहीं, बल्कि घर को बचाने के लिये निकलेगा, इसलिये निकलेगा कि उसके बच्चे फाके मारते हैं। फाका मारने का गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास इतने मौका नहीं हैं, इतनी रोजी नहीं है कि वह हर एक के मुंह में लुकमा दे सके। यह तो हर एक का फर्ज है कि वह अपना पेट खुद भरे और उसके लिये कोशिश करे। लेकिन गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि हर एक को मौका देना चाहिए।

मैं यू० पी० गवर्नमेंट से इल्तेजा करूंगी कि जिस वक्त यू० पी० गवर्नमेंट अपना बजट बनाने बैठे उस वक्त उसकी निगाह में यह चीज होनी चाहिए। एक तो यह कि हमारे यहां एक तरीका मुद्दत से बन गया है कि घर में जितने आदमी होते हैं उनमें सिर्फ एक कमाने वाला होता है और अगर यही सूरत रही तब उन बेवा औरतों और उन मफलूज मर्दों के घर की औरतों पर यह जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उन जिम्मेदारियों को गवर्नमेंट अपने सर पर ले। अगर गवर्नमेंट उनको मौका नहीं दे सकती तो उनकी जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले, इसका इन्तजाम किया जाय, वरना गवर्नमेंट को उन्हें बराबर का हिस्सा देना और बराबर के हकूक देने चाहिए।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगी कि नशाबन्दी के लिये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इन्तजाम किया है। वाकई खुशहाल रियासत वह है और खुशहाल रियासत की तारीफ जो कुछ मैं समझी हूं वह यह है कि एक मुल्क या एक रियासत खुशहाल कही जा सकती है जिसमें अमन व अमान हो, जिसमें जान व माल की हिफाजत हो, जिसमें खाने-पीने की बेफिक्री हो, जिसकी सनअत व हिरफत में तरक्की हो, जिसका इखलाख व किरदार बुलन्द हो। इन्हीं चीजों पर निगाह रख करके हम किसी मुल्क को खुशहाल कह सकते हैं। इस खुशहाल रियासत में अगर इखलाक की तरफ तवज्जह कीजिए तो शराबबन्दी के लिये बड़ी बड़ी मुहिम सामने आई, उसको गवर्नमेंट ने फिस किया। गवर्नमेंट ने यह मखरब इखलाक की जो चीजें हैं उनको दूर करने की कोशिश की, मगर मैं इससे भी ज्यादा जो मखर्ब इखलाक की चीज है और जो हमारी गवर्नमेंट के लिये, हमारे मुल्क के बाशिन्दों के लिये जो एक कलंक का टीका है, उस पर निगाह किसी की नहीं गयी, उसकी तरफ तवज्जेह दिलाना चाहती हूं।

इस दुनिया में कहीं भी प्रास्टीट्यूट के लिये जगह नहीं है, लेकिन हिन्दोस्तान में कोठे तैयार किये जाते हैं, उनसे किसी को कोई नहीं रोकता। उन पर कोई आब्जेक्शन नहीं करता। उनको बैन नहीं किया जाता है। शराब सिर्फ अपने किरदार को, या अपने घर को तबाह करती है, लेकिन यह वह चीज है जो मुल्क को तबाह करती है। जो हमारे बच्चों के सामने एक बदतरीन नमूना इखलाक के गिराने का पेश करती है। लेकिन उस तरफ किसी की निगाह नहीं गयी। वह इसलिये नहीं गयी कि उस औरत की तरफ किसी की निगाह नहीं उठती है। अगर औरतों की तरफ निगाह उठती होती तो इन तमाम चीजों की तरफ जरूर नजर जाती। मैं उन चीजों की तरफ इसलिये तवज्जह दिला रही हूं कि जहां मेरी खुशहाल स्टेट को इतनी कोशिशें और दावे करने पड़े हैं, मेरी ख्वाहिश है कि इससे ज्यादा मेरी स्टेट के दावे हों। इससे ज्यादा और चीजें मुल्क के अन्दर आयें और हम सही माने में कह सकें कि हमारी स्टेट वाकई खुशहाल स्टेट है।

अगर आज हम यह देखें तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जनाने और मरदाने काम अलग अलग बांटे गये हों। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे हिन्दोस्तान में यह कहा जाता है कि यह काम औरतों के काबिल नहीं है। इस काम के लिये औरतें नहीं हैं। उस काम के लिये औरतें नहीं हैं। औलाद का जहां तक ताल्लुक है, तालीम तरबियत, जिम्मेदारी, हुकूक और अख्तियार के लिये जहां तक देखा जाता है, वह कहा जाता है कि बाप का हक है। सिर्फ मां परवरिश करती है। लेकिन फिर जब वक्त आता है और बाप नहीं रहता है या बाप इस काबिल नहीं रहता है कि कमा सके तो वह बोझा औरत के ही सिर पर तो पड़ता है। उससे भी आगे मुझे यह बात बतानी है कि इस वक्त जो काम औरतों के कहे जाते हैं नर्सिंग है, बावर्चीगीरी है, तो बावर्ची भी मर्द हैं, दर्जी की दूकान भी मर्दों की

[श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी]

है। मर्द को इतना भी गवारा नहीं की एक चीज भी, एक जगह भी, जो कि घरों के अन्दर उनके नाम रखी गयी हैं, उससे भी वह बाहर रोजी कमा सकें, वह काम उनके लिये छोड़ दें। इस सबके साथ आप समझते हैं कि औरत किसी काम के काबिल नहीं। तो मुझे कहना है कि सुल्तान चांद का तमाचा अकबर बादशाह का मुंह तोड़ने के लिये काफी था। उन लोगों को वाकई देशभक्ति थी। अपने मुल्क की आजादी उनको जान से अजीज थी। लक्ष्मीबाई रानी झांसी ईस्ट इंडिया कम्पनी पर तमाचा मार देने के काबिल थीं। लेकिन वह इसलिये कि उस वक्त औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं था। हर मर्द अपने मुल्क की आजादी के लिये जान देना चाहता था।

आज हमारे यहां पुलिस की कमी है। वाकई पुलिस की कमी है। गवर्नमेंट उसका इन्तजाम क्या करे। बाहर के इतने बेकार लोग आ गये हैं। हम पुलिस में इजाफा भी नहीं कर सकते। हम ज्यादा खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते : मगर मैं आपसे कहूंगी कि क्या बहुत से काम स्काउट्स से नहीं लिये जा सकते। ट्रैफिक, लाइट सर्विसेज, मिनिस्टरों के यहां पहरा देने का काम क्या स्काउट्स ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। मिनिस्टर कौन है? उस स्काउट का लीडर है। वह स्काउट जिस दिलचस्पी से काम करेगा वह पेड सरवेन्ट नहीं कर सकता। जहां कि हमें इस किस्म की हिफाजत की जरूरत है वहां हम स्काउट्स पार्ट टाइम पर रखें और मुझे उम्मीद है कि उसमें लड़कियां और औरतें भी मिलेंगी। मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे सामने है वह पुलिस और आइन्दा की एहतियात के लिये फौज है। इन दोनों के लिये जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलते, हमारे पास जितनी आबादी है उसको सामने रखकर तवाजुन के साथ आगे बढ़ना है और हर शख्स से उसकी ड्यूटी लेनी है। हर शख्स की अहलियत, कुव्वत और काबिलियत देखकर उसको देना है। हम कालेज से डिग्रियां लेना नहीं चाहते। हमारे यहां डुडयारा में बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनके दोहराने का वक्त नहीं है, जिनकी जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं हैं। इतना कहने के बाद मैं समझता हूं कि अब वक्त नहीं है। सिर्फ इतना इशारा करूंगी और गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त करूंगी कि गवर्नमेंट आइन्दा बजट के मौके पर औरतों और खसूसन काटेज इन्डस्ट्रीज पर तवज्जह दे और जो जिस काबिल ह, स्टैन्डर्स काबिलियत, अहलियत और ताकत पर होना चाहिए। इसको देखते हुए उन लोगों को काम दिया जाय।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, परसों से मैंने बड़े ध्यान के साथ विरोधी दल के मान्य नेता का भाषण साढ़े तीन घंटे तक सुना जिस पर कि हमारे प्रान्त के एक्सचेकर को करीब साढ़े तीन हजार रुपया अदा करना पड़ता है। और श्री नारायण दत्त तिवारी जी के भाषण को भी सुना। मान्य विरोधी दल के नेता ने माननीय वित्त मन्त्री के कल्याणकारी राज्य का मजाक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भी की और उनको इस ७८ करोड़ रुपये के बजट में कोई कल्याणकारी बात नजर नहीं आयी। जब मैं उनका भाषण सुन रहा था मुझे एक कहानी याद आ रही थी कि यूनान में एक आदमी था जो अपने सिर पर लोहे का टोप पहिनता था और अपने पेट पर लोहे की पेटी लगाता था। उसको भय था कि कहीं अक्ल फूट करके उसके सिर से और उसके पेट से बाहर न निकल जाय इसलिये कि अक्ल बहुत ज्यादा थी। कल्याणकारी इस बजट के अन्दर उनको कोई बात नजर नहीं आई और उन्होंने एक आदर्श कल्याणकारी राज्य का जो अपने सामने रख करके इस बजट की आलोचना और व्याख्या शुरू की तो इस बजट में वित्त मन्त्री जी ने कहीं यह नहीं कहा कि आज हमारा एक आदर्श कल्याणकारी राज्य है। बल्कि उन्होंने यह कहा कि इस पांच साल के अरसे में हमने करीब ढाई अरब रुपया इस प्रान्त की उन्नति के लिये व्यय किया है और इसमें यहां के सिंचाई के साधनों, चिकित्सा, स्वास्थ्य की उन्नति के लिये, सड़कों के निर्माण के लिये, ग्राम पन्चायतों की स्थापना के लिये हमने कार्य किया है। केवल उन्होंने यह कहा कि बावजूद इन मुश्किलात के, कठिनाइयों के, हम दृढ़ता के साथ, आशा के साथ, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं

और हमें यकीन है कि निकट भविष्य में वह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यह नहीं कहा गया कि कल्याणकारी राज्य इस वक्त प्राप्त हो गया है। विरोधी दल का एक मुख्य कार्य होता है। विरोधी दल के द्वारा सरकार को लाभ होता है, उसको पता लगता है कि उसकी क्या त्रुटियां हैं, जिससे कि वह उसके अन्दर सुधार कर सके। विरोधी दल एक ब्रेक का कार्य कर सकता है, लेकिन जब कि विरोधी दल की ओर से किसी प्रकार का ऐसा कोई सुझाव न दिया जाय जिससे सरकार फायदा उठावे तो वह बेकार होता है। मैं आशा करता था कि हमारे विरोधी दल के नेता बतलायें कि वह यदि समाजवादी दल की तरफ से एक बजट इस प्रान्त के लिये बनाते और वित्त मन्त्री की हैसियत से वह इस प्रान्त के निर्माण को अपने हाथ में लेते, तो उनका बजट क्या होता, आबपाशी की दर वह क्या लागू करते, वह यहां पर रेवेन्यू क्या वसूल करते, पटवारियों का वेतन क्या रखते, ३८ करोड़ रुपये का बजट होता या साढ़े सात करोड़ रुपये का बजट होता या ७ अरब रुपये का होता? तो उन्होंने कहा कि कई मर्तबा समाजवादी दल ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि राज्य के अन्दर किसी व्यक्ति को एक हजार रुपये से अधिक वेतन न मिले और भी किसी व्यक्ति को १०० रुपये से कम वेतन न मिले तो क्या उन्होंने देखा कि हमारे राज्य के अन्दर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ५० रुपये से कम वेतन मिलता है? हमारे प्रान्त में जो ५० रुपये से कम वेतन पाते हैं उनकी संख्या १ लाख ७९ हजार से अधिक है और जो हमारे तमाम बजट का ४२.२५ पाते हैं। जिनको ५० रुपया से ज्यादा और १०० रुपये से कम वेतन मिलता है उनकी संख्या ४८,३३० है और वह २७ फीसदी हमारे बजट का अंश तनख्वाह के रूप में पाते हैं। जो लोग २०० सौ रुपये से अधिक वेतन पाते हैं उनको अपनी तनख्वाह की शक्ल में केवल १५ फीसदी मिलता है और ३०० से अधिक जो पाते हैं उनको ५.४२ मिलता है। ७५० रु० से लेकर एक हजार तक पाने वालों की संख्या केवल २८५ है और उनको १.३१ मिलता है। जिनका वेतन १ हजार रुपये से अधिक है उनकी संख्या ३२१ है और उन्हें २.८६ मिलता है तमाम प्रान्त के बजट में से।

तो हम यह मालूम करना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से इस बजट का संतुलन करते। ५० रुपये से प्रत्येक कर्मचारी को १०० रुपया देकर के उसको कहां से बढ़ाने की कोशिश करते? क्या वह इसके लिये मुनासिब समझते कि इस अनुपात को नीचे लाने के लिये ऊपर की तनख्वाह इस प्रकार की जाय? जहां तक १ हजार रुपये से ऊपर के कर्मचारियों का सवाल है मद्रास के मुख्य मन्त्री ने इस प्रश्न को उठाया था। यह प्रश्न एक अलग प्रान्त का सवाल नहीं है। यह तो एक अखिल भारतीय सवाल है और इसका अखिल भारतीय नीति के साथ में सम्बन्ध है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको यह भी विचार करना होगा कि हम राष्ट्रीय आय की कोई सीलिंग मुकर्रर करना चाहते हैं। यदि समाज के अन्दर आज कोई दल, यदि समाज के अन्दर कोई व्यक्ति, सरकार के नियम बनाना चाहता है, तो वह उस आदर्श को अपने अमल के अन्दर लाने की कोशिश करता है। संसार के अन्दर तो सरकार उन्हीं नियमों को अमल में लाया करती है जिनको अल्प मत के लोग एक आदर्श मान करके अपने अमल के अन्दर लाने की कोशिश करते हैं। जबकि हम बाहर देखते हैं कि एक समाजवादी वकील अपनी स्वेच्छा से अपनी आय का नियन्त्रण रखने के लिये तैयार नहीं है, एक समाजवादी व्यापारी एक हजार रुपया राष्ट्रीय आय में लाने के लिये तैयार नहीं है। तो आज इस ट्रांजीशनल पीरियड में यह आशा करना कि सरकार उस उसूल के अन्दर चले इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा, एफीशियेन्सी गिरेगी। एक तरफ हम मानते हैं कि जिन लोगों को वेतन कम मिलता है उनके साथ हमारी हमदर्दी है, दूसरी तरफ करों की वृद्धि की आलोचना की जाती है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर कल्याणकारी राज्य चलते है, जहां पर उन्नति हुई है, अगर आप वहां की राष्ट्रीय आय को देखें और सरकार के करों के अनुपात को देखें, तो आपको मालूम होगा कि वहां राष्ट्रीय आय का कितना बड़ा अंश सरकारी कर के रूप में लिया जाता है। आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय आय का ३६

[श्री बनारसी दास]

परसेंट से अधिक सरकारी कर में लिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में वहां की राष्ट्रीय आय का ४१ परसेंट से अधिक सरकारी कर की शक्ल में वसूल किया जाता है। हमारे ही निकट सीलोन के छोटे से द्वीप में वहां की राष्ट्रीय आय का १९ परसेंट वसूल किया जाता है। अमरीका में राष्ट्रीय आय का २० से २३ परसेंट तक वसूल किया जाता है। न्यूजीलैन्ड में २५ परसेंट तक वसूल किया जाता है। हमारे ही नजदीक एक पिछड़े हुए मुल्क पाकिस्तान में ६ परसेंट राष्ट्रीय आय कर वसूल किया जाता है, जबकि हमारे देश के अन्दर तमाम करों का आधार हमारी राष्ट्रीय इनकम के अनुपात से केवल ४ प्रतिशत है। तो एक तरफ यह कहना कि सरकार का लक्ष्य है कि शीघ्र से शीघ्र कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति हो, और दूसरी तरफ हम उस बोझे को, उस बलिदान को, हम जनता पर लगाने से इनकार करें। मैं आप से कहूंगा कि यह परस्पर विरोधी बातें हैं। मैंने गौर के साथ उनके भाषण को सुना और उन्होंने कुछ आंकड़े दिये और यह कहा कि शिक्षा पर अनुपात कम हो गया है, चिकित्सा पर अनुपात कम हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस ७८ करोड़ रुपये के बजट को वे पुलिस बजट कैसे मनाते हैं। मैंने भी उसको देखा। जितने कर हम वसूल करते हैं उनपर हमारा ६ करोड़ के क़रीब खर्चा होता है और हमारे जेल, पुलिस और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कुल १२ करोड़ ४१ लाख से ऊपर खर्चा होता है। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनपर इस सरकार का कुल मिला कर ५० करोड़ रुपया से अधिक खर्च होता है।

यह कहना कि सरकार की आय पहले १२ करोड़ रुपया थी और आज ७८ करोड़ है, पहले शिक्षा का अनुपात ज्यादा था, आज कल कम हो गया है। मैं उनसे कहूंगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिये, पंचायतों को क़ायम करने के लिये, जो कि आप के चार खंभों में से सब से आधारभूत खंभा है, उस पर हम एक करोड़ खच करने जा रहे ह, क्या १२ करोड़ के बजट में उस वक्त पंचायत राज की स्थापना के लिये कोई प्राविज़न था। आज आप का हरिजन वेलफयर डिपाटमेंट है, जो कि बैकवर्ड जातियों की उन्नति के लिये है, जिस पर आप ५५ लाख से ज्यादा व्यय कर रहे हैं, क्या १२ लाख के बजट में उसका कोई स्थान था? लास्ट ईयर हमने देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने पूर्वी ज़िलों की स्केयरसिटी के बारे में आन्दोलन किया। इस साल हमारे बजट में साढ़े चार लाख रुपया अनाज की सहायता देने के लिये खर्च होगा। गत् साल सन् १९५१-५२ में केवल ७ करोड़ रुपया इस प्रान्त में अनाज की सहायता के ऊपर देना पड़ा। क्या १२ करोड़ के बजट के समय प्रान्त में जनता को मंहगाई से बचाने के लिये सस्ते अनाज की दरों पर अनाज मुहैया करने के लिये इस प्रकार की योजनाओं की कोई ज़रूरत थी? तो इस लिए केवल एक हिसाब लगाने के लिए केवल एक आलोचना करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा के आंकड़े ले लेना, सड़कों के आंकड़े ले लेना, शिक्षा के आंकड़े ले लेना और उसके बाद में जल्दी से एक नतीजा निकाल देना, यह कोई कल्याणकारी बजट नहीं, यह तो पुलिस स्टेट का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी बेन्चेज की तरफ से कोई माननीय सदस्य साहस के साथ कहना चाहते हैं कि पुलिस का साढ सात करोड़ का बजट काट दिया जाय जब यह कल्याणकारी बजट होगा तो क्या आज इस राज्य के अन्दर पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी? आप समझते हैं कि यह जो डेढ़ करोड़ रुपया आप जेल पर खर्च करते हैं तब यह कल्याणकारी बजट होगा जबकि इसके अन्दर जल के लिए स्थान न होंगे। क्या आप चाहते हैं कि यह जो जुडीशियरी के लिए एक करोड़ से ज्यादा रखा गया है वह काट दिया जाय तब यह कल्याणकारी बजट होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि संसार के अन्दर कोई एसा राज्य है कि जहां पर कल्याणकारी राज्य क़ायम हुआ हो और वहां पर पुलिस को तोड़ दिया गया हो? इंगलैंड के अन्दर लन्दन शहर में जितनी पुलिस है वह हमारे तमाम यू० पी० के प्रान्त से अधिक है। तो आज यह कहना कि यह एक पुलिस स्टेट का बजट है तो आज प्रान्त के अन्दर मैं तो कहूंगा कि शान्ति व्यवस्था के लिए अगर आप कल्याणकारी राज्य की व्याख्या यही मानते हैं कि उसमें आप भय का स्थान चाहते

हैं। और अगर आप भय से मुक्ति चाहते हैं तो भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति के दो ही तरीक़े हैं। एक तो आंतरिक नियन्त्रण जनता के अन्दर हो या बाह्य नियन्त्रण हो। बाह्य नियन्त्रण कैसे होता है, राजसत्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा शान्ति व्यवस्था का क़ायम रखना। यदि आंतरिक नियन्त्रण हमारे प्रान्त के अन्दर न होता, जबकि आज हमारे प्रान्त के अन्दर डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं और जब कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम लिया जाता है तो हमारे मित्र कहते हैं कि वह कहां है, ज़मीन पर है या आसमान के ऊपर है? उसका हव्वा पेश किया जाता है, लेकिन मैं देखता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है डिस-आर्डर पैदा करना, अराजकता पैदा करना, केआस पैदा करना और जनता का मारल नीचे गिराना और उसमें से एक वर्गहीन समाज जिसे वह अपना कहते हैं और जिसका बैनार्ड वह अपनी पार्टी को कहते हैं उस अशान्तिमय से तो उनकी एक टेकनिक है, एक नीति है और यह उन्हीं के अनुसार नहीं उनकी नीति के अन्दर यह भी शामिल है। समय के अनुसार वह असंगत करके और समय के अनुसार वह बिल्कुल एक डक के अन्दर आ करके खड़े हों और यह कहें कि आप तो हमारे राजनैतिक पिता हैं, हम बच्चे हैं, हमने भूल की और फिर आकरके यह कहें कि यह तो बिल्कुल पूंजीपतियों की स्टेट है, कभी आकरके यह कहें कि यह कल्याणकारी राज्य है। उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं, उसमें कोई असंगत नहीं, यह तो उनकी नीति के अनुसार है। वह इसी प्रकार से आज हमारी पार्टी कल्याणकारी समझते हैं और अपना लक्ष्य बनाते हैं। अशान्ति की व्यवस्था का सहारा लेते हैं और इस रीति को अपना आधार बनाते हैं। मैं तो खुल कर आप से कहता हूं कि आप अपना बजट पेश करें और आप बताएं कि यह हमारे राज्य का बजट होगा जिससे तमाम प्रान्त को संतोष होगा। मैं समझता हूं यह साहसपूर्ण क़दम होगा, मैं समझता हूं इसमें जनता की सही नुमाइन्दगी होगी। इससे उन बेन्चों पर बैठे हुए लोगों को एक रास्ता मिलता और हम लोग सराहना करते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और फिर वही बात याद आती है कि जब गांधी जी राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में गये थे तो एक अंग्रेज उन्हें रोज गालियां देता था और एक दिन उसने एक लम्बी चिट्ठी लिखी और गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने उसमें से एक पिन निकाल ली और उसे फेंक दिया। उसने कहा कि गांधी तुमने चिट्ठी पढ़ी नहीं। गांधी जी ने जवाब दिया कि जो काम की चीज थी उसे निकाल लिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इतने लम्बे भाषण को सुना, लेकिन मुझे खेद है कि मुझे पिन के बराबर की भी कोई चीज नहीं मिली जिससे हमें लाभ हो सके। अब, लाल रोशनी दीख रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की आलोचना का तरीक़ा केवल यही है कि आलटर्नेटिव बजट पेश किया जाय और यह कहा जाय कि हमारी सरकार होगी तो इस तरह से हमारे ऊपर कर लगाये जायंगे। तब तो इस प्रान्त को कोई लाभ होगा वरना आलोचना से आलोचना होगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा। न उससे हम कोई लाभ उठा सकते हैं और न प्रान्त का निर्माण हो सकता है। राष्ट्र को अगर बनाना है तो उसके लिये नारा रखना होगा। अगर राज्यक्रान्ति खून से लाई गई है तो लोककल्याण का इतिहास हम सब को अपने पसीनों से लिखना होगा। इसके अलावा और कोई आदर्श नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है। इसी के द्वारा हम लोक कल्याण की बात कर सकते हैं और यह हमारी प्रान्तीय सरकार जिसको इस पूरे प्रान्त का बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त है वह इसी दृढ़विश्वास के साथ उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये अग्रसर हो रही है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे माननीय भाई बनारसीदास जी ने जो आंकड़े इस सदन के सामने रखे हैं कि एक लाख ७२ हजार के क़रीब ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ५० रुपये से कम हैं और जिनपर जितना खर्च बजट में है उसका ४२ प्रतिशत खर्च होता है। यह ऐसे भूलभुलैये की बात है जिसके साफ हो जाने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा बजट ७८ करोड़ ८० लाख का है और उसका ४२ फीसदी हिसाब लगाइये तो मालूम होगा कि ३३ करोड़ रुपये के क़रीब आता है। क्या मैं अपने भाई बनारसीदास जी से पूछ सकता हूं कि क्या जितने कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी इस प्रदेश के हैं वह इस बजट में से ३३ करोड़ पा जाते हैं।

श्री बनारसी दास--जितना तनख्वाहों पर व्यय होता है उसका ४२ प्रतिशत।

श्री मलखान सिंह--तो उसको पेश करते कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है। यह आप इस तरह के आंकड़े बताकर लोगों को धोका दे रहे हैं। आपको सही सही बताना चाहिये था कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--बजट स्पीच में यह चीज़ लिखी हुई है।

श्री मलखान सिंह--अभी उन बातों पर भी रोशनी डालूंगा। हमारे भाई जो गवर्नमेंट बेंचेज पर बैठे हुये हैं वह यह कहते हैं कि आप अपना बजट पेश कर दीजिये। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं और न किसी प्रकार का कोई ज़रिया है, लेकिन हमसे यह उम्मीद करते हैं कि बजट बनाकर पेश कर दें और एक घंटे के अन्दर एक दिन के अन्दर इनके सामने बजट बना कर पेश कर दें। हम चुनौती देते हैं कि बजट पेश करेंगे अगर सब आंकड़े हमको दिये जायं तो हम बजट बनाकर दिखा देंगे कि किस तरह से बजट बनता है। यह चीज़ नहीं है कि हम बजट बनाना न जानते हों। अभी मेरे भाई नारायण दत्त जी तिवारी ने आपके सब आंकड़ों का भंडाफोड़ किया है वह तो आपके सामने है। अब उसके बाद भी आप क्यों इस तरह की बातें करके लोगों को धोका देना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर ५० रुपये से कम तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय तो हमारा बजट जमीन में चला जायगा। इसी ७९ करोड़ रुपयों में सब कुछ इंतजाम हो सकता है और जितने भी छोटे या बड़े तनख्वाह के लोग हैं सब आराम से रह सकते हैं। जो बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं उनको भी घटाया जा सकता है और उसके बाद भी वे आराम से रह सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिये तो समय चाहिये केवल एक बजट स्पीच में यह कह देना कि हमारे विरोधी पार्टी के लोग बजट नहीं पेश करते, ठीक नहीं है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यह बात एक महीना पेश्तर कहते और हमको भी आंकड़े दे देते तो इतना बड़ा दफ्तर तो हमारे पास नहीं, लेकिन आपके सामने ७८ करोड़ ८० लाख का बजट आपके सामने बनाकर पेश कर दिया जाता और उस समय जनता को मालूम हो गया होता कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट का बजट बना करता है।

मैं आपके सामने यह भी कहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में सफहे १ पर यह बात कही है--"जो राज्य अपना कर्त्तव्य सिर्फ जान माल की हिफाज़त या चौकसी तथा अमन व शान्ति की बरकरारी तक महदूद रखता है वह वेलफेयर राज्य नहीं है। वेलफेयर राज्य का कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उन्नति और तरक्की के मौक़े पैदा कर दें।" उन्नति और तरक्क़ी के मौक़े इस राज्य में इतने पैदा हो रहे हैं कि अगर मेरे साथी किसी पक्षपात से भरे हुये नहीं हैं तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिये कि बेकारी दिन दूनी और रात चौगुनी हमारे सिर पर चली आ रही है। यह तो उन्नति का तरीक़ा है? कौन सी उन्नति हो रही है? आज आपके भवन के सामने मास्टर, अध्यापक लोग भूख हड़ताल किये हुए बैठे हैं। जितने माननीय सदस्य इधर के और उधर के हैं और जहां तक अखबारों की रिपोर्ट्स में पढ़ा है, वह भी यानी कांग्रेसी भाई और हम भी कहते हैं कि उनकी मांग जायज है, ठीक है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक जवाब है जब तक दो चार भूखे नहीं मर जायंगे तब तक हमारी तौहीन हो जायगी अगर हम किसी बात को स्वीकार कर लें।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि सफा १३ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 'अमन' और शान्ति की हालत बहुत मजबूत हो गई है, बहुत अच्छा है। यह तो आप अपने मुंह से जो चाहे कह लें, लेकिन आपके आंकड़े क्या बतला रहे हैं? ढाई हजार कैदी आपके जेलखानों में बढ़ गये हैं और आपके आई० जी० पुलिस और आंकड़े बजट के क्या कहते हैं? हमारे यहां क्राइम्स में कमी हुई है, हमारे यहां अपराधों में बहुत कमी हुई है, लेकिन ढाई हजार कैदी जेलखानों में बच गये हैं। यह आंकड़े हैं और आप कहते हैं कि हमारे यहां क्राइम में वृद्धि नहीं हुई और कमी हो गई है और यही आपके आई० जी० पुलिस कहते हैं और आप भी

अपनी स्पीच में यही कहते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि एक तरह से सफेद झूंठ बोलना और कागज पर कुछ लिखना जिस सरकार का ध्येय हो उसके आगे रोना ऐसा है 'जैसा भैंस के सामने बीन बजाना'।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब की तवज्जह दिलाता हूं कि इस क़िस्म के अल्फाज़ जैसे कि मेरे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हाउस में इस्तेमाल किये जा सकते हैं या नहीं। अभी थोड़ी देर हुई उनकी ज़बान से यह फिकरे निकले थे कि धोखा देते हैं और अभी यह अल्फाज़ निकले हैं कि झूंठ बोलते हैं या झूठ है। यह चीज़ किस क़दर बेजा है, मैं इसकी तरफ जनाब की तवज्जह दिलाता हूं कि आखिर इन अल्फाज़ के यहां के मेम्बरान के लिये बोलना इस एवान की शान के......

श्री अध्यक्ष—यह आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहते हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां मैंने आपकी तवज्जह दिलाई कि यह अल्फाज़ मेरे नजदीक अनपार्लियामेंटरी हैं जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में यह तरीक़ा रहा है कि अगर किसी माननीय सदस्य के बारे में कहा जाय कि वह झूंठ बोलते हैं या कहते हैं तो वह अनपार्लियामेंटरी ज़रूर है और उसको मैं रोक देता हूं, लेकिन जहां तक कोई चीज़ लिखी गई है या कही गई है उसके बारे में अगर यह कहा जाय कि वह सफेद झूंठ है तो यह एक तरह से झूंठ कहने का मतलब नहीं होता, लेकिन असत्य का मतलब होता है यानी "This is not correct" उसका मतलब कोई झूंठ बोलता है यह बात नहीं है। अगर किसी वाक्य से यह मतलब निकले कि कोई सदस्य झूठ बोलते हैं तो वह वाक्य अनपार्लियामेंटरी जरूर कहा जा सकता है। लेकिन माननीय वक्ता के इस वाक्य से यह मतलब नहीं निकलता कि माननीय मंत्री झूंठ बोलते हैं, बल्कि यह निकलता है कि उनका कहा या लिखा असत्य है, यानी यह चीज़ नहीं है।

श्री मक्खान सिंह—जितना मेरा समय खराब किया गया है वह तो मुझे आप देंगे ही और इस संबंध में जो यह कहा गया है और लिखा गया है कि अमन और शान्ति की हालत बहुत मज़बूत हो गई है। देखिये अभी कल की तारीख़ में एक्सप्रेस तार आये हैं। एक जगह से नहीं बल्कि तीन चार जगह से आये हैं—

"Mahant Digvijaya Nath harassing our admited grove land attached tana bana. Starvation forced, intervene."

Weavers of Gorakhpur.

गोरखपुर के जुलाहों ने तार दिया है कि तानाबाना कुर्क कर लिया गया है और सब का अटैचमेंट कर लिया गया है। इस तरह से महंत दिगविजयनाथ हरैस कर रहा है....

दूसरा तार यह है—

"BALLIA

Leader of opposition U. P. Assembly

Jograj Bhai badly beaten by Sahatwar police outpost staff yesterday lying unconscious Ballia kotwali police refused registering report officers attitude discourteous by indifferent public agitated intervention solicited Jagn Nath Sastri Socialist."

तीसरा तार यह है—

"VRINDABAN

Shri Rajnarain Singh Member Parliament Lucknow —

Refer all my petitions Letters telegrams to Hon'ble Sampurnanand Hargovind Singh Education Director Secretary Intermediate Secretary Government etc. Self still deprived of citizen ship protection justice against illegal serious conspiracies against me pray immediate protection justice by parliament etc.

B. N. Kaushish Soonter

[श्री मलखान सिंह]

थे इतने तो तार हैं। चिट्ठियां अगर मेरी फाइल पर देखेंगे तो इतनी ज्यादा हैं कि जिनकी कोई संख्या नहीं। मैं आपको यह भी एक बात बतला दूं कि पिछले बजट डिस्कशन पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी का इस ओर ध्यान दिलाया गया था कि परसों इतवार के दिन जब कानपुर स्टेशन पर अर्जुन सिंह भदौरिया गुजरे तो मालूम हुआ कि वे ७ दिन से भूख हड़ताल पर थे और दस्त और कै हो रहे थे और किसी तरह से वह जाने के क़ाबिल नहीं थे, लेकिन उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया। मुझे मालूम हुआ है कि जब मैंने सवाल उठाया तब जाकर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। यह है हमारी सरकार की शोभनीय बातें जिनको मैं सुना रहा हूं। यह रिजोल्यूशन वहां पास हुआ--

"इटावा नगर प्रजा समाजवादी पार्टी की यह आवश्यक बैठक साथी अर्जुन सिंह जी को उनके अनशन के दौरान में जबकि उनका वजन २० पौंड कम हो गया था उनको दस्त हो रहे थे और बहुत ही दुर्बल थे और जबकि अनशन का सातवां दिन था और अनशन की उचित और न्यायपूर्ण मांगों को संतोषजनक तरीक़े से पूरा करके सम्मान पूर्वक अनशन को समाप्त करने का अवसर दिये बिना ही तथा पार्टी के शिष्ट मंडल को दिये गये मौखिक आश्वासन के प्रतिकूल चुपचाप रात्रि के तीन बजे जबरदस्ती अज्ञात स्थान को भेज दिया। स्थानीय प्रशासकों के इस दुर्व्यवहार पर रोष तथा क्षोभ प्रकट करती है और निन्दा करती है। यह कमेटी प्रान्तीय प्रशासकों से मांग करती है कि वह यहां के अधिकारियों द्वारा किये गये निरंकुश तथा अवैधानिक कार्यों की जांच करायें और दोषी अधिकारियों को दंडित करे।"

तो मैं आपके सामने यह बातें लाना चाहता हूं। इस तरह की बातों की जिम्मेदारी किस पर है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि हम आबपाशी की दर को ड्योढ़ा करने जा रहे हैं। जैसा हमारे भाई नारायण दत्त तिवारी जी ने बतलाया कि एक कमेटी सन् ४९ में बैठी थी उसके एक अंश की रिपोर्ट लेकर उसकी आबपाशी को ड्योढ़ा किया जा रहा है। मेरे पास गांव के लोगों की इतनी अर्जियां हैं कि आज जब कि बरसात भी हो गई, मेरे जिले में गेहूं के लिये पानी की सख्त जरूरत है और बम्ब सब बन्द हैं। पानी ठीक वक्त पर नहीं मिल रहा है। इस तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसानों की गर्दन पर और टैक्स का बोझ बढ़ा कर 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में सहयोग देना चाहते हैं! मुझे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करने का मौक़ा मिला। वह कहते हैं कि हम कब कहते हैं कि हम इतना पानी दे सकेंगे। यह लोग पानी को फैला लेते हैं। पानी को रोकने के लिये न सरकार और न पतरोल कोई इंतज़ाम करते हैं और जब पानी लगाया जाता है तो खेती आपकी सूखती रहे, भराई आप पर क़ायम हो जाती है। अभी अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि क़रीब २ लाख ६२ हज़ार के रुपया ऐसा है जिससे गवर्नमेंट ने भराई के नाम से वसूल कर लिया है और अब जा कर इस तरह का सर्कुलर गवर्नमेंट का गया है कि जिन खेतों में ईख बोई जाती है और ईख के कटने के बाद जहां मेथी बोई जाती है वहां मेथी की अलग कोई भराई नहीं लेनी चाहिये, जबकि पिछले साल २ लाख ६२ हज़ार रुपये किसानों से भराई के वसूल किये गये हैं। तो उसके वापस करने की भी कोई कोशिश की जा रही है? यहां तो हर तरीक़े से इस बात की कोशिश की जा रही है कि रुपया हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। खर्चा किस तरह से हो, इसका कोई पता नहीं है।

अभी अलीगढ़ की बात मेरे भाई शिवनारायण जी पूछ रहे थे। अरे, अपने मंत्री जी से पूछो। पंडित मोहनलाल जी वहां पर मौजूद थे और दूसरे लोग भी गये थे जब कि चुनाव हुआ था। तो सेल्स टैक्स के नाम पर कि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है, वहां पर पहले से ही हड़ताल हुई। वहां मंत्री लोग हिम्मत नहीं कर सके कि शहर में हो कर अपना जुलूस भी निकाल सकें। कोई मीटिंग कामयाब नहीं हुई और न हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी वहां तशरीफ़ ले गये क्योंकि वहां पर व्यापारियों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि सेल्स टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से व्यापार चौपट हो गया है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी भी आयेंगे तो हम काले झंडों से उनका स्वागत करेंगे। इसके बावजूद

आज फिर वही बात आ गयी कि आप सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्रीज के जो मंत्री हैं, आज वह यहां पर नहीं हैं, अपने चुनाव में लगे हुये हैं, उन्होंने आज अलीगढ़ के घरेलू उद्योग-धंधों को चौपट कर दिया है। वहां तालों का उद्योग चौपट हो गया है जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में यह एक नियम बनाया गया है कि जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अलीगढ़ के तालों पर सेल्स टैक्स है। वहां के बड़े बड़े आफिसर्स वहां के घर घर में जा कर देख आये हैं कि जहां ताले बनते हैं वह एक मजदूरी का सिलसिला है। उसको चौपट कर दिया गया है। क्या उसके लिये बजट में कुछ रखा गया है? हम समझते हैं कि इन सब बातों पर आपका बजट चुप है।

सड़कों के बारे में बहुत सी बातें हैं जिनको मैं कहना चाहता था। केवल एक बात कह करके मैं खत्म कर दूंगा। राधामोहन सिंह जी का एक बहुत लम्बा चौड़ा पत्र है, मैं उसका केवल कुछ हिस्सा ही पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :—

"Mr. Gupta is a man of excellent character, high morals, deep patriotism, infallible honesty and pleasant manners. He would always go out of his way to fight injustice and to help the needy person not caring even for the risk he may incur upon himself thereby. I have known him personally even in his private life and can speak with certainty and conviction."

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष, मैं आवश्यक नहीं समझता कि बजट में वर्णन की हुई सरकार की सफलताओं पर प्रकाश डालूं, इसलिये कि सरकार की पार्टी के लोगों की तरफ से सरकार के हुये कामों पर काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं तो इस थोड़े से समय में उन बातों का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं कि जिनकी मैंने इस बजट में खोजने की कोशिश की, परन्तु उनको न पा सका। इस बात से आज समाज का कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि समाज की मांग है कि जितनी भी शीघ्र हो सके हमारी सरकार को आर्थिक विषमता मिटाने के लिये क़दम उठाना चाहिये। मैंने इस बजट में यह ढूंडने की कोशिश की कि हमारी सरकार ने आगामी वर्ष में कोई योजना या कोई नीति इस प्रकार की निर्धारित की है कि जिससे आज की सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये कोई क़दम उठाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ ढूंडने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बजट में कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी नीति नहीं है, जिससे मैं यह समझ सकूं कि आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये सरकार की तरफ से कोई क़दम उठाया गया है। इस संबंध में कि आज समाज की यह मांग है कि आर्थिक विषमता मिटनी चाहिये। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज की होने वाली हड़तालें हैं। आज मेहतरों की हड़ताल, पटवारियों का त्यागपत्र और अध्यापकों का आमरण अनशन, ये इस प्रकार की चीजें हैं कि समाज यह चाहता है कि जितनी भी शीघ्र हो सके आर्थिक विषमता मिटायी जाय और इसीलिये मुझे कल माननीय पंतजी के नाम अध्यापकों की ओर से एक खुला पत्र मिला है जिसमें उन्होंने जहां अपने वेतनों की वृद्धि के लिये मांग की है वहां साथ ही साथ यह भी कहा है कि यदि पैसे की कमी है तो बड़े छोटे सभी पर समान प्रभाव होना चाहिये। जब मंत्री और मेम्बर लोग अन्य प्रान्तों की अपेक्षा एक कौड़ी भी कम नहीं ले रहे हैं तो फिर बेज़बान अध्यापकों पर ही यह सब क्यों किया जाय। आप कुछ भी कहिये, परन्तु श्रीमन्, यह बात सुनने के बाद यह नतीजा निकलता है कि केवल अध्यापक वर्ग ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी का अन्य कर्मचारीवर्ग भी यही शिकायत करता है कि उसका वेतन कम है वहां दूसरी ओर यह भी शिकायत है कि उनके ही प्रान्त के रहने वाले, उन्हीं के समाज के दूसरे लोग जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है, उनको अधिक धन मिल रहा है। उनके असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है।

यह बात मानी जा सकती है कि प्राकृतिक साधनों के मुताबिक या समाज में मिली सुगमताओं के कारण कुछ व्यक्ति विशेष योग्यतायें प्राप्त करते हैं। मेरा यह विचार है और मैं यह समझता हूं कि उन्हें यह आर्थिक सुगमता के ही कारण प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों को आर्थिक सुगमता प्राप्त नहीं है, उनका दिमाग और स्वास्थ्य अच्छा होते हुए भी अपने रास्ते में

[श्री महीलाल]

आई हुई अड़चनों के कारण वे अच्छी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरणतः खेतिहर मजदूर का अच्छा लड़का, अच्छा दिमाग रखते हुए भी अच्छे साधनों के न होने से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि वह अच्छे पदों पर नहीं पहुंच सकता। जहां तक योग्यता का प्रश्न है मेरा यह दृढ़ विश्वास है और मैं यह समझता हूं कि जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने वह योग्यता अच्छे वातावरण में पैदा होकर, अच्छे आर्थिक ढांचे में परवरिश पाकर ऊंची योग्याता प्राप्त की है और जहां तक इस आर्थिक सुगमता का संबंध है वह आर्थिक सुगमता समाज की ओर से प्राप्त हुई है। राजा का लड़का राजा के घर में पैदा होकर अधिक तरक्की के साधन उपलब्ध करता है और वह बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक दरिद्र के लड़के के पास किसी प्रकार के साधन नहीं होते फिर वह उन्नति की ओर कैसे बढ़े। श्रीमन्, मैं इसमें और ज्यादा समय नष्ट न करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आज समाज की विषमता को मिटाने के लिये समाज की मांग है और सरकार को उस विषमता को मिटाना चाहिये और समाज की यह आर्थिक विषमता शीघ्र दूर होनी चाहिये।

इसके बाद मैं एक शुगर फैक्ट्री के मालिक के बारे में सदन को बताऊंगा जिनकी एक फैक्ट्री, जिला मुरादाबाद में अमरोहा फैक्ट्री के नाम से है। उस फैक्ट्री के मालिक ने एक तरफ तो किसानों को 'रुपया' नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्टरी किच्छा में खोल ली है। आज हालत यह है कि जिसके पास एक कार है वह दूसरी कार खरीदता है, जिसके पास एक मकान है वह दूसरा मकान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के अन्य लोग भूखों मरते हैं। पूरे बजट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि खेतिहर मजदूर जो देहातों में रहते हैं उनके दुख बढ़ते जाते हैं, उनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, न खाने के लिये अनाज है, न पहनने के लिये कपड़ा है और न शिक्षा के लिये उनके पास साधन ही हैं, लेकिन आज इस बजट में उनके लिये कोई चीज मैंने नहीं पायी। आज उनकी संख्या जो हमें सरकारी आकड़ों से प्राप्त हुई है वह १ करोड़ के लगभग है। उनमें तमाम वे लोग हैं जो दूसरे की जमीनों में खेती करते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं और नरक जैसा जीवन आज भी व्यतीत करते हैं। इन खेतिहर मजदूरों के अधिकतर हरिजन बिरादरी के लोग हैं जिनको सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है, ऐसा कहा जा सकता है इसलिये उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कह दूं। मैंने हरिजन सहायता के अनुदान को उठाकर देखा और उसका अध्ययन किया। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति का उन्नति करना उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिये अगर हम उनके शिक्षा के आइटम को देखें तो हमें मालूम होगा कि जब बजट में हरिजन सहायक अनुदान ४९ लाख ६२ हजार था तो हरिजन शिक्षा के लिये २६ लाख ७५ हजार रुपया रखा गया था और जब बजट में ५४ लाख ५५ हजार रुपया का हरिजन सहायक अनुदान है तो हरिजन शिक्षा के लिये २६,६९,९०० रु० रखा गया है। ६ लाख १५,२०० रु० पिछड़ी जातियों और अंसारियों के लिये हैं। उसको निकालने के बाद केवल २०,५४,७०० रु० हरिजनों के लिये रह जाता है जो हरिजनों की शिक्षा पर व्यय होगा। जहां तक कि सरकारी आंकड़े प्राप्त हुए उनके मुताबिक क़रीब क़रीब ८ लाख हरिजन विद्यार्थी हैं। ८ लाख विद्यार्थियों पर हिसाब लगाने से यह लगभग ढाई रुपया प्रति विद्यार्थी पड़ता है। इस रुपये के वितरण के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है और मैं तो समझता हूं कि समाज में हरिजनों के प्रति एक स्पर्धा, ईर्षा उत्पन्न हो गयी है कि सरकार हरिजनों पर बहुत रुपया खर्च कर रही है। मैंने हिसाब लगा कर देखा कि प्रत्येक व्यक्ति पर क़रीब तीन आना खर्च एक हरिजन शिक्षा पर पड़ता है तो जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है उसे मानना चाहिये। लेकिन यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आज प्रान्त के हरिजन समाज में एक असन्तोष फैला हुआ है। कई म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पर सीट देने के लिये जो उनकी आबादी बतलायी गयी है वह वास्तविकता से बहुत दूर है। उदाहरणार्थ, चन्दौसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जहां हरिजन १/५ या १/६ हैं। जहां कुल ३० हजार की आबादी है उनको

२५ सीटों में केवल एक सीट मिली है यानी १ : २५ जो कुछ भी हो, इसकी चिन्ता मैं नहीं करता और हरिजन भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि उनको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये इसलिये कि जो हमें वोट देने का अधिकार है वह तो है ही। उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता है। जिसको हम चाहेंगे उसको वोट देंगे ही। चाहे रिजर्वेशन हो या न हो। रिजर्वेशन भी कब तक रहेगा, किसी न किसी दिन तो हमें अपने पैरों पर खड़े होना ही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों के अन्दर भी भूमि का वितरण होना चाहिये। काश्तकारी की जो भूमि बेदखल करा कर, मुकदमेबाजी करा कर ले ली गयी है और जो बड़े बड़े आदमियों ने अपने फार्म बना लिये हैं, वे भूमि उनको वापस होनी चाहिये। मैं यह भी कहता हूं कि भूमि वितरण का सिद्धान्त कोई नया नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी पैदल यात्रा में यह बतलाया है कि भूमि का वितरण किसी न किसी तरह से होना है। मजदूरों की हालत को संभालने के लिये यह जरूरी था कि किसी कमेटी के जरिये सरकार की ओर से जमीन का वितरण किया जाय और वह खेतिहर मजदूरों को मिले। लेकिन अभी तक खेतिहर मजदूरों के लिये कहीं कुछ नहीं दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मिली है।

श्री महीलाल--मेरा जहां तक ख्याल है, नहीं मिली, परन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बतलाया कि जमीनें कुछ लोगों को मिलनी हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री किसी सदस्य को डांट भी सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि वास्तविक बात बतलायी।

श्री महीलाल--खैर, उसकी शिकायत मैं कर सकता हूं, आपको इसमें वकालत करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही जो चन्द बातें हरिजनों के संबंध में माननीय सदस्यों ने माननीय वित्त मंत्री के सामने रखी हैं उनके संबंध में मैं इस प्रकार का जवाब नहीं चाहता हूं, जैसा कि पिछले वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस तरह की बातें करना हरिजनों के हित में नहीं होगा। यह बात हमारे लिये सन्तोष देने के लिये कोई काफी नहीं है। अब मेरा समय खत्म होने जा रहा है, किन्तु मैं सह-कारिता की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर गत बजट में सत्तर लाख रुपया रखा गया था और इस समय इस बजट में ६२ लाख रुपया रखा गया है जो कि मजदूर और किसानों को आगे बढ़ाने वाली चीज है। बहुत अच्छा होता अगर इसमें और रुपया रख दिया जाता।

एक मिनट में मैं अपने माननीय गृह मंत्री का विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बन्दीगृह में जो एक अनोखा परिवर्तन किया है वह उसके लिये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कल्याणकारी राज्य का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है यदि मैं उसकी तुलना श्रोतस्वत नदी से करूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार यह श्रोतस्वत नदी कभी तीव्र गति से, कभी मन्द गति से, कभी रुकते हुये और कभी तेज बहती रहती है और इसके परिणाम-स्वरूप वह अपने आसपास की जमीन को और अपने पहुंच के भीतर की जमीन को उर्वरा बनाती है ठीक उसी प्रकार यह माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भी समाज को जीवनदान देता है, किन्तु उसकी तुलना में बरसाती नदी क्षणमात्र में ही बह जाती है और उसमें जमीन को उर्वरा बनाने की शक्ति नहीं होती और वह किसी को किसी भी तरह जीवनदान नहीं दे सकती। यह बात सही है कि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि--

"जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन लहहिं पय, परिहरि वारिविकार॥"

[श्री देवदत्त मिश्र]

तो जब विधाता की कृति में भी खराबियां हो सकती हैं तो अच्छाइयों के साथ-साथ मनुष्य की कृति में भी त्रुटियां हो सकती हैं और जैसे कि हमारे लायक़ दोस्त माननीय परिपूर्णानन्द जी ने संकेत किया है। यह स्वाभाविक ही है कि जब भगवान की सृष्टि में भी बुराइयां हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बजट में भी कुछ बुराइयां रह गई हों। अब प्रश्न यह है कि उन बुराइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। मैंने २ दिन से जो विरोधी-पक्ष के भाषणों को सुना, उनके अन्दर (नेगेटिव) नकारात्मक बातों को छोड़कर कोई भी कन्क्रीट बात नहीं कही गई जिससे बजट को समुन्नत बनाया जा सकता। ऐसा वह कह भी कैसे सकते थे। एक जगह गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि--

"वचन बज्र जेहिं सदा पियारा।
सहस नयन पर दोष निहारा॥"

जिन लोगों को परदोष देखने से ही फुरसत नहीं मिलती उनको संशोधन या सुझाव देने की सुध कैसे हो सकती है। उनके ऊपर उत्तरदायित्व है कि वह तमाम त्रुटियों की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित करायें, लेकिन उन्होंने त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित न कर के केवल गालियां ही दी हैं और अपने अधिकार का केवल एब्यूज़ किया है। परन्तु बन्धुओं, इससे कोई कार्य सधता नहीं, वचनों के प्रहार द्वारा यदि किसी राज्य का संचालन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी सद्भावना, सद्इच्छा और काम करने की शक्ति द्वारा ही जन हितकारी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता पहुंचायी जा सकती है।

श्री मलखान सिंह--यह विश्वास दिलाया गया था कि सवा दो बजे से सब मंत्रियों के भाषण होंगे और कोई लोग नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मंत्रीगण जब चाहेंगे तो उनको मौका दिया जायगा, यह तो कोई बात नहीं है।

श्री मलखान सिंह--तो जो कहा गया था वह गलत रहा।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि समय मिल गया है, इसलिये उनको बोलने का मौक़ा दे दिया गया।

श्री देवदत्त मिश्र--ऐसा लगता है कि विरोधी दल हमारी बात से तिलमिला उठा है। स्वाभाविक भी है। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है --

"पर अकाज लगि तनु परि हरहीं।
जिमि हिम उपल कृषी दल गरहीं॥"

अर्थात् दूसरों का काम बिगाड़ने के लिये वह स्वयं अपने को मिटा डालने तक को तैयार हो जाते हैं उसमें भी द्विविधा नहीं करते। जैसे ओले जो पड़ते हैं वह अपने को मिटा करके कृषि का नाश कर देते हैं, इसी प्रकार की आज आलोचना सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं।

मैंने जैसा कहा, राज्य के कार्य इस प्रकार से नहीं चलते। विरोधी दल अगर अपने उत्तरदायित्व को महसूस करता हो तो उसका यह फ़र्ज़ है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनको कार्यान्वित करने में वह अपनी शक्ति का अनुपात से उतना ही हिस्सा उसमें दे जितना कि राज्य का उसमें लगता है और यदि वह अपनी शक्ति का हिस्सा सरकारी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिये नहीं देते तो जहां वे अपने आप को धोखा देते हैं, वह जनता को भी धोखा देते हैं, जिस जनता ने उनको चुन कर यहां भेजा है।

मैं इसके बाद कुछ बातें अपने माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, योजना के संबंध में। इसमें शक नहीं कि उन्होंने सिंचाई के लिये, उन्होंने कृषि के लिये, उन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा, सोशल सर्विस और इसी प्रकार बिजली पैदा करने की जो योजना है उस पर अधिक से अधिक अपनी दृष्टि डाली है और यह भी मैं देखता हूं कि उन्होंने ठीक अनुपात से अपने बजट का उतना

ही हिस्सा उन सरकारी मदों में रखा है जिनसे सरकारी वेतन का सम्बन्ध है, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज अध्यापकों की समस्या, जैसा कि कई सदस्यों ने कहा, ज्यादा सहृदयता के साथ, ज्यादा सहानुभूति के साथ देखे जाने की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि माननीय वित्त मंत्री का उस समस्या से शायद डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि अपने बजट में उन्होंने एजूकेशन के ऊपर, शिक्षा ग्रांट्स के ऊपर कुछ अधिक उदारता के साथ अधिक खर्च करने की स्वीकृति दी होती तो मैं समझता हूं कि उनके विरोधियों को इस तरह दूसरों के दुर्भाग्य को एक्सप्लायट करने की सुविधा अक्सर उपस्थित हो जाती हैं, शायद नहीं होती। दूसरे के दुर्भाग्य का नाजायज फायदा उठाना हमारे विरोधी दल की वसीयत सी बन गयी है यह उनका इस प्रकार का हेरेडिटरी अधिकार सा हो गया है, कहना चाहिये। तो मैं अपने वित्तमंत्री जी से और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह चीज आवश्यक है कि हमारे अध्यापकों की समस्याओं को हल करने की चेष्टा की जाय। यह समस्या आज से नहीं ४ वर्ष से हमारे सामने उपस्थित है। बहुत सी ऐसी मदें हो सकती हैं जिन मदों में जैसे कुछ सरकारी इमारतों का मरम्मत करना, बनाना है, हाईकोर्ट में लाइब्रेरी वगैरह की इमारतों का बनाना है, ऐसी मदें हैं जिन को करटेल करके यदि वह रुपया अध्यापकों को देने की कृपा करें तो ज्यादा मानवोचित कार्य होगा।

अब मैं थोड़ी सी बात अपने जिले के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। ऐसा देखा जाता है कि जितनी जनहितकारी योजनाएं हमारे सामने आती हैं वह पश्चिमी और पूर्वी जिलों के बीच में बट जाती हैं और उसके ऊपर जो पहाड़ी जिलों का बोझ रख दिया जाता है तो बीच के जो जिले हैं रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और फतेहपुर वह इतने दब जाते हैं कि वह उन जनहितकारी योजनाओं से कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं।

अभी हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें यह कहा गया है कि दो हजार मील सड़कें बनाई जायंगी और २,५०० मील कांक्रीट सड़कों की मरम्मत की जायगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो दो हजार मील सड़कें आगामी तीन वर्षों में बनाई जा रही हैं उनमें हमारे उन्नाव जिले का कोटा २ हजार मील के हिसाब से निश्चित होना चाहिये और जैसा कि आजतक होता रहा है कि यह छोटे-छोटे जिले जिनका समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण हमेशा उपेक्षित होते हैं वे इस योजना में उपेक्षित न रहें, मैं यह नहीं कहता कि पूर्वी जिलों को सुविधाएं न दीजिये। उनको सुविधाएं उनकी आवश्यकताओं की खूब पूर्ति कीजिये। पश्चिमी जिलों और पहाड़ी जिलों की पूर्ति कीजिये। लेकिन यह जो बेचारे गरीब जिले हैं जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो कर कार्य कर सकें इस तरह के रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, मैं कानपुर शहर को नहीं कह रहा हूं, कानपुर जिले को कह रहा हूं। इस तरह के जिलों को इस योजना में स्कूलों के लिए अनुदान देना चाहिए। अस्पताल और बिजलीघरों तथा ट्यूबवेल वगैरह का प्रबन्ध होना चाहिए। उनका ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक बात और मैं सेल्स टैक्स के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी राज्य को अधिक से अधिक जनहितकारी राज्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगधंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। अब सेल्स टैक्स की जो नीति है उसके संबंध में मुझे कोई आलोचना करनी नहीं है। लेकिन सेल्स टैक्स को कार्य में परिणत करने की जो प्रणाली है वह इस प्रकार की है जिससे हमारे जो व्यवसाय हैं उनको असंतोष तो होता ही है जिन लोगों को सेल्स टैक्स की परिधि के अन्दर नहीं आना चाहिए वह भी इसके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे यहां एक भगवन्त नगर मौजा है जहां पर पीतल का बहुत बड़ा काम होता है। वहां सैकड़ों की तादाद में ठठेर रहते

[श्री देवदत्त मिश्र]

हैं। वह दूसरों से पीतल ले कर गलाते हैं और बरतन बनाते हैं और जिसकी पीतल होती है उसको बरतन दे देते हैं। और बनाने की मजदूरी ले लेते हैं लेकिन सेल्स टैक्स आफिसर यह कहते ह कि हम इस को बनाना नहीं मानते हैं यह हम बेचना मानते हैं और उन ठठेरों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों ठठेरों के परिवारों की स्थिति इस प्रकार की हो गयी है कि शायद इस धंधे को छोड़ कर शहरों में जाकर अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए कोई दूसरा जरिया खोजें। तो मैं तो वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि अपने सेल्स टैक्स बिभाग को इस प्रकार की हिदायतें करें कि जो कारीगर लोग हैं वह इस सेल्स टैक्स से बचाये जायं।

लालबत्ती हो गयी है। एक बात और कह कर खत्म करूंगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि विरोधी दल का जहां तक प्रश्न है उसके सामने मेरा मतलब माननीय वित्त मंत्री से है वे फ्रांस के उस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के समान है जिसने अपने एक चित्र को जनता के सामने रखा था और चित्र में यह कहा था कि इस चित्र में जो त्रुटियां हों वह कृपा करके दिखायी जायं दूसरे वक्त तक वह सारा का सारा चित्र कालिख से पुता हुआ मिला यानी चित्र में हर जगह त्रुटियां नहीं दिखायी पड़ी थीं तो ठीक उसी प्रकार विरोधी दल की आलोचना है। इससे माननीय वित्त मंत्री जी को क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट को पूरा पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट एक प्रतिक्रियावादी नौकरशाही बजट है। एक प्रतिगामी ब्यूरो क्रेटिक कैपिटलिस्टक बजट है।

इस बजट से जो नतीजे होंगे, उनके संबंध में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं।

इस बजट का पहला नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश के अर्थतंत्र, समाजतंत्र और राजतंत्र में अबतक सामंती तथा पूंजीवादी तत्वों का आपस में जो अनुपात था उसमें फर्क पड़ जायगा।

सामन्ती तत्व पीछे हटेंगे और पूंजीवादी तत्वों का समावेश उनकी घुसपैठ ज्यादा होगी उनका अनुपात बढ़ेगा। समाज की बुनियादी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोषण में कोई फर्क नहीं आयेगा। अन्तर केवल यह आयेगा कि सामन्ती तत्व पीछे हटेंगे और जो पूंजीवादी तत्व हैं उनकी प्रधानता अथवा प्राधान्य समाज तन्त्र में होगा। दूसरी बात हमारे प्रदेश के अर्थ तन्त्र में और राजतन्त्र में भी विदेशी साम्राजियों की दखलन्दाजी बढ़ेगी। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट प्वाइंट फोर प्लान और कोलम्बो प्लान के समागम (intercourse) के कारण उत्पन्न हुई है और जो फाइव ईयर प्लान में शामिल कर लिया गया है जिसमें अमरीकी साम्राजियों का केवल दो आना हिस्सा है फिर भी उनको उसके प्रबन्ध में और उसका इन्तजाम करने में एक बहुत बड़ा हाथ दे दिया गया है। इस तरह से हमारे देश में हमारे प्रदेश में दूसरे बाहर के विदेशी देशों का हाथ पड़ेगा। उनका हमारे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे आर्थिक ढांचे पर भी विदेशियों का प्रभाव बढ़ेगा।

तीसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को बतलाया कि पिछले सन् ४६ से २२ लाख ६१ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गई जिसमें १४ लाख बंजर जमीन तोड़ी गई और आने वाले वर्ष में भी १ लाख २५ हजार नयी जमीन तोड़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे एक शब्द भी ऐसा नही मिला जिसमें यह बतलाये कि कोशिश की गई हो कि यह सारी जमीन जो तोड़ी गई या तोड़ी जाने वाली है उसमें, जो हमारे प्रदेश के, जो

सबसे गरीब और दलित खेतिहर मजदूर हैं, उनको कितनी जमीन दी गई या आगे से भी जब कि इस सदन में इस विषय पर काफी वाद विवाद हो चुका है इस पर कोई ध्यान दिया जायगा इसकी जरा भी चर्चा इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने नहीं की और उन्होंने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि आने वाले वर्ष में खेतिहर मजदूरों के लिये कोई स्थान रहेगा या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ब्यूरोक्रेटिक बजट कहने का साहस या दुस्साहस इसलिए किया कि जिस बजट की पूरी आमदनी का एक-तिहाई हिस्सा ३३ फीसदी शासन चलाने में खर्च किया जाय उस बजट को मैं नहीं समझता कि कौन सी दूसरी संज्ञा दी जाय। एक-तिहाई हिस्सा पूरा सरकारी मशीन को चलाने में ही खर्च किया जाता है, यो कि उसमें जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं रखी गई। इसके ऊपर माननीय बनारसी दास जी ने बहुत ही तफसील में अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो सका। चीन में अगर वहां का प्रेसीडेंट ८०० रुपये में अपना काम चला सकता है, वहां के हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह ७५० रु० हो सकती है और सबसे कम तनख्वाह वहां १५० रु० हो सकती है तो हमारे देश में इस तरह से जब तक बुनियादी चीजों को हल नहीं किया जायगा। बुनियादी चीजों को छुआ नहीं जायगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी। जमीन के बटवारे की कोई बात नहीं की गई। कम तनख्वाह वालों की बात नहीं की गई है। जो लम्बी तनख्वाह अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी उसी को कायम रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इस बजट को और कौन सा नाम दिया जाय। फाइव ईयर प्लान जिसकी बाबत माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में भी कहा था और अभी तीन दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने भी जिसकी बहुत लम्बी चर्चा की है और उनके पूरे भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा उसी में खत्म हुआ है उसकी बाबत मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से डा० जे० सी० कुमारप्पा के उद्गार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उस से अधिक स्पष्ट रूप में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और फाइव ईयर प्लान की बाबत कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा--

"The Indo-U-S. Technical Cooperation Agreement signed by our Prime Minister and the U. S. Ambassador is unworthy of any self-respecting independent country, as it confers diplomatic immunity upon private foreign citizens working in our country. This helps to create foreign pockets in our own land.

"While the U. S. A. contributes only about two annas in the rupee it is given a eonrolling voice in the affairs of Community Projects . . .

"The scheme seems to by-pass the fundamental rural question-Land Reform. Henc it is futile. . . .

"No regional self-sufficiency in food on a balanced diet basis is contemplated. Hence the danger of famines cannot be averted.

"This is part of the American cordon attempted to be laid to encompa as Russia, from Korea to West Germany. Therefore India is being led the way Korea has gone

"I hold that those who cooperate in this scheme are Quislinqs who work wth the enemies of their country and bring about the destrnction of their own loud."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइव ईयर प्लान हमारी किसी भी बुनियादी समस्या का हल नहीं करेगा।

चकबन्दी के बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने बात कही है। उसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जिन के पास जमीन नहीं है या जिनके

[श्री झारखंडे राय]

पास बहुत ही कम जमीन है उनके लिये वह योजना जो कि आने वाली है उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

पुलिस का खर्चा इस बजट में बढ़ गया है । हमारे प्रदेश में असंतोष की जो लहर चल रही है जिस की झलक २८ हजार पटवारियों के त्यागपत्र में थी, हजारों मेहतरों की हड़ताल में थी और हजारों अध्यापकों के प्रदर्शन में थी और उन तीन व्यक्तियों के आमरण अनशन में है जिनमें एक वृद्धा महिला भी सम्मिलित है । रोडवेज के कर्मचारियों के अन्दर जो आग सुलग रही है जिसकी झलक समय-समय पर हड़ताल या दूसरे प्रकार से मिला करती है इन तमाम चीजों के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि वितरण के सम्बन्ध में मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि जब भूमि वितरण की बात कही जाती है तो दो चीजें बहुत ही साफ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिये। भूमि वितरण वह समाधान नहीं है कि जिस से हमारे देश या प्रदेश की तमाम समस्याएं हल हो जायंगी । दूसरी बात यह है कि जितनी जन संख्या भूमि पर निर्भर रहती है उसी में भूमि वितरण का प्रश्न पहले उठेगा। उससे अगर भूमि बचेगी तो उस जनसंख्या की ओर ध्यान दिया जायगा जो कि शहरों में रहती है जिसका सीधा सम्बन्ध खेती से नहीं है । उसके अलावा जो देहातों में सरप्लस पापुलेशन है अतिरिक्त जन संख्या है जो कि भूमि वितरण के बाद भी बच जायगी उसको कल कारखाने की उन्नति करके खपाया जायगा परन्तु इस ओर माननीय वित्त मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया है । माननीय वित्त मंत्री ने जो दस लाख रुपया बेकारी की समस्या की बाबत खर्च करने की बात कही है मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम है कि शायद सरकार के पास कोई भी आंकड़े इसके नहीं हैं कि हमारे प्रदेश की जन संख्या में कितने लोग बेकार हैं जिनको काम चाहिये और जो काम चाहते हैं इतना ही नहीं जो लोग पढ़े-लिखे बेकार हैं उनके भी आंकड़े इस सरकार के पास मौजूद नहीं हैं । ऐसी हालत में एक लंगड़ी स्कीम दस लाख रुपये की अगर चलाई जाय तो उससे कोई लाभ नहीं होगा । दूसरे हजारों नहीं बल्कि लाखों बेकारों को देखते हुये यह दस लाख रुपया जिस की बाबत माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है नहीं के बराबर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आजमगढ़ जिले से आने की वजह से मैं बुनकरों की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं । हमारे जिले में उत्तर प्रदेश के बुनकरों का बहुत बड़ा केन्द्र है । उनकी हालत सुधारने का कोई ठोस कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने नहीं रखा है । हजारों बुनकर आज खाने के बिना परेशान हैं, उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं आज उनके कपड़े के लिये बाजार नहीं है । जो वे माल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो ब्लैक मार्केट से मिलता है। उनके बनाये हुये माल का खपत को बाजार में कोई ठीक साधन नहीं है । ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कोई भी बात हमारे सामने नहीं रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अधिक महत्वपूर्ण है और जिसकी बाबत यहां पर इस पक्ष के लोग और और भी कई साथी कह चुके हैं, वह है कि अध्यापकों का विषय। यह तो सभी साथी जानते हैं कि उन में के तीन आदमी जिन में एक महिला भी हैं और काफी अवस्था की हो चुकी हैं, वे इस हाउस के सामने कई दिन से अनशन कर रहे हैं । उनकी मांगें सरकार के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थीं। उनकी बाबत जब कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने १९ हजार स्कूल खोलने की बात कही और १२ लाख नये बच्चों के पढ़ाने की बात कही परन्तु एक शब्द भी सहानुभूति का उनके अध्यापकों के लिए नहीं कही । मैं तो समझता हूं कि यह घोर

हृदयहीनता है और किसी तरह से भी उचित नहीं है। इस महंगाई के जमाने में यह सोचने की बात है कि जो थोड़े से रुपये उनको दिये जाते हैं उससे उनका काम कैसे चल सकता है। इसलिए मैं उस पर अधिक समय नहीं लूंगा और बड़े जोरदार तरीके से कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार इन अध्यापकों की बाबत कोई कदम जल्दी उठावें ताकि उनकी जितनी मांगें उचित हैं और इस विषय में कोई मतभेद भी नहीं दिखाई पड़ता कि उनकी मांगें उचित नहीं हैं वह पूरी की जायं और मजबूरन उनमें से कुछ अध्यापिकों की हत्यायें हमारे सदन के सामने हमें न देखनी पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ही देश के मदरास सूबे में अगर वहां की सरकार कांग्रेसी सरकार ही है, शासन के खर्चे को कम कर सकती है तो मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस राज्य के खर्चे को क्यों नहीं कम कर सकते हैं? यह कम हो सकता है और रुपया बचाया जा सकता है, लेकिन यह टाप हेवी मशीनरी को ढोते रहने से यह ७८ करोड़ क्या ७८ अरब रुपया भी आय हो जाय हमारे इस प्रदेश में फिर भी खर्चा कम नहीं हो सकता है। अब कई गुना खर्चा बढ़ गया है और कई गुना आमदनी बढ़ गयी है लेकिन जब मैं देश की जनता की ओर देखता हूं चाहे वह खेत मजदूर और दूसरे मजदूर हों चाहे गरीब किसान हों, चाहे कम तनख्वाह पाने वाले हों या छोटे कारबारी और व्यापारी हों देश प्रदेश की ९० फीसदी जनता को देखता हूं तो मैं नहीं समझता कि उनकी स्थिति में कौन सा इजाफा हुआ है और उनके जीवन स्तर में कौन सी उन्नति हुई है। जब पिछले ६ सालों में बजट १२ करोड़ से ७८ करोड़ हो सकता है तो क्या उनकी हालत दो गुनी और चार गुनी भी नहीं सुधर सकती ह। मैं समझता हूं यह मौजूदा सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, यह सरकार बड़े पूंजीपतियों, सामन्तों से सम्बन्धित सरकार है। इसके पीछे हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपति और बाहर के केवल अंग्रेज ही नहीं जो अबतक हमारे मुल्क में सीधे मालिक रहे हैं और जो अब दूसरे मालिक को आगे करके उनके पीछे छिप गये हैं बल्कि अब अमरीकी डालर शाहमी हैं। आज हमारे देश में चतुर्मुखी शोषण और चतुर्मुखी षड़यन्त्र का सूत्रपात हो रहा है। बस आखिरी बात यह कहकर मैं खत्म करता हूं कि अंग्रेज अमरीकी हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपति और यहां के सामन्त सब मिलकर चतुर्मुखी शोषण और एक चतुर्मुखी षडयन्त्र कर रहे हैं और हिन्दोस्तान की साधारण जनता के जीवन का गला घोंट रहे हैं। जब तक इस के हित में बजट का कोई हिस्सा रहेगा तब तक यह जनता का बजट नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि यह प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी बजट है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर जेनरल बहस का आखिरी दिन है। एक तरीके से यह तो मिनिस्ट्रों का वक्त था। यह बड़ी आपकी कृपा है कि कुछ मित्रों को आप अवसर इसमें दे रहे हैं। मैं समझता हूं आज ७८ करोड़ का बजट हमारे सामने पेश है और ७८ करोड़ के बजट में हमारे प्रदेश के अन्दर साढ़े छः करोड़ जनता एक लाख सात हजार गांवों में रहती है।

उन सब की गाढ़ी कमाई का पैसा इकट्ठा हो कर, कर के रूप में आता है और उस पैसे को जोड़कर यह ७८ करोड़ की रकम एक बड़ी रकम हो जाती है और उसको उनके फायदे के लिये खर्च करने की बात होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ७८ करोड़ की रकम को तकसीम करने के लिये आबादी के अनुपात से देखा जाता तो बड़े संतोष की बात होती और फिर हर एक सदस्य अपने इलाके में बता सकता है कि हम जितना रुपया करके रूप में आपसे लेते हैं उनको आपके फायदे के लिये ही इस तरीके से इन इन कामों में और सही तरीके से खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि यह नहीं है। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी अपनी मांग इसी तरीके से उठाई थी कि एक्साइज और इन्कमटैक्स के अन्दर जब हमको आबादी के अनुपात से रुपया नहीं मिला तो हमने कहा कि हमारे सूबे की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है और इसी अनुपात से हमको रुपया मिलना चाहिये। देशमुख कमेटी ने उस चीज को नहीं माना था और उन्होंने कहा कि इन्कम टैक्स वगैरह जहां

[श्री दीनदयालु शर्मा]

दिक्कत ज्यादा होती है वहीं ज्यादा मिलना चाहिये। लेकिन हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने बराबर अपनी बात कही और नियोगी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें ३ करोड़ से ज्यादा करीब सवा तीन करोड़ रुपये मिल पाये हैं। तो मैं इसलिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम आबादी के अनुपात से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने दरख्वास्त कर सकते हैं तो हम जो प्रतिनिधि जहां से चुनकर आये हैं अपनी आवाज उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि जनता के लिये जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया कर के रूप में देकर यहां हमें उसके इंतिजाम के लिये भेजा है हमें उसके लाभ के लिये वह रुपया लगाना है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया गया। मैं देखता हूं कि तमाम पश्चिमी जिले आज जो देखे जाते हैं हर काम चाहे स्वास्थ्य को लीजिये, चाहे चिकित्सा को लीजिये, चाहे शिक्षा को लीजिये, चाहे पशुपालन को लीजिये, चाहे सड़कों को लीजिये जितने भी आपके काम हैं उठाकर सारे बजट को देख जाइये बहुत कम रुपया पाया जायेगा। वह सारे जिले शून्य के बराबर हैं वहां की आबादी के अनुपात से बजट बना नहीं है। और जब यह दशा है तो बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि इस बजट को व्यापारिवर्ग में, मजदूर वर्ग में, किसानों में, खलिहानों में, घर घर में, हर कोई चर्चा करता रहे। तो किस तरीके से जाकर चर्चा करें, किस तरीके से जाकर किसानों से कहें कि यह काम तुम्हारे लिये किया है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट तकरीर में यह भी कहा है कि बजट जो होता है वह किसी सरकार का रूप देखने के लिये कि आइन्दा क्या होगा एक आइना होता है। तो मैं कहता हूं कि इस बजट को देखने से जो इस सरकार का आइना है कौन सा रूप देखें जब हमारे लिये आइना ही धुंधला है हमें इस सरकार का आइन्दा का कोई भी आइना क्या नहीं मिल सकता। मैं दरख्वास्त कर सकता हूं कि किसी भी तरीक़े से सरकार इस बात के ऊपर विचार करे और सोचे कि किस तरह से एकता को कायम रखने के लिये कुछ किया जा सकता है, किस तरह से विषमता को मिटाया जा सकता है। आज किसी भी देश के लिये और किसी भी प्रदेश के लिये जो चीज़ है वह यही है कि जितना धन हो आबादी के अनुपात से सब के लिये बराबर हो, उसका इकट्ठा किया हुआ धन उसके ऊपर बराबरी के अनुपात से खर्च किया जाता है। मैंने एक दफा एक आदमी से बात की। वह एक गांव का आदमी हमको मिला। उसने कहा भाई स्वराज्य तो आपका आ गया, परन्तु एक दिन था जब आज जिसने स्वराज्य दिलाया आज वह जीवित नहीं है उस महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिये मैं गया। मैंने देखा कि एक चटाई पर गांधी जी बैठे थे। वहीं पर सरदार पटेल भी थे, वहीं पर एक अमेरिकन भी था और वहीं पर जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे और वहीं बीच में गांधी जी बैठे थे और वहीं मैं भी बैठ गया। उन्हीं की बराबरी में। मेरे दिल में उस समय एक बात आयी, एक उमंग आयी कि गांधी जी को तो मैं अपने घर पर भी बुला सकता हूं वह मेरे घर पर भी आ सकते हैं। चटाई तो मेरे घर में भी मुयस्सर हो सकती है। आज जो वह संसार का महापुरुष हिन्दुस्तान का नहीं संसार का सबसे बड़ा आदर्श पुरुष है वह ग़रीब से ग़रीब के झोपड़े में भी जा सकता है, परन्तु स्वराज्य होने के बाद तो मिनिस्टर के पास जाने के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और मैं देखता हूं कि वहां पर रुकावटें हैं, वहां पर पहरे हैं और इसी तरीक़े से वहां पर उनके बैठने के लिये लचकदार कुर्सियां होती हैं और उसको देखकर तो मुझे सकुचाहट होती है और मैं सोचता हूं कि इनकी हमारी कोई बराबरी नहीं है। मैं किस तरह से इनको अपने घर बुला सकता हूं। तो यह तो स्थिति है। फिर समता की बात नहीं रह जाती। एकता की बात नहीं रह जाती। इसके बाद अगर मिनिस्टर साहबान कहते हैं अपनी तक़रीर में कि गांव गांव में जाकर कहो कैसे होगा। आज गांव-गांव में घर-घर में इस बात का चर्चा है जो मैंने ऊपर बताई। आप किसी भी ज़िले में जाइये दो दिन, तीन दिन रहिये अपने विभाग की बात देखिये, दूसरे विभागों की बातों को देखिये, उस ज़िले की और खराबियों को देखिये। और जाकर कोई गलती पायें तो उनको सुधारिये तब तो मैं समझता हूं कि एक तरीक़े से स्वराज के दिग्दर्शन हो सकते हैं और हमारी बिगड़ी हुई हालत

ठीक हो सकती है और अगर इस तरीक़े से हम नहीं चल सकते हैं तो मैं आपको एक बात साफ बतला देना चाहता हूं कि जैसे तूफान आने से पहले होता है उसी तरह की शान्ति है एक ज्वाला भड़केगी और उसमें हमको, आपको और सबको स्वाहा हो जाना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं कि इस बजट की व्याख्या हम घर-घर और गांव-गांव में सही तरीक़े से कर सकते हैं यही बात मैं आखिर में कह देना चाहता हूं और समय ज्यादा लेना और सारे आइटम्स की विवेचना करना और उनको बतलाना मैं बेकार समझता हूं क्योंकि वह तो माननीय सदस्यों ने बतलाया है और मैं समझता हूं कि उस पर अमल भी होगा।

यह भूल होगी और उन आदमियों के लिये यह बजट बनाना ठीक इसी तरह से होगा जिस तरीक़े से कि सभासचिव, माननीय श्री बनारसीदास जी, ने यह कहा था कि गांधी जी के पास एक चिट्ठी आई थी उसकी पिन को निकाल कर बाकी चिट्ठी गांधी जी ने रायगां बतलाई थी। हमारे लिये भी यही होगा कि बजट के अंदर जो पिन है वह भी खराब होंगी और बजट को हमें फेंक देना पड़ेगा।

फिर मैं आशा करता हूं कि यदि इसको जनता का बजट बनाना है तो इसको आबादी के अनुपात से देखना पड़ेगा और जहां की जनता से जो उसकी आमदनी से कर लिया जाता है उसको उसी तरह से तक्सीम करना पड़ेगा। चाहे वह स्वास्थ्य के ऊपर हो, चाहे चिकित्सा के ऊपर हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे पशु-पालन के ऊपर हो और चाहे विकास के कार्यों के ऊपर हो। हमें इस सबको आबादी के अनुपात से ही देखना पड़ेगा।

प्लानिंग के बारे में भी मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूं। बजट में भी इसकी बहुत चर्चा हुई है और माननीय सदस्यों की तक़रीरों में भी इसकी चर्चा हुई है कि प्लानिंग के अंदर, विकास के कार्यों के अंदर बड़े बड़े कुयें बनाये गये हैं, स्कूलों की मरम्मत हुई है, नालियां खोदी गई, हजारों मील लम्बी नहरें खोदी गई हैं। गरज यह कि जितने काम हुये हैं वह सब हाथ की मेहनत से हुये हैं और लोगों ने बड़े उत्साह से उन कामों को किया है। लेकिन जो यह काम हाथ से हुये हैं यह आर्ज़ी काम हैं। यह जो सड़कें बनी हैं यह भी आर्ज़ी हैं और जो मिट्टी के काम हैं यह भी सब आर्ज़ी हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां हर साल बरसात होती है और जितने यह काम हुये हैं, यदि इनको पुख्ता नहीं किया गया तो जिस उत्साह और प्रेरणा से जनता ने इन कामों को किया है वह सब काम खत्म हो जायंगे। इसलिये जो यह सड़कें आर्ज़ी बनी हैं उनको सरकार पक्की बनायेगी और जो नाले वग़ैरह बने हैं सरकार उनको अपने हाथ में ले लेगी वर्ना उनकी आशायें चूर चूर हो जायंगी और आयन्दा बरसात उनको बहाकर ले जायगी और यह सब काम बेमानी हो जायंगे। इसलिये इन कामों को मज़बूत करने के लिये मैं सरकार से आशा करता हूं और उसके साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूं कि जो काम हुये हैं, जो हजारों मील लम्बी सड़कें बनी हैं, नाले, नहरें तथा और जितने काम हुये हैं उनको पुख्ता करने के लिये अपने हाथ में ले लें जिससे यह इन सदस्यों, सरकार और जनता के सहयोग से हमेशा यह काम कायम रहें और सरकार की प्रसिद्धि और बड़ाई हो।

मैं समझता हूं कि प्लानिंग के अलावा और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं और बजट में हैं और मैं भी उनको दुहरा सकता हूं मगर उसके लिये मैं कोई फायदा नहीं समझता हूं और इतनी लम्बी-चौड़ी फिगर्स को सामने रखकर मैं क्या बतला सकता हूं जब कि उनके पास इतना बड़ा मुहकमा है और सब जानकार हैं और सब बातें वह लोग जानते हैं।

अंत में मैं एक बात कह देना चाहता हूं जो सभी माननीय सदस्यों ने कही है। हमारे यहां सर्विसेज के अंदर ज्यादा ऊंच और नीचाई का फ़र्क़ है। इसको हमें बराबरी में लाना पड़ेगा और इसका अनुपात जितना भी हो लेकिन एक मियार के अंदर अनुपात हो, किसी दायरे के अंदर हो और कुछ फीसदी में हो, तब ठीक रहेगा, वरना एक बात होती है जैसे कि किसी घर का एक मुखिया अपने लिये ज्यादा खर्चा कर देता है, तो हम उस घर के दूसरे आदमी सोचते हैं कि हम भी इतना ही ले लें, तो नीचे दर्जे के आदमी चाहे वैसे गुजारा कर सकते हैं लेकिन जब वह देखते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऊंचे हैं और हम बहुत नीचे हैं, तो नीचे वाले

[श्री दीनदयालु शर्मा]

सोचते हैं कि हमें भी इसी तरीक़े से रहने का हक़ हो जैसे कि दूसरों को है। और अगर एक अनुपात हो जायगा तो उनको तसल्ली भी होगी और यह आंदोलन किसी न किसी तरह से ठंडे हो जायंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर गौर करेगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--मुझे एक बात निवेदन करनी है कि तीन दिन से यहां बजट पर डिस्कशन चल रहा है, पर यह बात कहनी निर्विवाद है, इस बात को बतलाना सूर्य को चिराग दिखलाना है कि यहां पर १/५ सदस्य हरिजन सदस्य हैं, उनकी समस्यायें हैं और उनको मौका न देना अनुचित है। इसके विरोधस्वरूप मैं वाक आउट करता हूं।

(इस के उपरान्त श्री जयपाल सिंह सदन से चले गये।)

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इस बजट पर होने वाले वादविवाद को मैं पिछले तीन दिन से सुन रहा हूं। इस सदन में बजट पर होने वाले वादविवाद को सुनने को मौक़ा मुझे कई बार मिला है। मैं यहां पिछले १५ वर्षों से इस सदन का सदस्य रहा हूं। सन् ४२ के अवकाश को छोड़ कर प्रायः प्रतिवर्ष बजट के ऊपर जो विवाद होता रहा है उसे मैं सुनता रहा हूं और हिस्सा लेता रहा हूं। पिछले तीन दिन से जो विवाद हुआ है उसमें मुझे कुछ विशेषतायें दिखलाई पड़ीं। मैं प्रायः सारे दिन यहां बैठा रहता हूं और प्रत्येक सम्मानित सदस्य की बात सुनता रहता हूं। दो एक बातें हमारे इस विवाद में अच्छी हुई हैं और वे यह हैं कि जहां तक मैं देख पाया हूं हमारे इस सदन का विवाद व्यक्तिगत कटुता अथवा तीव्रता से मुक्त सा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप अथवा कोई व्यक्तिगत कटुता अनायास उत्पन्न करने की चेष्टा किसी ओर से नहीं की गई और इसलिये मैं इस सदन को यह बताये देता हूं।

दूसरी प्रसन्नता मुझे यह भी हुई है कि मैंने देखा कि हमारे इस सदन में यह जो बजट उपस्थित हुआ इस पर जो वादविवाद हुआ उसका स्तर अपेक्षाकृत राजनैतिक रहा है, साम्प्रदायिक या किसी संकुचित आधार पर नहीं रहा है। इसकी भी मुझे प्रसन्नता हुई। परन्तु इस विवाद में मुझे एक और विशेषता भी देखने में मिली जिससे मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ है और वह विशेषता यह रही है कि दलगत बातों को पुष्ट करने के लिये जो दल का दृष्टिकोण है उसे ही सिद्ध करने के लिये जो दलीलें दी गईं, जो तर्क उपस्थित किये गये अथवा जो वाक्यात बयान किये गये उनके सम्बन्ध में कुछ न्याय नहीं बरता गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो दलील केवल दलील के लिये दी जाय और जो अध्ययन केवल इसलिये किया जाय कि सत्य को भी असत्य घोषित किया जाय, प्रकाश पर भी अंधकार डाल दिया जाय और कुछ ऐसा जंजाल रचा जाय जिसमें एक सीधासादा मार्ग भी लुप्त हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह विवाद फिर कुछ अधिक उपयोगी नहीं हुआ करता। अध्ययन भी हो, विवाद भी हो तो वह तत्व बोध के लिये होना चाहिये। अध्ययन सत्य को मिटाने के लिये, अप्रतिष्ठित करने के लिये तो वह विवाद और वह समीक्षा और वह आलोचना जनता के उपयोग की नहीं होती, प्रत्युत हानिकर हो जाती है। मैंने देखा कि हमारे यहां जो वाद-विवाद हुआ उसमें कुछ इस बात का इस बार विशेष प्रयास किया गया। तो दलगत हठ और दलगत आग्रह को इतनी सीमा तक ले जाना मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत उचित और न्याय की बात नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बात बड़े मार्के की कही है और वह उन्होंने कहा कि किसी देश अथवा किसी प्रदेश अथवा सरकार का बजट एक प्रकार का आइना होता है जिसमें उस सरकार का रूप प्रकट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क़दम और आगे जाना चाहता हूं और मैं तो यह समझता हूं कि किसी राज्य का बजट, किसी सरकार का बजट न केवल ऐसा दर्पण है जिसमें उस सरकार का प्रतिबंध दिखाई पड़े, प्रत्युत आज के जगत में जब जनतंत्रात्मक सरकारें स्थापित होती हैं किसी देश का बजट एक ऐसा दर्पण होता है और उसे होना चाहिये जिसमें न केवल उस सरकार का रूप प्रतिबिम्बित हो, प्रत्युत सारे देश तथा सारे प्रदेश की जनता, उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी नैतिक और सांस्कृतिक स्थिति, उसकी आवश्यकता, उसकी आकांक्षा, उसकी कठिनाइयां, सरकार की

स्वयं सीमा. इन सब की झलक आनी चाहिये और ऐसा ही बजट एक वास्तविक बजट होता है किसी जनतंत्रात्मक सरकार का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस सदन से कि वह इस दृष्टि से इस बजट की ओर दृष्टिपात करने की चेष्टा करे। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जहां की बात हम कर रहे हैं, हमारी तरह तरह की कठिनाइयां हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर की बेंचों पर बैठे हुये लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने इस बजट से संतुष्ट हो और यह समझता हो कि आज हमारे प्रदेश की जो भी जरूरत है, जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में होता, जिस आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम अपने प्रदेश की जनता को पहुंचे हुये देखना चाहते हैं वह सारी बातें हमारे उस बजट से पूरी हो रही हैं, ऐसा कोई दावा हमारा नहीं है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि हमारे प्रदेश में हमारी कठिनाइयां स्वराज्य की प्राप्ति के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, हमारे यहां भूख भी है, हमारे यहां नंगापन भी है, हमारे यहां बेकारी भी है, हमारे यहां अशिक्षा भी है, हमारे यहां रोग भी है, हमारे यहां व्याधियां भी हैं, हमारे यहां यातायात की कमी भी है, एक किसी दीप्तमान देश के लिये जिन तमाम बातों की आवश्यकता होती है उसका एक बहुत छोटा सा अंश भी हमारे प्रदेश में नहीं है, यह हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो इधर बैठा हुआ है इस बात को अनुभव करता है।

हमारा कभी यह दावा नहीं है कि हमने जो बजट सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उससे हम तमाम कमियों को पूरी कर सकते हैं या पूरी कर लेने के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा हमने यह प्रयास किया है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारे प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जनता की जो जरूरियात हैं और जिस स्थान पर उसे ले जाना चाहते हैं कि उसकी ओर क़दम ब क़दम बढ़ने का प्रयासमात्र इस बजट में दिखाई देता है। हमारे इस प्रदेश की जो वास्तविक परिस्थितियां और कठिनाइयां हैं उनकी झांकी भी इस बजट में आपको मिलेगी। यदि आज हमारे पास साधन होते, तो हम अपनी तमाम आशाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं, हमारी बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, कठिनाइयां हैं, परन्तु उनके होते हुए भी दृढ़ता के साथ क़दम ब क़दम आगे बढ़ते जाना ही इस बजट का लक्ष्य है। इसके प्रकाश में, मैं यह नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आदरणीय सदन देखे तो उसको संतोष होगा।

जहां तक बजट के आंकड़ों की बात है मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चहता हूं कि उनका उपयोग और उल्लेख जिस प्रकार से किया गया उस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये था। मुझे स्मरण है कि राज्यपाल के भाषण के बाद से यहां आंकड़ों की एक दुनियां बनाई गयी। मैं यह समझता हूं कि इस सदन में व्याख्यान देते हुए जो आंकड़े उपस्थित किये जायं वह अधिक बुद्धिमत्ता, और अध्ययनशीलता के परिचायक होने चाहिये। लेकिन यहां जो आंकड़े उपस्थित किये गये और जिनका संबंध मेरे विभाग से भी था, वे राज्यपाल के भाषण के बाद उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार-बार उनका जिक्र किया गया। राज्यपाल के भाषण पर बोलते हुए हमारे विरोधी दल के नेता ने नेशनल हैरल्ड के उस लेख का जिक्र किया जो हमारे आदरणीय साथी श्री वेंकटेशनारायण तिवारी का लिखा हुआ था।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैंने उसका जिक्र नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी दूसरे ने किया होगा, परन्तु उन आँकड़ों का जिक्र आपने अपने बजट के भाषण में किया था और उन्हीं आंकड़ों का उल्लेख किया गया जिसका उस लेख में किया गया था। माननीय गेंदासिंह जी इस समय नहीं हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया था। विरोधी दल के नेता ने कहा कि क्या नहरें पाटी जा रहीं हैं? क्योंकि जब ४६-४७ में २६ हजार मील नहर थी, ५१-५२ में वह १९ हजार मील कर दी गयी और उसको ५६ में २२ हजार मील बताया गया है और इस पर यह कहा गया कि क्या नहर पाटी जा रही है? यही बात हमारे बुजुर्ग तिवारी जी ने अपने लेख में कही है। मालूम होता है कि उसके बाद ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने दूसरों के चुल्लू में पानी पीना शुरू किया। कहा यह गया कि सन् ५२ और ४६-४७ की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रिपोर्ट के पांचवें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि इस प्रदेश की नहर प्रणाली २६ हज़ार कुछ सौ मील है। मैं अपने मित्र से क्या निवेदन करूं, यदि इस रिपोर्ट को पढ़ा गया होता और केवल किसी एक आंकड़े को लेकर उससे किसी एक बात के सिद्ध करने की चेष्टा न की गयी होती, आदि से अंत तक उस रिपोर्ट की समीक्षा की गयी होती तो यह समस्या आप से आप हल हो जाती। पृष्ठ ५ में यह कहा गया है कि सन् ४६–४७ में "माइलेज आफ चैनल्स आफ कैनाल्स इन दि यूनाइटेड प्राविंसेज" २६०.८२ मील रहा है। यदि इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ४२ पर दृष्टिपात किया गया होता जहां इसकी तफसील दी गयी है तो यह रहस्य साफ हो गया होता। क्योंकि यह कहा गया है, कि यह एक बड़ा भारी रहस्य है, नहरें पाटी जा रही हैं, विश्वास ही कुछ नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठ ४२ में दिया गया है "स्टेटमेंट शोइंग माइलेज आफ चैनल्स इन दि युनाइटेड प्रोविंस अन्डर वैरियर हेड्स" उसमें सन् ४६–४७ में दिया गया है, उस पर एकमात्र एक हल्का दृष्टिपात करते तो वे सारे आंकड़े स्पष्ट हो जाते। उसमें आप देखें कि उत्तर प्रदेश में मेन कैनाल्स ऐंड ब्रांचेज़ का सन् ४६–४७ में कुल टोटल २,८६४ मील रहा फिर डिस्ट्रिब्यूटरीज़, माइनर्स १५,२१० रहा। इन तमाम को मिलाने पर क़रीब १८ हज़ार और कुछ आता है। उसके बाद आप देखें तो ड्रेनेज चैनेल्स ५,३६५ मील हैं। नेविगेशन, पावर मिल चैनेल्स और गूलों को मिला कर देखें तो २,६१५ है। और यह सब टोटल २६ हज़ार मील के क़रीब आता है। कोई इसमें विरोध नहीं है। पंचवर्षीय योजना में कहें या इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पैम्फलेट में कहें, जिन चैनेल्स के ज़रिये इर्रिगेशन होता है उनका ज़िक्र किया गया है। नेविगेशन चैनेल्स के बारे में भी कहा गया है। जो गूलें खोदी जा रही हैं उनका उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। मेन कैनाल और मेन ब्रांचेज़ तो की गयी है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स के द्वारा भी हमारे यहां इर्रिगेशन होता है, उनका ज़िक्र भी इसमें है कि सन् ४६ में १७ हज़ार माइलेज और सन् ५१ में १९ हज़ार माइलेज रहा और यदि पंचवर्षीय योजना के अनुसार काम हुआ और उसमें नेविगेशन चैनल्स को जोड़ दें, ब्रांचेज को भी जोड़ दें तो सन् ५६ में उनकी संख्या क़रीब ३२–३४ हज़ार के क़रीब पहुंच जाती है, जिसका ज़िक्र कि हमारे मित्रों ने अपने भाषणों में किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों को बिना सोचे समझे, बिना देखे ताके, बिना अध्ययन किये हुए उपस्थित कर देना, यह कोई बहुत बड़े सुधार की बात मैं नहीं समझ सकता। यह भी कहा गया कि यह जाल है, यह जंजाल है, यह तो धोखा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है कि एक ऐसे सदन में जहां कि हम गम्भीरतापूर्वक सारे प्रदेश के भाग्य के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं इस तरह की बातें करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विवाद में बार बार निगेशन निगेशन की बात कही गयी है। यदि इस मामले को देखें और यदि हमें यह कहा जाय कि हमारे प्रदेश में काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो हमें उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि हमसे यह कहा जाय कि तुमको और तेज़ी से चलना चाहिये जिससे सिंचाई की व्यवस्था सारे प्रदेश में हो तो उसे भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, यदि हमसे कहा जाय कि तुम्हारे यहां भूख है और अन्न का उत्पादन और अधिक तेज़ी से कराना चाहिये और जिस गति से तुम जा रहे हो उससे उत्पादन बढ़ाने में कमी होगी तो उसे भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, परन्तु उस समय यह बात असम्भव हो जाती है जब कि जो चीज़ सब के सामने है उसके अस्तित्व से ही इंकार कर दिया जाता है और उसकी सीमा यहां तक बढ़ जाती है कि यहां तक कह दिया जाता है कि डेमोक्रेसी ही नहीं है। आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट नहीं है। हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कहा था कि इसमें घाटा ही नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--घाटा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां तक मुझे याद है मैंने यही सुना।

बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा है कि ३ करोड़ ३० लाख रुपया जो नहरों की आमदनी का आने वाला है अगर वह कैपिटल एकाउन्ट्स में न जाता तो यह घाटा पूरा दिखाई दिया होता। यह बात कही गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बजट भाषण को वह पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जाता कि क्या सही है आप अपने मतलब की बात ले लें और दूसरे की मतलब की बात को छोड़ दें और फिर दलील देकर उसको पेश करना चाहें यह बात उचित नहीं हुआ करती। उसमें वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि ७ करोड़ का घाटा है और यह भी बताया कि हमारे रेवेन्यू में और हमारे कैपिटल एकाउन्ट्स में कितना घाटा है। उन्होंने कहा कि ६ करोड़ ६४ लाख रुपया सिंचाई आदि से आने वाला है उसमें कैपिटल एकाउन्ट्स का घाटा ३ करोड़ ३० लाख है क्योंकि हमको कैपिटल एकाउन्ट में भी खर्च करना है। बाकी ३ करोड़ ३४ लाख रेवेन्यू में गया। इस तरह से ४ करोड़ ४२ लाख का घाटा रहता है। उसके विषय को न देखना इस तरह से कहना कि इसमें से उसमें नहीं दिया गया तो फिर हमें उत्तर मिलना कठिन हो जाता है। आप कहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि डिमोक्रेसी आप किसको कहेंगे? जिस देश में बालिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होता हो, जिस देश की जनता में सारी शक्ति चुनाव में हो, जिस देश में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर सुप्रीम और सावरेन हो, जिस देश की एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इशारे पर जीवित रहती हो और उसकी आज्ञा के अनुसार टिकती और मिटती हो, और जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखती हो, जिस देश की जुडीशियरी स्वतन्त्र हो और जिस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता हो, आप कहते हैं कि उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। आप कहते हैं कि इस प्रकार की बातें की यहां पर जो हैं उससे हटकर उससे भी इन्कार करते हैं। दूसरी किस्म की बातें कहने से इस प्रकार की दलील का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि यहां पर वेलफेयर स्टेट नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आज की दुनिया में कोई भी वेलफेयर स्टेट हुए बिना कोई स्टेट टिक नहीं सकती है और यदि कोई स्टेट ऐसी है और वह टिकने की कोशिश करती है तो उसका टिकना मुश्किल है। यदि हमारी स्टेट वेल फेयर स्टेट नहीं है तो क्या है? हम यदि देश से गरीबी दूर करने की चेष्टा करते हैं, यदि हम प्रदेश में अधिक आमदनी बढ़ाकर पैदा करने के लिये जनता के खाने और भलाई का काम करना चाहें और उसी लक्ष्य को हम अपने सामने रखें, हमारे सामने तो हमारी पुरातन नीति यह थी कि:

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुखभाग् भवेत्॥

यह इस देश का आदर्श रहा है और हमारे सामने भी यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर हम बढ़ना चाहते हैं। यदि हमारी गति मन्द है, यदि हमारी कठिनाइयां उसमें बाधक हैं, तो उनके ऊपर काबू पाना चाहते हैं। हमने यहां वेल फेयर स्टेट की स्थापना की है और उसकी बुनियाद पड़ चुकी है और उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा, आपका और सारी प्रदेश की जनता का यह एक-मात्र ध्येय होना चाहिए। हमारे सामने और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है और न हम दूसरी ओर जाना चाहते हैं। हम जो कहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते और जो है उससे भी इन्कार करते हैं। कहा जाता है कि यहां पर अत्याचारों में अपार वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी अत्याचार देखे हैं, हमको भी इन अत्याचारों के दृश्य का अनुभव है कि अत्याचार किसे कहते हैं। इस देश में हमने, विरोधी दल के बहुत से मित्रों ने और भाइयों ने बहुत से अत्याचार देखे हैं। जिस जमाने में यहां पर विदेशी सत्ता का शासन था अपने ही देश में अपने ही व्यक्ति अपने व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे उस समय मानव जीवन-जीवन के लिये तरसता था। हमने भी वह अत्याचार देखे हैं। आज इस देश में जहां पर जनतान्त्रिक हुकूमत कायम है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है और अधिकार है कि वह जिस तरह से चाहे अपने अधिकार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

का प्रयोग करे, जहां पर समाचारपत्रों पर कोई अंकुश नहीं है। इतना भय तो यह है कि शासन व्यवस्था जो है, विधि जो है, जो प्रकार है उसके प्रति लोगों के हृदय में एक लैक आफ रिस्पेक्ट दिखलाई देती है और लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अराजकता भाव पैदा हो। कहा जाता है कि अत्याचार में अपार-वृद्धि हो गयी है और महान-शोषण हो रहा है। जबकि आज दुनिया के शोषणों की सारी दीवारें ही ढहती चली जा रही हैं, यहां से अंग्रेज गये, उनकी तमाम फौजें गयीं, उनका सारा व्यापार गया, राजे, महाराजे गये, जिमींदार गये, एक शोषक के बाद दूसरा गिरता चला जा रहा है और उन सबको मुट्ठी में लेने के ढंग का निश्चय किया जा रहा है। और जहां सदियों बाद करोड़ों की संख्या में किसान स्वतन्त्र हो रहे हैं और जमीन के मालिक बन रहें, मजदूरों की परिस्थिति बदलती जा रही है, लेकिन शोषण कहां हो रहा है यह आप ही जानें और इस तरह का प्रचार करने के लिये ऐसी बातें आपही को मुबारिक।

मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मेरा जितना निर्धारित समय था वह खत्म हो रहा है और अब मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं अपने कुछ मित्रों से। समाजवाद बहुत अच्छी चीज है, वह इस देश में भी आये इसमें भी किसी को एतराज नहीं हो सकता, वह प्रत्येक को अपेक्षित होगा। हमारे देश में हमारे समाज में शोषण का पूर्णतः अन्त हो जाय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का फल भोगने को मिले सबको काम मिले और हर प्रकार के उत्पादन आदि साधनों पर समाज का अधिकार हो यह सब ऐसी बातें हैं जिनमें किसी को विरोध नहीं हो सकता और यदि उनसे देश का कल्याण होता तो उनको ग्रहण करना चाहिए। समाजवाद का प्रचार किया जाय और उसके पनपने के लिये वातावरण उत्पन्न किया जाय तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्थरावाद को जन्म देने का प्रयत्न न करना चाहिए। इसका प्रभाव फौरन ही दिखलाई दे जाता है। कैकई कोपभवन में गयी, दशरथ मरे, राम बन को गये, सब कुछ हुआ, परन्तु भरत को भी राज्य नहीं मिला। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के मन्थरावाद का सृजन न करें और वह स्थिति न आने दें कि जिनको आपने जिम्मदारी दी है और उत्तरदायित्व दिया है वह भी राजनैतिक संकट में पड़ें और आपका भी कहीं पता न लगे।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मेरा सम्बन्ध विशेषरूप से पुलिस, जेल और श्रम विभाग से है। स्वभावतः इन विभागों के सम्बन्ध में, विशेषरूप से पुलिस और श्रम विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं गयी। जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है, जो बातें सुनने में आई वह तो जिसे अंग्रेजी में हारडी एनुअल्स कहते हैं पुरानी बातें हैं। मुद्दतों से सुनी जाती रही हैं और पुलिस विभाग सलामत रहे बहुत दिनों तक सुनने को मिलती रहेंगी। जब किसी को कोई और विषय घंटे दो घंटे बोलने को नहीं रह जाता तो वह बहुत इतमीनान से पुलिस को गाली दे सकता है। मैं महज एक बात का जिक्र करूंगा कि ज्यादा चर्चा करना फजूल है। मैंने अपनी एक स्पीच के दौरान में जहां और बातों का जिक्र किया था तो विरोधी पक्ष के माननीय नेता की इस बात का भी खंडन किया था कि यहां भय की अपार वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि मुझे उस खंडन को कुछ नम्र करना चाहिए था। यह वाकया है कि कुछ दृष्टियों से भय की वृद्धि हो रही है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसकी कोशिश भी की जा रही है और भय की वृद्धि करने की जो यह कोशिश है उसका हमें पता है। आज बहुत से लोग हैं जिनमें से कुछ लोग सामने हैं जिनका प्रयत्न है कि देहातों में शान्ति न दिखलाई पड़े। उनकी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश है कि देहाती क्षेत्रों में खासी एक लड़ाई की सूरत पैदा कर दी जाय। खासतौर से वहां वह आदमी जो ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, वह बहुत शान्ति के साथ न सो सकें यह कोशिश रहती है। उनके खेत कटवा लिये जायं, उनकी जमीन जबर-दस्ती जोत ली जाय, सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगाकर इस बात की कोशिश है कि मास कान्शसनेश जगानें के नाम पर बगैर टिकट सैकड़ों आदमी सफर करें और यह समझा जाता है कि इस प्रकार एक रिवोल्यूशन और क्रान्ति की योजना चलाई जा रही है। लेकिन हमें इस बारे में पूरी जानकारी है। हम जानते हैं कि किस प्रकार इस नाम से और उस नाम से, कहीं कृषक

रक्षक फ्रन्ट के नाम से किस तरह की तैयारी हो रही है और किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं। और मैं यह बतला देना चाहता हूं कि देहातों के लोगों को और हमको इन बातों का पता है और हम इन कार्रवाइयों को नहीं चलने देंगे जो इस किस्म से भय को बढ़ाने वाली कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर क्रान्ति के यही माने हैं तो हम इस किस्म की क्रान्ति को नहीं चलने देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं और जितनी भी कोशिश इस प्रकार से भय को बढ़ाने की की जा रही है वह बेकार साबित होगी और भय नहीं बढ़ सकेगा।

एक और चीज कह कर मैं पुलिस की बात को खतम कर दूंगा। एक रोज पुलिस विभाग के सम्बन्ध में हमारे भाई मलखान सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पास प्रमाण है कि कई लोग और मिनिस्टर भी, उन्होंने मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, उनके पास सूचना आ जाती है, और पत्र, तार और टैलीफोन द्वारा ट्रांस्फर हो जाते हैं। और मैंने उसकी बाबत यहां कहा भी था कि अगर इस किस्म के कोई प्रमाण हों तो मैं अपने पद को छोड़ने के लिये तैयार हूं। मुझे खुशी हुई कि उसी दिन मेरी उनसे बात चीत हुई और उन्होंने कहा कि मिनिस्टर से उनका मतलब नहीं था। दूसरे रोज वह मेरे दफ्तर में आये और उन्होंने कहा कि आपकी बाबत मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची। तो जहां तक दो जेंटिलमैन की बात होती है वह अध्याय समाप्त हो गया। मुझे कुछ नहीं कहना है।

तो जैसा मैंने कहा, वित्त विभाग की बाबत तो मैं कहूंगा–नहीं। अपनी "आमनीबस" स्पीच में विरोधी पक्ष के नेता जी ने श्रम विभाग का भी जिक्र किया। सहस्रबाहु की तरह से उनका हाथ सब तरफ बढ़ता है, तो अब श्रम की तरफ भी बढ़ जाता है। लेकिन और सब कामों में पड़े रहने की वजह से श्रम विभाग में कम ही ध्यान दिया जा सकता है। इस वजह से जानकारी कम रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसी बातें हिम्मत के साथ कह जाते हैं जिनको कोई जानकार आदमी कभी नहीं कहेगा। यह शायद उनकी पार्टी की टैक्नीक होगी और सम्भव है कि पार्टी टैक्नीक की वजह से यह बात कहते भी हों। मसलन उन्होंने यह कहा कि इधर कुछ कानूनों की भरमार हो गयी है और उन सब कानूनों का मन्शा यह मालूम होता है, परिणाम यह होता है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसका पक्ष मजबूत हो जाय। हो सकता है कि ऐसा हो और कमजोर करने का उनका भी अपना कोई तरीका हो सकता है। एक आध तरीके ऐसे हैं और साथ ही इसके जो मजदूर हैं, उनकी मदद करने के एक आध तरीके एसे हैं जो हमारे विरोधी पक्ष को ही मालूम हैं, दूसरे लोगों को नहीं मालूम हैं। मसलन एक ऐतिहासिक बात है, लेकिन बहुत पुराना इतिहास नहीं। तीन चार वर्षों के भीतर की बात है। खुद विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने पुराने इतिहास का जिक्र किया था, इसलिये अनुचित नहीं होगा अगर मैं भी जिक्र करूं।

फैजाबाद जिले में कांग्रेस की तरफ से वहां के बहुत पुराने कांग्रेसी नेता श्री लल्लन जी खड़े हुए। सन १९२१ से लेकर ४२ तक जितने आन्दोलन हुए सब में वह जेल गये। जो भी लोग किसी कांग्रेस के आन्दोलन से परिचित होंगे वह जानते होंगे कि उन्होंने कितना काम किया। उनके विरुद्ध एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े रुपये वाले आदमी हैं, उनको खड़ा किया गया और पूंजीपति शब्द अगर कहीं जुड़ सकता है तो उनके नाम के साथ अवश्य जुड़ता है। यह तो इत्तिफाक था कि वह हार गये और लल्लन जी जीत गये, लेकिन यह एक यूनिक तरीका था पूंजीपतियों को हराने का और पूंजीवाद को दबाने का कि एक पूंजीपति जो साधारण जीवन में तो अपना काम करता ही है उसको जिम्मेदारी के जगह पहुंचा दिया जाय तो पूंजीवाद का बहुत जल्दी ह्रास हो जायगा।

अभी बहुत पुरानी बात नहीं, आठ दस रोज की बात है। पडरौना की मिल में कुछ झगड़ा खड़ा कर दिया गया, हड़ताल हो गयी। शिकायत इस बात की थी कि वहां पर मिल वाले जो गन्ने के काश्तकार हैं उनको रुपया नहीं दे रहे हैं और मजदूरों का रुपया बाकी है। बिलकुल सही बात है, अक्षर अक्षर सही बात है। मिल वालों पर रुपया बाकी था काश्तकारों का रुपया बाकी था, मजदूरों का रुपया बाकी था। गवर्नमेंट कोशिश कर रही

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

थी कि रुपया दिलाया जाय और गवर्नमेंट की कोशिश कहां तक कामयाब होती है वह इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल काश्तकारों का मिल मालिकों पर करीब ४२ करोड़ बकाया था। अब २ करोड़ बाकी रह गया है। गवर्नमेंट की कोशिश से ४० करोड़ के करीब तो दिलाया जा चुका। इससे यह साबित होता है कि गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न निरन्तर कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के तरीके तो गलत होते ही हैं। एक सही तरीका निकाला गया उनकी तरफ से। वह तरीका उनकी तरफ से क्या निकाला गया। इसी सदन के एक माननीय सदस्य जो यहां मौजूद हैं और जिनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया गया वह वहां पहुंचे और उन्होंने सलाह दी कि तुम लोग मिलों को गन्ना देना बन्द कर दो। अब जो हमारा गलत तरीका था वह यह था कि मिल किसी तरह चालू रहनी चाहिए। यह सही है कि रुपया बाकी है, लेकिन काश्तकार अगर गन्ना देते रहेंगे तो शक्कर बनती रहेगी, शक्कर बनेगी तो शक्कर बिकेगी भी। इस वक्त दिक्कत यह है कि हजारों बोरे शक्कर के पड़े हुए हैं। निकल नहीं रहे हैं। तो हमारा गलत तरीका तो यह था कि शकर बनेगी तो बिकेगी भी जिसकी कीमत से काश्तकारों का भी पैसा मिल जायगा और मजदूरों का भी पैसा मिल जायगा। लेकिन एक यूनिक तरीका निकाला गया और काश्तकारों से कहा गया कि तुम गन्ना मत दो। इसका नतीजा क्या होता। मान लीजिए कि हड़ताल कामयाब हो जाती। तो मिल बन्द हो जाती है जो मजदूर काम करते हैं उनको तो कुछ पैसा मिल भी जाता लेकिन, काश्तकारों को उतने दिनों की गन्ने की कीमत नहीं मिलती। उनके यहां जो गन्ना जमा था उसका क्या होता, कोल्हू गाड़ने का समय नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वह कुछ अपने जानवरों को खिलाते, कुछ खुद खाते, और बाकी को जला देते या खेत में डाल देते। लेकिन यह एक यूनिक तरीका था काश्तकारों की मदद करने का कि उनका गन्ना सूख जाय, जल जाय लेकिन वह मिलों के पास न पहुंचे। बहरहाल एक अंग्रेजी की कहावत है कि बड़े आदमियों की कि "You can fool all the people for some time, some people for all the time but you cannot fool all the people for all the time"

[आप कुछ मनुष्यों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं कुछ को हमेशा के लिये परन्तु आप हर मनुष्य को हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकते।]

कुछ लोग ऐसे भोले-भाले होते हैं कि जिनको जिन्दगी भर बेवकूफ बनाया जा सकता है, अच्छे आदमियों को भी थोड़े दिनों के लिये बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन, सब आदमियों को जिन्दगी भर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो काश्तकार तो कोई बेवकूफ नहीं है। काश्तकारों की समझ में बात आ गयी। हड़ताल भी खत्म हो गयी और मिल चल रही है और जो गवर्नमेंट का गलत तरीका था उससे सफलता भी हो रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी यह किया कि २५ हजार बोरों के निकालने का इन्तजाम किया। गन्ना धीरे धीरे उठ रहा है और सरकार धीरे धीरे मिलों से रुपया ले रही है। जो रुपया आया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वयं कहा है कि इसमें से इतने परसेंट तक तो काश्तकारों को दाम लेने के लिये खर्च किया जाय, मिलों के प्रबन्ध करने वालों के लिये नहीं, और इतने परसेंट में से मजदूरों को मजदूरी दी जाय। यह हमारा गलत तरीका है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का यह अपना तरीका है कि अगर पूरब जाना हो तो सीधे पश्चिम की तरफ नाक करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि बहुत से कानून बनाये गये जिससे मिल मालिकों और पूंजीपतियों का पक्ष मजबूत होता है। बहुत से कानून तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के बनाये हुए हैं जैसे प्रावीडेन्ट फन्ड कानून, हैल्थ इन्श्योरेंश कानून और अन्य कई कानून हैं जिनसे मजदूरों का फायदा हो रहा है उसी तरह से इनका कानून कि जो काश्तकार के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको मिनिमम वेजेज दिया जाय। हमने उसको अपने यहां १२ जिलों में लागू भी किया। शायद इन सब कानूनों से उन मजदूरों का नुकसान हो रहा है। हमने जो कानून बनाये, वह बतलायें कि उनमें से कौन सा कानून है जिससे काश्तकार और मजदूरों का नुकसान हो रहा है। शाप असिस्टेन्ट की बाबत कानून बनाया गया। यही दो तीन चार कानून तो हमने बनाये हैं। कोई बहुत ज्यादा कानून बनाने का शौक नहीं है। तो एक हमने कानून

बनाया शाप असिस्टेन्ट्स का। इसके पहिले कोई ऐसा कानून सूची में नहीं था। सारे सूबे में चाहे लागू हो या न हो, उस कानून में और चाहे जो कुछ भी कमी हो, लेकिन जो आदमी कभी घर से बाहर निकलता होगा, वह देखता होगा कि किसी इतवार, सोमवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार किसी न किसी दिन एक दिन कम से कम बाजार बन्द है। जो बात और जो सहूलियत कि आज से पांच वर्ष पहले इन दूकानों में काम करने वालों को हासिल नहीं थी वह आज हासिल है। कम से कम इतना तो जरूर है कि एक दिन की छुट्टी मिल रही है। इससे भी उनका बड़ा नुकसान हुआ और इससे पूंजीपतियों का पक्ष बड़ा पक्ष मजबूत हो गया। अब दूसरा एक हमारा बनाया हुआ कानून है। हमने यह कर दिया कि इतने बजे दूकान खुले, इतने बजे बन्द हो। न दूकानदारों के पास घड़ी होती है, न काम करने वालों के पास घड़ी होती है। न हममें से बहुतों के पास होती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सोशल कानून है उसमें घंटे, आध घंटे का फर्क पड़ सकता है, दूकान खुलने या बन्द होने में, लेकिन हर शहर में जहां यह कानून लागू है वहां सब जानते हैं कि इतने बजे से पहले बाजार न खुली मिलेगी और इतने बजे के बाद दुकान बन्द मिलेगी। तो क्या यह मिल मालिकों और पूंजीपतियों के कायदे का कानून है और इससे उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। एक और कानून हमारा है जो कि सबसे पहले इस देश में यू० पी० गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर किसी मिल का इन्तजाम बहुत खराब है या मजदूरों को पैसा न देता हो, तो गवर्नमेंट उस कारखाने को अपने हाथ में ले सकती है और आथोराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर कर सकती है। और हमें ऐसा करने का मौका पड़ा। हमने दो-चार मिलें अपने हाथ में लीं। इससे क्या नुकसान हो गया मजदूरों का और क्या फायदा हो गया मिल मालिकों का?

श्री राज नारायण--एक चेक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एलेक्शन में दस हजार रुपये का दिया और न मालूम ऐसे कितने चेक दिये हों।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दस हजार रुपये तो बड़ी छोटी रकम है। इस वजह से उन्होंने नहीं दिया कि उनकी मिल पर कब्जा हुआ। लोगों ने बहुत रुपया दिया है जिनकी मिल पर कभी कब्जा नहीं हुआ। इस देश के अन्दर रुपये देने वाले मौजूद हैं। बड़ी बड़ी रकमें दी होंगी जिनकी न जायदाद कभी कोर्ट आफ वार्ड में आयी और न मिल गवर्नमेंट के कब्जे में आयी।

श्री राजनारायण--कटकुंइयां का क्यों बनाया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई आदमी कहीं नहीं बनाया गया। किसी मिल वाले को उस कानून से फायदा नहीं हुआ। ऐसी हालत में यह बात कहना झूठ बात होगी कि उस कानून से मिल मालिकों को फायदा हुआ। लेकिन कोई इस बात से मतलब नहीं, कुछ न कुछ बात कह देनी है।

नैनीताल में ट्रिपार्ट्राइट कांफ्रेन्स हुई थी उसका भी जिक्र किया गया। उसमें कुछ स्टैन्डर्डाइजेशन की बाबत जिक्र हुआ। उसके लिये कहा गया कि गवर्नमेंट ने यूनियंस ने जो नाम भेजे उनको नहीं माना, मनमाने तरीके पर। बिलकुल सही बात है। एक नाम आया था उसको मन्जूर नहीं किया। क्यों मन्जूर नहीं किया? ऐसी कड़वी बातों को मैं कहना नहीं चाहता खासकर ऐसी बातें जिनमें व्यक्तियों का जिक्र होता है। लेकिन मजबूर होकर ऐसी बातों का जिक्र करना पड़ता है। मैंने ट्रिपार्ट्राइट कान्फ्रेन्स में यह रखा था कि हमारे यहां किसी न किसी किस्म का स्टैन्डर्डाईइजेशन रैशनालाइजेशन जरूर होना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे यहां मैनपावर का उपयोग किसी तौर पर होना चाहिए और अगर किसी किस्म का स्टैन्डर्डाइजेशन हो तो इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मजदूर डिस्प्लेस्ड न हों और साथ ही मजदूरों की मजदूरी बढ़े। और अगर इत्तिफाक से डिस्प्लेस्ड हो ही जायं तो उनको ठिकाने का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिये यह हुआ कि उसके लिये एक्सपर्ट्स की राय होनी चाहिए। और यह तय हुआ कि एक कमेटी हो जिसमें मजदूर और मिल मालिक दोनों के प्रतिनिधि हों और उसका एक सभापति हो। दोनों पक्षों ने कहा कि सभापति लेबर कमिश्नर रखे जायं। यह बात तय हो गयी। लेबर कमिश्नर मौजूद हैं लेकिन कमेटी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? उसका कारण यह है कि जब कमेटी के मेम्बरों के नाम का प्रश्न आया तो हम समझते थे कि

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है एक तरफ तो आई० एन० टी० यू० सी० के तरफ से श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, जो सबसे पुराने वर्कर हैं रहेंगे और दूसरे श्री राजारामजी शास्त्री आ जायं। वह भी बहुत पुराने वर्कर हैं। उनकी सब प्रतिष्ठा करते हैं। हम चाहते थे कि वह आ जायं। लेकिन मजदूर सभा जिनका ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से है उसने एक सज्जन का नाम बतलाया, श्री विमल राय। उसको हमने नहीं माना। क्यों नहीं माना? जब हमारी ट्रिपार्ट्राइट कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें एक चीज का जिक्र आया था जिसको पूल कहते हैं। इसके मानी यह हैं कि जब एक दो तीन वर्ष पहले कानपुर में प्ले आफ हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ रुपया खर्च करते हैं, इस साल के बजट में भी ४० हजार रुपया है, उसको कहते हैं पूल। यानी एक लिस्ट बनी हुई है। अगर कोई मजदूर अलग किया जाय तो उसका नाम उस लिस्ट में आ जाता है।

मिल वालों से हमारा समझौता यह है कि अगर किसी काम के लिये उनको आदमी की जरूरत पड़े तो वे हमारे यहां लिखें कि हमको फलाने काम के लिये आदमी की जरूरत है। अगर उस लिस्ट में उनके काम के लायक आदमी न हों तब ही वे बाहर से आदमी रख सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो मजदूर कहीं से अलग हो गये हैं उनके लिये रास्ता रहता है और उनको एम्प्लायमेंट मिल जाता है। इस लिस्ट के मेनटेन करने के लिये गवर्नमेंट ४० हजार रुपया खर्च करती है। जिनका मैंने अभी नाम लिया उन्होंने खड़े हो करके कहा कि मुझको मालूम है कि मिल वालों की जो एसोसिएशन है, एम्प्लायर्स एसोसिएशन आफ नार्दर्न इंडिया उसने सब मिल वालों के पास एक सर्क्यूलर भेजा है कि आप इस पूल में से किसी आदमी को न रखिये। उसी वक्त एम्प्लायर्स खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सर्क्यूलर नहीं भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सर्क्यूलर देखा है। मैंने कहा कि अगर आप ने देखा है तो यह बड़ी गम्भीर बात है, यह बड़ी भारी दगा बाजी की बात है, आप इसका सबूत दें।

आखिर बात खत्म हो गई। उसके बाद एम्प्लायर्स की तरफ से खत आया कि जो उन्होंने सबूत देने के लिये कहा था उसका क्या हुआ। माननीय राजाराम जी शास्त्री मुझसे मिले तो मैंने उनसे भी कहा कि उन्होंने ऐसी बात इतने आदमियों के बीच में कही थी लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। खैर वह सबूत दें कहां से, जब उनके पास सबूत हो तब तो वे सबूत दें। उस आदमी से मैं किसी बात की कैसे उम्मीद कर सकता हूं जिसने सारी बाडी को झूठा कह दिया और सबूत आज तक नहीं दिया। खुली बात है, वह कोई चोरी की बात नहीं है, मैंने लिख करके भेजा और जबानी भी कहलाया, लेकिन आज तक वे सबूत नहीं दे सके। ऐसे आदमी के लिये कहा जाता है कि उसको कमेटी में रखिये। मैं न एम्प्लायर्स से कह सकता था कि आप ऐसे आदमी के साथ कमेटी में बैठिये और न मैं श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी से कह सकता था कि आप ऐसे आदमी के साथ कमेटी में बैठिये। जो नेता होते हैं उनको हर बात की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कमेटी में आवें और बाद में मजदूरों में जा कर यह कहें कि हम तुम्हारे लिये लड़ने के लिये तैयार हैं। इसी वजह से ट्राईपार्ट्राइट कांफ्रेस में जो बात तय हुई वह नहीं हो सकी। एक हमारे आफिसर डाक्टर बंशीधर हैं, जिनको यूरोप और हिन्दोस्तान में ट्रेनिंग मिली है और वे एक्सपर्ट्स की मदद से सारा काम कर रहे हैं। वैसे हमने फिर कहला दिया है और हमारा एक प्रेस नोट भी निकल चुका है कि हम एक बार एम्प्लायर्स और लेबर से कहेंगे कि आप आइये, यहां तक सामग्री तैयार है। अब भी अगर आप कोआपरेट करें तो अच्छी बात है। अगर वह नहीं तैयार होते हैं तो मजबूरी की बात है लेकिन बगैर जाने इस तरीके से गवर्नमेंट पर हमला कर देना गलत बात है। ट्राईपार्ट्राइट के सुझाव पर, जिसको मैंने स्वयं दिया था, अगर अमल नहीं हुआ, तो उसमें कुसूर गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने जान बूझ कर ऐसी हरकत की कि उस सुझाव पर काम न हो सके।

एक बात यह कही गई कि मिल वाले बेइमानी करते हैं जिससे मजदूरों को ठीक ठीक बोनस नहीं मिलता है। मिल वाले क्या करते हैं, मैं नहीं जानता, मैं उनकी वकालत करना नहीं चाहता

जहां तक बोनस की बात है, सन् १९४७–४८ में जो बोनस दिया गया, उसकी जांच हाई को के एक जज ने की। सन् १९४९––५० में अपीलट ट्रिब्यूनल ने जो सिद्धांत से आउट किय उसके अनुसार बोनस दिया गया। सन् १९५०––५१ में भी उसी सिद्धांत के अनुसार बोनस दिया गया। अगर इस क़िस्म का कोई सवाल है और मिल वाले बेइमानी करते हैं तो वह सवाल अपीलेंट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के जज, जो हाइयस्ट अदालत हो सकती है, उसके सामने जा सकता है। जब वहां से फैसला हो चुका है, फिर भी इस क़िस्म की बात करना उनके ऊपर लांछन लगाना है, उनको बेईमान या बेवकूफ बनाना है। हम इसके लिये जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा और बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैंनें इन्हीं दो चार बातों को बतला दिया जिनका फैक्ट्स से सम्बंध है और जिनका सम्बन्ध हवाई या लम्बी चौड़ी बातों से नहीं है। इन बातों का मैंने इसलिये जिक्र किया ताकि माननीय सदस्य यह समझें कि लेबर डिपार्टमेंट के बारे में जो शिकायतें की गई हैं वे कितनी निराधार हैं। केवल वक्त पूरा करना था, इसलिये यह बातें कह करके वक्त पूरा किया गया।

श्री मक्खन सिंह––पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर, अभी अभी माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सदन के सामने यह बात कही कि दूसरे दिन भी मैंने जा करके इस बात को कहा उनसे कि आप के मुताल्लिक़ नहीं था। उन्होंने दो बातों को यहां पर सदन में नहीं कहा। मैं समझता था कि उन्हें बता देना चाहिये था। मैं उलाहना लेकरके उनके पास गया था। यहां सदन में जो उन्होंने ने स्पीच दी कि रानी लक्ष्मीबाई के चार हाथ बना दिये हैं तो मैंने कहा यह बिल्कुल ग़लत है आपने तो बढ़ा करके कहा है। इसके लिए मैं गया था और यहां पर जब वह खुद आये और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा स्पीच में आप का नाम तो आया जो आप का भाषण छपा है उसमें आपने आई० जी० और डी० आई० जी० की बात क़बूल की। दो बातें उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। बजाय इसके उन्होंने कहा कि हम उसी लिए गये थे। वही मुझे कहना है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––रानी झांसी के दो ही हाथ थे, सही है, चार नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)––अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि इस बीच जबकि इस बजट पर वाद–विवाद होता रहा मैं यहां मौजूद नहीं रह सका, इससे मुझे ज्यादा हानि हुई। चूंकि मैंने इन सदस्यों के विचारों को कागजों में पढ़ा उससे उनकी सजीवता और वास्तविकता उस हद तक नहीं झलकती जितना कि मौजूद रहकर उनको सुनने से, इसका मुझे खेद है। मैं अपनी अनुपस्थिति के लिये सदस्यों से क्षमायाचना करता हूं। जहां तक बजट का संबंध है मैंने जो कुछ भाषणों की रिपोर्टों को देखा उससे तो विदित होता है कि जिस संजीदगी के साथ, विचार–विवेक के साथ प्रकट होना चाहिय था शायद सभी को उसमें उतनी गम्भीरता नहीं दीखी। क्योंकि मोटी मोटी आलोचनाओं और समालोचनाओं का बार बार करना, और वही बातें जबकि हमारे राज्यपाल का भाषण हुआ और उस संबंध में विवाद हुआ तब कही गयीं, वही फिर जब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स के समय दोहराई गई और वही फिर जब बजट के ऊपर वाद–विवाद हुआ तब कही गई। इस तरह से आमतौर पर हर चीज को गलत कहने से कुछ साबित नहीं हो सकता। हम सब चाहते हैं कि गल्तियां मालूम हों और हम उन्हें ठीक करें। पर गल्तियां बतलाने वाले अगर खुद ही गल्तियां बार बार करते जाते हों तो फिर उनसे फायदा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां बार बार कहा गया कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है। मुझे इस बात से तब भी तसकीन है और खुशी है कि इस सदन के सदस्यों ने आमतौर पर बजट का स्वागत किया और उसके ऊपर अपना संतोष प्रकट किया। राजनारायण जी ने अपने बहुमुखी भाषण में बहुत सी बातें कहीं परन्तु उन बातों को जब ढांचे पर ढाल कर कसा जाय तो उसमें सार बहुत कम रह जाता है और मोटी बातों को यह कहना कि हम तो अग्रगामी हैं, हम आगे देखते हैं तुम लोग तो पूंजीवादी हो, तुम ठीक नहीं करते, इससे कोई बात सफल होती नहीं। देश में आज भी भिन्न–

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

भन्न वर्ग के लोग हैं, कम्यूनिस्ट हैं जो सब सोशलिस्ट को रिऐक्शनरी कहते हैं और जिनको सोशलिस्ट देश का नाश करने वाला समझते हैं जो आज प्रजा सोशलिस्ट वर्ग में हो गये उनके साथ जो कि उनके पहले साथी समाजवादी थे वह कहीं नहीं गये। वह समझते हैं कि यह अपने आदर्श को छोड़ कर चले गये और जिस ढंग से और जिन सिद्धान्तों से उन्हें काम करना चाहिये था वैसा उन्होंने नहीं किया। ऐसी अवस्था में यह समझना और यह कहना कि जो खड़े होकर बोल रहे हैं वह सब के सब देश की सेवा के लिये सच्चे सिद्धान्तों को बर्त कर चलते हैं, और जो भी कहते हैं उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, यह हित की बात नहीं है। हम सबको समझना चाहिये कि अपने विचारों के अनुसार देशसेवा करने का यत्न हर कोई करता है परन्तु आज बारबार इस बात को कहना कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है, यहां तो केवल पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है, यहां तो केवल शोषण बढ़ता है यह वास्तविकता के विपरीत बात है। क्या जिस स्टेट ने थोड़े से अरसे में हजारों स्कूल कायम किये, सैकड़ों कालेज जिसने क़ायम किये, जिसमें लाखों एकड़ जमीन खेती के काम में लायी हो, जिसमें लाखों एकड़ पर आबपाशी हुई हो, जिसमें हजारों मील सड़कें बनी हों, जिसमें हजारों मील नई नई गूलें और पानी की नहरें बनी हों और जिसमें बिजली के नये नये कारखाने बने हों, जिसमें बन्धियां वगैरः बनी हों, जिसमें वह बहुत से काम हुये हों जिनका संकेत हमारे वित्त-मंत्री जी ने किया, अगर उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं कहा जा सकता तो फिर किस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है ? अगर यह स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है और लोग समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये नहरें न बनें, आबपाशी न हो, बिजली के कारखाने न बनें, जमींदारी विलीनीकरण न हो, तो वह वेलफेयर स्टेट उनको मुबारक हो। हम तो उसी वेलफेयर स्टेट को चाहते हैं जिसमें यह सब चीजें होती हैं और जिसमें ये चीजें आगे बढ़ती जायेंगी। इसलिये इस क़िस्म की थोथी बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है। आज ही के बजट को लीजिये जिसमें २६ करोड़ यानी तिहाई से भी ज्यादा केवल विकास के लिये हो। अगर वह बजट वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सा स्टेट है जिसको वेलफेयर स्टेट का बजट कहा जा सकता है ? उसको छोड़कर इस तरह की बातें कहना कोई शोभा की बात नहीं है।

मैं जानता हूं कि समाजवादी दल में राजनारायण जी एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके जो कुछ भी यहां उद्गार होते हैं मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं। परन्तु वह मानेंगे कि समाजवाद में भी उनके अतिरिक्त और लोग भी हैं। लन्दन के श्री ऐन्यूरिन बेविन यहां आये थे। वहां की लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट पार्टी के वे प्रमुख हैं। वे लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट हैं और श्री एटली वगैरः से उनका मतभेद रहता है। मैं समझता हूं कि राजनारायण जी देख सकते हैं कि श्री एन्यूरिन बेविन ने क्या कहा है। मैंने हाल ही में चार पांच दिन हुये यह पढ़ा था—

"British Labour Leader Mr. Anurin Bevin said here last evening that what India has accomplished during the last six years had no parallel in the history of the whole world cheers)

उन्होंने कहा—

"It would be no exaggeration to claim, Mr. Bevin said that what is acheived during the last few years under the aegis of a Democratic Government would not be acheived by Great Britain or Canada, Newzealand or even the United States of America or any other country in the world."

उन्होंने कहा—

"India, within the next 30 or 40 years," he added, "will be engaged in trying to bring out a social revolution in the country within the framework of a democratic set up. You are facing gigantic task with every probability of success and facing difficulty in hopeful pride."

[कल शाम यहां ब्रिटेन के श्रम नेता श्री औ रिन बेविन ने कहा कि भारत ने पिछले ६ वर्षों में जो कुछ किया उसकी समानता संसार के इतिहास में नहीं है।

श्री बेविन ने कहा कि इस दावे में कोई अत्युक्ति न होगी कि भारत ने गणतंत्र राज्य के संरक्षण में जो कुछ इन गत वर्षों में किया वह ग्रेट ब्रिटेन या कैनाडा, न्यूज़ीलैंड या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी या संसार का कोई अन्य राष्ट्र भी नहीं कर पाता।

उन्होंने कहा कि भारतवर्ष आगामी ३० या ४० वर्षों में इस गणतंत्र राज्य के अधीन एक सामाजिक क्रान्ति लाने में संलग्न रहेगा। आप लोग एक बहुत बड़े कार्य का सामना कर रहे हैं जिसमें कि सफलता की पूर्ण आशा है और कठिनाई का पूर्ण अभिमान के साथ सामना कर रहे हैं।]

मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में, हम अपने देश में, काम "होपफुल प्राइड" से नहीं बल्कि "होपफुल माडेस्टी" से करते हैं और उसको करते यह भरोसा रखते हैं कि इस डैमोक्रेटिक सेटअप के अन्दर, इस लोकतंत्र के सिद्धान्त के आधार पर जनता के सहयोग के साथ हम अपने देश को शीघ्र ही सुखी, समृद्ध और उन्नत देश बनाकर छोड़ेंगे। उसके पीछे हमारी सारी शक्ति है और इसमें हम इस देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहते हैं, चाहे कोई इधर बैठा हो चाहे कोई उधर बैठा हो। और देश का सहयोग हमारे साथ है वह कई बातों से प्रमाणित होता है। अभी अभी चुनाव हुये, उसमें सभी जानते हैं कि क्या हुआ? इस बात को कह देने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है कि वहां ज्यादती की जा रही है। अभी बहराइच का कहा गया कि वहां ज्यादती की जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। एक स्वतंत्ररूप से वहां चुनाव हो रहा है और उसी नीति से चुनाव हुये। पहले भी इस तरह की आवाजें उठाई गईं मगर जो जानकार लोग हैं उन्होंने कबूल किया है, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री राजाराम शास्त्री ने क़बूल किया है कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र नीति से हुये। इस तरह की बातों के कहने से कोई लाभ नहीं है। हमें जो वास्तविक बातें हैं उनके आधार पर, यथासंभव मिलजुल कर देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिये। इससे कुछ काम नहीं चलता है कि जब किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो कहा जाय कि ऐसा नहीं होना चाहिये। कोई भी सरकारी नौकर जब तक सरकारी नौकरी में रहता है वह बुरा है, जितने बुरे शब्द कहे जायं ठीक है। लेकिन जब वह सरकार को धमकी दे या छोड़कर चला जाय तो उससे अच्छा साधू संत और कोई नहीं है। इस तरीक़े से देश का संचालन करने में कठिनाई हो सकती है। इस तरह की बातें जो करते हैं उनको समझ लेना चाहिये कि इस लोकतंत्रवाद के देश में ऐसे मजबूत पाये होने चाहिये जो किसी के लिये भविष्य में कोई आशंका न हो, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये।

जब जनता के सहयोग से "man powermobiligations eek" मैन पावर मोबीलाइजेशन वीक मनाया गया और उसमें लाखों काम जनता के पूर्ण सहयोग से किये गये तो हमारे यहां के एक सदस्य कहते हैं कि यह तो बेगार होती है और जब जनता सहयोग देती है तो कहा जाता है कि यह सहयोग नहीं है, जब्र है।

मैं जानता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से हिदायतें निकली थीं कि इस मैन पावर मोबीलाइजेशन वीक का विरोध करें, इसको चलने न दें और इसमें सफलता न हो। इस पर नजर रखें कि जितने भी काम किये जायं वह रोके जायं या सब कामों में बुराई बतलाई जाय। इनसे ऐसी आशा करना कि वह किसी बात को सही ढंग से देख सकेंगे या करना चाहेंगे तो यह आशा पूरी होने वाली नहीं है।

यहां पर कई मौकों पर आंकड़े भी दिये जाते हैं। मुझे खेद है कि आंकड़ों के संबंध में लोग बहुत अच्छी तरह से विचार या अध्ययन नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस होती है, एक विज्ञान होती है और उसको अच्छी तरह से देखभाल करके ही आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। मैंने अभी जो कुछ श्री कमलापति जी ने कहा उसके थोड़े से अंश को सुना। इस संबंध में नहरों के बारे में कहा गया, आबपाशी के बारे में कहा गया। मैं आप से

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कह सकता हूं कि मैंने बहुत गौर से देखा है और कह सकता हूं कि जितने आंकड़े वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दिये हैं उनम से एक एक पूरी तरह से सही है और कहीं भी कोई गल्ती नहीं है। यह कमलापति जी ने बतलाया और आपने देखा कि किस तरीक़े से एक छोटी सी बात के लिये कहीं आधी चीज़ देखकर और बाकी चीज़ को न देखकर किस तरह से भ्रम होता है।

श्री राज नारायण जी ने जो भाषण दिया उसमें आश्चर्यजनक बात मालूम हुई। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट सही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि श्रीमन्, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने नई ज़मीनों को तोड़ने के बारे में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि क़रीब २२ लाख एकड़ ज़मीन तोड़ी गई। श्रीमन्, मैं इसी के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर यह ज़मीन तोड़े जाने का जो सुनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वह कहां चला जाता है ?

श्रीमन्, मैं आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं। श्रीमन्, १९४०--४१ में जितने क्षेत्र में गेहूं, चना, बारले, ज्वार, बाजरा और मेज बोये गये थे यह १९४०-४१ में कुल ३६,५१३ हजार एकड़ था और ५०-५१ में यह ३५,३७६ हजार एकड़ था और ५१-५२ में ३५,७०० हजार एकड़ हुआ तो सरकार यह जो २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ेगी वह कहां गई। मुझे सवाल बड़ा अनूठा सा लगा। इसके क्या मानी होते हैं ? आप यह देखिये कि वह हजार के कोई मानी नहीं समझते। उनकी रीडिंग यह है कि ३०,५१३ एकड़ ज़मीन वह ३५,७०० एकड़ हो गई तो फिर वह २२ लाख का ब्योरा कहां रहा ? यह वह भूल जाते हैं कि ३०,५१३ हजार के मानी होते हैं ३,०५,१३,००० एकड़। इसी तरह से वह यह भी भूल जाते हैं कि ३५,७०० हजार एकड़ के मानी होते हैं ३,५७,००,००० एकड़। अगर ३,०५,१३,००० एकड़ में से ३,५७,००,००० एकड़ ज़मीन को घटा दिया जाय तो बचता है ५२ लाख। ५२ लाख के अन्दर क्या २२ लाख नहीं आती ! वह अगर करोड़ को हजार में रख जाते हैं तो उस पर क्या बहसमुबाहिसा किया जाय और क्या कहा जाय। इस तरह से अगर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाय तो बड़े ही विस्मित होने की बात होती है।

आगे चलिये तो आप देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों को गलत साबित करने के लिये आपने अपने आंकड़ों के बारे में प्रगाढ़ ज्ञान का दूसरा उदाहरण पेश किया। आपने कहा कि इसी तरह से नेट क्राप एरिया को देख लीजिये। सन् ४०--४१ में वह ३५,९८३ हजार एकड़ थी और ४१-४२ में ३५,५४५ हजार एकड़ थी। फिर उन्होंने और आंकड़े दिये। ४२-४३ में ३६ हजार ३६५ एकड़, इसी तरह से ४९--५० में ३८,२४३ हजार एकड़। ये सब उन्होंने दिये। तो उनके कहने के मुताबिक सन् ४०-४१ में नेट क्राप एरिया ३५,९८३ एकड़ था और ४९-५० में ३८,२४३ हजार एकड़ था तो उन्होंने कहा कि फिर यह २२ लाख एकड़ कहां से हुआ। आप देखिये कि यही उनका कहना है कि सन् ४०-४१ में कुल नेट क्राप एरिया ३ करोड़ ५९ लाख हुआ और ४९--५० में ३ करोड़ ८२ लाख हुआ। ठीक वही २२, २३ लाख का अन्तर इसमें आता है। लेकिन उनको करोड़ के बजाय हजार दीखे। करोड़ों का हिसाब सामने नहीं आया और हजार कह दिया गया। इसी तरह से और हिसाब लगाया। उन्होंने खुद अपने आंकड़ों को देख कर यह सब कहा और हाफिज साहब ने जो कहा उसका अनुवाद अलौकिक तरीक़े पर किया, जैसा कि और बातों में किया करते हैं।

तो इसका किस तरह से मेल मिल सकता है जबकि आप करोड़ों को हज़म कर के हजारों में कर दें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के मामले में फंसना अच्छा नहीं है। यह एक बहुत खतरनाक, नाजुक बात है। इससे तो अपने ज्ञान से बातें कहना अच्छा है। उसमें तो यह है कि जो चाहे कह दे कि हमने आसमान में दिन में पांच सूरज देखे, और किसी ने न देखा होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से बातें करने से कोई लाभ नहीं हो सकता और इस तरह की आलोचना से हम भी कोई फायदा नहीं उठा सकते

चाहे कोशिश करें भी । करोड़ों को हज़ारों में परिवर्तन कर देना तो बहुत दूर रहा, हमारी शक्ति के बाहर तो एक आंकड़े को भी बदलना है ।

फिर एक बात, मुझे खेद है कि एक डिप्टी कलेक्टर के बारे में फिर कही गयी । मैं आपसे कहता हूं कि वह इतना शर्मनाक केस है कि उसका ज़िक्र करना मुझे एक हिन्दुस्तानी की तरह अपना सिर झुकाने की बात होती है और उसकी चर्चा फिर भी इस हाउस में की जाय यह बड़े दुःख और क्षोभ की बात मालूम होती है । किसी शख्स को सन् १९४४ में डिसमिस किया गया और उस वक्त के पब्लिक सर्विस कमीशन के मश्विरे से किया गया, फिर उसके बाद सन् १९५० में फिर उसको डिसमिस किया गया और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिये किया गया । यह सदन हमेशा बैठता रहा । दो दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का मश्विरा लिया गया और आखिर में यह कहा गया कि जो अब ऐडवोकेट जनरल हैं उन्होंने उसकी सिफारिश की, यह कहा गया कि बनारसी दास जी ने की । तो आखिर इससे क्या साबित होता है ? साबित यह होता है कि चाहे सारी दुनिया सिफारिश करे कोई काम नहीं किया जायगा जबतक कि वह सही नहीं है । इसलिये चाहे कांग्रेस के सदस्य सिफारिश करें चाहे कोई दूसरा सिफारिश करे मगर जो सही बात है, वह की जायगी, जो सही नहीं है वह नहीं की जायगी । और जब यह वाक़या हुआ तब भी इस सदन में बहुत से सदस्य विरोधी दल के बैठे रहते थे । वह कम समझ-बूझ नहीं रखते थे मगर उन्होंने ऐसी ख़तरनाक बात नहीं की कि जो इस विषय के बारे में एक भी सवाल यहां उठाया हो । वर्षों के बाद यह समझा जाता है कि पुरानी बातें वहां के लोग शायद भूल गये हों । इस क़िस्म के शर्मनाक जो गड़े हुये मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जाय जिससे एक शर्मनाक शक्ल फिर देखने में आये यह कहां तक अच्छी बात है । मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई डिसिप्लिनरी ऐक्शन ऐसे केस में न लिया जाता तो हमारे लिये एक शर्मनाक बात होती और मुझे आज शर्म है इस बात की कि इस क़िस्म की बातें फिर हाउस में उठाई जायं बावजूद इसके कि जब पूरा किस्सा बतलाया जा चुका है और कुछ सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं उन्होंने भी समझा कि बड़ी गलत बात की थी ऐसे शर्मनाक वाकये को इस सदन में उठा कर ।

श्री राजनारायण--सी० डी० पांडे जी का खत हमारे पास है आपके पास भेज दूंगा ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किसी का भी हो आप सबको भेज दीजिये । मुझे आपकी बात की कद्र किसी दूसरे से कम नहीं है । मगर मैं आखिर विवेचना रखता हूं । मैं सब मामले को देखता हूं चाहे किसी पांडे का हो, चाहे किसी शास्त्री का हो या चाहे किसी लाल का हो चाहे कोई भी हो जो मेरी समझ में बात नहीं आती उसे अपनी अक्ल के खिलाफ कर नहीं सकता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मैं नहीं यह चीज़ ऐसी है कि जिसे किसी भी आदमी के सामने आप रख दें । दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कह सके कि इस शख्स को सर्विस में रखा जाय । यह ऐसी बात ह कि एक भी मिसाल किसी मुल्क में हुई हो तो वह उसके लिये बड़े शर्म की बात है । मैंने डिसिप्लिनरी केसेज सैकड़ों किये मगर इतना शर्मनाक केस आज तक मेरे सामने नहीं आया । और एक दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहांतक सामूहिक बातों का ताल्लुक है वह इस सदन में उठायी जा सकती है लेकिन जहां तक व्यक्तिगत सरकारी मुलाज़िमों का मामला है क्या इस सदन के सामने सारी शहादत आती है क्या वह सारे मामले की देख-रेख कर सकता है ? और एक खतरनाक बात है सर्विसेज़ के लिये और उनकी लायल्टी के लिये कि यहां उनके व्यक्तिगत मामले उठाये जायं ।

उनकी लायल्टी स्टेट के लिये होनी चाहिये । उनके कायदे बने हुए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सहायता नहीं देनी चाहिये क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर लोग उनके मामलों में दिलचस्पी लेंगे जिनको कि उनके मामलों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि जैसे राजनारायण जी धोखे में आ गये वैसे ही जो जितना धोखेबाज

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

होगा वह उतना ही ज्यादा मिसलीड कर सकेगा। इसलिये जरूरत है कि व्यक्तिगत मामलों से हम अपने आपको बचायें और जो बातें बुनियादी तौर पर सही हों उनको किया जाय।

यहां कहा जाता है कि मुलाजिम अपने कामों को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, वह इस वक्त सर्विसेज के लिये ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना कि सारे सरकारी मुलाजिमों को काले ब्रुश से रंग दिया जाय किसी के लिये फायदेमंद न होगा। विदेशी लोग यहां से चले गये और स्वदेशी यहां हैं। जब तक सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति रहे तब तक तो वह बेकार है वह लोगों को सहयोग भी नहीं देता, ईमानदार भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह नौकरी को छोड़ देता है तो उसकी सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं और फिर उसकी ओर से कहा जाता है कि उसके साथ अन्याय किया गया था, उसकी तारीफ बघारी जाती है। कहा जाता है कि यह सरकार बड़ी खराब है कि उसकी बात को नहीं माना जाता है। इस प्रकार से कोई भी शासन कैसे चल सकता है? यह भी मान लिया जाय कि सरकारी नौकरों में कमियां हैं, मुझमें भी कमियां हैं, उधर कमियां न हों तो वह दूसरी बात है लेकिन हम में कमियां हैं। लेकिन उन कमियों के होते हुए भी हमें उनको कम करने की कोशिश करना है। अगर सिर्फ ड्रेनेज के इंसपेक्टर की रिपोर्ट ली जाय तो दुनिया में कोई जगह साफ नहीं मिलेगी सब जगह भलाई-बुराई होती है। सरकारी मुलाजिमों का एक नमूना देखिये। मेन पावर के काम के सिलसिले में उन्होंने फावड़ा और कुदाली लेकर मामूली से मामूली आदमी के साथ हाथ मिलाकर काम किया। इसके अलावा और जगह जहां जहाँ हमारे यहां के आदमी गये हैं उन तमाम स्टेट्स ने यह माना है कि हमारे यहां की सर्विसेज में सेवा का भाव है और इसी सेवा भाव से प्ररित होकर हमारे देश का हित हो सकता है। उनमें जो कमियाँ हैं, रिश्वतखोरी है तथा और और गलत बातें हैं उनको दूर करने का उपाय हमें करना है। लेकिन अच्छी बातें न कहकर केवल दुत्कार देना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यह कहना कि इस जमाने में सब बदल जाना चाहिये था तो हम तो बदल नहीं पा रहे हैं यह जमाना डेमोक्रेसी का होते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ने की जो आदत थी वह कायम है। कोई आदमी कुएं में गिर गया था उसको निकालना था, नीचे कुएं में रस्सी डाल कर निकाला गया। दूसरा आदमी पेड़ पर चढ़ गया। कहा गया कि इसके पैर में रस्सी बांध दो और एक झटका दो वह नीचे उतर आयेगा। इस कुएं में गिरने और पेड़ पर चढ़ने में बड़ा फर्क है। अब जमाना है जब कि हमें यह समझना चाहिये कि हम सब मिल कर भाईचारे से काम लें और सरकारी मुलाजिमों की जो कमियां हैं, उनको दूर करें।

कहा गया कि अस्पतालों की कमी है, स्कूलों में कम खर्चा किया गया है। मैं मानता हूं कि मेडिकल में हमें अधिक खर्चा करने की जरूरत है। आज हमारे ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनके पास मकान नहीं है। आज भी हमारे अस्पतालों में दवा पूरे तौर पर नहीं दी जा रही है, हमें इन कमियों को पूरा करना है और अस्पताल और स्कूलों को खोलना है। सब कमियों को दूर करना है परन्तु हमें सोचना यह है कि कैसे करें? हमने पांचसाला का प्लान बनाया, उस प्लान के द्वारा हम कुछ आर्थिक सुधार करना चाहते हैं, अपनी माली हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं जिससे जितने भी समाज-सेवा के कार्य हैं, एजूकेशन मेडिकल रिलीफ या और-और जितने भी तरीके हैं उन सब से हम लोगों की सेवा कर सकें। मगर जब तक कि उसके साधन न हों सरमाया न हो वह कैसे चले? प्लान के माने प्रायरिटी होता है इस वक्त प्रायरिटी किस चीज को दें? बेकारी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है और अपने देश को, प्रदेश को इस लायक बनाना है कि हम यहां रुपया इस काम के लिये जमा कर सकें कि जिससे हमारे यहां अस्पताल भी हों, जिससे हमारे यहां स्कूल भी हों, जिससे और भी जो जरूरी काम हैं वे सब हो सकें। जहां तक कि हमारे यहां के सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिये मैं मानता हूं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको हम जहां तक

हो सके, अधिक वेतन दें। मगर छोटे वेतन वाले भी इस बात को जानते हैं कि उनके मुकाबिले में उन्हीं के भाई बन्द जो उनके घरों में रहते हैं उनकी अवस्था उनसे ज्यादा बदतर है। इसलिये जब हमें उनकी हालत को बेहतर बनाना है तो सरकारी मुलाजिमों की हालत को सुधारने के लिये उन साधनों को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है, और उसके लिये उन साधनों को करना हैं। जो हमारे यहां डेवलपमेंट स्कीम्स हैं अगर उनके जरिये हम अपने देश की पैदावार को बढ़ावें और उसका एक हिस्सा भी खर्च करें जिससे जल्द से जल्द विकास कार्य बढ़े तो समाज की सेवा का कार्य करने के लिये काफी गुन्जाइश हो सकेगी। उसके लिये जाहिर सी बात है कि सब काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो गरीब देश हैं वहां गरीब आदमी सब काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। पहले जो भूखा है उसके खाने के लिये पूरा करना है। आज जानते हैं कि बाहर से अनाज मंगाने में ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, हमारे यहां गल्ले की कमी है और उसके लिये टैक्स-पेयर को पैसा देना पड़ता है। जब तक लोगों के लिये खाने को नहीं हो तब तक और कोई बात नहीं सोच सकते। इसलिये उनके अन्त करने में हमें लगना है। प्लानिंग की जो बात कही गई है कि हम पैदावार बढ़ावें, हम नहरों को बढ़ावें, हम खेती को बढ़ावें, हम स्कूल को बढ़ावें, सब बढ़ान के लिये तो कह दिया जाता है लेकिन उनको बढ़ाने के लिये जो दूसरे साधन हैं वे क्या हैं और कैसे इनको बढ़ाया जाय? जब इसका प्रश्न उठता है तब आंखें भी बन्द हो जाती हैं, कान भी कुछ बहरे हो जाते हैं और मालूम होता है कि सब तरह की ज्यादती, जब्र और जुल्म, यही दीखने लगता है। तो फिर यह चीज कैसे सम्भाली जाय, तराजू का पल्ला कैसे चले? इस सवाल को भी सामने रखकर आपको काम करना है।

फाइनेन्स कमीशन की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में निकली है उसको देखने से मालूम होगा कि उसमें उन्होंने दिखलाया है कि हमारे प्रदेश की जो आमदनी है वह बहुत कम है, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे इन्कम टैक्स की हो। यह सन् ५२–५३ का फीगर है। आसाम में पर हेड रेवेन्यू ११.२, बम्बई में १८.१, पंजाब में १३.५, मद्रास में ११.३, सौराष्ट्र में २१.३, और यू० पी० में ९.७ है। टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटा आसाम में ५.१, बम्बई में १०.४, मद्रास में ६.८, पंजाब में ६.१, मध्य भारत में १०.१ और यू० पी० में ५.१ है। अगर इन्कम टैक्स को मिलाकर देखा जाय तो आसाम में ६.८, बम्बई में १३.३, मद्रास में ८.४, पंजाब में ८.३, यू० पी० में ६.५ और हैदराबाद में ११.२ है। इसी तरह से टोटल टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटल आसाम में ६.४, बम्बई में ९.४, मद्रास में ६.७, यू पी० में ४.३, पंजाब में ६.४ है। यह सन् १९५१–५२ का फीगर है। इस तरीके पर हमारी आमदनी कम है, हमारे यहां टैक्स रेवेन्यू कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन कामों के लिये अपने दिल से बहुत रुपया लगाना चाहते हैं उनके लिये गुन्जाइश नहीं निकाल सकते हैं। उनकी गुन्जाइश निकालने का क्या तरीका है? सिर्फ यह कह देना कि इस चीज में कमी है इस तरह से नहीं हो सकता। उन कमियों को कैसे पूरा किया जाय, यह सवाल आता है। उस सवाल के लिये हमको सोच समझकर काम करना है और यह भी देखना है कि आज हम किसी खर्चे को बढ़ावें नहीं। जो काम रुक सकता है उसको रोकें और जो जरूरी है, और जो जरूरी खर्चा है उन सब को इस पैदावार को बढ़ाने के लिये डेवलपमेंट के कामों में लगावें। ऐसी हालत में तनख्वाह बढ़ाने की गुन्जाइश नहीं होती और दूसरे खर्चों को भी करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर कहा जाता है कि जो ज्यादा तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय। कुल खर्चा जो ५०० रुपया से ऊपर वाले लोगों के लिये होता है वह इस ७०,८० करोड़ के बजट में १ करोड़ १७ लाख आता है। उस १ करोड़ १७ लाख में अगर ५ फीसदी कम करें तो ६ लाख कम होता है और अगर १० परसेंट कम किया जाय तो १२ लाख कम होता है। क्या इससे कोई काम आपका बन सकता है और उससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं? फिर आप यह भी जानते होंगे कि हमारे प्रदेश में सरकारी मुलाजिमों को जो तनख्वाह जाती है वह सेंटर में जो तनख्वाह दी जाती है उससे कम है। हमारे यहां से अफसर सेंटर में लिये जाते हैं और वहां उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है। वहां उनको डियरनेस अलाउन्स २ हजार तनख्वाह पर भी मिलता है हमारे यहां ४५० रु० की तनख्वाह तक मिलता है और इसके आगे नहीं मिलता है। पोस्ट आफिस में जो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

चपरासी काम करता है उसको हमारे यहां से ज्यादा तनख्वाह मिलती है । ऐसी हालत में आपको देख लेना चाहिए कि इसमें कहां गुन्जाइश है कि इससे और कम किया जाय? इसलिये सारी बातों को देखते हुए हमें नतीजा निकालना है और नतीजा निकालकर हमें काम करना है।

आज हमारे यहां अध्यापकों की बात कही जाती है । यहां सदन में भी बहुत से सदस्यों ने कहा । मैं उनकी भावना की कदर करता हूं और अध्यापकों के साथ सहानुभूति होना स्वाभाविक है । हम भी कभी शिष्य थे और हमारे भी अध्यापक थे । इसलिये हर एक आदमी कभी न कभी विद्यार्थी रहा है और अध्यापक के लिय हर एक के हृदय में सहानुभूति होती ह। जहां तक इस सदन के विचारों का सम्बन्ध ह उनके साथ पूरी हमदर्दी है और उसी तरह से उनको सहानुभूति दिखाना ह और हमको सदन के विचारों को सामने रखकर काम करना ह । अध्यापकों को मालूम होना चाहिए कि सदन में सदस्यों की सहानुभूति उनके साथ है और इस बात को समझकर उन्हें जो सदस्य सहायता पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उनके काम को और असम्भव नहीं बनाना चाहिए । इससे उनका लाभ नहीं हो सकता ह । जो कुछ भी उनकी बातें ह उन्हें हर एक देखना चाहता है । इस बात के लिये मैं समझता हूं कि एक तरह से उन्होंने गलत रास्ता तो अख्तियार नहीं किया जो कि अपना इस्तीफा नहीं दिया । अगर वह ऐसा करत तो उनके साथ भी शायद इस सदन के किसी सदस्य की सहानुभूति न होती । परन्तु जो कुछ भी तरीका उन्होंने अपने सामने रखा ह वह कोअर्शन का तरीका है चाहे वह कोई उन्हें अपने ऊपर कष्ट उठाने का ही जरिया हो । वह उनका तरीका कोई अच्छी बात करने वाला नहीं ह । यहां सदन के सदस्य उनके साथ हमदर्दी रखते हैं । उनको स्वाभाविक रास्ता और अपने को उस काम क करने वाला बिना इस प्रकार का रास्ता पकड़े हुए अपनी कर्तव्यपरायणता को देखकर उस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए जो उचित और सही ह, नहीं तो वह जानते हैं कि आखिर शासन का काम यह नहीं कि कोई कठिनाई पैदा हो । आज हम भी उनकी सहायता करना चाहत ह परन्तु समझना चाहिए कि आज हमारी भी बहुत सी कठिनाइयां हैं । क्या हमारे लोग जिनको यहां पर कम वेतन मिलता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर उपवास करेंगे ? इसलिये कि इस प्रदेश में जो व सेवा का कार्य करते थे उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है उसमें वृद्धि होना चाहिए इस वजह से हम गवर्नमेंट आफ इंडिया क यहां आय चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया क नीचे इस प्रदेश की गवर्नमेंट है हमें उपवास करना चाहिए और हमें हड़ताल करनी चाहिए ? इस तरह से यहां प्रदर्शन होते हैं ऐसी बातें होती हैं । और अगर यही रवैया रहा तो बड़ी मुश्किल होगी यह हमें समझना चाहिए । हमारे क्षेत्र बंटे हुए हैं, कुछ काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करती ह, कुछ प्राविन्शियल गवर्नमेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती ह इस तरह से हरएक अपने अपने क्षेत्र में अपना कर्तव्य करते ह और हरएक की एक दूसरे स सहानुभूति रहती ह और हर एक दूसरे को अपना सहयोग देना चाहते ह । हमने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को मदद देने की कोशिश की और उनको इस काम के लिये कर्जा भी दिया और कुछ ग्रांट भी दी, और अब भी हम कुछ मदद करना चाहते हैं । लेकिन यह समझना चाहिए कि इस तरह से काम इस ढंग से करने से कोई अच्छे तरीके नहीं निकल सकते ह इसस तो खामख्वाह उलझन ही पदा होती है। अगर हमार ही जो वैतनिक अधिकारी हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर धरना दें, हमारे पियन, चपरासी, अर्दली या पटवारी वहां जाकर प्रदर्शन कर कि हमें यहां तकलीफ है और इसलिये आप के यहां जाकर हम प्रदर्शन करते हैं तो यह कहां तक उचित हो सकता है ? मेरे ख्याल से यह चीज बहुत ही गलत होगी और उसकी तुक ही क्या है और इस तरह से मरने से फायदा ही क्या है ? क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मदद देना ही गुनाह है ? अगर मदद देने से ही यह जिम्मेदारी पैदा होती है कि दूसरों के कामों को रोक कर यह किया जाय तो वह ख्याल सही नहीं ह । इसलिय हमें सही ढंग स काम करना चाहिए । अध्यापकों के साथ सबको सहानुभूति है और कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे कि उनका दुख और दिक्कतें दूर न हों ।

हमें अपनी प्लान को चलाना है और उसके लिये सारे देश ने और हमने एक गम्भीर तरीके से संकल्प किया है और एक तरह से प्रतिज्ञा की है और उसी के साथ-साथ और जो जरूरी काम हैं उनको भी पूरा करने के लिये यत्न करना चाहिए। मैं ज्यादा तफसील से उसके बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मौका उसकी तफसील में जाने का नहीं है। मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि हमें सही ढंग से काम करना चाहिए। हमारा स्वतन्त्र देश है और यहां इस तरह की भूख हड़ताल और दूसरी चीजें कोई प्रशंसनीय तरीका किसी बात को सुलझाने का नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे की अवस्था को समझ कर, सब के सहयोग से दिक्कतों को हल करने की और नतीजों को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी नीति पर चल कर हमारी कठिनाइयां हल हो सकती हैं लेकिन ऐसी चीजें करने से कोई नतीजा निकलना असम्भव है। मैं आपसे यहां कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता।

यहां पर कुछ टैक्सेज की बात कही गयी, कुछ सेल्स टैक्स की बात कही गयी। हमारे यहां का सेल्स टैक्स सबसे हल्का सेल्स टैक्स है। हमारे यहां वह तमाम चीजें जिनका सम्बन्ध गरीब आदमी से है और जिनकी उसको जरूरत है वह सब सेल्स टैक्स से बरी हैं और गरीबों को उन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। सेल्स टैक्स नमक, खाने का सामान, आटा, किरोसिन, सीरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आदि पर नहीं है। मद्रास में सिर्फ खाने की चीजों पर जो सेल्स टैक्स लिया जाता है उसकी आमदनी ६ करोड़ रुपया है और जिस पर हम वहां एक पाई भी नहीं लेते हैं और जिसके ऊपर हम लेने के बजाय करोड़ों रुपया लोगों को खिलाने में खर्च करते हैं और दूसरी चीजों पर भी हमने उसको छोड़ रखा है। शकर की कीमत पहिले से ५,६,४ रुपया मन घट गई है। अगर उस पर सेल्स टैक्स लगाते हैं तो उसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, २ पाई से १० आने मन बढ़ती है। इसलिये अगर कोई सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय तो उससे यह समझना कि उससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा मुनासिब नहीं है। गरीबों के लिये जो कुछ भी हमने किया है हम कह सकते हैं कि हमारी हमदर्दी किसी भी सदन के सदस्य से उनके साथ कम नहीं है और उनसे जो कुछ भी सेवा हमसे हो सकती है उसको करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और हम उसके लिये योजना भी बनाते हैं।

यह भी कहा जाता है कि पैदावार का ठीक डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है। कौन से डिस्ट्रिब्यूशन की बात कहते हैं आप जो डेमोक्रेसी या सोशलिस्ट समाज के लिये अहितकर है? जमींदारी अबालिशन हो गया, रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया, बिजली की कम्पनियों को अधिकतर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और जो कुछ थोड़े से बड़े बड़े कारखाने हैं उनका संचालन भी हमारे अधीन होता है। जो काम हम करते हैं जिनके दो चार खेत हैं उनको हमारा पानी जाता है, वह फसल पैदा करते हैं हम उनसे आबपाशी लेते हैं, बांध बनाते हैं उनके तमाम काम करते हैं तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौन से डिस्ट्रिब्यूशन में खराबी हो रही है?

आबपाशी के रेट्स बढ़ाने के बारे में भी यहां कहा गया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आबपाशी लेना कोई टैक्स नहीं है यह जो पानी के बदले में जो अधिक पैदावार होती है उसमें से हम उससे कुछ लेते हैं। अगर हम एक ही किस्म के दो खेतों का मुकाबिला करें जिसमें से एक में आबपाशी हो और दूसरे में न हो तो आबपाशी वाले खेत में कुछ ज्यादा पैदावार होती है, तो वह ज्यादा पैदावार जो होती है उसमें जनता का भी अधिकार है क्योंकि जनता के रुपये से ही हम सब वह नहर कुएं वगैरह बनाते हैं। उनसे जो पानी मिलता है उसका वह परिणाम है, उसी की बदौलत उसमें ड्योढ़ी पैदावार होती है। एक तरह से जो इर्रीगेशन की नेशनल इन्डस्ट्रीज है उसके द्वारा उस किसान का लाभ होता है तो यह भी उसके साथ लाजिमी और उचित है कि उसका फायदा कम्यूनिटी को भी मिले, यह बिल्कुल जस्टीफाइड और न्यायोचित है। यह एक तरह से अगर देखा जाय तो किसी पर टैक्स नहीं है। जो आबपाशी से १० मन पैदा करता है उसके साथ उसे कम्पिटीशन करना पड़ता है। उस बेचारे को न तो पानी मिला और उससे ज्यादा मेहनत करके कम पैदावार मिली और फिर वह उससे नुकसान में रहा इसलिये कि दूसरे नेशनलाइज्ड इर्रीगेशन की है। यह उसके

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

साथ इन्साफ की बात नहीं है। इसलिये अगर आप उसको बिलकुल इक्विटेबिल तरीके पर दे दें, एक डिस्पैशनेट तरीके पर दे दें तो आपको मालूम होगा कि इससे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब भी जो आबपाशी करायेगा उसको फायदा होगा। अगर आप आबपाशी करने दें तो आज भी ऐसे लोग हैं जो इससे भी दूना टैक्स देने के लिये तैयार हो जायेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर अपने बैल रखें, और खुद पानी खींचे और फिर वह आबपाशी करे, तो उसका कितना खर्च होता है। लोग कहते हैं कि यह तो ठीक है, मगर बैल की कीमत ६ गुनी हो गयी। वह जो रहट काम में लाता है उसकी कीमत भी ६ गुनी हो गयी, जो मजदूरी देता है वह भी ६ गुनी हो गयी है। गरज यह है कि जो आबपाशी आदमी सरकारी नहीं करता उसको ६ गुना पहिले से कीमत देनी पड़ती है और पहिले ही दुगुनी थी लिहाजा १२ गुनी हो गयी। अब थोड़ा सा इजाफा किया जाता है तो कहा जाता है कि बड़ा जुल्म हो गया। अगर सब चीज आप खुद पैदा करें तो ५ गुना खर्च करना पड़ेगा और जो कि नेशन की बनाई हुई एक इर्रीगेशन केनाल है उससे अगर उससे पानी लेने पर आप जो कुछ देते हैं वह जनता के हित में आता है, किसी के नफे में नहीं आता। तो वह बड़ी ज्यादती है, उसको देने में यह कैसे एक इन्साफ की बात हो सकती है। इसलिये अगर आप बुनियादी तरीके पर देखें तो यह कोई टैक्स नहीं है। यह जो कि एक अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट एक स्टेट की नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्री का प्रोडक्ट है, जिसका फायदा किसी खास व्यक्ति को मिलता है उस अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट का एक जुज वह नेशन को वापस देता है जो हर तरह से उसके लिये भी एक सन्तोष और शान्ति की बात होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम और भी लोगों को अगर मदद दे सकें तो न दें। आज तक हमने इसको नहीं बढ़ाया, मगर अब अगर आपको योजना बनाना है तो क्या करें? मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे किसान हैं, खेती है जिनकी, वह इसमें मदद देंगे ही जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह इसमें हर तरह से सहायता पहुंचायेंगे। गो कि उनको पैसा देने में बहुत अच्छा नहीं लगता, परन्तु मैं जानता हूं कि कृषक वर्ग में देश का प्रेम है, वह समाज के हित को देखते हैं, वह गरीबों की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उनमें देने की भी भावना है। इसलिये आप इन सब बातों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि चाहे लोग घबड़ावें भी, फिर भी किसी से कोई कोताही ही इस काम के करने में नहीं होगी। फिर आपको समझना नहीं होगा। फिर आपको समझना है कि अगर पानी का प्रबन्ध न किया जाय, अगर और तरीकों पर पैदावार न बढ़ायी जाय तो काश्तकारों को कितना नुकसान होता है? सूखा पड़ता है। करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, इसलिये कि वहां किसी तरह से लोगों को जीवित रखा जाय। वह भी तो उन्हीं को देना पड़ता है जो कि यहां खेती करते हैं, और तो कोई जरिया नहीं है। इसी तरह से पैदावार नहीं होती, लोगों को सब्सीडाइज्ड करके देना पड़ता है। तो जो कुछ वह देते हैं उसका एवज उनको भी मिल जाता है और उनको फायदा पहुंचता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको सब तरीके से देखकर बहुत न्याययुक्त समझा जायेगा और इसके बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होगी। हमारा यह भी विचार है कि जो वह इर्रीगेशन रेट लगाया गया है वह नाज की कीमत की शरह से चार्ज कर रहे हैं। जब ४ सेर का गेहूं बिकने लगेगा तो वह कम कर दिया जायगा। फिर आठ सेर का हो तो फिर कम कर दिया जाय। यानी पहले जो रेट किसी तरह के लागू थे, जो दो–तीन रुपये में मिल जाती थी वह आज १५-१६ और २० रुपये में मिलती है। तो ऐसी सूरत में जब सब चीजों की ऊंची कीमत हो गयी तो तो फिर यह जरिया जो पैदावार का करना है उसके लिये भी कुछ देना पड़ेगा। तो वह न्यायसंगत है, उचित है और उसके लिये किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इस सदन को इस बात का आभास होगा कि आपके प्रदेश ने जिसको कि आप में से हर एक आगे बढ़ाने के लिये उत्सुकता रखता है, यही जिसका एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिए हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि हम अपने प्रदेश की सब योजनाओं को सफल बनावें, यहां की पैदावार को बढ़ावें, जनता

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब चीजों को उनके सामने ले जा सकें। हम ऐसी स्थिति लाएंगे जिसमें कि यह वेलफेयर स्टेट पूरे तरीक़े से हो जाय। जिस दिशा में हमने क़दम रखा है उस दिशा में बढ़ते ही जायंगे, और जो भारत किसी जमाने में दूध और मधु की भूमि कहा जाता था और उत्तराखंड जिसका प्राचीनकाल से सर्वश्रेष्ठ खंड रहा है, उसमें सर्वोच्च हिमालय के शिखर पर, शुद्ध और पवित्र वायु और समीर में एक उत्तुंग मंदिर, ऊंचे आकाश में भारतमाता का बनाने में सहायक होगा और उसका रूप वहां से सबको प्रदर्शित करेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं इस ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं और यह अर्ज करता हूं कि अब पंत जी की तक़रीर के बाद इसकी जरूरत नहीं मालूम होती है कि मैं और वक्त लूं। उम्मीद करता हूं कि इस बजट के ऊपर जो काम आइन्दा साल में किया जायगा उससे हमारी इस स्टेट को पूरा पूरा नफा होगा और हमको उसके लिए सबका सहयोग हासिल होगा।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मौक़ा दें तो क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कुछ आकड़ों के बारे में.....

श्री अध्यक्ष--अभी फिर मौक़ा आयेगा।

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह द्वारा १८ व १९ फरवरी, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई प्रश्न किया जाता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य हुआ करता है। मैंने पिछले वर्ष ९ जून, १९५२ को एक प्रश्न किया था और माननीय अन्न मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया था कि इस प्रदेश में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह कहा जा सके कि अपने प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है। इस पर कुछ समाचारपत्रों ने उसकी टीकाटिप्पणी की और दूसरे दिन १० जून, १९५२ को माननीय अन्न मंत्री जी ने उस सदन में मुझे बड़ी डांट सुनायी और उन्होंने यह फरमाया था......

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि शान्ति रहे। जो लोग बाहर जाना चाहें वह धीरे धीरे शान्तिपूर्वक जायं तो अच्छा है।

श्री गेंदा सिंह--और मुझे व्यंगात्मक शब्द कहते हुये यह बताया कि भावी खाद्यमंत्री ने इस प्रश्न को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो उस गलतफहमी को पैदा करने की कोशिश तो नहीं की। मैंने तो केवल इतना जानना चाहा था कि इस प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है, कितना अन्न इस प्रदेश में पैदा होता है और कितना अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है ? लेकिन मुझे इसका उत्तर दूसरी तरह का मिला, जिससे अखबार वालों ने और पढ़े-लिखे लोगों ने उस पर आलोचना की, अन्न-मंत्री जी और मैंने भी आलोचना की। उसी जमाने में बजट की बहस चल रही थी। मैंने कहा कि प्लानिंग के सिलसिले में जब कोई आंकड़े अन्न मंत्री जी के पास मौजूद नहीं हैं कि कितना अन्न इस प्रदेश में पैदा होता है तो फिर प्लानिंग कैसे हो सकती है? इस वर्ष फिर मैंने यह प्रश्न किया। फिर मुझे १९ फरवरी को इस प्रकार का उत्तर दिया गया, "यदि इस प्रश्न का मतलब समस्त राज्य की आवश्यकता से है तो सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर उत्तर दिया जा सके ? यदि प्रश्न का संकेत केवल राशनिंग व्यवस्था से है तो राज्य में इसके लिए लगभग ७,५०,००० टन अनाज की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। हर वर्ष जितना अन्न राज्य में खरीदा जा सकता है उसके अलावा बाहर से मंगा कर कमी पूरी की जाती है। औसतन् लगभग २,००,००० टन की कमी पड़ती रही है।

इस पर मैंने माननीय पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब श्री बनारसी दास जी को फिर याद दिलाना चाहा कि १०, जुलाई १९५२ का माननीय अन्न मन्त्री जी का जो बयान है उसे भी आप स्मरण रखें। उसका स्मरण दिलाते हुए भी फिर हमको ऐसा उत्तर नहीं मिल सका

[श्री गेंदा सिंह]

जिससे हम लाभ उठा सकते या सदन लाभ उठा सकता कि इस प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है। तो इस पर यदि आपकी आज्ञा हो तो वह हिस्सा जो माननीय अन्न मन्त्री जी ने १० जुलाई को कहा था और यह बताया था कि मेरे पास सब आंकड़े मौजूद हैं और किसी वक्त भी सब आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं, लेकिन उसके इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपकी आज्ञा से उस हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं।

"अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस समय बहुत सी बातों का जो खाद्य समस्याओं के सिलसिले में कही गयी थीं, उत्तर देने की नहीं थी। मैं समझता था कि हमारी नई नीति की घोषणा के बाद इस प्रकार की आलोचनायें अब नहीं होंगी जिसमें अधिक उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। अब इस समय तो मेरे पास समय भी नहीं रह गया है जिसमें अधिक उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। उन बातों का उत्तर तो मैं जब अपने विभागों का बजट इस भवन के सामने उपस्थित करूंगा तब दूंगा। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि कल कुछ गलतफहमी समाजवादी पार्टी के "भावी" खाद्य मन्त्री ने इस भवन में कुछ आंकड़े पूछकर इस भवन के सदस्यों के सामने और बाहर की जनता के सामने उपस्थित करने की चेष्टा की। कल उन्होंने मुझसे कुछ आंकड़े पूछे और इस बात की जानकारी उपलब्ध करने की चेष्टा की कि सरकार ने कोई प्रान्त की या प्रदेश की जन-संख्या की ज़रूरतों की जांच करके कि कितने अन्न की आवश्यकता है, उसके आंकड़ भी उपलब्ध किये हैं? मैंने उत्तर में यह कहा था कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है और मैंने इस उत्तर के देने के समय ही यह कह दिया था कि इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं और वे जिस प्रकार से खाना खाते हैं और उनके खाने के तरीक़े और रहन-सहन में बहुत अन्तर है। इस तरह से यदि हम कोई आंकड़े इकट्ठे भी कर लें तो उनसे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। आज हमारे लिए कितने गल्ले की ज़रूरत है, कितनी गल्ले की कमी है, इस बात को जानने के लिए तो हमारे पास काफ़ी मसाला मौजूद है।"

यह माननीय अन्न मन्त्री ने जब इस प्रकार की बात कही तो मैं यह आशा करता था कि अब माननीय अन्न मन्त्री जी जिस पर इतना वाद-विवाद हो चुका है कि इतनी सफाई देने की आवश्यकता हुई थी, उनके पास यह आंकड़े अब उपलब्ध हो गये होंगे। मैं इसकी चर्चा न करता लेकिन आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि प्रदेश में आज भी लोग भूख से परेशान हैं। प्रदेश में आज भी चावल का अभाव है। अभी कुछ महीने पहले चावल का बाजार दो-तीन दिन के अन्दर ही १७ रुपये से २५ रुपये ३० रु० हो गया। उन इलाकों से चावल की खरीद शुरू की गई कि जो इलाके डेफिसिट हैं, जहां से चावल खरीदने से वहां की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके लिए एक एडजर्नमेंट मोशन दिया गया, वह मोशन डिस-एलाऊ कर दिया गया। तब फिर मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया। लेकिन उसके बाद भी बस्ती के जिले में तेंतरी बाजार और शोहरतगढ़ बाजार से चावल खरीद करके वहां की हालत ख़राब की जा रही है। इन प्रश्नों के पूछने का अर्थ यह होता है कि प्रदेश में कितन अन्न की आवश्यकता होती है जो प्रारम्भिक आवश्यकता मनुष्य के जीवन के लिए है, उसकी जानकारी सरकार को है या नहीं? अगर सरकार को जानकारी है तो सदन के सदस्यों को उसे बतावे और अगर नहीं जानकारी है तो उस जानकारी के लिए कोशिश की जाय। तो इसी मक़सद से यह प्रश्न पूंछे गये हैं। जब उत्तर नहीं दिया जाता है तो हम अन्धेरे में रहते हैं, सरकार अन्धेरे में रहती है। अभी आंकड़ों की बहुत सी बातें कहीं जा चुकी हैं। उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा कि वाक़ई क्या सरकार के पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं या देने में कोई हिचक हो रही है यह सब बातें सदन के सदस्यों को मालूम हो जायें।

अन्न-मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने अन्न मन्त्री के जिस भाषण का जिक्र किया और अभी उन्होंने उसके कुछ अंश को पढ़कर सुनाया, यदि थोड़ा उनके भाषण को आगे भी पढ़ने की चेष्टा करते तो मैं समझता हूं

कि उनको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाता। अन्न मन्त्री जी ने उस समय भी कहा था कि हमारे प्रान्त में खाद्यान्न की कितनी आवश्यकता है इसके लिये अलग से कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं किये गये और न हमारे प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों की आवश्यकताओं को जानने की कोशिश की गयी। साथ ही उन्हों ने यह भी कहा था और आगे चल करके बताया था कि हमको यह मालूम है कि हमारे प्रान्त के अन्दर कुल कितना अन्न पैदा होता है। उन्होंने यह भी बताया था कि सन् ४१ की हमारे प्रान्त की आबादी क्या है और अगर हम यह मान लें कि अर्बन एरिया में प्रत्येक व्यक्ति को १२ औंस अन्न की आवश्यकता है और रूरल एरिया में १६ औंस की आवश्यकता है और सन् ४१ की गणना के अनुसार ३० फ़ीसदी बच्चे हैं, और यदि खाद्यान्न की आवश्यकता के लिये हम उनको १५ फीसदी मान लें, तो इस प्रकार से ८५ फीसदी आबादी के लिये हमको १२ औंस शहर के लिये और १६ औंस देहात के लिये आवश्यकता है। तो उसमें उन्होंने यह बतलाया था कि हम उन आंकड़ों का मुक़ाबला करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सन् १९४३-४४ में हमारे शहरी और देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या ५ करोड़ ६४ लाख थी। उस ५ करोड़ और ६४ लाख जन संख्या में ३० फीसदी बच्चे भी शामिल हैं। इस प्रकार से यदि उन ३० फ़ीसदी बच्चों को हम १५ यूनिट मान कर चलें तो क़रीब ८५ फ़ीसदी जनसंख्या १२ और १६ औंस के हिसाब से गल्ले को प्राप्त करती है। इस अनुपात से सन् १९४३--४४ में ७ लाख २८ हज़ार टन गल्ला हमारे यहां ज्यादा पैदा हुआ था। सन् १९४४--४५ में जब जन संख्या बढ़ गई तो वही गल्ला २ लाख ८० हज़ार टन हमारी ज़रूरत के अनुपात से कम पैदा हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे भाषण में हमारे प्रान्त के उत्पादन और हमारी आवश्यकता की ओर संकेत किया था। यह सही है कि उस रोज़ जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था उसका मतलब यह था कि हमारे यहां कितने अन्न की खाने के लिए आवश्यकता है। अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रत्येक फेमिली बजट को बनाना, उसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करना, इस प्रकार का कोई प्रयत्न सरकार की ओर से नहीं किया गया और जैसाकि अपने भाषण के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने बताया इस पर खर्चा करना आवश्यक भी नहीं समझा गया। तो मैं अब श्री गेंदा सिंह जी की जानकारी के लिए आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५१--५२ में हमारे तमाम प्रदेश में ८४ लाख ८२ हज़ार टन कुल अन्न पैदा हुआ था। यदि हम यह मान लें कि बीज के लिए दस प्रतिशत की आवश्यकता होती है, पांच फीसदी मवेशियों के लिए ज़रूरत होती है, ढाई फीसदी स्टोरेज के अन्दर नष्ट हो जाता है, कुल साढ़े सत्तरह फीसदी को काटकर जो अन्न हमारे प्रान्त के लोगों के खाने के लिए उपलब्ध होता है वह ७७ लाख ९० हज़ार टन है। तो यह हम दस साल के आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि यह हमारी आवश्यकता लगभग २·३५ लाख टन हमारे प्रान्त के अन्दर कमी की रहती है। उस रोज़ उत्तर में यही बताया गया था कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको लगभग दो लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं नहीं समझ पाया कि उसके लिए गेंदा सिंह जी को क्या आश्चर्य हुआ ? जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, तो कौन से आंकड़े उनको नहीं बताये गये ? दस जुलाई को भी उनको बताया गया और आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितना कुल अन्न पैदा होता है, उसमें साढ़े सत्तरह फीसदी को काट कर हमको इस प्रान्त के अन्दर प्रत्येक वर्ष लगभग २ लाख टन की आवश्यकता होती है। अभी आप ने बताया कि बस्ती के ज़िले में चावल सरकार की ओर से खरीदा जा रहा है, इसकी वजह से भाव बढ़ गये हैं। उनको मालूम होना चाहिये कि नैपाल के चावल को हमारे प्रदेश में आने पर पाबन्दी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को इस बात के लिए तैयार किया कि नैपाल से चावल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और नैपाल से जो हमारे प्रदेश में चावल आता है उसका अनुमान लगभग ६८ हज़ार टन का है और ट्रान्स राप्ती एरिया के अन्दर वह चावल आता है। गवनमेंट आफ इन्डिया ने इसी शर्त के ऊपर हमको इज़ाजत दी थी कि हम उनको अपने प्रान्त से

[श्री बनारसी दास]

चावल खरीद करके देंगे। तो अभी १९ फरवरी, १९५३ ई० तक बनारस रीजन के अन्दर कुल ५२७ टन चावल खरीदा गया है और १९ फरवरी तक हमारे तमाम प्रान्त से १७,९९६ टन चावल खरीदा गया है। सन् १९५१ में १,२४,००० टन, १९५० में १,५१,००० टन और १९४९ में १,२३,००० टन। तो देश के उन क्षेत्रों में जहां चावल की कमी है, बाहर से चावल बहुत ऊंचे दामों पर मिलता है, आवश्यकता इस चीज की थी कि हम उन प्रदेशों में चावल भेजकर मदद करें और हमें जो गेहूं की कमी होती है वह हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया से प्राप्त करके उसकी पूर्ति करें। मैं नहीं समझ पाया कि बनारस के रीजन में या बस्ती के ज़िले में जबकि ६० हज़ार टन चावल नैपाल से हमको प्राप्त होगा, उसमें से केवल ढाई हज़ार टन चावल प्राप्त किया गया है और बस्ती के ज़िले को और बनारस के रीजन की मदद की गयी है और वहां से अधिक चावल ले लिया गया है। तो आप देखेंगे कि इस समझौते से बस्ती और बनारस के रीजन को लाभ हुआ है। नेपाल का चावल हमारे इस प्रदेश को प्राप्त हो गया है और इसकी वजह से भाव के अन्दर कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह जो आशंका श्री गेंदा सिंह जी को इससे पैदा हो गई थी मैं समझता हूं कि इस उत्तर के बाद उन्हें संतोष हो जाना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। इस उत्तर के पढ़ने के बाद भी माननीय बनारसी दास जी ने मुझको एक उत्तर दिया था। उस उत्तर के बाद मुझे भ्रम होना स्वाभाविक था और इसलिये मैंने फिर आप से यह मांग की। एक बात मैं पहले भूल गया था और उसका जो बुरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा वह बुरा प्रभाव यह पड़ा कि यूनियन फूड मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले सितम्बर या अक्तूबर के महीने में कहा था कि इस वर्ष २८ लाख टन चावल यू० पी० में पैदा होने जा रहा है और २८ लाख टन चावल पैदा हो गया। उसमें से हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह भी क़बूल किया कि यू० पी० दो लाख टन चावल सेंटर को देगा। बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस मामले में दखल अन्दाजी नहीं करना चाहते हैं।

श्री बनारसी दास--यह नहीं कहा गया कि दो लाख टन चावल हम देंगे।

श्री गेंदा सिंह--यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी हो गयी। फिर भी यह तो अभी माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि वह दे रहे हैं, यानी खरीदे जो रहे हैं वह सेन्टर को देंगे। चावल की खरीद से हमारी हालत बिगड़ी और चावल की बाजार बहुत तेज हो गयी और वह एक जगह नहीं सारे प्रदेश में तेज़ हुई और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस तरह के प्रमाण हैं कि आज भी नैपाल का चावल जो माननीय बनारसी दास जी ने कहा, वह नेपाल का चावल नहीं ख़रीदा जा रहा है। यू० पी० का नैपाल के नामपर खरीदा जा रहा है। नैपाल के लिये बाज़ार मौजूद है, अगर नैपाल के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए फौज भरती की जा सकती है नौतनवा में, तो क्या हम नैपाल में जाकर के चावल नहीं ख़रीद सकते हैं? उसके लिये उस बाजार का क्यों नहीं उपयोग किया जाता जो नैपाल से बाहर पड़ता है। कतई नैपाल का चावल यहां नहीं आ रहा है। वह चावल उन अभावग्रस्त क्षेत्रों का है जहां कई करोड़ मन पिछले वर्षों में ए० पी० स्कीम के मुताबिक अनाज दिया गया था।

दूसरी बात जो हमारे सामने है वह यह है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, हम क्या बतावें कि वे क्या हैं। वे आंकड़े तो ब्रह्मा की रेखा हैं। वह हट नहीं सकते, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ६५ लाख २८ हजार टन सन् ५१ में पैदा हुआ। आवश्यकता जो हमारी है उसके सम्बन्ध में माननीय बनारसी दास जी जो बतला रहे हैं उससे मालूम होता है कि हमारा देश सरप्लस है और हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। लेकिन मैं उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता। मैं समझता हूं कि ८ आउंस या १० आउंस की बात जो वह करते हैं, वह गलत है। जो गांव का रहने वाला है उसे

ज्यादा अनाज की जरूरत है। जो सिम्पिल सर्वे की बात सारे देश में हो रही है वह कुछ और है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश में आंकड़ों के पंडित हैं, श्री जे० के० पांडे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि हमारे यहां पश्चिमी ज़िलों में लोग औसतन १३ छटांक खाते हैं और ९ छटांक देवरिया ज़िले के लोग जो सबसे कम खाते ह। तो अगर इस पर भी हिसाब लगाया जाय तो हमें एक करोड़ ४ लाख टन की जरूरत पड़ती है। अब १९५१ में ९५ लाख टन पैदा हुआ है। अगर यह बात सही है तो फिर यूनियन के फूड मिनिस्टर साहब ने जो १३ लाख फरमाया है क्या वह सही नहीं है। मैं यह ठीक नहीं समझता कि इन पचड़ों में पड़कर यू० पी० पिस जाय। यह ठीक नहीं है कि यू० पी० का चावल नेपाल के चावल के नाम पर खरीदा जाय और लखनऊ के लोग उसकी वजह से दुख भोगें और हम तो अभावग्रस्त क्षेत्र के हैं ही, हम तो भोग ही रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आंकड़ों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि यह बात बहुत साफ हो जानी चाहिये कि कितने अन्न की हमें आवश्यकता है, कितना अन्न हम पैदा करते हैं, यह सब मालूम होना चाहिये। क्या यूनियन के फूड मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वह सही है या माननीय बनारसीदास जी कहते हैं वह सही है, या सिम्पिल सर्वे जो है वह सही है, या यू० पी० में जो काटन सर्वे हो रहा है वह सही है, या पटवारियों के आंकड़े सही हैं ? इस घपले में हम किसी जगह पर नहीं पहुंच पाते और सही नतीजे नहीं निकाल पाते। इसलिये इसकी सफाई हो जाना अत्यावश्यक है।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने यूनियन के फूड मिनिस्टर का भी ज़िक्र किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है और यहां जो कुछ बतलाया गया है अगर आप उनको थोड़ा गौर के साथ देखें तो उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। उन्होंने चावल के बारे में जो बतलाया, वह उनका अनुमान था। जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है यदि आप १० साल के आंकड़ों को देखें तो उनके अन्दर ८ या १० फीसदी का अन्तर हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि खेती की पैदावार बहुत से कारणों पर निर्भर रहती है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि जैसे बहुत से कारण होते हैं लिहाजा जो अनुमान उन्होंने लगाया था यदि सारी स्थितियां अनुकूल होतीं तो इसमें संदेह नहीं है कि जितने चावल की पैदावार की आशा वह करते थे उतनी ही पैदावार यहां पर होती। आपने अभी कहा था कि मैंने कहा लेकिन मैंने तो यह नहीं निवेदन किया था कि हमारे यहां लोगों को ८ आउंस की जरूरत होती है। वह कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम। देहाती क्षेत्रों में १६ आउंस की जरूरत होती है और शहरी क्षेत्र के अंदर १२ औंस का अंदाजा लगाया है। हमारे यहां कितनी पैदावार होती है उसके आंकड़े मैं आपको बतला चुका हूं। बहरहाल उत्पादन विभाग द्वारा या कृषि विभाग द्वारा यह आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा व्यापारियों के पास स्टाक रहता है। यह एक अनुमान है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं पूर्णतया अक्षरशः सही है। उनके ५/७ परसेंट की गुंजायश हो सकती है। अभी प्रांत की आबादी आपको मालूम है, जितनी पैदावार हमारे यहां होती है वह आपको मालूम है और जितनी मवेशियों की आवश्यकता है, वह आपको मालूम है और जितने बीज की आवश्यकता होती है उसका परसेंटेज आपको मालूम है, उसके आधार पर मैं नहीं समझता हूं कि कौन सी दिक्कत है कि हमें यह पता न हो कि हमारी आवश्यकता क्या है। क्या आप चाहते हैं कि इसके लिये सर्वे कराया जाय और एक गणना ली जाय और जगह जगह पर जाकर सैम्पिल सर्वे की जाय। और जैसा कि पांडे जी का हवाला दिया गया है, मैं जानता हूं कि प्रांत में ऐसे भी आदमी हैं जो ढाई सेर रोज खाते हैं और ऐसे भी आदमी हैं जो २–३ छंटाक रोज खाते हैं। अगर ढाई सेर का अंदाजा लगाकर चलें तो मैं समझता हूं कि जितना उत्पादन बतलाया गया है उससे कई लाख टन की ज्यादा आवश्यकता होगी। औसत यह लगाया गया है। गालिबन तिवारी जी अपनी बात का अंदाजा लगा लेंगे। बहरहाल, यह औसत सही है कि देहाती क्षेत्र में १६ छंटाक और

[श्री बनारसी दास]

शहरी क्षेत्र में ६ छंटाक और यह सही मालूम होता है। इसके अन्दर दालें शामिल नहीं हैं और वह चीज शामिल नहीं हैं जिनसे उदर की पूर्ति होती है।

चावल के संबंध में जिक्र किया गया। उसके बारे में आपने कहा कि नैपाल में क्यों नहीं खरीदा गया। मैंने अर्ज किया नैपाल की तराई का हिस्सा मिला हुआ है और काफ़ी लोग वहां खेती करते हैं और नैपाल की तराई के लोग पहले वहां आकर मंडी में चावल बेचते थे, लेकिन नैपाल गवर्नमेंट न प्रतिबंध लगा दिया जिसकी वजह से बस्ती और देवरिया वगैरह के लोगों को तकलीफ होती थी। इसलिय प्रांतीय सरकार न केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह प्रतिबंध न लगाय। नैपाल की तराई में पैदावार अच्छी हुई है और क़रीब ६० हजार टन चावल हमारे यहां आयेगा और जो मैंने आंकड़े बतलाये हैं कि २ हजार ५०० टन चावल खरीदा गया है तो इसके साथ ही साथ यह आदेश दे दिये गये हैं। आप कहते हैं कि चावल का भाव २३ रुपये है। लेकिन हमने यह आदेश ज़िलों को दे दिये हैं कि यदि अनाजों के भाव बढ़ें तो २२ रुपये पर इम्पोरटेड व्हीट वहां लोगों को दिया जा सकता है और बनारस में लोगों की मदद करने के लिय अनाज मौजूद है, जो सस्ते दामों पर दिया गया था। तो मैं नहीं समझता कि फिर वहां किसी तरह की कोई आशंका हो सकती है। जिन परिस्थितियों में चावल खरीदा गया है आप उनसे मतभेद नहीं कर सकते हैं। केन्द्र को चावल देने की आवश्यकता है। मैंने यह नहीं कहा था कि हम १२ लाख टन चावल देंगे, क्योंकि आज हमारे यहां मोनोपोली प्रोक्योरमेंट नहीं है। जितनी मात्रा में हमें मिलेगा उतना ही हम देंगे और जितना ज्यादा हम देंगे उतना हमें मिल जायगा। इसलिये चावल वहां भेज देने से कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। इसलिये जो अभी आपने स्पष्टीकरण मांगा है, मैं समझता हूं कि इस उत्तर से वह साफ हो जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२५ फरवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—१०१ एल० ए०, १९५३—८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९५३ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करनसिंह श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री

मानधाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हक़ीम श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति

१--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने पद को कब छोड़ा ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--१० जनवरी, १९५३ ।

*२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय तक दूसरी नियुक्ति इस पद पर क्यों नहीं की गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है । नियमानुसार कमीशन के सीनियर मेम्बर इस समय चेयरमैन के पद का आवश्यक कार्य कर रहे हैं ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेम्बरों से सही ढंग से काम चल रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां ।

श्री भगवान सहाय--तो फिर क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरे मेम्बर को पर्मानेन्टली अलग कर देने के मसले पर विचार करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--पहले भी कई मौक़े ऐसे हुए जब कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और कामों में काफ़ी वक्त के लिये गये, मगर उनकी आरजी गैर हाजरी से कोई नुक़सान नहीं पहुंचा, लेकिन हमेशा के लिये अलहदा कर देना और किसी बात को थोड़े दिन के लिये अमल में न लाना दूसरी बात होती है ।

तारांकित प्रश्न

जिला अलमोड़ा के खनिज पदार्थ

*१--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलमोड़ा के बहुत से क्षेत्रों में लोहा, अबरख, शिलाजीत, तांबा, कोयला आदि चीजें निकलती हैं?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--ज्योलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि लोहा, अबरख और तांबा थोड़ी मात्रा में और कहीं कहीं मौजूद हैं। कोयले के विषय में कोई सूचना नहीं है। शिलाजीत भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है।

*२--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--यदि हां, तो क्या सरकार इन चीजों से सम्बन्धित उद्योग-धन्धों की वृद्धि के लिए कोई निश्चित क़दम रखने के लिए तैयार है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह खनिज पदार्थ इतनी थोड़ी मात्रा में और दूर दूर तथा दुर्गम स्थानों में हैं कि उनका विकास अभी तक आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं समझा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंन्डिया की रिपोर्ट कब की है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह असल में यह हुआ था कि यहां कुछ नमूने आये थे, उस पर ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को लिखा गया। उन्होंने सन् ५० से पहले उसका सर्वे किया। फिर सन् ५०-५१ के लिये लिखा गया कि उसका सर्वे किया जाय, लेकिन वह हो नहीं सका। ५२-५३ की स्कीम में फिर सर्वे के लिये लिखा गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार को विदित है कि तांबे और अबरख की खानों के समीप मोटर सड़क बन चुकी है और यह स्थान दुर्गम कदापि नहीं रहा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(१) जी हां।

जहां तक अबरख का ताल्लुक है वह कुछ हरे रंग का होता है इसलिये बहुत कारामद नहीं है। इसका नमूना कलकत्ता भेजा गया था, वहाँ इसका चार-पांच सौ रूपया प्रति मन तक लगा था। विचार किया जा रहा है कि इसका किस प्रकार विकास किया जाय।

राज्य में अंग्रेज कर्मचारियों की संख्या

*३--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सारे प्रदेश में कुल कितने अंग्रेज अभी भी सरकारी नौकरियों में अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अंग्रेज आफिसरों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ--पर)

*४--श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार इन विदेशियों को हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, अथवा करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने भारतीय शासन के अधीन नौकरी जारी रखी है और इनको केवल अंग्रेज होने के कारण हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको कितनी तनख्वाहें अलग अलग दी जाती हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हर एक को तनख्वाह अलग-अलग ही दी जाती है, उसके ग्रेड के मुताबिक।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ये अंग्रेज अभी तक जो नौकरियों में बने हुये हैं ये किसी समझौते के अनुसार हुये हैं या किस आधार पर ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ये पहले से नौकरियों में थे और उन्होंने नौकरी में रहना चाहा और उनको रहने दिया गया।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे ही पदों पर जो हिन्दुस्तानी रखे गये हैं उनकी और इनकी तनख्वाहों में कोई अन्तर है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जहां तक मैं समझता हूं कोई नहीं है।

*५--६--श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--

[देखिये आगे पृष्ठ १९२ पर]

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमा होल्डर्स

*७--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९४७ के २४ फरवरी के किसी जी० ओ० के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तीन Technica Institutes के Diploma holders को कुछ वर्षों के experience के बाद Class II Engineering Service के लिए योग्य माना था ? यदि हां, तो सरकार ने इसे कब बदला और क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, २४ फरवरी, १९४७ का जी० ओ० अब भी लागू है और उसको बदला नहीं गया है।

*८--श्री केशव पान्डेय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के तीनों राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर, झांसी और लखनऊ के Diploma holders को class II of engineering services के योग्य माना है ? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार को इसे मानने में क्या आपत्ति है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बता सकती है कि क्लास २ सर्विसेज को मानने पर भी लड़कों को सर्विसेज की कोई सहूलियत नहीं दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो जी० ओ० के अन्दर शरायत हैं अगर वे पूरी होती हैं तो फिर उनको औरों के साथ गौर किया जाता है।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बता सकती है कि गोरखपुर और लखनऊ के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के विद्यार्थियों की डिप्लोमा होल्डर्स में कोई अन्तर अब नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उसमें जहां तक है जो यहां से पास हैं और किसी रिकग-नाइज्ड फर्म में पांच साल काम किये हुए हैं उसके बाद अगर उनके पास भी क्वालिफिकेशन हैं जो इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स के लिये लागू हैं तो फिर कोई अन्तर नहीं रहता।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन शरायत के अनुसार गोरखपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में विद्यार्थी भर्ती होते हैं वैसे ही लखनऊ में भी ? फिर पढ़ाई में कोई अन्तर न होने पर भी कोई शर्त कहां से लाई जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जहां तक जूनियर स्केल का ताल्लुक है उसमें तो उसकी शरायत वही है जो बतलायी गयी कि वे पास हों और पांच साल काम किये हों और उसके बाद इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स के एक्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन्स उनमें मौजूद हों।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतला सकेंगे कि इन तीन टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमा होल्डर्स कितने आज तक सर्विस में रखे गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--सरकार ने प्रश्न संख्या ७ के जवाब में बताया है कि २४ फरवरी का जो जी० ओ० है वह अभी तक लागू है, तो उसके बाद जो और जी० ओ० हुए हैं वे पहली आज्ञा के खिलाफ पड़ते हैं तो क्या वे रद्द समझे जायेंगे?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो जी० ओ० के खिलाफ रखे गये हैं वे नियमानुसार गलत हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों इन्स्टीट्यूशन्स में टेक्निकल इक्विपमेंट तथा मशीनरी एक ही स्टैन्डर्ड की पढ़ाने के लिये रखी गयी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इन सब जगहों पर करीब करीब सब मशीनरी है। एक आध जगह कुछ कम है और कहीं कुछ ज्यादा। कहीं की मशीनरी नयी है और कहीं की पुरानी।

*९--श्री नारायण दत्त तिवारी--[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य को कपड़े पर लगाये गये सेस से आय

*१०--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने जो मिलों के कपड़ों पर ३ पाई प्रतिगज सेस लगाया है उसके उत्पादन में से हमारी प्रदेशीय सरकार को कितनी धनराशि मिलेगी या मिली है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मन्त्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि इस प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास अपनी मांग इस फन्ड से कुछ कोष पाने के लिये रखी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अभी तो यह फन्ड ही नहीं है जब हो जायगा तब उसके लिये कोई सवाल पैदा होगा।

*११--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार बतायेगी कि उस रकम को करघा उद्योग की उन्नति पर लगाने का विचार है? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना इस सम्बन्ध में बनायी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--प्रश्न नहीं उठता।

गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत योजनाओं के विस्तार

*१२--श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि साल के प्रारम्भ में गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत किन-किन योजनाओं को तोड़ने का निश्चय करके भी उनको पुनः पूर्ववत् चालू रक्खा गया और किनका विस्तार कम कर दिया गया और क्यों?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुछ योजनाओं के विस्तार को कम करने का निश्चय किया गया है। उनमें से खादी योजना पूर्ववत चालू रखी गयी है और गुड़ योजना का विस्तार कम कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी योजनायें हैं जिनका विस्तार कम कर दिया गया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--काटेज आइल स्कीम, हैन्ड पेपर स्कीम, लिनसीड फाइबर स्कीम और गुड़ स्कीम।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गुड़ योजना के उद्योग के अनुदान को कम करने का क्या कारण है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--गुड़ स्कीम कोई १५ साल से चालू थी और जिस उद्देश्य से वह चालू की गयी थी वह बहुत हद तक पूरी हो चुकी है इस वजह से कम की गयी।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के बजट में भी गुड़ योजना कम कर दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अभी तो इस साल का बजट आपके सामने पेश होगा, उसके बाद मालूम होगा।

*१३--श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले बजट सेशन के वक्त गुड़ उन्नति योजना को पूर्ववत चालू रखने के लिये मुख्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री ने आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उसका विस्तार कैसे कम कर दिया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--पिछले बजट सेशन के समय गुड़ उन्नति योजना को पूर्ववत् चालू रखने के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ?

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतला सकते हैं कि उनसे तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी से बाबा राघव दास तथा श्री गेंदा सिंह का एक डेपुटेशन गुड़ उन्नति योजना के सम्बन्ध में मिला था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतला सकते हैं कि गुड़ उन्नति योजना अब किन-किन जिलों में चालू है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह पूरब के १२ जिलों में चालू है ।

गणतन्त्र सप्ताह में श्रमदान

*१४--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गणतन्त्र सप्ताह में कितने आदमियों ने श्रमदान दिया और उनमें क्या कार्य हुआ ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)--गणतन्त्र सप्ताह में प्रदेश में लगभग २० लाख आदमियों ने श्रमदान दिया। सड़कें बनाई गयीं तथा मरम्मत भी की गयी। तालाबों को खोदा तथा गहरा किया गया। बन्धियां बनाई गयीं। कुंएं बनाये अथवा मरम्मत किये गये। नए पन्चायतघर तथा स्कूल की इमारतें बनानी शुरू की गयीं। इनके अतिरिक्त नालियाँ, पुलियां, पुल, खाद के गड्ढे, सोख्ते तथा गाँधी चबूतरे भी बनाये गये।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस सप्ताह में जो कच्ची सड़कें बनायी गयी हैं, क्या उनको कन्सोलिडेट करने के लिये मैटिरियल और सुपरविजन दिया जायगा ?

श्री फूल सिंह--जैसा कि मैंने कहा यह सब मामला विचाराधीन है। जहां तक हो सकेगा इन सब कामों को पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतला सकते हैं कि गणतन्त्र सप्ताह में अधिकारियों का कितना मार्ग व्यय हुआ है ?

श्री फूल सिंह--मार्ग व्यय तो देना तय नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो नोटिस देने पर बतला सकूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने रचनात्मक कार्य में विशेष दिलचस्पी ली है, क्या सरकार उनको किसी तरह से सम्मानित करना चाहती है ताकि और लोगों का भी उत्साह बढ़े ?

श्री फूल सिंह--जो लोग ऐसे काम में सहयोग देते हैं, उनको और मौका दिया जाता है ताकि वे और अच्छे काम अच्छी तरह से कर सकें।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं द्वारा जो नयी सड़कें बनायीं गयी हैं उनको नक्शे में दर्ज कराया जायगा ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या मन्त्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो सड़कें तैयार हो चुकीं हैं उनमें जहां जहां पुल नहीं बने हैं उन पुलों को शीघ्र बनाया जायगा ?

श्री फूल सिंह--उन पुलों को शीघ्र बनाने की कोशिश की जायगी।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस श्रम सप्ताह में जिन जिलों में सबसे अच्छा कार्य हुआ है उन जिलों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार दिया जायगा ?

श्री फूल सिंह--जी हां, जिन जिलों ने सबसे अच्छा काम किया है उनमें से पहिले पांच जिलों को इनाम दिया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन जिलों में श्रमदान करने की योजनायें ग्रामीण जनता ने प्रस्तुत की हैं तो उन जिलों में सरकार सर्वे करने का कुछ इन्तजाम करायेगी ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्रमदान को अनिवार्य कराने के लिये कोई बिल सदन में वह पास कराना चाहती है ?

श्री फूल सिंह--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

*१५--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या मुख्य मन्त्री गांवों में श्रमदान के बढ़ते हुए आन्दोलन का अधिक ठोस कार्यों में उपयोग करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है ?

श्री फूल सिंह--जी हां। यह विषय इस समय विचाराधीन है।

*१६--श्री झारखंडे राय--[१२ मार्च, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

* * * *

मेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के लिये क्वार्टर और दूकानें

*५--श्री मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ डिवीजन में सन् १९५१-५२ ई० में शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर और दूकानें बनीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उल्लिखित समय में मेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के लिये १,४१६ क्वार्टर बने।

*६--श्री मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों और दूकानों को बनाने के लिये जमीन की कीमत का तखमीना कलेक्टरों की ओर से सरकार के पास भेजा गया और बाद में जो कीमत चुकायी गयी उसमें काफी फर्क था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये लैन्ड एक्वीजीशन (भूमि प्राप्त करने का) ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन भूमि प्राप्त करने के लिये जमीन की कीमत का ऐसा कोई तखमीना कलेक्टर सरकार के पास नहीं भेजता है ?

श्री राम सुन्दर पान्डेय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५१-५२ में मेरठ डिवीजन में बने हुए शरणार्थियों के क्वार्टरों और दूकानों पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री दीन दयालु शास्त्री--(जिला सहारनपुर)--क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों में से बहुत से क्वार्टर बरसात में रहने के लायक तक नहीं रहते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--रहने के लायक तो रहते हैं।

अध्यापकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री राजनारायण जी ने भेजा है और वह अध्यापकों के सम्बन्ध में है। मैं श्री राजनारायण जी से इतना जरूर कहूंगा कि मैं इसकी तो अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि कल शाम तक तीन रोज से बराबर इस प्रश्न पर आय-व्ययक के संबंध में विवाद हुआ है। नियम ७० के ५ के अनुसार कोई भी बहस जो एक दफ़ा हो चुकी है उसको उस सेशन में रिवाइव नहीं किया जा सकता है। इतना प्रत्यक्ष नियम होते हुये विरोधी दल के नेता की हैसियत से इस तरह के इस नियम का जो कामरोको प्रस्ताव के संबंध में है, उल्लंघन करना मुझे समय का दुरुपयोग मालूम होता है क्योंकि वह विषय इतने शीघ्र ही फिर सदन में आता है। इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता और आगे के लिये भी मैं यह सूचना दे देता हूं, जिसमें सदन का समय बचाया जाय।

श्री जोरावर वर्मा द्वारा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा, कामरोको प्रस्ताव श्री जोरावर वर्मा का है। कहीं पर मार-पीट हो गई है वह उसके सम्बन्ध में है। इस प्रस्ताव में शासकीय कार्यवाही का इस विषय पर उल्लेख नहीं है कि शासकवर्ग ने क्या कार्यवाही नहीं की या क्या बात हुई। कहीं पर कोई झगड़ा हो या और कोई बात हो जाय तो घटना ही के ऊपर इस तरह से यहां कामरोको प्रस्ताव आना अनुचित है, जब तक कि यह मालूम न हो कि सरकार से उस घटना से क्या विशेष सम्बन्ध है और सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। ऐसी अवस्था होने पर ही सदन में उस संबंध में बहस उठाई जा सकती है। मैंने इसलिये यह स्पष्टीकरण दिया कि रोज़बरोज़ इस क़िस्म के प्रस्ताव अख़बारों को देखकर मेरे पास भेज दिये जाते हैं। अब आइन्दा मैं इसका उल्लेख भी यहां पर नहीं करूंगा और यदि इस क़िस्म के प्रस्ताव आयेंगे तो मैं उनका उत्तर सीधे माननीय प्रस्तावक सदस्यों के पास भेज दूंगा और इस सदन में उसका जिकर भी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रचारार्थ इस सदन का उपयोग नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)--मैं एक निवेदन इस सम्बन्ध में करना चाहता हूं कि अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में उनकी भूख हड़ताल का यह आज चौथा दिन है और इसके सम्बन्ध में कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि चूंकि उनकी हालत आज बहुत ख़राब है, इस सवाल को सदन में उठाया जाय और यह बहुत अहम मसला है, इस पर विवाद हो जाय और उनके लिये कोई व्यवस्था निकाली जाय, यह मेरा आशय था।

श्री अध्यक्ष--आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अन्दर आपने कई विशेष चीजें पूरी-पूरी दी हैं, जो हड़ताल के संबंध में हैं। आज उसमें कोई विशेष चीज़ पैदा हो गयी ऐसी बात नहीं है। उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है, यह मुझे दिखाई देता है। रोज एक घंटे या दो घंटे में स्थिति कुछ बदल जाय, यह सम्भव हो सकता है, किन्तु इससे कोई महत्व का मतलब नहीं निकलता है। भूख हड़ताल का घंटों में क्या परिणाम हो सकता है, सब को इसका अन्दाज़ा हो सकता है। इस विषय पर कल विचार हो चुका है। उस सिलसिले में फिर यहां पर विचार हो यह सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ कामरोको प्रस्ताव आना चाहिये और इसी दृष्टि से इसका यहां पर जिकर होना चाहिये नहीं तो इस क़िस्म के प्रस्ताव से इस सदन का बहुत समय नष्ट होता रहेगा।

वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य--ख--(स्थापना व्यय को छोड़कर)

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--माननीय स्पीकर महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखा शीर्षक १७,१८ और १९-ख के अन्तर्गत २,२८, १९,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज इस वर्ष बजट के इस अवसर पर अपने बजट के एक महत्वपूर्ण अनुदान को उपस्थित करने का अवसर मुझे पहले पहल यहां मिला है। आज ही इन अनुदानों के संबंध में इस आदरणीय सदन में जो विचार होने वाला है उसका श्री गणेश हो रहा है और इस आरम्भिक दिवस पर सिंचाई के संबंध में पहले-पहले अवसर प्रदान किया गया है और पहला दिन इसको दिया गया है और मैं यह भी देखता हूं कि हमारे इस बजट में जो बहुत से अनुदान रखे गये हैं उनमें सिंचाई का यह अनुदान, जो, कि ९,१०,४४ के क्रम में मौजूद है, वह कदाचित् यदि सब से बड़ा नहीं लेकिन जो बड़ी-बड़ी मांगें हैं उनमें अपना स्थान रखता है। अनुदान संख्या ९ तो विशेषकर सिंचाई विभाग की उस मद से संबंध रखती है जो आज चलती हुई नहरों, ट्यूब-वेल्स और जो स्थापित व्यवस्था सिंचाई विभाग की है, उसके संचालन के लिये खर्च होता है यानी मेरा मतलब यह है कि जो रनिंग नहरों के मेनटेनेन्स पर और रिपेयर पर, उनकी वृद्धि, इम्प्रूवमेंट और सुधार पर इस अनुदान के अनुसार मिलने वाली रक़म खर्च की जाती है। हमारे प्रदेश में सिंचाई की यह व्यवस्था काफ़ी पुरानी है। आज से सवा सौ वर्ष पूर्व पहले पहल हमारे प्रदेश में पूर्वी जमुना की नहर निकाली गई। यह नहर मुग़लों के जमाने से चलती हुई किसी नहर को सुधार कर के आरम्भ की गई थी और उस समय ब्रिटिश शासन यहां मौजूद था, जमुना नहर सन् १८३२ में निकाली गई थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे नहरों का विकास इस प्रदेश में हुआ। जमुना की नहर के बाद गंगा की नहर, जिसको अपर गंगा केनाल कहते हैं, जो हरिद्वार से निकलती है, वह निकाली गई, उसके बाद लोअर गंगा केनाल अलीगढ़ में नारौरा के पास से निकली, फिर शारदा केनाल निकली, फिर बुंदेलखंड में बेतवा और केन केनाल निकली। इस तरह धीरे-धीरे सौ सवा सौ वर्ष में नहरों का विकास हुआ। यह बड़ी-बड़ी नहरें गंगा, जमुना, शारदा और केन और बेतवा की निकाली गई। मिर्ज़ापुर में भी हमारी कुछ नहरें निकलीं वहां के रिज़रवायर और डैम से। इस तरह से सौ सवा सौ बरस में उत्तर प्रदेश के तमाम भूखंड में नहरों का जाल सा बिछ गया। सन् २८ में जब पहले पहले जल से बिजली का उत्पादन हुआ तो यहां सिंचाई की व्यवस्था में एक और परिवर्तन हुआ। सन् २८ में गंगा की नहर से बिजली बनाने की विधि यहां कार्यान्वित की गई। हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर, जिस समय उत्पन्न हुई उस बिजली की शक्ति का उपयोग कर के रामगंगा में एक पम्प केनाल बनाई गई। फिर सिंचाई की व्यवस्था के विचारकों ने सोचा कि इसका उपयोग भूगर्भ में स्थित जल को निकालने में भी किया जा सकता है। हमारे देश में कुएं के द्वारा सिंचाई तो प्राचीन काल से होती है। सिंचाई की जो व्यवस्था यहां रही है, इस देश के इतिहास और पुराणों के देखने से मालूम होता है कि तालाबों, जलाशयों और कूपों से हीं सिंचाई यहां होती रही है। तो कुओं से सिंचाई तो होती ही रहती है, परन्तु बिजली के द्वारा भूगर्भ के अधिक नीचे के स्तर से जल निकाल कर के सिंचाई करने की व्यवस्था यहां सन् १९३२ के बाद, जब गंगा के जल से बिजली मिलने लगी, तब सोची गयी और तब से सन् १९३३ से ट्यूबवेल बनने भी आरंभ हुए और हम यह देखते हैं कि सन् १९३३ से लेकर के सन् १९४६ तक के बीच में डेढ़ हज़ार के ऊपर, क़रीब क़रीब १,८४७ ट्यूबवेल हमारे प्रदेश में बने। उसी समय इन ट्यूबवेलों को बिजली देने के लिये गंगा की नहर पर जल से बिजली पैदा करने के कई कारखाने बने जिनको कि पावर हाउसेज कहा जाता है। सात आठ की संख्या में वह बने और गंगा ग्रिड के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे निकली हुई बिजली से हमारे प्रदेश में यह नल कूप भी चलाये गये।

तो अब तक हमारे प्रदेश में दो व्यवस्थाएं चलती रही हैं, एक तो भूमि के अन्दर से जल निकाल करके सिंचाई करने की और दूसरी उन नदियों से सिंचाई करने की, जिनका उद्गम हिमालय में हो और जहां बरफ़ गलने से पानी गरमी में भी मिलता हो और बराबर पर्वत

के उद्गम के कारण जल का प्रवाह बना रहता हो। यह ऐसी व्यवस्था रही है कि जो हमारे देश में कदाचित् अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सब से बड़ी रही है। स्टेट के द्वारा इरिगेशन की व्यवस्था और सिंचाई का प्रबन्ध और उसके लिये एक इमारत सी खड़ी करना, जो इतनी व्यापक रूप से फैली हुई हो, यह उत्तर प्रदेश में भारत में सब से अधिक रही है।

सन् १९४६ में जब कांग्रेस हुकूमत आई, जनता का शासन हुआ इस देश में, तो सिंचाई की व्यवस्था में उसने और विकास करने की सोची और उसकी नीति में भी परिवर्तन हुआ। अब तक सिंचाई की जो भी व्यवस्था रही, वह इस प्रदेश के एक खंड में रही, ऐसे खंड में जहां जल की वर्षा कम होती है, बरसात ही कम होती है, १५, १६, १२, १८ इंच, इससे अधिक नहीं। जहां जल की आवश्यकता सब से अधिक थी, जहां की भूमि बिना जल के उत्पन्न नहीं कर सकती थी और जहां जल मिल जाने से उत्पादन की शक्ति भूमि की बढ़ जाती थी, ऐसे ही भूखंड में यह व्यवस्था शुरू की गयी और उसमें भी तत्कालीन सरकार की एक व्यवसायी नीति थी, वह यह कि जहां पानी की आवश्यकता है, पानी दो और उसके द्वारा पानी की क़ीमत लो और यह इस प्रकार चलाई जाय कि इरिगेशन की यह व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो जाय और यदि सम्भव हो तो उसके द्वारा स्टेट के जनरल रेवेन्यू को भी कुछ लाभ पहुंचे।

सन् १९४६ में जब जनता का शासन स्थापित हुआ तो कामर्शियल व्यु प्वाइंट जो रहा है, एक व्यावसायिक नीति जो रही है, इरिगेशन की तरफ, उसमें परिवर्तन हुआ। सोचा यह गया कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि प्रधान है, जहां की आबादी बहुत बड़ी ह, जिसकी जनसंख्या गांवों में निवास करती है और जहां के लोगों का जीवन खेती पर ही मुख्यतः निर्भर करता है और यह भी देखा गया कि इस प्रदेश के, जहां की जीविका का मुख्य साधन कृषि हो, यदि जीवन के स्तर को उठाना है तो सिवाय इसके कोई तरीक़ा नहीं है कि यहां के उत्पादन, का जो मुख्य प्रकार है उसको इस प्रकार की सहायता दी जाय कि उत्पत्ति बढ़े और प्रदेश के ढांचे में समानता की वृद्धि हो। इस दृष्टि से यह सोचा गया कि सिंचाई की व्यवस्था में कुछ विकास और कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो शुद्ध व्यावसायिक नीति से न चलें और साथ ही साथ उन प्रदेशों में भी, जहां की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसका विकास किया जाय, उसे कुछ गति प्रदान की जाय और अधिक से अधिक भूमि स्टेट के साधनों के द्वारा सींची जाय। सन् १९४६ से यह स्थिति चल रही है। और आप देखेंगे कि ४६ से ले कर ५२ के बीच में नहरों में भी और हमारे नल कूपों म भी एक खासा बढ़ाव हुआ, उनकी संख्या बढ़ी। जो आंकड़े हैं और जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से यह पुस्तिका बंटी है, मुझे खेद है कि वह आज ही बंट सकी, उसे एक आध रोज पहले बंट जाना चाहिए थ।। लेकिन पुस्तिका छपकर आज ही बंट सकी। अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि हमारी व्यवस्था में नलों में कई हजार की वृद्धि हुई है और ट्यूबवेल्स में कई सौ ट्यूबवेल्स पिछले पांच वर्षों में बने और इस प्रकार १९५१–५२ में, जहां १९४७ में आपके यहां १७ हजार ८ सौ २४ मील नहरें थीं, १८४७ ट्यूबवेल्स थे, सात हजार आठ सौ अठारह मील ड्रेंस स्केप नैविगेशन चैनेल्स, ट्यूबवेल, गूल्स, ड्रेन्स इत्यादि और जहां इन साधनों से क़रीब ६० लाख एकड़ जमीन सींची जाती थी और ६८ लाख एकड़ जमीन सींचने योग्य थी, वहां १९५२ के मार्च में हमारी सिंचाई की व्यवस्था में १९ हजार ५ सौ २५ मील खाली इर्रीगेशन चैनेल्स हुए, जिसमें २ हजार ९ सो ४१ मील मेन कैनाल और ड्रेनज हैं, १२ डाइवर्जन और स्टोरेज डैम्स जोकि बड़ी बड़ी नदियों पर क़ायम हैं, ९,४९० मील ड्रेन्स स्केप, नैविगेशन चैनेल्स और टयुबवेल्स गूल्स और २,३९३ ट्यूबवेल्स हमारे यहां इस प्रदेश में क़ायम किये गये। १९५२ के मार्च के अन्त तक यह संख्या हमारे सामन है और आज इस प्रदेश में एक बड़ी सीमा तक सिंचाई हो रही है।

अगर आप बजट पर दृष्टिपात करेंगे तो यह देखेंगे कि अनुदान संख्या ९ में दो हेड्स लिखे हुए हैं। एक प्राडक्टिव और दूसरा अनप्राडक्टिव। प्राडक्टिव हेड तो वह है जिसमें

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सिंचाई करने वाली नहरें घाटे पर न चल रही हों। अनप्राडक्टिव नहरें वह सिंचाई करने वाली नहरें हैं या कुएं हैं जो घाटे पर चल रहे हों। यदि इस दृष्टि से देखा जाता है कि जो मूल लागत लगी हुई है, उस पूंजी के द्वारा जो कुछ उसका रोजमर्रा का खर्च है उससे निकले और साथ-साथ पूंजी के ऊपर तीन फीसदी, साढ़े तीन फीसदी जो पूंजी का सूद है, वह भी निकल आये। इतनी आय अगर होती है तो उसको प्राडक्टिव वर्क्स में ले लेते हैं और अगर इतनी आय नहीं होती तो उसको अनप्रा-डक्टिव मानते हैं। गंगा, यमुना की नहरों से जो सिंचाई हो रही है और उससे जो आमदनी हो रही है उसे हम प्राडक्टिव मानते हैं, क्योंकि उसका विकास हो गया है। उधर के लोग नहरों का उपयोग करना समझ गये हैं। वे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करते हैं और पानी का मूल्य भी समझते हैं। वह नहरें, जिनको लोग डेवलप कर चुके हैं, इरींगेशन को भी डेवलप कर चुके हैं, वह प्राडक्टिव हेड में आ जाती हैं।

शारदा की जो नहर है जो गंगा और यमुना की नहरों से भी बड़ी है और कहीं ज्यादा एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है और जिसका बराबर विस्तार होता चला जा रहा है वह अबतक अनप्रोडक्टिव हेड में है। यह तो स्थापित व्यवस्था जो है इस व्यवस्था में, उनके दिन-प्रतिदिन के चलाने के लिए हमने अनुदान संख्या ९ के द्वारा खर्च की मांग की है और यदि आप अपने बजट के वाल्यूम ४ पर दृष्टिपात करेंगे तो उसमें इनका डिटेल भी मिल जायगा कि जिन-जिन हेड्स में हमने आपसे खर्च की स्वीकृति देने की प्रार्थना की है, उनका विस्तार क्या है, उनकी तफसील क्या है। २ करोड़ २८ लाख रुपये जो मांगे गये हैं, इनमें ५० लाख रुपये की वह रक़म भी शामिल है, जो कि हम एलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देते हैं ट्यूब वेल्स को चलाने के लिए। इसी में ११ लाख रुपये से कुछ अधिक की वह रक़म भी शामिल है, जो हमारी नहरों के चलाने में, उनके छोटे-मोटे सुधार करने में, प्रति वर्ष उनकी सफाई करने में और मेंटिनेंस में खर्च होती है। इसी अनुदान में वह रक़म भी शामिल है जो रुड़की के रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत के लिए हमने रखा है। आपको और इस सदन को कदाचित् पता होगा, इसका कुछ जिक्र उधर हुआ भी था कि सन् ४८ में जब जनता का शासन हुआ तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में क़ायम किया गया सिंचाई के संबंध में और उसके जिम्मे काम यह किया गया कि वह भूमि की परीक्षा करे, नदियों के प्रवाह के सम्बन्ध में जो तरह-तरह की दिक्क़तें पैदा होती हैं उनके सम्बन्ध में प्रयोग करे, जो नये ट्यूब-वेल्स हम बनाते हैं या बड़े-बड़े डैम्स बनाते हैं उनके सम्बन्ध में बहुत तरह की राय और मशविरा, जो हमें आवश्यक होता है कि इन डैम्स के बनाये जाने पर पानी कितना रुकेगा, कहां तक परकोलेट करेगा इत्यादि, इन विषयों की जांच पड़ताल करे, इसके लिए यह रिसर्च इंस्टीट्यूट क़ायम किया गया है। इसका फील्ड रिसर्च तो बहादुराबाद में है और इसकी लेबोरेटरी का काम रुड़की में है जो बहादुराबाद से नजदीक ही है। उसकी इमारत बन रही है। उसके लिए भी इमारत की पूर्ति के लिए रुपया यहां रखा गया है और मैं अपने माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि उन्हें अवकाश मिले तो बहादुराबाद के इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखने का कष्ट करें। यह धीरे-धीरे हमारे प्रदेश में एक अपना स्थान बना रहा है और न केवल हमारे प्रदेश के निर्माण सम्बन्धी योजनाओं का परीक्षण यहां हो रहा है प्रत्युत् भारत के अन्य प्रान्तों और स्वयं भारत सरकार के भी जल सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी और भूमि के स्ट्रक्चर सम्बन्धी तमाम जितने प्रश्न खड़े होते हैं, इंजिनियरिंग के, वह यहां भेजे जाते हैं। उनका परीक्षण बड़ी मुस्तैदी के साथ और सफलता के साथ हो रहा है। हमारे प्रदेश के बहुत से स्थानों में बाढ़ों के द्वारा जो कठिनाइयां होती हैं, जो कटाव हो रहा है, उन सबके सम्बन्ध में, नदियों के प्रवाह, उनको रोकने, उनके द्वारा किस प्रकार हानि बचाई जाय, उनके प्रवाह को मोड़ा जाय, इत्यादि विषयों पर इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च हो रहा है और उनसे बहुत लाभ भी हो रहा है। हमारे यहां गोरखपुर से देवरिया में राप्ती नदी के बाढ़ की वजह से जो कष्ट वहां होता है, उससे कैसे उस प्रदेश को बचाया जाय, इस सम्बन्ध

में भी वहां रिसर्च हो रहा है। बनारस के घाट किस तरह गिर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार गिरने से बचाया जा सकता है यह भी रिसर्च वहां हो रहा है। जो बड़े-बड़े डैम्स हमारे बन रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, कितना पानी ले सकेंगे, कितना पानी सूखेगा, कितने दिन तक इनकी लाइफ हो सकती है इन तमाम चीजों की गवेषणा और उसका अनुशीलन इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है। थोड़ा सा विस्तार में मैंने इस इंस्टीट्यूट के संबंध में इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा उपयोगी कार्य इस प्रदेश का यह इंस्टीट्यूट कर रहा है और मैंने यह आवश्यक समझा कि इसकी सूचना इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को दूं ताकि जब कभी उन्हें अवसर मिले तो इस इंस्टीट्यूट को वे जाकर देखें। इसकी इमारत का भी रुपया इसमें रखा गया है।

पूर्वी यमुना केनाल, जो सौ सवा सौ वर्ष पहले बनाई गई थी उसकी रीमाडेलिंग के लिए भी इसमें रुपया रखा गया है। यह रीमाडेलिंग इस विचार से की जा रही है कि यमुना का जल कुछ अधिक मात्रा में हमको मिल सके। ऐसे तो आप सदस्यों को कदाचित् पता हो अथवा न हो कि यमुना की जो हमारी नहर बनी है उसका हेड वर्क पूर्वी पंजाब में पड़ता है और उनसे हमारा एक समझौता सा है कि इतना पानी उस नहर से वह ले लेते हैं और इतना पानी हम को दे देते हैं। यह नहर वास्तव में बड़े भारी क्षेत्र की सिंचाई करती है। जल हमें हिस्से में कम ही मिलता है। अब तक सात सौ क्यूसेक्स मिलता रहा है, परन्तु उसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ उधर के किसान करते हैं। मैं उस क्षेत्र में घूम आया हूं। मैंने देखा है कि जल का कितना मूल्य उधर के किसान समझते हैं और कैसा उसका उपयोग अपने लिये करते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार जल बचाया जाय कि दूसरों को भी मिल सके। यह यमुना की नहर सवा सौ वर्ष पुरानी है और इस गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी मिलता है, परन्तु उसका कोई सुधार ज्यादा नहीं किया गया है। कभी-कभी सहारनपुर वगैरा में पानी बरस जाता है तो उसको यमुना केनाल में जमा कर हम पानी ले जाना चाहें, तो नहरें सवा सौ वर्ष पुरानी बनी हुई हैं और जिनकी कैपेसिटी कम है, अधिक पानी वे ले ही नहीं सकती हैं। उनमें जो पुराने पुल, पुलियां और गेट्स वगैरा बने हुये हैं, उनको भी चौड़ा करने की जरूरत है। यह स्कीम दस बारह लाख रुपये की होगी। उसके लिये भी इसमें अब की इस साल जो आगामी बजट होगा, तीन लाख रुपये रखे गये हैं। यह तमाम कार्य जो कि रेवेन्यू से मीट होते हैं और जो कि चलने वाली नहरों के चलाने के लिये, उनके सुधार के लिये और उनके सुरक्षण के लिये खर्च किया जाता है, रेवेन्यू से खर्च किया जाता है, और जो अनुदान संख्या ९ है, उसमें रखा गया है। अभी आप के सामने दूसरी ग्रांट भी आने वाली है, जिस पर विस्तार से विचार हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

जहां तक नहरों के सम्बन्ध में शिकायतें हैं पानी कम मिलने की, नीचे के अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की अड़चन पैदा करने की या उस विभाग में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की, इस सम्बन्ध में बहुत से कटमोशन्स भी आये हैं, जो उपस्थित होंगे और उनपर विचार किया जायगा, परन्तु इतना मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी नहरें हमारे यहां हैं, जो हमारे यहां ट्यूबवेल्स हैं, उनकी व्यवस्था में जो दोष हैं उससे सरकार अपरिचित नहीं है और उन दोषों को दूर करने की चेष्टा भी की जा रही है। हमने अब यह भी सोचा है कि हम अपने जिले-जिले में इरिगेशन की कमेटियां बना दें। हमारी प्लानिंग कमेटियां बनी हुई हैं, परन्तु उनके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों के द्वारा ही इरिगेशन कमेटियां हमारी बना दी जायं। जिले जिले में जो वहां की स्थानीय शिकायतों और दिक्कतों को दूर करने में सतर्कता के साथ काम करें। जिले के तमाम एम० एल० एज०, एम० एल० सीज०, वहां के प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर एक प्रकार से कनवीनर से होकर के, कमेटियां, प्लानिंग कमेटियों के साथ-साथ उन्हीं के अधीन, उनकी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

राय से वहां बना दी जायं और कोशिश की जाय कि प्रति महीने अथवा हर दूसरे महीने इन कमेटियों की बैठकें वहां हों और वे तमाम सवालात जो स्थानीय दिक्कतें पैदा करते हैं वे उन कमेटियां में पेश हों। एक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स और नहर विभाग के और जितने कर्मचारी हैं वे उनपर अधिक से अधिक ध्यान दें और यथा संभव उन दिक्कतों और कठिनाइयों को दूर करने की वहीं की वहीं चेष्टा करें और अधिक से अधिक अपना सम्पर्क स्थानीय कार्य-कर्ताओं और किसानों से रखें ताकि उनकी व्यवस्था में उन्हें सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि अगले वर्ष यह व्यवस्था हम कर सकेंगे और यथासंभव स्थानीय दिक्कतों को दूर करने में सफल होंगे। यह नहर विभाग ऐसा है जिसका सम्बन्ध जनता के जीवन से है और सब से अधिक किसान का सम्पर्क नहर विभाग से होता है। सरकार यह आशा करती है और उसका यह आदेश भी जारी हुआ है कि इस विभाग के कर्मचारी जो स्थान-स्थान पर नियुक्त हैं उनके लिए यह लाजमी है कि किसी समय उनका दरवाजा नहीं बन्द रहना चाहिये ताकि किसानों के लिए उनके पास आने में दिक्कत न हो सके। उन्हें इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि उनके स्थान की जो दिक्कतें और कठिनाइयां हैं और वहां जो शिकायतें होती हैं वह वहीं की वहीं तय हो जायं और यहां सरकार तक यथासम्भव न आएं। हमारे अधि-कारियों और कर्मचारियों की सफलता, उनका भविष्य और उनकी योग्यता का बहुत बड़ा यह प्रमाण होगा और बहुत कुछ उस पर वह निर्भर करेगा। यदि अपने यहां की शिकायतें वह अपने ही स्थान पर दूर करने की चेष्टा करें और वहीं के काम करने वालों से मिलकर के और किसानों से मिलकर के पानी इत्यादि के बटवारे में जो दिक्कतें होती हैं, उनको तय करें तो अच्छा है। क्योंकि पानी प्रत्येक स्थान पर पहुंचाना समय से और उसका बटवारा करना इसी में शिकायतें ज्यादा होती हैं। फिर भी अधिकारियों को और कर्मचारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि इस संबंध में उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इसी विचार से और इसी दृष्टि से उन्हें काम करना है और किसानों की यथासम्भव मांग पूरी की जा सके। जो कुछ भी सम्भव हो वह उस विषय में किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस भवन से मांग करता हूं कि अनुदान संख्या ९ स्वीकार की जाय।

विभिन्न अनुदानों पर विवादार्थ समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहूंगा कि जितने अनुदान हैं उनके लिए समय कुछ नियुक्त करना चाहिये या समय नियुक्त नहीं करना चाहिये। (कुछ रुक कर) इसके लिए कोई सुझाव नहीं है। अगर नहीं है तो वह चलेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--एक एक आदमी को पांच-पांच मिनट टाइम दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं अनुदानों के बारे में पूछ रहा हूं, न कि सदस्यों के भाषण के समय के बारे में सात अनुदान हैं। यह दो रोज में होंगे। तो इनके लिए कोई समय नियुक्त करना चाहिये, इच्छा है आपकी? यह आप का सुझाव तो इस समय सदस्यों के संबंध में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--मैं सुझाव करता हूं कि जिस अनुदान पर यह बहस जारी है, वह सवा बजे तक चलती रहे और दोपहर बाद जो दूसरे अनुदान हैं वे ले लिये जायं। सवा दो बजे जो दूसरा (सिंचाई स्थापना पर व्यय) है उस पर आधा घंटा और शेष टाइम (राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई) अनुदान जो ४४ नम्बर का अनुदान है, उसके ऊपर लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष--तीन ही लिये जायं आज?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--तीन ही आज लिये जायं।

श्री अध्यक्ष––श्री राज नारायण जी आप का सुझाव कोई नहीं है। सवा बजे तक यह अनुदान चला जो अभी पेश हुआ है और आधा घंटा दूसरा और उसके बाद बाकी जो समय रहेगा आज वह तीसरे अनुदान में चलेगा। यही बात है ?

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)––जी हां।

श्री अध्यक्ष––तो यही रहा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले पर सवा घंटा और दूसरे में आधा घंटा है और तीसरे में समय अधिक है। तो जो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे शुरू में वह १५ मिनट लें बाकी लोगों को सात–सात मिनट मैं दूंगा पहले व दूसरे अनुदान में। आखिरी में दस मिनट दे सकता हूं बाकी सदस्यों को।

अनुदान संख्या ९––लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) (क्रमागत)

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)––मैं अनुदान संख्या ९ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय, यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

कमी का उद्देश्य है साधारण नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

श्रीमन्, मैंने सिंचाई मंत्री जी की सारी बातें सुनीं और जिस उद्देश्य से आज नहरें बढ़ाई जा रही हैं और सिंचाई के साधनों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है उसका मक़सद भी क़रीब-क़रीब सभी को साफ है कि इससे अन्न की पैदावार बढ़ेगी और इससे हमारे सूबे की भुखमरी मिटेगी। उनके उद्देश्य से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर मैं समझता हूं कि जिस तरह आज का कार्य चल रहा है अगर उसी तरीक़े से कार्य चलता जायगा तो माननीय मंत्री जी द्वारा वर्णित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायगी। मैं चाहता हूं कि जहां मंत्री जी नहरों आदि की व्यवस्था करें वहां यह भी देखें कि अन्न की पैदावार बढ़ क्यों नहीं रही है। मुझे अफ़सोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं वरना मैं उनसे भी निवेदन करता और सरकार के जितने भी सम्मानित मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे आंकड़ों को देखेंगे तो यह बात साफ हो जानी चाहिये कि अन्न का उत्पादन सन् ४६ से इधर बढ़ा नहीं है। मुझे खुशी है कि कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां कुछ आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे तो हमारे प्रस्तुत किये हुये आंकड़ों में से बावजूद बहुत कोशिश के वे अपनी समझ से केवल एक जगह कुछ त्रुटि पाये। हमें इस बात की भी ज्यादा खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो हम लोगों की ओर से भाषण हुये उन पर ध्यान करके कुछ समझने की कोशिश की। जहां तक अनुभव की बात है, यह सही है, जैसा कि कल माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया था, कि उन्हें इस सदन का अनुभव ज्यादा प्राप्त है और सन् ३६––३७ से लगातार जब जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस सदन में आई है तब-तब वह इसके सदस्य होते रहे हैं। मगर मैं देखता हूं कि अनुभव का सदुपयोग जहां होना चाहिये वहां हमारे मंत्री लोग नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उसका क्या कारण है। यदि कोई दूसरे व्यक्ति कहे होते तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने कहा तो मुझे महान् आश्चर्य हुआ कि अगर इस तरह से आंकड़े रखें जायेंगे कि कितनी ज़मीन सिंचाई होती है, कितनी तोड़ में आई और कितनी उसमें से सिंचाई में आई तो समय नष्ट होगा और सरकार की कोई योजना सुनियोजित नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष––माननीय मुख्य मंत्री जी का भी अनुदान आवेगा। उस समय अगर यह बात कही जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि इस अनुदान में यह बात नहीं जमेगी।

श्री राजनारायण––यह सिंचाई और सिंचाई योजना है, तमाम जमीन और अन्नोत्पादन से यह सम्बन्धित है, इसलिये मैंने यह निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष––मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैंने तो केवल सुझाव दिया है।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि माननीय मुहम्मद इब्राहीम साहब के सम्भाषण को पढ़े होते और उसे पढ़कर बात किये होते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने साफ कहा है कि यह जो २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई वह सन् ४६ के बाद है।

और जिस ढंग से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सन् १९४० के आंकड़ों को घटाकर यह साबित कर दिया कि २२ लाख जमीन तो तोड़ी गई। श्रीमन्, ये आंकड़े प्रस्तुत हैं कि सन् १९४६ में जितनी जमीन थी वह ३६ हजार सात सौ ४१ हजार एकड़ थी जो कि नेट एरिया क्राप थी।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मन्त्री जी के बजट का समय आने वाला है जब वह आवे तब आप उसको कहें तो ज्यादा युक्तिसंगत होगा।

श्री राजनारायण--यह आंकड़े कल उन्होंने दिये थे इसलिये मैं चूंकि उनका सम्बन्ध सिंचाई से है इसलिये आज उनका हवाला दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको रोकता नहीं लेकिन यह आपको सुझाव देता हूं कि आप उस अवसर पर करें तो ज्यादा युक्तिसंगत होगा।

श्री राजनारायण--तो मैं यह कह रहा था कि ये जो आंकड़े नई जमीन तोड़ने के बारे में हैं उनको किस हिसाब से उन्होंने निकाल कर रख दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान सिंचाई के सम्बन्ध में है। तो जो बातें कल की वार्ता में आयी थीं उनका चर्चा करना अप्रासंगिक है।

श्री अध्यक्ष--है तो यह आपत्तिजनक बात और इसलिये अगर उन बातों का जिक्र न हो तो अच्छा है।

श्री राजनारायण--तो मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि अगर वे अपनी नहरों द्वारा सींची हुई जमीन के बारे में देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सन् १९४६ के बाद अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा है। मुझे खुशी है कि कल जितने माननीय मन्त्रीगण बोले हैं उन्होंने बावजूद अपनी विशेष बुद्धि के प्रयोग के अन्न के उत्पादन में वृद्धि की बात को साबित नहीं कर सके। तो श्रीमन्, इस बात से हम समझते हैं और सिंचाई मन्त्री जी के सामने कुछ ऐसी बातें लाना चाहते हैं जिससे वह समझें कि मैं यह चाहता हूं देहात में हर क्षेत्र में ज्यादा तादाद में पक्के कुयें खुदवाने की कोशिश की जाय। कल आंकड़े जो उन्होंने दिये थे कि ७ हजार, ८ हजार या १० हजार कुयें खुदवाये गये तो उससे तो काम नहीं चलता और उसी के साथ साथ समाचार पत्रों में भी और माननीय सूचना मन्त्री जी से मैंने निवेदन किया था कि जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं और जहां उपलवृष्टि हुई है वहां तत्काल कच्चे कुयें खुदवाकर अगर नई फसल को बोआने का प्रबन्ध किया गया होता तो वहां एक साल के अन्दर नई फसल उग आई होती और वहां के किसानों में कुछ और ही भावना पैदा हुई होती।

उसी के साथ--साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी नहरें खोदी जा रही हैं उनमें खाली पूर्वी जिलों का हिसाब लगाया जाय। मैं बस्ती गया था। वहां शोहरतगढ़ से ५ मील की दूरी पर नहर विभाग द्वारा किसान की छाती भर आयी हुई फसल उखाड़ी जा रही थी। हमने अपने वहां के साथियों से कहा कि इस तरह से फसल उखाड़े जाने पर तुम विरोध करो क्योंकि किसी भी गलत क़ानून का तोड़ना हमारा धर्म है। चाहे गवर्नमेंट या माननीय सम्पूर्णानन्द जी कितना ही रिप्रेशन क्यों न करें।

श्री अध्यक्ष--किसी नाम का आप प्रयोग न करें। आपने गवर्नमेंट तो कहा ही और साथ ही माननीय सम्पूर्णानन्द जी का भी नाम लिया। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण--इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जिले में गया था। वहां चुनार के पास एक छोटी सी नहर खोदी जा रही है। वहां के किसानों की फसलों के बारे में देखा जाय कि वह वहां खड़ी है या नहीं। श्रीमन्, इसी तरह से बनारस जिले के बारे में भी आपकी खिदमत में निवेदन करना चाहता हूं।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--श्रीमन्, एक बात मैं इस सम्बन्ध में कह दूं कि जहां तक नई नहरों का सवाल है वह डिमान्ड ४४ आगे है। अगर यह बातें उस अनुदान के सम्बन्ध में हमारे नेता कहें तो कदाचित् उपयुक्त है। यह तो रनिंग केनाल्स के बारे में है। दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हुक्म दिया जा चुका है कि जहां फसलें खड़ी हों उन्हें कतई उखाड़ा न जाय। यदि इसके संबंध में हमारे नेता जी कुछ हमको स्थान वगैरह: का उदाहरण देंगे तो उनके लिये उचित कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने माननीय सिंचाई मन्त्री जी के सम्भाषण को सुनने के बाद जितनी नहरों के बारे में बात आई उन्हीं को निवेदन कर दिया। जो उन्होंने खड़ी फसलों के न उखाड़े जाने के लिये आदेश की बात कही है उसकी मुझे खुशी है। लेकिन इसके बाद यह निवेदन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि छोटे-छोटे तालाब, पक्के कुयें और कच्चे कुयें आदि ज्यादा तादाद में देहातों में खोले जायें और छोटे-छोटे तालाबों की ऐसे स्थानों पर, जहां कि पुराने तालाब खराब हो रहे हैं उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिये और पम्पिंग मशीनों के जरिये किसानों के लिये सिंचाई का इंतजाम होना चाहिये। नई नहरों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सिंचाई के लिये जो ट्यूब-वेल्स का प्रबंध हो रहा है, उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी इंजीनियरिंग विभाग से एक आदेश गया है कि जहां २५ हाथ से ज्यादा नीचे पानी मिले वहां पर अभी ट्यूब-वेल्स न बनाये जायं। मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से भूभाग हैं जहां पानी गहराई में मिलता है और कुएं खोदने में दिक्कत होती है, इसलिये अगर सरकार का यही रवैया रहा कि जहां पर पानी जल्दी न निकले वहां ट्यूब-वेल्स न बनाये जायं तो किसानों को बड़ी दिक्कत होगी।

इसके साथ-साथ जो सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई कमेटी के बनाने की बात कही जो वह उसको बनाकर इस पर विचार करें कि आगे किस तरह से काम होगा और जो शिकायतें हैं उनके बारे में वह विचार करने की कृपा करें। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि सिंचाई कमेटी वह बनाना चाहें तो भले ही बनायें लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व न रहेगा तो वह कमेटी भी जिस तरह से कि आज बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं और केवल एक कागज का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है इसी तरह से इस कमेटी का परिणाम होगा। इसलिये मैं अदब के साथ माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर जिलों में सिंचाई कमेटी बनाने की कोई बात हो तो उसमें सच्चे किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिये जो जानते हों कि कौन फसल कहां पैदा होती है और किस तरफ से नहर के पानी के जाने का रास्ता होना चाहिये, तब कहीं जाकर काम चल पायगा वर्ना बहुत सी शिकायतें सामने आयंगी। बहुत से व्यक्ति जो नहर के रास्ते को जानते हैं वह नहर के जाने के मार्ग को बदलवाकर गरीब किसानों की जमीन के लेने का षड्यंत्र रचा करते हैं, इसलिये इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यहां पर एक बात के बारे में और निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग के जरिये से जितना रुपया आता है वह ५ करोड़ ८४ लाख ६ हजार ३२२ टोटल रेवेन्यू असेट्स हैं और सिंचाई की इन तीनों मदों को मिलाकर जो सूचना मंत्री जी के हाथ में है, वह ७,६३,३०,००० रुपये खर्च होती है। मैं जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि जब यह ६ करोड़ रुपये पहले से ही इसमें मौजूद हैं तब फिर यह ५० प्रतिशत सिंचाई के रेट में किस लिये बढ़ाये जाने की बात है। इसको भी इस समय जोरों के साथ सम्मानित सदस्यों को इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिये और मांग करनी चाहिये सूचना मंत्री जी से कि रेट को न बढ़ाया जाय क्योंकि अगर यह बढ़ाया जायगा और इस तरह की सरकारी पालिसी अखतियार की जायगी तो आप देखेंगे कि ६ करोड़ से डबल होकर ९ करोड़ रुपये की आमदनी होगी और सारा खर्चा, ८ करोड़ के अंदर हो जायगा तो सिंचाई के जरिये जो किसानों को पानी दिया जाता है तो वह इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिये। यह तो

[श्री राजनारायण]

ऐसी चीज है कि अगर इसमें सरकार को अपने पास से भी लगाना पड़े तो लगाना चाहिये और दूसरी मदों से इसमें खर्चा किया जाना चाहिये क्योंकि यह किसानों के हित में है। लेकिन जहां कोई किसानों के हित की बात आती है तो उसकी उपेक्षा की जाती है और कर-बोझ लाद दिया जाता है और उसको दूसरी मदों में खर्च किया जाता है जो अहितकर मदें होती हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो टोटल एरिया इर्रीगेटेड है तो वह सन् १९४६--४७ ई० में कुल ४२,६६,६१२ एकड़ है। ४५-४६ में ५९,५३,७७६ एकड़ सिंचाई हुई थी। सिंचाई आंकड़े देखे जायं तो १९४५-४६ में तो ५९ लाख के एकड़ के करीब सिंचाई हुई ह और ४७-४८ में ५४ लाख एकड़ के क़रीब हुई है। यह जो रिपोर्ट हमें मिली है "उत्तर प्रदेश थ्रू फिगर्स" से मिली है। इसको माननीय मंत्री जी देखें तो मालूम होगा कि सन् १९४६--४७ ई० में ५९,५३,७७६ एकड़ सिंचाई होती थी। तो फिर यह ४७--४८ में कम कैसे हो गई। ४८--४९ और ४९-५० में कम कैसे हो गई? यह फीगर्स कहां से आते हैं? ये फीगर्स उनके सामने हैं। जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे सम्मानित मंत्रीगण किया करते हैं जरा उसको वह हमारे सामने पेश करें। यदि उनकी नहरों से ज्यादा सिंचाई हुई तो वह कहां गई, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गलतफहमी में पड़ी हुई है। ९३ लाख डबल क्राप एरिया हमारे सूबे में मौजूद है। कहीं उसको एक तरफ दिखला दिया और कहीं दूसरी तरफ दिखलाकर सारे आंकड़ों को ठीक कर दिया जाता है। इसलिये मंत्री महोदय, अपने विभाग को यह सचेत करें कि यह जो जादूगरी होती है आंकड़ों की, यह न हुआ करे क्योंकि सेक्रेटरी लोग जो आंकड़े पेश करेंगे उसकी पूर्ति कहीं न कहीं से करायेंगे। जैसे कल मंत्री महोदय ने ४२ पेज के आंकड़े दे दिये। मैं निवेदन करूंगा कि वह ४२ पेज के आंकड़ों को देखें और जो फीगर्स हमें मिले हुए हैं उनको देखें तो उन्हें कहीं न कहीं त्रुटि जरूर मिल जायगी। वह उनके विभाग की है। उसे सुधारना चाहिये। उनका यह कहना कि विरोधी भाई अनुभव से काम लें कहां तक न्यायसंगत है? सारा अनुभव तो उनके पास है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री ने कल एक बात कही उससे मेरी तबियत खुश हुई। सन् ४७ से जिस मंथरावाद मनोवृत्ति के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी आवाज बुलन्द करती रही है उसकी ताईद कल उन्होंने की। लेकिन मैं उनसे बतलाऊंगा कि रावणशाही को खत्म करने के लिये मंथरावाद को ख़त्म किया जाय। हम इसको समूल नष्ट करके रहेंगे। मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि मंथरावाद की मनोवृत्ति को छोड़ दें। दूसरे सिंचाई के तरीक़ों और उद्योगों के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा। केवल इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री इन तमाम चीजों को देखें। अन्न के उत्पादन को देखें। इर्रिगेटेड एरिया सन् ४७, ४८ और ४९ में क्यों नहीं बढ़ा, ५० में कैसे बढ़ गया? अगर यह सब देखेंगे तो इसका सारा राज खुल जायगा अगर अन्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर मंथरावाद की मनोवृत्ति से सदस्यगण कार्य करेंगे तो रावणशाही नष्ट नहीं होगी। रावणशाही को नष्ट करने के लिये श्री राम बनो और उसको समूल नष्ट करने के लिये तैयार हो।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राजनारायण जी ने पेश किया है उसी पर बोलूंगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार के साथ भवन के सामने बातें रक्खीं। हम सब उनके अनुग्रहीत हैं। आपने अभी इस अनुदान को पेश करते हुए बतलाया कि हमारी यमुना नहर और अपर गंगा ये सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू पे करने वाली हैं। और बाक़ी शारदा केनाल और दूसरी कैनाल तो अनप्राडक्टिव हैं। जहां तक मैं समझता था अब तक तो अनप्राडक्टिव और प्राडक्टिव में यह अन्तर रखा गया था कि कुछ केनाल के

प्रोजेक्टस् तो ऐसे बने थे कि जिन को शुरू से ही यह माना गया था कि ये पे करने वाले होंगे, जो खर्च उन पर लगेगा उसको बर्दाश्त करेंगे और कुछ रुपया रेवेन्यू देंगे। और अनप्राडक्टिव वह माने गये थे जो इसलिये बनाये गये थे कि वहां पर फ़ैमिन होता था, वहां पर पानीकी ज़रूरत थी, लेकिन पानी वहां पर बहुत खर्च में मिल सकता था। इसलिये ऐसी केनाल्स वहां पर बनायी गयीं और उनसे आशा नहीं की जा सकती थी कि वह रेवेन्यू पे करेंगी या अपने खर्चे को बर्दाश्त करेंगी। इसलिये वह अनप्राडक्टिव कहलाती थी। लेकिन आज हमारे सिंचाई के मंत्री ने इस भाषा को बदल कर एक दूसरा रूप हमारे सामने रखा। उन्होंने यह कहा कि प्राडक्टिव वह हैं जो रेवेन्यू पे करें और अनप्राडक्टिव वह जो रेवेन्यू को पे न करे। मैं समझता हूं कि यह उनका कहना उचित ही है। आपने बतलाया कि अपर गैंजेज़ केनाल और ईस्टर्न यमुना केनाल सब से ज्यादा रेवेन्यू पे करती हैं। तो जब ये सब से ज्यादा रेवेन्यू पे करती हैं तो आपको इस क्षेत्र के रहने वाले ही पैसा देते हैं इसलिये आपको उनके कष्टों को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के रहने वालों को आज सिंचाई की तकलीफ़ है, आज उनकी कठिनाइयां हैं, उनको अभी तक उस मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है जिस मात्रा में उनको जरूरत है। यह आप मानते हैं कि उस क्षेत्र के रहने वालों ने अपने काश्तकारी के तरीक़े को उन्नत किया, वे पानी की क़ीमत को समझ गये और वहां पर अब दो–दो, तीन–तीन फ़स्लें पैदा करना चाहते हैं। उनकी जानकारी भी दूसरे क्षेत्र के काश्तकारों से उन्नत है। लेकिन उनको पानी उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जिस मात्रा में उनको जरूरत है। पहले जब आपने ये केनाल्स प्लान की थीं उस वक्त तो आपका अन्दाज़ा यह था कि १०० फ़ीसदी कमांड एरिया में से सिर्फ़ ४० फ़ीसदी एरिया में एक फ़स्ल में पानी मिलेगा और उसी हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बनायी थी, उसी हिसाब से आपने कुलाबे लगाये थे। लेकिन अब वह अवस्था बिल्कुल तब्दील हो गयी। अब बजाय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ आपका काश्तकार जा रहा है और यही हमारे प्रदेश की पालिसी है कि हमारे प्रदेश के रहने वाले काश्तकार जहां तक भी हो सके इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ़ जायं और ज्यादा से ज्यादा उपभोग उस भूमि का करें जो उनके पास है। अगर आप उनको इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ़ ले जाना चाहते हैं तो आपको इन केनाल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उनको इस तरह से फिर रिमाडल करना पड़ेगा कि जिससे वे इंटेंसिव कल्टीवेशन की जरूरत को पूरा कर सकें। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप रिमाडल करने जा रहे हैं, जब आप यमुना केनाल के पुलों को बढ़ाने जा रहे हैं, गैंजेज़ के विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप उधर के काश्तकारों की तरफ़ ध्यान देंगे और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ को इस तरह से रिमाडल करेंगे जिससे इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिये वहां के काश्तकारों को पानी मिल सके और वहां के काश्तकार जो टैक्स के रूप में इर्रीगेशन ड्यूज़ दे रहे हैं उनको वे आसानी से बर्दाश्त कर सकें और उसका उपभोग भी ठीक हो सके। आपने देखा कि आपके इर्रीगेशन ड्यूज़ काफ़ी बढ़ गये हैं और ज्यादातर उसी क्षेत्र से ये इर्रीगेशन ड्यूज़ मिल रहे हैं जिस क्षेत्र के अन्दर ईस्टर्न यमुना केनाल या अपर गैंजेज़ कैनाल बहती हैं। ईस्टर्न यमुना केनाल का प्राफिट ३० परसेंट से भी ऊंचा है। इसलिये आप वहां के काश्तकारों की जरूरतों की तरफ़ ध्यान दें और वहां पर पानी बढ़ाने की कोशिश करें और अपने इर्रीगेशन चैनेल्स को इस तरह से रिमाडल करें ताकि जो पहले भावना थी कि केवल ४० फ़ी सदी ही खेतों में पानी आये वह भावना बदल जाय और इस प्रकार की कोशिश हो कि वहां के ज्यादा से ज्यादा रक़बे को पानी मिल सके। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो भाषण दिया मुझे उसको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई विशेषकर इस कारण कि आज उस नीति में परिवर्तन हो गया है, जो व्यावसायिक नीति कही जा सकती थी उसको छोड़ दिया गया है यानी प्रोडक्टिव कैनाल्स की ओर ही ध्यान न देकर जनता के लिये, जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो सकती हैं उनकी ओर अब ध्यान दिया जा रहा है। अभी जो यहां पर

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

भाषण हुए उनमें उन कठिनाइयों का वर्णन किया गया, जहां पर इस समय नहरें चालू हैं लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर अभी तक इस डिपार्टमेंट की कृपा-दृष्टि बिलकुल ही नहीं हुई है। यह बात जो मैं कह रहा हूं वह आगरा, मथुरा दोनों जिलों के लिये लागू होती हैं लेकिन मैं विशेषकर अपने क्षेत्र 'बाह' के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर वर्षा बहुत कम होती है, भूमि काफी उर्वरा है परन्तु पानी की कमी के कारण केवल एक ही फसल ली जा सकती है और चार-पांच ही महीने काम करने के बाद किसान खाली बैठा रहता है। किसी अन्य उद्योग के अभाव में मवेशियों और आदमियों को उठा ले जाना यहां के आदमियों का मुख्य व्यवसाय बन गया है। अभी एक जगह से पांच आदमियों को भगा ले गये और सुना है १० हजार रुपया लिया गया। इसके अतिरिक्त इरोजन के कारण चारों तरफ बीहड बना जा रहा है और जो ज़मीन काश्त के लायक है वह भी खराब होती जा रही है। मैंने इसकी तरफ सरकार का ध्यान कई बार दिलाया है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री भी इससे अवगत होंगे और आशा है कि वे इस पर विचार कर रहे होंगे, लेकिन यह जो रिपोर्ट हमारे देखने में आयी उससे मुझे बहुत निराशा हुई। आगरे का तो एक जगह संकेत है, लेकिन बाह का कहीं नाम तक नहीं है। अगर वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दिये जायं तो तिगुनी नहीं तो दुगनी पैदावार तो अवश्य ही हो जायगी। मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि हमारा जो केस है वह बहुत ही न्याय-पूर्ण है क्योंकि आज जहां नहरें हैं या बनाई जा रही हैं, वहां पर वाटर लेबिल काफी ऊंची है। वहां पर पानी २५ फीट से ४० फीट की गहराई से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहां के क्षेत्र में ७० से ८० फीट तक पानी पाया जाता है। वहां पर सिंचाई के लिये किसानों को अपने प्राण होम देने पड़ते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां बड़ी भारी गरीबी और बेकारी फैली हुई है। आपको ऐसे गांव भी मिलेंगे, जिनमें बाहर की कमाई से अच्छे-अच्छे मकान बने हुए थे, लेकिन वे भी धीरे-धीरे उजड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो इनसिक्योर कंडीशंस हैं उनके कारण भी वहां की हालत बहुत ही खराब हो रही है। एक तो पानी कम बरसने में भगवान की ही निगाह नहीं है दूसरे सरकार की निगाह भी अभी तक उस तरफ नहीं गयी है, इस प्रकार दोनों की कृपादृष्टि से यह क्षेत्र वंचित है।

इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले तो जो व्यावसायिक नीति थी उसकी वजह से यहां पर कुछ नहीं हो सका, लेकिन आज भी मैंने बहुत से अधिकारियों को यह कहते सुना है कि वहां एक नलकूप बनाने में या नहर ले जाने में जितना खर्च पड़ता है वह दूसरी जगह से दुगना बैठता है। मैं समझता हूं कि कागज पर तो यह चीज इसी प्रकार मालूम होती है लेकिन जनता के कल्याण के रूप में जो परिणाम होता है वह सर्वथा भिन्न है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, इन्हीं क्षेत्रों को सब से ज्यादा नहरों की जरूरत है, इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नलकूपों की ज़रूरत है, जहां पर स्प्रींग लेबिल डीप है।

दूसरी बात यह कि आखिर जनता का कल्याण करना तो इस गवर्नमेन्ट को मंजूर ही है। आप देखते हैं कि एक ओर तो वहां डकैत और बदमाश त्रास दे रहे हैं और पुलिस पर काफी रुपया खर्च हो रहा है दूसरी ओर रेगिस्तान को रोकने के लिये फारेस्ट बेल्ट लगाया जा रहा है। फारेस्ट बेल्ट बनाना ठीक है, इससे रेगिस्तान का बाहर से आक्रमण रोक सकते हैं, लेकिन जो इधर रेगिस्तान बन रहा है उसके रोकने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है? फारेस्ट बेल्ट बीच में रह जायगी और दोनों तरफ रेगिस्तान हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि फाइव ईयर प्लान में पेश्तर इसके कि ५६ खतम हो, माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई न कोई योजना ऐसी बनावें जिससे इस क्षेत्र की बढ़ती हुई बरबादी को किसी तरह से रोका जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता की कठिनाइयों व मुसीबतों से त्राण देने के लिये सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री नौरंग लाल (ज़िला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने अभी जो भाषण दिया उसको मैंने गौर से सुना, लेकिन मैं उस भाषण में यह चीज भी पाता हूं कि वे खुद इस बात को तसलीम करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें सम्पूर्णता नहीं

है। वे यह भी मानते हैं कि थोड़ा बहुत करप्शन भी है, कमियां भी हैं और उसको दूर करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। इन तमाम बातों को समझते हुए और इस बात को जानते हुए कि इस स्कीम में सम्पूर्णता अभी नहीं है और कोई भी वेलफेयर स्टेट हो वह एकदम से उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकता है जिस स्टेज पर कि उसको पहुंचना चाहिये, कम से कम सदन को उन्होंने अपने विश्वास में लिया है और मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये एप्रीसिएट करता हूं कि उन्होंने इस बात को तसलीम किया है और इसमें हमारा सहयोग भी मांगा है। उसी स्प्रिट से दो एक बात सहयोग की मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जहां तक इस इर्रीगेशन का ताल्लुक है यह किस तरह से ज़िले ज़िले में चल रहा है और किस तरह की खास खास शिकायतें हैं, वह मैं आपके सामने अवश्य पेश करना चाहता हूं। मेरा मंशा यह कदापि नहीं है कि मैं किसी तरह से आपको सहयोग देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर होकर इसकी ज़रूरत समझता हूं कि चन्द एक दो बातें आपके सामने रखूं। सम्भव है कि वे चीज़ें आपके सामने पहुंच गयी हों, लेकिन फिर भी मैं उन्हें आपके सामने अवश्य पेश करना चाहता हूं। एक खास सवाल यहां पर पैदा हो गया है।

"हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्न्ड" नाम की एक किताब मैंने पढ़ी है, जिसमें लिखा है कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है, लेकिन वहां पर एक बड़ा भारी डिफेक्ट यह है कि वहां सर्विसेज़ मिनिस्टर्स को डामिनेट करती हैं न कि मिनिस्टर्स सर्विसेज़ को डामिनेट करते हैं। यह एक बड़ा भारी डिफेक्ट वहां पर है जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंटल हेडस, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वे जो चीज़ उनके सामने रखते हैं उनको मानने के लिये मंत्री मजबूर हो जाते हैं। उनके सामने सिवा इसके कोई चारा नहीं रहता कि जो चीज़ उनके सामने रखी जाय उसको वे ऐडमिट कर लें। हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रिटेन में इसके ऊपर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में भी इस तरह की बात हो सकती है और पंचवर्षीय योजना में अगर इस तरह की गड़बड़ी हो तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिये सब से मुख्य बात यह है कि यहां का जो एक तरह का यह ट्रेडीशन सा है उसका असर जो इर्रीगेशन मंत्री हैं उनके ऊपर पड़ता है। उनको इसमें सजग होना चाहिये कि उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह से करप्शन न हो। मैं अपने यहां का एक दिल–चस्प किस्सा सुनाता हूं। मेरे यहां बरेली ज़िले में एक ढाल बनना था वहां के लोग मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि बाबू जी ढाल बनवाना चाहते हैं और नहरवाले हमसे ४०० रुपया चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि रिश्वत देना बुरी बात है हम ऊपर से कोशिश करके तुम्हारा ढाल बनवा देंगे। मैंने उनको मना कर दिया। हम लोगों ने मंत्री महोदय से कहा कि एक ढाल बनना है तो उन्होंने चीफ इंजीनियर को लिखा और चीफ इंजीनियर ने ज़िले के इंजीनियर के पास भेजा। उसने वहां से लिख दिया कि यहां पर लो लेविल है इस वजह से वह ढाल नहीं बन सकता है। हम लोग इस बात को सुनकर खामोश हो गये। मंत्री जी खामोश, क्योंकि वह भी टैक्नीकल एडवाइज़ के खिलाफ कैसे जायं? तो इस सूरत में वह ढाल नहीं बन सका। तब वह आदमी मेरे पास आये और कहने लगे कि बाबू जी वह तो नहीं बन सका। मगर फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम बनवा लें। वे फिर वहां के इंजीनियर के पास गये और वहां जाकर उन्होंने कहा कि साहब अब बनवा दीजिये। तब इंजीनियर ने कहा कि अब तो यह नहीं बन सकता है। यह बात ऊपर तक पहुंच चुकी है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तब उन लोगों ने मेरे पास आकर कहा कि हम ही उसको बनवा लेते। आपने तो ऐसी सिफारिश की कि वह अब बन ही नहीं सकता है। तो यह मेरे ज़िले की मिसाल है। इस तरीक़े से आप देखेंगे कि यह सही हो या ग़लत, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कुछ ऐसी प्रथा चल रही है कि जो ईमान्दार आदमी हैं वह कहते हैं कि हम क्या करें। हमारी सर्विसेज़ का संगठन कुछ ऐसा है कि जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उससे कभी कभी परेशानी हो जाती है। यह सर्विसेज़ का पुराने ज़माने से कुछ ऐसा चला आता है कि जिसको हम सुधार नहीं पाये हैं। उनका कुछ एक गुट बना हुआ है और उसका असर मंत्री

[श्री नौरंगलाल]

महोदय पर भी नहीं पड़ता है और उसके सामने सब को झुकना पड़ता है और एक मजबूरी की हालत पैदा हो जाती है कि इसको कैसे तोड़ा जाय। जब तक हम इस चीज को नहीं देखे तब तक हम चाहे कितना भी सुधार करें तब तक करेप्शन दूर नहीं होगा। हम लोग टैक्स से नहीं डरते हैं चाहे कितना भी टैक्स आ जाय और जो वेल फेयर स्टेट होती है वहां पर टैक्स काफी परसेन्ट में लगाया जाता है। तो इन टैक्सेज़ से हम लोग नहीं डरते हैं। आवश्यक कामों को पूरा करने के लिये जरूर टैक्स लिया जाता है। तो इस खर्चे का सवाल नहीं है कि वह उतना होता है या ज्यादा होता है। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि हमारी सद्भावना होते हुये भी वे लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैंने जो इशारा किया है उस खामी को दूर किया जाय। समय इतना कम इस अनुदान पर बोलने के लिये दिया गया है कि उस समय में सारी बात कहना और हर चीज़ पर प्रकाश डालना मुश्किल है। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी हम बनायें उसके लिये लोगों को शक्ति दें और अगर शक्ति नहीं देते हैं खाली बनाने की ही बात करते हैं तो फिर वह चीज बेकार हो जाती है। अगर कोई भी काम आप कराना चाहते हैं तो उसके लिये शक्ति दीजिये। आप कोई समिति बनाते हैं तो उसके लिये शक्ति होना जरूरी है नहीं तो उसका कोई असर नहीं होगा। वह प्रस्ताव पास करेगी, लेकिन कर कुछ भी नहीं पायेगी। इस कारण काम के लिये शक्ति देना आवश्यक है तभी हम कुछ कर सकते हैं और काम को अच्छी तरह से चला सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम दिया गया है कि उसमें ऐसी कोई बात खासतौर से कही जाय जो माननीय मंत्री जी तक पहुंच जाय और वह कार्यान्वित हो जाय ऐसी कोई बात नजर नहीं पड़ती। मगर फिर भी मुझे ३, ४ सुझाव इस सम्बन्ध में देनें हैं और मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय उन पर खासतौर से विचार करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि हमारी नहर के अन्दर जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज्यादती है और इतने ज्यादा कर्मचारी हैं कि हमारे यहां जो चीफ इंजीनियर हैं वह भी तीन बना दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि ३ के बजाय अगर एक ही बना दिया जाय तो इससे कोआर्डि-नेशन भी अच्छे तरीके से होगा और काम की देखभाल भी अच्छी तरह से होगी बमुकाबले इसके कि ३ चीफ इंजीनियर जो इस समय काम करते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं, जिसको अगर आइन्दा न रखा जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ख़ास दिक्कत न होगी। एक तो इस विभाग में जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं, वह हैं। जब आप जुडीशियरी को सेपरेट कर रहे हैं तो फिर उनको अलग से इस विभाग के लिये रखने की क्या जरूरत है कि वह अलग से वहां के मुकदमें किया करें? वकील होने के नाते मेरा तजुर्बा है कि वहां के ऐसे बने बनाये मुक़दमे आते हैं और जैसे वहां के गवाह होते हैं और वह इस तरह के होते हैं कि वह एक तरह से जुडीशियरी का फ़ार्स है, मज़ाक़ है। आज हमारे यहां के गांव के लोग भी इतने डेवलप हो गये हैं कि वह इस तरह के इंसाफ़ को पसन्द नहीं करते। उन के हाथ से यह मुक़दमे ले लेने चाहिये और जिस तरह से फ़ूड वगैरा के और तमाम मुक़दमात दूसरे मैजिस्ट्रेटस् करते हैं, उसी तरह से नहरों के मुक़दमात भी वही किया करें। अगर उनको हटा दिया जायगा तो कोई मुश्किल न होगी वह अपने दूसरे कामों के साथ यह काम भी कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि इस समय जो नहर के कर्मचारियों को टी० ए० मिल रहा है, उसमें भी कमी हो सकती है। पहले भी जब कि यह टी० ए० रखा गया था उस समय उनको घोड़े रखने पड़ते थे, लेकिन आज हमने सर्विस रोड्स उनके लिये बनवा दी हैं और उनके लिये काफ़ी खर्चा भी रखा गया और रखा जा रहा है। तो क्या जब उन के पास कार थी और बाईसिकिल पर वह चलते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले का जो ट्रैवलिंग अलाउंस था, उसमें कमी कर सकते हैं और यह चीज़ उनको अखरने वाली नहीं है।

इसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि पतरोल का काम इस समय हमारे यहां कागज पर आबपाशी लिखना है तो अगर यह किया जाय कि पतरोल, पटवारी और ट्यूबवेल आपरेटर के जो काम हैं इन तीनों कामों को हम एक ही आदमी से ले लें, तो इसमें काफी खर्च में कमी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पटवारी, पतरोल और आपरेटर के लिये अगर एक आदमी ऐसा रख लिया जाय जो एफिशेंट हों और उसकी अच्छी तनख्वाह हो तो इस समय जो पटवारी और पतरोल की तनख्वाह के लिये झगड़ा है, वह भी निपट जाय और हमारा काम भी अच्छी तरह से हो सकता है।

इसी के साथ साथ मैं यह भी समझता हूं कि मैं जब से इस भवन में आया हूं, पिछले साल भी इस मिनिस्ट्री के सामने मैंने आपरेटरों की शिकायत रखी थी और इस समय भी मैं अपनी मिनिस्ट्री के सामने रखना चाहता हूं कि जो इस समय अत्याचार और रिश्वतें जो बड़े से बड़े कर्मचारी नहीं करते, वह आपरेटर कर रहे हैं। आपरेटर की जिस कदर शिकायत पश्चिमी जिलों में है, मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में पहले से बतला दिया गया है, तो इसका भी इन्सदाद और इसको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे इस सम्बन्ध में यह भी बतलाना है कि जो हमारी पश्चिमी नहरों में इस समय कुलाबे कम हो गये यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस नीति के कारण कम हुए। जब इंटेंसिव ऐग्रिकल्चर आप चाहते हैं तो पानी की कमी क्यों करते हैं? आपका इरादा यह भी है कि उसका टैक्स भी बढ़ा दिया जाय और पानी भी न दें। तो यह बड़ी भारी दिक्कत की बात होगी। नहरों के कुलाबे कम करने का नतीजा यह हुआ है कि लोग नहरें काटने लगे और आप तावान बढ़ाने लगे और इस प्रकार जो आपने ही चीज शुरू की और उससे जो नतीजा निकला उस पर तावान बढ़ा करके आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। यह भी देखने में आ रहा है। मैंने गंगा की नहर को कई जगह देखा है। उसका मेंटिनेंस इस कदर खराब हो गया कि उसकी सर्विस में कट्स होते हैं और सर्विस रेट भी बढ़ा दिये जाते हैं। अगर यही हालत रही तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हो सकता है।

मुझे यह भी एक बात कहनी है कि इनकम के जरिये और हो सकते हैं। यह जो टैक्स का जरिया इनकम का है, मैं इसको गैर मुनासिब समझता हूं और यह देश के लिये भी घातक है, क्योंकि इससे पैदावार के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि देश की पैदावार घट जायगी और इससे हमारा सब का नुकसान होगा। अगर मिनिस्ट्री यही चाहती है कि इनकम बढ़े और उनको कुछ रुपया और मिल जाय तो मैं समझता हूं कि यदि देश के लाभ के लिये यह जरूरी है कि कुछ चीजें बनवाई जांय तो मेरा यह सुझाव है कि वह इस तरीके से टैक्स लगायें जो काश्तकारों पर न पड़ करके देश के सभी लोगों पर पड़ें, जिनको उनसे लाभ होने वाला है।

मैं अन्त में अपने सिंचाई मंत्री की इस ओर तवज्जह दिलाऊंगा कि उन्होंने एक कमेटी का सुझाव दिया है, मगर जैसा कि श्री नौरंग लाल ने बतलाया है अगर कमेटी बनवाना है तो उसको पावर होनी चाहिये, नहीं तो नाम मात्र की कमेटी बनाना बिलकुल बेकार होगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सूचना मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो भाषण उन्होंने आज सदन के समक्ष दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं आशा करता हूं कि सूचना मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे।

मेरा जिला, जहां से मैं चुन करके आया हूं, आजमगढ़ है। उसके दो भाग हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग के लिये तो ट्यूबवेलस् का कुछ प्रबन्ध किया गया है और ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। आशा है कुछ दिनों में ट्यूबवेल्स तैयार हो जायंगे, परन्तु उसी

[श्री ब्रजबिहारी मिश्र]

जिले के पश्चिमी भाग की यह दशा है कि ट्यूबवेल्स से मेरा ख्याल है कि इस सदन को याद है, वहां पर ट्यूबवेल्स् आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे यह शंका हो रही है कि अगर ट्यूबवेल के भरोसे उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाय तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि उस भाग में नहर का विस्तार किया जाय। मेरा एक सुझाव है जो मैंने पहले माननीय सूचना मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि जो घाघरा नहर गोसांईगंज तक जाती है, उसकी शाख बढ़ा कर हम आजमगढ़ जिले तक भी ले जांय। उसको अहरौला तक ले जा सकते हैं। उस भाग में धान बहुत पैदा होता है। उससे उस क्षेत्र का बहुत बड़ा हित होगा। इसके साथ-साथ एक सुझाव और माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। मेरी समझ में यह एक बात नहीं आती है कि नई नहर निकाली जा रही है जो कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और बनारस जिले तक जायेगी। ये जिले, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ जिले की सीमा पर हैं। लेकिन आजमगढ़ जिला जो निकटतम पड़ता है, वहां पर उसकी शाख नहीं ले जायी जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि मुझे जहां तक नहर के अधिकारियों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका भी कहना है कि आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग का स्प्रिंग लेविल वही है जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर आदि जिलों का है। तो फिर क्या कारण है कि आजमगढ़ जिले में उसकी शाख नहीं ले जायी जा रही है ? मैं माननीय मंत्री महोदय को बतला देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में फूलपुर, मधुबन, महमूदाबाद, देवगांव, लालगंज तहसीलें ऐसी हैं जहां धान बहुत ज्यादा पैदा होता है। यह मानी हुई बात है कि ट्यूबवेल्स से धान की पैदावार में कोई फायदा नहीं हो सकता है और ईश्वर की भी कोप दृष्टि है, पानी बरसता नहीं है। सरकार की भी कृपा दृष्टि नहीं है। नहरें नहीं ले जायी जाती हैं। ट्यूबवेल्स् की तरफ वहां की जनता ताक रही है। मैं समझता हूं कि इस जिले की हालत स्वाती की तरह हो जायगी न ट्यूबवेल जल्दी बनेंगे, नहरें बन नहीं रही हैं। नतीजा यह होगा कि जनता बिलकुल भूखी और नंगी रह जायगी। मैं उस खित्ते का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतएव, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि उस तरफ भी ध्यान दें और जहां तक हो सके नहर की उस शाख को वहां ले जायं।

इन शब्दों के साथ मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इस विषय में मैं अपना यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज मैं इस सदन के सामने जो सिंचाई का अनुदान है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और सुझाव भी दूंगा।

मैं सूचना मन्त्री को यह बता देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में किसानों पर जितना खर्च पड़ता है, किसान उसको पूरा देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो वह यह है कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी रोकथाम अगर नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपकी सारी स्कीम असफल रहेगी। किसान पांच रुपये एकड़ सिंचाई देने को तैयार है लेकिन उसको पांच रुपये एकड़ के साथ साथ १० रुपये एकड़ रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जिस हिस्से में बालू उड़ती है वहां पर ट्यूबवेल सफल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिस्ट्स का कहना है कि ट्यूबवेल में नीचे से नमक आता है जोकि आकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन स्थानों पर नहरों का प्रयोग किया जाय। जहां पर दूमट मिट्टी है वहां पर ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं जैसे ट्रांस राप्ती एरिया में नहर हमारी तहसील हरइया में बनानी चाहिए। वहां पर दूमट मिट्टी नहीं है। कितना गहरा खोदना पड़ता है, तब जाकर वहां पानी निकलता है। वहां पर एक एक बूंद पानी का महत्व है। तो उस हिस्से में जहां बालू उड़ती है, वहां

नहरों का प्रयोग किया जाय। जहां बालू का हिस्सा है वहां बजाय जमीन पर पानी ले जाने के जो काठ की नालियां होती हैं उनको बनाया जाय। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में काठ की नालियां बनी रहती हैं और उनमें पानी दिया जाता है। तो बजाय सीमेंट और ईंट के काठ की नालियां बनायीं जायं तो कम पैसे में बनेंगी लाभ भी ज्यादा होगा। दूसरी बात जो है, वह यह है कि हमारे सब सरकारी अफसर कोआपरेट करें। बिना कोआपरेशन के कोई काम चलता नहीं, चाहे पटवारियों को हटाइये, चाहे जो कुछ भी कीजिए। लेकिन जब तक सबका कोआपरेशन नहीं होगा, काम ठीक से नहीं होगा। यह भारतवर्ष चूंकि हमारा स्वराज्य का बच्चा है, नन्हा सा है, इसलिये हरएक आदमी का कर्तव्य है कि वह जुट जाय इस काम में। संलग्न हो जायं। न हम किसी की शोषण नीति देखें, न किसी की आलोचना करें। इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि देश के कल्याण की बात सोची जाय। क्योंकि इस पांच वर्ष के मध्य में यह पंचवर्षीय योजना जो हमारी है वह अगर पूरी होती है, सफलीभूत होती है, तो हम सुखी होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमें मौका है कहीं लड़ाई वगैरह नहीं हो रही है। अगर लड़ाई छिड़ जायगी तो देश या प्रान्त में जो हमारे अच्छे अफसर हैं, जो हमारे पास सिपाही हैं, उनको काश्मीर के मोर्चे पर, पाकिस्तान के मोर्चे पर रहना पड़ेगा। उस वक्त यह सब कुछ नहीं हो पायगा। इसलिये हमें चाहिए कि जो समय हमें मिला है, उसमें हम अपना निर्माण करें। पिछला जो हमारा सप्ताह बीता है उसमें हमारे विद्यार्थियों ने बहुत कार्य किया है। पी० डब्ल्यू० डी० में यह पैसा जो इधर उधर किया जाता है मैं तो कहूंगा कि वह पैसा बच्चों को दिया जाय। बच्चों की हैल्प ली जाय। बच्चे काम करने के लिये तैयार हैं। बच्चों को यह आश्वासन दिया जाय कि जो इस तरह काम सीखकर निकलेंगे उनको हम सर्विसेज में सुविधा देंगे तो बच्चों के जरिये बहुत सा हमारा काम हो जायगा। इस तरह से सिंचाई के लिये जो माननीय मन्त्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि वह बहुत सुन्दर है और हमारा सुझाव है कि देश के हित की बात सोची जाय और हम सब मिलकर उसे करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सात मिनट के छोटे से समय में एक ऐसे विभाग की आलोचना करना जिससे कि हमारे माननीय मन्त्री जी जैसे विद्वान अध्यक्ष हों जरा कठिन होता है, लेकिन इतना कहना ही पड़ता है कि जो रिपोर्ट आज हमको बांटी गयी है वह रिपोर्ट उन सब रिपोर्टों से अलग किस्म की है जो पहिले डिपार्टमेंट की तरफ से बांटी जाती थीं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन काल से सन् १९४८ तक जो रिपोर्ट दी जाती थी उनमें कितना मैटर रहता था––

AGRICULTURAL CONDITIONS

1. The seasons
2. Demand and supplies
3. Rainfall
4. Floods
5. Area irrigated by canals
5. (a) Development of rice irrigation on the Sarda Canal
6. Area not maturel
7. Remissions
8. Value of crops irrigated
9. Percentages of Kharif and rabi areas
10. Drains

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

11. Spring levels

12. Wells

यानी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वर्क्स ऐन्ड प्रोग्रेस आफ इर्रीगेशन रिसर्च इत्यादि की इतनी मोटी एक ४२ पेज की रिपोर्ट हमारे सामने रहती थी। तो उसमें हम अन्दाजा लगा सकते थे कि चैनेल्स का अर्थ, कैनाल्स, माइनर, ड्रेन आदि और जो उन्होंने बतलाया वह सब होता है, लेकिन इतनी छोटी सी रिपोर्ट में जिसकी देखने में सुन्दरता तो जरूर बढ़ गयी है, लेकिन मैटर बहुत ही कम रह गया है। यह हम कैसे पता लगा सकते हैं कि चैनेल्स के बजट में सात माने होते हैं जो कल उन्होंने बतलाये ? उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों के जाल में पड़ जाते हैं तो इसलिये अगले वर्ष से रिपोर्ट का मैटर वह बढ़वाने की कोशिश करें तो हम सब समझ सकेंगे। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह रेट्स के बारे में है। मैंने कल भी कहा था श्रीमन्, कि इर्रीगेशन रेट्स कमेटी सदन ने या किसने नियत की है। इस आदरणीय सदन के द्वारा यह रेट्स कमेटी नियुक्त नहीं की गई और जहां तक मुझे सूचना मिली है उस पुरानी कमेटी की कुल तीन चार मीटिंग हुई। जबकि अरबन एरिया, जमीन्दारी अबालिशन कमेटी को इस सदन ने दुबारा चुना, तो यह इर्रीगेशन रेट्स कमेटी उसी प्रकार दुबारा इस सदन के द्वारा चुनी जानी चाहिए और तब इर्रीगेशन रेट्स पर विचार होना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि इर्रीगेशन रेट्स का और बढ़ाया जाना, डेवलपमेंट और बैटरमेंट लैवी का दूसरा नाम है। पंच वर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि डेवलपमेंट लेवी लगायी जाय या इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये जायं। डेवलपमेंट लेवी जमीन पर लगती कही जाती है जहां स्केयरसिटी एरियाज नहीं होते हैं, लेकिन यह इर्रीगेशन रेट्स सिंचाई की जमीन पर लगेंगे जोकि स्केयरसिटी एरियाज नहीं हैं। इसलिये खास तौर पर मैं समझता हूं कि आजकल जहां सिंचाई की ज्यादा योजना है वहां के लिये वह रेट्स का बढ़ाया जाना डेवलपमेंट लेवी से ज्यादा गम्भीर है। इसके साथ ही साथ जो इर्रीगेशन रेट्स कमेटी १९४९ की रिपोर्ट श्रीमान्, हमारे सामने है, उसमें रेट्स के दो हिस्से किये गये हैं, एक आक्यूपायर्स रेट और एक ओनर्स रेट। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस हिसाब से यह रेट्स लग रहे हैं। यहां गेहूं की फसल पर इर्रीगेशन रेट्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, केवल मध्य प्रदेश में यहां के मुकाबिले में रेट्स कम हैं। इसके साथ साथ गन्ने की फसल पर यहां रेट्स सबसे कम हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ने इसका ख्याल रखा है ? श्रीमान्, जहां तक रेट्स का सवाल आता है, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे अपनी नीति को स्पष्ट करें और यह बतलायें कि कब इर्रीगेशन रेट्स कमेटी के बारे में सदन से अधिकार मिला, कब सदन ने उसके बारे में प्रस्ताव किया ?

हमारे प्रदेश में कुओं से भी सिंचाई होती है। इस साल के आंकड़ों में मैंने देखा कि ५५ लाख एकड़ जमीन कुओं से सींची जाती हैं और ४९ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई नहरों से होती है। माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट में पक्के कुओं का कहीं तो जिक्र नहीं किया है कि कितने पक्के कुएं हैं। माननीय वेंकटेशनारायण जी ने जो आर्टिकिल लिखा था उसमें जहां एक ओर उन्होंने सिंचाई के आंकड़े गलत बतलाये वहां कुओं के आंकड़े भी गलत बतलाये। जितने कुएं सन् ४६ में थे उतने आज नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पक्के कुओं के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान स्टेट ट्यूबवेल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि ट्यूब वेल्स से सिंचाई का एरिया ४ करोड़ से बढ़ कर ९ करोड़ हो गया है लेकिन आमदनी एक करोड़ १६ लाख से ९५ लाख रह गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्यूब वेल्स में आमदनी घटने का कारण क्या है। इसके साथ ही साथ इसी ग्रान्ट में मेन्टीनेन्स का खर्चा १ करोड़ ६५ लाख से बढ़कर १ करोड़ ७६ लाख हो गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार मेन्टीनेन्स का खर्चा

बढ़ने का कारण क्या है। इसके साथ साथ जहां तक मशीनरी वेल्स या पक्के कुओं का सवाल है, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि पक्के कुओं को बढ़ाने के लिये और उनकी मरम्मत के लिये एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। जब तक पक्के कुओं के लिये कोई योजना नहीं बनेगी और पक्के कुओं की संख्या पर हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि यहां कि सिंचाई की हालत ठीक नहीं हो सकती है। कल माननीय मन्त्री जी ने भारत के नये अवतार के रूप में मन्थरा शब्द का प्रयोग किया, परन्तु जब तक कैकेई नहीं होगी तब तक मन्थरा कार्य ही कैसे कर सकती है। यदि कैकेई रूपी सरकार और यह नौकर शाही मन्थरा समाजवाद के राम का ख्याल करती तो समाजवाद के राम को बनवासी होने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो यही समझता हूं।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ९ के ऊपर इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये। हम उन सब भाइयों के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट ने जो काम किया है और खिदमात पब्लिक की की है, उनको एप्रिशियेट किया। हम उन भाइयों के भी बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे लिये कुछ सुझाव दिया और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर उन चीजों को देखें और ज्यादा से ज्यादा उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। हम उन भाइयों के भी आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी चीजों को पसन्द नहीं किया, पर हमें इस बात का मौका दिया कि हम कुछ और ज्यादा तरक्की करें और अपने आपको इस काबिल बनावें कि आगे चल कर वे हमारे काम को पसन्द कर सकें। नेता विरोधी दल आज भी कल की तरह आंकड़ों में फंस गये। जो हमने आज पुस्तिका आपके सामने दी है उसमें चीजें बहुत सफाई और सरलता के साथ दी हुई हैं। अगर आप उनको देखते तो शायद यह दिक्कतें न आतीं। उन्होंने जिक्र किया मेशनरी वेल्स के बारे में भी हमारे इस प्रदेश में ज्यादा जरूरत है कि आज छोटे छोटे कुवें बनें जिससे कि आम जनता को मदद मिल सके। इसका जिक्र तिवारी जी ने भी किया। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि कई बार इस सदन में इसका जिक्र हो चुका है और हर एक जिले में इस प्रदेश में हजारों मेशनरी वेल्स गवर्नमेंट बनवा रही है और उनके लिये चार सौ रुपया फी मेशनरी वेल्स सबसीडी भी दी है। यह विषय एग्रीकल्चर के मुहकमे का है इसलिये जब उनकी ग्रान्ट आवेगी तब अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो विस्तार पूर्वक आपको इसका जवाब दिया जायगा। आपने कुछ खड़ी फसलों के बारे में भी जिक्र किया है। बस्ती जिले में आप गये और मिर्जापुर जिले में आप गये, वहां नहरें बन रहीं थीं, उस सिलसिले में खड़ी फसलें लोगों ने काट दीं। माननीय मन्त्री जी ने आपको बतलाया कि सरकार ने बड़ी सख्त हिदायत इस बात की की है कि जहां भी कहीं नहरें बनायी जायं अगर वहां फसल खड़ी है तो उन्हें मौका दिया जाय और वह फसल जब पक जाय और कट जाय तब उस जमीन में काम शुरू हो। आपने बड़ी स्पेसिफिक बात कही है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी नें फरमाया कि अगर आप बतला दें कि ऐसा कहा हुआ है तो गवर्नमेंट उसमें अधिक छानबीन करे और जहां हमारे कर्मचारियों ने गलती की है, उन्हें दन्ड दिया जाय। आपने यह भी फरमाया कि छोटे छोटे टैन्कों की सफाई कराई जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय मन्त्री जी, 'आप' शब्द का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राममूर्ति--जरा मेरे दांत निकल गये हैं इसलिये लोगों को जरा समझने में दिक्कत होती है।

तो जहां तक टैन्कों का ताल्लुक है, यह तो अच्छा ही हो कि हम इन छोटे छोटे टैन्कों को श्रमदान के जरिये से खोदें और उसमें पानी स्टोर करने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि हम तो सरकार का रुपया रिजरवेयरों में और बड़े बड़े टैन्क में खर्च कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े टैक्स जहां जहां हमें मिलते जा रहे हैं वहां भी हम डैम लगवाते हैं और उनके जरिये

[श्री राम मूर्ति]

कैनाल की जिस तरह से व्यवस्था होती है उसी तरह से उनको भी अपने यहां इन्तजाम में लाते हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने इर्रीगेशन कमेटी के बारे में जिक्र किया और आपने भी यह सुझाव दिया कि उसमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव हों। इसमें शक नहीं कि आपने ठीक सुझाव दिया और हमने जो आर्डर्स दिये हैं उनमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव की जगह रखी है।

श्री राजनारायण---आप 'शब्द' हमारे लिये सम्बोधन करते हैं। कभी कभी हमें भी समझने में भ्रम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---केवल श्री राज नारयण जी के ही ऊपर कृपा नहीं होनी चाहिए।

श्री राममूर्ति---मैं तो आपकी ही खिदमत में अर्ज करता हूं लेकिन जरा ध्यान इस लिये दिला देता हूं क्योंकि हमारे माननीय नेता विरोधी दल जो हैं उन्हें छोटी छोटी बातों में परेशानी होती है इसलिये उनकी परेशानी भी दूर होती रहे।

श्री अध्यक्ष---अगर आप नेता विरोधी दल न कहकर नेता जी कहें तो वे शायद ज्यादा पसन्द करेंगे।

श्री राममूर्ति---मैंने हिदायत दी है कि वहां पंच और सरपन्च दो आदमी लिये जायं। खास तौर पर जहां कैनाल्स बनाई जाती है और ट्यूब वेल्स बने हुए हैं उन एरिया के पंच और सरपन्च लिये जायं, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लेजिस्लेटर्स एम० एल०एज० और एम०एल०सीज० हैं, इन सबके लिये उसमें जगह है। इसमें शक नहीं कि उस कमेटी में बैठकर इन चीजों को तय करेंगे। यही नहीं जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि खाली हमने एक बार रिज्यूलूशन पास किया और वह रिज्यूलूशन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायगा, ऐसा भी नहीं है। हमने यह हिदायत दे रखी है कि ज्यादा से ज्यादा जो वहां डिस्कशन हो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम उन चीजों को जो वहां पर तय हों, अपने प्रोग्राम में ला सकें, उसके जरिये से हमारी मन्शा यह है कि हमारे इस सदन के सदस्य जो हैं उनके लिये भी जनता से ज्यादा सम्पर्क का मौका मिल सके। लोग उनके पास आवें और उनकी शिकायतों को वे उस कमेटी में बैठकर तय कर सकें। जो इन्जीनियर्स हैं, जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स होंगे और जो हैडक्वार्टर्स के इन्जीनियर्स होंगे वह उसमें होंगे।, उस जिले के अन्दर जितने भी डिवीजन्स होंगे और जितने भी एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स होंगे वे सारे उसमें बुलाये जाया करेंगे ताकि सब लोग बैठकर उन मसलों पर विचार कर सकें। श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी ने आगरे के बारे में जिक्र किया, हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है और यह मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि आगरा जिले के अन्दर एक डैम बनने जा रहा है और उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे बान्धों की स्कीमों पर हम जांच पड़ताल और सरवे करा रहे हैं। जहां भी हमको मौका मिलेगा वहां हम बनायेंगे। इस स्कीम के मातहत वहां पर ८ ट्यूब वेल्स भी तजुर्बे के तौर पर खोदे जा रहे हैं। अगर वहां लेयर अच्छी मिली और हमारा तजुर्बा कामयाब हुआ तो वहां ४०,५० ट्यूब वेल्स बनाये जायेंगे।

श्री नौरंग लाल जी ने हमारे सरकारी कर्मचारियों की कुरीतियों का जिक्र किया। इसमें शक नहीं कि इतना बड़ा मुहकमा है, वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं कुछ इन्जीनियर्स हैं जो मुल्क को बनाते हैं लेकिन अब हम लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर है। यह भी हो सकता है कि इतने बड़े मुहकमे के अन्दर शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गड़बड़ी भी करते हैं। हमारी तो हमेशा से यह कोशिश रही है कि यदि कोई शिकायत हमारे सामने रखें तो हम बड़ी सख्ती के साथ उसकी जांच पड़ताल करेंगे। हमने यह भी हिदायत कर रखी है कि जिस आफिसर की शिकायत या मुहकमे के किसी छोटे आदमी की शिकायत की जाय तो वह उसमें शामिल न किया जाय। उसके ऊपर का आफिसर या यहां की सरकार के हैडक्वार्टर्स के इन्जीनियर हैं उनको हम भेजते हैं और उनके जरिये से मालूमात कराते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिकायतें दूर हों।

श्री बलवन्त सिंह जी ने घोड़ों के बारे में जिक्र किया था। हमें इस बात की कोशिश करनी है कि फिर से घोड़ों की प्रथा जारी हो जाय ताकि हमारे अफसर गांव-गांव जाकर किसानों की बातें सुन सकें।

एक बात यहां रेट्स कमेटी के बारे में कही गयी। यह मसला बड़ा नाजुक है और इसे कई दृष्टिकोणों से देखना है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि इससे लगभग २ करोड़ रुपया जमा होगा जो इर्रीगेशन के महक्मे पर खर्च होगा। देखना यह है कि जो रेट्स हैं वे सन् २३ में कमेटी के जरिये से तय हुये थे जो उस समय की फाईनेन्स कमेटी के सामने भी गये थे। उस समय की कीमतों में और अब की अनाज वगैरह की क़ीमतों में बड़ा फर्क हो गया है। यह ठीक है कि इस महक्मे में ज्यादा ख्याल अनुपात का नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़ाने हैं। जो भुखमरी के कारण सरकार को २,४ करोड़ रुपया हर साल खर्च करना पड़ता है वह बचाना है। चूंकि समय पूरा हो चुका है इसलिये मैं खत्म करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रेट्स कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई और रेट बढ़ाने का प्रस्ताव कब पास हुआ?

श्री राममूर्ति--क्या मैं उत्तर दे सकता हूं

श्री अध्यक्ष--हां, दीजिए।

श्री राममूर्ति--रेट्स कमेटी सन् ४८ में गवर्नमेंट ने कायम की थी और इसी सदन के दो सम्मानित सदस्य श्री केशवगुप्त और ठाकुर फूल सिंह ने इस प्रान्त में घूम कर जिले जिले में किसानों से बातें करके अपने ख्यालात बनाये थे। कमेटी की रिकमेन्डेशन तो १०० फीसदी रेट्स बढ़ाने को थी लेकिन सरकार ने केवल ५० फीसदी ही बढ़ाये और यह कहा था कि हम स्थिति को देखकर फिर राय कायम करेंगे। अब चूंकि समय हो गया है, फिर ज्यादा उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय मुझे निराशा हुई जबकि मैंने अपने उपमंत्री महोदय की बातों को सुना, बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या सिंचाई के साथ जो इतना महत्वपूर्ण विषय है योंही खेल होता रहेगा या इसमें कुछ सुधार होगा और उत्पादन बढाने की चेष्टा होगी? जब मैं देखता हूं कि पुराने कामों का समर्थन करने के लिये मंत्रीजी खड़े हो जाया करते हैं तो मुझे मालूम होता है कि उनकी गतिविधि में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है और फिर यह कहा जायगा कि राजनारायण जी उलझ गये। हमारे सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं हम तो उन्हीं को देखकर बातें करते हैं। मैं यह बता दूं कि जिस दिन पिछला सदन उठा उसके २ दिन बाद मैंने सरकार को खत लिखा था कि बजट अधिवेशन आ रहा है और उसमें जो मुख्य बातें होती हैं उनकी जानकारी कराइये। यहां आने के चार दिन बाद हमको उत्तर मिलता है कि हमारा खत उनको मिला और हम आपको बतलाते हैं कि इन तमाम बातों की जानकारी के लिये २ साल लग जाते हैं और आडिट रिपोर्ट जो हमारे सामने रखी जाती है उसमें दो साल का हिसाब होता है।

हमारे माननीय मंत्री कमलापति जी ने इस बात के लिये क्षमाप्रार्थना की कि आज ही उन्होंने रिपोर्ट रखी। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि अगर हमें ये चीजें पहले नहीं मिल जातीं तो इनको ठीक तरह से समझने में हमें दिक्कत होती है। अब जो पत्रिका आज बांटी है उसमें सिंचाई योग्य क्षेत्रफल ६७ लाख ८० हजार एकड़ लिखा हुआ है सन् ५१-५२ में ७१ लाख ५ हजार एकड़ कुल सींचा गया क्षेत्रफल है और ४१-४२ में सींचा गया क्षेत्रफल ६० लाख २५ हजार एकड़ था। अब बात समझ में नहीं आती कि मैं आंकड़ों में उलझा हुआ हूं या माननीय मंत्री जी का सारा डिपार्टमेन्ट उलझा हुआ है। सींचे जाने के योग्य तो क्षेत्रफल ६७ लाख और सींचा गया क्षेत्रफल ७१ लाख। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि

[श्री राजनारायण]
इस तरह के आंकड़ों में समय न बरबाद किया करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आइन्दा से सूचना विभाग को बन्द कर दिया जाय अगर ऐसे आंकड़े निकलते हैं।

श्री रामसूर्ति--मैं आपकी इत्तिला के लिये आपको एक सूचना दे दूं कि आपने इर्रीगेबिल और इर्रीगेटेड इन दो लफजों में अपने को कन्फ्यूज कर लिया है। एक तो हमारा कमान्ड एरिया होता है जिसमें पानी दिया जा सकता है और जिसमें पानी कुल दिया जाता है तो वे इन दोनों के फर्क को समझ लें।

श्री राजनारायण--श्रीमान्, अब और तमाशा बन गया। सिंचाई योग्य जो क्षेत्रफल है वह है कम यानी ६७ लाख एकड़ और जो सींचा गया वह है ज्यादा यानी ७१ लाख एकड़। तो इन दोनों बातों को देख लें। अब इसके अतिरिक्त एक जो दूसरी पुस्तिका है, इसमें जो फिगर्स हैं इस पुस्तिका में उत्तर प्रदेश "फिगर्स १९४५-५२" के पृष्ट ३ पर देखिये। १९५१ में कुल एरिया जो सींचा गया वह है ७१ लाख ५ हजार १५८ और ४५-४६ में था ५९ लाख ५३ हजार ७७६। ४७-४८ में था ५४ लाख तो ४७-४८ की फीगर को ५१-५२ की फिगर से घटा दीजिये तो १६ लाख जो माननीय वित्त मंत्री जी ने फिगर बताई है वह पूरी हो जाती है। लेकिन यह २२ लाख एकड़ की फीगर सन् ४०-४१ की फीगर को घटाने से आती है। लेकिन यह सरकार तो दृष्टि को खोलकर तमाम आंकड़ों पर ध्यान नहीं करना चाहती। चाहिये तो यह था कि सही सही आंकड़े सही रूप में रखे जाते लेकिन यहां तो आंकड़ों को और ही ढंग से रखा जाता है। जिस तरह से कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी को ४७ घटाना चाहिये था लेकिन उन्होंने घटा दिया ४० का आंकड़ा इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने जितने फीगर्स दिये हैं वह सब सन् १९४६ ई० के बाद के दिये हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं केवल एक मिनट में यह बात कह देना चाहता हूं। सारी बात जो इसमें आती है वह रेट बढाने की चीज है। चाहे कमेटी भी बनी हो मगर मैं चाहता हूं सरकार की ओर से आश्वासन कि भिन्न भिन्न नाम से नये कर का बोझा किसानों के सिर पर न लादा जाय। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिंचाई का रेट बढाया जा रहा है वह किसानों के हित में गला काटने वाला होगा। अगर आप इस तरह से गला काटेंगे तो फिर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिये नहरों के पास बहुत कम जायगा और उसका उत्पादन बहुत कम हो जायगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं दे सकती है। यही कारण है कि आप रेट को बढ़ाकर किसान को मजबूर करेंगे कि वह नहरों के पास सिंचाई के लिये नहीं जायगा और जब वह नहीं जायगा तो उसके खेतों की सिंचाई ठीक तरह से नहीं हो पायगी और परेशान हो जायगा और उसका उत्पादन कम हो जायगा। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, क्या इर्रीगेबिल एरिया इर्रीगेटेड एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--अब समय नहीं है। इसको आप फिर कभी पूछ लीजिये।
(श्री राजनायण से) क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमान्, यह इतना महत्वपूर्ण कटौती का प्रस्ताव है। इसको हम कैसे वापस ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी को जाय--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य स्थापना व्यय को छोड़कर (लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख) केअन्तर्गत २, २८, १९, ००० रूपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

हज कमेटी के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--एक सूचना दे देना चाहता हूं। हज कमेटी के लिये आज एक बजे तक नाम वापस लेने का समय दिया गया था, लेकिन मुझसे प्रार्थना की गयी है कि नाम वापस लेने के समय को बढ़ा दिया जाय क्योंकि चुनाव इतने शीघ्र होने वाले नहीं हैं, छुट्टियों के बाद होंगे, इसलिये मैं समय को बढ़ा देता हूं और नाम वापल लेने का समय ५ मार्च, १९५३ तक है जो नाम वापस लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव होंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान सं०--१० (लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८) सिंचाई पर व्यय

सूचना मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत २,२४,००,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय। श्रीमन्, अभी ग्रांट सं० ९ इस सदन ने स्वीकार किया है। यह जो अनुदान संख्या १० है, इसका ताल्लुक इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज से है। जो इस्टैब्लिशमेंट इस सूबे में नहरों की व्यवस्था चलाने और संचालन करने के लिये आज मौजूद है, नहर के विभाग के छोटे बड़े कुल मिला करके १८,००० से अधिक कर्मचारी हैं, जो हमारे सूबे के कोने कोने में या मैं यूं कहूं कि गांव गांव के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से कुछ थोड़ी बहुत फैली हुई है मौजूद हैं। साथ ही साथ इस ग्रान्ट के द्वारा हम उन कामों को भी करते हैं, जो हमारे नये कांस्ट्रक्शन वर्क होते हैं फाइव इयर्स प्लान के अधीन। और हमारे इस इस्टैब्लिशमेंट में वह तबका भी शामिल है जोकि नहर के रेट्स का एसेसमेंट करता है और नहर के रेट्स वसूल करता है। इस प्रकार आप देखें कि एक तो इसमें हमारे करीब १८ हजार कर्मचारी शामिल हैं। हमारे इस प्रदेश में जो कार्य अगले साल होने वाले हैं वे करीब ६ करोड़ रुपये के नये कार्य हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी आगे अनुदान इस सदन के सम्मुख पेश होगा। पिछले ५,६ वर्षों से इसमें हमारे काम काफी आगे बढ़े हैं और इस प्रकार बढ़े हैं कि सन् ५३ मार्च के अन्त तक जोकि यह चल रहा है २०,०४५ मील इरीगेशन चैनेल्स हो जायेंगे। ९,८१० मील ड्रेनेज, स्केप्स, ट्यूबवेल्स गुल्स, १४ स्टोरेज, रिजर्वायर्स, डाम्स, ट्यूबवेल्स २,६१३ और बहुत से छोटे छोटे चेक्स और चैनेल्स हैं। इस प्रकार ये तमाम इसी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, जिसका सारा खर्चा इसी अनुदान से किया जाता है। १९४६ में जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, जो हमारे नहरों की लम्बाई थी, जितने हमारे ट्यूबवेल्स थे, जितनी लम्बाई हमारे ड्रेनेज, स्केप्स ट्यूबवेल्स गुल्स की रही है उन सब में काफी वृद्धि हुई है और ये सारे काम जो पिछले साल में होते रहे हैं और उनमें जो किसी प्रकार से वृद्धि हुई है, जो लोग आज मौजूद हैं उन्हीं के द्वारा कराये जाते रहे हैं। तो यह इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है और मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अनुदान की स्वीकृति प्रदान करें। इसमें इतनी बात और निवेदन करना है कि इसी विभाग के द्वारा हाईडेल इलेक्ट्रिक का जो कांस्ट्रक्शन होता है वह भी तमाम कराया जाता है। जैसे कि पथरी का पावर हाउस बन रहा है या शारदा पावर हाउस बन रहा है या जो और पावर हाउसेज बनेंगे जिनको आप अभी अगली डिमांड में देखेंगे जब हाईडेल की डिमांड आयेगी गाजीपुर में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, फैजाबाद में, मैनपुरी में जहां कहीं भी काम होता है पावर हाउस का, वह इसी विभाग के द्वारा होता है। अगले साल हाईडल वर्क्स में १ करोड़ १० लाख का कांस्ट्रक्शन का काम इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हुआ है वह इसी विभाग के जरिये से किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका परसेंटेज अगर निकाल दिया जाय तो हमारे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय सदस्यों को यह अन्दाजा लगेगा कि यह कोई बहुत अधिक परसेंटेज नहीं पड़ता है जितना कार्य हो रहा है उसके लिहाज से। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह अनुदान स्वीकार की जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में कटौती पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जैसा कि सिंचाई मन्त्री जी ने फरमाया इस्टेबिलिशमेंट से ज्यादा सम्बन्ध रखती है। मैं उसी से इस समय अपने को कंफाइन्ड कर रक्खूंगा सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वे लोग सिंचाई विभाग सम्बन्धी आंकड़े भी तैयार करने का काम करते हैं। उन आंकड़ों में जो गलतियां होती हैं उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। इस समय बहुत थोड़ा वक्त है और जिस समय उनके ऊपर बहस चलेगी उस दिन मैं समझता हूं कि इस सम्बध में हमको विचार करने का मौका मिलेगा। मैं माननीय सूचना मन्त्री जी से यह निवदन करना चाहता हूं कि सूचना मन्त्री की हैसियत से उनको उस दिन कई सूचनाएं देनी होंगी और उस सूचना पर फिर हम विचार करेंगे और इन आंकड़ों की वेलेडिटी क लिये जो हमारे लिये चुनौती है उस दिन हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस विभाग में काम करते हैं उनमें माननीय सूचना मन्त्री जी यह भावना पैदा करने की चेष्टा करेंगे कि जहां वह एक तरफ सरकार के मुलाजिम हैं वहां दूसरी तरफ बनिया वृत्ति से सौदा बेचने वाले हैं पानी बचना, कपड़ा बेचना जो कुछ बेचने का काम है उसमें उस सौदा बेचने वाले में कितना सौजन्य होना चाहिए, कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, यह सब बातें वजन रखती हैं। महात्मा जी बराबर कहा करते थे कि गांधी आश्रम पोस्ट आफिस है जहां टिकट खरीदने में कोई भाव-ताव नहीं होता और पोस्ट आफिस समझकर ही गांधी आश्रम में काम करना चाहिए। मैं सिंचाई विभाग से भी यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के बारे में तो, उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ देता हूं कि मेरी जानकारी क्या है, जो ट्रेजरी बेंचेन्ज की तरफ बैठने वाले सदस्य हैं उन्होंने जो अपनी राय जाहिर की है उससे माननीय सूचना मन्त्री जी को तथा उस विभाग के कर्मचारियों को कुछ सबक लेना चाहिए। मेरी थोड़ी सी जानकारी है। उस जानकारी को मैं माननीय सूचना मन्त्री जी की सेवा में जरूर रखना चाहता हूं। देवरिया, गोरखपुर, और बस्ती में भी ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। मैंने तीनों जिलों में ट्यूबवेल्स के प्रबन्धकों से नजदीक से जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उन्हीं के किनारे खेत सूख रहे हैं लेकिन उन ट्यूब वेल्स से लोग पानी नहीं ले रहे हैं, यह अजब बात है। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आखिर तुम ट्यूब वेल्स से पानी क्यों नहीं लेते। उनका यह कहना है कि ट्यूबवेल्स से जिस वक्त हम पानी लेते हैं हमें यह भरोसा नहीं रहता है कि ठीक ठीक लिखा भी जायगा, जितना हम पानी लेते हैं उससे बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी लेते तो बहुत ज्यादा हैं मगर लिखा बहुत कम जाता है, यह जहां पर बनिया वृत्ति और तिजारत की बात होती है वहां ईमानदारी की बड़ी जरूरत पड़ती है। अगर वह कोई समझ ले तो खरीदने वाले हमेशा उसके ऊपर अपने को छोड़ देते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मनोवृत्ति किस तरह से पैदा हो सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में, इसका प्रयत्न करना चाहिए। यह बात सही है कि बहुत सी कोशिशें ऐसी की गयी हैं कि पानी जितने गैलन जिसके खेत में जाता है उतना ही लिखा जाय लेकिन आदमी आदमी है और मशीन मशीन है, रोज उसका पहरा नहीं दिया जा सकता। इसलिये बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं अबकी जब ओले पड़ने के सिलसिले में हम लोग देवरिया गये तो हमारे साथ में डाक्टर लोहिया साहब थे। उनसे हमने कहा कि जरा आप भी देखते जाइए क्योंकि आप भी किसानों के नेता हैं। तो उन्होंने आध घंटे तक सारी बातों की जानकारी की तो यह मालूम हुआ कि केवल दो हजार घंटे उसने काम किया है वर्ष भर में जबकि ८ हजार घंटे काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पानी हम लोगों को पहुंचा सकें और साथ ही सस्ती कीमत पर, तो ज्यादा

मुनाफा होगा। लेकिन अगर मंहगी कीमत हम लें और कम से कम पानी बिके तो निश्चित है कि हमारी आमदनी घटेगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस मामले पर पूरी तहर से गौर होना चाहिए कि किस प्रकार हम ठीक ठीक पानी लोगों को पहुंचा सकें और उसका कम दाम लें ताकि लोग ज्यादा पानी लेने के लिये तैयार हों।

दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं। इससे बहुत नजदीक का सम्बन्ध शायद उसका न हो, लेकिन मैं माननीय सूचना मन्त्री जी से इसके लिये क्षमा चाहूंगा कि रेट बढ़ाने वाली बात का भी थोड़ा सा इस्टैब्लिशमेंट से सम्बन्ध है। रेट बढ़ाने वाली बात के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १८६७ से लेकर १९०५ तक कोई रेट बढ़ाने की जरूरत अंग्रेजी सरकार को नहीं पड़ी। १९०५ तक ही नहीं बल्कि १९२३ तक कोई रेट नहीं बढ़े और १८६७ और १९२३ के बीच में एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १९१४ से १९१८ तक की लड़ाई बीत गयी। उस जमाने में जितना अनाज का भाव तेज हुआ था वह भी हमारे कहने की जरूरत नहीं है, सारा सदन जानता है, लेकिन फिर भी सिंचाई के रेट्स बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब की मर्तबा
इस बजट में, जबकि सन् १९४६ से १९५२ तक कितनी
हैं आज भी सिंचाई के रेट्स बढ़ाये बिना काम नहीं
बढ़ाये जा रहे हैं। किसानों के बारे में उत्तर प्रदेश
कि किसान खुशहाल हैं, उन्हें इस धारणा को बदलन
गयी तो हमारे देश की जो रीढ़, किसान हैं वह बोझ
न जाने कितने करों का बोझ अप्रयत्क्ष रूप से उन
के रूप में जितनी भी चीजें वह खरीदता है।
प्रान्तीय सरकार को वह गन्ने पर कर देता है उ
को भी देना पड़ता है। इसके अलावा उसक
कम से कम ध्यान दिया जाता है। आगे के ज
मैं निवेदन करूंगा कि उसकी सुविधाओं की त
में किसान के ऊपर बोझ लादने की अगर यह
उस मुर्गी की सी होगी जिससे एक ही मर्तबा में
यह मानता हूं कि इसका अधिकतर बोझा पश्चि
या पश्चिमी जिले हों, कर का बोझ किस
अब पूछा यह जायगा कि रुपया कहां से आयेग
उसके बहुत से साधन हैं, ऐसे साधन हैं जिन साध
मैं आपसे एक ही बात निवेदन कर दूं। आपने
वसूल करने से छोड़ दिया। आखिर पब्लिक
फिर यह जो इर्रीगेशन टैक्स आप वसूल क
हो सकता। जो लोग टैक्स देने के लाय
जो देने के लायक नहीं हैं उनसे वसूल किय
बराबर डाला जाता है कि उसे स्वीकार कर ले
हैं। मैं कहूंगा कि उनके ऊपर यह बोझा डा

अन्त में एक बात और कह दूं कि सिंचा
लिये खर्चा लिया जाता है तो जिस अनुपात
उसी अनुपात में सिंचाई मंत्री को उनकी उ
आकर्षित करना चाहिये। सरकारी नौकरियों
अपने इलाके में कितनी उपज बढ़ाई है। ऐसा
सके कि फलां इलाके में इतना पानी अधिक
इलाके में लोगों को आसानी से पानी दिया गय
कि कौन अफसर कैसा काम करता है। मैं समझ
इन्जीनियर हो, सिंचाई विभाग का अफसर हो,

[श्री गेंदा सिंह]

जानने की अत्यन्त आवश्यकता है कि उसके जमाने में उस इलाके में कितना अन्न ज्यादा हुआ, कितनी कैश क्रोप हुई और कितनी अनाज की पैदावार हुई, कितने ज्यादा पानी का उपयोग किया गया और पहिले से अधिक सहूलियत के साथ लोगों को पानी मिला। अगर यह चीज होगी तो निस्सन्देह हम जान सकेंगे कि कौन अफसर ईमानदार रहा, किसने कारगुजारी दिखाई और उन हरामखोर मुलाजिमों की पोल खुल जायेगी जो घर बैठकर जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में खाते हैं तथा जो ईमानदार आदमी होंगे उनकी सुर्ख रुई होगी। इसी से जनता को भी लाभ ज्यादा पहुंच सकेगा तथा गवर्नमेंट का जो मकसद है वह भी पूरा हो जायगा।

ये दो तीन बातें मैं जल्दी में कह गया। अब केवल मुझे यह और कहना है कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो राप्ती के बान्ध की चर्चा की है, जोकि गोरखपुर और देवरिया को पानी देने वाला है, उसके लिये मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को धन्यवाद देने के लाभ से अपने को वंचित करने में मजबूर हूं। इस बान्ध से मैं समझता हूं कि ५० हजार एकड़ से अधिक जमीन को लाभ पहुंचेगा। यह तो केवल में देवरिया की बात करता हूं, लेकिन गोरखपुर में करीब ५० हजार एकड़ जमीन को लाभ पहुंच सकता है। इसके अलावा और भी कमी हो सकती है। लेकिन में उसका चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो ऐसी बात का सुझाव देना चाहता हूं कि जिसको सब जानते हैं और वह यह है कि जिस तरह से सिंचाई विभाग में करेप्शन है और भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल के बजट में, जब वह यहां पर आयेगा और सिंचाई मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें इन तीन बातों का उल्लेख होगा कि भ्रष्टाचार दूर हो गया, अनाज की उपज ज्यादा बढ़ गई और इतना पानी खेतों को दिया गया कि जितनी उनको आवश्यकता थी।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री दाताराम से) इस अनुदान के लिये आधे घंटे का समय दिया गया है। तो आप अपना भाषण ५ मिनट के अन्दर ही समाप्त करने की कृपा करें।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो अनुदान पेश हुआ है उसमें टयूबवेल की जो बात रखी गई, मैं उसकी बाबत कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे जिले सहारनपुर में भी मेरे क्षेत्र तहसील नकुड़ में कुछ टयूबवेल बन रहे हैं। वहां पर उनके लिये पिछले अक्तूबर के महीने में सड़क बनाई गई है और उसके लिये ऐसा हुआ है कि कुछ गेहूं के खड़े हुए खेतों को काटकर वह सड़क बनाई गई है, लेकिन आज तक वहां पर कोई काम टयूबवेल का नहीं शुरू हुआ है। इससे बेहतर तो यह होता कि जब वह टयूबवेल बनने शुरू होते तभी गेहूं के खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता। अब वहां पर वह सड़क ६ महीने पहले बना दी गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले सहारनपुर में एक यमुना की नहर है उससे बहुत ज्यादा हिस्सा खराब होता है। अभी हमारे सामने जो आबपाशी के रेट को ड्योढ़ा करने का सवाल पेश है वह हम किसानों पर बोझा बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उतना पानी नहीं मिलता है जितना कि किसानों के लिये जरूरत होती है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से काश्तकार कैसे बरदाश्त कर सकते हैं। टैक्स तो बढ़ाया जाय कोई बात नहीं वह तो गवर्नमेन्ट की मरजी है उसको बढ़ाना भी चाहिये, लेकिन पानी भी किसानों को उतना ही मिलना चाहिये कि जितने की उनको जरूरत है। बाज जगह ऐसा होता है कि एक दफा जब पानी आ गया तो फिर पानी नहीं आता है चाहे वह खेत फिर सूख ही जाय, लेकिन जो रेट चार्ज किये जाते हैं वह पूरे पानी के चार्ज किये जाते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि उनके खेतों में पानी आया है या नहीं आया है। मैं एक मिसाल देता हूं कि हमारे यहां यमुना की नहर पर एक रजबहा है, जिसको हंगावली के नाम से कहा जाता है। उसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। इसकी बराबर दरख्वास्त दी जाती रही

हैं, लिखा पढ़ी हो रही है और मैंने इसके लिये कुछ सवाल भी किये थे, लेकिन उनका जवाब यही दिया जाता है कि नहीं, साहब पानी पहुंचता है। पता नहीं कि मैं जो वहां का रहने वाला हूं उसको तो मालूम नहीं और मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन सरकार कहती है कि वहां पर पानी पहुंचता है। यह क्या बात है यह समझ में नहीं आता। मैं सूचना मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें। अगर हमारे मुल्क में पानी और खाद का अच्छा प्रबन्ध हो जाय तो जो जापान का धान के तरीके का जो चर्चा हो रहा है कि वहां पर बहुत धान पैदा किया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि हमारा किसान जापान से भी ज्यादा यहां पर पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिये पानी और खाद का अच्छा इन्तजाम किया जाय। दिक्कत यह है कि जनता की जो इच्छा है और काश्तकारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिये जो कमी है उसको पूरा करने के लिये कोशिश नहीं की जाती। अभी इस यमुना नहर की अपर डिवीज़न के लिये जो ३ लाख की मांग रखी गई है उसके लिये मैं सूचना मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि अगर अपर डिवीज़न के लिये ३ लाख भी और रख दिया जाता तो उस यमुना का पानी जो बेकार जाता है वह ज्यादा उपयोग में आ सकता था क्योंकि ६ महीने तक धान को जून से नवम्बर तक पानी की ज़रूरत होती है। इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सूचना मंत्री मेरे इस विषय पर ध्यान देंगे।

सिंचाई उप मन्त्री (श्री राम मूर्ति)--क्या अभी कुछ समय इसके लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष--समय तो कम है, ५ मिनट आप ले सकते हैं।

श्री राम मूर्ति--माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने जिन बातों का ज़िक्र किया, मैंने उनको बड़े गौर से सुना। उन्होंने खास तौर पर विभाग के कर्मचारियों में करप्शन है उसका ज़िक्र किया। इसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि यह इतना बड़ा विभाग है कि उसमें अगर कुछ आदमी खराब हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और मैंने यह भी कहा था कि जब तक कोई स्पेसिफ़िक इन्सटेन्स न बतलाई जाय जब तक किसी मामले में आमतौर पर जांच करना मुश्किल है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ज्यों ही कोई माननीय सदस्य बतलायेंगे कि फलां आदमी गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम कड़े से कड़े तरीके बरतेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की खिदमत और उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। परन्तु आप एक बात न भूलें और वह यह है कि यह चीज़ कोई हमारे ही विभाग के ऊपर के या नीचे के कर्मचारियों के विषय में नहीं है बल्कि यह विभाग हो या और दूसरे विभाग हों हमारे यहां जब कि मुल्क पिछले सौ साल से ज्यादा से गुलाम था और बराबर एक्सप्लायटेशन होता था और इसी वजह से उस समय हमारा, हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ और जब तक हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊपर नहीं उठता उस वक्त तक यहां एक दो विभाग के सिलसिले में ऐसी बात कह देने से कोई लाभ नहीं होता। पिछले साल भी ऐसी बात कही गई थी और जब भी इस विभाग की बात आती है तो ऐसा ज़िक्र आता है, लेकिन यह एक विभाग की बात ही नहीं बल्कि यह तमाम समाज की बात है और इस नैतिक स्तर को जनरली हम सबको ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये और जब वह ऊपर उठेगा तो ज़रूर हमारी फ़ारिग़उलबाली बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी और बढ़ोत्तरी हर तरह से होगी और जो लोग गिरे हुए हैं वह भी अपने को सुधारेंगे और हर विभाग में बेहतर हालत हो सकेगी और छोटे और बड़ों सभी का नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा।

माननीय दाताराम जी ने कहा कि उनके यहां पानी की बहुत कमी है। उनके यहां पानी का इंतज़ाम करने के लिये ही ईस्टर्न यमुना कैनाल निकाली गई है और उसके बनने के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पानी की कमी नहीं रहनी चाहिये। और खास कर धान के ज़माने में तो हमारे यहां पानी यों ही काफी रहता है बल्कि मैंने खुद मैनपुरी और इटावे में देखा कि वहां पानी काफी रहता है। मैंने देखा कि मैनपुरी में इस साल ३६ हजार और इटावे में

[श्री राममूर्ति]

८ हजार से ५२ हजार एकड़ धान की सिंचाई हुई और फ़र्रुखाबाद और एटा में भी काफ़ी अच्छी फसल थी और गंगा जमुना की कैनाल्स में पानी कम नहीं रहता और धान की पैदावार में भी वहां कोई कमी नहीं आई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस पर काफी विवाद हो गया। अब उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना मंत्री जी के उपमंत्री जो हमारे मित्र हैं, मुझे हक़ है कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे आश्वासन दिया उस से कुछ संतोष तो हुआ और मैं यह समझता हूं कि आगे के वर्ष में कुछ इससे ज्यादा सुधार हो जायेगा, लेकिन एक बात मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि जब हम सारे समाज के स्तर को ऊंचा उठाने की बात और उसके लिये कोई योजना पेश करते हैं तो उससे हमारे मित्र श्री राममूर्ति जी इन्कार करते हैं और अगर वह इन्कार न करते होते तो हम और वह दो जगह ही क्यों बैठते ? सारे समाज का स्तर उठाने की बात है वह तो हमें श्री राममूर्ति जी से सीखनी है, उनसे हमने खुद जेलखाने में पढ़ा है, हम तो जेल में रहे, सूचना मंत्री का भी शिष्य होने का दावा है, लेकिन गुरु और शिष्य का इतना फ़र्क समझ नहीं पा रहा हूं कि शिष्य समझ रहा है कि जो कुछ भी करते जा रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। यह मैं जान लेता कि सब समाज का स्तर एक साथ उठेगा तो उनका भी उठेगा, लेकिन हमारी कमर पर जो बोझ डाल कर वह चले जा रहे हैं करों का उसकी वजह से जो हम कराह रहे हैं, उस कराहने का मौका तो देंगे ही। हमारे ऊपर कर का बोझ बढ़ाया और खूब हमने दूसरी तरफ कहा कि अपने अफसरों को भी सुधरने का मौका दीजिये, उनको सुधरने के लिये प्रेरणा दीजिये तो कहते हैं कि समाज का स्तर गिरा हुआ है इसलिये वे भी गिरे हुए हैं और वह ऐसे ही बने रहेंगे। अगर यह उनके कहने का मकसद नहीं है कि वह ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन जो मतलब निकलता है वह यही निकलता है कि चूंकि समाज का स्तर गिरा हुआ है, समाज का स्तर जब तक नहीं उठेगा तब तक उनका भी स्तर गिरा रहेगा। यह बदकिस्मती से मैंने ऐसा समझा। मेरा मन नहीं कहता है कि मैं ऐसा समझूं, लेकिन मैंने ऐसा ही समझा और इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जहां एक तरफ वह सारे समाज का स्तर उठाने का दावा करें और उसके लिये कोशिश करें और दूसरी तरफ हमारे ऊपर कोई बोझ न डालें तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर कर का बोझ डालते हैं तो हमें कहने का हक़ है कि अपने नौकरों से, अपने काम लेने वालों से वह ठीक इस तरह से काम लेने की हिदायत करें जैसे खरीदने वालों के साथ व्यवहार होता है। हम खरीदने वाले हैं और वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि खरीदने वालों के साथ इज्जत का और उनकी सुविधा और सहूलियत का ध्यान रख कर बरताव किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह--जी नहीं, वापस तो नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपय की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई पर व्यय (लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८) के अन्तर्गत २,२४,००,००० रु० की मांग मंजूर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२७ फरवरी, १९५३ को सदन की बैठक न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कल इस सदन की बैठक न हो और कल का कार्य जो है वह २१ मार्च को ले लिया जाय।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--गवर्नमेंट को इसमें तो कोई एतराज़ हो नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--बजाय २१ मार्च के जो काम कल का बाकी रह जाता है वह जिस दिन असेम्बली फिर बैठे उस दिन ले लिया जाय तो क्या हर्ज है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पहले कुछ बातें सदन में हो चुकी हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कल इस सदन की बैठक न हो और कल का कार्य जो है वह २१ मार्च को ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत ३,४१,३०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में विशेष लम्बा चौड़ा भाषण करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में हमारे इस सदन के जो सदस्य लोग हैं वह अपने विचार प्रकट करें, जिससे सरकार को उनके सुझावों और विचारों से कुछ सहायता प्राप्त हो सके। परन्तु थोड़े से शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनुमान महत्वपूर्ण अनुदान है।

जो हमारे प्रदेश की पंच वर्षीय योजना की मूल भित्ति और आदर्श सामने रखा है, जिस पंच-वर्षीय योजना का निर्माण हुआ और जिसे आगे चल कर के केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया, उस योजना पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप यह देखेंगे कि उसकी मूल भित्ति, आधारशिला, जिसके ऊपर सारी योजना की अट्टालिका खड़ी की गयी है वह सिंचाई संबंधी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में यहां का प्रत्येक सदस्य यह जानता है और यह स्वीकार करता है कि जीविका का मुख्य साधन कृषि रहा है और इस प्रदेश में ७५ और ८० प्रतिशत जन-संख्या हमारे गाँवों में निवास करती है। इस प्रदेश का धन और सम्पत्ति और जो कुछ भी इस का ऐश्वर्य है, जो भी जीवन यापन का साधन है, सब कुछ खेती पर ही निर्भर करता है। और ऐसे प्रदेश में जहां कि जीविका का मुख्य साधन कृषि हो सिंचाई की व्यवस्था की न्यूनता पिछले वर्षों में हम सब अनुभव कर रहे हैं। किसी समय थोड़ी बहुत अगर सिंचाई की व्यवस्था की गयी और हमारे प्रदेश के ऐसे खंडों में जहां जल की वर्षा कम होती है, यह सिंचाई की व्यवस्था कुछ थोड़ी सी दिखायी देती है, जिन्हें हम और आप पश्चिमी जिले कहते हैं। परन्तु उन जिलों की आवश्यकता की पूर्ति एक बहुत ही परिमित मात्रा में थोड़ी सी हुई और शेष सारा प्रदेश ऐसा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं के बराबर रही है। जब हमें स्वाधीनता मिली और इस देश के शासन और इसके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व हम सब पर आया और जब यह आवश्यकता हमें प्रतीत हुई और जब हमने इस बात का अनुभव किया कि देश की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हमारे प्रदेश में दरिद्रता का अन्त न हो। तो यह आवश्यक हो गया कि यहां की भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ायी जाय। उसका साधन सिंचाई की व्यवस्था ही रही है। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों से जो प्राकृतिक संकट है, एक ईश्वरीय प्रकोप हुआ हमारे प्रदेश में उसने यह और भी सिद्ध कर दिया कि यदि यहां की भूमि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की उत्पादक शक्ति नहीं बढ़ाई जाती तो जन सम्पत्ति बढ़ाना तो दूर, इस प्रदेश के निवासियों के प्राण भी संकट में पड़ जायंगे और हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे प्रदेश में, हमारी जनसंख्या के अनुपात से अन्न का अभाव है और इन तमाम विषयों में जितने उपकरण हो सकते हैं, जितना हमारी परिस्थिति हम को देखने के लिए बाध्य कर सकती है उन सब से यह आवश्यक हो गया कि इस प्रदेश की न केवल उन्नति के लिए प्रत्युत यहां के निवासियों की प्राणरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई का व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक विकास किया जाय और इस प्रदेश की सरकार की सारी शक्ति, साधन और योजना शक्ति इस दिशा की ओर उन्मुख हो जाय कि प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विकास हो और इसी दृष्टि से पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। केन्द्रीय सरकार ने उसके बाद अपनी योजनाएं बनायीं और उन्होंने हमारे प्रदेश की योजना को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। हमने अपने प्रदेश में उस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य उठाया और जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा गत वर्ष भी जब कि नव निर्वाचन के बाद यह नयी सरकार बनी, जुलाई में जब उसने अपना नया बजट रखा उसने उस पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक अच्छी खासी रक़म रखी और इस वर्ष भी उसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक अच्छी खासी रक़म बजट में रखी गयी है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस वर्ष एक प्रकार से ३ करोड़ ४१ लाख रुपया कैपिटल वर्क में यानी, जिनको रेवेन्यु से मीट नहीं करते, लेकिन मूल धन लग जाता है चाहे कर्ज से अथवा किसी और फंड से, जो कैपिटल वर्क्स हैं उनमें ३ करोड़ ४१ लाख रु० रखा गया है। गत वर्ष इससे अधिक रक़म थी, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने रक़म कम कर दी और काम में कमी कर दी बल्कि यह है कि ३ करोड़ ४१ लाख तो इस में है और २ करोड़ २० लाख रुपये हमको अपने स्पेशल डेवलपमेंट फंड से मिलेंगे और इस प्रकार क़रीब ५ करोड़ ६१ लाख रुपया वह हुआ और २० लाख रुपये के लिए हमारी यह चेष्टा होगी कि हम श्रम धन के द्वारा काम करायें, प्लानिंग कमेटियों के ज़रिये, माननीय सदस्यों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम २० लाख रुपये का कार्य श्रम धन के द्वारा करायें और इस प्रकार जो हमारा बजट जो कैपिटल एकाउंट पर है ५ करोड़ ८१ लाख के क़रीब होता है

अब हमारे सामने जो योजनायें हैं उन पर दृष्टिपात करने की प्रार्थना मैं अपने सदन के सम्मानित बन्धुओं से करना चाहता हूं। उस योजना का बहुत कुछ स्पष्टीकरण आज जो पुस्तिका वितरित हुई है उसमें मौजूद है। मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण सारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था को विकसित और उन्नत करने की ओर है। अवश्य ही हमारे प्रदेश के जिन भूखंडों में कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां की परिस्थिति आज हमारे दुर्भाग्य से अधिक खराब है, जहां का संकट हमारे और आपके सम्मुख आता है और करोड़ों रुपया इस सरकार को उनकी रिलीफ में, उनकी सेवा में, उनको तकावी देने में, उनको मुफ्त बांटने में, अथवा उनको सस्ता गल्ला खिलाने में खर्च होता है क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, उस ओर स्वभावतः सरकार की दृष्टि कुछ अधिक है, परन्तु इसका बिलकुल यह तात्पर्य नहीं है कि प्रदेश और किसी भाग में या किसी हिस्से को हम यह समझते हों कि वह पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया हो, सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में और उधर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। हर तरफ आवश्यकता है, लेकिन यह देखना चाहिए कि जहां जितनी अधिक आवश्यकता है वहां उतना ही अधिक प्रयास किया जाय और यदि आप इस पर दृष्टिपात करें तो आप यह देखेंगे कि हमारे इस प्रान्त के, इस प्रदेश के चतुर्दिक कुछ न कुछ प्रयास इस सम्बन्ध में हो रहा है, चाहे पश्चिम हो, पूरब हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, मध्य का भाग हो, चारों तरफ, चारों दिशाओं में आवश्यकतानुसार और साधनों की सीमित परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ हो सकता है करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे सदस्यों को और इधर और उधर बैठे हुए हमारे सारे बन्धुओं को कदाचित यह ज्ञात हो कि हमने अपर गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ाने की पूरी चेष्टा आरम्भ की है। गंगा कैनाल

जो हरिद्वार से निकलती है, जितना पानी अपनी प्रणालियों के द्वारा ले आती है उस पानी के परिमाण में वृद्धि करना सम्भव है यदि उन प्रणालियों को कुछ विस्तृत और कुछ और गहरा किया जाय। उनकी कैपेसिटी इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है और अन्दाज़ यह किया जाता है कि साढ़े बाईस हज़ार क्यूजेक पानी गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ाने से बढ़ सकता है और यदि हम इस गंगा कैनाल की क्षमता बढ़ा दें और इतना पानी हमको मिल जाय तो इससे क़रीब क़रीब एक लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई की जा सकती है गंगा के जल से और यह योजना इस विषय में कार्यान्वित हो चुकी है। गत वर्ष भी इस पर रुपया रखा गया था और इस वर्ष भी ६ लाख रुपये के करीब है और सारी योजनायें क़रीब १५ लाख रुपये में समाप्त होती हैं, जो हम यह आशा करते हैं कि आगामी वर्ष में यह समाप्त हो जाय। कठिनाई इसमें यह पड़ती है कि जब तक नहरों को बन्द न किया जाय, नहरों की खुदाई का काम और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम ज़रा कठिनाई से हो पाता है और जहां बरसात में पानी की आवश्यकता नहीं होती और नहरों का पानी रोका जा सकता है वहां बरसात में नहरों को बन्द भी नहीं किया जा सकता और जब नहरों को बन्द किया जा सकता है तब पानी की आवश्यकता भी हो जाती है। यह कठिनाई इस काम में होती है, लेकिन फिर भी इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जमुना कैनाल की भी क्षमता को बढ़ाने और उसकी रिमाडेलिंग करने की चर्चा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले की थी।

साथ साथ यदि आप उत्तर की तरफ जायं तो पहाड़ों में भी कुछ न कुछ योजनाएं हमारे इस पंचवर्षीय योजना के अधीन सिंचाई के सम्बन्ध में चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र बड़ा ग़रीब है, वहां खाने के लिये अन्न नहीं होता, खेती भी कम होती है और फिर सिंचाई के साधनों का वहां पर बिलकुल अभाव है। वहां की दुर्दशा का बार बार वर्णन हमारे इसी सदन में हो चुका है। कुमायूं की इरिगेशन स्कीम्स के नाम पर गढ़वाल, नैनीताल, अलमोड़ा आदि ज़िलों में नहरियों के द्वारा पानी पहुंचा के थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने की चेष्टा की जा रही है। यदि आप उत्तर प्रदेश के मध्य में आवें तो आप यह पावेंगे कि हमारी यह योजना जो है यह मध्यवर्ती प्रदेश की भी सेवा करने की चेष्टा करती है। हमारे एक बन्धु ने कल कदाचित बजट पर साधारण वादविवाद जब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब पश्चिम सुनते हैं, पूर्व सुनते हैं, दक्षिण सुनते हैं लेकिन बीच का हिस्सा भुला दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व, पश्चिम और बीच, इनके भेदभाव को इस प्रकार मन में न ला करके इस योजना पर यों दृष्टिपात कीजिये कि सरकार सारे प्रदेश की सेवा अपने साधनों और शक्ति के अनुसार करने की चेष्टा कर रही है अथवा नहीं। हां, दृष्टि केवल इतनी है कि जहां जितनी अधिक आवश्यकता है वहां उतना ही अधिक ज़ोर लगाया जाय। मध्य क्षेत्र में आप देखें कि शारदा नहर की बड़ी लम्बी अभी कई योजनाएं चल रही हैं। शारदा की क्षमता भी बढ़ाने की चेष्टा हो रही है ताकि दो हज़ार क्यूसेक्स पानी उसमें बढ़ जाय। उसको बढ़ाने के लिये भी उसकी नालियों और परनालियों को रिमाडेल करने की आवश्यकता है और उन्हें अधिक चौड़ा करने की ज़रूरत है ताकि वे पानी अधिक ले जा सकें। इसके साथ साथ दो हज़ार मील शारदा की नहरें बढ़ाई गयीं हैं और सुल्तानपुर में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में और उन्नाव आदि में दो हज़ार मील नहर बनाने की योजना बराबर चल रही है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक पानी पहुंच सके। जौनपुर में यह योजना बराबर चल रही है और बहुत काम हो चुका है, जिसका विस्तार इस पुस्तिका में आप को मिलेगा। शारदा की योजना में एक योजना सुरई के रिज़रवायर की भी है। पीलीभीत और नैनीताल के बार्डर पर एक स्थान सुरई है, जो एक बड़ा भारी जंगल है। इरादा यह है कि वहां पर बरसात का पानी जो शारदा में आता है उसका एक भंडार बने और बरसात के बाद जाड़े के दिनों में जब शारदा का पानी कम हो जाता है, उस समय उस पानी को दिया जाय और उसके द्वारा खरीफ की भी और जहां तक हो सके रबी की भी सिंचाई की जाय। तो यह तमाम क्षेत्र आप देखें शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, खीरी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सुल्तानपुर, जौनपुर, जिसको मध्यवर्ती क्षेत्र कहा जा सकता है, इसकी सेवा उस योजना के द्वारा, जिस पर काम हो रहा है, होती है और सिंचाई का कार्य होता है।

दक्षिण बुंदेलखंड में भी बहुत लम्बी लम्बी योजनाएं हैं, जिनका जिक्र कई बार इस सदन में किया जा चुका है। माननीय सदस्यों से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक हमारे प्रदेश में सिंचाई के लिये केवल दो साधन सोचे गये, एक तो नहरों से और दूसरा ट्यूबवेल के जरिये। एक तीसरा प्रयोग भी हमने शुरू किया है और वह यह है कि बरसात का जल बड़े बड़े जल भंडारों में एकत्रित किया जाय और बरसात के बाद उस जल का प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाय। यह योजना एक मल्टी परपज योजना भी है। सिंचाई के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी होता है कि उन क्षेत्रों में जहां बरसात में नदियों से बाढ़ आ जाती है, वहां उस बाढ़ से भी सुरक्षा मिल जाती है और उस जल से फिर हम सिंचाई भी कर सकते हैं। जहां बरफ से नदियों का उद्गम हो वहां तो लम्बी लम्बी नहरों का बना देना संभव है, पर जहां की नदियां ऐसी हों कि बरसात में उभड़ने लगें और बरसात बीतते ही लोप हो जायें, तो ऐसी नदियों से नहरों का काम नहीं लिया जा सकता है। उसके लिये उपाय यह सोचा गया है कि जल-भंडार बनाये जायं। जहां बरसात में उमड़ कर बहने वाली नदियों का जल एकत्र हो जाय उस जल को सिंचाई के काम में लावें। यह क्षेत्र बुन्देलखंड, मिर्जापुर, जहां पहाड़ी नदियां निकलती हैं और जहां भूमि विस्तृत पड़ी हुई है और जहां अकाल भी आ जाया करते हैं और अन्न संकट भी पड़ा करते हैं वहां इस प्रकार जल देने का प्रयास पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया जाय। बुन्देलखंड और बघेलखंड में इस बात का प्रयास हो रहा है। अभी ललितपुर, सपरार, कबरई यह सब बंधे इसी वर्ष अभी चालू किये गये हैं। और जो रंगवा और माता टीला यह तमाम जो बड़े बड़े बांध हैं यह उन्हीं जिलों में बन रहे हैं, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन इत्यादि क्षेत्र में और उनके द्वारा सिंचाई का कार्य हो रहा है। आज लाखों एकड़ जमीन को पानी नहीं मिलता इस प्रकार से पानी हम दे रहे हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र में आज भी वहां कई बांध इस प्रकार के बन रहे हैं जहां कि खासा जल एकत्रित करके उन जिलों की सिंचाई करने का प्रबन्ध किया जाय। यह आप के उधर के इलाके हैं।

पूरब की तरफ भी हमारी योजनाएं हैं कि उस क्षेत्र की सिंचाई के लिये अधिक से अधिक प्रयास किया जाय। वहां सिंचाई के साधन बहुत न करके साथ ही साथ वहां बाढ़ से भी बहुत हानि हुआ करती है, इसकी ओर भी ध्यान देना है। वहां पर वास्तविक समस्या सिंचाई की उतनी नहीं है जितनी कि समस्या है बाढ़ से तबाही की। वहां पर पानी निकालने की फिक्र अधिक करनी है, पानी पहुंचाने की नहीं क्योंकि वहां बरसात खासी हो जाती है। पहले वहां काफ़ी बरसात हुआ करती थी पर अब जब से वहां सूखा पड़ने लगा है तब से यह संकट उत्पन्न हुआ है। अब इस विषय पर पूरे तौर से जांच पड़ताल की गयी और की जा रही है कि इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए कौन सा प्रबन्ध किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरब के जिलों के लिये जो सबसे अच्छी व्यवस्था सोची गयी और जो तुरन्त कार्यान्वित हो सकती है वह ट्यूबवेल की है। क्योंकि यहां पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा है और ६ फुट पर पानी मिल जाता है। जहां पानी का स्तर ऊंचा हो वहां ट्यूबवेल का बनाना अच्छा है। वहां ट्यूबवेल सस्ते और आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ पांच सौ, चार सौ या ढाई सौ फिट खोदना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उसका यह अर्थ नहीं है कि इससे हमारी नहर निकालने की व्यवस्था सम्पूर्ण हो जायगी। कई स्कीमें आज परीक्षण के अधीन हैं जोकि बहराइच, गोंडा और गोरखपुर आदि जिलों में सिंचाई करने के लिए निकाल सकें। वह स्कीमें हमारे विचाराधीन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनका परीक्षण जारी है इस विचार से कि जो नहरें हम निकाल सकें उन्हें निकालने की कोशिश करें। बस्ती और गोरखपुर के गांवों में कुछ नहरें निकाली भी गयी हैं। रूहेन और डंडा की नहर रामगढ़ पम्प कैनाल गोरखपुर में मौजूद है। बस्ती में बान गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें बड़ा भारी बांध

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६८--सिचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

बनेगा जो उसका बाज़ार तक जाता है और यह कई हज़ार एकड़ जमीन का सिंचन करेगा। चकिया में जो नौगढ़ बांध और चन्द्रप्रभा का बन रहा है उससे यह भी आशा की जाती है कि बनारस और उसका वह हिस्सा जो मर्ज हुआ है और साथ साथ गाजीपुर की भी इसके द्वारा सिंचाई हो सकेगी। यह योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

केवल यही नहरों का ही कार्य नहीं हो रहा है परन्तु ट्यूबवेल की भी बड़ी भारी योजना इस पंचवर्षीय योजना में है। हमारे प्रदेश में सन् ४६ ४७ में १८५० से अधिक कुंवे नहीं थे और आज मार्च, ५३ में उनकी संख्या २,६०० के क़रीब होगी। हमारा इरादा यह है कि हम एक अच्छी तादाद में कुंओं के निर्माण का कार्य इस प्रदेश में कर डालें। पंचवर्षीय योजना में २,००० और कुंओं का भी प्रबन्ध किया गया है। इनमें से १,२०० या १,४०० कुंओं में हाथ लगा हुआ है। भारत सरकार के टी० सी० ए० प्रोग्राम के मुताबिक क़रीब ९९५ कुंओं की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और वह कुंए उनके कथनानुसार, उनके सर्वे के अनुसार और हमारी राज़ी के अनुसार बंटे हुये हैं और उनका जिक्र इस पुस्तिका में है। एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में, फैज़ाबाद, सुलतानपुर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में, कुछ थोड़े से आजमगढ़ में, उस योजना के अधीन हैं और वे ९९५ होते हैं। साथ साथ इस सरकार ने भी २०० कुंओं की एक योजना चलाई है। आज़मगढ़, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर और बनारस के लिये उसकी तफ़सील भी आपको मिलेगी। इन कुंओं की संख्या सन् १९५६ में लगभग ५,५०० हो जायगी। आज तक जो ट्यूबवेल्स निर्मित हैं उनकी संख्या २,६१३ है, जिनका विवरण क़रीब क़रीब इस प्रकार है। सहारनपुर में १३, मुज़फ़्फ़रनगर १३३, मेरठ ४८६, बुलन्दशहर २५७, अलीगढ़ २३८, एटा २७, फर्रुखाबाद कुछ नहीं, बिजनौर २०२, बदायूं ४१७, मुरादाबाद ४७१, बरेली ६४, शाहजहांपुर ३५, सीतापुर ४५, खेरी ११, फैज़ाबाद में १५, गोरखपुर २६, देवरिया ३०, बस्ती ५२, आजमगढ़, गाज़ीपुर और बलिया में केवल एक्सप्लोरेटरी वैल्स १-१ या २-२ की तादाद में हैं। हमारा ख्याल है कि आगामी वर्ष में सन् ५४ के मार्च तक हम इनकी संख्या ३,२६३ कर लेंगे और यदि भगवान की कृपा रही तो ५६ में वह संख्या ५,०६१ हो जायगी। इस प्रकार इधर के क्षेत्रों में काफ़ी तादाद में कुंए हो जावेंगे जिनसे अधिक नहीं तो, थोड़ी बहुत, संकट दूर होने की आशा की जा सकती है।

हमारे एक मित्र ने, वह यहां मौजूद नहीं हैं, पंडित ब्रजबिहारी जी ने यह कहा कि आजमगढ़ में घाघरा की कैनाल निकाल दी जाय और यह भी कहा कि शारदा की नहर उधर क्यों नहीं बढ़ा दी जाती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सूबे के किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं भी पानी पहुंचाना सम्भव होगा उसकी चेष्टा सरकार अपने साधनों के अनुसार कर रही है।

आजमगढ़ में कुयें तो बन ही रहे हैं, छोटी मोटी बहुत सी बंधियां भी ली गई हैं जिनका उल्लेख इसी पुस्तिका में है और अगर वह इसे देखेंगे, तो उन्हें संतोष होगा कि ऐसी बात नहीं है कि जहां नहरें पहुंच सकती हैं वहां हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ ट्यूबवेल्स को बिजली की बड़ी आवश्यकता होती है और बिजली का जो बजट आयेगा उससे हमारे सम्मानित सदस्यों को पूरी सूचना मिल जायेगी कि कहां कहां नये पावर स्टेशन्स बनाये जा रहे हैं जिनका मुख्य काम हमारे ट्यूब-वेल्स को विद्युत् शक्ति प्रदान करना है। मऊ में, गोरखपुर में, सोहावल में, मैनपुरी में इस प्रकार के पावर स्टेशन्स बनाने की कोशिश हो रही है कि वहां से काफ़ी बिजली मिल सके और ये कुयें चल सकें। शारदा का हाइडेल जिस दिन ठीक हो जायेगा उसी दिन शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई आदि जिलों में जो कुयें हैं उनको खासी बिजली मिल जायेगी। हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किये जायेंगे क्योंकि सोचा यह जाता है कि बिना बिजली के आज के इस युग में किसी प्रकार की न औद्योगिक और न कृषिमूलक उन्नति सम्भव हुआ करती है।

अब कुछ थोड़े से आंकड़े पहले पेश किये गये थे और विरोधी दल के नेता यहां उपस्थित नहीं थे और उन्होंने मेरी प्रतिभा का भी उलाहना दिया और मैं मानता हूं कि उनकी प्रतिभा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के सामने सबकी प्रतिभा लुप्त है "अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड्गण ज्योति मलीन।" परन्तु जो आंकड़े उन्होंने सुनाये कि मैक्सिमम इर्रीगेशन तो ७१ लाख एकड़ और इर्रीगेबिल एरिया जो है वह है सिर्फ ६७ लाख एकड़। तो कैसे हो सकता है? अब मेरी प्रतिभा स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क और उसका स्वस्थ विचार नहीं है लेकिन, मैक्सिमम इर्रीगेबिल एरिया जो हमारे यहां है वह इस प्रकार है :--

मार्च सन् ४६ में इर्रीगेबिल एरिया फ्राम आल स्टेट इर्रीगेशन वर्क्स ६७,८०,००० एकड़ है, मार्च सन् ५२ में ८०,८५,००० एकड़ है, मार्च ५३ में ८३,८५,००० एकड़ है और मार्च १९५४ में यह ८७,३५,००० एकड़ है। यह इर्रीगेबिल एरिया है। आज सन् ५३ में ८० लाख एकड़ से ऊपर यह एरिया है और सन् ४६ में ६७ लाख एकड़ के क़रीब था जिसको आप कमांड एरिया या इर्रीगेबिल एरिया कह सकते हैं। मैक्जीमम इर्रीगेशन सन् १९४१-४२ में ६०,२५,००० एकड़ रहा है और ५१-५२ में ७१,०५,००० एकड़ रहा है जब कि इर्रीगेबिल एरिया ८० लाख एकड़ से ज्यादा है तो यह आंकड़े इस तरह से साफ मौजूद हैं। मुझे कोई भ्रान्ति नहीं दिखाई देती है परन्तु यदि कहीं भ्रान्ति है तो उसे साफ करने के लिये चेष्टा करनी चाहिये। अभी जो हमारे कैनाल के.....

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सोर्सेज से इर्रीगेशन एरिया कितना है। यह बतला दिया जाय तो अच्छा है। इसमें तो गवर्नमेंट सोर्सेज से बतलाया गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--"उत्तर प्रदेश थ्रू फिगर्स" नाम की जो पुस्तिका निकली है उसमें यह सब दिया हुआ है। उसको मैं आपके पास भेज दूंगा।

अब मैं जिसका ज़िक्र बार बार किया गया है उस पर आता हूं। ६४ लाख एकड़ के लगभग प्राइवेट सोर्सेज से इर्रीगेटेड एरिया है। आप देखेंगे तो आपको मिल जायगा। जिसका ज़िक्र किया गया है। मेन कैनाल्स के संबंध में मैं फिगर्स देना चाहता हूं ताकि स्पष्टीकरण हो जाय। आज भी ज़िक्र किया गया कि आप देखेंगे तो कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य मिल जायगी, लेकिन बावजूद खोजने के मेरी प्रतिभा को नहीं मिली। सन् ४६ के मार्च के अखीर में माइलेज आफ इर्रीगेशन चैनेल्स, मेन कैनाल्स, ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड मायनर्स १७,८२४ मील हैं, १९५२ में १९,५२५ मार्च, ५३ में २०,०४५ मील और मार्च, सन् १९५४ में ३०,५४५ मील हैं। अगले साल जो काम होंगे उनसे क़रीब क़रीब ५०० मील लम्बी नहर बढ़ेगी। माइलेज आफ अदर चैनल्स सच एज ड्रेन्स, एसकेप्स, नेवीगेशन, चैनेल्स एंड ट्यूबवैल्स। सन् १९४६ में ७,८१८ मील, मार्च, १९५२ में ९,४६० मील, मार्च १९५३ में ९,८१० मील और मार्च १९५४ में १०,५६० मील। इस प्रकार यदि आप देखें तो सन् १९५४ में ३१,१०५ मील हो जायंगी। सब मिलाकर २९ हजार कुछ सौ हो जायंगी। मार्च, १९५३ में इस तरह से वह आंकड़ों को देख लेंगे तो मुझे आशा है कि वह संतुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में पंच वर्षीय योजना का ज़िक्र किया और जिस कार्य के लिये आदरणीय सदन से व्यय करने की विनम्र अनुमति मांगी जा रही है, उसे आपकी कृपा से सदन के सम्मुख उपस्थित की है और मुझे आशा है कि उदारतापूर्वक सदन इसको स्वीकार करेगा और हमें प्रत्येक सदस्य से जो यहां उपस्थित हैं और बाहर जनता से भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। आज हमारे सामने कठिनाइयां हैं, बाधायें हैं लेकिन इन कठिनाइयों और बाधाओं पर हमारा संकल्प है कि हम उन पर काबू पायें और यथासम्भव इस लक्ष्य को पूरा करें।

बार बार ज़िक्र इर्रीगेशन रेट कमेटी का किया जाता है। यह अवश्य ही इस सरकार को प्रिय नहीं है कि किसी के ऊपर धन का बोझा डाला जाय। यदि यह संभव हो तो बिना किसी से धन लिये हुए, बिना टैक्स लगाए हुए, बिना किसी की जेब या सर पर डालें हुये करोड़ों रुपयों के निर्माण कर दिये जायं, लोगों

की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाय, प्रत्युत जो कुछ लिया जाता है वह भी माफ कर दिया जाय और किसी प्रकार जादू या मन्तर से इन्तजाम हो सके तो यह सरकार उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर सकती है, लेकिन हमारे सामने कठिनाइयां हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम है उसे पूरा करना है। जब से इस विभाग का चार्ज मेरे पास आया गत वर्ष ५ करोड़ रुपया खर्च हुआ और आगामी वर्ष ५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जितनी योजनायें हमारे पास हैं उनको पूरा करने के लिये आगामी तीन वर्ष में २०, २२ करोड़ रुपये लगेंगे। यदि ऐसा न करें तो उत्पादन न बढ़ेगा और जीवन संकटमय हो जायगा। अगर करें तो कहीं न कहीं से उसके लिये धन का साधन प्राप्त करना होगा। अवश्य ही उन लोगों से, जिनको आज स्टेट ने थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान कर दी है, हम यह मांग करते हैं कि उदारता–पूर्वक वह सार्वजनिक सेवा के लिये उन लोगों के लिये जो आज संकट में पड़े हुए हैं थोड़ा कष्ट उठायेंगे और इस दृष्टि से वह इस यज्ञ में दान समझ कर कुछ दें जिससे हम इस कार्य को पूरा कर सकें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—अभी जो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि मुज़फ्फ़रनगर में १३३ ट्यूबवेल्स हैं तो वे नये ट्यूबवेल्स हैं जो बनने जा रहे हैं या पुराने ट्यूबवेल्स हैं जो अब तक बन चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो ४८–४९ तक ट्यूबवेल्स बन चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान ४४ के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, अभी सिंचाई मंत्री ने बड़े प्रभावोत्पादक शब्दों में पंचवर्षीय योजना के अनुसार पूंजी के व्यय में जो यहां उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यों का विवरण हमारे सामने रक्खा, तो जहां तक सिंचाई सम्बन्धी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये उनकी भावना और प्रस्तावना है उसके साथ किसी का असहयोग नहीं हो सकता। यह ठीक है कि उनकी भावनायें तो हैं और एक योजना भी सिंचाई के बारे में हमारे प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। प्रश्न यह है कि योजनायें जो हमारे सामने सिंचाई की आई हैं वे किस प्रकार कार्यान्वित की गईं। वे समय पर कार्यान्वित हो सकीं अथवा नहीं, यह प्रश्न अलबत्ता उठता है। श्रीमन्, जहां तक मैंने पुरानी रिपोर्टस् को देखा ललितपुर, सपरार डेम्स और कबरई लेक प्रोजेक्ट जितनी योजनायें हैं जिनका उद्घाटन पिछले दिसम्बर में माननीय मंत्री जी द्वारा हुआ, उनको सन् १९५० में पूरा हो जाना चाहिये था। योजनाओं की तारीफ यह होती है कि वह समय के पहले पूरी हो जाया करें और उनका एस्टिमेट और विधान इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिसके अनुसार वे योजनायें समय के पूर्व बन जांय। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो दावा होता है जिसके आधार पर हम बजट बनाते हैं उस समय के अनुसार हमारी योजनायें नहीं बन पातीं। नायर डेम का बड़ा भारी सर्वे किया गया। उसे भी हमें त्यागना पड़ा और आज भी माताटीला डेम को लीजिये। २७ लाख रुपये उस पर खर्च करने के लिये कहा जा रहा है लेकिन जैसा समाचार पत्रों में पढ़ा, मध्य भारत की सरकार से हमारे प्रदेश की सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। माताटीला डेम की बात को लेकर हमारे प्रदेश की सरकार और मध्य भारत की सरकार के बीच वादविवाद खड़ा हो गया है। यह दावा किया जा रहा है कि माताटीला डेम तैयार हो जायगा लेकिन अगर मध्य भारत की सरकार के स्पोकमेन के स्टेटमेंट पर विचार किया जाय कि हम भी शर्तें रक्खेंगे, विचार करेंगे तब कुछ हो सकेगा। अगर योजना ठीक प्रकार बनायी होती तो मध्य भारत गवर्नमेन्ट, यू० पी० गवर्नमेन्ट और विन्ध्य प्रदेश की सरकार इन तीनों को मिला कर एक माता टीला डेम बोर्ड बनाया होता तो कोई इस प्रकार की कठिनाई न होती कि हमें इस प्रकार का मुआविज़ा इतने दिनों बाद देना पड़े और खामखाह बीच में एक अड़ंगा आ जाय। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी योजनायें किस प्रकार बनती हैं और किस तरह से उनको कार्यान्वित किया जाता है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्टतया कहा कि यह सही है कि वहां सिंचाई का काम होना चाहिये और उन्होंने बतलाया कि ट्यूबवेल्स वहां पर बन रहे हैं और उन्हीं के आधार पर वहां सिंचाई हो सकती है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने जो आंकड़ों की पुस्तिका रखी उसके अनुसार मालूम पड़ता है कि इस समय सारे प्रदेश में २,३९३ ट्यूबवेल्स हैं, जिनसे ७,५४,१९५ एकड़ जमीन सींची जाती है। इस प्रकार एक ट्यूबवेल एक साल में २९८ एकड़ जमीन सींचता है। अगर यह औसत २९८ एकड़ एक साल में सींचने की लगायी जाय तो एक हजार ट्यूबवेल्स एक साल में २,९८,००० एकड़ जमीन और सींच सकते हैं। तो पूर्वी जिलों की समस्या या केन्द्रीय जिलों की समस्या ट्यूबवेल्स से हल होने वाली नहीं है। पंच वर्षीय योजना का ध्यान शायद इस ओर कम गया है। जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि पूर्वी जिलों में वर्षा बहुत होती है, इंजीनियरों ने रिपोर्ट यह दी है कि वहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है] इसलिये वहां सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो बाढ़ के पानी को रोकने की समस्या है। श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जो भी आंकड़े सरकार की रिपोर्ट में हमारे सामने हैं उनसे यह बात साबित नहीं होती है। पूर्वी जिलों में औसत रेन फ़ाल ४५.२ है। बुन्देलखन्ड रीजन में केवल ५ प्रतिशत कम है यानी ४०.८ है, केन्द्रीय रीजन में ४३.३ है। तो केवल २ दशमलव का फ़र्क़ है पूर्वी जिलों और केन्द्रीय रीजन में। पश्चिम में ३७.७ है। तो पश्चिम और पूर्व के जिलों को मिलाकर केवल ६ दशमलव का फ़र्क़ है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि पूर्वी जिलों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिये वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ जब हम एक ओर पूर्वी जिलों की सिंचाई का अनुपात लगाते हैं तो हमें यह देखने में आता है कि जहां सरकारी साधनों से पूर्वी जिलों में केवल ७० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई पिछले साल हुई थी वहां और दूसरे साधनों से ३९,४०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार के द्वारा सिंचाई में और दूसरे सिंचाई के साधनों में १०० और १.७६ का अनुपात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आप तो यह कहते हैं, पूर्व के जिलों में अक्सर जिले ऐसे हैं जहां एक इंच भी सरकार की ओर से सिंचाई का साधन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे कह लेने दीजिये। मैं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं। कम से कम एक बार तो उन्होंने कहा कि मेरे आंकड़े सही हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरे कहने का मतलब यही था कि रेहेंड डैम के बारे में मेरा तो विश्वास है कि जब तक हमारी सरकार रेहेंड डैम की ओर ध्यान नहीं देगी तब तक यह पूर्वी जिलों की या केन्द्रीय जिलों की समस्या का हल होने वाला नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि रेहेंड डैम के लिये पिछले साल १० लाख रुपये रखे गये थे और इस साल भी १० लाख रुपये बजट में दिखाई देते हैं और सप्लीमेंटरी बजट में भी हमने देखा कि रिहेंड डैम का एक नया डिवीजन बना दिया गया, लेकिन श्रीमन्, अब इस दस लाख से काम होने वाला नहीं है। अपने बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि रिहेंड डैम के लिये रुपया कैसे मिले इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बात चीत चल रही है। हमारी पंच वर्षीय योजना में तीन ही साल शेष रह गये हैं। अगले साल हम तय कर पायेंगे कि हम रुपया कहां से लेंगे और तब केवल दो साल ही पंच वर्षीय योजना के रह जायेंगे। तो दो साल में कैसे रेहेंड डैम बन जायगा इसको तो माननीय मंत्री जी जानें और उनकी सरकार जाने। जो हमारे सामने चीज है उसके आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि रेहेंड डैम का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिये। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि रुपया कहां से आयेगा। अभी अभी माननीय मन्त्री ने जो बताया कि सिंचाई की बढ़ायी गयी दरों से ३३० लाख रुपया मिलेगा और उसका स्पेशल डेवेलपमेंट फन्ड बनाया जायगा। मेरा तो अभी तक ख्याल यह था कि यह रुपया केवल सिंचाई वाले कार्यों में लगाया जायगा। लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ कि इस रुपये में से २२० लाख रुपया सिंचाई के कामों में लगाया जायगा और ११० लाख

रुपया हाईडल में डाल दिया जायगा। सिंचाई से जो रुपया वसूल किया जा रहा है उसके लिये आवश्यक था कि उसको सिंचाई के कामों में ही लगाया जाता, केवल नहरों और डैम के सम्बन्ध में ही वह रुपया खर्च किया जाता। लेकिन अगर इस रुपये को रिहन्ड डैम के ऊपर खर्च किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और वह भी एक तरह से हाईडल का ही काम होता। यदि मैं माननीय मन्त्री जी की जगह होता तो इस बात पर जोर देता कि इस ११० लाख रुपये को रिहन्डडैम के निर्माण के लिये लगा दिया जाय और इस प्रकार से १२० लाख रुपया रिहन्ड डैम पर खर्च किया जाय। इस प्रकार से उसका काम बहुत सफलता पूर्वक आरम्भ किया जा सकता था। यह तो मैंने कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने सिंचाई और डैम्स के बारे में दिये। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इर्रीगेशन स्कीम्स जो कुमायूं की है उनकी ओर दिलाना चाहता हूं।

यह सही है कि कुमायूं में दो-तीन स्कीम्स कामयाब हुईं, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो जल्दी में बनायी गयीं और उनसे उतना लाभ नहीं हो सका जितना कि उनसे होना चाहिए था। मिसाल के तौर मैं भीमताल और लोहली का जिक्र करूंगा। इन दोनों योजनाओं से कोई भी सिंचाई नहीं हो सकती है अगर दो-तीन एकड़ हो गयी तो क्या हुआ? होना तो यह चाहिए था कि प्लानिंग कमेटी ने जिनके बारे में सुझाव दिया था और जिनसे हजारों एकड़ सिंचाई हो सकती थी, उनको पहले लिया जाना चाहिए था, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

सिंचाई के सम्बन्ध में दूसरी बात सिंचाई के साधन और उसके वितरण के सम्बन्ध में है। मान लिया कि एक फार्म है उसको कुलावा दे दिया जाता है कि इतना पानी मिलेगा, लेकिन इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर क्रोप के लिहाज से पानी का बटवारा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खेत में धान की फसल खड़ी हुई है और उसको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खेत खाली पड़े हुए हैं और पानी उसमें बह रहा है और जिसका धान खड़ा है वह खड़ा देख रहा है। इर्रीगेशन कमेटी भी अगर क्रोप के बेसिस पर पानी के वितरण की ओर ध्यान दें या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायें तो बहुत लाभ होने की आशा है। तराई-भावर में तो यही होता है कि फार्मों में पानी बहा करता है दूसरे स्थानों की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पास तो इसी प्रकार की शिकायतें आती हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। श्रीमन्, मैं और भी अधिक सुझाव देता, लेकिन समय अधिक हो जाने से और ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझता। क्योंकि और भी माननीय सदस्य कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने अनुदान संख्या १० पर मैं बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो कार्य इस संबंध में किया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। सिंचाई मंत्री के भाषण से और जो आंकड़े उन्होंने बताये उनसे यह साफ साफ प्रकट हो जाता है कि उन जिलों की हालत कैसी है जिनको हम पिछड़े जिलों के नाम से कहा करते हैं।

आपको यह सोचने की जरूरत है कि उन पिछड़े हुये जिलों की दशा कई सालों से अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलों और बाढ़ के कारण कितनी खराब है और किस तरह से उनके दिन कट रहे हैं। वहां के गरीब किसानों की हालत मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर दुख होगा। फिर भी जो प्रयत्न हमारे माननीय सिंचाई मंत्री कर रहे हैं उसके लिये मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जिस जिले से मैं आया हूं उस जिले की आबादी बहुत बड़ी है। मेरा जिला सरकार को कितनी रकम देता है इसको आप देखें। मैं आपको बताऊं कि सन् १९५०-५१ में सेल्स टक्स से आमदनी हमारे जिले से ३९ लाख रुपये हुई थी। लेकिन उसके बदले में

[श्री धनुषधारी पांडेय]

कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं उससे यही मालूम होता है कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जा रहा है इन हमारे पूर्वी जिलों के साथ। हमारे पूर्वी जिलों के लिये जो योजना बनाई गई है गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ के लिये, उसमें २०० ट्यूबवेल्स बनाने के लिये कहा गया है। नहर बनाने के लिये गया है कि वहां पर नहरें नहीं बन सकती हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है दो साल पहले वहां पर नहर बनाने की योजना बनाई गई थी और नाप-तौल भी हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं कि क्या हुआ। वहां पर एक नहर जो बाणगंगा के नाम से है वह बनाई जा रही है। वहां पर छोटी नदियों का रिजर्वायर बनवाकर पूरे तौर पर काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिये मैंने बजट में देखा कि कोई नामनिशान नहीं है। जो जिले नहरों और ट्यूबवेल से लदे हुये हैं, जहां पर गर्मी की मौसम में भी हरी हरी घास नजर आती है, उनको फिर भी ट्यूबवैल दिये जाते हैं। ऐसी बातें देखकर दिल के अन्दर दुःख होता है, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मैं तो सदन से और माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जो भाई ऐसी बातें कहा करते हैं उनको यह देखना चाहिये कि पूर्वी जिले गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ की क्या दशा है और वहां के किसान और मजदूर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में खलिहान में बैल चला कर अन्न निकालते हैं और चलते समय जो अन्न बैल खा लेते हैं और फिर जो वह गोबर करते हैं, तो उसके अन्दर जो दाने रहते हैं उनको बीनकर मजदूर अपना पेट भरते हैं। यह वहां की हालत है। फिर भी अगर कहा जाता है कि ५ साल की योजना में वहां पर २०० ट्यूबवैल्स बनाये जायंगे तो फिर आप क्या देते हैं? इसको आप विचारपूर्वक देखें कि वहां की दशा किस तरह की है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिलेवार जो हिस्सा हो उसका बटवारा कर दिया जाय। मैं उनके इन शब्दों का स्वागत करता हूं, लेकिन वह उस बात को भी तो सोचें जो कि उनके जिले के लिये बनाया गया है उसको बनाने के लिये रकम कहां से आयी थी? इसको सोचना चाहिये और इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिये। हमने भी तो इन चीजों को बरदाश्त किया है। अंग्रेजी जमाने में उन जिलों पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। लेकिन अब तो 'हमारी सरकार' कही जाती है, अब तो कुछ होना चाहिये। हम अब भी बरदाश्त करते चले जाते हैं और वह भी इसलिये कि हमारे साथ न्याय किया जायगा। वह सदस्य जो हमारे साथ कन्धे से कन्धा लगाकर काम करते थे वह इस तरह की आवाज निकाला करते हैं। २६ नवम्बर को जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री वहां पर गये थे तो बतलाया गया था कि खलीलाबाद से फैक्टरी उखड़कर दूसरी जगह जा रही है। इस प्रस्ताव को उनके सामने रखा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो यहां की हालत बहुत खराब हो जायगी। इसके बाद मैंने १६ फरवरी की "अमृत पत्रिका" में यह समाचार पढ़ा कि ५ लाख रुपया उस फैक्टरी को दूसरी जगह लगाने के लिये दिया जायगा। हो सकता है ऐसा हो लेकिन इस तरह से काम ठीक नहीं चल सकता है। मैंने इस चीज को बजट में देखा लेकिन बजट के आंकड़ों में यह बात दिखाई नहीं पड़ती है। हमारा इलाका बहुत गरीब है और बहुत खराब हालत है। अगर हमारे यहां से फैक्टरी उखाड़ दी जाती है तो उसका असर ५ हजार मजदूरों पर पड़ेगा और अगर एक फैमिली मजदूर की ५ आदमियों की मानी जाय तो इसका असर २५ हजार आदमियों पर पड़ेगा और साथ ही जो केन ग्रोवर हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा और उनकी संख्या जो इसके असर में आयेगी करीब १॥ लाख होगी और जो वहां के निवासी हैं खलीलाबाद के, उनकी भी तादाद करीब ५-६ लाख के होती है और उन सब की जिन्दगी का दारमदार इस एक मिल पर निर्भर करता है। अगर यह फैक्टरी वहां से उखाड़ी जाती है तो उन सब लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब हमारे पहले मंत्री माननीय केशव देव मालवीय वहां गये थे तो वहां के मजदूरों ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि हमारे लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं जिस से हम यहां सिंचाई कर सकें और फैक्टरी को गन्ना सप्लाई

कर के उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन उस मामले में आज तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जो रुपया देने का वादा किया गया था वह भी नहीं दिया गया और वहां की जो नदियां हैं न उनका पुल ही बांधा गया है। अगर वहां सिंचाई का इंतजाम कर दिया जाय तो फैक्टरी के लिये ५ या ६ लाख मन गन्ने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन इस तरफ भी माननीय निर्माण मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बजट में वहां के लिये मैं देखता हूं कि कोई चीज नहीं रखी गई है। इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है और अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो और बाकी काम मंत्री जी कर रहे हैं उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं और अन्त में मैं उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी ओर ध्यान दें। हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने सूचना विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी योजना बना कर हमारे सामने पेश की है। इस अनुदान के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हैं उसमें नये काम नहीं हैं, यह चालू कामों के सम्बन्ध में है और इस अनुदान में ३ करोड़ से अधिक की रकम रखी गई है, लेकिन जो रकम बढ़ाई गई है वह करीब २ करोड़ २० लाख के दूसरी मदों से लेकर बढ़ाई गई है और कोशिश की गई है कि जो हमारी पुरानी योजनाओं के काम हैं वही पूरे हो सकें, क्योंकि हमारी सरकार के बारे में जनरल धारणा है कि योजनायें बनाई जाती हैं लेकिन वह पूरी नहीं होतीं। इसलिये दूसरे विभागों से रुपया लेकर पुराने कामों को ही पूरा करने की योजना है। लेकिन हमारी जो पंचवर्षीय योजना हैं या १५ वर्षीय योजना हैं या जो दूसरी योजनायें हैं उनके विषय में जो बातें मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कही हैं उसके बारे में मैं कहूंगा कि पूर्वी जिले और पश्चिमी जिलों के बारे में जो प्रश्न यहां उठाया जाता है उसके बारे में मैं उनसे बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इस तरह का पूर्व और पश्चिम का प्रश्न उठाना अच्छा नहीं मालूम होता। जिस तरह से पहले काम्युनल सवाल मुसलमान हिन्दू का होता था उसी तरह से यह चीज यहां न आनी चाहिये। इससे अच्छी भावना पैदा न होगी और बेकार में भिन्न दलों की सी भावना पैदा होगी। सरकार पूरी ताकत के साथ जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह पूर्वी जिलों के लिये प्रयत्न कर रही है। वहां भी नहरें बढ़ाई जा रही हैं, जलकूपों का आयोजन हो रहा है। २,००० नये जलकूप बनाये जा रहे हैं और उसमें से १,६०० से अधिक पूर्वी जिलों में ही बनाये जा रहे हैं। इसलिये पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों के मुकाबले में कोई दूसरी भावना या अन्याय सरकार नहीं कर रही है। पूर्वी या पश्चिमी का सवाल नहीं है और न इस में किसी के कोई अहसान की बात है। हमारी सरकार का और सम्मानित सदस्यों का कर्त्तव्य है कि जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां का पहले प्रबन्ध करे और हमारे मंत्री जी ने इसीलिये उधर ध्यान भी दिया है।

यह हम जानते हैं कि पश्चिमी जिलों में भी इस तरह की जगहें हैं। अभी कुछ दिन हुए मैंने प्रश्नों के जरिये मुरसान परगने की ओर ध्यान दिलाया था जहां पानी के सादा कुयें भी नहीं हैं, उसका प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं वहां इस वक्त काम आगे की योजनाओं का रुका हुआ है। वहां पर जहां कि नल कूप सम्भव नहीं हो सकते हैं तो वहां कोआपरेटिव के जरिये कुयें बनाये जायं। गवर्नमेन्ट भी कोआपरेटिव्स को ५ हजार सहायता देगी और ५ हजार रुपया कर्जा मिल जायगा। हमने ऐसे जल कूप अपने अलीगढ़ जिले में बनाये और ३,३०० रु० में कम्पलीट कुआं बनाया जिसमें कि वे मशीनें जो कि टाइगर मशीनें होती हैं उससे काम पूरा किया है। तो किसान भी कोआपरेटिव्स की सहायता से पूरा करें तो बहुत सा का काम इस प्रकार हो सकता है जो कि सरकारी योजनाओं के अलावा होगा।

[श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ]

तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पूर्वी जिलों में किया जा रहा है उसके लिये हम पूरा सहयोग देते हैं और उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पहले काम नहीं हो रहा ह, जहां पानी की आवश्यकता है और पानी की तकलीफ ह वहां भी आपके बजट में कोई ऐसा विधान नहीं रखा गया है कि वहां कोई नयी व्यवस्था रखी जायगी । इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि वहां भी जल्दी कोशिश की जाय। पिछली बार मैंने एक पत्र सूचना मंत्री जी को लिखा था कि एक इलाका ऐसा है जहां आस-पास में नहर है लेकिन बीच में सूखी जमीन है। वहां कोई व्यवस्था हो सकती है। बिना पैसा खर्च किये एसी व्यवस्था हो सकती है जिस से वहां लोग पानी की व्यवस्था स्वयं कर लें, नहर तैयार कर लें । जनता वहां अपने खर्चे से सब कुछ करने को तैयार है। वहां ऐसी कई नालियां हैं । मैंने मंत्री जी को लिखा था । मैं फिर याद दिलाता हूं कि अगर वहां पानी दिया जा सके तो वह योजना सफल हो सकती है। यह हो सकता है कि बजट में कोई इसके लिये खर्चा न हो लेकिन यदि थोड़ा सा खर्चा दे दिया जाय तो हम ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हैं जिसमें श्रमदान लेकर जनता का, उसे पूरा किया जा सकता है। यह हो सकता है कि इस रुपय में से जो इस अनुदान में हैं हम न ले सकें तो प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की तरफ से ले लें । मैं तो आप से कहूंगा कि यह तो अनुदान वह है जिसमें बाहर से रुपया ले कर इसमें पूरा करते हैं और काफी लम्बी रकम दो करोड़ रुपया से भी ज्यादा इसमें रखी गयी है। अगर थोड़ा सा भी रुपया उन जगहों के लिय खर्च किया जाय तो यह एक ऐसी योजना होगी जो देश के लिय जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है हम बार बार कहते हैं कि हम मजदूर हैं, गरीब हैं। तो मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे सहयोग और पूरी शक्ति के साथ हमारी सरकार इन योजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है और उनको पूरा कराना चाहती है और इस पंचवर्षीय योजना में तो करेगी ही, लेकिन यदि श्रमदान और सद्भावना से काम किया जाय, सिर्फ गाली गलौज और प्रदर्शन से यह काम न करके अगर काम में पूरी शक्ति से जुटें और एक वालंटियर कोर कायम करें जिसमें एक नवीन प्रोत्साहन और जीवन डाल कर उसको पूरा कर सकें तो ज्यादा सफलता हमको प्राप्त हो सकती है

जै हिन्द ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो इस सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समथन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

इस अनुदान पर कुछ कहने के पहले मैं इस प्रदेश के इंजीनियर साहबान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के मुताल्लिक जो उनकी भावनाएं थीं वह कम से कम सूचना मंत्री से मालूम हुआ कि वह बदल रही हैं और वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूर्वी जिलों में भी नहरें बन सकती हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--ऐसा नहीं कहा गया ।

श्री कमला सिंह--नहीं, कह रहे थे कि वहां बाढ़ वगैरा ज्यादा आती है जिसकी वजह से नहीं बन सकतीं । इस प्रदेश के बारे में ऐसा देखा गया कि दो हिस्सों में लोगों ने ट्यूबवेल्स को बांटा है, एक पश्चिमी जिले और दूसरे पूर्वी जिले। पूर्वी जिले के मुताल्लिक सूचना मंत्री ने बतलाया कि रिहन्द बांध ऐसा है जिससे हम पूर्वी जिलों को सब को बिजली सप्लाई कर सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन ३५ करोड़ का खर्चा है जोकि हमारी सरकार की पावर के बाहर है कि जिससे हम उस रुपये को किसी तरह से भी इकट्ठा करके उसको बना सकें। लेकिन फिर भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रिहन्द बांध अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हुआ और शारदा पावर हाउस उसके बाद शुरू किया गया,

वह बन कर तैयार हो गया, लेकिन रिहन्द बांध नहीं बन सका । अगर अब तक इस पर थोड़ा थोड़ा पैसा भी जैसे चारा फेंका जाता है उस तरीके पर खर्च किया गया होता तो यह बांध जिससे पूर्वी जिलों और उनके अगल बगल जितने प्रान्त हैं उनको भी बिजली दी जा सकती है, तो यह तैयार हो जाता । मैं समझता हूं कि सरकार के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि वह इसको बनवाये। इतना ही। जब मैं ट्यूबवेल्स की ओर आता हूं तो जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने सुनाए हैं उनको सुन कर बड़ी खुशी हुई और उनका जो भाषण हुए इतने सुन्दर थे कि हम अपने भविष्य को उज्वल देख रहे थे । लेकिन हमारी ठीक वही दशा है कि सोते समय मनुष्य बहुत सुन्दर सुन्दर स्वप्न देखता है लेकिन आंख खुलते ही कुछ नहीं दिखायी देता। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ दिये हैं उसमें कहा गया है कि पूर्वी जिलों के ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं उनकी सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की तरफ आप देखें कि कितने ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं । जब हमारे सूचना मंत्री जी आंकड़े पढ़ रहे थे तो ऊपर से नीचे आते समय जब वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस पर पहुंचे तो उनका धाराप्रवाह कम हो गया । अगर आप आंकड़े देखें तो ५, ३, २ और ४ हमारे ट्यूबवेल्स हैं । यही हैं जिनसे प्रत्येक जिला सींचा जा रहा है । मुझे अफसोस है कि वह पूर्वी जिले जहां पर खाद्य समस्या इतनी खराब हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि किसी तरीके पर ट्यूबवेल्स आदि कोआपरेटिव बेसिस पर भी बना सके, वहां पर हमारी सरकार की यह कृपा है कि वह १४ ट्यूबवेल्स मुश्किल से इन जिलों में बनवा रही है। यह नमूना है इस सरकार का । अगर भविष्य की तरफ भी हम देखें तो यह आंकड़े हैं २५, १८, १२, २० और ३०। इससे पता चल सकता है कि हमारा भविष्य कितना उ वल है अगर सरकार सचमुच ट्रायल करना चाहती है जैसा कि हमारे इंजीनियर साहबान ट्रायल करना चाहते हैं तब तो हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अभी बतलाया गया कि रुड़की में और सब जगह ट्रायल हो रहा है कि नदियों में जो बाढ़ आती है वह किस तरह से रोकी जाय। मैं समझता हूं कि सरकार भी अब सोच रही है कि पूर्वी जिलों में खाद्य परिस्थिति इतनी खराब है उसको किस प्रकार सुधारा जाय और उनको सुधारने का पहले एक्सपेरीमेंट होगा, जब तक कोई दैवी प्रकोप न हो तब तक शायद आंखें न खुलेंगी। मैं समझता हूं कि पिछले साल अगर भुखमरी गाजीपुर, बलिया, देवरिया वगैरह में न होती तो शायद यह चीज भी सुनने में न आती। पिछले १९५२-५३ के बजट में हमने सुना था कि १०० ट्यूबवेल्स पूर्वी जिलों में बनेंगे और ५० हजार रुपया आजमगढ़, बस्ती, बलिया के मुताल्लिक ग्रांट किया गया । लेकिन आज क्या दशा है? आज भी ट्यूबवेल नहीं बनते। कहीं हमने यह भी नहीं देखा कि वाकई बनने जा रहे हैं या नहीं। इन चीजों को कहते हुए मुझे शर्म मालूम होती है और मैं समझता हूं कि सूचना मंत्री जी ने जो बातें कहीं वह सचमुच स्वप्न हैं । मैं समझता हूं कि जो हालत इस खित्ते की है अगर वही हालत रही तो शायद हम लोग बरबाद भी कर दिये जायंगे। मैं तो यह भी बतला देना चाहता हूं कि नहरों की जो हालत है जैसा कि अनुदान संख्या ९ में दिया गया था उसमें दिया गया कि नहरों की लम्बाई चौड़ाई आज सिटुरेटेड प्वाइंट पर पहुंच गई है और ज्यादा से ज्यादा रुपया उनकी मेंटिनेंस पर लगाया जा रहा है और वह वक्त आ गया है कि जब हमारे लिए एक कौड़ी भी नहीं बचेगी कि आगे एक्सटेंशन कर सकें। और अगर यही हालत रही जैसी कि हमने अब तक देखी है तो मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों के लोग जो भूखों मर रहे हैं शायद उन लोगों को खून का शिकार होना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह भी बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकई पूर्वी जिलों की व्यवस्था को सुधारना चाहती है तो मैं कहता हूं कि जितना जनश्रम का सवाल है हम लोग करने को तैयार हैं। हम लोगों ने सब से ज्यादा जनश्रम का काम किया है। हम लोगों ने यह नहीं देखा कि भूखे हैं कि खाना खाये हैं और सबने मिल कर इतना ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी नतीजा यह हुआ आपने देखा। सन् १९४२ में भी गाजीपुर और बलिया सबसे आगे थे उसका परिणाम भी जो

[श्री कमला सिंह]

कुछ हुआ वह आपने देखा, नमूना आपके सामने है। अगर ट्यूबवेल्स की तरफ देखें तो हमें दो विभागों से ट्यूबवेल्स मिलते हैं। एक तो कृषि इंजीनियरिंग विभाग और दूसरा पी० डब्ल्यू० डी०। जो पिछला बजट था उसमें हमने यह देखा कि करीब ४४० ट्यूबवेल्स थे, उनका दाम ८० लाख रुपया रखा गया था। उसमें था कि ८० लाख रुपये में बन जायगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक ट्यूबवेल्स का दाम १८ हजार रुपया रखा गया था। इस साल वही ट्यूबवेल जो बनाये जा रहे हैं उनकी कीमत ५० लाख एस्टीमेट की गई है ? इस तरह से २५ हजार रुपये उसकी कीमत होती है और उधर पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये अगर देखा जाय तो ५० हजार में एक ट्यूबवेल बनता है। मैं नहीं समझता कि यह डिफरेंस क्यों है। इस चीज का हमें ख्याल करना है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सूचना मन्त्री जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं वह उसको क्लीयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि कहां तक ये एस्टीमेट ठीक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के गांवों की ज्यादातर अवहेलना की जा रही है। . . . .

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो टाइम मुकर्रर है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--समय तो १० मिनट का है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--सात मिनट का है।

श्री कमला सिंह--गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में एक ताल है बेलहरी, दरवेपुर जो ६० मील लम्बा है। उसके मुताल्लिक कई दफ़ा मैंने प्रश्न दिये और इनफार्मेशन मिनिस्टर साहब को भी मैंने सुझाव देने की कोशिश की प्रश्नों के जरिये लेकिन मुझको उसका जवाब नहीं मिला कि आया उस ताल के जरिये सिंचाई की कोई योजना चालू की जा सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा वह ताल है गाजीपुर जिले में लेकिन उसके लिए कोई भी विवरण सुझाव वगैरह नहीं बतलाया गया। मैं समझता हूं कि अगर उस ताल को भी सिंचाई के लिये. . . . .

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो उस ताल का नाम लिया वह समझ में नहीं आया। उसको जरा फिर से बतला दें।

श्री कमला सिंह--बेलहरी, दरवेपुर ताल का नाम है। इसी नाम से वह मशहूर है। इस ताल के जरिये और हमारे जिले में बहुत से छोटे छोटे नाले हैं जिनसे भी अगर माननीय मन्त्री जी उसकी तरफ भी ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी सिंचाई की योजना बनाई जा सकती है। इन सब चीजों को कहते हुए मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी यह पूर्वी जिलों की जो समस्या है उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे और ट्यूबवेल की जो तादाद कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के साधनों की दृष्टि से मैं अपने प्रदेश को दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक तो वह जिसमें कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा और बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा सिंचाई के साधन मुहैया किये जा सकते हैं। और दूसरे वह भाग हैं जिनमें न ट्यूबवेल बनाये जा सकते हैं, न कुएं खोदे जा सकते हैं और न बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा सकती हैं। सरकार ने छोटी छोटी चेनल्स वहां बनाना प्रारम्भ किया और उसका एक प्रयोगात्मक तरह से कार्य आरम्भ किया। इससे वह इस नतीजे पर पहुंची कि पर्वतीय प्रदेशों में छोटे छोटे चैनल्स बनाये जा सकते हैं और छोटी छोटी चैनल्स के द्वारा वहां के किसानों की हालत सुधारी जा सकती है और सिंचाई के साधनों को मुहैया किया जा सकता है। सन् १९५१-५२ ई० में इसके लिये १२ लाख रुपया मंजूर किया गया, मुझे ताज्जुब हुआ कि सन् १९५२-५३ ई० में उस रकम को कम करके आधा कर दिया गया।

दूसरी बात सुनने में यह आयी कि यह कहा जाता है कि जो चैनल्स वहां बने हैं उनको सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं को सुपुर्द कर देना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अल्मोड़ा की माली हालत बहुत खराब है और गांव सभाओं की यह दशा है कि वे अपने सेक्रेटरियों का वेतन नहीं दे सकीं, जिसे सरकार को अपने बजट से देना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो चैनल्स बने हैं उनको सरकार अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं को देने का इरादा रखती है, तो उसको छोड़ दे और सरकार उनका प्रबन्ध खुद करे। यदि सरकार उनका खुद प्रबन्ध नहीं करेगी तो चैनल्स के ऊपर जो अब तक खर्चा हुआ है वह बेकार चला जायगा। वहां छोटे छोटे चैनल्स के अलावा पानी की इतनी कमी है कि अगर टिकाओं को बनाया जाय तो उनके द्वारा भी थोड़ी बहुत सहायता किसानों को मिल सकती है। इसलिये चैनल्स के अलावा टिकाओं के बनाने का प्रयास भी किया जाय। इसके अतिरिक्त वहां नदियों के प्रवाह से जो जमीन बह जाती है, उसको भी लैंड मैनेजमेंट डिवीजन में शामिल किया जाय ताकि जो जमीन बह जाती है और उससे किसानों को नुकसान होता है वह नुकसान उनको न हो, और वहां पर किसान जो थोड़ा बहुत सिंचाई का काम करते हैं उसकी भी रक्षा हो। जहांतक पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं पंच वर्षीय योजना की सफलता श्रमदान पर निर्भर करती है। लेकिन मैं अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अल्मोड़ा की करीब आधी लाख की आबादी में कौन सी ऐसी चैनल्स की योजना है जिस में वहां के लोग श्रमदान करें। मैं चाहता हूं कि जिले में कोई भी योजना जब पहले बने तो इस दृष्टि से योजना बनाई जानी चाहिये कि जिले के हर हिस्से के लोग उसमें भाग ले सकें और उसका निर्माण कर सकें। वहां जिले का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं है। अगर हम चाहें कि वहां के लोग श्रमदान दें तो किस चीज में दें, यह सवाल हमारे सामने आता है। मैं पिछले वर्ष वहां के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर से नैनीताल में मिला। मैंने उनसे निवेदन किया और यह प्रार्थना की कि जिला के तमाम हिस्सों का वह सर्वे करके एक पूरी योजना बना दें और पूरी योजना को बना करके जिस हिस्से में अगर सरकार आज रुपया नहीं दे सकती है, तो वहां के लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे अपने श्रमदान से वहां निर्माण कार्य करें। यह हो सकता है कि ओवरसियर और इंजीनियर्स की कमी हो। अगर उनकी कमी की वजह से सर्वे नहीं हो सकता है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की तादाद को बढ़ाएं जिससे वहां सर्वे का काम हो सके। इस गणतन्त्र के सप्ताह के मौक़े पर हमने देखा कि सरकार और राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वे पीछे रह गईं और जनता हमसे आगे रही। कई जगह जनता कार्य करना चाहती थी लेकिन कोई योजना न होने की वजह से वह अपने श्रमदान का उपयोग न कर सकी। चाहे सड़कों का निर्माण कार्य हो, चाहे नहरों का निर्माण कार्य हो, चाहे कुवों का निर्माण कार्य हो उसके लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ती है। जब एक योजना होती है तो उस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वहां के लोगों के श्रम को लगाना ही ज्यादा उपयुक्त होता है। अलमोड़ा में इस प्रकार की कोई योजना, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं बनाई गई जिसका निर्माण वहां की जनता अपने श्रमदान से कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की योजना बनाने के लिये अपने विभाग को आदेश देंगे। मैं अपने दौरे में कई जगह गया और बहुत सी पट्टियों में मैंने देखा कि वहां चैनल्स बन सकते हैं। सरकार के पास पट्टी, सकटी, रीठगढ़ आदि के बारे में मैंने लिखा और मैंने यह निवेदन किया कि उनकी योजना और उनका सर्वे हो जाना चाहिये। क्योंकि यातायात की असुविधा के कारण वहां बड़े बड़े अफसरों को जाने में दिक्कत होती है इसलिए जहां तक मैं समझता हूं वहां कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर असुविधा के कारण ही वहां नहीं जाया जा सका तो अल्मोड़ा में बहुत सा भाग ऐसा पड़ेगा जहां कि चैनल्स नहीं बन सकेंगे और जहां कि इस कार्य में सरकार को अधिक श्रमदान वहां के लोगों का नहीं मिल सकेगा।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

सरकारी अफसरों को इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि ऐसे हिस्सों में भी जहां यातायात के साधन नहीं हैं, जहां मोटरें नहीं जा सकती हैं, जहां कारें नहीं जा सकती हैं वहां वे जायं और उन जगहों को देखें और उसको देख करके और वहां सर्वे करके उसकी योजना बनावें। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य वहां होते हैं सिंचाई साधनों के सिलसिले में, मैंने पिछली बार यह निवेदन किया था कि उसमें रुपया गांव के लोगों को चैनल्स बनाने के लिये दिया जाय। गांव सभाओं द्वारा यह कार्य थोड़े से रुपयों में भी ज्यादा हो सकता है। ठेके दे करके जो हम कार्य करते हैं उसमें खर्चा ज्यादा होता है लेकिन जो कार्य की मिकदार है वह बहुत ही कम होती है। हम उतना ही रुपया वहां की गांव सभाओं को और वहां के स्थानीय लोगों को दें तो उससे हम ज्यादा कार्य कर सकेंगे और उतने ही रूपये में ज्यादा लम्बे चैनल्स बन सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार इस बात की कोशिश करेगी तो उसमें उसको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी और चैनल्स ज्यादा बन सकेंगे। बहुत से गांवों में लोग अपने यहां श्रम से चैनल्स बनाना चाहते हैं लेकिन उनको दिक्कत यह होती है कि या तो चैनल जंगलात से होता हुआ जाता है या किसी दूसरे की ज़मीन से हो करके जाता है तो वह उन चैनल्स को तब तक नहीं बना सकते हैं जबतक कि कोर्ट में न जांय और फारेस्ट से इजाज़त न मिले। अगर सरकार ऐसी योजना बनाएगी तो किसानों की यह दिक्कत दूर हो जायगी। इसलिये मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो योजनायें बनें, वहां के लोगों को इस तरह से सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि पहाड़ी जिलों में योंही प्रकृति ने इतनी कठिनाइयां, जिस ढंग के वहां इलाके हैं, भूमि की कमी है, पैदा कर दी हैं और लोगों ने छोटे छोटे खेत बना रखे हैं। यों ही बहुत सी कठिनाइयां लोगों के सामने हैं जिन्हें अपनी जिन्दगी बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिये विशेष तौर पर निर्माण के कार्यों में और सिंचाई के साधनों को बनाने में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी ने जो रक़म रखी है वह आयन्दा बढ़ा दी जायगी और इस बात का ख्याल रखा जायगा कि वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके लिये जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य में अधिक से अधिक सहायता वहां के लोगों की की जाय।

यह कह कर मैं जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, इस बजट के सेशन में मैं बराबर इस बात की कोशिश करता रहा कि मुझे भी कुछ अवसर मिले तो निवेदन करूं। लेकिन सौभाग्य से, बावजूद इसके कि मेरा कटमोशन नहीं है, आपने कृपापूर्वक मुझे समय दिया है उसके लिये धन्यवाद है। क्या ही अच्छा हुआ होता कि यदि मुझे पहले समय मिलता तो मैं कुछ निवेदन कर सकता था। लेकिन इस अनुदान के सिलसिले में बस्ती जिला, जो इस प्रान्त का सबसे बड़ा जिला है, उसका भी इसमें जिक्र है तो थोड़े समय में मैंने यह चाहा कि आपसे प्रार्थना करके समय निकाल लूं और अपने यहां का प्रतिनिधित्व कर सकूं।

बानगंगा कैनाल के सम्बन्ध में आदरणीय मंत्री जी ने जिक्र किया है और इस बानगंगा नहर के सिलसिले में पिछले साल भी मैंने ज़िक्र किया था कि सरकार ने जो उस पिछड़े हुए ज़िले के वास्ते कार्य किया है उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं और उसके आभारी हैं। ३४ लाख रुपया सरकार उस बानगंगा नहर पर ख़र्च करने के लिये उद्यत है और कुछ लाख रुपया ख़र्च भी हो चुका। उसी सिलसिले में मैंने एक पत्र भी माननीय मंत्री जी की सेवा में भेजा था कि किस तरह से उसका और भी सुधार हो सकता है। आज साल भर गुजर गया, माननीय मंत्री जी ने हमारे पत्र की पहुंच की इत्तिला भी दी और यह फरमाया था कि उनके दफ्तर में म पहुंचूं और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हों और एक दूसरे के परामर्श से अगर कुछ सुधार होना सम्भव हो तो वह कर दिया जाय। सालभर गुजर गया, हमको वह सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ और आज विरोधी दल के नेता ने यह शिकायत की कि वहां पर फ़सल को काटा जा रहा है जबकि काटने का अवसर नहीं है। किसानों को नुकसान होता है। मैं खुद

वहां गया और वहां की स्थिति को देखा और विस्तारपूर्वक लिपिबद्ध करके मैंने सेवा में समर्पित किया। यदि अवसर दिया गया होता तो बहुत मुमकिन है कि हमारे ऊपर जो भार डाला गया है वह हलका होता। आज जो ३४ लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जाने वाला है इस साल भर में नहीं मालूम उसमें कितना बरबाद हुआ। जब हम टैक्सपेयर की एक एक पाई का हिसाब रखना चाहते हैं और उन किसानों से जो आबपाशी के जरिये से सरकार की उत्पादन वृद्धि में सहायता करना चाहते हैं तब अगर ५०० रुपया भी ज्यादा खर्च किया गया है तो उन किसानों की गाढ़ी कमाई पर हम कुठाराघात करते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह कृपापूर्वक अपने अधिकारियों के ऊपर न रह जावें और मेरे ऐसे जो यहां पर सदस्य हैं उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। यदि वह ध्यान नहीं देते हैं तो नतीजा यह होगा कि जहां तक रास्ता जाना चाहिये वहां तक नहीं जायगा। मैंने अपने पत्र में सुझाव दिया था कि कई हजार एकड़ की सिंचाई करने के लिये जहां उसमें सुविधायें दी गई हैं मैं समझता हूं कि ३४ लाख रुपया आपका खर्च हो जायगा और फिर भी बानगंगा में इतना पानी नहीं होगा जिससे आपका मक़सद पूरा होजाय। मैं खुद उस जगह पर देख कर आया हूं कि वहां पर इतना वाटर नहीं रहता जिससे वहां के लोगों का काम चल जाय। वह क्षेत्र अन्न का भंडार है, वहां धान की खेती होती है तो वहां किन रास्तों से कैनाल्स ले जानी चाहिये, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां गये होते या हम लोगों को सुविधायें दी गई होतीं यानी जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटियां कायम होंगी लेकिन इन कमेटियों के मुकर्रर करने से क्या फायदा होगा जब यहां से आर्डर तो जायगा लेकिन जिले में उसके अनुसार काम नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को मिलने की सुविधा दी गई होती तो आज दूसरी ही स्थिति हमारे सबके सलाह से बन जाती। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब गये लेकिन उन्होंने यह भी मेहरबानी नहीं की कि हमसे पूछ भी लिया होता कि तुमको या तुम्हारे किसानों को क्या तकलीफ है, इसका हमें बहुत दुख है। हमें यह खुशी है कि उसका बाजार का जिक्र यहां पर आया। वह अन्न का भंडार है लेकिन यह सही होते हुये भी अगर पानी वहां पहुंचाया नहीं जाता तो फिर वह भी खत्म हो जायगा। सिर्फ कैनाल्स बना देने से कोई फायदा नहीं होता। यह सही है कि जहां पानी पहुंचाया जायगा वहां अन्न उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही लेकिन पानी उचित मात्रा में ठीक तरीके से पहुंचाया जाय तभी लाभ ज्यादा हो सकता है। फलड ऐफेक्टेड एरियाज़ की बात हमारे माननीय मंत्री ने कही है तो वहां बहुत से रिजर्वायर्स हैं। अगर बानगंगा का पानी उन रिजर्वायर्स में डाल दिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि बरसात का पानी बहुत काम में आ सके। मैंने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव नक्शा बनाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भेज दिया और वह बहुत सम्भव है जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय गये थ उनके सामने आया हो लेकिन उस पर क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय और मैं दोनों एक ही जगह के पढ़े हुए हैं और एक ही क्षत्र के निवासी हैं और वह इन क्षेत्रों से पूर्ण रूप से अवगत हैं। अगर उन्होंने स्वयं इस ओर ध्यान न दिया तो बहुत सम्भव है कि ये ३४ लाख रुपये भी निरर्थक स्थान पर खर्च हो जायं और इससे बढ़ कर क्या विडम्बना हो सकती

इसके अतिरिक्त जो किसानों के ऊपर यह टैक्स नहरों का लगाया जा रहा है वह मेरे मन में ऐसा लगता है कि अगर उसको, टैक्स को न लगाया गया होता तो अच्छा था। बस्ती जिले का जिक्र किया गया है कि ५२ ट्यूबवेल्स लगे हैं। बस्ती प्रापर में एक ट्यूबवेल है लेकिन सिर्फ ट्यूबवेलों के बन जाने से ही काम नहीं चलता। अगर पानी कच्ची नहरों से उतारा जाय तो बहुत मुमकिन है कि वह किसानों के खेत में न पहुंच कर इधर उधर बह जाय क्योंकि वह नई नालियां बनी हैं और कच्ची हैं तो ढेकुरी से या ढेकुल से या अपने गड्ढे से जब पानी चलाते हैं उसमें और जो मार्डनाइज्ड ढंग ट्यूबवेल्स का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

अब वह जो टैक्स लगाया जायगा ट्यूबवेल्स के लिये, वह तो एक यूनीफार्म रेट पर होगा सारे सूबे के लिये, यह तो नहीं होगा कि बस्ती जिले के लिये कुछ फर्क हो और किसी जगह के लिये और हो लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अगर बस्ती जिले के लोगों से लिया जायगा तो यह उनके लिये बारेगरां होगा। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिये। आप लोन ले सकते हैं, आप लेवी लगा सकते हैं या किसी दूसरी जगह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सूद पर काफी रुपया आपको मिल सकता है क्योंकि आपके अंग बहुत विस्तृत हैं। और हमारा क्रेडिट इस प्रांत का इतना है कि हम दूसरी जगह से कर्जा लेकर विकास के कार्यों को चला सकते हैं लेकिन इन किसानों को जिनके सम्बन्ध में पहले ही अपनी घोषणा में जिक्र कर दिया गया था कि हम तुमको ट्रांजीशन पीरियड में जहां तक हो सकेगा सुविधा देंगे और यदि अब यह भार उनके ऊपर पड़ गया तो बड़ी दिक्कत होगी। यदि ऐसा न होता तो अच्छा होता।

इन चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आप पूर्वी जिलों से, पश्चिमी जिलों से, मध्यवर्ती जिलों से और दक्षिणी उत्तरी जिलों से अवगत हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आपकी अध्यक्षता में विकास के कार्य और इर्रीगेशन के काम ऊंचे पैमाने पर जायंगे और आपकी देखभाल में हमारा प्रांत फलता फूलता रहेगा।

श्री भगवान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को भी सुना और आज अपने सिंचाई मंत्री महोदय के भाषण को भी ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह समझता हूं कि यह टैक्स जो भराई के रूप में बढ़ाकर ५० प्रतिशत लगा रहे हैं वह ठीक और न्यायोचित है। इसके पक्ष में जितने भी जोरों से भाषण हुआ हो, जितनी भी युक्ति दी गई हो, मैं ज्यादा शब्द तो कहना नहीं चाहता हूं और न मेरी आदत ही है। लेकिन मैं इस प्रांत के कैबिनेट को चेलेंज देना चाहता हूं कि वह जाकर इस सम्बन्ध में जो किसान खेतों में पानी लगाते हैं, उनके वोट्स ले लें कि हम इस समय जो ५० प्रतिशत भराई का लगाना चाहते हैं वह इसके लिये तैयार हैं या नहीं। अगर वह तैयार हों तो ठीक है।

मैं भी अपने मंत्री महोदय की तरह से कह सकता हूं कि इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। आज जो किसानों की आर्थिक अवस्था है उसके खिलाफ यह बात है। घर में बैठ कर वह किसी तरह से भी कहें लेकिन यह जो आप ५० प्रतिशत भराई के रूप में लेना चाहते हैं इसको वह सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर आपका क्या कर्त्तव्य हो जाता है? मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ईख की फसल पर २२ रुपये फी एकड़ पहले से ही बढ़ गया है और अब ५० प्रतिशत भराई का और बढ़ा देने से ११ रुपये फी एकड़ की बात हो जायगी। जो आप उन्नति कर लगाने के लिये जा रहे थे उसके बराबर ही नहीं बल्कि उससे भी यह ज्यादा हो जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है।

दूसरी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी खींचूंगा कि सदन में यह बराबर कहा जाता है कि कहीं पर भी कोई आंकड़े से यह साबित कर दे कि हमारे यहां कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है किसी डिपार्टमेंट के अन्दर, तो हम फौरन उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि कहां पर यह है। उन्होंने कहा कि पावर हाउस जो बना है उसमें भी मेरा हाथ है। मैं जानना चाहूंगा कि कासिमपुर में पावर हाउस बना तो वहां पर पुराने पुराने ब्वायलर्स तो इंगलैंड से आगये लेकिन अभी तक वहां ट्रांसफारमर्स का नाम तक नहीं है। यह सब से पहली चीज थी जो सब से पहले आनी चाहिये थी। लेकिन उस वक्त के इंजीनियर साहब के दिमाग में यह बात नहीं रही और ब्वायलर्स को मंगा लिया गया और उनकी हालत क्या है यह भी आपको मालूम हो जाना चाहिये और आपकी कड़ी दृष्टि इधर जानी चाहिये।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि श्रमदान की बहुत तारीफ की गई है। मैं उन आदमियों में से हूं जिन्होंने २६ तारीख से लगाकर ३० तारीख तक अपनी सिकन्दरा राऊ तहसील में डेढ़ मील लम्बा नाला अपनी शक्ति से, सरकार की शक्ति से नहीं बल्कि अपनी प्रजा पार्टी के १०० आदमियों ने काम करके डेढ़ मील लम्बा नाला इसलिये बनाया कि वहां पर फसल गर्क हो जाती है। उन्होंने भी हमारे कहने से बड़ी लगन से काम किया और हमने डेढ़ मील लम्बा नाला खुदवाकर तैयार किया। तो मैं उसकी तारीफ नहीं करना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने कासिमपुर पावर हाउस के पास तीस गांवोंके आदमियों को अपनी तरफ मिला कर ६० आदमी प्रति दिन के हिसाब से एक डेढ़ मील लम्बी सड़क बनवाई। आपके राज्यपाल उसका उद्घाटन करने के लिये गये। गांव वालों ने एक पत्थर खोद रक्खा था जिस पर उस मेकेनिकल इंजीनियर का नाम था क्योंकि वह नाली उसी की मेहनत से बना था उसका नाम गांव वाले रखना चाहते थे लेकिन एस० डी० ओ० साहब उसे छिपाना चाहते थे। गांव वाले वह पत्थर ले कर राज्यपाल के सामने पहुंच गये और राज्यपाल महोदय ने खुद उनके हाथ से उस पत्थर को ले लिया और खुद १०, ५ कदम आगे चल कर उसको अपने हाथ से लगा दिया। इस महीने की १९ तारीख की बात बतलाता हूं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी से उसकी शिकायत की थी। १९ तारीख को ही टेलीफोनिक हुक्मों के जरिये से उस आदमी को बरखास्त कर दिया गया यह कह कर कि तुम्हारी पोस्ट एबोलिश कर दी गई। जो आदमी सन् १९४४ ई० से लगातार आज तक काम करता रहा, जिसके काम की आज तक कहीं भी शिकायत नहीं उस आदमी को सिर्फ इसलिये कि उसने श्रमदान के लिये प्रयत्न किया और वहां के किसानों ने जो तीस गांवों के थे उन्होंने चाहा कि उसका नाम वहां रहे उसने वहां पर एक स्कूल भी खोला, हुक्म पहुंच जाता है कि उससे फौरन चार्ज ले लिया जाय कि २८ फरवरी के बाद वह काम नहीं करेगा यह पोस्ट एबोलिश कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बात मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर वाकई इंजीनियर की जरूरत नहीं है तो फिर पांच पांच ट्रान्सफार्मर क्यों रक्खे जा रहे हैं? वहां पर उस पावर हाउस में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। मैं उनके सामने आंकड़े पेश कर सकता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जल्दी तहकीकात कर ले। अगर एक महीने के बाद तहकीकातें की गई तो सब गोलमाल ठीक हो जायगा। ऐसे मामलों में तहकीकात करने के लिये यह होना चाहिये कि फौरन ऊंचे से ऊंचा अधिकारी जाय और उस मामले की जांच करे। मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसा बिजली के कुओं के बारे में कहा गया। जरा कड़ी निगाह आपकी उस तरफ हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि अलीगढ़ के जिले में खैर और इगलास तहसील में कितने कुओं की योजना थी और अब तक कितने बने। ट्यूबवेल के जो इंजीनियर हैं उन्होंने पिछले साल कितने कुएं बनवाये और कितना रुपया लैप्स हो गया। इसके ऊपर जांच होनी चाहिये कि क्यों नहीं बने। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जनवरी के शुरू में प्लानिंग कमेटी में गये। लोग अब तबाह हो गये हैं। लोग चाहते हैं कि खुद खेती की उपज बढ़ायें। उनको कम से कम कुओं के लिये सीमेंट मिलना चाहिये। हमारे प्लानिंग आफिसर साहब ने कहा कि मेसनरी ट्यूबवेल्स का सीमेंट अलहदा से आता है। हम ने तार पर तार दिये, रिमाइंडर भेजे लेकिन सीमेंट नहीं मिला। यह मैं १३ जनवरी की बात कह रहा हूं। जो लोग अपने कुएं बना कर जमीन को पानी देना चाहते हैं उनको सीमेंट तो कम से कम मिलना चाहिये।

एक हमारे एम०पी० महोदय ने यह सुझाव दिया कि साहब कम से कम आपकी सरकार यह कहती है कि अधिक अन्न उपजाओ तो जो सीमेंट इधर उधर आप सिनेमा वगैरह को

[श्री मलखान सिंह]

देते हैं कम से कम उसी में से निकाल कर किसानों के कुओं के लिये दे दो। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि ऐसा करने का हमको हुक्म नहीं है। अभी अलीगढ़ जिले में जैसा कि हमें बताया गया कि तार पर तार देने के बाद भी वहां सीमेंट नहीं पहुंची और किसानों का रुपया भी सरकारी खजाने में पहुंच गया लेकिन सीमेंट नहीं मिली और फस्ल खत्म हो गयी। तो इसका भी कोई इन्तजाम हमारे माननीय मंत्री जी को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री राम मूर्ति--उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों ने इस अनुदान के सम्बन्ध में जो सुझाव रखे उनको बड़े गौर से हमने सुना। हम उनको यह आश्वासन देते हैं कि उनकी तमाम बातों पर हम ध्यान देंगे और उनकी उपयोगिता को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी योजनाओं के प्रोग्राम में उनको सम्मिलित कर सकें। आखिर हमारा और आप सबका कोई अलग अलग इंट्रेस्ट नहीं है, हम और आप सब एक ही लक्ष्य को सामने रखते हैं कि अपने प्रदेश की उन्नति हो और उस नजरिये से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करें।

तिवारी जी ने जब विवाद शुरू किया तो उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कुछ बातों की शायद उनको जानकारी नहीं थी इसलिये उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने यह कहा कि हमारी योजनायें समय के अन्दर तैयार नहीं होती हैं और ज्यादा वक्त लग जाता है। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमारी योजनायें समय के अन्दर नहीं बल्कि समय से पहिले तैयार हो जाती हैं। हमारे यहां जो डैम बनते हैं तो यह कायदा है कि ज्यों ज्यों पानी स्टोर करने की कैपिसिटी उसकी होती जाती है उसके साथ ही साथ हमारे वहां टनल भी बनने लग जाता है और ज्योंही पानी स्टोर होने लगता है उसके बाद ही देना भी शुरू कर देते ह। फार्मल तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हम तब करते हैं जब काम पूरा कम्पलीट हो जाता है या इतना रह जाता है जिससे कोई अड़चन न हो। समय से पहिले काम खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ख्याल होगा, आप अगर रिपोर्ट पढ़ें, तो हमारा बेलन वीयर जब बना तो उस समय हाफिज साहब जो मिनिस्टर थे उस महकमे के, उनको यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी वह वियर बन कर तैयार हो गया होगा और इस सदन के तमाम सदस्यों को भी इस बात का ताज्जुब हुआ। और जब हाफिज साहब वहां पहुंचे और उन्होंने वियर को तैयार हुआ देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि कितनी जल्दी वहां पर काम हुआ। माता टीला डैम के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया और कुछ बात अखबारों में छप गयी। लेकिन वह कोई वैसी चीज थी नहीं। हमारा जो सर्वे हुआ वह पहले से सब काम तय करने के बाद हुआ। मध्य भारत के कुछ लोगों को जानकारी न होने के वजह से उन्होंने हमारे कुछ काम में रुकावट डाली लेकिन जब मामला हमने उनको रिफर किया तो वहां की जो चीज सबसे पहिले तैयार हो चुकी थी उसी के अनुसार काम हुआ। और मध्य भारत या विन्ध्य प्रदेश को एतराज करने का क्या मौका है? उससे तो उनकी ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इससे तो वह खुश होंगे। और आप जानते हैं कि वह बहुत छोटी स्टेट्स हैं हमारे मुकाबिले में।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कोई एतराज मध्य भारत गवर्नमेंट ने पेश किया या नहीं?

श्री राम मूर्ति--मैंने आपको बताया कि उनके जो कर्मचारी थे वे बगैर जानकारी की बुनियाद पर एतराज कर गये थे। जब हमारे यहां से रेफरेन्स हुआ तो उन्होंने उस एतराज को वापस ले लिया। यह मैंने बतलाया आपने उस पर ध्यान दिया होगा।

इसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि इस बजट में से १ करोड़ १० लाख रुपया हमने हाईडेल में डाल दिया। उनको मालूम होना चाहिए कि १ करोड़ १० लाख रुपया हमने हाईडेल में नहीं डाला है बल्कि हमारे ये जो टयबवल्स बनते हैं उनके लिये पावर की जरूरत होती है और उस पावर के लिये हम कम्पनीज को रुपया दिया करते हैं ताकि वे अपने पावर हाउसेज बनायें और अपने डिपार्टमेंट के जरिये से पावर हाउसेज बनते हैं जैसे कि हमने

शाहजहांपुर, गोरखपुर और मऊ में बनाये हैं। बनारस की कम्पनी को हम रुपया दे रहे हैं ताकि बनारस और जौनपुर के लिये जो ट्यूब वेल्स बन रहे हैं उनको वह इनरजाईज कर सकें। तो उसके लिये १ करोड़ १० लाख रुपया हमने रखा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर एतराज़ किया जा सके। हाईडेल का अलग प्रोग्राम है। उसका जब प्रोग्राम यहां पेश करें उस वक्त आप कहें तो मुनासिब होगा। यह जो रुपया दिया है वह ठीक तरीके से दिया है और जो ट्यूब वेल्स हैं उनको इनर्जाईज करने के लिये दिया है। उन्होंने भावर के बारे में भी जिक्र किया कि भावर में पानी की बहुत कमी है। हम पहले ही बता चुके हैं कि भावर में ट्यूब वेल्स बनाने में बड़ी दिक्कतें हैं, इसलिये वहां पर जो साधन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने एक बार प्राईवेट तरीके से भी जिक्र किया था कि गोला नदी का सर्वे कराया जाय। अगर वे प्रपोजल देंगे तो उनका भी सर्वे कराया जायगा और अगर उसमें पानी देने की कैपेसिटी पायी जायगी तो जरूर हमें खुशी होगी कि भावर के लोगों को पानी दे सकें। ट्यूबवेल्स के बारे में सुबह माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया कि वहां पर ट्यूबवेल्स में बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन फिर भी एक बन चुका है और भी बनाये जा रहे हैं और आगे भी जितनी जरूरत होगी उनको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

गेंदा सिंह जी ने इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि जिस एरिया में आबपाशी बढ़ रही है उसमें पैदावार में भी तरक्की होगी या नहीं। सन् ५२ से ५६ तक हमारे यहां २१ लाख एकड़ जमीन में अधिक सिंचाई होगी। हम सन् ५२ में ८० लाख ८५ हजार एकड़ जमीन को पानी दे रहे हैं लेकिन सन् ५६ में कम से कम २१ लाख एकड़ जमीन ज्यादा पानी का उपयोग कर पायेगी और ५, साढ़े पांच प्रति एकड़ के हिसाब से ४ लाख ३५ हजार टन गल्ले की वृद्धि होगी। और अगर उसकी कीमत का अन्दाजा लगाया जाय तो १७,१८ करोड़ रुपये का अधिक गल्ला पैदा होगा। इसलिये ये स्कीम्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं।

श्री धनुषधारी जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने ज्यादा समय को शुगर फैक्ट्रियों के बारे में लगा दिया। शुगर फैक्ट्रियों से हमारे विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। सिंचाई के बारे में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जिलों का ही ज्यादा जिक्र किया। मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार के सामने पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल नहीं है हमारे यहां प्रेजेन्ट कन्डीशन या वस्तुस्थिति जैसी भी होती है उनके हिसाब से ही योजनाओं को बनाया जाता है। पिछले जमाने में पूर्व के जिलों में बारिस बहुत होती थी और पश्चिम के जिलों में केवल २०-२१ इंच पानी बरसता था इसलिये, पश्चिम के जिलों की तरफ सिंचाई के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया और उधर ही नहरें और ट्यूब वेल्स आदि की स्कीमें चालू की गयीं। लेकिन अब जबकि पूर्वी जिलों में पानी की कमी देखी गयी और इन जिलों में पहले से पानी कम बरसने लगा, लड़ाई के जमाने में जंगलों के कट जाने से यहां बर्षा की अधिक कमी हो गयी तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि पूर्व में पानी का इन्तजाम किया जाय, नहरें और ट्यूब वेल्स बनायें जायं। तो अब उसको ध्यान में रखा जा रहा है और वहां के लिये नहरों और ट्यूब वेल्स की योजनायें तैयार की जा रही हैं, लेकिन वहां पानी की लेबिल बहुत कम ऊंची है इसलिये नहरों का वहां अधिक उपयोग नहीं हो सकता। इसलिये ट्यूब वेल्स वहां के लिये अधिक उपयुक्त होंगे। हर जिले के लिये ट्यूब वेल्स अलाट कर दिये गये हैं और आशा की जाती है कि जल्द ही वे तैयार हो जायेंगे। हमारे यहां जो यह गल्ले का अभाव हो रहा है वर्षा कम होने की वजह से वह अभाव दूर होगा। यहां की पैदावार बढ़ेगी और लोगों की जो दिक्कत है, गरीबी है, परेशानी है, वह दूर होगी।

वाशिष्ठ जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया है और धनुषधारी जी ने इस बात की प्रार्थना की कि हमारे यहां पूर्व और पश्चिम का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। यह बात सही है कि ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए और हमारे यहां तो जनता की गवर्नमेंट है जहां जिस चीज की जरूरत हो

[श्री राममूर्ति]

वहां उसको किया जाय और उस चीज को बनाया जाय। इसमें जगह का क्या सवाल हो सकता है वह अपना सजेशन दें जो उनके जिले से सम्बन्ध रखने वाले सजेशन हों और प्रस्ताव हों उन पर गौर करने के लिये हम तैयार है और हमारी यह कोशिश होगी कि उनके सुझाव को अपने डिपार्टमेंट के सामने रखें और उनको देखें कि अगर वह फायदेमन्द है तो हम जरूर अपने फाईनेन्स के रिसोर्सेज को देखते हुए, अपनी पूंजी को देखते हुए अपने यहां उनकी बातोंको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे।

गोवर्धन जी ने भी कुछ अल्मोड़ा जिले का जिक्र किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने केवल अल्मोड़ा जिले का ही प्रश्न नहीं है बल्कि जो पहाड़ी जिले हैं उनके बारे में ५३ के लिये जितना प्लान बनाया था वह सब ५३ के अन्त तक पूरा हो जायगा। इसके अलावा और ६ लाख रुपया हमने अल्मोड़ा के काम के लिये दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो काम वहां पर किया जाय उसको पहले वहां की प्लानिंग कमेटी के सामने रखा जाय और महज इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की सलाह से काम न लिया जाय। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। हम वहां पर इसकी खबर कर देंगे और जो काम हो वह बजाय एक्जीकीटिव इन्जीनियर खुद करे वह प्लानिंग कमेटी की सलाह से किया जाय। इसमें हमको कोई एतराज नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह ६ लाख रुपया अल्मोड़ा में सिंचाई के लिये दिया गया है ?

श्री राममूर्ति --जी हां, सिंचाई के लिये दिया गया है।

रामकुमार जी ने अपने बस्ती जिले का जिक्र किया और उसमें बान गंगा के सम्बन्ध में कहा मैं उसकी डिटेल तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहां चीफ इन्जीनियर लोग बहुत काबिल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई स्कीम ३४ लाख की हो और उसको बिना समझे चालू कर दिया गया हो। फिर भी जो बातें उन्होंने हमारे नोटिस में लाने का कष्ट किया है हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उन बातों की जांच की जाय और दोबारा उनको देखा जाय। यों तो हमारे बजट में १० लाख उसको कम्पलीट करने के लिये रखा गया है और वहां पर १३२ ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं। इस हैसियत से तो ऐसा मालूम होता है कि बस्ती जिला कोई ऐसा पिछड़ा हुआ नहीं है। जिस तरह से ट्यूब वेल्स बनने का एलाटमेंट और जिलों में किया गया उसी तरह से बस्ती जिले को भी ध्यान में रखा गया है।

हमारे ठाकुर साहब ने हाईडेल के बारे में जिक्र किया। वह मामला हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। हाईडेल के बारे में जो अनुदान यहां पर आने वाला है वह हाफिज साहब से सम्बन्ध रखता है और जब वह अनुदान यहां पर आयेगा तब उस पर बहस हो सकती है। अलीगढ़ में जो स्कीम्स थीं उन सबको बना दिया गया है और ट्यूब वेल्स हैं उनको भी बना दिया गया है।

श्री मक्खान सिंह--यह गलत है कि जितनी स्कीम्स वहां पर थीं वह सब बन गयी हैं।

श्री राममूर्ति--आखिर उसके लिये जांच की जायगी। लेकिन इतना मैं अवश्य बतलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों तक वह ट्यूबवेल्स खाली पड़े रहे और उसका कारण यह था कि कि कोपरवायर मिलने में हमको दिक्कत हुई। यह आप लोग जानते हैं कि कोपर वायर अमेरिका से मिलता है और वह देश आजकल सामान को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और वह दिक्कत से हमको चीजें सप्लाई करता है। वह लाइन आ गयी है और जल्द से जल्द कोशिश की जायगी कि वहां के ट्यूब वेल्स को इनरजाईज किया जाय और उनको काम में लाया जाय।

किसानों के कुवें के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे यहां हजारों मैसोनरी वेल बनाये गये हैं और मैं नहीं जानता कि आपके यहां किसी को सीमेंट और लोहे के मिलने में दिक्कत हुई हो, किसी वक्त सामान का इस तरह का बाटलनैकिंग हो सकता है कि हो गया हो लेकिन डिपार्टमेंट की कभी ऐसी मन्शा नहीं है कि जनता के लिये एक चीज रखे और फिर उसको वापिस

ले लें और न गवर्नमेंट ऐसी बात जानबूझकर कभी कर सकती है। यह हो सकता है कि प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ होने से कोई चीज कहीं किसी खास वक्त में रुक जाय, लेकिन आप तो अलीगढ़ के लीडर हैं आप तो स्वयं अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ऐसे मामले तय कर सकते हैं और आपके लिये यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

इसके साथ साथ इर्रीगेशन के बारे में भी जिक्र किया गया। मेरे पास इस वक्त ज्यादा समय नहीं है वरना मेरे पास रिकार्ड है और अगर समय होता तो मैं साबित कर देता कि पिछले इर्रीगेशन के रेट किन कीमतों पर किस हालत को मद्देनजर रखकर लगाये गये थे और आज यह क्यों बढ़ाये जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई अन्धाधुन्धी से वैसे ही बढ़ाये जा रहे हैं। न इसमें किसानों को या किसी को परेशान करने की बात है। हमें और नये कामों को पूरा करने के लिए रुपये की बहुत जरूरत है। हमारे यहां अभी बहुत सी जगह पानी वगैरह की कमी है और उसके लिये हमारे पास योजनायें हैं और उसके लिये हम रुपया उनसे ही लेते हैं जिनको पानी मिल चुका है और जिन्होंने उस पानी से फायदा उठा लिया है। पहले भी तो जो नहरें और ट्यूबवेल्स बनाये गये थे वह पब्लिक के और टैक्स पेयर के ही रुपये से बनाये गये थे जिसको पूर्व के जिलों से आदमी भी देते थे। आपको उनसे बड़े भाई की तरह पहले लाभ हो चुका अब आप का कर्तव्य है कि अब आप छोटे भाई के लिये भी उस लाभ में से थोड़ा सा देकर उसकी उन्नति और उसके लाभ के कामों में भी हाथ बटावें, उसकी दिक्कत को भी समझें। यह अच्छा नहीं मालूम होता कि थोड़ी सी दिक्कत के लिये चिल्लपुकार मचाई जाय। आपका यह फर्ज होना चाहिए कि जिन दूसरे भाईयों को अभी साधन प्राप्त नहीं है उनको भी अब साधन प्राप्त हो जायं। हर साल जहां अकाल पड़ जाता है और जहां के लोग भूख से परेशान हो जाते हैं और जहां हमारे श्री शिब्बन लाल जी को भूख हड़ताल करनी पड़ती है वहां का भी आपको कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि वह लोग भी सुख से रह सकें। मैं बड़ा आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग के बजट में भाग लिया है और उन लोगों को भी जिन्होंने हमारे विभाग के इन्जीनियरों की प्रशंसा की। यह इन्जीनियर भी प्रजापति के खानदान के लोग हैं, उनको काफी मेहनत से काम करना पड़ता है, अगर हम उनका खाली क्रिटिसिज्म ही करें तो उससे उनका दिल मर जाता है और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आगे इसका ध्यान हमारे तिवारी जी रखें और मैं समझता हूं कि उनका भी थोड़ा सा फर्ज है कि वह उनकी कभी कभी तारीफ कर दिया करें अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने अब लाल लाइट लगा दी है इसलिये मैं आखिर में अपने मित्र तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और यह सदन एक मत होकर हमारे अनुदान ४४ को पास करे।

श्री श्री चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--इस अनुदान की विशेषता देखते हुए समय बहुत कम मिला है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट और बढ़ा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं, मैं समझता हूं कि अब समय बढ़ाना उचित न होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं इतना निवेदन करना चाहता था कि पद्धति प्रायः ऐसी होती है कि जब विभाग की ओर से बहस का उत्तर दे दिया जाय तो फिर उसके बाद जिसने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसी को मौका दिया जाता है।

कुछ सदस्य--वह तो हो ही रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझ रहा था कि १५ मिनट इस लिये मांगे जा रहे हैं कि औरों को भी बोलने का मौका हो।

श्री उपाध्यक्ष--श्री नारायण दत्त जी को मैंने इसीलिये बुलाया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्री मन्, अभी माननीय उपमन्त्री जी ने हमारे वाद-विवाद के उत्तर में कुछ बातें कहीं और उन्होंने हमको यह विश्वास दिलाया कि योजना को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होती है और समय के अन्दर ही योजनायें कार्यान्वित हो जाती हैं। अगर भविष्य में ऐसा हो जाय तो इससे अच्छा क्या हो सकता है और मैं तो यही विश्वास करूंगा कि माननीय उपमन्त्री जी अपने निश्चय में सफल हों और परमेश्वर इतनी शक्ति उनको दे और विभाग को कि वह योजनायों को समय पर पूरा कर सके। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सुरई रिजरवायर का सवाल है। उसका एस्टीमेट बन चुका है इसके लिये मैं उनकी तारीफें करता हूं। लेकिन इस वर्ष उनका कोई अनुदान नहीं है। इसकी कुछ चर्चा जरूर माननीय मन्त्री जी ने की कि सारे केन्द्रीय जिलों को इस योजना से फायदा मिलेगा लेकिन इस बजट में माला और सुरई रिजरवायर को बनाने के लिये कोई चर्चा नहीं है। रिहन्ड डैम के बारे में जब मैंने कहा था कि हीडेल चार्जेज में १ करोड़ १० लाख रुपया ट्रान्सफर करने के बजाय उसे रिहन्डडैम में लगाया जाय तो अच्छा होता, उसे माननीय मन्त्री जी गलत समझे। मेरा तो सुझाव यह था कि ३,३० लाख रुपया सारे का सारा सिंचाई के कार्य में खर्च किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी अब भी इस पर विचार करेंगे और रिहन्ड डैम के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार और विन्ध्य प्रदेश तीनों सरकारें मिलकर एक बोर्ड कायम करें क्योंकि तीनों को रिहन्डडैम से फायदा पहुंचता है।

जहां तक सिंचाई की नहरों का सवाल है बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां बरसाती नहरें कार्य नहीं कर रहीं है, या जो पुरानी नहरें हैं वह काम नहीं कर रहीं हैं। हमारे यहां झड़कलिया स्थान है, मछली बान्ध जिसमें ५० पुलियां अन्दर ग्राउन्ड हैं, पहाड़ के अन्दर हैं। इसी प्रकार एक स्थान गोल पाड़ा है, वह सैला भावर की बरसाती नहर है वहां बेकार पड़ी है। तो इस प्रकार बरसाती नहरों से भी काम लिया जा सकता है। जो पुरानी नहरें अंग्रेजी जमाने की सूखी पड़ी हैं, जैसे मछली बान्ध नहर, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वह बन्द पड़ी है। वान गंगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो शास्त्री जी ने ध्यान आकर्षित किया वह एक महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बारे में मैंने भी कई बार ध्यान दिलाया है और जो कुछ मैंने शुरू में कहा था उसकी शास्त्री जी द्वारा पुष्टि की गयी। वान गंगा प्रोजेक्ट के लिये पिछले साल कांटीजेन्सी फन्ड से रुपया मांगा गया था। उसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अब समय समाप्त हो चुका है। मैं इतना ही कहकर अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लूंगा कि अब चूंकि सिंचाई को पंचवर्षीय योजना में मिलाना है तो यह कटौती का प्रस्ताव कोई विशेष अर्थ नहीं रखेगा। इसलिये मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौ-चालन, बान्ध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण) के अन्तर्गत ३,४१,३०,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर बुधवार, ४ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२६ फरवरी, १९५३ ई०।

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

अंग्रेज अफसरों की सूची जो अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं।

विभाग का नाम	अंग्रेज अफसर का नाम तथा पद जिसपर काम कर रहे हैं
वन विभाग	१--श्री जी० एम० हौपकिन्स, आई० एफ० एस०, कन्जर-वेटर आफ फारेस्ट। (यह ५ जुलाई, १९५३ को सेवा से अवकाश ग्रहण करेंगे ।)
न्याय विभाग	२--श्री ओ० एच० मूथम, जज, हाई कोर्ट, इलाहाबाद। ३--श्री डब्ल्यू० ब्रूम, आई० सी० एस०, डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन्स जज, लखनऊ ।
पुलिस विभाग	४--श्री डब्ल्यू० ए०सी०पीयर्स, आई०पी०सी० यह भारत सरकार के अधीन ११-१-१९४९ से डायरेक्टर आफ इन्फोर्समेंट के पद पर काम कर रहे हैं। ५--श्री जे० डी० ए० पोलक, आई० पी० सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, बहराइच । ६--श्री जी० ए० बर्ज, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सी० आई० डी०, स्पेशल ब्रान्च, लखनऊ । ७--श्री एस० बी० उपहम, असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, चौथी बटालियन, पी० ए० सी०, इलाहाबाद । ८--श्री के० एम० केलेघन, रिजर्व इन्सपेक्टर, नैनीताल। ९--श्री आर० डब्ल्यू० बी० पार्किन्सन, रिजर्व इन्सपेक्टर, आगरा।
चिकित्सा विभाग।	१०--डा० श्रीमती यू० मार्टिन, आफिसर इन्चार्ज, लेडी, लायल हास्पिटल, आगरा । ११--कुमारी ई० सी० वाई० मैकलियड, मैट्रन, उर्सुला, हार्समन मैमोरियल हास्पिटल, कानपुर ।

पी० एस० यू० पी०--१०२ एल० ए०--१९५३--८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

को

कार्यवाही

को

अनुक्रमणिका

खण्ड ११६

प्रश्नोत्तर

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०—१३ एल० ए०—१९५३—८३०